

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अभियांत्रिकी विभाग

में निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए संविदा की शर्तें

निर्माण और रखरखाव कार्यों के लिए अनुबंध की शर्तें

CONDITIONS OF CONTRACT FOR CONSTRUCTION AND MAINTENANCE WORKS IN

इंजीनियरिंग विभाग

DEPARTMENT OF ENGINEERING

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA



के लिए

निविदा दस्तावेज़

TENDER DOCUMENT
FOR

कार्य का नाम: एसआईटीसी ऑफ एलईडी ल्यूमिनरीज फॉर टर्मिनल बिल्डिंग एट डीएबीएच एयरपोर्ट, इंदौर ।

Name of work: SITC of LED luminaries for Terminal Building at DABH Airport, Indore.

अनुमानित लागत/Estimated Cost : Rs. 30.56 Lakhs (Excluding GST)

ईएमडी/EMD : Rs. 91,691/-

निविदा दस्तावेज़ की लागत : Rs. 1180/- (i/c GST @ 18%)
/Cost of Tender Document

समय अवधि/Time Period : 03 (Three) Months

अनुक्रमणिका INDEX

क्र. सं. S No.	विवरण Description	पृष्ठ संख्या Page Nos.	
		From	To
1.	अनुक्रमणिका Index	Index - 1	Index - 1
2.	ई-निविदा सूचना e-Tender Notice	eNIT-01	eNIT-11
3.	ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए सामान्य निर्देश General Instructions for Online Bid Submission	A-1	A-09
4.	बोलीदाताओं के लिए सामान्य दिशानिर्देश General Guidelines for Bidders	A-10	A-18
5.	बोलीदाताओं से ईएमडी और निविदा शुल्क के ऑनलाइन संग्रह की प्रक्रिया Procedure for Online Collection of EMD and Tender Fee from Bidders	NIC-GePNIC-1	NIC-GePNIC-20
6.	निविदा शुल्क और ईएमडी के लिए धनवापसी और निपटान प्रक्रिया Refund and Settlement Process for Tender Fee and EMD	RSP-1	RSP-1
7.	अनुबंध की सामान्य शर्तें (कवर) General Conditions of Contract (Cover)	G-1	G-1
8.	अनुबंध की सामान्य शर्तें General Conditions of Contract	GCC-1	GCC-255
9.	अनुबंध की विशेष शर्तें Special Conditions of Contract	SCC-1	SCC -8
10.	तकनीकी विनिर्देश Technical Specification	TS-1	TS-3
11.	पसंदीदा ब्रांडों की सूची List of Preferred Makes	LPM-1	LPM-10
12.	प्रोफार्मा Proforma	PR -1	PR- 26
13.	मात्राओं की अनुसूची Schedule of Quantities	SOQ-1	SOQ-1

Certified that this Tender Document contains 356 pages, as marked above, including cover page.

--s/d--

सहायक महाप्रबंधक (अभि.-वि.)
Asst. General Manager (Engg-Elect)
अध्यक्ष के लिए एवं उनकी ओर से
For & on behalf of Chairman
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
डीएबीएच एयरपोर्ट, इंदौर-452005
DABH Airport, Indore-452005



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
देवी अहिल्या बाई होलकर विमानतल,
इन्दौर-452005

DEVI AHILYA BAI HOLKAR AIRPORT, INDORE-452005
फोन नं. 0731-2629452, फेक्स-0731-2620278
PHONE 0731-2629452, FAX 0731-2620278
फोन नं. 0731-2629452, फेक्स-0731-2620278

क्रमांक. एएआई/आईडी/इंजि(ई)/ईएनआईटी-05/2026-27/
No. AAI/ID/ENGG(E)/eNIT-05/2026-27/

दिनांक/Date : 20.07.2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (2 बीओटी - 2 लिफाफा खुली निविदा)

NOTICE INVITING e-TENDER (2 BOT - 2 Envelope Open Tender)

(निविदा आईडी सं. 2026_AAI_284519_1)

(Tender I.D No. 2026_AAI_284519_1)

1. अध्यक्ष, एएआई की ओर से सहायक महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग-इलेक्ट्रॉनिक्स), एएआई, डीएबीएच एयरपोर्ट, इंदौर, फोन नंबर 0731-2626628 [बोली प्रबंधक] द्वारा ई-टेंडरिंग सीपीपी पोर्टल के माध्यम से पात्र ठेकेदारों से "एसआईटीसी ऑफ एलईडी ल्यूमिनरीज फॉर टर्मिनल बिल्डिंग एट डीएबीएच एयरपोर्ट, इंदौर"। कार्य के लिए आइटम दर ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। अनुमानित लागत 30.56 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) और पूरा होने की अवधि 03 (तीन) महीने है।

Item Rate e-tenders are invited through the e-tendering CPP Portal by Asstt. Gen. Manager (Engg.-Elect), AAI, DABH Airport, Indore, Phone No. 0731-2626628 [Bid Manager] on behalf of Chairman, A.A.I from the eligible contractors for the work of " **SITC of LED luminaries for Terminal Building at DABH Airport, Indore.**" at an estimated cost of **Rs. 30.56 Lakhs (Excluding GST)** with period of completion **03 (Three) Months.**

निविदा प्रक्रिया CPP-पोर्टल URL पते <https://etenders.gov.in/eprocure/app> या www.aai.aero पर ऑनलाइन है। संभावित निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं और उसका अवलोकन कर सकते हैं।

The tendering process is online at CPP-portal URL address <https://etenders.gov.in/eprocure/app> or www.aai.aero. Prospective Tenderers may download and go through the tender document.

संभावित निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे सीपीपी-पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करें, 'लॉगिन आईडी' और 'पासवर्ड' प्राप्त करें और सीपीपी-पोर्टल <https://etenders.gov.in/eprocure/app> या www.aai.aero पर लॉग इन करने के बाद होम पेज पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़ें। उन्हें समानांतर रूप से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) भी प्राप्त करना चाहिए जो उनके आवेदन को जमा करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। प्रक्रिया में आमतौर पर 03 दिन का समय लगता है। निविदाकर्ता पथ aai.aero/tender/e-tender/help desk support के माध्यम से AAI हेल्प डेस्क सहायता से मार्गदर्शन भी ले सकते हैं।

Prospective Tenderers are advised to get themselves register at CPP-portal, obtain 'Login ID' and 'Password' and go through the instructions available in the Home Page after log in to the CPP-portal <https://etenders.gov.in/eprocure/app> or www.aai.aero. They should also obtain Digital Signature Certificate (DSC) in parallel which is essentially required for

submission of their application. The process normally takes 03 days' time. The tenderer may also take guidance from AAI Help Desk Support through path aai.aero/tender/e-tender/helpdesk/support.

- (i) किसी भी तकनीकी संबंधी प्रश्नों के लिए कृपया हेल्पडेस्क पर कॉल करें। 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005 और 0120-6277787 । अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे देश कोड के रूप में 91 जोड़ें।

ई-मेल: support-eproc@nic.in

निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे किसी भी मुद्दे पर ईमेल करते समय कृपया संपर्क विवरण के साथ पोर्टल का यूआरएल और निविदा आईडी का उल्लेख करें।

For any technical related queries please call the Helpdesk. The 24 x 7 Help Desk Number 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005 and 0120-6277787.

International Bidders are requested to prefix 91 as country code.

E-mail: support-eproc@nic.in

Tenderers are requested to kindly mention the URL of the Portal and Tender ID in the subject while emailing any issue along with the contact details.

- (ii) सीपीपी पोर्टल के कामकाज के संबंध में किसी भी अन्य तकनीकी सहायता के लिए निविदाकर्ता सभी कार्य दिवसों के बीच निम्नलिखित एएआई हेल्प डेस्क नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

- 08.00 बजे से 20.00 बजे तक (सोम-शनि) - 011-24632950, एक्सटेंशन-3512 (6 लाइन), ई-मेल: -eprochelp@aai.aero
- 09.30 बजे से 18.00 बजे तक (सोम-शुक्र)- 011-24632950, एक्सटेंशन-3523 और 3527 ई-मेल:- etendersupport@aai.aero, sanjeevkumar@aai.aero और dkumar@aai.aero
- 09.30 बजे से 18.00 बजे तक (सोम-शुक्र)-011-24657900
ई-मेल:- gmitichq@aai.aero

निविदा प्रसंस्करण शुल्क **रु. 1180/- (आई/सी जीएसटी)**, गैर-वापसीयोग्य, केवल सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

बयाना राशि के रूप में **रु. 91,691/-** का भुगतान केवल सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा।

For any further technical assistance with regard to functioning of CPP portal the tenderer may contact to the following AAI help desk numbers on all working days only between.

- 08.00 hrs to 20.00 hrs (Mon-Sat)- 011-24632950, Ext-3512 (6 Lines), E-Mail: -eprochelp@aai.aero
- 09.30 hrs to 18.00 hrs (Mon-Fri)- 011-24632950, Ext-3523 and 3527 E-Mail:- etendersupport@aai.aero, sanjeevkumar@aai.aero and dkumar@aai.aero.
- 09.30 hrs to 18.00 hrs (Mon-Fri)-011-24657900
E-Mail:- gmitichq@aai.aero

Tender Processing Fee of **Rs. 1180 /- (i/c GST)**, non-refundable will be required to be paid online on CPP portal only.

Earnest Money Deposit for **Rs. 91,691/-** will be required to be paid online on CPP Portal only.

2. निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार निविदाकर्ता द्वारा सीपीपी-पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से निम्नलिखित 2 लिफाफे प्रस्तुत किए जाएंगे:-

Following 2 envelopes shall be submitted through online at CPP-portal by the tenderer as per the following schedule:-

महत्वपूर्ण डेटा शीट

CRITICAL DATA SHEET

Sl. No.	Activity	Date & Time (IST)
1	प्रकाशन तिथि Publishing Date	दिनांक/ Date 20.07.2026
2	बोली दस्तावेज डाउनलोड / बिक्री प्रारंभ तिथि (प्रकाशन तिथि का अगला दिन) Bid Documents Download /Sale Start Date (Next Day of Publishing Date)	दिनांक/ Date 20.07.2026 from 1800 hrs.
3	स्पष्टीकरण प्रारंभ तिथि Clarification Start Date	दिनांक/ Date 20.07.2026 from 1800 hrs.
4	स्पष्टीकरण की अंतिम तिथि Clarification End Date	दिनांक/ Date 23.07.2026 from 1800 hrs.
5	बोली प्रस्तुत करने की आरंभ तिथि Bid Submission Start Date	दिनांक/ Date 20.07.2026 from 1800 hrs.
6	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि Bid Submission End Date	दिनांक/ Date 10.08.2026 from 1800 hrs.
7	बोली खोलने की तिथि (लिफाफा- I) Bid Opening Date (Envelope- I)	दिनांक/ Date 13.08.2026 from 1100 hrs.
8	बोली खोलने की तिथि (लिफाफा- II) Bid Opening Date (Envelope- II)	दिनांक/ Date 17.08.2026 from 1600 hrs.
9	निविदा प्रसंस्करण शुल्क (वापसी योग्य नहीं) Tender Processing Fee (Non-refundable)	रु. 1,180/- (जीएसटी सहित) गैर-वापसी योग्य, केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से। Rs. 1,180/- (i/c GST) Non-refundable, through Online mode only.
10	बयाना राशि जमा (ईएमडी) Earnest Money Deposit (EMD)	रु. 91,691/- केवल ऑनलाइन माध्यम से। Rs. 91,691/- through Online mode only.

लिफाफा-I (तकनीकी बोली और पूर्व-योग्यता):- बोली में निम्नलिखित शामिल होंगे:

Envelope-I (Technical Bid and Pre-qualification):- Bid containing following:

क. तकनीकी बोली जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा:-

A. Technical Bid containing the following:-

- एएआई की निविदा शर्तों की बिना शर्त स्वीकृति की स्कैन की गई प्रति
Scanned copy of Unconditional Acceptance of AAI's Tender Conditions.
- स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटी पंजीकरण संख्या की स्कैन की गई प्रति
Scanned copy of Permanent Account Number (PAN) and GST Registration Number.
- राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी वैध विद्युत ठेकेदार लाइसेंस।

Valid Electrical Contractor's License issued by State Licensing Authority.

- iv) कंपनी के लेटर हेड पर ब्लैकलिस्टिंग/डिबारमेंट के संबंध में 'अंडरटेकिंग' की स्कैन की गई प्रति।
Scanned copy of 'Undertaking' regarding Blacklisting/ Debarment on Company's Letter Head.
- v) एजेंसी के पास वैध ईपीएफ और ईएसआई पंजीकरण होना चाहिए (यदि निविदा प्रस्तुत करते समय बोलीदाता के पास ईपीएफ और ईएसआई पंजीकरण उपलब्ध नहीं है, तो बोलीदाता को यह वचन देना होगा कि वे कार्य सौंपे जाने के 30 दिनों के भीतर ईपीएफ और ईएसआई पंजीकरण प्रस्तुत करेंगे)।
Agency should have valid EPF & ESI registration (in case EPF & ESI registration are not available with bidder while submitting tender, bidder shall submit undertaking that they will submit EPF & ESI registration within 30 days of award of work.
- vi) फॉर्म-ए की स्कैन की गई प्रति - पिछले सात वर्षों में पूर्ण किए गए समान कार्यों का विवरण, साथ ही ग्राहक द्वारा जारी किया गया पूर्णता प्रमाण पत्र।
Scanned copy of Form- A - details of similar works completed during last seven with completion certificate issued by client.
- vii) फॉर्म -बी - वित्तीय जानकारी की स्कैन की गई प्रति।
Scanned copy of Form- B - Financial Information.
- viii) फॉर्म-सी - नेट वर्थ की स्कैन की गई प्रति।
Scanned copy of Form- C – Net Worth.
- ix) जीएसटी से संबंधित वचनपत्र की स्कैन की गई प्रति।
Scanned copy of Undertaking regarding GST.
- x) निविदाकर्ता को समय अवधि के भीतर मील के पत्थर / लक्ष्य और समग्र समापन प्राप्त करने के लिए प्रभारी अभियंता (ईआईसी) के परामर्श से कार्य की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संयंत्र और मशीनरी तैनात करनी चाहिए। निविदाकर्ता को कंपनी के लेटर हेड पर 'अंडरटेकिंग' की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
Tenderer should deploy sufficient plant and machinery as per the requirement of work in consultation with the Engineer-in-Charge (EIC) to achieve the milestones / targets and overall completion within the time period. Tenderer shall submit scanned copy of 'Undertaking' on Company's Letter Head.
- xi) स्वामित्व फर्म के अलावा अन्य कंपनियों को प्राधिकरण पत्र/पावर ऑफ अटॉर्नी की स्कैन की गई प्रति के साथ कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के निगमन प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें कंपनी का सीआईएन/एलएलपीआईएन/निदेशक का नाम दर्शाया गया हो तथा पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपने के लिए प्राधिकरण के संबंध में बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
स्वामित्व वाली फर्म को प्राधिकरण पत्र/पावर ऑफ अटॉर्नी की स्कैन की हुई प्रति केवल तभी प्रस्तुत करनी होगी, जब निविदा का प्रसंस्करण स्वामी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है।
Companies other than proprietary firm shall submit, scanned copy of Authorization Letter/Power of Attorney along with copy of Certificate of Incorporation of the Company under Companies Act showing CIN/LLPIN/Name of Directors of the Company & Copy of Board Resolution regarding Authority to assign Power of Attorney.
Proprietary firm shall submit scanned copy of Authorization Letter/ Power of Attorney only if the tender is processed by a person other than proprietor.

- xii) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (सार्वजनिक खरीद प्रभाग) के दिनांक 23/07/2020 के आदेश संख्या एफ संख्या 6/18/2019 -पीपीडी के आधार पर भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता द्वारा पंजीकरण की आवश्यकता, सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 144 (xi) के तहत प्रतिबंध के संबंध में अद्यतन संशोधनों के साथ लागू होगी। बोलीदाता को इस संबंध में कंपनी के लेटर हेड पर 'अंडरटेकिंग' की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी होगी। (अनुलग्नक-एलबीएस)

Requirement of registration by the Bidder from a country sharing land border with India based on order No. F No. 6/18/2019-PPD dated 23/07/2020 of Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure (Public Procurement Division) with up-to-date amendments, regarding restriction under Rule 144(xi) of the General Financial Rules (GFR) 2017 shall be applicable. Bidder shall submit scanned copy of 'Undertaking' on Company's letter head in this regard. (Annexure-LBS)

- xiii) पीक्यू परफॉर्मा विधिवत भरा गया।
PQ Performa duly filled.

- xiv) ₹100/- के गैरकी स्कैन की हुई (एफिडेविट) न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत शपथपत्र-प्रति, जिसे प्री-लिफाफा) क्वालिफिकेशन सह तकनीकी बोली-I) के साथ प्रस्तुत किया जाना है।

Scanned copy of Affidavit (To be executed in Rs . 100 / - Non Judicial Stamp Paper duly Notarized and submitted along with Pre qualification cum technical in Envelope-I)

ख. ठेकेदारों/निविदाकर्ताओं की योग्यता संबंधी आवश्यकताएं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

B. Qualifying requirements of contractors/tenderers containing the following:-

- i) संतोषजनक ढंग से पूरे किए होने चाहिए (अनुबंध में कार्य के दायरे का चरणबद्ध/आंशिक समापन नहीं माना जाएगा, हालांकि कार्य का पूर्व-निर्धारित चरण स्वीकार किया जाएगा), तीन कार्य प्रत्येक **12.45 लाख रुपये (जीएसटी रहित) का होना चाहिए।** या दो कार्य, प्रत्येक **15.28 लाख रुपये (जीएसटी रहित)** या **24.45 लाख रुपये (जीएसटी रहित)** का एक कार्य समान प्रकृति के एकल अनुबंध में, अर्थात् **“एसआईटीसी ऑफ इंडोरआउटडोर एलईडी/हाई बेस्ट्रीट लाइट वर्क/”** पिछले सात वर्षों के दौरान, जिस महीने में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, उससे पहले के महीने के अंतिम दिन को समाप्त हुआ।

Should have satisfactorily completed (Phase/Part completion of the scope of work in a contract shall not be considered, **however pre-determined phasing of the work will be accepted**) three works, each of **Rs. 12.45 Lakhs (Excluding GST)** or two works, each of **Rs. 15.28 Lakhs (Excluding GST)** or one work of **Rs. 24.45 (Excluding GST) Lakhs** in single contract of similar nature i.e. **"SITC of Indoor/Outdoor LED/High bay/ Street light Work"**, during last seven years ending last day of month previous to the one in which tenders are invited.

पिछले सात वर्षों के दौरान पूर्ण किये गये समान कार्यों का विवरण नीचे दिये गये प्रारूप में उपलब्ध है-
ग्राहक द्वारा जारी सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-ए।

The details of similar works completed during last seven years in the given format-Form-A with supporting documents issued by client.

टिप्पणी/ Note:-

जीएसटी युग से पहले पूर्ण किए गए कार्यों के अनुभव प्रमाण-पत्रों की पूर्णता राशि को 1.12 से विभाजित किया जाएगा (जीएसटी-पूर्व करों को छोड़कर) ताकि इसे जीएसटी के बाद के युग के अनुभव प्रमाण-पत्रों के बराबर बनाया जा सके, लेकिन जीएसटी को छोड़कर।

The Experience Certificates of works completed pre-GST era, Completion amount will be divided by 1.12 (to exclude pre-GST taxes) to make it at par with experience certificates of post GST era but excluding GST.

~~1.— ओ एंड एम / एमसी / सीएमसी कार्यों के लिए वार्षिक दर अनुबंधों के लिए आमंत्रित निविदाओं में, कार्य अनुभव को पूर्व-योग्यता प्राप्त करने के लिए आनुपातिक आधार पर एक वर्ष के लिए पूर्ण किए गए कार्य के मूल्य के लिए गिना जा सकता है, जिसने एमसी का एक वर्ष पूरा कर लिया है, लेकिन एमसी की लंबी अवधि के कारण काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है।~~

~~The Tenders invited for Annual Rate Contracts for O&M/ AMC/ CMC works, the works experience may be counted for the value of work for a completed one year on pro rata basis to prequalify agency that has completed one year of AMC but work is still not completed due to longer period of AMC.~~

2. बैक-टू-बैक अनुबंध/उप-अनुबंध के आधार पर कार्य निष्पादित करने से प्राप्त अनुभव निम्नलिखित स्थितियों में स्वीकार्य है:

Experience gained by executing work on back-to-back contract/ Sub-contract basis is acceptable in the following conditions:

[क] काम वास्तव में दूसरी एजेंसी (उप-ठेकेदार) द्वारा मालिक की त्रिपक्षीय सहमति/लिखित स्वीकृति के साथ निष्पादित किया जाना चाहिए। इसके साथ वैध समझौता और अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

(a) Work should be actually executed by the second agency (sub-contractor) with due concurrence of the owner as tripartite agreement/ written approval. It should be backed by valid agreement and experience certificate.

[ख] दूसरी एजेंसी द्वारा प्राप्त भुगतान टीडीएस प्रमाणपत्र में दर्शाया जाना चाहिए।

(b) Payments received by second agency should be reflected in TDS certificates.

4. विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए समग्र कार्यों में प्राप्त अनुभव को मुख्य ठेकेदार द्वारा या तो इन-हाउस विशेषज्ञता और अनुभव के द्वारा या अनुबंध की शर्तों के अनुसार मुख्य ग्राहक के अनुमोदन के साथ विशेष एजेंसियों को शामिल करके निष्पादित किया गया था। ऐसे मामलों में, मुख्य ठेकेदार और साथ ही विशेष एजेंसी दोनों को अपने संबंधित ग्राहकों से एक ही काम के लिए अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है, यानी मुख्य ठेकेदार को मालिक से विशेष कार्यों के साथ समग्र काम के लिए और विशेष एजेंसी को मुख्य ठेकेदार से विशेष कार्यों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है।

Experience gained in composite works for the specialized nature of works were executed by main contractor either by in-house expertise & experience or by engaging the specialized agencies with the approval of main client as per contract conditions. In such cases, main contractor as well as specialized agency both get the experience certificate for the same work from their respective client(s) i.e. main contractor for composite work along with specialized works from owner and specialized agency for specialized work(s) from the main contractor.

In this situation, the experience certificate of either specialized agency or main agency having in-house expertise & experience, who has actually executed the specialized

work(s), shall be considered for Technical /Pre-qualifying criteria in similar specialized nature of work(s).

3. पर्याप्त पूर्णता, अनुबंध के तहत पूर्ण किए गए निर्धारित लागत के 80(अस्सी) प्रतिशत या उससे अधिक मूल्य के कार्यों पर आधारित होगी।

Substantial completion shall be based on 80(eighty) percent of awarded cost or more value wise works completed under the contract.

निष्पादित कार्यों का मूल्य, कार्य के वास्तविक मूल्य में 7% प्रति वर्ष की साधारण दर से वृद्धि करके वर्तमान लागत स्तर पर लाया जाएगा, जिसकी गणना कार्य पूरा होने की तिथि से बोलियां प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के पिछले दिन तक की जाएगी।

“The value of executed works shall be brought to current costing level by enhancing the actual value of work at simple rate of 7% per annum, calculated from the date of completion to previous day of last day of submission of bids.

अनुभव के लिए क्लाइंट सर्टिफिकेट में किए गए कार्य की प्रकृति, कार्य का मूल्य, कार्य आरंभ करने की तिथि, अनुबंध के अनुसार कार्य पूरा होने की तिथि, कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि और कार्य का संतोषजनक पूरा होना दर्शाया जाना चाहिए। गैर-सरकारी/गैर-पीएसयू संगठनों से कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिखाने वाले निविदाकर्ताओं को पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र (यूडीआईएन जनरेटेड) के साथ स्रोतों पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें कार्य का नाम, कार्य के लिए प्राप्त कुल भुगतान और कार्य के लिए टीडीएस राशि स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।

Client certificate for experience should show the nature of work done, the value of work, date of start, date of completion as per agreement, actual date of completion and satisfactory completion of work. **Tenderers showing work experience certificate from non-government/non-PSU organizations should submit copy of tax deduction at sources (TDS) certificate(s) alongwith a certificate (UDIN generated) issued by registered Chartered Accountant, clearly specifying the name of work, total payment received against the work and TDS amount for the work.**

- ii) पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्माण कार्यों पर **10.82 लाख रुपये (जीएसटी सहित)** का वार्षिक औसत वित्तीय कारोबार होना चाहिए। वित्तीय जानकारी दिए गए प्रारूप - **फॉर्म-बी में प्रस्तुत की जानी चाहिए।** बैलेंस शीट में पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार घाटा दिखाने वाले निविदाकर्ताओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

Should have annualized average financial turnover of **Rs. 10.82 Lakh (Including GST)** on construction works during last three years ending 31st March of the previous financial year. The Financial Information shall be submitted in the given format – **Form-B**. Tenderers showing continuous losses during the last

- iii) निविदाकर्ता के पास प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी न्यूनतम **4.58 लाख रुपये (जीएसटी रहित) की निवल संपत्ति होनी चाहिए।** प्रमाण पत्र दिए गए प्रारूप- **फॉर्म-सी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**

The tenderer should have a minimum net worth of **Rs. 4.58 Lakh (Excluding GST)** issued by certified Chartered Accountants. The Certificate should be submitted in the given format- **Form-C**.

लिफाफा-II: - सीपीपी पोर्टल के माध्यम से वित्तीय ई-बोली।

Envelope-II : - The Financial e-Bid through CPP portal.

सभी दरें दिए गए प्रारूप में उद्धृत की जानी चाहिए और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है। यदि निविदा दस्तावेज के साथ मूल्य बोली मानक BOQ प्रारूप के रूप में दी गई है, तो उसे डाउनलोड किया जाना चाहिए और सभी निविदाकर्ताओं द्वारा भरा जाना चाहिए। निविदाकर्ताओं को BOQ फ़ाइल डाउनलोड करने, इसे खोलने और नीले रंग के (असुरक्षित) कक्षों को उनके संबंधित वित्तीय उद्धरण और अन्य विवरण (जैसे निविदाकर्ता का नाम) के साथ पूरा करना आवश्यक है। कोई अन्य कक्ष नहीं बदला जाना चाहिए। विवरण पूरा हो जाने के बाद, निविदाकर्ता को इसे सहेजना चाहिए और फ़ाइल नाम बदले बिना इसे ऑनलाइन जमा करना चाहिए। यदि निविदाकर्ता द्वारा BOQ फ़ाइल को संशोधित पाया जाता है, तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

All rates shall be quoted in the format provided and no other format is acceptable. If the price bid has been given as a standard BOQ format with the tender document, then the same is to be downloaded and to be filled by all the tenderers. Tenderers are required to download the BOQ file, open it and complete the blue coloured (unprotected) cells with their respective financial quotes and other details (such as name of the tenderer). No other cells should be changed. Once the details have been completed, the tenderer should save it and submit it online, without changing the filename. If the BOQ file is found to be modified by the tenderer, the bid will be rejected.

3. ईएमडी की वापसी:-

Refund of EMD:-

अस्वीकृत बोलीदाताओं की ईएमडी राशि बोली प्रबंधक द्वारा सीपीपी पोर्टल पर तकनीकी/वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उनके स्रोत खाते में वापस कर दी जाएगी। ऐसे सभी निविदाकर्ताओं की ईएमडी की वापसी, पृष्ठ संख्या आरएसपी-1 पर उपलब्ध निविदा शुल्क और ईएमडी के लिए रिफंड और निपटान प्रक्रिया के अनुसार संसाधित की जाएगी।

EMD amount of the rejected bidders will be refunded to their source account after submission of Technical / Financial evaluation report on CPP portal by bid Manager. The refund of EMD of all such tenderers shall be processed as per **Refund and Settlement Process for Tender Fee and EMD** available at Pg. No. RSP-1.

4. बोली प्रस्तुतीकरण:-

Bid Submission:-

निविदाकर्ता को अपना आवेदन केवल CPP पोर्टल: <https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर ही जमा करना होगा। निविदाकर्ता/ठेकेदार को बोलियों को ऑनलाइन जमा करने के लिए निविदा दस्तावेज में दिए गए निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। निविदाकर्ताओं को पैरा 2 के अनुसार स्कैन किए गए दस्तावेजों की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फ़ाइल अपलोड करनी होगी। बोली दस्तावेजों को 100 डीपीआई के साथ काले और सफेद विकल्प के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज के आकार को कम करने में मदद करता है।

The tenderer shall submit their application only at CPP Portal: <https://etenders.gov.in/eprocure/app>. Tenderer/Contractor are advised to follow the instructions provided in the tender document for online submission of bids. Tenderers are required to upload the digitally signed file of scanned documents as per Para 2. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.

ऊपर निर्दिष्ट स्थान के अलावा अन्य स्थान पर आवेदन अपलोड करने पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

Uploading of application in location other than specified above shall not be considered. **Hard copy of application shall not be entertained.**

5. व्यावसायिक संबंध रखने वाले एक निविदाकर्ता या निविदाकर्ताओं द्वारा एक से अधिक निविदा प्रस्तुत नहीं की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में पिता और उसके बेटे या अन्य करीबी रिश्तेदार जिनका एक दूसरे के साथ व्यावसायिक संबंध है (यानी जब एक या अधिक साझेदार/साझेदार हों) को अलग-अलग प्रतिस्पर्धियों के रूप में एक ही अनुबंध के लिए निविदा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस शर्त का उल्लंघन करने पर दोनों पक्षों की निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी।

Not more than one tender shall be submitted by one tenderer or tenderers having business relationship. Under no circumstance will father and his son(s) or other close relations who have business relationship with one another (i.e. when one or more partner(s)/are common) be allowed to tender for the same contract as separate competitors. A breach of this condition will render the tenders of both parties liable to rejection.

6. <http://etenders.gov.in/eprocure/app> से निविदा डाउनलोड की है , वह डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट सहित निविदा फॉर्म में किसी भी तरह से छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेगा। यदि किसी भी तरह से छेड़छाड़/संशोधन पाया जाता है, तो निविदा पूरी तरह से खारिज कर दी जाएगी और ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और निविदाकर्ता को एएआई के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

Tenderer who has downloaded the tender from Central Public Procurement Portal (CPP) website <http://etenders.gov.in/eprocure/app>, shall not tamper/ modify the tender form including downloaded price bid template in any manner. In case if the same is found to be tampered/modified in any manner, tender will be completely rejected and EMD would be forfeited and tenderer is liable to be banned from doing business with AAI.

7. बोली खोलने की प्रक्रिया निम्नानुसार है: -

Bids Opening Process is as below: -

लिफाफा-I: (तकनीकी बोली और पूर्व-योग्यता):

Envelope-I: (Technical bid and Pre-qualification):

लिफाफा-I जिसमें दस्तावेज (निविदाकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए) होंगे, क्रिटिकल डाटा शीट में उल्लिखित दिनांक और समय पर खोला जाएगा।

Envelope-I containing documents (uploaded by the tenderers) shall be opened on date & time mentioned in **CRITICAL DATA SHEET**.

यदि बोलीदाता को कार्य के बोली दस्तावेजों से संबंधित कोई प्रश्न है, तो उन्हें स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सीपीपी पोर्टल पर 'स्पष्टीकरण मांगें' का उपयोग करना चाहिए। इस संबंध में संचार के किसी अन्य माध्यम पर विचार नहीं किया जाएगा।

If the bidder has any query related to the Bid Documents of the work, they should use 'Seek Clarification' on CPP portal to seek clarification. No other means of communication in this regard shall be entertained.

यदि निविदाकर्ता को लिफाफा-I में अपलोड किए गए दस्तावेजों में कमी के बारे में कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो उसे सीपीपी पोर्टल या ईमेल के माध्यम से इसे प्रदान करने के लिए कहा जाएगा। निविदाकर्ता को एएआई द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर अपेक्षित स्पष्टीकरण/दस्तावेज अपलोड करने होंगे, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि बोलीदाता के पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है और बोली का मूल्यांकन तदनुसार किया जाएगा।

If any clarification is needed from the tenderer about the deficiency in his uploaded documents in Envelope-I, he will be asked to provide it through CPP portal or email if required. The tenderer shall upload the requisite clarification/documents within time specified

by AAI, failing which it shall be presumed that bidder does not have anything to submit and bid shall be evaluated accordingly.

निविदाकर्ताओं को उनकी बोलियों की स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना सीपीपी पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।

The intimation regarding acceptance/rejection of their bids will be intimated to the tenderers through CPP portal.

लिफाफा-II: (वित्तीय बोली):

Envelope-II: (Financial Bid):

तकनीकी मानदंडों और अर्हता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले निविदाकर्ता की वित्तीय बोली वाला लिफाफा-II क्रिटिकल डाटा शीट में उल्लिखित दिनांक और समय पर खोला जाएगा। (यदि लिफाफा-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि और समय में परिवर्तन करना आवश्यक हो, तो इसकी सूचना सीपीपी पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।)

Envelope-II containing financial bid of the tenderer found to be meeting the technical criteria and qualifying requirements shall be opened on date & time mentioned in CRITICAL DATA SHEET. **(In case the date and time for opening of Envelope-II (Financial bid) is required to be changed, the same shall be intimated through CPP Portal.)**

8. एएआई बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एएआई बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

AAI reserves the right to accept or reject any or all applications without assigning any reasons. AAI also reserves the right to call off tender process at any stage without assigning any reason.

9. एएआई उन कार्य एजेंसियों को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिनका चालू परियोजनाओं में प्रदर्शन औसत से कम और आमतौर पर खराब है और जिन्हें एएआई या केंद्रीय/राज्य सरकार के किसी भी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्व बैंक/एडीबी आदि द्वारा निषेधाज्ञा/अस्थायी या स्थायी निषेध/काली सूची में डालने का पत्र जारी किया गया है। एएआई किसी भी स्तर पर (कार्य दिए जाने से पहले या बाद में) निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए क्रेडेंशियल को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि किसी भी स्तर पर, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी/दस्तावेज गलत/झूठे पाए जाते हैं या उनमें कुछ विसंगति है जो निविदाकर्ता को अयोग्य ठहराती है तो एएआई निम्नलिखित कार्रवाई करेगा:

AAI reserve the right to disallow the working agencies whose performance at ongoing project (s) is below par and usually poor and has been issued letter of restrain / Temporary or Permanent debarment / black listing by any department of AAI or Central / State Govt. Depts / PSUs / World Bank / ADB etc. **AAI reserves the right to verify the credential submitted by the tenderer at any stage (before or after the award the work). If at any stage, any information /documents submitted by the applicant is found to be incorrect / false or have some discrepancy which disqualifies the tenderer then AAI shall take the following action:**

- a. निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई ईएमडी की पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।

Forfeit the entire amount of EMD submitted by the tenderer.

- b. निविदाकर्ता को एएआई में निविदा देने से रोका जा सकता है, जिसमें किसी अन्य उचित संविदात्मक/कानूनी कार्रवाई के अलावा अनुबंध की समाप्ति भी शामिल है।

The Tenderer shall be liable for debarment from tendering in AAI, including termination of the contract apart from any other appropriate contractual/legal action.

10. संघ/संयुक्त उद्यम कम्पनियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
Consortium /JV companies shall not be permitted.
11. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को क्रय वरीयता स्वीकृति की तिथि को लागू भारत सरकार के निर्देशानुसार लागू होगी।
Purchase preference to Central Public Sector Undertaking shall be applicable as per the directive of Govt. of India prevalent on the date of acceptance.
12. निविदाकर्ताओं को बैलेंस शीट/टर्नओवर सर्टिफिकेट, ~~वर्किंग-कैपिटल-सर्टिफिकेट (पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कार्य और हाथ में काम)~~, नेटवर्थ सर्टिफिकेट, गैर-सरकारी कार्यों के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) सर्टिफिकेट आदि जैसे यूडीआईएन जनरेटेड दस्तावेज एनआईटी शर्तों के अनुसार सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित और यूडीआईएन के साथ प्रस्तुत करने होंगे। यूडीआईएन के बिना बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।
Tenderers have to submit UDIN generated documents like Balance Sheet/ Turnover certificate, ~~Working Capital Certificate (works done during last 5 financial years & works in hand)~~, Net worth Certificate, Tax Deduction at Source (TDS) Certificates for Non- Govt. works etc. as per NIT conditions duly certified by CA and having UDIN. The documents submitted by bidders without UDIN shall not be entertained.
13. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी ~~सार्वजनिक~~ खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017, कार्यालय ज्ञापन संख्या पी-45021/2/2017-पीपी(बीई-II) दिनांक 16.09.2020 लागू है।
Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India, issued Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017 vide OM No. P-45021/2/2017-PP(BE-II) dated 16.09.2020 is applicable.
14. जिला उद्योग केंद्र (DIC)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC)/खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)/खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB)/हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय आदि के साथ पंजीकृत भारतीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) को सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 एवं उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार दिए जाने वाले रियायतें लागू नहीं होंगी।
Concessions to Indian Micro & Small Enterprises (MSEs) units registered with DIC/NSIC/KVIC/KVIB/Directorate of Handicraft and Handloom etc., to be given as per the provisions of Public Procurement Policy for MSEs order 2012 with up-to-date amendments, **shall not be Applicable.**

--एस/डी--

----s/d--

सहायक महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग-इलेक्ट)
अध्यक्ष के लिए एवं उनकी ओर से
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Asst. General Manager (Engg-Elect)
For & on behalf of Chairman
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
डीएबीएच एयरपोर्ट, इंदौर
DABH Airport, Indore



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
डीएबीएच, एयरपोर्ट, इंदौर
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
DABH, AIRPORT, INDORE

ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए सामान्य निर्देश
General Instructions for Online Bid Submission

ई-निविदा के लिए बोली लगाने वाले के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम:

(सीपीपी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल संदर्भ: <https://etenders.gov.in/eprocure/app>)

First Important Step to Bidder for e-tender:

(CPP e-Procurement portal reference: <https://etenders.gov.in/eprocure/app>)

बोलीदाताओं को सीपीपी के ई-टेंडर पोर्टल पर दिए गए निर्देशों को पढ़ना होगा तथा निम्नलिखित के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे:

Bidders have to read the instructions to the bidders given in the e-tender portal of CPP and take immediate steps for:

- (क) ई-टेंडरिंग में भाग लेने के लिए बोली हेतु पंजीकरण करें।
- (a) Register for bid to participate in e-tendering.
- (ख) डिजिटल हस्ताक्षर पहले ही प्राप्त कर लें, जिसमें कम से कम 24 से 30 घंटे का समय लगता है।
- (b) Obtain digital signature well in advance which takes minimum 24 to 30 hours.
- (ग) सीपीपी के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के बोलीदाताओं के निर्देश शीर्षक के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने पीसी में सभी आवश्यक सॉफ्टवेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- (c) Make sure availability of all required software in your PC as instructed under bidders' instruction head of e-procurement portal of CPP.

निविदा दस्तावेजों पर पत्राचार:

Correspondence on tender documents:

1. **निविदा दस्तावेज:** संभावित बोलीदाता को सीपीपी के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल से निविदा दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा तथा **डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित** संपूर्ण निविदा दस्तावेज को सीपीपी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा, जब भी निविदा दस्तावेज में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर अंकित होंगे, तो उसे अपना हस्ताक्षर करना होगा तथा उसकी स्कैन प्रतियां अपलोड करनी होंगी।

Tender Document: The prospective bidder shall download the tender documents on-line from CPP's e-Procurement portal and upload **digitally signed** entire tender document on CPP e-tender portal. Besides, whenever tenderer signatures are earmarked in the tender documents shall put his signature and upload scan copies of the same.

2. **निविदा दस्तावेज में संशोधन:** किसी भी समय, बोलियाँ प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि से पहले, यदि AAI इस निविदा के किसी भाग को संशोधित करना या इस निविदा के प्रावधानों की व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त

तिथि जारी करना उचित समझता है, तो वह इस निविदा में परिशिष्ट/शुद्धिपत्र जारी कर सकता है। ऐसा कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र इस संदर्भ द्वारा इस निविदा में शामिल माना जाएगा और बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा। परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल CPP की वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

Amendment to Tender Document: At any time, prior to scheduled date of submission of bids, AAI if it deems appropriate to revise any part of this tender or to issue additional date to clarify the interpretation of provisions of this tender, it may issue addendum/corrigendum to this tender. Any such Addendum/ Corrigendum shall be deemed to be incorporated by this reference into this tender and binding on the bidders. Addendum/Corrigendum will be notified through CPP's Website/Portal only.

3. **निविदा दस्तावेज का स्पष्टीकरण:** बोलीदाता, निविदा दस्तावेज के किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर, ई-बोली प्रस्तुत करने से पहले या एनआईटी में उल्लिखित सीपीपी की वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्न, यदि कोई हों, प्रस्तुत कर सकते हैं। बोलीदाताओं से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुरोध का एआई द्वारा उचित रूप से जवाब दिया जाएगा। एआई द्वारा प्रश्नों के उत्तर सीपीपी के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। बोलीदाताओं को सीपीपी की वेबसाइट/पोर्टल को नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है।

Clarifications of Tender Document: Bidder, requiring any clarifications of the tender document, may submit their queries, if any, through provision of CPP's Website/Portal on or before submission of E-Bids/as mentioned in NIT. Request for clarifications received from bidders shall be responded by AAI suitably. Replies to queries by AAI will be uploaded through CPP's e-Procurement Portal. The bidders are advised to visit CPP's Website/Portal regularly.

4. निविदाएं खुलने के बाद, यदि आवश्यक हो तो एआई द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के अलावा निविदाकर्ता/बोलीदाताओं से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

No correspondence shall be entertained from the tenderer/bidders after opening of tenders, other than asked by AAI for any clarifications, if required.

ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के निर्देश

Instructions for Online Bid Submission

1. बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों का उपयोग करके सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियों की सॉफ्ट कॉपी जमा करनी होगी। नीचे दिए गए निर्देश बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियाँ तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियाँ ऑनलाइन जमा करने में सहायता करने के लिए हैं।

The bidders are required to submit soft copies of their bids electronically on the CPP Portal, using valid Digital Signature Certificates. The instructions given below are meant to assist the bidders in registering on the CPP Portal, prepare their bids in accordance with the requirements and submitting their bids online on the CPP Portal.

2. सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी <https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर प्राप्त की जा सकती है।

More information useful for submitting online bids on the CPP Portal may be obtained at: <https://etenders.gov.in/eprocure/app>.

पंजीकरण

Registration

1. सीपीपी पोर्टल पर "ऑनलाइन बोलीदाता नामांकन" लिंक पर क्लिक करके केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (यूआरएल: <https://etenders.gov.in/eprocure/app>) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है।

Bidders are required to enroll on the e-Procurement module of the Central Public Procurement Portal (URL: <https://etenders.gov.in/eprocure/app>) by clicking on the link "Online bidder Enrollment" on the CPP Portal.

2. नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीदाताओं को एक अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम चुनना होगा और अपने खातों के लिए एक पासवर्ड निर्दिष्ट करना होगा।

As part of the enrolment process, the bidders will be required to choose a unique username and assign a password for their accounts.

3. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। इनका उपयोग सीपीपी पोर्टल से किसी भी संचार के लिए किया जाएगा।

Bidders are advised to register their valid email address and mobile numbers as part of the registration process. These would be used for any communication from the CPP Portal.

4. अपने प्रोफाइल के साथ सीसीए इंडिया (जैसे सिफी / एनकोड / ईमुद्रा आदि) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर कुंजी उपयोग के साथ कक्षा II या कक्षा III प्रमाणपत्र) को पंजीकृत करना होगा।

Upon enrolment, the bidders will be required to register their valid Digital Signature Certificate (Class II or Class III Certificates with signing key usage) issued by any Certifying Authority recognized by CCA India (e.g. Sify / nCode / eMudhra etc.), with their profile.

5. बोली लगाने वाले को केवल एक वैध डी.एस.सी. पंजीकृत करवाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोली लगाने वालों की जिम्मेदारी है कि वे अपने डी.एस.सी. को दूसरों को उधार न दें, जिससे उसका दुरुपयोग हो सकता है।

Only one valid DSC should be registered by a bidder. Please note that the bidders are responsible to ensure that they do not lend their DSC's to others which may lead to misuse.

6. इसके बाद बोलीदाता अपना यूजर आईडी/पासवर्ड तथा डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से साइट पर लॉग इन करेगा।

Bidder then logs in to the site through the secured log-in by entering their user ID / password and the password of the DSC / e-Token.

निविदा दस्तावेजों की खोज

Searching For Tender Documents

1. सीपीपी पोर्टल में कई खोज विकल्प बनाए गए हैं, ताकि बोलीदाताओं को कई मापदंडों के आधार पर सक्रिय निविदाओं को खोजने में सुविधा हो। इन मापदंडों में टेंडर आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए उन्नत खोज का एक विकल्प भी है, जिसमें बोलीदाता सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज के लिए संगठन का नाम, अनुबंध का प्रारूप, स्थान, तिथि, अन्य कीवर्ड आदि जैसे कई खोज मापदंडों को जोड़ सकते हैं।

There are various search options built in the CPP Portal, to facilitate bidders to search active tenders by several parameters. These parameters could include Tender ID, Organization Name, Location, Date, Value, etc. There is also an option of advanced search for tenders, wherein the bidders may combine a number of search parameters such as Organization Name, Form of Contract, Location, Date, Other keywords etc. to search for a tender published on the CPP Portal.

2. एक बार बोलीदाताओं ने अपनी रुचि के अनुसार निविदाएं चुन लीं, तो वे आवश्यक दस्तावेज/निविदा अनुसूचियां डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित 'माई टेंडर्स' फ़ोल्डर में ले जाया जा सकता है। इससे सीपीपी पोर्टल बोलीदाताओं को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित करने में सक्षम होगा, यदि निविदा दस्तावेज में कोई सुधार जारी किया गया हो।

Once the bidders have selected the tenders they are interested in, they may download the required documents / tender schedules. These tenders can be moved to the respective 'My Tenders' folder. This would enable the CPP Portal to intimate the bidders through SMS / e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.

3. बोलीदाता को प्रत्येक निविदा के लिए निर्धारित विशिष्ट निविदा आईडी को नोट कर लेना चाहिए, ताकि यदि वे हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण/सहायता प्राप्त करना चाहें तो वे ऐसा कर सकें।

The bidder should make a note of the unique Tender ID assigned to each tender, in case they want to obtain any clarification / help from the Helpdesk.

बोलियों की तैयारी

Preparation of Bids

1. बोलीदाता को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज पर प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।

Bidder should take into account any corrigendum published on the tender document before submitting their bids.

2. बोलीदाताओं को निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा ताकि वे बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को समझ सकें।

Bidders are required to go through the tender advertisement and the tender document carefully to understand the documents required to be submitted as part of the bid.

कृपया ध्यान दें कि बोली दस्तावेजों को कितने लिफाफों में जमा करना है, दस्तावेजों की संख्या - प्रत्येक दस्तावेज के नाम और सामग्री सहित जिन्हें जमा करना है। इनमें से किसी भी विचलन के कारण बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

Please note the number of covers in which the bid documents have to be submitted, the number of documents - including the names and content of each of the document that need to be submitted. Any deviations from these may lead to rejection of the bid.

3. बोलीदाता को पहले से ही निविदा दस्तावेज/अनुसूची में बताए अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेज तैयार करने चाहिए और आम तौर पर, वे PDF/XLS/RAR/DWF/JPG प्रारूप में हो सकते हैं। बोली दस्तावेजों को 100 डीपीआई के साथ काले और सफेद विकल्प के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज के आकार को कम करने में मदद करता है।

Bidder, in advance, should get ready the bid documents to be submitted as indicated in the tender document / schedule and generally, they can be in PDF/XLS/RAR/ DWF/JPG formats. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.

4. हर बोली के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले मानक दस्तावेजों के एक ही सेट को अपलोड करने में लगने वाले समय और प्रयास से बचने के लिए, बोलीदाताओं को ऐसे मानक दस्तावेजों (जैसे पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिटर प्रमाणपत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान प्रदान किया गया है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेज अपलोड करने के लिए अपने पास उपलब्ध "माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज" क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। बोली जमा करते समय इन दस्तावेजों को सीधे "माई स्पेस" क्षेत्र से जमा किया जा सकता है, और उन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली जमा करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय में कमी आएगी।

To avoid the time and effort required in uploading the same set of standard documents which are required to be submitted as a part of every bid, a provision of uploading such standard documents (e.g. PAN card copy, annual reports, auditor certificates etc.) has been provided to the bidders. Bidders can use "My Space" or "Other Important Documents" area available to them to upload such documents. These documents may be directly submitted from the "My Space" area while submitting a bid, and need not be uploaded again and again. This will lead to a reduction in the time required for bid submission process.

बोलियां प्रस्तुत करना

Submission of Bids

1. बोलीदाता को बोली जमा करने से पहले ही साइट पर लॉग इन करना चाहिए ताकि वे बोली जमा करने के समय पर या उससे पहले बोली अपलोड कर सकें। अन्य मुद्दों के कारण होने वाली किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होगा।

Bidder should log into the site well in advance for bid submission so that they can upload the bid in time i.e. on or before the bid submission time. Bidder will be responsible for any delay due to other issues.

2. बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में दर्शाए अनुसार आवश्यक बोली दस्तावेजों पर एक-एक करके डिजिटल हस्ताक्षर करके अपलोड करना होगा।

The bidder has to digitally sign and upload the required bid documents one by one as indicated in the tender document.

3. बोलीदाता को निविदा शुल्क / ईएमडी का भुगतान करने के लिए "ऑनलाइन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।

Bidder has to select the payment option as "Online" to pay the tender fee / EMD as applicable and follow the instructions.

4. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि उन्हें अपनी वित्तीय बोलियाँ अनिवार्य रूप से दिए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत करनी चाहिए तथा कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है। यदि बोली की कीमत निविदा दस्तावेज के साथ मानक BOQ प्रारूप के रूप में दी गई है, तो उसे डाउनलोड करके सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना चाहिए। बोलीदाताओं को BOQ फ़ाइल डाउनलोड करके उसे खोलना होगा तथा **नीले रंग के** (असुरक्षित) कक्षों में अपने संबंधित वित्तीय उद्धरण तथा अन्य विवरण (जैसे बोलीदाता का नाम) भरना होगा। अन्य कक्षों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। विवरण पूर्ण हो जाने के पश्चात, बोलीदाता को इसे सहेजकर रखना चाहिए तथा फ़ाइल नाम बदले बिना विधिवत डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करके ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यदि बोलीदाता द्वारा BOQ फ़ाइल में कोई परिवर्तन पाया जाता है, तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

Bidders are requested to note that they should necessarily submit their financial bids in the format provided and no other format is acceptable. If the price bid has been given as a standard BOQ format with the tender document, then the same is to be downloaded and to be filled by all the bidders. Bidders are required to download the BOQ file, open it and complete the **Blue coloured**(unprotected) cells with their respective financial quotes and other details (such as name of the bidder). No other cells should be changed. Once the details have been completed, the bidder should save it and submit it online duly digitally signed, without changing the filename. If the BOQ file is found to be modified by the bidder, the bid will be rejected.

5. सर्वर समय (जो बोलीदाताओं के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) को बोलीदाताओं द्वारा बोलियाँ प्रस्तुत करने, बोलियाँ खोलने आदि की समयसीमा को संदर्भित करने के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने के दौरान इस समय का पालन करना चाहिए।

The server time (which is displayed on the bidders' dashboard) will be considered as the standard time for referencing the deadlines for submission of the bids by the bidders, opening of bids etc. The bidders should follow this time during bid submission.

6. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों को डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए PKI एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को बोली खोलने के समय तक अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। बोलियों की गोपनीयता सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा संग्रहण एन्क्रिप्शन किया जाता है। सर्वर पर अपलोड किया गया कोई भी बोली दस्तावेज सिस्टम द्वारा उत्पन्न सममित कुंजी का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अधीन होता है।

इसके अलावा यह कुंजी खरीदारों/बोली खोलने वालों की सार्वजनिक कुंजियों का उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अधीन है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य बनते हैं।

All the documents being submitted by the bidders would be encrypted using PKI encryption techniques to ensure the secrecy of the data. The data entered cannot be viewed by unauthorized persons until the time of bid opening. The confidentiality of the bids is maintained using the secured Socket Layer 128 bit encryption technology. Data storage encryption of sensitive fields is done. Any bid document that is uploaded to the server is subjected to symmetric encryption using a system generated symmetric key.

Further this key is subjected to asymmetric encryption using buyers/bid opener's public keys. Overall, the uploaded tender documents become readable only after the tender opening by the authorized bid openers.

7. अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोले जाने के बाद ही पढ़ने योग्य होंगे।

The uploaded tender documents become readable only after the tender opening by the authorized bid openers.

8. बोलियों के सफल और समय पर प्रस्तुतीकरण पर (अर्थात पोर्टल में “फ्रीज बिड सबमिशन” पर क्लिक करने के बाद), पोर्टल एक सफल बोली प्रस्तुतिकरण संदेश देगा और बोली संख्या के साथ एक बोली सारांश प्रदर्शित किया जाएगा और बोली प्रस्तुत करने की तिथि और समय के साथ अन्य सभी प्रासंगिक विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे।

Upon the successful and timely submission of bids (i.e. after Clicking “Freeze Bid Submission” in the portal), the portal will give a successful bid submission message & a bid summary will be displayed with the bid no. and the date & time of submission of the bid with all other relevant details.

9. बोली सारांश को प्रिंट करके बोली जमा करने की पावती के रूप में रखना होगा। इस पावती का उपयोग किसी भी बोली खोलने वाली मीटिंग के लिए प्रवेश पास के रूप में किया जा सकता है।

The bid summary has to be printed and kept as an acknowledgement of the submission of the bid. This acknowledgement may be used as an entry pass for any bid opening meetings.

बोलीदाताओं को सहायता

ASSISTANCE TO BIDDERS

1. निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों व शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में उल्लिखित संबंधित संपर्क व्यक्ति से संपर्क किया जाना चाहिए।

Any queries relating to the tender document and the terms and conditions contained therein should be addressed to the Tender Inviting Authority for a tender or the relevant contact person indicated in the tender.

2. ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्न 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क पर पूछे जा सकते |

Any queries relating to the process of online bid submission or queries relating to CPP Portal in general may be directed to the 24x7 CPP Portal Helpdesk.

3. किसी भी तकनीकी संबंधी प्रश्नों के लिए कृपया हेल्पडेस्क पर कॉल करें। 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर **0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005 और 0120-6277787** है। अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे देश कोड के रूप में **91** जोड़ें।

For any technical related queries may please be called the Helpdesk. The 24 x 7 Help Desk Number **0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005 and 0120-6277787**. **International Bidders are requested to prefix 91 as country code.**

नोट : बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे किसी भी मुद्दे पर ईमेल करते समय संपर्क विवरण के साथ-साथ पोर्टल का यूआरएल और टेंडर आईडी का उल्लेख करें। प्रकाशित निविदा(ओं) से संबंधित किसी भी मुद्दे/स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित निविदा आमंत्रण प्राधिकरण से संपर्क करें।

Note: Bidders are requested to kindly mention the URL of the Portal and Tender Id in the subject while emailing any issue along with the Contact details. For any issues/clarifications relating to the tender(s) published kindly contact the respective Tender Inviting Authority.

टेलीफोन : 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-6277787

ई-मेल: support-eproc@nic.in

Telephone : 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-6277787

E-Mail: support-eproc@nic.in

4. किसी भी नीति संबंधी मामले/स्पष्टीकरण के लिए कृपया व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से संपर्क करें।

ई-मेल: CPP-doe@nic.in.

For any Policy related matter / Clarifications, Please contact Dept of Expenditure, Ministry of Finance.

E-Mail: CPP-doe@nic.in.

5. एएआई निविदा(ओं) के प्रकाशन और प्रस्तुति से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे/स्पष्टीकरण के लिए।

For any technical issues/Clarifications relating to the publishing and submission of AAI tender(s).

(क) विक्रेताओं/बोलीदाताओं के साथ-साथ एएआई के आंतरिक उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए, जीईपीएनआईसी के तहत सीपीपी के लिए 0800-2000 बजे के बीच हेल्प डेस्क सेवाएं शुरू की गई हैं। <https://etenders.gov.in>. हेल्प डेस्क सेवाएं सभी कार्य दिवसों (रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) पर सुबह 0800-2000 बजे के बीच उपलब्ध रहेंगी और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) के उपयोग से संबंधित मुद्दों पर उपयोगकर्ताओं की सहायता करेंगी।

(a) In order to facilitate the Vendors / Bidders as well as internal users from AAI, Help desk services have been launched between 0800-2000 hours for the CPP under GePNIC <https://etenders.gov.in>. The help desk services shall be available on all working days (Except Sunday and Gazetted Holiday) between 0800-2000 hours and shall assist users on issues related to the use of Central Public Procurement Portal (CPPP).

(ख) “बोलीदाताओं के लिए दिशानिर्देश” में दिए गए निर्देशों का पालन करें और अपने कंप्यूटर सिस्टम को “सीपीपीपी के लिए सिस्टम सेटिंग्स” पोर्टल में निर्दिष्ट अनुशंसित सेटिंग्स के अनुसार कॉन्फिगर करें।

(b) Before submitting queries, bidders are requested to follow the instructions given in “**Guidelines to Bidders**” and get their computer system configured according to the recommended settings as specified in the portal at “System Settings for CPPP”.

6. किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने की स्थिति में, एस्केलेशन मैट्रिक्स नीचे उल्लिखित है :

In case of any technical issues faced, the escalation matrix is as mentioned below:

क्रम सं. Sl. No.	सहायता करने वाले व्यक्ति Support Persons	एस्केलेशन मैट्रिक्स Escalation Matrix	ई-मेल पता E-Mail Address	संपर्क नंबर Contact Numbers	समय* Timings*
1.	तकनीकी सहायता डेस्क टीम Technical Help Desk Team	तुरंत सहायता Instant Support	eprochelp@aai.aero	011- 24632950 , Ext-3512	0800-2000 बजे तक। (सोमवार - शनिवार)/ Hrs. (MON - SAT)
2.	श्री संजीव कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (आईटी) Sh. Sanjeev Kumar, Sr. Mgr.(IT)	जारी होने के 4 घंटे बाद After 4 Hrs. of Issue	etendersupport@aai.aero or sanjeevkumar@aai.aero	011- 24632950 , Ext-3523	0930-1800 बजे तक। (सोमवार - शनिवार)/ Hrs. (MON - SAT)
3.	श्री धर्मेन्द्र कुमार संयुक्त महाप्रबंधक (आईटी) Sh. Dharmendra Kumar Jt.GM(IT)	After 12 Hrs.	dkumar@aai.aero	011- 24632950 , Ext-3527	0930-1800 बजे तक। (सोमवार - शनिवार)/ Hrs. (MON - SAT)
4.	महाप्रबंधक(आईटी) General Manager(IT)	After 03 Days	gmitchq@aai.aero	011- 24657900	0930-1800 बजे तक। (सोमवार - शनिवार)/ Hrs. (MON - SAT)

राजपत्रित अवकाशों पर हेल्पडेस्क सेवाएं बंद रहेंगी।

*The Helpdesk services shall remain closed on all Govt. Gazetted Holidays.

7. उपर्युक्त हेल्प डेस्क नंबर केवल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर मुद्दों से संबंधित प्रश्नों और पोर्टल के संचालन पर आवश्यक सहायता के लिए हैं। पोर्टल पर प्रकाशित निविदाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए, बोलीदाताओं को एएआई के संबंधित बोली प्रबंधक से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

The above mentioned help desk numbers are intended only for queries related to the issues on e-procurement portal and help needed on the operation of the portal. **For queries related to the tenders published on the portal, bidders are advised to contact concerned Bid Manager of AAI.**



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

डीएबीएच, एयरपोर्ट, इंदौर

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
DABH, AIRPORT, INDORE

बोलीदाताओं के लिए सामान्य दिशानिर्देश

General Guidelines for Bidders

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष की ओर से पृष्ठ संख्या जीसीसी - 234 पर अनुसूची ई में उल्लिखित कार्य के लिए पात्र बोलीदाताओं से ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कार्य की अनुमानित लागत पृष्ठ संख्या जीसीसी - 234 पर अनुसूची ई में उल्लिखित है। हालाँकि, यह अनुमान केवल एक मोटे गाइड के रूप में दिया गया है।

Item rate tenders are invited through the e- tendering portal on behalf of the Chairman, Airports Authority of India from the eligible bidders for the work as mentioned in **Schedule E on Page No.GCC-234**. The estimated cost of the work is mentioned in **Schedule E on page no.GCC-234**. This estimate, however, is given merely as rough guide.

2. ई-निविदाएं निम्नलिखित निर्धारित प्रपत्र में होंगी।

The e-tenders shall be in the following prescribed form.

(क) प्रथम कवर/लिफाफा I: तकनीकी और पूर्व-योग्यता बोली

(a) 1st Cover/Envelope I: Technical and Pre-qualification Bid

(ख) दूसरा लिफाफा/लिफाफा II : वित्तीय बोली (मद दर बीओक्यू)

(b) 2nd Cover/Envelope II : Financial Bid (Item Rate BOQ)

3. एक ठेकेदार या ठेकेदारों की फर्म द्वारा एक से अधिक निविदा प्रस्तुत नहीं की जाएगी। कोई भी दो या अधिक संस्थाएँ, जिनमें एक व्यक्ति, मालिक और/या भागीदार के रूप में रुचि रखता है, एक ही कार्य के निष्पादन के लिए निविदा नहीं दे सकता। यदि वे ऐसा करते हैं, तो ऐसी सभी निविदाएँ अस्वीकार की जा सकती हैं।

Not more than one Tender shall be submitted by a contractor or by a firm of contractors. No two or more concerns in which an individual is interested, as Proprietor and/or partner shall tender for the execution of the same works. If they do so, all such Tenders shall be liable to be rejected.

4. कार्य को पृष्ठ संख्या जीसीसी -236 पर अनुसूची एफ में खंड संख्या 5 में उल्लिखित अवधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है। यह अवधि निविदा दस्तावेजों में एएआई द्वारा इंगित चरणबद्धता, यदि कोई हो, के अनुसार कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के दसवें दिन से मानी जाएगी।

The works are required to be completed within the period as mentioned at **Clause No.5 in Schedule F on page No. GCC-236**. This period shall be reckoned from the Tenth day of issue of written orders to commence the work, in accordance with the phasing, if any, indicated by AAI in the tender documents.

5. पृष्ठ संख्या जीसीसी - 236 पर अनुसूची एफ में क्रम संख्या 2 (viii) में उल्लिखित स्वीकारकर्ता प्राधिकारी इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए, इसके बाद स्वीकारकर्ता अधिकारी के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

The Accepting Authority as mentioned **at Serial No.2 (viii) in schedule F on page No.GCC-236** shall be the Accepting Officer hereinafter, referred to as such for the purpose of this contract.

6. निविदा दस्तावेज जिसमें योजनाएं, विनिर्देश, किए जाने वाले विभिन्न वर्गों के कार्यों की मात्रा की अनुसूची, अनुबंध की शर्तें और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं, **सीपीपी पोर्टल: <http://etenders.gov.in/eprocure/app>** पर उपलब्ध होंगे और सभी दस्तावेज पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। हालांकि, निविदा में भाग लेने/निविदा दस्तावेज जमा करने के लिए, निविदाकर्ता को पोर्टल में ऑनलाइन **1,180.00 रुपये** का निविदा प्रसंस्करण शुल्क देना होगा।

Tender documents consisting of plans, specifications, schedule(s) of Quantities of the various classes of work to be done, the conditions of contract and other necessary documents will be available on **CPP Portal: <http://etenders.gov.in/eprocure/app>**. and all the documents can be downloaded from portal. However, to participate in the tender/to submit the tender document, the tenderer must pay tender processing fee of **Rs. 1,180.00** online in the portal.

7. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे साइट और उसके आस-पास के क्षेत्र का निरीक्षण और जांच करें और निविदाएं प्रस्तुत करने से पहले जमीन और उप-मिट्टी की प्रकृति (जहां तक संभव हो), साइट के स्वरूप और प्रकृति, साइट तक पहुंचने के साधन, उनके लिए आवश्यक आवास, सामग्री के ढेर लगाने के लिए स्थान सहित काम करने की स्थिति, आवास और श्रमिकों की आवाजाही को प्रभावित करने वाली टी एंड पी स्थितियों की स्थापना आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें और सामान्य तौर पर जोखिमों, आकस्मिकताओं और अन्य परिस्थितियों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी स्वयं प्राप्त करें जो उनकी निविदा को प्रभावित या प्रभावित कर सकती हैं। एक निविदाकर्ता को साइट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वह इसका निरीक्षण करे या नहीं और किसी गलतफहमी या अन्यथा के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Tenderers are advised to inspect and examine the site and its surroundings and satisfy themselves before submitting their tenders as to the nature of the ground and sub-soil (as far as is practicable), the form and nature of the site, the means of access to the site, the accommodation they may require, working conditions including space for stacking of materials, installation of T & P conditions affecting accommodation and movement of labors etc., and in general shall themselves obtain all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or effect their tender. A tenderer shall be deemed to have full knowledge of the site whether he inspects it or not and no extra charges consequent on any misunderstanding or otherwise shall be allowed.

8. निविदाकर्ता द्वारा ई-निविदा प्रस्तुत करने का तात्पर्य है कि उसने इस नोटिस और अन्य सभी अनुबंध दस्तावेजों को पढ़ लिया है तथा किए जाने वाले कार्यों के दायरे और विशिष्टताओं तथा उन शर्तों और दरों से अवगत हो गया है जिन पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उसे सामान, उपकरण और संयंत्र आदि जारी किए जाएंगे, स्थानीय परिस्थितियां, स्थानीय सामग्री दर और कार्यों के निष्पादन पर असर डालने वाले अन्य कारक।

Submission of e-tender by a tenderer implies that he has read this notice and all other contract documents and has made himself aware of the scope and specifications of the works to be done and of conditions and rates at which stores, tools and plant, etc., will be issued to him by Airports Authority of India, Local conditions, local material rate and other factors bearing on the execution of the works.

9. सभी दरें (भारतीय रुपये) बोलीदाता द्वारा सीपीपी पोर्टल: <http://etenders.gov.in/eprocure/app> के लिफाफे संख्या II में बीओक्यू की मद दर के दर (जीएसटी को छोड़कर) कॉलम में प्रत्येक मद के सामने अंकित की जाएंगी।

All rates (INR) shall be quoted against each item in the column of **Rate (excluding GST) in figure to be entered by the bidder (Blue Coloured Unprotected Cell)** of Item Rate of BOQ in the cover No. II, CPP Portal :<http://etenders.gov.in/eprocure/app>.

पोर्टल पर दरें केवल दो दशमलव स्थानों तक ही उद्धृत की जानी चाहिए। यदि किसी वस्तु/वस्तुओं के लिए कोई दर उद्धृत नहीं की गई है, तो यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने इस/इन वस्तुओं की लागत को अन्य मदों में शामिल कर लिया है और ऐसी वस्तुओं के लिए दर शून्य मानी जाएगी और तदनुसार कार्य निष्पादित करना होगा।

Rates are to be quoted in the portal, upto two decimal places only. In case no rate has been quoted for any item / items, it will be presumed that the contractor has included the cost of this / these item(s) in other item(s) and rate for such item(s) will be considered as zero and work will be required to be executed accordingly.

मद दर निविदाओं के मामले में, केवल उद्धृत दरों पर ही विचार किया जाएगा। उद्धृत दरों से कम/अधिक प्रतिशत वाली कोई भी निविदा अस्वीकार की जा सकती है।

In the case of item rate Tenders, only rates quoted shall be considered. Any Tender containing percentage below/above the rates quoted is liable to be rejected.

10. पृष्ठ संख्या जीसीसी -234 में क्रमांक 1(i) अनुसूची ई में उल्लिखित राशि की बयाना राशि सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

Earnest money of amount as mentioned at Sr.No 1(i) Schedule E in page No. GCC-234 shall be submitted online in CPP Portal.

11. अनुबंध दिए जाने की अधिसूचना सफल बोलीदाता को स्वीकृति प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में दी जाएगी। अनुबंध सामान्यतः विनिर्देशों और अनुबंध दस्तावेजों की आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे कम मूल्यांकित बोली लगाने वाले योग्य और उत्तरदायी बोलीदाता को दिया जाएगा और इस संबंध में स्वीकृति प्राधिकारी ही एकमात्र निर्णायक होगा। स्वीकृति प्राधिकारी सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अपने निर्णय के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

Notification of Award of contract will be made in writing to the successful Bidder by the Accepting Authority or his representative. The Contract will normally be awarded to the qualified and responsive Bidder offering lowest evaluated bid in conformity with the requirements of the specifications and contract documents and the Accepting Authority shall be the sole judge in this regard. The Accepting Authority does not bind himself to accept the lowest or, any Tender or to give any reason for his decision.

उत्तरदायी बोलीदाता वह होता है जो निविदा में मूल्य प्रस्तुत करता है तथा विनिर्देशों और अनुबंध दस्तावेजों की सभी शर्तों और नियमों को स्वीकार करता है।

A responsive bidder is one who submits prices Tender and accepts all terms and conditions of the specifications and contract documents.

एक बड़ा संशोधन वह है जो किसी भी तरह से काम की गुणवत्ता, मात्रा और पूरा होने की अवधि को प्रभावित करता है, जो किसी भी तरह से बोलीदाता की ज़िम्मेदारियों या देनदारियों को सीमित करता है, जैसा कि इस विनिर्देशों और अनुबंध दस्तावेजों में एंएआई के किसी भी अधिकार के लिए आवश्यक है। निविदा की शर्तों और नियमों में कोई भी संशोधन, जो एंएआई को स्वीकार्य नहीं है, उसे भी एक बड़ा संशोधन माना जाएगा।

A major modification is one which affects in any way, the quality, quantity and period of completion of the work of which limits in any way the responsibilities or liabilities of the Bidder of any right of AAI as required in this specifications and contract documents. Any modification in the terms and conditions of the tender, which are not acceptable to AAI, shall also be treated as a major modification.

निविदाकर्ता को प्रतिक्रियात्मक बोली प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

A tenderer shall submit a responsive bid, failing which his tender will be liable to be rejected.

स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी निविदा के सम्पूर्ण भाग या उसके किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा निविदाकर्ता को उद्धृत दरों पर ही उसे निष्पादित करना होगा।

The Accepting Authority reserves to himself the right of accepting the whole or any part of the Tender and Tenderer shall be bound to perform the same at his quoted rates.

12. निविदा स्वीकृत होने पर, बयाना राशि की प्रक्रिया निविदा शुल्क और ईएमडी के लिए रिफंड और निपटान प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी, जो पृष्ठ संख्या आरएसपी-1 पर उपलब्ध है।

On acceptance of Tender, earnest money will be processed as per **Refund and Settlement Process for Tender Fee and EMD** available at **Pg. No. RSP-1**.

13. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रत्येक असफल निविदाकर्ता को, जहां लागू हो, बयाना राशि वापस कर देगा, सिवाय निविदा दस्तावेजों में दिए गए प्रावधान के।

Airports Authority of India will return the earnest money, where applicable, to every unsuccessful Tenderer except as provided in the Tender documents.

14. निविदाओं के संबंध में प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा प्रचार-प्रसार का सहारा लेने वाले निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

Canvassing in connection with tenders is strictly prohibited and the tenders submitted by the tenderers who resort to canvassing will be liable to rejection.

15. निविदा कार्य निविदा खुलने की तिथि से **90 (नब्बे)** दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए खुले रहेंगे। यदि कोई निविदाकर्ता उक्त अवधि से पहले अपनी निविदा वापस ले लेता है या निविदा की शर्तों में कोई संशोधन करता है, जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, **उक्त पूरी बयाना राशि को पूरी तरह से जप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।**

The Tender works shall remain open for acceptance for a period of **90 (Ninety)** Days from the date of opening of Tenders. If any Tenderer withdraws his Tender before the said period of makes any modifications in the terms and conditions of the Tender, which are not acceptable to the Department, then Airports Authority of India shall without prejudice to any other right or remedy, be at liability **to forfeit the full said earnest money absolutely.**

16. निविदाकर्ता को ऐसी निविदा प्रस्तुत करनी होगी जो इस नोटिस में निर्धारित प्रत्येक शर्त को पूरा करती हो, अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

A Tenderer shall submit the Tender, which satisfies each and every condition laid down in this notice failing which the Tender will be liable to be rejected.

17. जीएसटी/टर्नओवर टैक्स/ऑक्ट्रॉई/रॉयल्टी/निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर /उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा आयात या किसी भी सामग्री के संबंध में लगाए गए किसी भी अन्य शुल्क या इस कार्य अनुबंध के संबंध में सामग्री, श्रम, सेवाओं या अनुबंध पर किसी भी अन्य कर सहित स्थानीय/सरकारी/सांविधिक अधिकारियों को भुगतान ठेकेदार द्वारा देय होगा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। हालांकि कर चालान जमा करने पर लागू होने वाले जीएसटी का भुगतान ठेकेदार को अतिरिक्त रूप से किया जाएगा। निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर संबंधित राज्य की प्रचलित दरों के अनुसार चालू खाता बिल का भुगतान करते समय काटा जाएगा। इस संबंध में एएआई द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

GST/turnover tax/ octroi/ royalty/ construction Employee Welfare Cess/ Excise or any other duty levied by custom Authorities in respect of import or any materials of any other tax on material, labour, services or contract in respect of this work contract including payment to local/Govt./Statutory authorities shall be payable by the contractor and Airports Authority of India will not entertain any claim whatsoever in this respect. However GST shall be paid extra to the contractor as applicable on submission of Tax Invoice. Construction Employee Welfare Cess will be deducted at the time of making payment of running account bill as per prevailing rates of the respective state. Nothing extra will be paid by AAI in this respect.

18. कार्य के लिए साइट को पूर्ण रूप से या भागों में उपलब्ध कराया जा सकता है, जैसा कि प्रभारी अभियंता द्वारा तय किया जाएगा। साइट को चरणों में सौंपने के लिए कोई समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

The site for the work may be made available in full or parts as decided by Engineer-In-charge. No time extension for handing over of site in phases will be granted.

19. निविदाएं प्रस्तुत करने का तरीका :

MODE OF SUBMISSION OF TENDERS:

निम्नलिखित 2 कवर/लिफाफे सीपीपी ई-पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। सभी बोलियाँ (कवर/लिफाफा I और II) निर्धारित तिथि (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) अर्थात् **10.08.2026 को 18:00 बजे तक प्रस्तुत की जानी आवश्यक हैं।** केवल सीपीपी पोर्टल पर।

The following 2 Covers/Envelopes shall be submitted through **online** at CPP e-portal by the bidders. All the Bids (Cover/ Envelope I & II) are required to be submitted by stipulated date time (Bid submission End Date) **i.e. Upto 18:00 Hrs. on 10.08.2026** in the CPP Portal only.

19.1 लिफाफा/लिफाफा-I: तकनीकी बोली और पूर्व-योग्यता दस्तावेज शामिल हैं :-

बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज में "पूर्व-योग्यता परफॉर्मा" के अनुसार अपने आवेदन प्रस्तुत करने होंगे और आवश्यक जानकारी भरनी होगी तथा पोर्टल में तकनीकी बोली/संलग्नक अनुभाग में प्रत्येक मानदंड को पूरा करने के समर्थन में स्कैन किए गए दस्तावेजों और फर्म के बायोडेटा की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फ़ाइल अपलोड करनी होगी। ऊपर निर्दिष्ट स्थान के अलावा अन्य स्थान पर आवेदन अपलोड करने पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा में भाग लेने के लिए पात्र/अपात्र के संबंध में सूचना एजेंसियों को केवल ई-टेंडरिंग सीपीपी पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।

Cover/ Envelope-I: Containing Technical Bid and Pre-qualification Documents:-

The bidders shall submit their applications as per "Pre- Qualification Performa", in the tender document and fill up the required information and upload the digitally signed file of scanned documents and firms bio-data in support of their meeting each criteria in the technical bid/ Attachment section in the portal. Uploading of application in location

other than specified above not shall be considered. Hard copy of application shall not be entertained.

The intimation regarding eligible/ non-eligible for participation in the tendering will be intimated to the agencies through e-tendering CPP portal only.

19.2 कवर/लिफाफा-II: वित्तीय बोली/मूल्य बोली (आइटम दर बीओक्यू)

Cover/Envelope-II: Financial Bid/Price Bid (Item Rate BOQ)

सभी दरें (भारतीय रुपये) बीओक्यू सीपीपी पोर्टल: <http://etenders.gov.in/eprocure/app> के आइटम दर के दर (जीएसटी को छोड़कर) कॉलम में प्रत्येक आइटम के सामने उद्धृत की जाएंगी, जिसे बोलीदाता द्वारा दर्ज किया जाएगा (सफेद रंग का असुरक्षित कक्ष)।

All rates (INR) shall be quoted against each item in the column of **Rate (Excluding GST) in figure to be entered by the bidder (White Coloured Unprotected Cell)** of Item Rate of BOQ CPP Portal :<http://etenders.gov.in/eprocure/app>.

उन बोलीदाताओं की मूल्य बोलियां खोली जाएंगी जो एनआईटी मानदंड के अनुसार अर्हता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

The price bid of those bidders shall be opened who meets the qualifying requirements as per NIT Criteria.

19.3 जब ठेकेदार ने निविदा दस्तावेज की डिजिटल हस्ताक्षरित फाइल को बिना शर्त स्वीकृति के साथ संलग्नक के रूप में अपलोड कर दिया है, तो उसे निविदा दस्तावेज के साथ कोई अतिरिक्त फाइल अपलोड करने या कोई टिप्पणी/शर्तें रखने की अनुमति नहीं है (उद्धृत दरों पर बिना शर्त छूट को छोड़कर)।

Once the contractor has uploaded the digitally signed file of tender document along with unconditional acceptance as an attachment, he is not permitted to upload any additional file or put any remark(s)/ conditions(s) in / along with the Tender Document (Except unconditional rebate on quoted rates).

20. यदि उपर्युक्त शर्त 19 का उल्लंघन पाया जाता है तो निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

In case, the above condition 19 is found violated, the tender shall be summarily rejected.

21. बोलियों के सफल और समय पर प्रस्तुतीकरण पर (अर्थात् पोर्टल में “बोली प्रस्तुतिकरण पर रोक” पर क्लिक करने के बाद), पोर्टल एक सफल बोली प्रस्तुतिकरण संदेश देगा और बोली संख्या के साथ बोली सारांश प्रदर्शित किया जाएगा और बोली प्रस्तुतीकरण की तिथि और समय के साथ अन्य सभी प्रासंगिक विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे।

Upon the successful and timely submission of bids (i.e. after Clicking “Freeze Bid Submission” in the portal), the portal will give a successful bid submission message & a bid summary will be displayed with the bid no. and the date & time of submission of the bid with all other relevant details.

22. प्रश्न, उत्तर एवं स्पष्टीकरण:

Queries, Replies and Clarifications:

22.1 यदि बोलीदाता के पास कार्य के निविदा दस्तावेज से संबंधित कोई प्रश्न है, तो उन्हें स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सीपीपी-टेंडरिंग पोर्टल में 'स्पष्टीकरण' टैब का उपयोग करना चाहिए। इस संबंध में संचार के किसी अन्य माध्यम पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्न पूछने की अंतिम तिथि और समय एनआईटी में निर्धारित है।

If the bidder has any query related to the Tender Document of the work, they should use 'Clarification' tab in CPP-tendering portal to seek clarifications. No other means of

communication in this regards shall be entertained. Last date and time for making query is as stipulated in NIT.

22.2 यदि एएआई को बोलीदाता से निर्दिष्ट कवर में अपलोड किए गए दस्तावेजों में कमी के बारे में कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो उन्हें सीपीपी-टेंडरिंग पोर्टल या ईमेल के माध्यम से इसे प्रदान करने के लिए कहा जाएगा। बोलीदाता को एएआई से ऐसे अनुरोध प्राप्त होने के निर्दिष्ट समय के भीतर अपेक्षित स्पष्टीकरण/दस्तावेज अपलोड करने होंगे, ऐसा न करने पर निविदा पर बाद के चरणों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

If any clarification is needed by AAI from the bidder about the deficiency in his uploaded documents in the specified cover, they will be asked to provide it through CPP-tendering portal or email if required. The bidder shall upload the requisite clarification/documents within specified time of receipt of such request from AAI, failing which tender will not be considered for the subsequent stages.

23. एएआई को यह अधिकार है कि वह निविदा स्वीकार किए जाने से पहले उस सामग्री के संबंध में नमूना प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है जिसके लिए निविदाकर्ता ने अपनी दरें उद्धृत की हैं। यदि ऐसा करने के लिए कहा गया निविदाकर्ता लिखित आदेश के 7 (सात) दिनों के भीतर नमूने प्रस्तुत नहीं करता है, तो एएआई उक्त बयाना राशि का 50% पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

The AAI reserves the right to ask for submission of sample in respect of material for which the tenderer has quoted his rates before the tender can be considered for acceptance. If the tenderer who is called upon to do so does not submit samples within 7 (Seven) days of written order to do so, AAI shall be at liberty to forfeit 50% of the said earnest money absolutely.

24. एएआई बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एएआई बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

AAI reserves the right to accept or reject any or all applications without assigning any reasons. AAI also reserves the right to call off of tender process at any stage without assigning any reason.

25. एएआई उन कार्य एजेंसियों को निविदा दस्तावेज जारी करने से मना करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिनका चालू परियोजना(ओं) में प्रदर्शन औसत से कम और असामान्य रूप से खराब है और जिन्हें एएआई के किसी भी विभाग द्वारा प्रतिबंधित / अस्थायी / स्थायी / निषिद्ध पत्र जारी किया गया है। एएआई किसी भी चरण (कार्य पुरस्कार से पहले या बाद में) पर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि किसी भी चरण में, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी/दस्तावेज गलत / झूठे पाए जाते हैं या उनमें कुछ विसंगति होती है जो फर्म को अयोग्य ठहराती है तो एएआई निम्नलिखित कार्रवाई करेगा:

AAI reserves the right to disallow issue of tender documents to working agencies whose performance at ongoing project(s) is below par and unusually poor and has been issued letter restrain / Temporary / Permanent / debar by any department of AAI. **AAI reserve the right to verify the credential submitted by the agency at any stage (before or after the award the work). If at any stage, any information/documents submitted by the applicant is found to be incorrect / false or have some discrepancy which disqualifies the firm then AAI shall take following action:**

(क) फर्म द्वारा जमा की गई ईएमडी की पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।

a) **Forfeit the entire amount of EMD submitted by the firm.**

(ख) एजेंसी को किसी भी अन्य उचित संविदात्मक/कानूनी कार्रवाई के अलावा, एएआई में निविदा देने से रोक दिया जाएगा।

b) The agency shall be liable for debarment from tendering in AAI, apart from any other appropriate contractual / legal action.

26. संघ/जेवी कंपनियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी एक फर्म को दो अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Consortium/ JV companies shall not be permitted. No single firm shall be permitted to submit two separate applications.

27. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को क्रय वरीयता स्वीकृति की तिथि को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार लागू होगी।

Purchase preference to Central Public Sector Undertaking shall be applicable as per the directives of Govt. of India prevalent on the date of acceptance.

28. यदि किसी भी निविदा में भाग लेने वाली संस्था निजी या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, साझेदारी फर्म या मालिकाना फर्म है और ऐसी कंपनी का कोई निदेशक/भागीदार/स्वामी किसी अन्य कंपनी का निदेशक या किसी संस्था का भागीदार या एकमात्र स्वामी भी है जिसने एएआई के साथ व्यवसाय स्थापित किया है और उस पर प्राधिकरण को देय राशि बकाया है, तो उक्त संस्था को एएआई निविदाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

If the entity participating in any of the tenders is private or public limited company, Partnership firm or proprietary firm and any of the Directors / Partners / Proprietor of such company is also a director of any other company or partner of a concern or a sole proprietor having established business with AAI and has outstanding dues payable to authority, then the said entity shall not be allowed to participate in AAI tenders.

29. यह निविदा सूचना अनुबंध दस्तावेजों का हिस्सा होगी। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार, स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसकी निविदा स्वीकार किए जाने पर, कार्य दिए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा जिसमें निविदा आमंत्रण सूचना, अनुबंध की सामान्य शर्तें, विशेष/अतिरिक्त शर्तें, सामान्य और विशेष विनिर्देश, निविदा आमंत्रण और स्वीकृति के समय जारी की गई निविदा शर्तें और उससे संबंधित कोई भी पत्राचार शामिल होगा।

This notice of tender shall form part of contract documents. The successful tenderer/contractor, on acceptance of his tender by the accepting authority, shall within 15 days from the date of award of work sign the contract consisting of Notice Inviting Tender, General conditions of contract, Special/additional conditions, General and particular specifications, Tender conditions as issued at the time of invitation of Tender and acceptance thereof with any correspondence leading there to.

30. विभाग उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन मंत्रालय (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017, दिनांक 16.09.2020 के कार्यालय जापन संख्या पी- 45021/2/2017- पीपी (बीई-II) के अनुसार लागू है।

Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India, issued Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017 vide OM No. P-45021/2/2017-PP(BE-II) dated 16.09.2020 is applicable.

31. बोलीदाता द्वारा भूमि साझा करने वाले देश से पंजीकरण की आवश्यकता भारत के साथ सीमा पर आदेश संख्या एफ संख्या 6/18/2019- पीपीडी दिनांक 23/07/2020 के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (सार्वजनिक क्षेत्र) खरीद प्रभाग) को प्रतिबंधों के संबंध में नवीनतम संशोधनों के साथ जारी किया गया है। सामान्य वित्तीय नियम

(जीएफआर) 2017 का नियम 144 (xi) लागू होगा। बोलीदाता को कंपनी के लेटर हेड पर 'अंडरटेकिंग' की स्कैन की हुई प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इस संबंध में (अनुलग्नक-एलबीएस)

Requirement of registration by the Bidder from a country sharing land border with India based on order No. F No. 6/18/2019-PPD dated 23/07/2020 of Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure (Public Procurement Division) with up to date amendments, regarding restriction under Rule 144(xi) of the General Financial Rules (GFR) 2017 shall be applicable. Bidder shall submit scanned copy of 'Undertaking' on Company's letter head in this regard. (Annexure- LBS)

--एस/डी--

--s/d--

सहायक महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग-इलेक्ट)

अध्यक्ष के लिए एवं उनकी ओर से

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

Asst. General Manager (Engg-Elect)

For & on behalf of Chairman

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

डीएबीएच एयरपोर्ट, इंदौर

DABH Airport, Indore

STEPS FOR MAKING TENDER PAYMENTS IN ETENDERS SYSTEM VIA SBI BANK GATEWAY

(SBI AND NON SBI ACCOUNT HOLDERS)

Home Page.

Login as a bidder into etenders.gov.in to proceed for payment.



Step 1) Click “Pay Online” when you reach below page while Online Bid Submission.

The screenshot displays the 'BID MANAGEMENT' section of a web application. On the left is a sidebar menu with categories like 'User Management', 'Auction Management', and 'Bid Management'. The main content area shows details for a specific tender (2018_LSGD_204397_1) and provides options to 'Pay Online' or 'Encrypt&Upload'.

BID MANAGEMENT

My Tenders → 2018_LSGD_204397_1 → Transaction Message

Organization Chain : NIC|NIC Contracts
Tender Reference Number : PW3/23401/18
Tender ID : 2018_LSGD_204397_1
Tender Title : PW3/23401/18 PRO.NO.604/18-19 DVN.30 VARIOUS LANES INTERLOCKING AND CONCRETING

Bid Process List

S.No	Bid Process	Action
1	Profile	

Bid Payment Details

S.No	Fee Type	Actual Fee	Exempted Fee	Fee To Be Paid	Paid Fee
1	Tender Fee	2500.00 (INR)	0.00	2500.00 (INR)	0.00
2	Emd Fee	37500.00 (INR)	0.00	37500.00 (INR)	0.00

Pay Online Encrypt&Upload

Version:1.09.06 04-Feb-2015 (c) 2008 Tenders NIC, All rights reserved.

Step 2) Click “Confirm to Pay” to proceed with the payment gateway, as below.

Note: Please ensure that you have availed Tender Fee / EMD Exemption, if eligible. Further, there would not be any provision to change back, under any circumstances.

User Management

My Accounts

My Documents

Auction Management

My Auctions

Live Auctions

View Auction History

Bid Management

Search Active Tenders

My Tenders

Clarification

My Active Bids

Bid Opening (Live)

Short fall Documents

Online Payment Status

My Bids History

Short Fall Documents History

Archived Clarification

Tender Status

My Withdrawn Bids

BID MANAGEMENT

Offline/OnLine Payment Confirmation

Organization Chain : NIC|NIC Contracts

Tender Reference Number : PW3/23401/18

Tender ID : 2018_LSGD_204397_1

Tender Title : PW3/23401/18 PRO.NO.604/18-19 DVN.30 VARIOUS LANES INTERLOCKING AND CONCRETING

Bid Payment Details

S.No	Fee Type	Actual Fee	Exempted Fee	Fee To Be Paid
1	Tender Fee	2128.00 (INR)	0.00	2128.00 (INR)
2	Emd Fee	23100.00 (INR)	0.00	23100.00 (INR)

Portal Alert :

Beyond this stage, you will not be able to edit Fee or Exemption details.

Please confirm that the exemption and amount to be paid are correct.

I hereby confirm that the above payment details are correct.

Back

Confirm to Pay

Version:1.09.06 04-Feb-2018

(c) 2008 Tenders NIC, All rights reserved.

Step3) Verify that the Tender fee and EMD shown are correct, as per tender document. Then, select the payment option **SBI MOPS** and Submit, as below.

Note: In case of any mismatch in tender payments, with reference to tender documents, please contact TIA for clarifications.

BID MANAGEMENT

1 OnLine Payment Gateway

Organization Chain : NIC||NIC Contracts
Tender Reference Number : PW3/23401/18
Tender ID : 2018_LSGD_204397_1
Tender Title : PW3/23401/18 PRO.NO.604/18-19 DVN.30 VARIOUS LANES INTERLOCKING AND CONCRETING

Bid Payment Details			
Fee Type	Actual Fee	Exempted Fee	Fee To be Paid
Tender Fee	2,500	0	2,500
Emd Fee	37,500	0	37,500
Total Fee			40,000

Choose Payment Option

☒ SBI MOPS

Back Submit

Version:1.09.06 04-Feb-2018 (c) 2008 Tenders NIC, All rights reserved.

Step 4) Check and Follow the **Terms and Conditions**, and then **Submit**, as below.

BID MANAGEMENT

OnLine Payment Gateway

Payment Verification

Organization Chain : NIC||NIC Contracts
Tender Reference Number : PW3/23401/18
Tender ID : 2018_LSGD_204397_1
Tender Title : PW3/23401/18 PRO.NO.604/18-19 DVN.30 VARIOUS LANES INTERLOCKING AND CONCRETING

Pay Model : SBI MOPS

✓ **Terms And Conditions.**

- You are being redirected to the SBI MOPS site.
- You have to complete the transaction with in the session time which is approximately 15 minutes.
- Money once transferred towards tender fee shall not be refunded at any point of time. This is applicable even in case you have not completed the tender process.
- Once payment is successfully completed, you will be automatically redirected back to e-Procurement site.
- It is the responsibility of the Individual to ensure that the payment is successfully completed and eProcurement system is not responsible for any malfunctions in the Bank payment gateway.
- please take print screen for bank acknowledgement page.

Back **Submit**

Version:1.09.06 04-Feb-2018 (c) 2008 Tenders NIC, All rights reserved.

Step 5) Bidders may choose the type of transaction and proceed for payment.

SBI ONLINE

STATE BANK MULTI OPTION PAYMENT SYSTEM

Please Select Appropriate Card Type To Avoid Failures (C-Credit Card Options/D For Debit Card)

Net Banking

SBI
Bank Charges: 11.8
Click Here

Other Banks
Bank Charges: 132.5
Click Here

Card Payments

Other Payments Modes

NEFT
NEFT/RTGS
Bank Charges: 133.0
Click Here

Cancel

© State Bank of India Site best viewed in I.E. 10 +, Mozilla 30 +, Google Chrome 30 +

Step 6) Once the Payment type is selected it navigates to the respective landing page.

a) SBI

i. Bidders with SBI account may click **SBI** option to proceed to its Net Banking Page

The screenshot displays the SBI Online Banking login interface. At the top, the browser address bar shows the URL <https://merchant.onlinesbi.com/merchant/merchantpreloginbanking.htm>. The page features the SBI logo and the text "SBI ONLINE". Below the logo, there is a "Login to Online SBI" section. A note states: "(CARE: Username and password are case sensitive.)". There are two tabs: "PERSONAL BANKING" (selected) and "CORPORATE BANKING". The login form includes fields for "Username*" and "Password*", both marked as mandatory. To the right of the password field are links for "New User? Register here", "Forgot Login Password", and "Forgot Username". Below the fields are "Login" and "Reset" buttons. A message below the buttons says: "For better security use the Online Virtual Keyboard to login." To the right of the login form is a "Welcome to Internet Banking" message and a virtual keyboard. At the bottom, there is a security notice with four bullet points: "Mandatory fields are marked with an asterisk (*)", "Do not provide your username and password anywhere other than in this page", "Your username and password are highly confidential. Never part with them. SBI will never ask for this information.", and "Please do not call Contact Centre or try to raise CMS complaint on the day of transaction." Below the notice are links for "Privacy Statement", "Disclosure", and "Terms of Service(Terms & Conditions)". At the very bottom, there is a "Secure Site" logo, the text "© State Bank of India", and a note: "Site best viewed at 1024 x 768 resolution in IE 7 or above, Mozilla 3.5 or above, Google Chrome 3 or above, Safari 5.0 +".

ii. Bidders may enter SBI Net banking user ID and Password and Click on **Login** to proceed.

https://merchant.onlinesbi.com/... Identified by ... State Bank of India - Intern... X

SBI **SBI ONLINE**

Login to OnlineSBI **Welcome to Internet Banking**

(CARE: Username and password are case sensitive.)

Please select the customer segment: ☒ PERSONAL BANKING ☐ CORPORATE BANKING

Username*

Password*

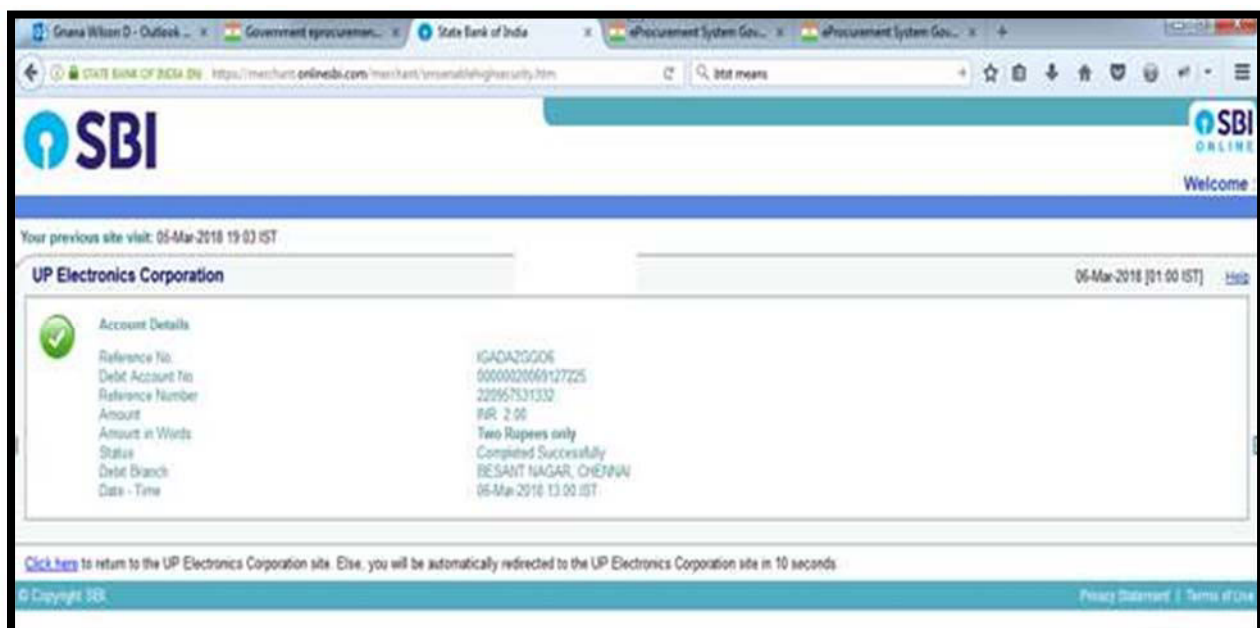
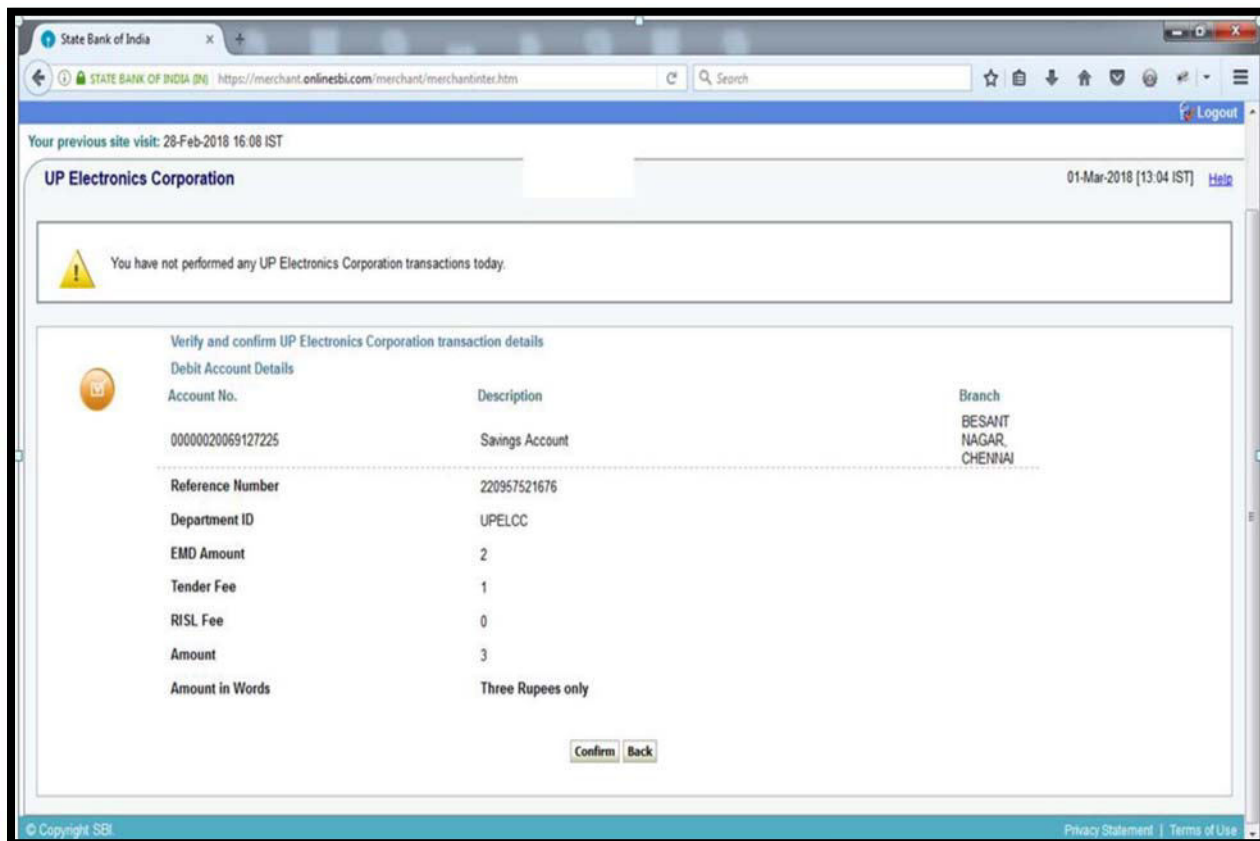
New User? Register here
Forgot Login Password
Forgot Username

For better security use the Online Virtual Keyboard to login. [FAQ](#) | [About Phishing](#)

✓ Mandatory fields are marked with an asterisk (*)
✓ Do not provide your username and password anywhere other than in this page
✓ Your username and password are highly confidential. Never part with them. SBI will never ask for this information.
✓ Please do not call Contact Centre or try to raise CMS complaint on the day of transaction.

[Privacy Statement](#) | [Disclosure](#) | [Terms of Service\(Terms & Conditions\)](#)

iii. Please ensure that your account has sufficient balance, before proceeding further. After checking the same, Click **Confirm** button as below, to transfer payment. After account debit, MOPS gateway will automatically re-direct to the eProcurement System, with the Success transaction.



iv. As in below, you will receive bank response immediately by verifying the payment status, whether **Success** or not. In case, payment was debited from account and further, **Payment Failure** is shown, immediately contact the eProcurement helpdesk, for resolution, before tender closing time.

Click **Next** to go to Bid Preparation details, as in screenshot.

The screenshot displays the 'BID MANAGEMENT' section of a web application. On the left is a sidebar menu with categories: 'User Management' (My Accounts, My Documents), 'Auction Management' (My Auctions, Live Auctions, View Auction History), and 'Bid Management' (Search Active Tenders, My Tenders, Clarification, My Active Bids, Short fall Documents, Online Payment Status, My Bids History, Short Fall Documents History, Archived Clarification, Tender Status, My Withdrawn Bids). The main content area is titled 'BID MANAGEMENT' and contains a sub-header 'Bank Response On Payment Details'. A yellow message box with a green checkmark states: 'Your Online transaction has been completed successfully.' Below this, a box lists transaction details: Organization Chain: NIC||NIC Contracts, Tender Reference Number: PW3/23401/18, Tender ID: 2018_LSGD_204397_1, and Tender Title: PW3/23401/18 PRO.NO.604/18-19 DVN.30 VARIOUS LANES INTERLOCKING AND CONCRETING. A second box titled 'Bank Response On Payment Details' provides further information: eProcurement Ref. Number: 220957531332, PRN Number: 220957531332, Bank / UTR Number: IGADA2GG06, Bank Name: SBI Bank, Status: Success, Status Description: Completed successfully, Tender Fee in ₹: 1, EMD Fee in ₹: 1, and Total Fee in ₹: 2. A 'Next' button is located at the bottom right of the main content area.

BID MANAGEMENT	
User Management + My Accounts + My Documents Auction Management + My Auctions + Live Auctions + View Auction History Bid Management + Search Active Tenders + My Tenders + Clarification + My Active Bids + Short fall Documents + Online Payment Status + My Bids History + Short Fall Documents History + Archived Clarification + Tender Status + My Withdrawn Bids	Bank Response On Payment Details
	✓ Your Online transaction has been completed successfully.
	Organization Chain : NIC NIC Contracts Tender Reference Number : PW3/23401/18 Tender ID : 2018_LSGD_204397_1 Tender Title : PW3/23401/18 PRO.NO.604/18-19 DVN.30 VARIOUS LANES INTERLOCKING AND CONCRETING
	Bank Response On Payment Details
	eProcurement Ref. Number : 220957531332 PRN Number : 220957531332 Bank / UTR Number : IGADA2GG06 Bank Name : SBI Bank Status : Success Status Description : Completed successfully. Tender Fee in ₹ : 1 EMD Fee in ₹ : 1 Total Fee in ₹ : 2
	Next

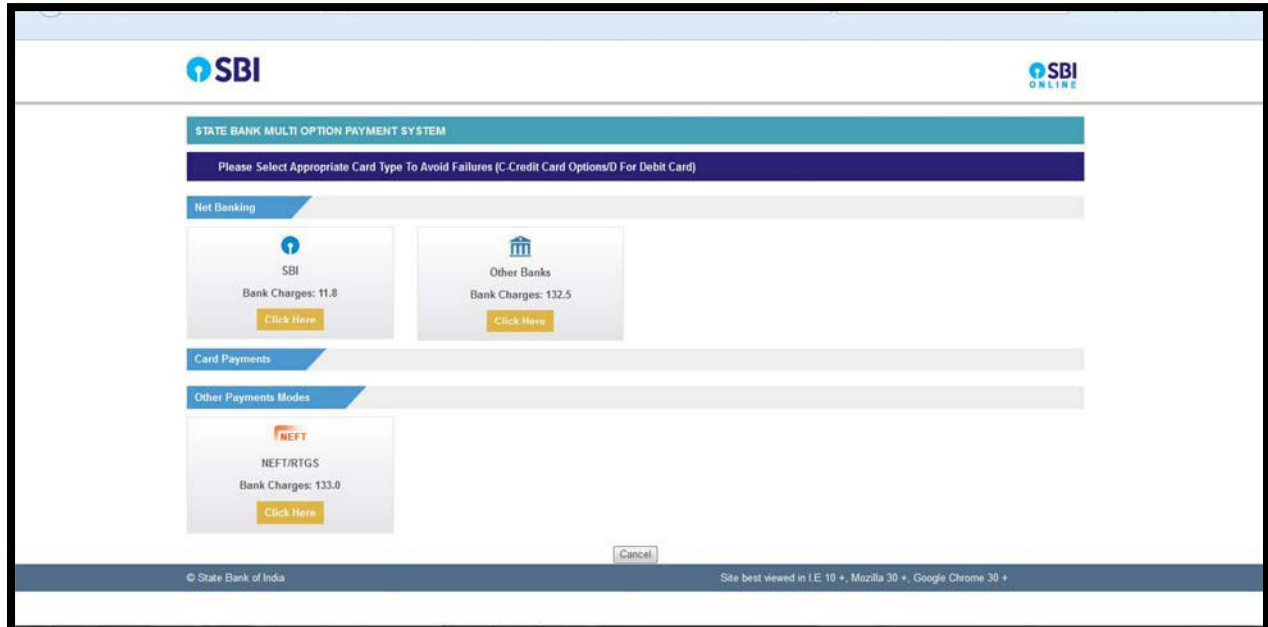
v. Please ensure that the **Pay Online** option is not shown after successful payment, as below, for confirmation. From here, you may proceed with **Encrypt and Upload** to upload tender documents, and further submission process.

The screenshot displays the 'BID MANAGEMENT' section of a web application. On the left is a sidebar menu with categories: User Management (My Accounts, My Documents), Auction Management (My Auctions, Live Auctions, View Auction History), and Bid Management (Search Active Tenders, My Tenders, Clarification, My Active Bids, Bid Opening (Live), Short fall Documents, Online Payment Status, My Bids History, Short Fall Documents History, Archived Clarification, Tender Status, My Withdrawn Bids). The main content area is titled 'My Tenders' and shows details for tender '2018_KSITM_203916_2'. It includes the Organization Chain (NIC||NIC Contracts), Tender Reference Number (PW3/23401/18), Tender ID (2018_LSGD_204397_1), and Tender Title (PW3/23401/18 PRO.NO.604/18-19 DVN.30 VARIOUS LANES INTERLOCKING AND CONCRETING). Below this is a 'Bid Process List' table with one row: S.No 1, Bid Process Profile, and an Action icon. Further down is a 'Bid Payment Details' table showing two rows of fees. At the bottom right is an 'Encrypt&Upload' button.

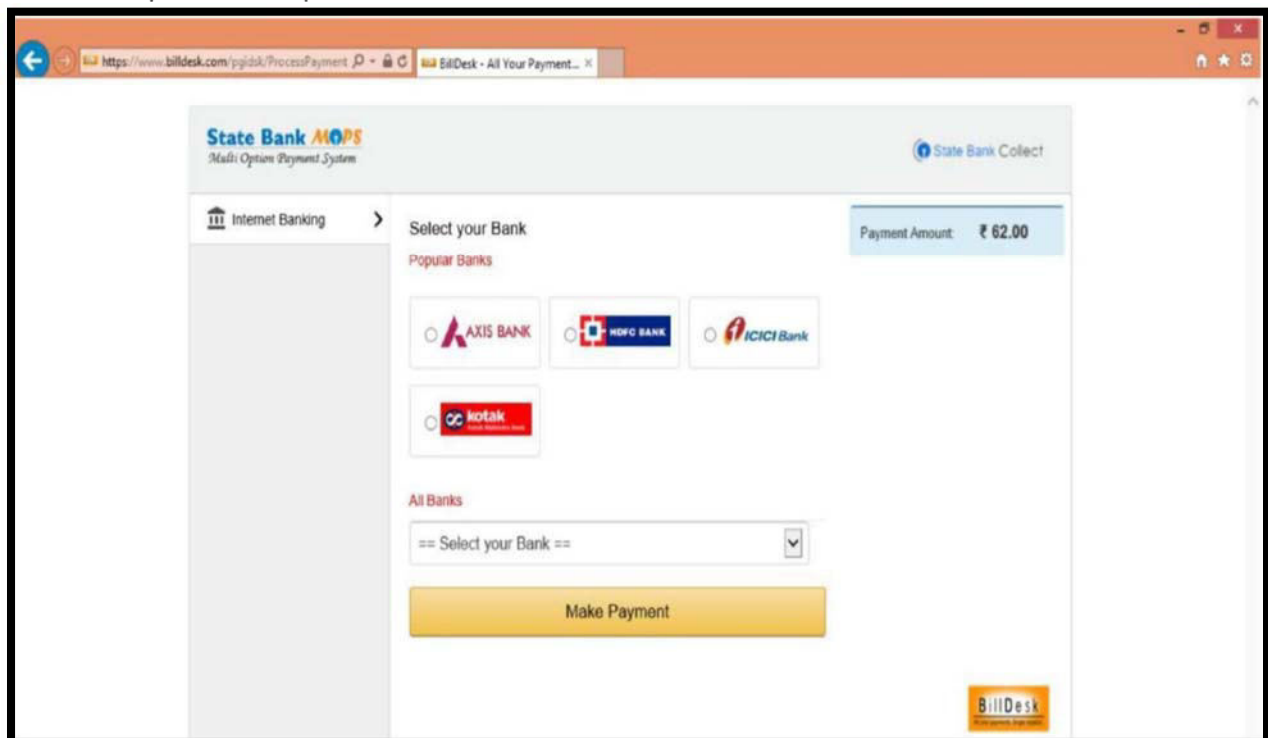
S.No	Fee Type	Actual Fee	Exempted Fee	Fee To Be Paid	Paid Fee
1	Tender Fee	1.00 (INR)	0.00	0.00	1.00 (INR)
2	Emd Fee	2.00 (INR)	0.00	0.00	2.00 (INR)

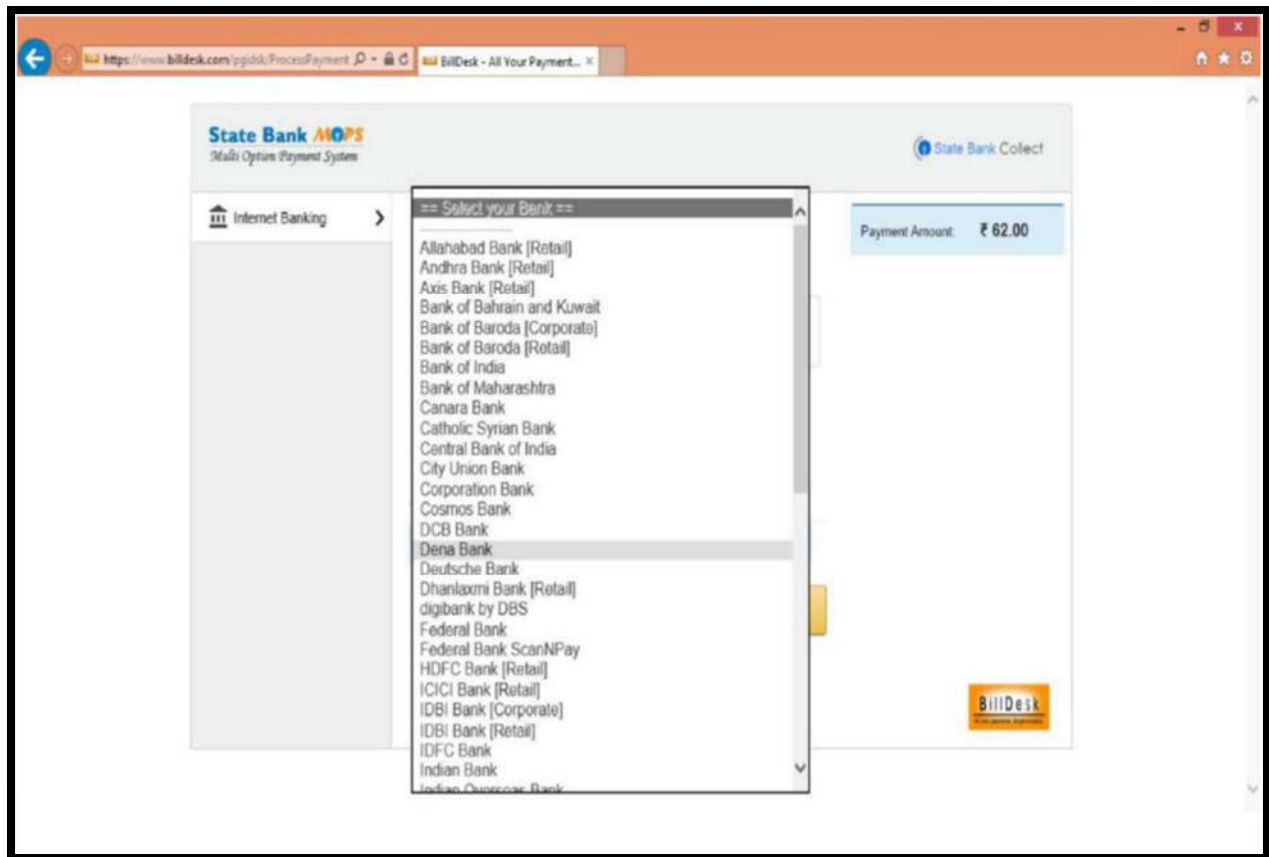
b) OTHER BANKS :

- i. Bidders with other bank account may click **Other Banks** option to proceed to SBI Net Banking Page

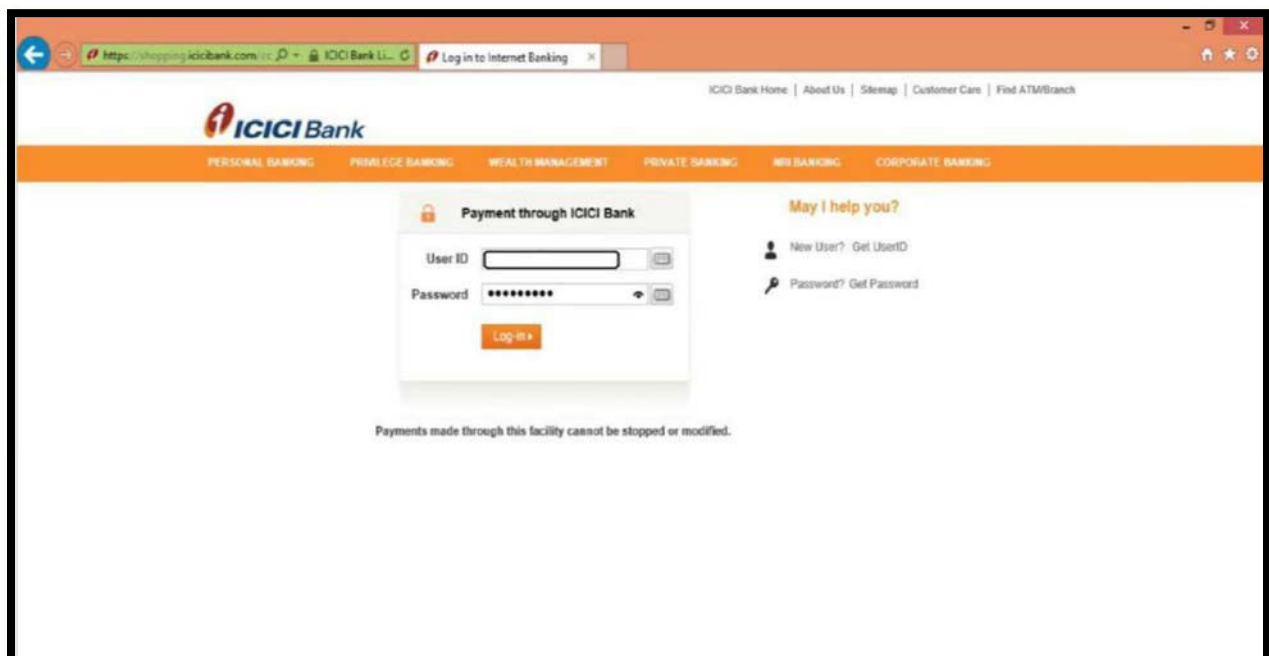
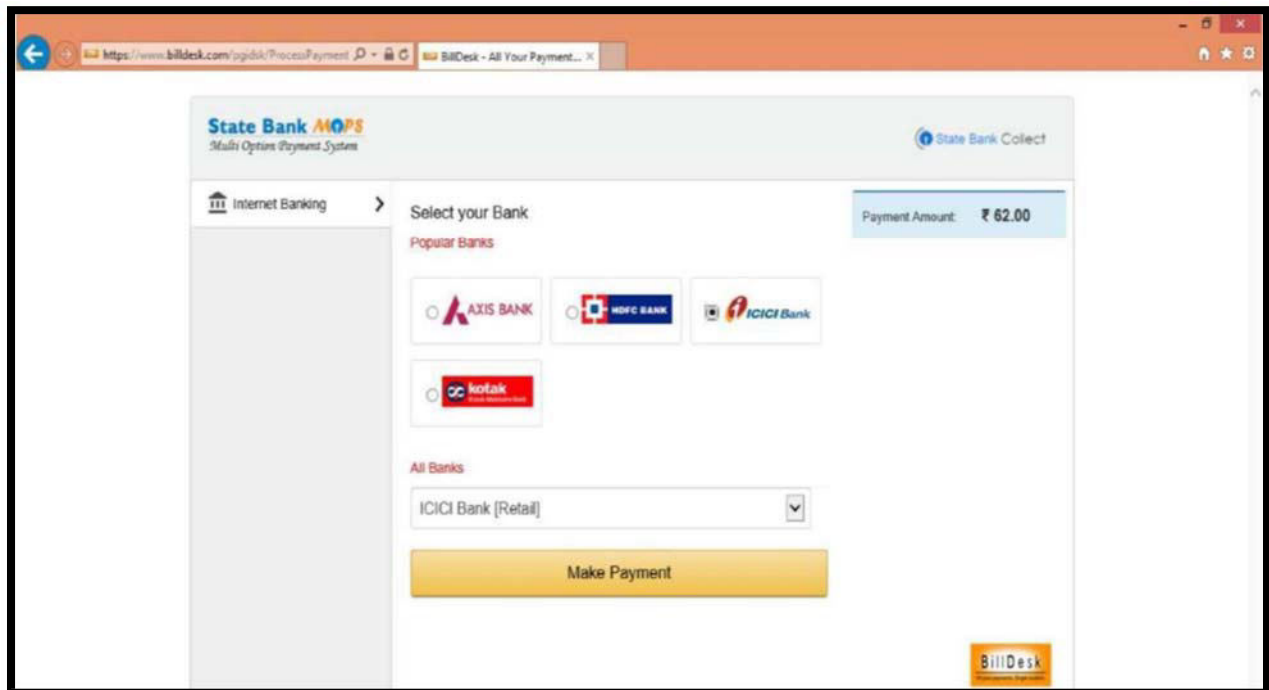


You may select the appropriate Bank from selection page. As an example, we are proceeding with ICICI Bank in the provided dropdown box of **All Banks**.





- ii. After selecting ICICI Retail Banking, Click **Make Payment** Button to proceed to its internet banking page. Further steps may depend on the Bank Procedure.



PRIVILEGE **ICICI Bank**

About Us | Customer Care | Find ATM/Branch

Make a Payment

You now have the option of paying from either your savings account or Pockets wallet.

Payment Details

Pay From

Pay To

Amount (INR)

Remarks

[Click here](#) to view terms & conditions.

Notes:

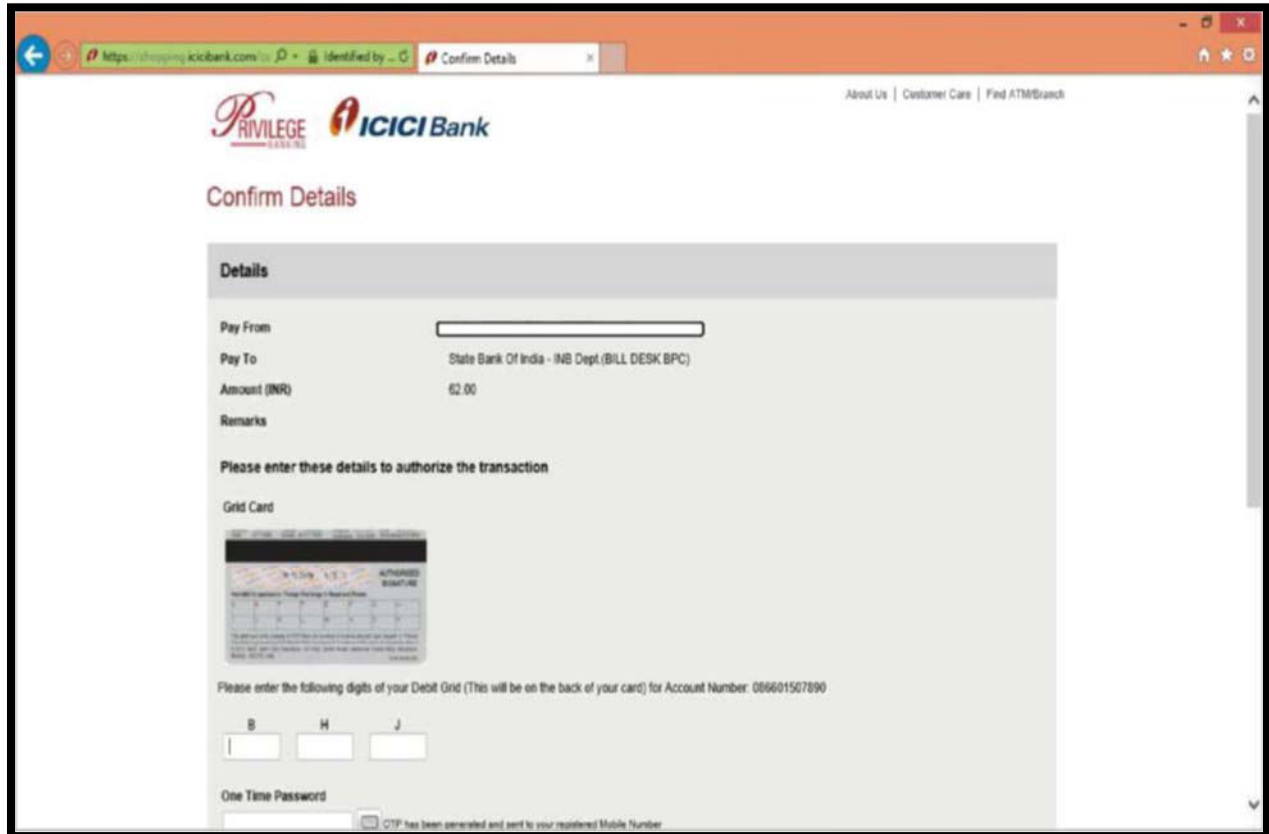
1. By clicking on the 'Pay' button, you are agreeing to the terms and conditions as given above.
2. After clicking the 'Pay' button, please wait for sometime while we pass on your payment details to the biller.
3. Please do not refresh or close the browser window.
4. Please check the status of the payment with the merchant after 7 days of transaction date. In case the merchant does not update the payment within 7 days, please contact our [24-hour Customer Care](#) for further assistance.

Customer Service
Customer Care Numbers

Useful Links
Get User ID | Ways To Bank | Online Banking | Savings Account | PPP | Personal Finance Tools | Firms Center | Gold Rate Today | Media Gallery | Credit

Visit Other ICICI Bank Sites
ICICI Group | ICICI Foundation | ICICI Lombard General Insurance | ICICI Securities | ICICI Prudential Life Insurance | ICICI Prudential AMC | ICICI Ventures | ICICI Direct | GICHA Financial Consulting | ICICI Home Finance | IndusInd The Bank of Rajasthan | Carriers | Bahrain | Canada | Germany |

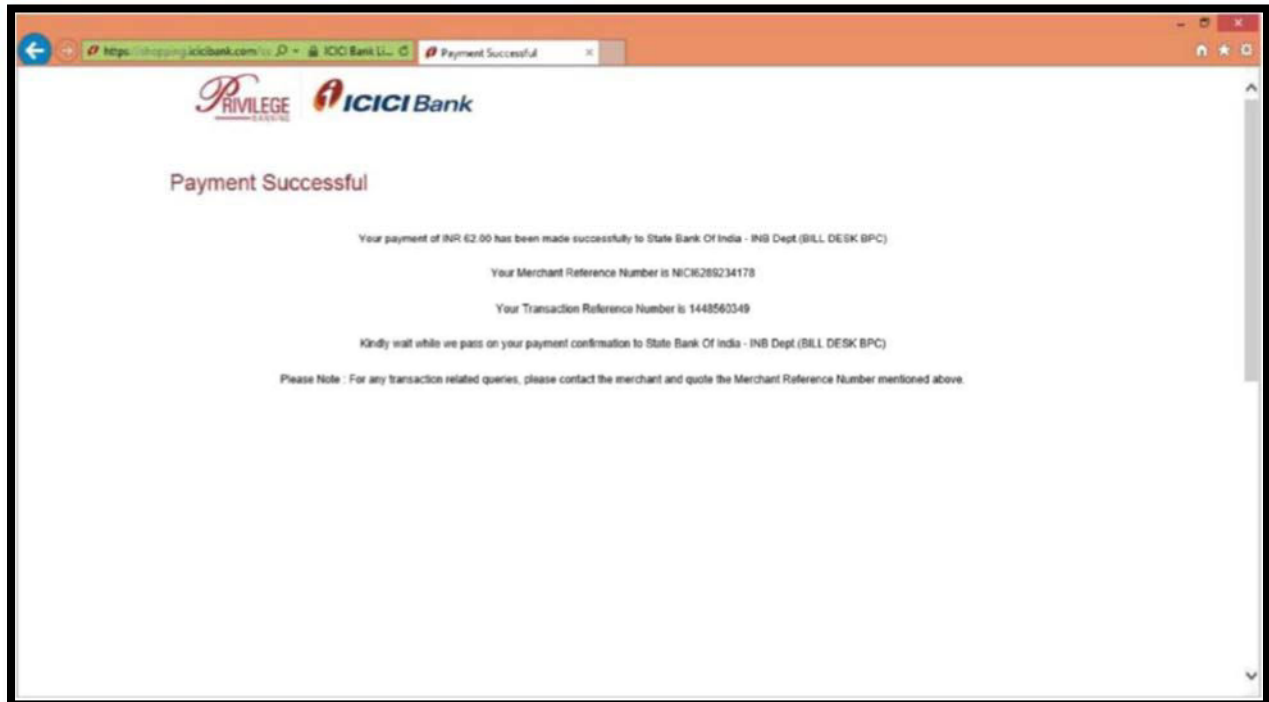
Our Initiatives
Safe Banking | Go Green



The screenshot shows the 'Confirm Details' page on the ICICI Bank website. The browser address bar shows 'https://shopping.icicibank.com'. The page header includes the 'PRIVILEGE' and 'ICICI Bank' logos, and links for 'About Us', 'Customer Care', and 'Find ATM/Branch'. The main heading is 'Confirm Details'. Below it, a 'Details' section contains the following information:

- Pay From:** [Empty input field]
- Pay To:** State Bank Of India - INB Dept.(BILL DESK BPC)
- Amount (INR):** 62.00
- Remarks:**

Below the details, a message states: 'Please enter these details to authorize the transaction'. This is followed by a 'Grid Card' section showing a sample debit card. Below the card, a message says: 'Please enter the following digits of your Debit Grid (This will be on the back of your card) for Account Number: 056601507890'. There are three input fields labeled 'B', 'H', and 'J'. At the bottom, there is a 'One Time Password' input field and a message: 'OTP has been generated and sent to your registered Mobile Number'.

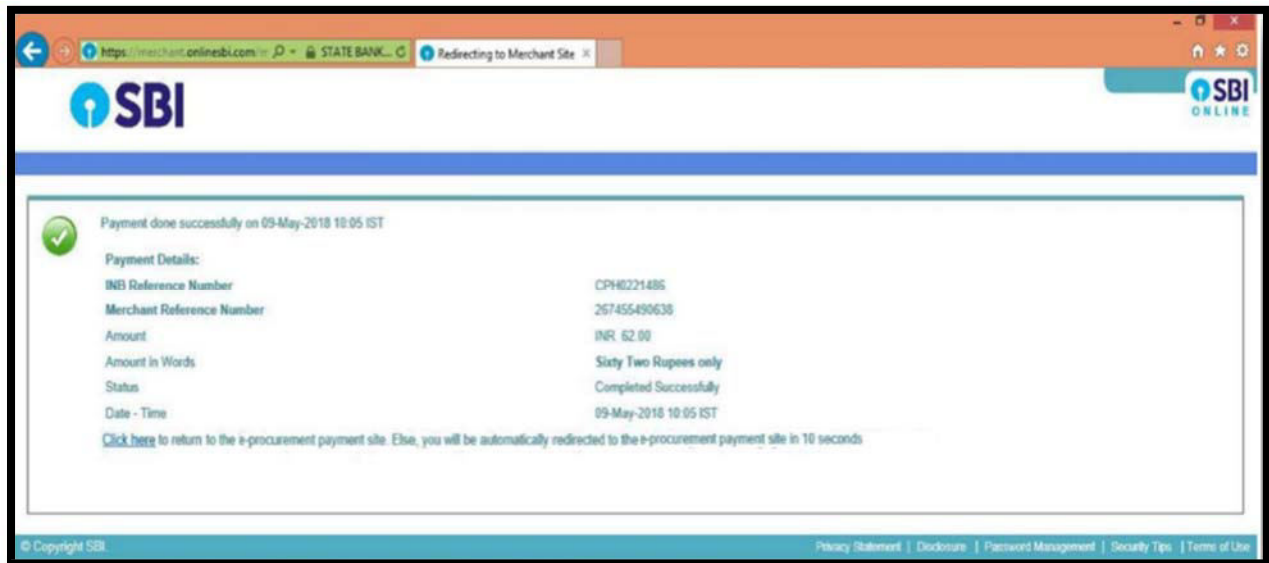


The screenshot shows the 'Payment Successful' page on the ICICI Bank website. The browser address bar shows 'https://shopping.icicibank.com'. The page header includes the 'PRIVILEGE' and 'ICICI Bank' logos, and links for 'About Us', 'Customer Care', and 'Find ATM/Branch'. The main heading is 'Payment Successful'. Below it, the following information is displayed:

- Your payment of INR 62.00 has been made successfully to State Bank Of India - INB Dept.(BILL DESK BPC)
- Your Merchant Reference Number is NIC6289234178
- Your Transaction Reference Number is 1448560349

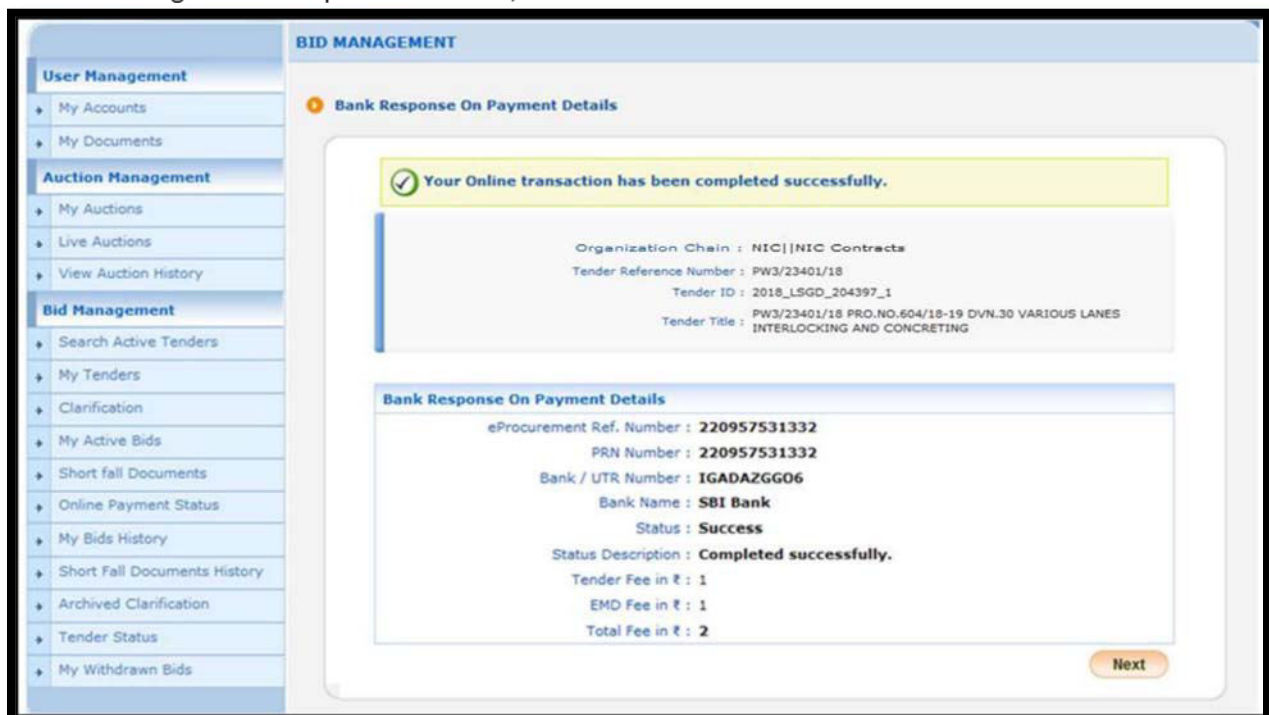
Below this, a message states: 'Kindly wait while we pass on your payment confirmation to State Bank Of India - INB Dept.(BILL DESK BPC)'. At the bottom, a 'Please Note' section says: 'For any transaction related queries, please contact the merchant and quote the Merchant Reference Number mentioned above'.

- iii. After, successful payment, system will direct you to payment confirmation page.



- iv. As in below, you will receive bank response immediately by verifying the payment status, whether Success or not. In case, payment was debited from account and further, **Payment Failure** is shown, immediately contact the eProcurement helpdesk, for resolution, before tender closing time.

Click **Next** to go to Bid Preparation details, as in screenshot.



v. Please ensure that the **Pay Online** option is not shown after successful payment, as below, for confirmation. From here, you may proceed with **Encrypt and Upload** to upload tender documents, and further submission process.

BID MANAGEMENT

My Tenders → 2018_KSITH_203916_2 → Transaction Message

Organization Chain : NIC||NIC Contracts
Tender Reference Number : PW3/23401/18
Tender ID : 2018_LSGD_204397_1
Tender Title : PW3/23401/18 PRO.NO.604/18-19 DVN.30 VARIOUS LANES INTERLOCKING AND CONCRETING

Bid Process List

S.No	Bid Process	Action
1	Profile	

Bid Payment Details

S.No	Fee Type	Actual Fee	Exempted Fee	Fee To Be Paid	Paid Fee
1	Tender Fee	1.00 (INR)	0.00	0.00	1.00 (INR)
2	Emd Fee	2.00 (INR)	0.00	0.00	2.00 (INR)

[Encrypt&Upload](#)

C) NEFT/RTGS

(i) Bidders may choose the type of transaction and proceed for payment.

SBI ONLINE

STATE BANK MULTI OPTION PAYMENT SYSTEM

Please Select Appropriate Card Type To Avoid Failures (C-Credit Card Options/D For Debit Card)

Net Banking

SBI
Bank Charges:
[Click Here](#)

Other Banks
Bank Charges: 59.0
[Click Here](#)

Card Payments

Other Payments Modes

NEFT/RTGS
Bank Charges: 0.0
[Click Here](#)

[Cancel](#)

© State Bank of India Site best viewed in I.E. 10 +, Mozilla 30 +, Google Chrome 30 +

(ii) Please click the check Box to proceed to the payment and click on the Confirm Button.



Disclaimer Clause

SBI does not have any control over third party websites and accepts no responsibility or liability for any of the material contained on those servers. You will be using such third party websites at your own risk and responsibility and SBI will not be responsible for any loss, damage, costs & charges, direct or indirect incurred by you, arising out of or in connection with your access to the external website or for any deficiency in the products and services of the third party or for the failure or disruption of the website of the third party.

SBI is not in any way liable for the contents of any linked websites or webpages. By integrating with an external website or web page, SBI shall not be deemed to endorse, recommend, approve, guarantee, indemnify or introduce any third parties or the services/products they provide on their websites. Please note SBI is only facilitating the online transaction and will not be a party to any contractual arrangements entered into between you and the provider of the external website unless otherwise expressly specified or agreed to by SBI. Such external websites are governed by their respective policies.

☐ I have read and accepted the terms and conditions stated above.
(Click Check Box to proceed for payment)

© Copyright SBI

- (iii) Please ensure that your account has sufficient balance, before proceeding further. After checking the same, Click **Confirm** button as below, to transfer payment.




Your site visit: 18-Sep-2018 [11:45 IST]

e-procurement payment

Payment details

Reference Number	117725193159
Department ID	AAA
EMD Amount	3
Tender Fee	2
RISL Fee	0
Amount	5
Amount in words	Five Rupees only

[Click here](#) to abort this transaction and return to the e-procurement payment site

 Mandatory fields are marked with an asterisk (*)

© Copyright SBI

Privacy Statement | Disclosure | Password Management | Security Tips | Terms of Use

- (iv) Click **Confirm** button as below, to transfer payment.

Your site visit: 18-Sep-2018 [11:46 IST]

e-procurement payment

Payment details

Reference Number	117725193159
Department ID	AAA
EMD Amount	3
Tender Fee	2
RISL Fee	0
Amount	5
Amount in words	Five Rupees only

[Confirm](#)

> Mandatory fields are marked with an asterisk (*)

© Copyright SBI

[Privacy Statement](#) | [Disclosure](#) | [Password Management](#) | [Security Tips](#) | [Terms of Use](#)

- (v) The challan is generated after successful transaction.

Your site visit: 18-Sep-2018 [11:46 IST]

e-procurement payment NEFT/RTGS Form

Beneficiary Details

Beneficiary Account Number (to be entered as it appears)	PS80ACF0823167
Amount	Rs. 5
Amount In Words	Five Rupees only
Beneficiary Bank	State Bank of India
Beneficiary IFSC Code	SBIN0017676
Name & Address	e-procurement payment
Beneficiary Reference Number	117725193159

Notes for Bidders:

- The remittance should be within the prescribed time and as per the terms and conditions specified in tender.
- Please ensure the correctness of details inputted while remittance through RTGS/NEFT. SBI and State Bank of India would not be responsible for the transactions required due to incorrect details inputted.
- For RTGS/NEFT transactions, Date and time at which payment is received in SBI would be relevant for the purpose of determining the issue as to whether payment was received in time or not. Therefore, bidders should make transactions well in advance so as to ensure that the payment reaches SBI before date and time for submission of tender.
- Bank for which payment is received after closing date/time for submission of tender bid would be rejected and would not be considered for further processing. The payment would be returned back to the bank account from which the transaction was made.
- Bidders should verify/check the payment status on a procurement portal. The transaction for which payment is received before bid tender closing date and time would be displayed as SUCCESSFUL in the portal. Otherwise bidders may contact their bank from which the transaction was made.
- Bidder should ensure that tender document fees and EMD are remitted as one single transaction and not separate.
- Bidder should ensure that account no. entered during RTGS/NEFT remittance at any bank counter or Internet banking site is the same as it appears in e-Procurement remittance form. Bidder should not provide this account number.
- No additional information like Bidder's name, company name, etc. should be entered in the account no. column along with account no. for RTGS/NEFT remittance.
- Cash or Cheque across the counter in SBI and Associates Bank is not allowed and the payment may be treated as invalid and the respective bid is liable to be rejected.
- Please obtain UTR no. from your remitting bank for your remittance reference.
- Please note that this is only a remittance information form and not an acknowledgment of remittance.

In case the above points are not followed, the payment may be treated as invalid and the respective bid is liable to be rejected.

Disclaimer:

SBI does not have any control over third party websites and accepts no responsibility or liability for any of the material contained on these servers. It will be using such third party websites at your own risk and responsibility and SBI will not be responsible for any loss, damage, costs or charges, direct or indirect incurred by you, arising out of or in connection with your access to the external website or for any deficiency in the products and services of the third party or for the failure or disruption of the website of the third party.

SBI is not in any way liable for the contents of any linked websites or web pages. By integrating with an external website or web page, SBI shall not be deemed to endorse, recommend, approve, guarantee, indemnify or reimburse any third parties or the services/products they provide on their website. Please note SBI is only facilitating the online transaction and will not be a party to any contractual arrangements entered into between you and the provider of the external website unless otherwise expressly specified or agreed to by SBI. Such external websites are governed by their respective policies.

[Click here to print the Remittance Form](#)
[Click here to Download in pdf](#)
[Click here to return to the Tenders/e-procurement payment site.](#)

© Copyright SBI

[Privacy Statement](#) | [Disclosure](#) | [Password Management](#) | [Security Tips](#) | [Terms of Use](#)

(vi) The Downloaded challan of the e-procurement RTGS/NEFT Remittance Information

e-procurement payment RTGS/NEFT Remittance Information Form	
Beneficiary Details	
Beneficiary Details	
Beneficiary Account Number (to be entered as it appears)	PSEGACPJ8923167
Amount	Rs. 5
Amount In Words	Five Rupees only
Beneficiary Bank	State Bank of India
Beneficiary IFSC Code	SBIN0017676
Name and Address	e-procurement payment
Beneficiary Reference No	117725193159
Instructions for remitting Bank: a. This form is valid for remittance through non-SBI branches. b. Beneficiary account no. is alpha-numeric and case sensitive. It should be entered as it appears above. c. Amount to be remitted should not be higher or lesser and should be the same as shown above.	
Note for Bidders: a. Bidder should ensure that account no. entered during RTGS/NEFT remittance at any bank counter or Internet banking site is the same as it appears in this remittance form. Bidder should not truncate or add any other detail to the above account number. b. No additional information like bidder name, company name, etc. should be entered in the account no. column along with account no. for RTGS/NEFT remittance. c. Account to Account transfers or Cash payments are not allowed and are invalid mode of payments. Hence, this remittance form is to be used only for RTGS or NEFT payment. d. Bidder should ensure that tender document fees and EMD are remitted as one single transaction and not separate. The remittance should be within the prescribed time and as per the terms and conditions specified in tender. e. Please ensure the correctness of details inputted while remittance through RTGS/NEFT. Please also ensure that your banker keys in the Account Number (which is case sensitive) as displayed in this form. SBI and Merchant Bankers should ensure that the details are correctly inputted. f. For RTGS, the purpose of remittance should be relevant for the purpose of tender. Therefore, bidders should make the remittance before date and time for submission of tender. g. Bids for which Payment is received after closing date/time for submission of tender/bid would be rejected.	

Refund and Settlement Process for Tender Fee and EMD

1. Refund and Settlement process:

- a. **Step-I:** After opening the tender, bid submitted successfully along with the online payment, the tender fee settled to 'Tender Fee Settlement Account' and EMD amount will remain in 'Pooling Account'.
- b. **Step-II: On Technical Evaluation:** After submission of technical evaluation report on the CPP portal, the 'EMD of Technically Qualified bidders will remain in the pooling account' and EMD amount of rejected bidders will be refunded to their source account.
- c. **Step-III: On Financial Evaluation:** After submission of financial evaluation report on the CPP portal, the 'EMD of L1 bidder will remain in the pooling account' and EMD amount of rejected bidders will be refunded to their source account.
- d. **Step-IV: EMD Refund of L1:** After AOC completion on the portal, the L1 bidders EMD amount will be refunded to their source account after Adjustment of Security Deposit (SD) as per NIT Condition.

2. In the case of "Cancellation of tender" before opening and "Re-Tender":

- All the submitted amount will be refunded to the bidders.

3. In the case of "Cancellation of tender" after opening and "Re-Tender":

- The tender fee has already settled to the AAI's tender fee settlement account at the EoD of tender opening.
- Now only EMD residing in the collection pooling account, the EMD will be refunded to the bidders.

4. In case of 'Withdraw of bid' by the vendor:

- Procurement system allows the bidder to withdraw till the bid submission closing date, assume that the bidder has paid the amount and withdrawn the bid, eProcurement system will initiate the refund of EMD on the day of tender opening.

5. In case of Revocation Corrigendum:

- If Tender Inviting Authority (TIA) publishes revocation corrigendum to accept the rejected bidder than TIA must ask EMD again via offline mode before publishing the revocation corrigendum because EMD amount has already been refunded or refund initiated to the rejected bidders A/c.



अनुबंध की सामान्य शर्तें
GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA



अनुक्रमणिका

क्रम सं. Sl. No.	पृष्ठों का विवरण Details of Pages	पृष्ठ सं. Page No.
1.	सामान्य दिशानिर्देश General Guidelines	2
2.	निविदा प्रपत्र Tender forms	5
i)	सामान्य नियम एवं निर्देश. General Rules and Directions.	8
ii)	अनुबंध की शर्तें Conditions of contract	21
iii)	अनुबंध की धाराएं Clauses of contract	27
iv)	एएआई सुरक्षा कोड A A I Safety code	144
v)	मॉडल नियम Model Rules	153
(vi)	एएआई ठेकेदार श्रम विनियम A A I contractor's labour Regulations	163
vii)	विभिन्न प्रारूप को बनाए रखना होगा (परिशिष्ट I से XX) Various Formats to be maintained (Appendix I to XX)	173
viii)	सीमेंट गोदाम का स्केच Sketch of Cement Godown	260
3.	अनुसूचियों ए से एफ का प्रोफार्मा Proforma of Schedules A to F	261

सामान्य दिशानिर्देश GENERAL GUIDELINES

1. “अनुबंध की सामान्य शर्तें” की यह पुस्तक दोनों प्रकार की निविदाओं अर्थात् “प्रतिशत दर निविदाएं और मद दर निविदाएं” पर लागू होती है। तदनुसार, सामान्य नियमों और निर्देशों की शर्तों संख्या 4, 10 और 12 के लिए वैकल्पिक प्रावधान इस पुस्तक में दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प विशिष्ट मामलों में लागू होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग प्रतिशत दर निविदाओं या मद दर निविदाओं के लिए किया जाता है या नहीं।

This book of “General Conditions of Contract” is applicable to both types of tenders i. e.” Percentage rate tenders and Item rate tenders”. Accordingly, alternative provisions for conditions Nos. 4, 10 & 12 of the General Rules and Directions are given in this book. The appropriate alternatives will be applicable in specific cases depending on whether this is used for percentage rate tenders or item rate tenders

2. इच्छुक बोलीदाताओं को केवल निविदा आमंत्रण सूचना, अनुसूची ए से एफ, विशेष शर्तें/विनिर्देश और चित्र ही जारी किए जाएंगे। मानक फॉर्म निविदा दस्तावेजों के साथ जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन यह निविदा की स्वीकृति के बाद दोनों पक्षों द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौते का हिस्सा होगा।

Notice Inviting Tender, Schedules A to F, special conditions/specifications and drawings only will be issued to intending bidders. The standard form will not be issued along with the Tender Documents but the same shall form part of the agreement to be drawn and signed by both parties after acceptance of tender.

3. सभी रिक्त स्थान निविदा आमंत्रण सूचना और अनुसूची ए से एफ तक सीमित हैं।

All blanks are confined to Notice Inviting Tender and Schedules A to F.

4. निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) को मंजूरी देने वाला प्राधिकारी निविदा दस्तावेज जारी करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना और अनुसूची बी से एफ में सभी रिक्त स्थान भरेगा।

Authority approving the Notice Inviting Tenders (NIT) shall fill up all the blanks in Notice Inviting Tender and in Schedules B to F before issue of Tender documents.

5. इच्छुक बोलीदाता अनुसूची ए में अपनी दरें उद्धृत करेंगे।

The intending bidders will quote their rates in Schedule A.

6. रजिस्ट्रों और अनुसूचियों ए से एफ के लिए प्रोफार्मा केवल सूचना और मार्गदर्शन के लिए है। इन्हें मानक फॉर्म में नहीं भरा जाना है। सभी रिक्त स्थानों के साथ अनुसूचियाँ, विधिवत भरी हुई, सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को अलग से जारी की जाएंगी।

7. The proforma for registers and Schedules A to F are only for information and guidance. These are not to be filled in the Standard Form. The Schedules with all blanks, duly filled, shall be separately issued to all intending tenderers.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

प्रतिशत-दर-निविदा- / मद दर निविदा और कार्य के लिए अनुबंध
~~Percentage Rate Tender~~/Item Rate Tender & Contract for Work

हवाई अड्डा: डीएबीएच हवाई अड्डा, इंदौर
Airport :D.A.B.H. Airport, Indore

शाखा : इंजीनियरिंग-इलेक्ट्रॉनिक्स
Branch : Engg-Elect

कार्यालय : सहायक महाप्रबन्धक (इंजीनियरिंग-इलेक्ट्रॉनिक्स)
Office of : Asstt.Gen.Manager(Engg-Elect)

(A) एसआईटीसी ऑफ एलईडी ल्यूमिनरीज फॉर टर्मिनल बिल्डिंग एट डीएबीएच एयरपोर्ट, इंदौर के कार्य के लिए निविदा ।

- (i) GeM के अनुसार तक प्रस्तुत/अपलोड किया जाना है । GeM पोर्टल पर उपलब्ध है।
- (ii) निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो दिनांक _____ को उपस्थित हो सकते हैं।
_____ के कार्यालय में _____ घंटे

जारी किया गया -----*

दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर -----*

पद का नाम-----*

जारी करने का तिथि -----*

*(ii) ई-टेंडरिंग के लिए लागू नहीं

(B) Tender for the work of: SITC of LED luminaries for Terminal Building at DABH Airport, Indore.

- (i) To be submitted/ uploaded upto as per GeM.... in GeM Portal.
- (ii) To be opened in presence of tenders who may be present on _____ at
_____ hrs.in the office of _____

Issued to -----*

Signature of officer issuing documents-----*

Designation-----*

Date of issue-----*

*(ii) Not applicable for e-tendering

निविदा
TENDER

मैंने/हमने निविदा आमंत्रण सूचना, अनुसूची, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, लागू विनिर्देश, चित्र और डिजाइन, सामान्य नियम और निर्देश, अनुबंध की शर्तें, अनुबंध के खंड, विशेष शर्तें, दरों की अनुसूची और अनुबंध की शर्तों में संदर्भित अन्य दस्तावेज और नियम और कार्य के लिए निविदा दस्तावेज में अन्य सभी सामग्री को पढ़ और जांच लिया है।

I/We have read and examined the notice inviting tender, schedule, A, B, C, D, E & F, Specifications applicable, Drawings & Designs, General Rules and Directions, Conditions of Contract, Clauses of contract, Special conditions, Schedule of Rates & other documents and Rules referred to in the conditions of contract and all other contents in the tender document for the work.

मैं/हम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के लिए निर्धारित कार्य को अनुसूची 'एफ' अर्थात् मात्राओं की अनुसूची में निर्धारित समय के भीतर तथा सभी प्रकार से सामान्य नियमों और निर्देशों के नियम-1 और संविदा की शर्तों के खंड 11 में निर्दिष्ट के अनुसार तथा जहां तक लागू हो, ऐसी शर्तों के अनुसार तथा उनके अनुसार, प्रदान की गई सामग्री के साथ निष्पादित करने के लिए निविदा देते हैं।

I/We hereby tender for the execution of the work specified for the Chairman Airports Authority of India within the time specified in Schedule 'F', viz., schedule of quantities and in accordance in all respects with the referred to in Rule-1 of General Rules and Directions and in Clause 11 of the Conditions of contract and with such material as are provided for, by and in respects in accordance with, such conditions so far as applicable.

हम 3/2 बोली प्रणाली में वित्तीय बोली के खुलने की तारीख से नब्बे (90) दिनों के लिए निविदा को खुला रखने और इसके नियमों और शर्तों में कोई संशोधन नहीं करने के लिए सहमत हैं।

We agree to keep the tender open for Ninety (90) days from the date of opening of financial bid in 3/2 bid system and not to make any modifications in its terms and conditions.

मैं/हम वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि पात्रता के लिए समान कार्य किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से बैंक टू बैंक आधार पर निष्पादित नहीं किया गया है। इसके अलावा, यदि ऐसा कोई उल्लंघन एएआई के संज्ञान में आता है, तो मैं/हम एएआई के निर्णय को स्वीकार करेंगे यदि हमें भविष्य के कार्यों में एएआई में निविदा देने से वंचित किया जाता है। इसके अलावा, यदि ऐसा कोई उल्लंघन कार्य शुरू होने की तारीख से पहले एएआई के संज्ञान में आता है, तो निविदाकर्ता को एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और निलंबन आदेश जारी होने की तारीख से एएआई निविदाओं के लिए बोली लगाने के लिए पात्र नहीं होगा।

I/ We undertake and confirm that for eligibility of similar work(s) has / have not been got executed on back to back basis through another contractor. Further that, if such a violation comes to the notice of AAI, then I/We shall accept the decision of AAI if we are debarred for tendering in AAI in future works. Also , if such a violation comes to the notice of AAI before date of start of work, the tenderer shall be suspended for one year and shall not be eligible to bid for AAI tenders from date of issue of suspension order.

मैं/हम यह भी वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज वास्तविक हैं, और यदि किसी भी स्तर पर ऐसे दस्तावेज/सूचना झूठी पाई जाती है, तो हम एएआई में निविदा देने से रोके जाने तथा अन्य उचित कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

I/We further undertake and confirm that information/documents submitted by us are genuine, and if at any stage such documents/ information found false, then we shall be liable for debarment from tendering in AAI, and any other appropriate legal action.

91,691/- (रुपए इक्यानबे हजार छह सौ इक्यानबे मात्र) की राशि बयाना राशि के रूप में निविदा दस्तावेजों में निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन /बीजी-ए* द्वारा प्रस्तुत की जाती है (परिशिष्ट-I)। यदि मैं/हम निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हैं कि उक्त अध्यक्ष, एएआई या उनके उत्तराधिकारी किसी अन्य अधिकार या उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, अनुबंध की शर्तों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा, यदि मैं/हम निर्दिष्ट अनुसार कार्य आरंभ करने में असफल रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हैं कि अध्यक्ष, एएआई या कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी कानून में उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे और निलंबन आदेश जारी होने की तारीख से एएआई निविदाओं के लिए बोली लगाने के पात्र नहीं होंगे, अन्यथा उक्त बयाना राशि को एएआई द्वारा निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट सभी कार्यों को उसमें निहित या संदर्भित नियमों और शर्तों के अनुसार निष्पादित करने और आदेश दिए जाने वाले विचलनों को पूरा करने के लिए सुरक्षा जमा के रूप में रख लिया जाएगा, जो अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक और उस सीमा से अधिक होने पर निविदा फॉर्म के खंड 12.2 और 12.3 में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारित की जाने वाली दरों पर होगा। इसके अलावा, मैं/हम सहमत हैं कि बयाना

राशि या प्रदर्शन गारंटी या पूर्वोक्त बयाना राशि और प्रदर्शन गारंटी दोनों के जम्ब होने की स्थिति में, मुझे/हमें कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।

A sum of **Rs. 91,691/- (Rupees Ninety One Thousand Six Hundred Ninety One Only)** is here by submitted Online/BG* in the format prescribed in tender documents as earnest money(Appendix-I). ~~If I/we, fail to furnish the prescribed performance bank guarantee within prescribed period, I/we agree that the said Chairman, A.A.I. or his successors in office shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to take appropriate action as per terms of contract.~~ Further, if I/ we fail to commence work as specified, I/we agree that Chairman, A.A.I. or his successors in office shall without prejudice to any other right or remedy available in law, shall be suspended for one year and shall not be eligible to bid for AAI tenders from date of issue of suspension order, otherwise the said earnest money shall be retained by AAI towards security deposit to execute all the works referred to in the tender documents upon the terms and conditions contained or referred to therein and to carryout such deviations as may be ordered, upto maximum of the percentage mentioned in Schedule 'F' and those in excess of that limit at the rates to be determined in accordance with the provision contained in Clause 12.2 and 12.3 of the tender form. Further, I/We agree that in case of forfeiture of earnest money or Performance Guaranteeor both Earnest Money & Performance Guarantee as aforesaid, I/We shall be debarred for participation in the re-tendering process of the work.

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम कार्य से संबंधित निविदा दस्तावेजों, रेखाचित्रों और अन्य अभिलेखों को गुप्त/गोपनीय दस्तावेज मानूंगा/रखूंगा तथा उनसे प्राप्त जानकारी को उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताऊंगा/समझाऊंगा, जिसे मैं/हम जानकारी देने के लिए प्राधिकृत हूँ/हैं, या जानकारी का किसी भी प्रकार से राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक उपयोग नहीं करूंगा/करेंगे।

(* जो लागू न हों उन्हें हटा दिया जाएगा)

दिनांक :

ठेकेदार के हस्ताक्षर :

साक्षी:

डाक पता

पेशा:

स्वीकार

उपरोक्त निविदा (जैसा कि आपके द्वारा नीचे उल्लिखित पत्रों में संशोधित किया गया है) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष की ओर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा रु. _____ (रुपये _____) की राशि के लिए स्वीकार की जाती है।

नीचे उल्लिखित पत्र इस अनुबंध समझौते का हिस्सा होंगे:-

- (i)
- (ii)
- (iii)

अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से
हस्ताक्षर-----

पद का नाम-----

तारीख-----

I/We hereby declare that I/we shall treat the tender documents drawings and other records connected with the work as secret/confidential documents and shall not communicate information/derived there from to any person other than a person to whom I/we am/are authorised to communicate the same or use the information in any manner prejudicial to the safety of the State.

(* To be deleted which are not applicable)

A.A.I.

GCC6

Date :

Signatures of Contractor :

Witness:

Postal Address

Occupation:

ACCEPTANCE

The above tender (as modified by you as provided in the letters mentioned hereunder) is accepted by competent authority on behalf of the Chairman, Airports Authority of India for sum of Rs. _____ (Rupees _____).

The letters referred to below shall form part of this contract Agreement:-

- (i)
- (ii)
- (iii)

For & on behalf of Chairman, Airports
Authority of India

Signature-----

Designation-----

Date-----

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सामान्य नियम एवं निर्देश
General Rules & Directions

1.	सामान्य नियम दिशा निर्देश General Rules & Directions	अनुबंध द्वारा निष्पादन के लिए प्रस्तावित सभी कार्यों को निविदा आमंत्रण प्रपत्र में अधिसूचित कर सार्वजनिक स्थानों पर चिपका दिया जाता है /एनआईसीसीपीपी ~~पोर्टल/~~ जीईएम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अथवा समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा तथा एएआई वेबसाइट और एनआईसीसीपीपी पोर्टल http://etenders.gov.in पर पोस्ट किया गया हो। https://gem.gov.in और www.aai.aero (केवल संदर्भ के लिए)। इस फॉर्म में किए जाने वाले कार्य के बारे में बताया जाएगा, साथ ही निविदाएं जमा करने और खोलने की तिथि और कार्य करने के लिए दिया जाने वाला समय, साथ ही निविदा के साथ जमा की जाने वाली बयाना राशि, और सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली सुरक्षा जमा और प्रदर्शन गारंटी की राशि और बिलों से काटे जाने वाले प्रतिशत, यदि कोई हो, का विवरण होगा। निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी द्वारा पहचान के उद्देश्य से हस्ताक्षरित विनिर्देशों, डिजाइनों और रेखाचित्रों और कार्य के संबंध में आवश्यक किसी भी अन्य दस्तावेज की प्रतियां भी कार्यालय समय के दौरान निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी के कार्यालय में ठेकेदार द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी। All work proposed for execution by contract are notified in a form of invitation to tender pasted in public places ~~ANICPP~~ ~~Portal/~~ GeM Portal and signed by the officer inviting tender or by publication in Newspapers and posted on AAI web-site and ~~NIC CPP Portal~~ http://etenders.gov.in https://gem.gov.in and www.aai.aero (for reference only). This form will state the work to be carried out, as well as the date for submitting and opening tenders and the time allowed for carrying out the work, also the amount of earnest money to be deposited with the tender, and the amount of the security deposit and Performance guarantee to be deposited by the successful tenderer and the percentage, if any, to be deducted from bills. Copies of the specifications, designs and drawings and any other documents required in connection with the work signed for the purpose of identification by the officer inviting tender shall also be open for inspection by the contractor at the office of officer inviting tender during office hours.
2.		यदि फर्म द्वारा ई-टेंडर प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऐसी निविदा को हस्ताक्षरित निविदा माना जाएगा। भौतिक निविदा के लिए इसे उसके प्रत्येक भागीदार द्वारा अलग-अलग हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए या किसी भागीदार की अनुपस्थिति की स्थिति में, उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत करने वाले पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए, और यह प्रकट करना चाहिए कि फर्म भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1952 के तहत विधिवत पंजीकृत है। In the event of the e-tender being submitted by a firm, it must be digitally signed. Such tender will be treated as signed tender. For physical tender it must be signed separately by each partner thereof or in the event of the absence of any partner, it must be signed on his behalf by a person holding a power of attorney authorizing him to do so, such power of attorney to be produced with the tender, and it must disclose that the firm is duly registered under the Indian Partnership Act, 1952.



2. (ए)		संयुक्त उद्यम/संघ द्वारा प्रस्तुत निविदा के मामले में, प्रमुख भागीदार को परिभाषित करने वाले निर्दिष्ट प्रोफार्मा में संयुक्त उद्यम/संघ समझौते की एक प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रमुख भागीदार को कार्यों के संबंध में सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना होगा। प्रमुख भागीदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या फर्म द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा। In case of the tender submitted by a Joint Venture / Consortium, a copy of joint venture / consortium agreement in the specified proforma defining the lead partner should be submitted. The lead partner shall sign all the documents in respect of the works. The documents signed by any other person or firm other than the lead partner shall not be entertained.
3.		किसी फर्म द्वारा निष्पादित किए जाने पर, कार्य के लिए किए गए भुगतान की रसीदों पर सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहां ठेकेदारों को उनके टेंडर में फर्म के रूप में वर्णित किया गया है, ऐसी स्थिति में रसीदों पर फर्म के नाम से भागीदारों में से किसी एक द्वारा या फर्म के लिए प्रभावी रसीदें देने के लिए उचित प्राधिकार रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। बैंक हस्तांतरण के माध्यम से फर्म को भुगतान के लिए सभी भागीदारों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन के माध्यम से बैंक विवरण फर्म द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। Receipts for payment made on account of work, when executed by a firm, must also be signed by all the partners, except where contractors are described in their tender as a firm, in which case the receipts must be signed in the name of the firm by one of the partners, or by some other person having due authority to give effectual receipts for the firm. Bank details shall be furnished by the firm through an application duly signed by all partners for payment to the firm through bank transfer.
4.	केवल आइटम दर निविदा के लिए लागू. Applicable for item Rate Tender only.	कोई भी व्यक्ति जो निविदा प्रस्तुत करता है, उसे सामान्य मुद्रित प्रपत्र भरना होगा, जिसमें यह बताया होगा कि वह किस दर पर कार्य के प्रत्येक आइटम को करने के लिए तैयार है। निविदाकर्ता, जो निविदा आमंत्रण के उक्त प्रपत्र में निर्दिष्ट कार्य में या कार्य करने के लिए अनुमत समय में कोई परिवर्तन प्रस्तावित करते हैं, या जिनमें सशर्त छूट सहित किसी भी प्रकार की कोई अन्य शर्तें शामिल हैं, उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी भी एकल निविदा में एक से अधिक कार्य शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो ठेकेदार दो या अधिक कार्यों के लिए निविदा देना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक के लिए अलग-अलग निविदा प्रस्तुत करनी होगी। निविदा के लिफाफे पर उन कार्यों का नाम और संख्या लिखी होगी, जिनका वे उल्लेख करते हैं। ~~Any person who submits a tender shall fill up the usual printed form, stating at what rate he is willing to undertake each item of the work.~~ Tenderers, which propose any alteration in the work specified in the said form of invitation to tender, or in the time allowed for carrying out the work, or which contain any other conditions of any sort, including conditional rebates, will be summarily rejected. No single tender shall include more than one work, but contractors who wish to tender for two or more works shall submit separate tender for each. Tender shall have the name and number of the works to which they refer, written on the envelopes. दर(दरें) दशमलव मुद्रा में उद्धृत की जानी चाहिए। 50 पैसे को अनदेखा करके तथा 50 पैसे से अधिक को एक रुपया मानकर राशि को पूरे रुपए में उद्धृत किया जाना चाहिए। The rate(s) must be quoted in decimal coinage. Amount must be quoted in full Rupees by ignoring 50 paise and considering more than 50 paise as Rupee one. यदि दो या अधिक ठेकेदारों की न्यूनतम निविदा राशि (व्यक्तिगत मदों की उद्धृत दर के आधार पर गणना की गई) समान है, तो ऐसे न्यूनतम ठेकेदारों को सभी उप-खंडों/उप-शीर्षों के लिए मात्रा अनुसूची के प्रत्येक मद की संशोधित दर उद्धृत करते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन सभी उप-खंडों/उप-शीर्षों के लिए मात्रा अनुसूची के प्रत्येक मद की संशोधित उद्धृत दर निविदा प्रस्तुत करने के समय पहले से उद्धृत उनकी संबंधित मूल दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। संशोधित प्रस्ताव के आधार पर न्यूनतम निविदा का निर्णय लिया जाएगा। In case the lowest tendered amount (worked out on the basis of quoted rate of Individual items) of two or more contractors is same, then such lowest contractors will be asked to submit revised offer quoting rate of each item of the schedule of quantity for all sub sections/sub heads as the case may be, but the revised quoted rate of each item of schedule of quantity for all sub sections/sub

		heads should not be higher than their respective original rate quoted already at the time of submission of tender. The lowest tender shall be decided on the basis of revised offer. यदि संशोधित प्रस्ताव में प्राप्त दो या अधिक ठेकेदारों की संशोधित निविदा राशि (व्यक्तिगत वस्तुओं की उद्धृत दर के आधार पर गणना की गई) फिर से बराबर पाई जाती है, तो ऐसे ठेकेदारों के बीच सबसे कम निविदा का निर्णय संयुक्त महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) / उप महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) / सहायक महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) / वरिष्ठ प्रबंधक (इंजीनियरिंग) प्रमुख और लघु घटक(ओं) के कार्य के प्रभारी और सबसे कम ठेकेदारों की उपस्थिति में लॉटरी द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने अपनी निविदाओं की समान राशि उद्धृत की है। If the revised tendered amount (worked out on the basis of quoted rate of individual items) of two or more contractors received in revised offer is again found to be equal, then the lowest tender, among such contractors, shall be decided by draw of lots in the presence of Jt. GM (Engg)/ DGM (Engg)/ AGM (Engg)/ Sr Manager (Engg) in-Charge of major and minor component(s) work and the lowest contractors those have quoted equal amount of their tenders. यदि कोई ऐसा न्यूनतम ठेकेदार अपने संशोधित प्रस्ताव में किसी वस्तु की दर निविदा प्रस्तुत करने के समय पहले उद्धृत की गई उनकी मूल दर से अधिक उद्धृत करता है, तो ऐसा संशोधित प्रस्ताव अमान्य माना जाएगा। न्यूनतम ठेकेदार के संशोधित प्रस्ताव या न्यूनतम ठेकेदार द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से इनकार करने के मामले को स्वीकृति से पहले उसकी निविदा वापस लेने के रूप में माना जाएगा और उसकी बयाना राशि का 50% जब्त कर लिया जाएगा। In case of any such lowest contractor in his revised offer quotes rate of any item more than their respective original rate quoted earlier at the time of submission of tender, then such revised offer shall be treated invalid. Such case of revised offer of the lowest contractor or case of refusal to submit revised offer by the lowest contractor shall be treated as withdrawal of his tender before acceptance and 50% of his earnest money shall be forfeited. यदि सभी न्यूनतम ठेकेदार, जिनकी निविदा राशि समान है (व्यक्तिगत वस्तुओं की उनकी उद्धृत दर के परिणामस्वरूप), संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से इनकार करते हैं, तो प्रत्येक न्यूनतम ठेकेदार की 50% ईएमडी जब्त करने के बाद निविदाएं वापस ली जाएंगी। In case all the lowest contractors those have same tendered amount (as a result of their quoted rate of individual items), refuse to submit revised offers, then tenders are to be recalled after forfeiting 50% of EMD of each lowest contractors. ऐसे ठेकेदार, जिनकी बयाना राशि संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत न करने, या किसी वस्तु की संशोधित दर, बोली प्रस्तुत करते समय पहले से उद्धृत मूल दर से अधिक उद्धृत करने के कारण जब्त कर ली गई हो, को कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। Contractor, whose earnest money is forfeited because of non-submission of revised offer, or quoting higher revised rate(s) of any item(s) than their respective original rate quoted already at the time of submission of his bid shall not be allowed to participate in the retendering process of the work. नोट: जब तक सॉफ्टवेयर उपरोक्त प्रावधानों का समर्थन करता है, तब तक निविदाकारों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे और "निविदाओं के प्रतिबंधित आह्वान" के लिए निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा (ई-निविदाओं के लिए)। Note: Till the time software supports the above provisions, revised offers from tenderers forming the tie shall be obtained and procedure prescribed for "Restricted call of tenders" shall be adopted (for e-tenders).
4. (ए)	केवल प्रतिशत दर निविदा के लिए लागू	प्रतिशत दर निविदाओं के मामले में, निविदाकर्ता सामान्य मुद्रित फॉर्म भरेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि अनुसूची-ए में मात्राओं की अनुसूची में दी गई कुल अनुमति लागू से कितने प्रतिशत नीचे/ऊपर (आंकड़ों के साथ-साथ शब्दों में) पर वह काम को निष्पादित करने के लिए तैयार होगा। प्रस्तुत निविदा को अमान्य माना जाएगा यदि;



	Applicable for Percentage Rate Tender only.	1. ठेकेदार निविदा की कुल राशि या निविदा के किसी भी खंड/उप-शीर्ष पर ऊपर/नीचे प्रतिशत उद्धृत नहीं करेगा। 2. निविदा की कुल राशि या निविदा के किसी भी खंड/उपशीर्ष पर ऊपर/नीचे का प्रतिशत अंकों और शब्दों में उद्धृत नहीं किया गया है। 3. ऊपर/नीचे उद्धृत प्रतिशत निविदा की कुल राशि या निविदा के किसी भी खंड/उप-शीर्ष पर अंकों और शब्दों में भिन्न है। वे निविदाएं, जो निविदा आमंत्रण के उक्त प्रारूप में निर्दिष्ट कार्य में या कार्य को पूरा करने के लिए दी गई समयावधि में कोई परिवर्तन प्रस्तावित करती हैं, या जिनमें सशर्त छूट सहित किसी भी प्रकार की कोई अन्य शर्तें शामिल होती हैं, उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी भी एकल निविदा में एक से अधिक कार्य शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो ठेकेदार दो या अधिक कार्यों के लिए निविदा देना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक के लिए अलग-अलग निविदा प्रस्तुत करनी होगी। निविदा के लिए फीफ पर उन कार्यों का नाम और संख्या लिखी होगी, जिनका वे उल्लेख करते हैं। यदि दो या अधिक बोलीदाताओं की न्यूनतम निविदा राशि (अनुमानित लागत + प्रतिशत के आधार पर ऊपर/नीचे काम की गई राशि) समान है, तो ऐसे न्यूनतम बोलीदाताओं को पत्र के रूप में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें सभी उप-खंडों/उप-शीर्षों सहित निविदा की अनुमानित लागत पर ऊपर/नीचे प्रतिशत का उल्लेख हो, लेकिन निविदा लागत पर या प्रत्येक उप-खंड/उप-शीर्ष पर ऊपर/नीचे उद्धृत संशोधित प्रतिशत निविदा प्रस्तुत करने के समय उद्धृत प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। संशोधित प्रस्तावों के आधार पर न्यूनतम निविदा का निर्णय लिया जाएगा। यदि इनमें से कोई भी ठेकेदार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से इनकार करता है, तो इसे स्वीकृति से पहले उसकी निविदा वापस लेने के रूप में माना जाएगा और बयाना राशि का 50% जब्त कर लिया जाएगा। यदि संशोधित प्रस्ताव में प्राप्त दो और बोलीदाताओं की संशोधित निविदा राशि फिर से समान पाई जाती है, तो ऐसे बोलीदाताओं में से सबसे कम बोली का निर्णय कार्य के प्रभारी संयुक्त महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग)/उप महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग)/ महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग)/वरिष्ठ प्रबंधक (इंजीनियरिंग) तथा सबसे कम बोली लगाने वाले बोलीदाताओं, जिन्होंने अपनी निविदाओं की समान राशि उद्धृत की है, की उपस्थिति में लॉटरी द्वारा किया जाएगा। यदि सभी सबसे कम बोली लगाने वाले, जिन्होंने समान निविदा राशि उद्धृत की है, संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से इनकार करते हैं, तो प्रत्येक बोलीदाता की 50% ईएमडी जब्त करके निविदाएं वापस ली जाएंगी। जिन बोलीदाताओं की बयाना राशि संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के कारण जब्त कर ली गई है, उन्हें कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नोट: जब तक सॉफ्टवेयर उपरोक्त प्रावधानों का समर्थन करता है, तब तक टाई बनाने वाले निविदाकर्ताओं से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे और "निविदाओं के प्रतिबंधित आह्वान" के लिए निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। In case of Percentage Rate Tenders, tenderer shall fill up the usual printed form, stating at what percentage below/above (in figures as well as in words) the total estimated cost given in Schedule of Quantities at Schedule-A, he will be willing to execute the work. The tender submitted shall be treated as invalid if; 1. The contractor dose not quote percentage above/below on the total amount of tender or any section/sub-head of the tender. 2. The percentage above/below is not quoted in figures & words both on the total amount of tender or any section/sub-head of the tender. 3. The percentage quoted above/below is different in figures and words on the total amount of tender or any section/sub-head of the tender. Tenders, which propose any alteration in the work specified in the said form of invitation to tender, or in the time allowed for carrying out the work, or which contain any other conditions of any sort including conditional rebates, will be summarily rejected. No single tender shall include more than one work, but contractors who wish to tender for two or more works shall submit separate tender for each. Tender shall have the name and number of the works to which they refer, written on the envelopes. In case the lowest tendered amount (estimated cost + amount worked on the basis of percentage above/below) of two or more bidders is same, such lowest bidders will be asked to submit revised offer in the form of letter mentioning percentage
--	---	---



		above/ below on estimated cost of tender including all sub sections/sub heads as the case may be, but the revised percentage quoted above/below on tendered cost or on each sub section/ sub head should not be higher than the percentage quoted at the time of submission of tender. The lowest tender shall be decided on the basis of revised offers. In case any of such contractor refuses to submit revised offer, then it shall be treated as withdrawal of his tender before acceptance and 50% of earnest money shall be forfeited. If the revised tendered amount of two more bidders received in revised offer is again found to be equal, the lowest tender, among such bidders, shall be decided by draw of lots in the presence of Jt. GM (Engg)/ DGM (Engg)/ AGM (Engg)/ Sr Manager (Engg) in-Charge of work & the lowest bidders those who have quoted equal amount of their tenders. In case all the lowest bidders those have quoted same tendered amount, refuse to submit revised offers, then tenders are to be recalled after forfeiting 50% of EMD of each bidder. Bidders, whose earnest money is forfeited because of non-submission of revised offer, shall not be allowed to participate in the re-tendering process of the work. Note: Till the time software supports the above provisions, revised offers from tenderers forming the tie shall be obtained and procedure prescribed for "Restricted call of tenders" shall be adopted.
4. (बी)		यदि दो या अधिक ठेकेदारों की न्यूनतम निविदा राशि (अनुमानित लागत $\pm$ प्रतिशत के आधार पर ऊपर/नीचे काम की गई राशि) समान है, तो ऐसे न्यूनतम ठेकेदार को पत्र के रूप में सीलबंद संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें सभी उप-खंड/उप-शीर्षों सहित निविदा की अनुमानित लागत पर ऊपर/नीचे प्रतिशत का उल्लेख हो, लेकिन निविदा लागत पर या प्रत्येक उप-खंड/उप-शीर्ष पर ऊपर/नीचे उद्धृत संशोधित प्रतिशत निविदा प्रस्तुत करने के समय उद्धृत प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। संशोधित प्रस्तावों के आधार पर न्यूनतम निविदा का निर्णय लिया जाएगा। यदि कोई भी ठेकेदार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से इनकार करता है, तो इसे स्वीकृति से पहले ही उसकी निविदा वापस लेने के रूप में माना जाएगा और बयाना राशि का 50% जब्त कर लिया जाएगा। यदि संशोधित प्रस्तावों में प्राप्त दो और ठेकेदारों की संशोधित निविदा राशि फिर से समान पाई जाती है, तो ऐसे ठेकेदारों के बीच निम्नतम निविदा का निर्णय, कार्य के प्रमुख और लघु घटक(ओं) के प्रभावी संयुक्त महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग)/उप महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग), सहायक महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग)/सहायक महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) तथा सबसे कम बोली लगाने वालों, जिन्होंने अपनी निविदाओं की समान निविदा राशि उद्धृत की है, की उपस्थिति में लॉटरी द्वारा किया जाएगा। यदि न्यूनतम दर वाले सभी ठेकेदार, जिन्होंने समान निविदा राशि उद्धृत की है, संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से इनकार करते हैं, तो प्रत्येक बोलीदाता की 50% ईएमडी जब्त करके निविदाएं वापस ली जाएंगी। जिन बोलीदाताओं की बयाना राशि संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के कारण जब्त कर ली गई है, उन्हें कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5.		निविदा आमंत्रित करने वाला अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, उस समय उपस्थित किसी भी इच्छुक बोलीदाता की उपस्थिति में निविदाएं खोलेगा, तथा विभिन्न निविदाओं की राशियों को उपयुक्त प्रारूप में तुलनात्मक विवरण में दर्ज करेगा। निविदा स्वीकार किए जाने की स्थिति में, उसके बाद बयाना राशि की रसीद ठेकेदार को दी जाएगी, जो उसके बाद पहचान के उद्देश्य से नियम-1 में उल्लिखित विनिर्देशों और अन्य दस्तावेजों की प्रतियों पर हस्ताक्षर करेगा। यदि निविदा अस्वीकृत हो जाती है तो बयाना राशि बिना किसी ब्याज के ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। The officer inviting tender or his duly authorized representative, will open tenders in the presence of any intending bidders who may be present at the time, and will enter the amounts of the several tenders in a comparative statement in a suitable form. In the event of a tender being accepted, a receipt for the earnest money shall thereupon be given to the contractor who shall thereupon for the purpose of identification sign copies of the specifications and other documents mentioned in Rule – I. In the event of a tender being rejected, the earnest money shall thereupon be returned to the contractor remitting the same, without any interest.
6.		निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी को सभी या किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार होगा तथा वह न्यूनतम या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। The officer inviting tenders shall have the right of rejecting all or any of the



		tenders and will not be bound to accept the lowest or any other tender.
7.		बोलीदाता द्वारा निविदा शुल्क के रूप में भुगतान की गई किसी धनराशि के लिए लेखाकार या लिपिक द्वारा दी गई रसीद को निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी को किसी प्रकार की पावती या भुगतान नहीं माना जाएगा तथा बोलीदाता यह देखने के लिए जिम्मेदार होगा कि वह निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी या विधिवत् प्राधिकृत कैशियर द्वारा हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त करता है। The receipt of an accountant or clerk for any money paid by the bidder towards tender fee will not be considered as any acknowledgement or payment to the officer inviting tender and the bidder shall be responsible for seeing that he procures a receipt signed by the officer inviting tender or a duly authorised cashier.
8.		निविदा प्रपत्र जारी होने से पहले निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी के कार्यालय में निविदा के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य का ज्ञापन तथा विभाग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की अनुसूची तथा उनकी निर्गम दरें भरी जानी चाहिए। यदि इच्छुक बोलीदाता को बिना भरे तथा अपूर्ण प्रपत्र जारी किया जाता है, तो उसे अधिकारी से अनुरोध करना चाहिए कि वह अपनी निविदा पूरी करने तथा उसे सौंपने से पहले यह कार्य कर ले। The memorandum of work tendered for and the schedule of materials to be supplied by the department and their issue-rates, shall be filled and completed in the office of the officer inviting tender before the tender form is issued. If a form is issued to an intending bidder without having been so filled in and incomplete, he shall request the officer to have this done before he completes and delivers his tender.
9.		बोलीदाताओं को उन्हें दिए गए कार्य से संबंधित निविदा दस्तावेजों, रेखाचित्रों या अन्य अभिलेखों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अधिकारियों की गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत एक घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा। असफल बोलीदाताओं को उन्हें दिए गए सभी रेखाचित्र वापस करने होंगे। The bidders shall sign a declaration under the official Secret Act 1923, for maintaining secrecy of the tender documents drawings or other records connected with the work given to them. The unsuccessful bidders shall return all the drawings given to them.
9(ए).		टेंडर दस्तावेज में कहीं भी सुधारात्मक द्रव का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ऐसी निविदा अस्वीकार की जा सकती है। यदि कोई सुधार है तो उसे सीधी रेखा में काटा जाना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा मौखिक निविदाओं के मामले में उद्धृत सभी दरों पर सेलो टेप लगाया जाना चाहिए। Use of correcting fluid anywhere in tender document is not permitted. Such tender is liable for rejection. If there is any correction it should be cut with a straight line and should be initialed and cello tape to be provided on all the rates quoted in case of physical tenders
10.	केवल आइटम दर निविदा के लिए लागू Applicable for Item Rate Tender Only.	मद दर निविदाओं के मामले में, केवल उद्धृत दरों पर ही विचार किया जाएगा। उद्धृत दरों से कम/अधिक प्रतिशत वाली कोई भी निविदा अस्वीकार की जा सकती है। मद दर निविदा में बोलीदाता द्वारा अंकों और शब्दों में उद्धृत दरें सही-सही भरी जानी चाहिए ताकि अंकों और शब्दों में लिखी गई दरों में कोई विसंगति न हो। हालाँकि, In the case of Item Rate Tenders, only rates quoted shall be considered. Any tender containing percentage below / above the rates quoted is liable to be rejected. Rates quoted by the bidder in item rate tender in figures and words shall be accurately filled in so that there is no discrepancy in the rates written in figures and words. However, i. बोलीदाता द्वारा निर्धारित राशि के अनुरूप दरें ही सही मानी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए। if a discrepancy is found between rates in figures and in words, then the rates which correspond with the amount worked out by the bidder shall unless otherwise proved be taken as correct. ii. यदि किसी वस्तु की राशि बोलीदाता द्वारा निर्धारित नहीं की गई है या वह अंकों या शब्दों में लिखी गई दरों से मेल नहीं खाती है, तो ठेकेदार द्वारा शब्दों में उद्धृत दरें ही सही मानी जाएंगी। If the amount of an item is not worked out by the bidder or it does not correspond with the rates written either in figures or in words, then the rates quoted by the contractor in words shall be taken as correct.



		iii. बोलीदाता द्वारा अंकों और शब्दों में उद्धृत दरें मेल खाती हैं, लेकिन राशि सही ढंग से नहीं निकाली गई है, तो ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरें ही सही मानी जाएंगी, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए, न कि राशि। Where the rates quoted by the bidder in figures and in words tally, but the amount is not worked out correctly, the rates quoted by the contractor will unless otherwise proved be taken as correct and not the amount. iv. यदि किसी मद के लिए कोई दर उद्धृत नहीं की गई है तथा अंक और शब्द दोनों में स्थान रिक्त छोड़ दिया गया है या अंक और शब्द में उद्धृत दर को रद्द कर दिया गया है, लेकिन मद से संबंधित राशि बोलीदाता द्वारा निकाल ली गई है और कुल योग में जोड़ दी गई है, तो मद की दर, ठेकेदार द्वारा ऐसी मद के लिए उद्धृत राशि से निकाली जाएगी। In event no rate has been quoted for any item(s) leaving space blank both in figure(s) and word(s) or cancelled the quoted rate in figure(s), and word(s) but the amount corresponding to the item(s) is worked out by the bidder and added to the grand total, then rate(s) of the item(s) shall be derived from the amount(s) quoted by the contractor against such item(s). v. यदि किसी मद के लिए कोई दर उद्धृत नहीं की गई है, तथा आंकड़े, शब्द और राशि में स्थान रिक्त छोड़ दिया गया है, तो यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने इस/इन मद की लागत को अन्य मदों में शामिल कर लिया है तथा ऐसी मद के लिए दर शून्य मानी जाएगी तथा तदनुसार कार्य निष्पादित किया जाना अपेक्षित होगा। In event no rate has been quoted for any item(s), leaving space both in figure(s), word(s), and amount blank, it will be presumed that the bidder has included the cost of this/these item(s) in other items and rate for such item(s) will be considered as zero and work will be required to be executed accordingly. vi. ई-टेंडरिंग के मामले में उप पैरा 1 से 4 लागू नहीं होंगे। Sub Para i to iv above shall not be applicable in case of e-tendering.
	केवल प्रतिशत दर निविदा के लिए लागू। Applicable for percentage rate tender only .	प्रतिशत दर निविदाओं के मामले में केवल उद्धृत प्रतिशत पर ही विचार किया जाएगा। किसी भी निविदा में मद दर शामिल होने पर उसे अस्वीकार किया जा सकता है। प्रतिशत दर निविदा में बोलीदाता द्वारा उद्धृत प्रतिशत को अंकों और शब्दों में सटीकरूप से भरा जाना चाहिए, ताकि कोई विसंगति न हो। तथापि, यदि बोलीदाता ने निविदा की राशि निर्धारित कर ली है और शब्दों व अंकों में उद्धृत प्रतिशत में कोई विसंगति पाई जाती है, i. बोलीदाता द्वारा निकाली गई राशि के अनुरूप प्रतिशत को, जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाए, सही माना जाएगा। ii. बोलीदाता द्वारा निविदा की राशि की गणना नहीं की गई है या वह अंकों या शब्दों में लिखे प्रतिशत के अनुरूप नहीं है, तो बोलीदाता द्वारा शब्दों में उद्धृत प्रतिशत को सही माना जाएगा। iii. बोलीदाता द्वारा आंकड़ों और शब्दों में उद्धृत प्रतिशत मेल खाता हो, लेकिन राशि सही ढंग से नहीं निकाली गई हो, तो बोलीदाता द्वारा उद्धृत प्रतिशत को, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए, सही माना जाएगा, न कि राशि को। In case of percentage Rate Tenders only percentage quoted shall be considered. Any tender containing item rates is liable to be rejected. Percentage quoted by the bidder in percentage rate tender shall be accurately filled in figures and words, so that there is no discrepancy. However, if the bidder has worked out the amount of the tender and if any discrepancy is found in the percentage quoted in words and figures, i. The percentage which corresponds with the amount worked out by the bidder shall, unless otherwise proved, be taken as correct. ii. If the amount of the tender is not worked out by the bidder or it does not correspond with the percentage written either in figures or in words, then the percentage quoted by the bidder in words shall be taken as correct. Where the percentage quoted by the bidder in figures and in words tally but the amount is not worked out correctly, the percentage quoted by the bidder will, unless otherwise proved, be taken as correct and not the amount.
11।		किसी भी निविदा के मामले में जहां किसी वस्तु/वस्तुओं की इकाई दर अवास्तविक प्रतीत होती है, ऐसी निविदा को असंतुलित माना जाएगा और यदि निविदाकर्ता संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ है, तो ऐसी निविदा को अयोग्य और अस्वीकार कर दिया जाएगा। In the case of any tender where unit rate of any item / items appear unrealistic,



		such tender will be considered as unbalanced and in case the tenderer is unable to provide satisfactory explanation, such a tender is liable to be disqualified and rejected.
12.	केवल आइटम दर निविदा के लिए लागू Applicable for Item Rate Tender only.	सभी दरें निविदा प्रपत्र पर उद्धृत की जानी चाहिए। प्रत्येक वस्तु के लिए राशि की गणना की जानी चाहिए तथा अपेक्षित योग दिया जाना चाहिए। दरों को अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी लिखने का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए तथा राशि को केवल अंकों में ही इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि उसमें अन्तराल संभव न हो। कुल राशि को अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखा जाना चाहिए। अंकों के मामले में, रुपये के अंक से पहले 'रु' शब्द लिखा जाना चाहिए तथा दशमलव अंकों के बाद 'पी' शब्द लिखा जाना चाहिए, जैसे '2.15 रुपये पी' तथा शब्दों के मामले में, पहले 'रुपये' शब्द लिखा जाना चाहिए तथा अंत में 'पैसे' शब्द लिखा जाना चाहिए। जब तक कि दर पूरे रुपये में न हो तथा उसके बाद 'केवल' शब्द न हो, तब तक यह हमेशा दो दशमलव स्थानों तक होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में दर उद्धृत करते समय, 'केवल' शब्द को राशि के ठीक बाद लिखा जाना चाहिए तथा इसे अगली पंक्ति में नहीं लिखा जाना चाहिए। All rates shall be quoted on the tender form. The amount for each item should be worked out and requisite totals given. Special care should be taken to write the rates in figures as well as in words and the amount in figures only, in such a way that interpolation is not possible. The total amount should be written both in figures and in words. In case of figures, the word 'Rs' should be written before the figure of rupees and word 'P' after the decimal figures, e.g. 'Rs. 2.15 P' and in case of words, the word 'Rupees' should precede and the word 'Paise' should be written at the end. Unless the rate is in whole rupees and followed by the word 'only' it should invariably be upto two decimal places. While quoting the rate in schedule of quantities, the word 'only' should be written closely following the amount and it should not be written in the next line.
12(ए).	केवल प्रतिशत दर निविदा के लिए लागू Applicable for percentage rate tender only.	प्रतिशत दर निविदा में, निविदाकर्ता को उस प्रतिशत का उल्लेख करना होगा जो उससे कम/अधिक (अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी) हो जिस पर वह कार्य निष्पादित करने के लिए तैयार होगा। उसे अपनी पेशकश की कुल राशि भी निकालनी होगी और उसे अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी इस तरह से लिखना होगा कि कोई जोड़-तोड़ संभव न हो। अंकों के मामले में, रुपये के अंक से पहले 'रुपये' शब्द लिखा जाना चाहिए और दशमलव अंकों के बाद 'पी' शब्द लिखा जाना चाहिए, जैसे '2.15 रुपये पी' और शब्दों के मामले में, पहले 'रुपये' शब्द लिखा जाना चाहिए और अंत में 'पैसे' शब्द लिखा जाना चाहिए। (ई-टेंडर में पैसे में दरें उद्धृत करना लागू नहीं है) In Percentage Rate Tender, the tenderer shall quote percentage below / above (in figures as well as in words) at which he will be willing to execute the work. He shall also work out the total amount of his offer and the same should be written in figures as well as in words in such a way that no interpolation is possible. In case of figures, the word 'Rs' should be written before the figure of rupees and work 'P' after the decimal figures, e.g. 'Rs. 2.15 P' and in case of words, the word 'Rupees' should precede and the word 'Paise' should be written at the end. • (quoting of rates in Paise is not applicable in e-tenders)



13	असामान्य रूप से स्वीकृति कम उद्धृत बोली (पूँजी एवं राजस्व व्यय अनुबंध) Acceptance of abnormally low quoted bid (Capital & Revenue Expenditure Contract)	असामान्य रूप से कम बोली वह होती है जिसमें बोली की कीमत, बोली के अन्य तत्वों के साथ मिलकर इतनी कम लगती है कि यह बोलीदाता की प्रस्तावित कीमत पर अनुबंध निष्पादित करने की क्षमता के बारे में भौतिक चिंताएँ उत्पन्न करती है। ऐसी बोली का प्रसंस्करण इस प्रकार किया जाएगा: - बोली प्रबंधक, निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के अनुमोदन से न्यूनतम बोलीदाता से लिखित स्पष्टीकरण मांगेगा, जिसमें बोली मूल्य का दायरा, अनुसूची, संसाधन जुटाना, जोखिम और जिम्मेदारियों का आवंटन तथा बोली दस्तावेज की अन्य आवश्यकताओं के संबंध में विस्तृत मूल्य विश्लेषण शामिल होगा। - यदि मूल्य विश्लेषण का मूल्यांकन करने के बाद निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि बोलीदाता प्रस्तावित मूल्य पर अनुबंध प्रदान करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने में काफी हद तक विफल रहा है, तो बोली/प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है। - ऐसे अनुबंधों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि ऐसे मामलों में अंतिम भुगतान अतिरिक्त वस्तुओं के कारण असामान्य रूप से न बढ़ जाए। इसके अलावा, उन वस्तुओं की मात्रा में कोई असामान्य वृद्धि नहीं होनी चाहिए जिनके लिए ठेकेदारों ने शुरू में बहुत अधिक दरें उद्धृत की हैं। An Abnormally Low Bid is one in which the Bid price, in combination with other elements of the Bid, appears so low that it raises material concerns as to the capability of the Bidder to perform the contract at the offered price. Processing of such bid shall be as follows: - The Bid Manager shall seek written clarifications from the lowest Bidder with approval of the tender accepting authority, including detailed price analyses of its Bid price in relation to scope, schedule, resource mobilization, allocation of risks and responsibilities, and any other requirements of the bids document. - If, after evaluating the price analyses, the Tender Accepting Authority determines that the Bidder has substantially failed to demonstrate its capability to deliver the contract at the offered price, then the bid/ proposal may be rejected. Such contracts should be closely monitored that final payments in such cases do not abnormally increases due to extra items. Further, there is no abnormal increase in quantities of the item for which contractors have initially quoted very high rates.
13ए		हटाए गए DELETED
14		- बोलीदाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाती है, को अनुसूची एफ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर निविदा राशि का 5% (पांच प्रतिशत) निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यह गारंटी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार किसी भी अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद या गारंटी बांड के रूप में होगी, लेकिन सहकारी या ग्रामीण बैंक नहीं, बशर्ते पुष्टिकरण संलग्न हो। - जिस बोलीदाता की निविदा स्वीकार की जाती है, उसे अपने अनुबंध की पूर्ति के लिए कार्य की अनुबंध राशि के 5% के बराबर राशि सुरक्षा जमा के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। - ऐसे कार्यों में जहां निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त लागू नहीं होती है, वहां निविदा मूल्य का 10% सुरक्षा जमा राशि काट ली जाएगी। - सुरक्षा जमा (उपर्युक्त ii एवं iii के अंतर्गत) ठेकेदार के चालू बिलों से ऊपर उल्लिखित दरों पर कटौती करके एकत्र की जाएगी तथा निविदाओं के समय जमा की गई बयाना राशि को सुरक्षा जमा का एक भाग माना जाएगा। - किसी भी अनुसूचित बैंक (सहकारी या ग्रामीण बैंक नहीं) की सावधि जमा रसीदों/गारंटी-बांड के रूप में भी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार स्वीकार की जाएगी, बशर्ते पुष्टिकरण सूचना संलग्न हो। - The bidder, whose tender is accepted, will be required to furnish performance guarantee of 5% (Five Percent) of the tendered amount within the period specified in Schedule F. This guarantee shall be in the form of Fixed Deposit Receipts or Guarantee Bonds of any Scheduled Bank but not co-operative or Gramin Bank, in accordance with the prescribed form, provided confirmatory advice is enclosed.



		ii. The bidder, whose tender is accepted, will also be required to furnish by way of Security Deposit for the fulfillment of his contract, an amount equal to 5% of the contract amount of the work. iii. In works where condition of submission of Performance Guarantee is not applicable, the security deposit at 10% of the tendered value shall be deducted. iv. The Security deposit (under ii & iii above) will be collected by deductions from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and the earnest money deposited at the time of tenders, will be treated as a part of the Security Deposit. v. Security deposit will also be accepted in form of Fixed Deposit Receipts / Guarantee Bonds of any Scheduled Bank but not co-operative or Gramin Bank in accordance with the prescribed form, provided confirmatory advice is enclosed.
15.		निविदा स्वीकृत होने पर, ठेकेदार के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि(यों) का नाम, जो प्रभारी इंजीनियर से निर्देश लेने के लिए जिम्मेदार होगा, प्रभारी इंजीनियर को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। On acceptance of the tender, the name of the accredited representative(s) of the contractor who would be responsible for taking instructions from the Engineer-in-Charge shall be communicated in writing to the Engineer-in-Charge.
16.		1. पार्टियों द्वारा उद्धृत की जाने वाली दरों में जीएसटी, किसी भी कानून के तहत लगाए गए सभी कर, शुल्क, उपकर, फीस, रॉयल्टी शुल्क आदि शामिल होने चाहिए, लेकिन सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी शामिल नहीं होना चाहिए। 2. एजेंसी द्वारा एएआई को प्रदान की गई किसी भी कर योग्य आपूर्ति / सेवा / निर्माण के लिए ठेकेदार को अनुबंध की शर्तों के अनुसार वैध जीएसटी चालान के आधार पर भुगतान किया जाएगा। 3. यदि आपूर्ति/सेवाओं/कार्यों में आयात शामिल है; तो उसे अलग से पहचाना जाना चाहिए। मूल सीमा शुल्क और IGST का भुगतान AAI द्वारा भारत सरकार की भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS) के तहत EPCG लाइसेंस/ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग करके सीधे किया जाएगा। 1. Rates to be quoted by the parties, should be inclusive of GST, all taxes, duties, CESS, fee, royalty charges etc. levied under any statute but exclusive of GST for all the items. 2. Payments shall be made to the contractor for any taxable supply / services / construction rendered by the agency to AAI, against a valid GST invoice as per terms and conditions of the contract. 3. In case supplies/ services/ works involve imports; the same should be identified separately. Basic Custom Duty and IGST will be paid directly by AAI by utilizing EPCG license/ Duty Credit Scrip under Service Export from India Scheme (SEIS) of Govt. of India.
17.		ठेकेदार/ बोलीदाता को अपने से संबंधित एएआई कर्मचारियों की सूची देनी होगी। The contractor/ bidder shall give a list of AAI employees related to him.
18.		कार्य के लिए निविदा की गवाही ऐसे ठेकेदार या ठेकेदारों/ बोलीदाताओं द्वारा नहीं दी जाएगी, जिन्होंने स्वयं निविदा दी है या जिन्होंने उसी कार्य के लिए निविदा दी है। इस शर्त का पालन न करने पर, निविदा देने वाले ठेकेदारों की निविदाएं, साथ ही निविदा की गवाही देने वाले ठेकेदारों की निविदाएं, संक्षिप्त अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगी। The tender for the work shall not be witnessed by a contractor or contractors/bidders who himself / themselves has / have tendered or who may and has / have tendered for the same work. Failure to observe this condition would render, tenders of the contractors tendering, as well as witnessing the tender, liable to summary rejection.



19.		समग्र कार्य के लिए निविदा में भवन निर्माण कार्य के अतिरिक्त, अन्य सभी कार्य जैसे स्वच्छता और जलापूर्ति स्थापना, जल निकासी स्थापना, विद्युत कार्य, बागवानी कार्य, सड़क और पथ आदि शामिल हैं। निविदाकर्ता उपयुक्त वर्ग का पंजीकृत ठेकेदार (बी एंड आर) होने के अलावा, स्वयं को उपयुक्त वर्ग की एजेंसियों के साथ संबद्ध करना चाहिए जो समग्र निविदा में स्वच्छता और जल आपूर्ति जल निकासी, विद्युत और बागवानी कार्यों के लिए निविदा करने के लिए पात्र हैं। The tender for composite work includes, in addition to building work, all other works such as sanitary and water supply installations drainage installation, electrical work, horticulture work, roads and paths etc. The tenderer apart from being a registered contractor (B&R) of appropriate class, must associate himself with agencies of appropriate class which are eligible to tender for sanitary and water supply drainage, electrical and horticulture works in the composite tender
20.		ठेकेदार/ बोलीदाता को बोली लगाने की क्षमता का आकलन करने के लिए पिछले 5 वर्षों में पूर्ण किए गए कार्यों की सूची और साथ ही वर्तमान में चल रहे कार्यों की सूची निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी:- The contractor/ bidder shall submit list of works completed in last 5 years*as well as which are in hand (in progress) in the following format for assessing bidding capacity of the bidders:-

कार्य का नाम Name of work	कार्यालय का नाम और विवरण जहां कार्य निष्पादित किया जा रहा है Name and particulars of Office where work is being executed	काम का मूल्य Value of work	प्रगतिरत कार्यों की स्थिति Position of works in progress	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5

21		ठेकेदार/ बोलीदाता प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के प्रावधानों तथा समय-समय पर इसके अंतर्गत जारी नियमों और आदेशों का अनुपालन करेगा। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसकी विफलता अनुबंध का उल्लंघन मानी जाएगी और कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग) अपने विवेकानुसार, कानून में उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुबंध को रद्द कर सकते हैं। ठेकेदार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तीय देयता के लिए भी उत्तरदायी होगा। The contractor/bidder shall comply with the provisions of the Apprentices Act 1961, and the rules and orders issued there under from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of the contract and the Executive Director (Engg.) may in his discretion, without prejudice to any other right or remedy available in law, cancel the contract. The contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.
22		यदि कार्य के लिए सम्पूर्ण स्थल उपलब्ध है, तो कार्य अनुबंध की विशेष शर्तों और एनआईटी विनिर्देशों में यहां निर्दिष्ट तरीके से पूरा किया जाएगा। If complete site is available for work, the work shall be completed in the manner specified here in special condition of contract and NIT specifications. नोट: ऐसे मामले में एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा नीचे पैरा 23 को हटाया जा सकता है Note: In such case para 23 below may be deleted by NIT approving authority
23		यदि कार्य आरंभ करने के लिए पूरी साइट उपलब्ध नहीं है, तो उसे चरणों में उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक चरण में शामिल कार्य का दायरा, प्रत्येक चरण में कार्य पूरा करने का समय और चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किए गए कार्य को अपने हाथ में लेने की कार्यप्रणाली अनुबंध की विशेष शर्तों के तहत निर्दिष्ट की गई है। प्रत्येक चरण के लिए पूरा होने का समय निविदा दस्तावेजों में दर्शाए अनुसार लागू होगा। कार्य को चरणबद्ध तरीके से प्रभारी अभियंता द्वारा भी अपने हाथ में लिया जाएगा। प्रत्येक चरण में निष्पादित कार्यों के लिए वारंटी व्यक्तिगत चरण के पूरा होने/अधिग्रहण की तिथि से स्वतंत्र रूप से लागू होगी। complete site is not available for taking up the work, the same shall be made available in phases. The scope of work covered in each phase,time for completion

		of work in each phase and methodology of taking over completed work in phased manner has been specified under special conditions of contract. The completion time for each phase shall be applicable as indicated in tender documents. The work shall also be taken over by Engineer-In-Charge in phases. The warranty for the works executed in each phase shall be applied independently w.e.f. date of completion/taking over of individual phase. नोट: ऐसे मामले में एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त पैरा 22 को हटाया जा सकता है Note: In such case para 22 above may be deleted by NIT approving authority
--	--	---



अनुबंध की शर्तें

CONDITIONS OF CONTRACT

परिभाषाएँ :

Definitions :

1.	संविदा का तात्पर्य निविदा और उसकी स्वीकृति से संबंधित दस्तावेजों तथा अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और ठेकेदार की ओर से सक्षम प्राधिकारी(यों) के बीच निष्पादित औपचारिक करार से है, साथ ही इसमें संदर्भित दस्तावेज जिनमें ये शर्तें, विनिर्देश, डिजाइन, चित्र और प्रभारी अभियंता द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश शामिल हैं तथा इन सभी दस्तावेजों को एक साथ लेने पर एक संविदा/ दो-संविदाएं-मानी-जाएंगी-और ये एक दूसरे के पूरक होंगे। ठेकेदार-को-दो-समझौतों-पर-हस्ताक्षर-करने-होंगे, एक-सिविल-कार्यों-के-लिए-बीओक्यू-और-दूसरा-एसआईटीसी-और ओएंडएम/एएमसी/एआईसीएमसी-भाग-के-लिए-दोनों-समझौतों-के-लिए-प्रभारी-इंजीनियर-एक-ही-हो-सकते-हैं।-एजेंसी-को सिविल/निर्माण-कार्यों-और-एसआईटीसी/ओएंडएम/एआईसीएमसी/एएमसी-कार्यों-के-लिए-अलग-अलग-चालान-जारी-करने होंगे, ताकि-एआई-को-अनुसूची-‘एफ’-पैरा-2-(वी)-में-उल्लिखित-ऐसे-एसआईटीसी/ओएंडएम/एआईसीएमसी/एएमसी-कार्यों पर-इन्पुट-टेक्स-क्रेडिट-का-दावा-करने-में-सुविधा-हो। The contract means the documents forming the tender and acceptance thereof and the formal agreement executed between the competent authority(s) on behalf of the Chairman, Airports Authority of India and the Contractor, together with the documents referred to therein including these conditions, the specifications, designs, drawings and instructions issued from time to time by the Engineer-in-Charge and all these documents taken together, shall be deemed to form one contract/ two-contracts and shall be complimentary to one another. ~~Contractor has to sign two agreements, one consisting BOQ for Civil Works and another one for SITC and O&M / AMC/ AICMC part. Engineer-in-Charge could be common for both the agreements. Separate invoices for the civil/Construction works and SITC/O&M/AICMC/AMC works have to be raised by the agency referring to the respective agreements to facilitate AAI to claim input tax credit on such SITC/O&M/AICMC/AMC works as mentioned in Schedule ‘F’ para 2 (v).~~
2.	अनुबंध में, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें दिए गए हैं:- In the contract, the following expressions shall, unless the context otherwise requires, have the meanings, hereby respectively assigned to them :-
	“कार्य या कार्य” अभिव्यक्ति, जब तक कि विषय या संदर्भ में ऐसी रचना के प्रतिकूल कुछ न हो, का अर्थ उस संविदा के आधार पर या उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य से लगाया जाएगा, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, और चाहे वह मूल हो, परिवर्तित हो, प्रतिस्थापित हो या अतिरिक्त हो - स्थल का तात्पर्य उस भूमि/या अन्य स्थान से होगा जिस पर, जिसके अन्दर या जिसके माध्यम से अनुबंध के अन्तर्गत कार्य निष्पादित किया जाना है या कोई समीपवर्ती भूमि, पथ या गली जिसके माध्यम से अनुबंध के अन्तर्गत कार्य निष्पादित किया जाना है या कोई समीपवर्ती भूमि, पथ या गली जिसे अनुबंध निष्पादित करने के प्रयोजन के लिए आवंटित या उपयोग किया जा सकता है। - ठेकेदार /निविदाकर्ता/बोलीदाता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी से होगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं, कार्य करने वाला संयुक्त उद्यम/संघ और इसमें ऐसे व्यक्ति या ऐसी फर्म या कंपनी का गठन करने वाले व्यक्तियों का कानूनी निजी प्रतिनिधि, या ऐसी फर्म या कंपनी के उत्तराधिकारी और ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी के अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे। - अध्यक्ष का तात्पर्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उनके उत्तराधिकारी से है। - प्रभारी अभियंता का तात्पर्य उस इंजीनियरिंग अधिकारी से है जो कार्य का पर्यवेक्षण करेगा तथा उसका प्रभारी होगा और जो अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष की ओर से अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। - एआई या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का तात्पर्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष से होगा। - सदस्य (योजना) से तात्पर्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख से है। - स्वीकारकर्ता प्राधिकारी का तात्पर्य अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित प्राधिकारी से होगा। - अपवादित जोखिम में दंगे (ठेकेदार के कर्मचारियों के कारण होने वाले जोखिमों को छोड़कर), युद्ध (घोषित हो या



		नहीं), आक्रमण, विदेशी शत्रुओं के कृत्य, शत्रुता, गृह युद्ध, विद्रोही क्रांति, विद्रोह, आतंकवाद, सैन्य या हड़पी हुई शक्ति, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के किसी कृत्य, विमान से होने वाली क्षति, दैवीय आपदाएं जैसे भूकंप, बिजली और अभूतपूर्व बाढ़, तथा अन्य कारण शामिल हैं, जिन पर ठेकेदार का कोई नियंत्रण नहीं है और जिन्हें स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है या केवल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्य के उस भाग के उपयोग या कब्जे के कारण होने वाले जोखिम शामिल हैं, जिसके लिए पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया गया है या केवल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्यों के दोषपूर्ण डिजाइन के कारण होने वाले जोखिम शामिल हैं। X. बाजार दर वह दर होगी जो प्रभारी अभियंता द्वारा उस साइट पर सामग्री और श्रम की मौजूदा लागत के आधार पर तय की जाएगी, जहाँ काम किया जाना है, साथ ही अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित प्रतिशत, सभी ओवरहेड्स और मुनाफे को कवर करना होगा। बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार अन्य एजेंसियों को सौंपे गए कार्यों के हिस्सों पर कोई अतिरिक्त ओवरहेड्स और लाभ देय नहीं होंगे। xi. अनुसूचियों का तात्पर्य निविदा पत्रों के साथ संलग्न सुसंगत अनुसूचियों या नीचे अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित सरकार की दरों की मानक अनुसूची से होगा, जिसमें निविदा प्राप्ति की तारीख तक जारी किए गए संशोधन शामिल होंगे। xii. विभाग का तात्पर्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष की ओर से निविदा आमंत्रित करता है। xiii. निविदा मूल्य का तात्पर्य कार्य-पत्र में निर्धारित सम्पूर्ण कार्य के मूल्य से है। i. The expression works or work shall, unless there be something either in the subject or context repugnant to such construction, be construed and taken to mean the works by or by virtue of the contract contracted to be executed whether temporary or permanent, and whether original, altered, substituted or additional. ii. The site shall mean the land / or other places on, into or through which work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street through which work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street which may be allotted or used for the purpose of carrying out the contract. iii. The Contractor/tenderer/bidders shall mean the individual, firm or company whether incorporated or not, Joint Venture / Consortium undertaking the works and shall include the legal personal representative of such individual or the persons constituting such firm or company, or the successors of such firm or company and the permitted assignees of such individual, firm or company. iv. The Chairman means the Chairman Airports Authority of India and his Successors. v. The Engineer-in-Charge means the Engineering Officer who shall supervise and be in charge of the work and who shall sign the contract on behalf of the Chairman, Airports Authority of India as mentioned in Schedule 'F' hereunder. vi. AAI or Airports Authority of India shall mean the Chairman Airports Authority of India. vii. The terms Member(Planning) means the head of Department of Engineering, Airports Authority of India. viii. Accepting Authority shall mean the authority mentioned in Schedule 'F'. ix. Excepted Risk are risks due to riots (other than those on account of contractor's employees), war (whether declared or not) invasion, act of foreign enemies, hostilities, civil war, rebellion revolution, insurrection, terrorism, military or usurped power, any acts of Airports Authority of India, damages from aircraft, acts of God, such as earthquake, lightening and unprecedented floods, and other causes over which the contractor has no control and accepted as such by the Accepting Authority or causes solely due to use or occupation by Airports Authority of India of the part of the works in respect of which a certificate of completion has been issued or a cause solely due to Airports Authority of India's faulty design of works.
--	--	--



		x. Market Rate shall be the rate as decided by the Engineer-in-Charge on the basis of the prevailing cost of materials and labour at the site where the work is to be executed plus the percentage mentioned in Schedule 'F' to cover, all overheads and profits. Provided that no extra overheads and profits shall be payable on the parts of works assigned to other agency(s) by the contractor as per terms of contract. xi. Schedule(s) referred to in these conditions shall mean the relevant schedule(s) annexed to the tender papers or the standard Schedule of Rates of the government mentioned in Schedule 'F' hereunder, with the amendments thereto issued upto the date of receipt of the tender. xii. Department means Airports Authority of India, which invites tender on behalf of Chairman, Airports Authority of India. xiii. Tendered value means the value of the entire work as stipulated in the letter of award.
3.	दायरा और प्रदर्शन Scope and Performance	जहाँ संदर्भ की आवश्यकता हो, वहाँ केवल एकवचन का अर्थ बताने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होना चाहिए और इसके विपरीत जब भी आवश्यक हो, पुल्लिंग के किसी भी संदर्भ में स्त्रीलिंग शामिल होना चाहिए और इसके विपरीत। Where the context so requires, words imparting the singular only also include the plural and vice versa. Any reference to masculine gender shall whenever required include feminine gender and vice versa.
4.		अनुबंध की इन सामान्य शर्तों के शीर्षक और सीमांत टिप्पणियाँ इसका भाग नहीं मानी जाएंगी या अनुबंध की व्याख्या या निर्माण में इन्हें ध्यान में नहीं लिया जाएगा। Headings and Marginal notes to these General Conditions of Contract shall not be deemed to form part thereof or be taken into consideration in the interpretation or construction thereof or of the contract.
5.		ठेकेदार को मानक विनिर्देशों, दरों की अनुसूची और ऐसे अन्य मुद्रित और प्रकाशित दस्तावेजों को छोड़कर अनुबंध दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रति, साथ ही निविदा पत्रों का हिस्सा बनने वाले सभी चित्र भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें से किसी भी दस्तावेज का उपयोग इस अनुबंध के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। The contractor shall be furnished, free of cost one certified copy of the contract documents except standard specifications, Schedule of Rates and such other printed and published documents, together with all drawings as may be forming part of the tender papers. None of these documents shall be used for any purpose other than that of this contract.
6.	किए जाने वाले कार्य Works to be carried out	अनुबंध के तहत किए जाने वाले कार्य में, इन शर्तों में अन्यथा प्रावधान के अलावा, सभी श्रम, सामग्री, उपकरण, संयंत्र, उपकरण और परिवहन शामिल होंगे जो कार्यों की तैयारी और उनके पूर्ण और संपूर्ण निष्पादन और समापन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। मात्राओं की अनुसूची (अनुसूची-ए) में दिए गए विवरण में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, सामग्री पर होने वाली बर्बादी, दुलाई और दुलाई, खाली बोतलों को ले जाना और वापस करना, उठाना, स्थापित करना, फिट करना और स्थिति में स्थिर करना और अच्छे अभ्यास और मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार पूर्वोक्त कार्य के पूर्ण और संपूर्ण निष्पादन और समापन के लिए आवश्यक सभी अन्य श्रम शामिल होंगे। The work to be carried out under the Contract shall, except as otherwise provided in these conditions, include all labour, materials, tools, plants, equipment and transport which may be required in preparation of and for and in the full and entire execution and completion of the works. The descriptions given in the Schedule of Quantities (Schedule – A) shall, unless otherwise stated, be held to include wastage on materials, carriage and cartage, carrying and return of empties, hoisting, setting, fitting and fixing in position and all other labours necessary in and for the full and entire execution and completion of the work as aforesaid in accordance with good practice and recognized principles.
7.	निविदा की पर्याप्तता Sufficiency of Tender	यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता तथा मात्रा अनुसूची में उद्धृत दरों और मूल्यों के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है, तथा ये दरें और मूल्य, जब तक अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों तथा कार्यों के उचित समापन और रखरखाव के लिए आवश्यक सभी मामलों और बातों को कवर करेंगे। The Contractor shall be deemed to have satisfied himself before tendering as to the correctness and sufficiency of his tender for the works and of the rates and



		prices quoted in the Schedule of Quantities, which rates and prices shall, except as otherwise provided, cover all his obligations under the Contract and all matters and things necessary for the proper completion and maintenance of the works.
8.	विसंगतियां और त्रुटियों का समायोजन Discrepancies and Adjustment of Errors	अनुबंध को बनाने वाले विभिन्न दस्तावेजों को एक दूसरे के पारस्परिक रूप से व्याख्यात्मक माना जाएगा, छोटे पैमाने के रेखाचित्रों के स्थान पर विस्तृत रेखाचित्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, पैमाने के स्थान पर अनुमानित आयामों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा सामान्य शर्तों के स्थान पर विशेष शर्तों को प्राथमिकता दी जाएगी। The several documents forming the Contract are to be taken as mutually explanatory of one another, detailed drawings being followed in preference to small scale drawing and figured dimensions in preference to scale and special conditions in preference to General Conditions.
8.1		मात्रा अनुसूची, विनिर्देशों और/या रेखाचित्रों के बीच विसंगति के मामले में, वरीयता का निम्नलिखित क्रम देखा जाएगा:- In the case of discrepancy between the Schedule of Quantities, the Specifications and / or the Drawings, the following order of preference shall be observed :-
		i. मात्राओं की अनुसूची का विवरण. ii. विशेष/तकनीकी विनिर्देश और विशेष शर्त, यदि कोई हो। iii. चित्र. iv. सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देश. v. बीआईएस के भारतीय मानक विनिर्देश / आईआरसी अभ्यास संहिता / एएसटीएम मानक। vi. प्रभारी इंजीनियर के निर्देशानुसार साउंड इंजीनियरिंग अभ्यास, जिसका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा तथा ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा। i. Description of Schedule of Quantities. ii. Particular/ technical Specification and Special Condition, if any. iii. Drawings. iv. C P W D Specifications. v. Indian Standard Specifications of B I S./ IRC Code of Practice / ASTM standards. vi. Sound Engineering practice as directed by the Engineer-in-charge, whose decision in this regard shall final and binding on the contractor.
8.2		यदि अनुबंध का हिस्सा बनने वाले किसी एक दस्तावेज में भिन्न या विरोधाभासी प्रावधान हैं, तो स्वीकृति प्राधिकारी दस्तावेज के आशय के संबंध में निर्णय लेने वाला प्राधिकारी होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। If there are varying or conflicting provisions made in any one document forming part of the contract, the Accepting Authority shall be the deciding authority with regard to the intention of the document and his decision shall be final and binding on the contractor.
8.3		मात्रा अनुसूची में वर्णन, मात्रा या दर में कोई त्रुटि या उसमें कोई चूक अनुबंध को निष्प्रभावी नहीं करेगी या ठेकेदार को चित्रों और विनिर्देशों के अनुसार इसमें सम्मिलित सम्पूर्ण कार्य या उसके किसी भाग के निष्पादन से या अनुबंध के तहत उसके किसी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। Any error in description, quantity or rate in Schedule of Quantities or any omission therefrom shall not vitiate the Contract or release the Contractor from the execution of the whole or any part of the works comprised therein according to drawings and specifications or from any of his obligations under the contract.
8.4	अनुबंध समझौते के विभिन्न उपशीर्षकों में अलग-अलग उद्धृत दरों के साथ समान वस्तुओं के लिए भुगतान Payment for similar items with different quoted rates	यदि ठेकेदार ने दो या अधिक उपशीर्षकों में प्रदर्शित एक ही मद के लिए अलग-अलग दरें उद्धृत की हैं, तो उद्धृत दरों में से सबसे कम दर को ही कार्य निष्पादन के दौरान भुगतान के लिए माना जाएगा। ऐसी मद की मात्रा के विचलन के मामले में, अनुबंध में निर्दिष्ट विचलन सीमा तक निष्पादित मात्रा के लिए सबसे कम उद्धृत दर पर भुगतान किया जाएगा। विचलन सीमा से परे दर प्रासंगिक अनुबंध प्रावधान के अनुसार निकाली जाएगी। If the contractor has quoted different rates for the same item appearing in two or more subheads, then the lowest of the rates quoted shall only be considered for payments during execution of work. In case of deviation of quantity of such item, payments shall be made at the lowest quoted rate for quantity executed upto the deviation limit specified in the contract.



	in different subheads of the contract agreement	Beyond the deviation limit the rate shall be derived as per relevant contract provision.
9.	क्रय निविदाओं के लिए रिवर्स नीलामी Reverse Auction for purchase tenders	यदि निविदा में रखी गई आपूर्ति का मूल्य 2 करोड़ रुपये से अधिक है तो एएआई क्रय निविदा के मामले में रिवर्स नीलामी का विकल्प चुन सकता है। AAI may opt for reverse auction in case of purchase tender if value of supplies put to tender is more than Rs.2Cr.
10.	अनुबंध पर हस्ताक्षर Signing of Contract	सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार को, स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसकी निविदा स्वीकार किए जाने पर, कार्य शुरू होने की निर्धारित तिथि से 15 दिनों के भीतर, एक या दो समझौतों पर हस्ताक्षर करना होगा, जैसा भी मामला हो, जिसमें से एक सिविल कार्यों के लिए बीओक्यू और दूसरा एसआईटीसी तथा ओएंडएम/एएमसी/एआईसीएमसी भाग के लिए होगा। The successful tenderer / contractor, on acceptance of his tender by the Accepting Authority, shall, within 15 days from the stipulated date of start of the work, shall sign either single or two agreements, as the case may be, one consisting BOQ for civil works and another one for SITC and O&M/AMC/AICMC part.
i)		i. निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा आमंत्रण और स्वीकृति के समय जारी किए गए निविदा से संबंधित सभी दस्तावेज, जिसमें चित्र (यदि कोई हो) भी शामिल हैं, तथा उससे संबंधित कोई पत्राचार। ii. अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित मानक एएआई फॉर्म में निम्नलिखित शामिल हैं: - अनुसूची 'एफ' में निर्धारित तिथि तक सुधार सहित विभिन्न मानक खण्ड तथा उनके अनुलग्नक। - एएआई सुरक्षा कोड. - एएआई या उसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य संरक्षण, स्वच्छता व्यवस्था के लिए आदर्श नियम। - एएआई ठेकेदार श्रम विनियम. - उन कार्यों और चूकों की सूची जिनके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। iii. जब तक ठेकेदार द्वारा अनुबंध के रूप में अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते, तब तक किए गए कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। i. The notice inviting tender, all the documents including drawings, if any, forming the tender as issued at the time of invitation of tender and acceptance thereof together with any correspondence leading thereto. ii. Standard AAI Form as mentioned in Schedule 'F' consisting of : - Various standard clauses with corrections upto the date stipulated in Schedule 'F' alongwith annexures thereto. - AAI Safety Code. - Model Rules for the protection of health, sanitary arrangements for workers employed by AAI or its contractors. - AAI Contractor's Labour Regulations. - List of Acts and omissions for which fines can be imposed. iii. No payment for the work done will be made unless contract in form of agreement is signed by the contractor.



अनुबंध के खंड

CLAUSES OF CONTRACT

खण्ड 1

CLAUSE 1

	प्रदर्शन की गारंटी Performance Guarantee	यह खंड उन कार्यों के लिए लागू है जिनके लिए निविदा में रखी गई अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक है। This clause is applicable for the works for which the estimated cost put to tender is more than Rs.5 crores.
		i. ठेकेदार को अनुबंध समझौते के उचित निष्पादन के लिए अनुबंध में कहीं और उल्लिखित अन्य जमाराशियों के अलावा निविदा राशि का 5% (पांच प्रतिशत) अपरिवर्तनीय निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करनी होगी (अनुबंध में किसी अन्य प्रावधान के बावजूद और/या उसके प्रतिकूल प्रभाव के बिना) पुरस्कार पत्र जारी होने की तारीख से अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट अवधि के भीतर। यह गारंटी बीमा जमानत बांड, खाता आदाता डिमांड ड्राफ्ट, या किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल भारतीय या विदेशी बैंक, सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से बैंक गारंटी (ई-बैंक गारंटी सहित) के रूप में संलग्न प्रपत्र के अनुसार होगी। (परिशिष्ट-XI)। The contractor shall submit an irrevocable Performance Guarantee of 5% (Five percent) of the Tendered amount in addition to other deposits mentioned elsewhere in the contract for his proper performance of the contract agreement, (not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract) within period specified in Schedule 'F' from the date of issue of award letter. This guarantee shall be in the form of Insurance Surety Bonds, Account Payee Demand Draft, or Bank Guarantee (including e-Bank Guarantee) from any of the Scheduled Commercial Banks (i.e. Indian or Foreign Banks included in the Second Schedule of Reserve Bank of India Act, 1934 excluding Co-Operative/Regional Rural Banks) in accordance with the form annexed hereto. (Appendix-XI).
		ii. परफॉरमेंस गारंटी अवाई लेटर जारी होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर परफॉरमेंस गारंटी जमा करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार को पहले खाते के बिल के संबंध में किए गए कार्य के लिए कोई भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, जमा करने की देरी की अवधि के लिए परफॉरमेंस गारंटी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा (वापसी योग्य नहीं)। Performance guarantee should be furnished within 30 days of issue of award letter. In case the contractor fails to deposit performance guarantee within the stipulated period, no payment will be released to the contractor for the work done in respect of running account bill. Moreover, interest @10% per annum on performance guarantee amount would be levied (non-refundable) for delayed period of submission.
		iii. निष्पादन गारंटी आरंभ में कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि तथा उसके बाद 180 दिन तक वैध रहेगी। यदि कार्य समाप्ति की अवधि बढ़ जाती है, तो ठेकेदार को कार्य समाप्ति की ऐसी बढ़ी हुई अवधि को कवर करने के लिए निष्पादन गारंटी की वैधता बढ़ानी होगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य के लिए पूर्णता प्रमाण-पत्र दर्ज करने के पश्चात निष्पादन गारंटी ठेकेदार को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। हालांकि, इमारतों के रखरखाव और सेवाओं/इसके बाद किसी अन्य कार्य से संबंधित अनुबंधों के मामले में, अनुबंध की शर्तों के अनुसार निष्पादन गारंटी का 50% सुरक्षा जमा के रूप में रखा जाएगा। इसे वर्षवार प्रतिबद्धता के सफलतापूर्वक पूरा होने पर अनुपातिक रूप से वापस किया जाएगा। The Performance Guarantee shall be initially valid upto the stipulated date of completion plus 180 days beyond that. In case the time for completion of work gets enlarged, the contractor shall get the validity of Performance Guarantee extended to cover such enlarged time for completion of work. After recording of the completion certificate for the work by the competent authority, the performance guarantee shall be returned to the contractor, without any interest. However, in case of contracts involving maintenance of buildings and services / any other work thereafter, 50% of Performance Guarantee shall be retained as Security Deposit as per contract conditions.



		The same shall be returned on successful completion of commitment year wise proportionately.
		iv. प्रभारी अभियंता निष्पादन गारंटी के अंतर्गत कोई दावा नहीं करेगा, सिवाय उन राशियों के, जिनके लिए एएआई अनुबंध के अंतर्गत हकदार है (अनुबंध करार में किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी और/या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) निम्नलिखित की स्थिति में: a. ठेकेदार द्वारा ऊपर वर्णित अनुसार निष्पादन गारंटी की वैधता को बढ़ाने में विफलता, ऐसी स्थिति में प्रभारी इंजीनियर निष्पादन गारंटी की पूरी राशि का दावा कर सकता है। b. प्रभारी अभियंता द्वारा इस आशय का नोटिस दिए जाने के 30 दिनों के भीतर, ठेकेदार द्वारा सहमति के अनुसार या अनुबंध के किसी भी खंड/शर्तों के अंतर्गत निर्धारित किसी भी राशि का भुगतान अध्यक्ष, एएआई को करने में ठेकेदार द्वारा विफलता। The Engineer-in-Charge shall not make a claim under the performance guarantee except for amounts to which the AAI is entitled under the contract (not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract agreement) in the event of: a. Failure by the contractor to extend the validity of the Performance Guarantee as described herein above, in which event the Engineer-in-Charge may claim the full amount of the Performance Guarantee. b. Failure by the contractor to pay the Chairman, AAI any amount due, either as agreed by the contractor or determined under any of the Clauses/Conditions of the agreement, within 30 days of the service of notice to this effect by Engineer-in-Charge.
		v. अनुबंध के किसी भी खंड/शर्त के प्रावधान के अंतर्गत अनुबंध के निर्धारित या निरस्त होने की स्थिति में, निष्पादन गारंटी पूर्ण रूप से जब्त हो जाएगी तथा पूर्णतः अध्यक्ष, एएआई के अधीन होगी। In the event of the contract being determined or rescinded under provision of any of the Clause/Condition of the agreement, the performance guarantee shall stand forfeited in full and shall be absolutely at the disposal of the Chairman, AAI.

खण्ड 1 ए

CLAUSE 1 A

सुरक्षा जमा की वसूली Recovery of Security Deposit	वह व्यक्ति/व्यक्तियों जिनकी निविदाएं स्वीकार की जा सकती हैं (जिन्हें इसके बाद ठेकेदार कहा जाएगा) अनुबंध के तहत किए गए कार्य के लिए उन्हें कोई भी भुगतान करते समय एएआई को प्रत्येक चालू और अंतिम बिल की कुल राशि के 5% की दर से राशि काटने की अनुमति देगा, जब तक कि बयाना राशि के रूप में पहले से जमा की गई राशि के साथ कटौती की गई राशि, कार्य के निविदा मूल्य के 5% की सुरक्षा जमा राशि के बराबर न हो जाए। बयाना राशि को पहले सुरक्षा जमा में समायोजित किया जाएगा और सुरक्षा जमा की आगे की वसूली तभी शुरू होगी जब सुरक्षा जमा की अद्यतन राशि बयाना राशि से अधिक होने लगे। ऐसी कटौती सुरक्षा जमा के माध्यम से की जाएगी और रखी जाएगी जब तक कि उसने/उन्होंने किसी भी वाणिज्यिक बैंक (अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल भारतीय या विदेशी बैंक (सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से बैंक गारंटी (ई-बैंक गारंटी सहित) के रूप में ऊपर उल्लिखित दर पर सुरक्षा की राशि जमा नहीं कर दी यदि ठेकेदार द्वारा एएआई को सुरक्षा जमा के हिस्से के रूप में किसी बैंक का गारंटी बांड दिया जाता है और बैंक उक्त सावधि जमा रसीद या गारंटी बांड के विरुद्ध भुगतान करने में असमर्थ है, तो इससे होने वाला नुकसान ठेकेदार पर पड़ेगा और ठेकेदार मांग किए जाने पर घाटे की भरपाई के लिए एएआई को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसे कार्यों में जहां निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त लागू नहीं होती है, प्रत्येक चालू बिल की सकल राशि के 10% (दस प्रतिशत) की दर से सुरक्षा जमा राशि 5% के बजाय तब तक काटी जाएगी, जब तक कि बयाना राशि के रूप में पहले से जमा की गई राशि के साथ मिलकर कार्य के अनुबंध मूल्य का 10% सुरक्षा जमा नहीं हो जाता। अन्य शर्तें ऊपर बताई गई शर्तों के अनुसार ही रहेंगी। The person/persons whose tender(s) may be accepted (hereinafter called the contractor) shall permit AAI at the time of making any payment to him for work done under the contract to deduct a sum at the rate of 5% of the gross amount of each running and final bill till the sum deducted alongwith the sum already deposited as earnest money, will amount to security deposit of 5% of the tendered
--	---



	value of the work. Earnest money shall be adjusted first in the security deposit and further recovery of security deposit shall commence only when the update amount of security deposit starts exceeding the earnest money. Such deductions will be made and held by way of Security Deposit unless he/they has/have deposited the amount of Security at the rate mentioned above in the form Bank Guarantee (including e-Bank Guarantee) from any of the Commercial Bank (i.e. Indian or Foreign Banks included in the Second Schedule of Reserve Bank of India Act, 1934 excluding Co-Operative/Regional Rural Banks). In case a Guarantee Bonds of any Bank is furnished by the contractor to the AAI as part of the security deposit and the Bank is unable to make payment against the said fixed deposit receipt or Guarantee Bond, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the AAI to make good the deficit. In works where condition of submission of performance guarantee is not applicable, the security deposit at the rate of 10% (Ten Percent) of gross amount of each running bill shall be deducted instead of 5%, till the sum along with the sum already deposited as earnest money will amount to security deposit of 10% of the contract value of work. Other conditions shall remain same as stated above. इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशियां उसकी सुरक्षा जमा राशि के पर्याप्त भाग की बिक्री से या उससे उत्पन्न होने वाले ब्याज से काटी जा सकती हैं या उसका भुगतान किया जा सकता है, या किसी भी राशि से जो एएआई द्वारा ठेकेदार को किसी भी कारण से देय हो सकती है या देय हो सकती है और किसी भी ऐसी कटौती या बिक्री के कारण उसकी सुरक्षा जमा राशि कम होने की स्थिति में, ठेकेदार को 10 दिनों के भीतर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में हस्ताक्षरित किसी भी वाणिज्यिक बैंक से सावधि जमा रसीदें, बीमा जमानत बांड, खाता आदाता डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के माध्यम से पूरा करना होगा (यदि 12 महीने से अधिक के लिए जमा किया गया हो), कोई भी राशि या राशियां जो उसकी सुरक्षा जमा राशि या उसके किसी भाग की बिक्री से काटी गई हो या जुटाई गई हो। सुरक्षा जमा राशि ठेकेदार के चालू बिलों से ऊपर उल्लिखित दरों पर एकत्र की जाएगी और निविदाओं के समय जमा की गई बचाना राशि को सुरक्षा जमा राशि का हिस्सा माना जाएगा। All compensations or the other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from, or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit or from the interest arising therefrom, or from any sums which may be due to or may become due to the contractor by AAI on any account whatsoever and in the event of his Security Deposit being reduced by reason of any such deductions or sale as aforesaid, the contractor shall within 10 days make good in fixed deposit receipts, Insurance Surety Bonds, Account Payee Demand Draft or Bank Guarantee from any of the Commercial Bank (if deposited for more than 12 months) endorsed in favour of the Airports Authority of India, any sum or sums which may have been deducted from, or raised by sale of his security deposit or any part thereof. The security deposit shall be collected from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and the Earnest money deposited at the time of tenders will be treated as part of the Security Deposit. ऊपर वर्णित अनुसार कटौती की गई सुरक्षा राशि को किसी भी वाणिज्यिक बैंक (अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल भारतीय या विदेशी बैंक (सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा जारी बैंक गारंटी के विरुद्ध न्यूनतम 5 लाख रुपये तक के संचय पर जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी बैंक गारंटी की राशि, अंतिम गारंटी को छोड़कर, 5 लाख रुपये से कम नहीं होगी। The security deposit as deducted above can be released against bank guarantee issued by any Commercial Bank (i.e. Indian or Foreign Banks included in the Second Schedule of Reserve Bank of India Act, 1934 excluding Co-Operative /Regional Rural Banks), on its accumulations to a minimum of Rs. 5 lakh subject to the condition that amount of such bank guarantee, except last one, shall not be
--	---



	less than Rs. 5 lakh.
	नोट 1: आगे यह भी प्रावधान है कि बैंक गारंटी की वैधता धारा 17 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगी, जिसे धारा 2 और धारा 5 के प्रावधानों के तहत अनुबंध के विस्तार के आधार पर समय-समय पर बढ़ाया जाएगा। Note 1: Provided further that the validity of Bank Guarantee shall be in conformity with provisions contained in the clause 17 which shall be extended from time to time depending upon extension of contract under provision of Clause 2 & Clause 5. नोट 2: उपरोक्त नोट 1, खंड 1 और 1 ए दोनों के लिए लागू होगा। Note 2: Note 1 above shall be applicable for both clause 1 and 1 A.

खण्ड 1 बी

CLAUSE 1 B

प्रदर्शन की अतिरिक्त गारंटी Additional Performance Guarantee	टेंडर की कीमत चाहे जो भी हो, सफल बोली लगाने वाले से ली जाएगी To be taken from the successful bidder irrespective of tender value
	अगर चुने गए बोली लगाने वाले की बोली की कीमत, टेंडर के लिए तय अनुमानित लागत से 10% से ज्यादा कम है, तो सफल बोली लगाने वाले से अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाएगी। यह सिक्योरिटी एक अपरिवर्तनीय (irrevocable) इश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड, डिमांड ड्राफ्ट या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक (यानी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल भारतीय या विदेशी बैंक, जिसमें सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं हैं) द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में होगी। यह नियम सभी कामों पर लागू और बाध्यकारी होगा, चाहे उनका स्वरूप, दायरा या कीमत कुछ भी हो। An additional performance security in the form of an irrevocable Insurance Surety bond, demand draft, bank guarantee issued from Scheduled Commercial Bank (i.e. Indian or Foreign Banks included in the Second Schedule of Reserve Bank of India Act, 1934 excluding Co-Operative / Regional Rural Banks) shall be obtained from the Successful bidder, If the Bid price offered by the selected bidder is lower than 10% of the estimated cost put to tender. This clause shall be binding and enforceable in relation to all works, irrespective of their nature, scope, or value. अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की राशि और प्रक्रिया - Additional performance security Amount and Treatment - अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की गणना इस प्रकार की जाएगी- The additional performance security shall be calculated as below- (i) जहाँ बोली की कीमत, बोली के लिए तय प्रोजेक्ट लागत से 10% से ज्यादा कम है लेकिन 20% से कम नहीं है, वहाँ अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का प्रतिशत, प्रोजेक्ट लागत से 10% कम बोली कीमत के हर प्रतिशत के लिए 0.25% बढ़ाया जाएगा। यह 11% से शुरू होगा (जहाँ अतिरिक्त बोली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 0.25% होगी) और यह अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी प्रतिशत बोली की कीमत पर लागू होगा; Where the bid price is below 10% but not below 20% of the project cost put to bid, the additional performance security percentage shall be incremented by 0.25% for every percentage of bid price below 10% of the project cost put to bid starting at 11% with the additional bid performance security being 0.25% and this additional performance security percentage shall be applied on the bid price;



	(ii) जहाँ बोली की कीमत, बोली के लिए तय प्रोजेक्ट लागत से 20% से ज्यादा कम है लेकिन 25% से कम नहीं है, वहाँ अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का प्रतिशत, प्रोजेक्ट लागत से 20% कम बोली कीमत के हर प्रतिशत के लिए 0.50% बढ़ाया जाएगा। यह 21% से शुरू होगा (जहाँ अतिरिक्त बोली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 0.50% होगी) और यह अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी प्रतिशत बोली की कीमत पर लागू होगा; Where the bid price is below 20% but not below 25% of the project cost put to bid, the additional performance security percentage shall be incremented by 0.50% for every percentage of bid price below 20% of the project cost put to bid starting at 21% with the additional bid performance security being 0.50% and this additional performance security percentage shall be applied on the bid price; (iii) जहाँ बोली की कीमत, बोली के लिए तय प्रोजेक्ट लागत से 25% से ज्यादा कम है लेकिन 30% से कम नहीं है, वहाँ अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का प्रतिशत, प्रोजेक्ट लागत से 25% कम बोली कीमत के हर प्रतिशत के लिए 0.75% बढ़ाया जाएगा। यह 26% से शुरू होगा (जहाँ अतिरिक्त बोली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 0.75% होगी) और यह अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी प्रतिशत बोली की कीमत पर लागू होगा; Where the bid price is below 25% but not below 30% of the project cost put to bid, the additional performance security percentage shall be incremented by 0.75% for every percentage of bid price below 25% of the project cost put to bid starting at 26% with the additional bid performance security being 0.75% and this additional performance security percentage shall be applied on the bid price; (iv) जब बोली की कीमत 30% से कम हो, तो अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का प्रतिशत, बोली के लिए रखी गई प्रोजेक्ट लागत के 30% से कम बोली की कीमत के हर प्रतिशत के लिए 1% बढ़ाया जाएगा (31% से शुरू करते हुए, जहाँ अतिरिक्त बोली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 1% होगी) और यह अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी प्रतिशत बोली की कीमत पर लागू होगा; Where the bid price is below 30%, the additional performance security percentage shall be incremented by 1% for every percentage of bid price below 30% of the project cost put to bid starting at 31% with the additional bid performance security being 1% and this additional performance security percentage shall be applied on the bid price; (v) अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी प्रतिशत को अगले निचले प्रतिशत पर राउंड-ऑफ किया जाएगा यदि बोली की कीमत के प्रतिशत का दशमलव बिंदु 0.5% से कम है, या अगले उच्च प्रतिशत पर राउंड-ऑफ किया जाएगा यदि बोली की कीमत के प्रतिशत का दशमलव बिंदु 0.5% या उससे अधिक है। The additional performance security percentage shall be rounded off to the next lower percentage based on whether the decimal point of the percentage of bid price is below 0.5% or next higher percentage based on whether the decimal point of the percentage of bid price is 0.5% or more. (vi) अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से संबंधित वैधता, विस्तार, दावे, ज़ब्ती और अन्य सभी मामलों को क्लॉज़ 1: परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। All matters pertaining to validity, extension, claims, forfeiture, and any other conditions in relation to the additional performance security shall be governed by the provisions of Clause 1: Performance Security. (vii) एक काल्पनिक प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की गणना का एक उदाहरण, जहाँ बोली के लिए रखी गई प्रोजेक्ट लागत ₹400 करोड़ है, आसान संदर्भ
--	---



	के लिए नीचे एनेक्ज़र XXII में दिया गया है। An illustrative example, for calculation of additional performance security for a notional project where the project cost put to bid is Rs.400 Crore, is given in APPENDIX- XXII below for ready reference.
--	--

धारा 2

Clause 2

	देरी के लिए मुआवजा Compensation for Delay	यदि ठेकेदार खंड 5 के अनुसार अपेक्षित प्रगति बनाए रखने में या खंड 5 के अनुसार अनुबंध या उचित विस्तारित समाप्ति तिथि पर या उससे पहले कार्य पूरा करने और साइट को खाली करने में विफल रहता है (खंड 5.5 के तहत किसी विस्तार को छोड़कर) साथ ही खंड 12 और 15 के तहत दिए गए किसी विस्तार को छोड़कर, वह ऐसे उल्लंघन के कारण एएआई को कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नीचे निर्धारित दरों पर गणना की गई राशि मुआवजे के रूप में देगा, जैसा कि अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक पूर्ण दिन/माह (जैसा निर्धारित किया गया है) के लिए कार्य के निविदा मूल्य की राशि पर निर्णय ले सकता है, बशर्ते प्रगति खंड 5 में निर्दिष्ट से कम रहे या कार्य अधूरा रहे। यह उन मदों या मदों के समूह पर भी लागू होगा जिनके लिए पूर्णता की एक अलग अवधि निर्दिष्ट की गई है। If the contractor fails to maintain the required progress in terms of clause 5 or to complete the Work and clear the site on or before the contract or justified extended date of completion as per clause 5(excluding any extension under clause 5.5) as well as any extension granted under clause 12 and 15, he shall, without prejudice to any other right or remedy available under the law to the AAI on account of such breach, pay as compensation the amount calculated at the rates stipulated below as the authority specified in schedule 'F' may decide on the amount of Tendered Value of the work for every completed day/month (as determined) that the progress remains below that specified in Clause 5 or that the work remains incomplete. This will also apply to items or group of items for which a separate period of completion has been specified.
	i) कार्य में देरी के लिए मुआवजा Compensation for delay of work	यदि ठेकेदार के कारण कार्य पूरा होने में देरी होती है, तो एएआई नीचे दिए गए विवरण के अनुसार देरी के लिए मुआवजे का हकदार होगा: If the completion of work is delayed due to reasons attributed to contractor, AAI shall be entitled for compensation for delay as detailed below : i. 10.00 लाख रुपये तक की लागत वाले कार्यों के लिए: विलंब होने पर प्रति सप्ताह निविदा मूल्य का 1.0% (एक प्रतिशत) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि, जो अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन होगी। For works costing upto Rs. 10.00 Lac: 1.0% (one percent) of tendered value per week of delay or lesser amount as decided by the competent authority subject to a maximum of 10% of contract value. ii 10 लाख रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए विलंब होने पर प्रति सप्ताह निविदा मूल्य का 0.5% (आधा प्रतिशत) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि, जो निविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन होगी। For the works costing more than Rs 10 Lac



			0.5% (half percent) of tendered value per week of delay or lesser amount as decided by the competent authority subject to a maximum of 10% of the tendered value.
		बशर्ते कि इस शर्त के अंतर्गत विलंब के लिए भुगतान की जाने वाली कुल क्षतिपूर्ति राशि कार्य के निविदा मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगी या अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित कार्य के अनुभागीय भाग के निविदा मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए मूल रूप से पूरा होने की एक अलग अवधि दी गई है। Provided always that the total amount of compensation for delay to be paid under this condition shall not exceed 10% of the Tendered Value of work or of the Tendered Value of the Sectional part of work as mentioned in schedule 'F' for which a separate period of completion is originally given. यदि कार्य की प्रगति के दौरान अनुसूची 'एफ' में प्राधिकारी द्वारा कोई मुआवजा तय नहीं किया गया है, तो यह उक्त प्राधिकारी द्वारा मुआवजा लगाने के अधिकार का कोई त्याग नहीं होगा यदि कार्य पूरा होने की अंतिम न्यायोचित विस्तारित तिथि पर अधूरा रहता है। यदि प्रभारी अभियंता न्यायोचित विस्तारित तिथि से परे कार्य के प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए समय का और विस्तार देने का निर्णय लेता है, तो ठेकेदार ऐसी विस्तारित अवधि के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि न्यायोचित विस्तारित तिथि से परे ऐसी विस्तारित अवधि के दौरान अनुबंध की राशि में कोई परिवर्तन होता है और ठेकेदार खंड 12 के तहत अतिरिक्त समय का हकदार हो जाता है, तो मुआवजे की वसूली के लिए अवधि तय करते समय ऐसे परिवर्तन के लिए शुद्ध अवधि को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि, न्यायोचित विस्तारित अवधि से परे ऐसी आगे की विस्तारित अवधि के दौरान, यदि उप खंड 5.2 के तहत घटनाओं से कोई देरी होती है, तो ठेकेदार ऐसी देरी के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। In case no compensation has been decided by the authority in Schedule 'F' during the progress of work, this shall be no waiver of right to levy compensation by the said authority if the work remains incomplete on final justified extended date of completion. If the Engineer in Charge decides to give further extension of time allowing performance of work beyond the justified extended date, the contractor shall be liable to pay compensation for such extended period. If any variation in amount of contract takes place during such extended period beyond justified extended date and the contractor becomes entitled to additional time under clause 12, the net period for such variation shall be accounted for while deciding the period for levy of compensation. However, during such further extended period beyond the justified extended period, if any delay occurs by events under sub clause 5.2, the contractor shall be liable to pay compensation for such delay. बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत देरी के लिए कार्य की प्रगति के दौरान पूरा होने की उचित विस्तारित तिथि से आगे की अवधि में मुआवजा, अनुभागीय पूर्णता की प्राप्ति न होने या ऐसे आंशिक कार्य के लिए निर्धारित/उचित विस्तारित तिथि पर कार्य का आंशिक रूप से सौंपे जाने या यदि देरी से कोई अन्य कार्य/सेवा प्रभावित होती है, के लिए होगा। यह कार्य निष्पादन में देरी के लिए खंड 3 के अंतर्गत प्रभारी अभियंता द्वारा कार्रवाई के अधिकार और उस खंड के अंतर्गत मुआवजे के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। Provided that compensation during the progress of work beyond the justified extended date of completion for delay under this clause shall be for non-achievement of sectional completion or part handing over of work on stipulated/justified extended date for such part work or if delay affects any other works/services. This is without prejudice to right of action by Engineer-in-charge Charge under clause 3 for delay in performance and claim of compensation under that clause. यदि खंड 2 के तहत कार्रवाई को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और खंड 3 के तहत कार्य का निर्धारण किया गया है, तो इस खंड के तहत कार्रवाई का अधिकार अनुबंध के निर्धारण के बाद भी बना रहेगा, लेकिन मुआवजे का आरोपण उन दिनों के लिए होगा, जब निर्धारण की तिथि पर प्रगति निर्धारित समय से पीछे है, जैसा कि उचित विस्तार पर उचित विचार करने के बाद	



	अनुसूची 'एफ' में प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया गया है। देरी के लिए मुआवजा, यदि अनुबंध के निर्धारण से पहले तय नहीं किया गया है, तो अनुबंध के निर्धारण के बाद तय किया जाएगा। In case action under clause 2 has not been finalized and the work has been determined under clause 3, the right of action under this clause shall remain post determination of contract but levy of compensation shall be for days the progress is behind the schedule on date of determination, as assessed by the authority in schedule 'F', after due consideration of justified extension. The compensation for delay, if not decided before the determination of contract, shall be decided after of determination of contract. मुआवजे की राशि को एआई के साथ इस या किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय किसी भी राशि के खिलाफ समायोजित या सेट-ऑफ किया जा सकता है। यदि ठेकेदार अनुसूची एफ में उल्लिखित किसी विशेष मील के पत्थर को प्राप्त नहीं करता है, या खंड 5.4 के अनुसार पुनर्निर्धारित मील के पत्थर(ओं) को प्राप्त नहीं करता है, तो उस मील के पत्थर के खिलाफ दिखाई गई राशि रोक ली जाएगी, जिसे ऊपर लगाए गए मुआवजे के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। मील का पत्थर हासिल करने में विफल होने पर इस राशि को रोकना, ठेकेदार को किसी भी सूचना के बिना स्वचालित रूप से होगा। हालांकि, यदि ठेकेदार बाद के मील के पत्थर(ओं) पर काम की प्रगति के साथ पकड़ लेता है, तो रोकी गई राशि जारी कर दी जाएगी। यदि ठेकेदार बाद के मील के पत्थर(ओं) में देरी की भरपाई करने में विफल रहता है, तो बाद में छूटे प्रत्येक मील के पत्थर के खिलाफ उल्लिखित राशि भी रोक ली जाएगी। The amount of compensation may be adjusted or set-off against any sum payable to the Contractor under this or any other contract with AAI. In case, the contractor does not achieve a particular milestone mentioned in schedule F, or the re-scheduled milestone(s) in terms of Clause 5.4, the amount shown against that milestone shall be withheld, to be adjusted against the compensation levied as above. With-holding of this amount on failure to achieve a milestone, shall be automatic without any notice to the contractor. However, if the contractor catches up with the progress of work on the subsequent milestone(s), the withheld amount shall be released. In case the contractor fails to make up for the delay in subsequent milestone(s), amount mentioned against each milestone missed subsequently also shall be withheld. However, no interest, whatsoever, shall be payable on such withheld amount.
--	---

धारा 2ए

Clause 2A

शीघ्र पूरा करने के लिए प्रोत्साहन Incentive for early completion	यदि ठेकेदार 'अनुसूची एफ' में निर्धारित कार्य समाप्ति तिथि से पहले कार्य पूरा कर लेता है, तो प्रतिदिन के आधार पर गणना की गई निविदा मूल्य का 1% (एक प्रतिशत) बोनस ठेकेदार को देय होगा, जो निविदा मूल्य के 5% (पांच प्रतिशत) की अधिकतम सीमा के अधीन होगा। यदि बोनस देय है, तो कार्य पूरा होने के बाद अंतिम बिल के साथ भुगतान किया जाएगा। बोनस/प्रोत्साहन अनुबंध के लिए लागू होगा जो समाप्ति की निर्धारित तिथि से पहले पूरा हो गया हो और निर्धारित अवधि से आगे बढ़ाए गए अनुबंध के लिए लागू नहीं होगा, भले ही उचित बाधा हो और देरी के लिए मुआवजे की कोई कार्रवाई न हो। यह खंड उन कार्यों के लिए लागू नहीं होगा जिनकी निविदा की अनुमानित लागत 50.00 करोड़ रुपये से कम है। In case, the contractor completes the work ahead of stipulated date of completion so provided in 'Schedule F', a bonus @ 1 % (one per cent) of the tendered value per month computed on per day basis, shall be payable to the contractor, subject to a maximum limit of 5% (five per cent) of the tendered value. The amount of bonus, if payable, shall be paid along with final bill after completion of work. Bonus/ Incentive shall be applicable for the contract completed before stipulated dated of completion and shall not be applicable for the contract extended beyond the stipulated period even with justified hindrance and without any action of compensation for delay. This clause shall not be applicable for the works which estimated cost put to tender is less than Rs. 50.00 Cr.
--	---



धारा 2बी

Clause 2B

विलंब के लिए मुआवजे के रूप में रोकी गई राशि जारी करना। Release of withheld amount against compensation for delay.	देरी के लिए मुआवजे के रूप में रोकी गई 50.00 लाख रुपये से अधिक की राशि बैंक गारंटी (परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रारूप पर) या किसी भी अनुसूचित बैंक की ~~सावधि-जमा-रसीद-या-गारंटी-बॉण्ड~~ के रूप में जारी की जा सकती है, लेकिन सहकारी या ग्रामीण बैंक नहीं, शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय विस्तार के मामले को अंतिम रूप दिए जाने तक। संबंधित कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग) उचित माध्यम से प्रभारी अभियंता से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ऐसी कार्रवाई को अधिकृत करेंगे। Withheld amount towards compensation for delay over and above Rs. 50.00 lacs, can be released against Bank Guarantee (on the format given at Appendix-1) or in the form of ~~fixed deposit receipts or~~ guarantee bonds of any Scheduled Bank but not Co-operative or Gramin Bank, pending finalization of case of extension of time by competent authority as per delegation of powers. Concerned Executive Director (Engg) will authorize such action on receipt of proposal from the Engineer-In-Charge through proper channel.
---	---

धारा 3

Clause 3

अनुबंध कब निर्धारित किया जा सकता है When Contract can be Determined	इस खंड में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, प्रभारी इंजीनियर, किसी भी देरी, घटिया कारीगरी, नुकसान के लिए किसी भी दावे और/या इस अनुबंध के किसी भी अन्य प्रावधान या अन्यथा के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ अपने किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और चाहे पूरा होने की तारीख बीत गई हो या नहीं, लिखित में नोटिस द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी मामले में अनुबंध को पूरी तरह से निर्धारित कर सकता है: Subject to other provisions contained in this clause, the Engineer-in-Charge may, without prejudice to his any other rights or remedy against the contractor in respect of any delay, inferior workmanship, any claims for damages and/or any other provisions of this contract or otherwise, and whether the date of completion has or has not elapsed, by notice in writing absolutely determine the contract in any of the following cases: i. यदि ठेकेदार को प्रभारी इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में किसी दोषपूर्ण कार्य को सुधारने, पुनर्निर्माण करने या बदलने के लिए नोटिस दिया गया है या यह कि कार्य अकुशल या अन्यथा अनुचित या अकार्यकारी तरीके से किया जा रहा है, तो वह उसके बाद सात दिनों की अवधि के लिए ऐसे नोटिस की आवश्यकता का पालन नहीं करेगा। If the contractor having been given a notice by the Engineer-in-Charge in writing to rectify, reconstruct or replace any defective work or that the work is being performed in an inefficient or otherwise improper or un-workman like manner shall omit to comply with the requirement of such notice for a period of seven days thereafter. ii. यदि ठेकेदार ने बिना किसी उचित कारण के कार्य की प्रगति को स्थगित कर दिया है या कार्य को उचित तत्परता के साथ आगे बढ़ाने में विफल रहा है और प्रभारी अभियंता से सात दिन के लिखित नोटिस के बाद भी ऐसा करना जारी रखता है। If the contractor has, without reasonable cause, suspended the progress of the work or has failed to proceed with the work with due diligence and continues to do so after a notice in writing of seven days from the Engineer-in-Charge. iii. यदि ठेकेदार निर्धारित या न्यायोचित विस्तारित तिथि को या उससे पहले कार्य या कार्य के खंड को अलग-अलग समाप्ति तिथि के साथ पूरा करने में विफल रहता है, और प्रभारी इंजीनियर ने अनुबंध में किसी अन्य प्रावधान के तहत किसी अन्य अधिकार या उपाय के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, उस संबंध में लिखित रूप में दिए गए नोटिस में अतिरिक्त उचित समय दिया है, जैसा कि या तो पारस्परिक रूप से सहमति हो या ऐसी पारस्परिक सहमति के अभाव में अपने स्वयं के आकलन द्वारा ऐसा समय अनुबंध का सार बन जाता है और प्रभारी इंजीनियर की राय में, ठेकेदार उसे पूरा करने में असमर्थ होगा या निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे पूरा नहीं करता है।
---	--



		If the contractor fails to complete the work or section of work with individual date of completion on or before the stipulated or justified extended date on or before such date of completion, and the Engineer in Charge without any prejudice to any other right or remedy under any other provision in the contract has given further reasonable time in a notice given in writing in that behalf as either mutually agreed or in absence of such mutual agreement by his own assessment making such time essence of contract and in the opinion of Engineer in Charge, the contractor will be unable to complete the same or does not complete the same within the period specified. iv यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में लगातार लापरवाही बरतता है और/या अनुबंध के किसी भी नियम व शर्त का पालन करने में चूक करता है और प्रभारी इंजीनियर द्वारा लिखित में नोटिस दिए जाने के 7 दिनों के भीतर इसका समाधान नहीं करता है या इसके समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है। If the contractor persistently neglects to carry out his obligations under the contract and / or commits default in complying with any of the terms and conditions of the contract and does not remedy it or take effective steps to remedy it within 7 days after a notice in writing is given to him in that behalf by the Engineer-in-Charge. v यदि ठेकेदार एएआई सेवा में किसी व्यक्ति को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को एएआई के लिए इस या किसी अन्य अनुबंध को प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में कोई कार्य करने या करने से मना करने के लिए किसी भी प्रकार का उपहार या प्रतिफल प्रलोभन या पुरस्कार के रूप में देने की पेशकश करेगा या देने के लिए सहमत होगा। If the contractor shall offer or give or agree to give to any person in AAI service or to any other person on his behalf any gift or consideration of any kind as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the obtaining or execution of this or any other contract for AAI. (vi) यदि ठेकेदार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ कोई ऐसा अनुबंध करता है जिसके संबंध में उसके द्वारा या उसकी जानकारी में कमीशन का भुगतान किया जा चुका है या भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की गई है, जब तक कि ऐसे किसी कमीशन का विवरण और उसके भुगतान की शर्तें पहले से ही प्रभारी इंजीनियर को लिखित रूप में प्रकट नहीं कर दी गई हों। If the contractor shall enter into a contract with Airports Authority of India in connection with which commission has been paid or agreed to be paid by him or to his knowledge, unless the particulars of any such commission and the terms of payment thereof have been previously disclosed in writing to the Engineer-in-charge. (vii) यदि ठेकेदार गलत निविदा या प्रतिस्पर्धी निविदा के अन्य गैर-सद्भाविक तरीकों के परिणामस्वरूप एएआई के साथ अनुबंध प्राप्त करता है या सत्यनिष्ठा समझौते का कोई उल्लंघन करता है। If the contractor shall obtain a contract with AAI as a result of wrong tendering or other non-bonafide methods of competitive tendering or commits any breach of Integrity Pact. viii. यदि ठेकेदार एक व्यक्ति है, या यदि एक फर्म है, तो उसका कोई भी भागीदार किसी भी समय दिवालिया घोषित किया जाता है या उसके खिलाफ उसकी संपत्ति के प्रशासन के लिए एक प्राप्ति आदेश या आदेश दिया जाता है या किसी भी समय लागू दिवालियापन अधिनियम के तहत परिसमापन या संयोजन (समामेलन या पुनर्निर्माण के उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक परिसमापन के अलावा) के लिए कोई कार्यवाही करता है या अपने लेनदारों के लाभ के लिए अपने सामान या संयोजन या व्यवस्था का कोई हस्तांतरण या असाइनमेंट करता है या ऐसा करने का दावा करता है, या यदि उसकी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए किसी भी समय लागू दिवालियापन अधिनियम के तहत कोई आवेदन किया जाता है या यदि उसके लेनदारों के लाभ के लिए उसके द्वारा एक ट्रस्ट डीड निष्पादित किया जाता है।
--	--	--



		If the contractor being an individual, or if a firm, any partner thereof shall at any time be adjudged insolvent or have a receiving order or order for administration of his estate made against him or shall take any proceedings for liquidation or composition (other than a voluntary liquidation for the purpose of amalgamation or reconstruction) under any Insolvency Act for the time being in force or make any conveyance or assignment of his effects or composition or arrangement for the benefit of his creditors or purport so to do, or if any application be made under any Insolvency Act for the time being in force for the sequestration of his estate or if a trust deed be executed by him for benefit of his creditors. ix यदि ठेकेदार, जो एक कंपनी है, कोई प्रस्ताव पारित करता है या न्यायालय आदेश देता है कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए या यदि किसी ऋणदाता की ओर से रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त किया जाए या यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो न्यायालय या ऋणदाता को रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त करने का अधिकार देती हैं या जो न्यायालय को समाप्त आदेश देने का अधिकार देती हैं। If the contractor being a company shall pass a resolution or the court shall make an order that the company shall be wound up or if a receiver or a manager on behalf of a creditor shall be appointed or if circumstances shall arise which entitle the court or the creditor to appoint a receiver or a manager or which entitle the court to make a winding up order. x यदि ठेकेदार अपने माल पर कर लगाए जाने को सहन कर ले तथा उसे 21 दिनों की अवधि तक जारी रहने दे। If the contractor shall suffer an execution being levied on his goods and allow it to be continued for a period of 21 days. xi. यदि ठेकेदार (अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा अन्य एजेंसी को सौंपे गए कार्य के भाग को छोड़कर) को सौंपता है, स्थानांतरित करता है, उप-पट्टे पर देता है (टुकड़े-टुकड़े के आधार पर श्रमिकों की नियुक्ति या काम में शामिल न की जाने वाली सामग्रियों के साथ श्रमिकों की नियुक्ति, उप-पट्टे पर देना नहीं माना जाएगा) या अन्यथा पूरे कार्य या उसके किसी भाग को सौंपता है या सौंपने, स्थानांतरित करने, उप-पट्टे पर देने या अन्यथा अलग करने का प्रयास करता है, बिना प्रभारी अभियंता की पूर्व लिखित स्वीकृति के। जब ठेकेदार ने उपर्युक्त किसी भी मामले के तहत कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायी बना लिया है, तो एएआई के अध्यक्ष की ओर से प्रभारी अभियंता के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी: If the contractor assigns (excluding part(s) of work assigned to other agency(s) by the contractor as per terms of contract), transfers, sublets (engagement of labour on a piece-work basis or of labour with materials not to be incorporated in the work, shall not be deemed to be subletting) or otherwise parts with or attempts to assign, transfer, sublet or otherwise parts with the entire works or any portion thereof without the prior written approval of the Engineer-in-Charge. When the contractor has made himself liable for action under any of the cases aforesaid, the Engineer-in-Charge on behalf of the Chairman, AAI shall have powers : a. जहां तक ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन का संबंध है, पूर्वोक्त अनुबंध का निर्धारण करना (जिसके निर्धारण के लिए प्रभारी अभियंता के हस्ताक्षर से ठेकेदार को लिखित में नोटिस देना निर्णायक साक्ष्य होगा)। ऐसे निर्धारण पर, बयाना राशि जमा, पहले से वसूल की गई सुरक्षा जमा और अनुबंध के तहत निष्पादन गारंटी जब्त कर ली जाएगी और पूरी तरह से एएआई के अधीन होगी। To determine the contract as aforesaid so far as performance of work by the Contractor of work is concerned (of which determination notice in writing to the contractor under the hand of the Engineer-in-Charge shall be conclusive evidence). Upon such determination, the Earnest Money Deposit, Security Deposit already recovered and Performance Guarantee under the contract shall be liable to be forfeited and shall be absolutely at the disposal of the AAI. b. ठेकेदार को नोटिस देने के पश्चात ठेकेदार के काम को नापने तथा उसके हाथ से अधूरे रह गए पूरे काम या उसके शेष या
--	--	---



		भाग को लेकर किसी अन्य ठेकेदार को या किसी अन्य माध्यम से काम पूरा करने के लिए देने के लिए जिस ठेकेदार का अनुबंध ऊपर बताए अनुसार निर्धारित किया गया है, उसे शेष काम के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रभारी अभियंता द्वारा ऊपर बताए गए तरीके अपनाने की स्थिति में, ठेकेदार को किसी सामग्री को खरीदने या प्राप्त करने या किसी अनुबंध में शामिल होने या काम के निष्पादन या अनुबंध के निष्पादन के लिए किसी अग्रिम राशि देने के कारण हुई किसी भी हानि के लिए मुआवजे का कोई दावा नहीं होगा। और यदि पूर्वोक्त किसी भी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाती है, तो ठेकेदार को इस अनुबंध के तहत वास्तव में किए गए किसी भी काम या किए गए काम के लिए कोई राशि वसूलने या भुगतान किए जाने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि प्रभारी अभियंता ने ऐसे काम के निष्पादन और उसके संबंध में देय मूल्य को लिखित रूप में प्रमाणित नहीं कर दिया हो और वह केवल प्रमाणित मूल्य का भुगतान पाने का हकदार होगा। After giving notice to the contractor to measure up the work of the contractor and to take such whole, or the balance or part thereof, as shall be un-executed out of his hands and to give it to another contractor or any other means to complete the work. The contractor, whose contract is determined as above, shall not be allowed to participate in the tendering process for the balance work. In the event of above courses being adopted by the Engineer-in-Charge, the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reasons of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advances on account or with a view to the execution of the work or the performance of the contract. And in case action is taken under any of the provision aforesaid, the contractor shall not be entitled to recover or be paid any sum for any work thereof or actually performed under this contract unless and until the Engineer-in-Charge has certified in writing the performance of such work and the value payable in respect thereof and he shall only be entitled to be paid the value so certified.
--	--	---

खण्ड 3 ए**CLAUSE 3 A**

		यदि ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर के कारणों से काम शुरू नहीं किया जा सकता है तो काम पूरा होने के लिए निर्धारित समय के 1/8वें हिस्से या एक महीने के भीतर जो भी अधिक हो, कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को कारण बताते हुए नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में, ठेकेदार की बयाना राशि और प्रदर्शन गारंटी 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में कोई भी पक्ष किसी भी तरह के मुआवजे का दावा नहीं करेगा। यह खंड किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के लिए लागू नहीं होता है। In case, the work cannot be started due to reasons not within the control of the contractor within 1/8th of the stipulated time for completion of work or one month whichever is higher, either party may close the contract by giving notice to the other party stating the reasons. In such eventuality, the Earnest Money Deposit and the Performance Guarantee of the contractor shall be refunded within 30 days. Neither party shall claim any compensation for such eventuality. This clause is not applicable for any breach of the contract by either party.
--	--	---

धारा 3 बी**CLAUSE 3 B**



		ठेकेदार का निषेध i) यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार ने धारा 41(ए) के तहत सत्यनिष्ठा समझौते और धारा 41(बी) के तहत सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया है तो ठेकेदार को कार्य से वंचित किया जा सकता है। ii) ठेकेदार को घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न करने, कार्य को छोड़ देने, कार्य की घटिया गुणवत्ता, खराब/असंतोषजनक प्रदर्शन जैसे कारणों से भी कार्य से वंचित किया जा सकता है। iii) निषेध की अवधि दो वर्ष तक होगी। Debarment of Contractor i) Contractor may be debarred if it is determined under breached the Integrity Pact of clause 41(a) and Code of Integrity of clause 41(b). ii) Contractor can also be debarred for the reasons like supply of sub-standard material, non-supply of material, abandonment of work, sub-standard quality of work, poor/ unsatisfactory performance. iii) The period of debarment shall be up to two years.
--	--	--

धारा 4

CLAUSE 4

धारा-3 के तहत कार्रवाई न किए जाने पर भी ठेकेदार को मुआवजा देना होगा Contractor liable to pay compensation even if action not taken under Clause-3	किसी भी मामले में, जिसमें धारा-3 द्वारा प्रभारी अभियंता को प्रदान की गई कोई भी शक्ति प्रयोग योग्य हो गई हो और उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसका प्रयोग न किया जाना, उसकी किसी भी शर्त का अधित्याग नहीं माना जाएगा और ऐसी शक्तियां, ठेकेदार द्वारा भविष्य में चूक के किसी मामले की स्थिति में प्रयोग योग्य होंगी तथा क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार का दायित्व अप्रभावित रहेगा। यदि प्रभारी अभियंता पूर्ववर्ती खंड के तहत अपने में निहित सभी या किसी भी शक्ति को लागू करता है, तो वह यदि चाहे तो ठेकेदार को लिखित में नोटिस देने के बाद, कार्यों में या उसके ऊपर, या उसके स्थल पर, ठेकेदार के स्वामित्व वाले, या ठेकेदार द्वारा खरीदे गए और कार्य/ या उसके किसी भाग के निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी या किसी भी उपकरण, संयंत्र, सामग्री और भंडार को अपने कब्जे में ले सकता है (या प्रभारी अभियंता के पूर्ण विवेक पर, जो ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा) किराए पर उपयोग कर सकता है (किराए की राशि भी प्रभारी अभियंता के अंतिम निर्धारण में होगी), अनुबंध दलों पर या, इनके लागू न होने की स्थिति में, प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित वर्तमान बाजार दरों पर, जिसका प्रमाणपत्र अंतिम होगा और ठेकेदार, कार्यों के क्लर्क, फोरमैन या अन्य अधिकृत एजेंट पर ऐसे उपकरण, संयंत्र, सामग्री या भंडार को परिसर से हटाने के लिए बाध्यकारी होगा (ऐसी समय सीमा के भीतर जो इस प्रकार निर्दिष्ट की जाएगी) (अधिसूचना) यदि ठेकेदार ऐसी किसी मांग का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो प्रभारी इंजीनियर ठेकेदार के खर्च पर उन्हें हटा सकेगा या ठेकेदार तथा उसके सभी प्रकार के जोखिम के कारण नीलामी या निजी बिक्री द्वारा बेच सकेगा तथा ऐसी किसी हटाने की लागत तथा ऐसी किसी बिक्री से प्राप्त आय और व्यय की राशि के संबंध में प्रभारी इंजीनियर का प्रमाणपत्र ठेकेदार के विरुद्ध अंतिम और निर्णायक होगा। In any case in which any of the powers conferred upon the Engineer-in-Charge by Clause-3 thereof, shall have become exercisable and the same are not exercised, the non-exercise thereof shall not constitute a waiver of any of the conditions hereof and such powers shall notwithstanding be exercisable in the event of any future case of default by the contractor and the liability of the contractor for compensation shall remain unaffected. In the event of the Engineer-in-Charge putting in force all or any of the powers vested in him under the preceding clause he may, if he so desires after giving a notice in writing to the contractor, take possession of (or at the sole discretion of the Engineer-in-Charge which shall be final and binding on the contractor) use as on hire (the amount of the hire money being also in the final determination of the Engineer-in-Charge) all or any tools, plant, materials and stores, in or upon the works, or the site thereof belonging to the contractor, or procured by the contractor and intended to be used for the execution of the work/ or any part thereof, paying or allowing for the same in account at the contract rates, or, in the case of these not being applicable, at current market rates to be certified by the Engineer-in-Charge, whose certificate thereof shall be final, and binding on the contractor, clerk of the works, foreman or other authorised agent to remove such tools, plant, materials, or stores from the premises (within a time to be specified in such notice) in the
--	---



	event of the contractor failing to comply with any such requisition, the Engineer-in-Charge may remove them at the contractor's expense or sell them by auction or private sale on account of the contractor and his risk in all respects and the certificate of the Engineer-in-Charge as to the expenses of any such removal and the amount of the proceeds and expenses of any such sale shall be final and conclusive against the contractor.
--	---

धारा 5

CLAUSE 5

	विलंब के लिए समय और विस्तार Time and Extension for Delay	अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट अनुसार कार्यों के निष्पादन के लिए अनुमत समय या इन शर्तों के अनुसार बढ़ाया गया समय अनुबंध का सार होगा। कार्यों का निष्पादन अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित समय अवधि से या साइट सौंपे जाने की तिथि से शुरू होगा, जो भी बाद में हो। यदि ठेकेदार उपर्युक्त अनुसार कार्य के निष्पादन को शुरू करने में चूक करता है, तो एआई कानून में उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बयाना राशि और प्रदर्शन गारंटी को पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। The time allowed for execution of the Works as specified in the Schedule 'F' or the extended time in accordance with these conditions shall be the essence of the Contract. The execution of the works shall commence from such time period as mentioned in schedule 'F' or from the date of handing over of the site whichever is later. If the Contractor commits default in commencing the execution of the work as aforesaid, AAI shall without prejudice to any other right or remedy available in law, be at liberty to forfeit the earnest money & performance guarantee absolutely.
5.1		ठेका दिए जाने के बाद , 15 दिनों के भीतर, ठेकेदार को प्रत्येक मील के पत्थर के लिए समय और प्रगति चार्ट प्रस्तुत करना होगा और उसे प्रभारी इंजीनियर से अनुमोदित करवाना होगा। चार्ट को कार्य के मदों के पूरा होने के लिए अनुबंध दस्तावेजों में बताए गए समय के सीधे संबंध में तैयार किया जाएगा। इसमें कार्य के विभिन्न ट्रेडों के शुरू होने और पूरा होने की तारीखों का पूर्वानुमान दर्शाया जाएगा और इसे अनुबंध दस्तावेजों में निर्धारित समय की सीमाओं के भीतर प्रभारी इंजीनियर और ठेकेदार के बीच समझौते द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता है, और कार्य के निष्पादन के दौरान अच्छी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, ठेकेदार को उन सभी मामलों में, जिनमें किसी कार्य के लिए दिया गया समय एक महीने से अधिक है (विशेष कार्यों को छोड़कर, जिनके लिए एक अलग कार्यक्रम पर सहमति हुई है) अनुसूची 'एफ' में दिए गए मील के पत्थरों के अनुसार कार्य पूरा करना होगा। परियोजना प्रबंधन किया जाएगा Deleted a. 5.00 करोड़ रुपये तक की लागत वाले कार्यों के लिए - सीपीए/पीईआरटी चार्ट b. 5.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्य - परियोजना प्रबंधन का उपयोग करके प्रिमावेरा/एमएस जैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या कोई अन्य सॉफ्टवेयर प्रभारी इंजीनियर की स्वीकृति के साथ c. ठेकेदार को विभिन्न गतिविधियों की स्थिति और कार्य की भौतिक पूर्णता पर प्रकाश डालते हुए मासिक प्रगति रिपोर्ट (2 प्रतियां) प्रस्तुत करनी होगी। After the Contract is awarded, within 15 days, the Contractor shall submit a Time and Progress Chart for each mile stone and get it approved by the Engineer-in-charge. The Chart shall be prepared in direct relation to the time stated in the Contract documents for completion of items of the works. It shall indicate the forecast of the dates of commencement and completion of various trades of sections of the work and may be amended as necessary by agreement between the Engineer-in-Charge and the Contractor within the limitations of time imposed in the contract documents, and further to ensure good progress during the execution of the work, the contractor shall in all cases in which the time allowed for any work, exceeds one month (save for special jobs for which a



		separate programme has been agreed upon) complete the work as per mile stones given in Schedule 'F'. Project Management shall be done. a. For works costing upto Rs. 5.00 Cr. -- CPM/ PERT Chart b. Works costing more than Rs. 5.00 Cr. -- By using Project Management Software like Primavera / MS Project or any other software c. Contractor shall submit monthly progress reports (2 copies) highlighting status of various activities and physical completion of work. Deleted with the approval of Engineer-in-charge. कार्यक्रम चार्ट i. ठेकेदार को कार्य के निष्पादन के लिए परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर में एक एकीकृत कार्यक्रम चार्ट तैयार करना होगा, जिसमें कार्य की शुरुआत से लेकर पूरा होने तक की सभी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा, जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर या उससे पहले कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक जनशक्ति, उपकरण और मशीनरी का विवरण होगा और अनुबंध दिए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर इसे प्रभारी इंजीनियर को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त कार्यक्रम प्रस्तुत करने में देरी के मामले में प्रति दिन के आधार पर 2500/- रुपये (5.00 करोड़ रुपये तक की लागत वाले कार्यों के लिए) / 5000/- रुपये (5.00 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले कार्यों के लिए) की वसूली की जाएगी। ii. कार्यक्रम चार्ट में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: a. विभिन्न गतिविधियों के अनुक्रम को समझाने वाला वर्णनात्मक नोट। b. नेटवर्क (पीईआरटी / सीपीएम / बार चार्ट)। c. ठेकेदार द्वारा सामग्री की खरीद का कार्यक्रम। ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किए जाने वाले कार्य की मात्रा के अनुरूप, पर्याप्त क्षमता वाली मशीनरी/उपकरणों की तैनाती के लिए कार्यक्रम। उपरोक्त के अतिरिक्त, कार्यक्रम के अनुसार कार्य की प्रगति प्राप्त करने के लिए, ठेकेदार को कार्य की आवश्यकता के अनुसार आरसीसी कार्य पूरा होने तक कार्य शुरू होने की तिथि से एक महीने के भीतर तीन मंजिलों के लिए सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी कार्य आदि के लिए आवश्यक पर्याप्त शटरिंग सामग्री साइट पर लानी होगी। ठेकेदार निर्धारित भौतिक मील के पथचर के भीतर संरचना कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त शटरिंग शेड्यूल प्रस्तुत करेगा। iii. यदि किसी भी समय, प्रभारी अभियंता को ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य की वास्तविक प्रगति ऊपर उल्लिखित अनुमोदित कार्यक्रम के अनुरूप नहीं है या मील के पथचरों के पुनर्निर्धारण के बाद, ठेकेदार को 7 (सात) दिनों के भीतर एक संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कार्य को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित कार्यक्रम में संशोधनों को दर्शाया जाएगा। कार्यक्रम की संशोधित अनुसूची को प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करने में देरी के मामले में प्रति दिन के आधार पर 2500/- रुपये (5.00 करोड़ रुपये तक की लागत वाले कार्यों के लिए) / 5000/- रुपये (5.00 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले कार्यों के लिए) की वसूली की जाएगी। iv. ऐसे कार्यक्रम या ऐसे विवरणों के लिए प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुतीकरण, ठेकेदार को अनुबंध के अंतर्गत किसी भी कर्तव्य या जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा। यह अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रभारी इंजीनियर के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। vi. ठेकेदार को पिछले माह के दौरान किए गए कार्य के लिए ऊपर उल्लिखित बेस लाइन कार्यक्रम के साथ एमएस प्रोजेक्ट/प्रिमावेरा सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख को या उससे पहले प्रभारी इंजीनियर को प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी होने की स्थिति में प्रतिदिन के आधार पर 2500 रुपए (5.00 करोड़ रुपए तक की लागत वाले कार्यों के लिए) / 5000 रुपए (5.00 करोड़ रुपए से
--	--	---



		अधिक की लागत वाले कार्यों के लिए) की वसूली की जाएगी। PROGRAMME CHART i. The Contractor shall prepare an integrated programme chart in Project Management Software for the execution of work, showing clearly all activities from the start of work to completion, with details of manpower, equipment and machinery required for the fulfillment of the programme within the stipulated period or earlier and submit the same for approval to the Engineer-in- Charge within fifteen days of award of the contract. A recovery of Rs. 2500/- (for works costing upto Rs. 5.00 Crores) / Rs. 5000/- (for works costing more than Rs. 5.00 Crores) shall be made on per day basis in case of delay in submission of the above programme. ii. The programme chart should include the following: - Descriptive note explaining sequence of the various activities. - Network (PERT / CPM / BAR CHART). - Programme for procurement of materials by the contractor. Programme for deployment of machinery / equipment's having adequate capacity, commensurate with the quantum of work to be done within the stipulated period, by the contractor. In addition to above, to achieve the progress of work as per programme, the contractor must bring at site adequate shuttering material required for cement concrete and R.C.C. worksetc. for three floors within one month from the date of start of work till the completion of RCC work as per requirement of work. The contractor shall submit shuttering schedule adequate to complete structure work within laid down physical milestone. iii. If at any time, it appears to the Engineer-in-Charge that the actual progress of work does not conform to the approved programme referred above or after rescheduling of milestones, the contractor shall produce a revised programme within 7 (seven) days, showing the modifications to the approved programme to ensure timely completion of the work. The modified schedule of programme shall be approved by the Engineer in Charge. A recovery of Rs. 2500/- (for works costing upto Rs.5.00 Crores) / Rs. 5000/- (for works costing more than Rs.5.00 Crores) shall be made on per day basis in case of delay in submission of the modified programme. iv. The submission for approval by the Engineer-in-Charge of such programme or such particulars shall not relieve the contractor of any of the duties or responsibilities under the contract. This is without prejudice to the right of Engineer-in-Charge to take action against the contractor as per terms and conditions of the agreement. iv. The contractor shall submit the progress report using MS Project/Primavera software with base line programme referred above for the work done during previous month to the Engineer-in-charge on or before 5th day of each month failing which a recovery Rs. 2500/- (for works costing upto Rs.5.00 Crores) / Rs. 5000/- (for works costing more than Rs.5.00 Crores) shall be made on per day basis in case of delay in submission of the monthly progress report.
5.2		यदि कार्य में देरी हो तो:- i. अप्रत्याशित घटना, या आतंकवादी कृत्य



		ii. असामान्य रूप से खराब मौसम, या iii. आग से गंभीर हानि या क्षति, या iv. नागरिक उपद्रव, कामगारों का स्थानीय उपद्रव, हड़ताल या तालाबंदी, जिससे कार्य पर नियोजित किसी भी ट्रेड पर असर पड़े, या v. प्रभारी अभियंता द्वारा अनुबंध का हिस्सा न बनने वाले कार्य के निष्पादन के लिए नियुक्त अन्य ठेकेदारों या कारीगरों की ओर से देरी, या vi. सामान की अनुपलब्धता, जिसकी आपूर्ति या रखरखाव की जिम्मेदारी एएआई की है। vii. एएआई द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले उपकरणों और संयंत्र की अनुपलब्धता या टूट-फूट या (viii) कोई अन्य कारण जो प्रभारी इंजीनियर के पूर्ण विवेक के अनुसार ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर है, तो देरी का कारण बनने वाली किसी भी ऐसी घटना के होने पर, ठेकेदार तुरंत प्रभारी इंजीनियर को लिखित रूप में इसकी सूचना देगा, लेकिन फिर भी देरी को रोकने या ठीक करने के लिए लगातार अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा और काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रभारी इंजीनियर की संतुष्टि के लिए वह सब कुछ करेगा जो उचित रूप से आवश्यक हो। कार्य के निष्पादन के दौरान एजेंसी और संबंधित हितधारकों के साथ सभी पत्राचार को देरी का कारण बनने वाली बाधाओं के मूल्यांकन के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय विस्तार प्रदान करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। If the work(s) be delayed by:- - Force majeure, or an act of terrorism - Abnormally bad weather, or - Serious loss or damage by fire, or - Civil commotion, local commotion of workmen, strike or lockout, affecting any of the trades employed on the work, or - Delay on the part of other contractors or tradesmen engaged by Engineer-in-Charge for executing work not forming part of the Contract, or - Non-availability of stores, which are the responsibility of AAI to supply or - Non-availability or break down of tools and Plant to be supplied or supplied by AAI or - Any other cause which, in the absolute discretion of the Engineer-in-Charge is beyond the Contractor's control then upon the happening of any such event causing delay, the contractor shall immediately give notice thereof in writing to the Engineer-in-Charge but shall nevertheless use constantly his best endeavors to prevent or make good the delay and shall do all that may be reasonably required to the satisfaction of the Engineer-in-charge to proceed with the works. All correspondence with the agency and concerned stakeholders during execution of works will be taken into consideration for evaluation of hindrances causing delay, for grant of extension of time by the Competent Authority.
5.3		विचार के लिए पात्र होने के लिए मील के पथरों के पुनर्निर्धारण और समय के विस्तार के लिए अनुरोध, ठेकेदार द्वारा देरी का कारण बनने वाली घटना के घटित होने के चौदह दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर अनुसूची 'एफ' में दर्शाए गए प्राधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा। ठेकेदार, यदि व्यावहारिक हो, तो ऐसे अनुरोध में वह अवधि भी इंगित कर सकता है जिसके लिए विस्तार वांछित है। Request for rescheduling of Milestones and extension of time, to be eligible for consideration, shall be made by the contractor in writing within fourteen days of the happening of the event causing delay on the prescribed form to the authority indicated in schedule 'F'. The contractor may also, if practicable, indicate in such a request the period for which extension is desired.
5.4		ऐसे किसी भी मामले में, अनुसूची 'एफ' में दर्शाए गए प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रभारी अभियंता समय का उचित और उचित विस्तार दे सकता है और कार्य पूरा करने के लिए मील के पथरों को पुनर्निर्धारित कर सकता है। मील के पथरों के ऐसे विस्तार या पुनर्निर्धारण के बारे में प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में ठेकेदार को क्रमशः ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से 1 महीने या 4 सप्ताह के भीतर सूचित किया जाएगा। समय के विस्तार/मील के पथरों के पुनर्निर्धारण के लिए ठेकेदार द्वारा आवेदन न करना, अनुसूची 'एफ' में दर्शाए गए प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रभारी अभियंता द्वारा मील के पथरों के उचित और उचित विस्तार/पुनर्निर्धारण के लिए बाधा नहीं होगा और यह ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।



		In any such case the Engineer-in-Charge with the approval of authority indicated in Schedule 'F' may give a fair and reasonable extension of time and reschedule the Milestones for completion of work. Such extension or re-scheduling of the milestone shall be communicated to the contractor by the Engineer-in-charge in writing, within 1 month or 4 weeks of the date of receipt of such request respectively. Non-application by the contractor for extension of time/ re-scheduling of milestones shall not be a bar for giving a fair and reasonable extension / re-scheduling of milestones by the Engineer-in-charge with the approval of authority indicated in schedule 'F' and this shall be binding on the contractor.
--	--	--

धारा 6

CLAUSE 6

किये गये कार्य का मापन Measurements of Work Done	प्रभारी इंजीनियर, जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, किए गए कार्य के अनुबंध के अनुसार माप द्वारा मूल्य का पता लगाएगा और निर्धारण करेगा। वित्तीय मूल्य वाली सभी वस्तुओं का माप माप पुस्तिका और/या स्तर क्षेत्र पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा ताकि अनुबंध के तहत किए गए सभी कार्यों का पूर्ण रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सके। सभी माप और स्तर प्रभारी इंजीनियर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा तथा ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर कार्य की प्रगति के दौरान संयुक्त रूप से लिए जाएंगे तथा ऐसे मापों पर प्रभारी इंजीनियर और ठेकेदार या उनके प्रतिनिधियों द्वारा अपनी स्वीकृति के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा दिनांकित किया जाएगा। यदि ठेकेदार दर्ज किए गए किसी माप पर आपत्ति करता है, तो उस संबंध में कतिपय दिनों के भीतर एक मोट्टे बनाया जाएगा तथा दोनों पक्षों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि किसी कारणवश ठेकेदार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं है और प्रभारी इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा माप दर्ज करने का कार्य स्थगित कर दिया जाता है, तो प्रभारी इंजीनियर और विभाग इस कारण से ठेकेदार की ओर से किसी नुकसान या क्षति के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं करेंगे। यदि ठेकेदार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि, ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को तीन (3) दिन पहले लिखित में नोटिस दिए जाने के बाद भी ऐसे माप के समय उपस्थित नहीं रहता है या माप की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्रतिहस्ताक्षर करने या आपत्ति दर्ज करने में विफल रहता है, तो प्रभारी इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा उसकी अनुपस्थिति में दर्ज किए गए ऐसे माप ठेकेदार द्वारा स्वीकार किए गए माने जाएंगे। ठेकेदार को, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, मापन और स्तरों की रिकॉर्डिंग के लिए आवश्यक हर उपकरण, श्रम और अन्य चीजों के साथ सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करानी होगी। सिवाय इसके कि जहां कार्य का कोई सामान्य या विस्तृत विवरण स्पष्ट रूप से इसके विपरीत दर्शाता है, माप विनिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा, भले ही माप की प्रासंगिक मानक विधि या किसी सामान्य या स्थानीय प्रथा में कोई प्रावधान हो। उन वस्तुओं के मामले में जो विनिर्देशों द्वारा कवर नहीं की जाती हैं, माप भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी माप की प्रासंगिक मानक विधि के अनुसार लिया जाएगा और यदि किसी वस्तु के लिए ऐसा कोई मानक उपलब्ध नहीं है, तो पारस्परिक रूप से सहमत विधि का पालन किया जाएगा। ठेकेदार किसी कार्य को ढकने या अन्यथा माप की पहुंच से बाहर रखने से पहले, प्रभारी इंजीनियर या कार्य के उसके अधिकृत प्रतिनिधि को कम से कम सात दिन का नोटिस देगा, ताकि उसे मापा जा सके और उसे ढकने या माप की पहुंच से बाहर रखने से पहले उसके सही आयाम लिए जा सकें और वह कार्य को प्रभारी इंजीनियर या कार्य के उसके अधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना नहीं ढकेगा और माप की पहुंच से बाहर नहीं रखेगा, जो सात दिन की पूर्वोक्त अवधि के भीतर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कोई कार्य ऐसी सूचना दिए बिना या प्रभारी इंजीनियर की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना ढक दिया जाता है या माप की पहुंच से बाहर रख दिया जाता है, तो उसे ठेकेदार के खर्च पर खोला जाएगा, या ऐसा न करने पर ऐसे कार्य या जिन सामग्रियों से उसे निष्पादित किया गया था, उनके लिए कोई भुगतान या भत्ता नहीं दिया जाएगा। प्रभारी अभियंता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि स्वयं या विभाग के किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से संयुक्त रूप से या अन्यथा दर्ज मापों की पूर्वोक्त जांच करा सकेगा और मापों या स्तरों की ऐसी जांच पर इसमें ऊपर निर्धारित सभी प्रावधान लागू होंगे। इस अनुबंध की यह भी शर्त है कि माप पुस्तिका में किसी कार्य की वस्तु के माप को दर्ज करना और/या अंतरिम, लेखा या अंतिम बिल में उसका भुगतान, उससे संबंधित किसी कार्य या सामग्री की पर्याप्तता के बारे में निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जाएगा और न ही यह दोष दायित्व अवधि के पूरा होने तक ठेकेदार को किसी अधिक माप या देखे गए दोष के दायित्व से मुक्त करेगा।
--	---



		Engineer-in-charge shall, except as otherwise provided, ascertain and determine by measurement, the value in accordance with the contract of work done. All measurement of all items having financial value shall be entered in Measurement Book and/or level field book so that a complete record is obtained of all works performed under the contract. All measurements and levels shall be taken jointly by the Engineer-in-Charge or his authorised representative and by the contractor or his authorised representative from time to time during the progress of the work and such measurements shall be signed and dated by the Engineer-in-Charge and the contractor or their representatives in token of their acceptance. If the contractor objects to any of the measurements recorded, a note shall be made to that effect with reason and signed by both the parties. If for any reason the contractor or his authorised representative is not available and the work of recording measurements is suspended by the Engineer-in-Charge or his representative, the Engineer-in-Charge and the Department shall not entertain any claim from contractor for any loss or damages on this account. If the contractor or his authorised representative does not remain present at the time of such measurements after the contractor or his authorised representative has been given a notice in writing three (3) days in advance or fails to countersign or to record objection within a week from the date of the measurement, then such measurements recorded in his absence by the Engineer-in-Charge or his representative shall be deemed to be accepted by the Contractor. The contractor shall, without extra charge, provide all assistance with every appliance, labour and other things necessary for measurements and recording levels. Except where any general or detailed description of the work expressly shows to the contrary, measurements shall be taken in accordance with the procedure set forth in the specifications notwithstanding any provision in the relevant Standard Method of measurement or any general or local custom. In the case of items which are not covered by specifications, measurements shall be taken in accordance with the relevant standard method of measurement issued by the Bureau of Indian Standards and if for any item no such standard is available, then a mutually agreed method shall be followed. The contractor shall give, not less than seven days' notice to the Engineer-in-Charge or his authorised representative of the work, before covering up or otherwise placing beyond the reach of measurement any work in order that the same may be measured and correct dimensions thereof be taken before the same is covered up or placed beyond the reach of measurement and shall not cover up and place beyond reach of measurement any work without consent in writing of the Engineer-in-Charge or his authorised representative of the work who shall within the aforesaid period of seven days inspect the work, and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of measurements without such notice having been given or the Engineer-in-Charge's consent being obtained in writing, the same shall be uncovered at the Contractor's expense, or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed. Engineer-in-Charge or his authorised representative may cause either themselves or through another officer of the department to check the measurements recorded jointly or otherwise as aforesaid and all provisions stipulated herein above shall be applicable to such checking of measurements or levels. It is also a term of this contract that recording of measurements of any item of work in the measurement book and/or its payment in the interim, on account or
--	--	---



		final bill shall not be considered as conclusive evidence as to the sufficiency of any work or material to which it relates nor shall it relieve the contractor from liabilities from any over measurement or defects noticed till completion of the defects liability period.
--	--	--

धारा 6 ए

Clause 6 A

कंप्यूटरीकृत माप किताब Computerised Measurement Book	5.00 लाख रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए कंप्यूटरीकृत माप अनिवार्य है। हालांकि 5.00 लाख रुपये से कम लागत वाले कार्यों के मामले में, प्रभारी अभियंता यदि आवश्यक हो तो कंप्यूटरीकृत माप को अपनाने का निर्णय ले सकता है, अन्यथा प्रावधान के अलावा, अनुबंध के अनुसार किए गए कार्य के मूल्य का मापन करके पता लगा सकता है और निर्धारित कर सकता है। वित्तीय मूल्य वाली सभी वस्तुओं के सभी माप ठेकेदार द्वारा दर्ज किए जाएंगे और विभाग के प्रारूप के अनुसार ए-4 आकार के पृष्ठों वाली कंप्यूटरीकृत माप पुस्तिका के रूप में संकलित किए जाएंगे ताकि अनुबंध के तहत किए गए कार्यों की सभी वस्तुओं का पूरा रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सके। Computerised measurement is mandatory for works costing more than Rs 5.00 Lacs. However in case of works costing lesser than Rs. 5.00 Lacs Engineer-in-Charge may decide for adopting computerized measurement if required, except as otherwise provided, ascertain and determine by measurement the value of work done in accordance with the contract. All measurements of all items having financial value shall be entered by the contractor and compiled in the shape of the Computerized Measurement Book having pages of A-4 size as per the format of the department so that a complete record is obtained of all the items of works performed under the contract.
	ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्य की प्रगति के दौरान समय-समय पर दर्ज किए गए ऐसे सभी मापों और स्तरों की जांच ठेकेदार द्वारा प्रभारी इंजीनियर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि से, प्रभारी इंजीनियर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के परामर्श से तय अंतराल या कार्यक्रम के अनुसार करवाई जाएगी। प्रभारी इंजीनियर द्वारा आवश्यक सुधार किए जाने के बाद, माप पत्रक ठेकेदार को वापस कर दिए जाएंगे ताकि वे सुधार शामिल कर सकें और प्रभारी इंजीनियर तथा ठेकेदार या उनके प्रतिनिधियों द्वारा उनकी स्वीकृति के प्रमाण के रूप में दिनांकित हस्ताक्षर के लिए प्रभारी इंजीनियर को पुनः प्रस्तुत किए जा सकें। All such measurements and levels recorded by the contractor or his authorised representative from time to time, during the progress of the work, shall be got checked by the contractor from the Engineer-in-Charge or his authorised representative as per interval or program fixed in consultation with Engineer-in-Charge or his authorised representative. After the necessary corrections made by the Engineer-in-Charge, the measurement sheets shall be returned to the contractor for incorporating the corrections and for resubmission to the Engineer-in-Charge for the dated signatures by the Engineer-in-Charge and the contractor or their representatives in token of their acceptance. जब भी बिल का भुगतान होना हो, ठेकेदार शुरू में ड्राफ्ट कंप्यूटरीकृत माप पत्रक प्रस्तुत करेगा और इन मापों की जाँच/परीक्षण जाँच प्रभारी इंजीनियर और/या उसके अधिकृत प्रतिनिधि से कराई जाएगी। इसके बाद ठेकेदार इन जाँचों/परीक्षण जाँचों के दौरान किए जाने वाले परिवर्तनों को अपने ड्राफ्ट कंप्यूटरीकृत मापों में शामिल करेगा और विभाग को एक कंप्यूटरीकृत माप पुस्तिका प्रस्तुत करेगा, जो विधिवत जिल्दबंद होगी और जिसके पृष्ठ मशीन क्रमांकित होंगे। इसके बाद प्रभारी इंजीनियर और/या उसके अधिकृत प्रतिनिधि इस एमबी की जाँच करेंगे और अपनी जाँचों/परीक्षण जाँचों के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र दर्ज करेंगे। Whenever bill is due for payment, the contractor would initially submit draft computerized measurement sheets and these measurements would be got checked/test checked from the Engineer-in-Charge and/or his authorized representative. The contractor will, thereafter, incorporate such changes as may be done during these checks/test checks in his draft computerised measurements, and submit to the department a computerised measurement book,



		duly bound, and with its pages machine numbered. The Engineer-in-Charge and/or his authorised representative would thereafter check this MB, and record the necessary certificates for their checks/test checks. ठेकेदार द्वारा दी गई अंतिम, निष्पक्ष, कम्प्यूटरीकृत माप पुस्तिका, विधिवत जिल्दबंद, जिसके पृष्ठों पर मशीन से क्रमांक अंकित हो, 100% सही होनी चाहिए, तथा उसके बाद माप में किसी प्रकार की काट-छांट या ओवरराइटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो ठेकेदार को विभाग द्वारा पहले की माप पुस्तिका को रद्द करवाने के बाद, एक नई कम्प्यूटरीकृत माप पुस्तिका प्रस्तुत करनी होगी, जिसके पृष्ठ विधिवत मशीन से क्रमांकित और जिल्दबंद हों। उसके बाद, माप पुस्तिका को प्रभारी अभियंता के अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा, तथा कम्प्यूटरीकृत माप पुस्तिकाओं के रजिस्टर के अनुसार उसे एक संख्या आवंटित की जाएगी। यह कार्य भुगतान के लिए प्रभारी अभियंता को संबंधित बिल प्रस्तुत करने से पहले किया जाना चाहिए। ठेकेदार को विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा संदर्भ और अभिलेख के उद्देश्य से ऐसी कम्प्यूटरीकृत माप पुस्तिकाओं की दो अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। The final, fair, computerised measurement book given by the contractor, duly bound, with its pages machine numbered, should be 100% correct, and no cutting or overwriting in the measurements would thereafter be allowed. If at all any error is noticed, the contractor shall have to submit a fresh computerized MB with its pages duly machine numbered and bound, after getting the earlier MB cancelled by the department. Thereafter, the MB shall be taken in the records of Engineer-in-charge, and allotted a number as per the Register of Computerized MBs. This should be done before the corresponding bill is submitted to the Engineer-in-charge for payment. The contractor shall submit two spare copies of such computerized MB's for the purpose of reference and record by the various officers of the department. ठेकेदार को विभाग को अलग से अपना कम्प्यूटरीकृत लागत सार और इन मापों पर आधारित बिल भी प्रस्तुत करना होगा, जो विधिवत रूप से जिल्दबंद हो और जिसके पृष्ठ मशीन क्रमांकित हों, साथ ही बिल की दो अतिरिक्त प्रतियाँ भी प्रस्तुत करनी होंगी। इसके बाद, इस बिल को प्रभारी अभियंता द्वारा संसाधित किया जाएगा और कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड के अनुसार उसी तरह एक नंबर आवंटित किया जाएगा, जैसे माप के लिए बनाई गई माप पुस्तिका के लिए किया जाता है। The contractor shall also submit to the department separately his computerized Abstract of Cost and the bill based on these measurements, duly bound, and its pages machine numbered alongwith two spare copies of the "bill. Thereafter, this bill will be processed by the Engineer-in-charge and allotted a number as per the computerized record in the same way as done for the measurement book meant for measurements. ठेकेदार को, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, प्रभारी इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा माप/स्तर की जांच के लिए आवश्यक प्रत्येक उपकरण, श्रम और अन्य चीजों के साथ सभी सहायता प्रदान करनी होगी। The contractor shall, without extra charge, provide all assistance with every appliance, labour and other things necessary for checking of measurements / levels by the Engineer-in-charge or his representative. सिवाय इसके कि जहां कार्य का कोई सामान्य या विस्तृत विवरण स्पष्ट रूप से इसके विपरीत दर्शाता है, माप माप की प्रासंगिक मानक विधि या किसी भी सामान्य स्थानीय प्रथा में किसी भी प्रावधान के बावजूद विनिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा। उन वस्तुओं के मामले में जो विनिर्देशों द्वारा कवर नहीं की जाती हैं, माप भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी माप की प्रासंगिक मानक विधि के अनुसार लिया जाएगा और यदि किसी वस्तु के लिए ऐसा कोई मानक उपलब्ध नहीं है तो पारस्परिक रूप से सहमत विधि का पालन किया जाएगा। Except where any general or detailed description of the work expressly shows to the contrary, measurements shall be taken in accordance with the procedure set forth in the specifications notwithstanding any provision in the relevant Standard Method of measurement or any general of local custom. In the case of
--	--	---



	item which are not covered by specifications, measurements shall be taken in accordance with the relevant standard method of measurement issued by the Bureau of Indian Standards and if for any item no such standard is available then a mutually agreed method shall be followed. ठेकेदार को इंजीनियर-इन-चीफ को कम से कम सात दिन का नोटिस देना होगा। किसी कार्य के माप को ढकने या अन्यथा जाँच और/या परीक्षण जाँच की पहुँच से बाहर रखने से पहले कार्य के प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को उस कार्य को सौंपना होगा ताकि उसकी जाँच की जा सके और/या परीक्षण जाँच की जा सके और उसे ढकने या जाँच और/या परीक्षण जाँच की पहुँच से बाहर रखने से पहले उसके सही आयाम लिए जा सकें और कार्य के प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना किसी कार्य को ढकना या माप की पहुँच से बाहर नहीं रखना होगा, जो उपर्युक्त सात दिनों की अवधि के भीतर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कोई कार्य बिना सूचना दिए या प्रभारी अभियंता की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना ढक दिया जाता है या जाँच और/या परीक्षण जाँच की पहुँच से बाहर रखा जाता है तो उसे ठेकेदार के खर्च पर खोला जाएगा या ऐसा न करने पर ऐसे कार्य या जिन सामग्रियों से उसे निष्पादित किया गया था, के लिए कोई भुगतान या भत्ता नहीं दिया जाएगा। The contractor shall give not less than seven days' notice to the Engineer-in-Charge or his authorized representative of the work before covering up or otherwise placing beyond the reach of checking and / or test checking the measurement of any work in order that the same be checked and / or test checked and correct dimensions thereof be taken before the same is covered up or placed beyond the reach of checking and / or test checking measurement and shall not cover up and place beyond reach of measurement any work without consent in writing of the Engineer-in-charge or his authorized representative of the work who shall within the aforesaid period of seven days inspect the work, and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of checking and / or test checking measurements without such notice having been given or the Engineer-in-charge's consent being obtained in writing the same shall be uncovered at the contractor's expense, or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.
	प्रभारी अभियंता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं या विभाग के किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से ठेकेदार द्वारा दर्ज मापों की जाँच करा सकेगा और मापों या स्तरों की ऐसी जाँच पर ऊपर निर्धारित सभी प्रावधान लागू होंगे। इस अनुबंध की यह भी शर्त है कि माप पुस्तिका में किसी कार्य के आइटम के माप की जाँच और/या परीक्षण जाँच तथा/या अंतिम बिल के कारण अंतरिम भुगतान को किसी कार्य या सामग्री की पर्याप्तता के बारे में निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जाएगा, जिससे वह संबंधित है और न ही यह दोष दायित्व अवधि के पूरा होने तक ठेकेदार को किसी अधिक माप या पाए गए दोषों के उत्तरदायित्व से मुक्त करेगा। Engineer-in-charge or his authorised representative may cause either themselves or through another officer of the department to check the measurements recorded by contractor and all provisions stipulated herein above shall be applicable to such checking of measurements or levels. It is also a term of this contract that checking and/or test checking the measurements of any item of work in the measurement book and/or its payment in the interim, on account of final bill shall not be considered as conclusive evidence as to the sufficiency of any work or material to which it relates nor shall it relieve the contractor from liabilities from any over measurement or defects noticed till completion of the defects liability period.



मध्यवर्ती प्रमाणपत्र पर भुगतान को अग्रिम माना जाएगा Payment on Intermediate Certificate to be regarded as Advances	एक लाख रुपये या उससे कम लागत के अनुमानित कार्य के लिए तब तक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि पूरा कार्य पूरा न हो जाए और पूर्णता प्रमाण पत्र न दे दिया जाए एक लाख रुपये से अधिक लागत के अनुमानित कार्यों के लिए, ठेकेदार द्वारा विभाग के प्रारूप पर ऐसे दर्ज मापों के आधार पर निष्पादित कार्य के लिए अंतरिम या चालू खाता बिल तीन प्रतियों में प्रभारी अभियंता द्वारा उसके लिए निर्धारित प्रत्येक माह की तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किए गए सकल कार्य के साथ शुद्ध भुगतान/संग्रहित सामग्री के लिए अग्रिम का समायोजन, यदि कोई हो, है तो ठेकेदार ऐसे किसी भी अंतरिम भुगतान का हकदार नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अंतिम भुगतान अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट राशि से कम है, ऐसी स्थिति में अंतरिम बिल अपेक्षित प्रगति प्राप्त होने के बाद महीने की नियत तारीख को तैयार किया जाएगा। प्रभारी अभियंता कार्य के अपेक्षित माप लेने या जहां आवश्यक हो, लेने के द्वारा बिल को सत्यापित करने की व्यवस्था करेगा। ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, प्रभारी अभियंता ऐसे बिल तैयार करेगा या तैयार करवाएगा, ऐसी स्थिति में भुगतान में देरी के कारण ब्याज सहित किसी भी तरह का दावा ठेकेदार को देय नहीं होगा। स्वीकार्य राशि के लिए भुगतान प्रभारी अभियंता द्वारा किया जाएगा, जिसमें वह राशि प्रमाणित की जाएगी जिसका ठेकेदार प्रभारी अभियंता द्वारा तय दरों पर अंतरिम भुगतान के रूप में हकदार माना जाता है। जांच के तहत बिल की शुद्ध राशि के 75% से कम नहीं, तदर्थ भुगतान की राशि, ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत अभियंता को बिल प्रस्तुत करने के 10 कार्य दिवसों के भीतर विभाग द्वारा जारी की गई सामग्री, या नष्ट की गई सामग्री, यदि कोई हो, के खाते के साथ की जाएगी। शेष भुगतान भी ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 28 कार्य दिवसों के भीतर बिल की अंतिम जांच के बाद किया जाना है। ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 30 दिनों के बाद मध्यवर्ती बिलों के भुगतान में देरी के मामले में, बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल सही पाया गया हो, निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तारीख से सामान्य भविष्य निधि की प्रचलित ब्याज दर पर साधारण ब्याज का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा। ऐसे सभी अंतरिम भुगतानों को केवल अंतिम भुगतान के विरुद्ध अग्रिम के रूप में भुगतान माना जाएगा और खराब, अस्वस्थ और अपूर्ण या अकुशल कार्य को अस्वीकार करने, हटाने, ले जाने और पुनर्निर्माण या फिर से खड़ा करने की आवश्यकता को नहीं रोका जाएगा। ऐसे भुगतान का हिस्सा बनने वाले किए गए कार्य या वितरित सामग्री से संबंधित प्रभारी अभियंता द्वारा दिया गया कोई भी प्रमाण पत्र, किसी भी बाद के ऐसे प्रमाण पत्र या अंतिम प्रमाण पत्र द्वारा संशोधित या ठीक किया जा सकता है और यह अपने आप में निर्णायक सबूत नहीं होगा कि कोई भी कार्य या सामग्री जिससे यह संबंधित है, अनुबंध और विनिर्देशों के अनुसार है। ऐसा कोई भी अंतरिम भुगतान, या उसका कोई भी भाग किसी भी तरह से अनुबंध के तहत प्रभारी अभियंता की शक्तियों को समाप्त, निर्धारित या प्रभावित नहीं करेगा या ऐसे किसी भी भुगतान को खातों का अंतिम निपटान और समायोजन नहीं माना जाएगा या किसी भी तरह से अनुबंध को प्रभावित या भिन्न नहीं किया जाएगा। कार्य समाप्ति की तिथि पर विचार किए जाने या विस्तार किए जाने तक, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य समाप्ति की तिथि में विस्तार नहीं दिया जाता है, तो कार्य समाप्ति में देरी के लिए इस अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत कार्रवाई करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यहां प्रदान किए अनुसार अंतरिम भुगतान जारी रहेंगे। प्रभारी अभियंता अपने विवेकानुसार सहायक प्रबंधक/प्रबंधक (इंजीनियरिंग) से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर कि कार्य प्रश्रुत स्तर तक पूरा हो चुका है, लिटल स्तर (सनशेड आदि सहित) और स्लैब स्तर तक किए गए कार्य (नींव, फिनिशिंग मर्दों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर) के लिए विस्तृत माप के बिना अंतरिम अग्रिम भुगतान करता है, जो प्रत्येक मंजिल के लिए निर्धारित मूल्य का 75% होता है। इस प्रकार स्वीकृत अग्रिम भुगतान को अंतरिम भुगतान के 10 दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आगामी अंतरिम बिलों में समायोजित किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने में देरी होने की स्थिति में, निर्धारित 10 दिनों की समाप्ति की तिथि से अग्रिम भुगतान पर 10% (प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से एआई को साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा। No payment shall be made for work, estimated to cost Rs. One lac or less till after the whole of the work shall have been completed and certificate of completion given. For works estimated to cost over Rs. One lac, the interim or running account bills shall be submitted by the contractor for the work executed on the basis of such recorded measurements on the format of the Department in triplicate on or before the date of every month fixed for the same by the Engineer-in-Charge. The contractor shall not be entitled to be paid any such interim payment if the gross work done together with net payment/ adjustment of advances for material collected, if any, since the last such payment is less than the amounts specified in Schedule 'F', in which case the interim bill shall be prepared on the appointed date of the month after the requisite progress is achieved. Engineer-in- Charge shall arrange to have the bill verified by taking or causing to be taken, where necessary, the requisite measurements of the work.
--	--



		In the event of the failure of the contractor to submit the bills, Engineer-in-Charge shall prepare or cause to be prepared such bills in which event no claims whatsoever due to delays on payment including that of interest shall be payable to the contractor. Payment on account of amount admissible shall be made by the Engineer-in-Charge certifying the sum to which the contractor is considered entitled by way of interim payment at such rates as decided by the Engineer-in-Charge. An amount of ad-hoc payment not less than 75% of the net amount of the bill under check, shall be made within 10 working days of submission of the bill by the Contractor to the Engineer-in-Charge or his Authorized Engineer together with the account of the material issued by the department, or dismantled materials, if any. The remaining payment is also to be made after final checking of the bill within 28 working days of submission of bill by the contractor. In case of delay in payment of intermediate bills after 30 days of submission of bill by the contractor, provided the bill submitted by the contractor found to be in order, a simple interest @ prevailing rate of interest of General Provident Fund shall be paid to the contractor from the date of expiry of prescribed time limit. All such interim payments shall be regarded as payment by way of advances against final payment only and shall not preclude the requiring of bad, unsound and imperfect or unskilled work to be rejected, removed, taken away and reconstructed or re-erected. Any certificate given by the Engineer-in-charge relating to the work done or materials delivered forming part of such payment, may be modified or corrected by any subsequent such certificate(s) or by the final certificate and shall not by itself be conclusive evidence that any work or materials to which it relates is are in accordance with the contract and specifications. Any such interim payment, or any part thereof shall not in any respect conclude, determine or affect in any way powers of the Engineer-in-charge under the contract or any of such payments be treated as final settlement and adjustment of accounts or in any way vary or affect the contract. Pending consideration or extension of date of completion, interim payments shall continue to be made as herein provided without prejudice to the right of the department to take action under the terms of this contract for delay in the completion of work, if the extension of date of completion is not granted by the competent authority. The Engineer-in-Charge in his sole discretion on the basis of a certificate from the Asstt Manager / Manager (Engg) to the effect that the work has been completed up to the level in question make interim advance payments without detailed measurements for work done (other than foundations, items to be covered under finishing items) up to lintel level (including sunshade etc.) and slab level, for each floor working out at 75% of the assessed value. The advance payments so allowed shall be adjusted in the subsequent interim bill(s) to be submitted by the contractor within 10 days of the interim payment. In case of delay in submission of bill by the contractor a simple interest @ 10% (percent) per annum on the advance payment made shall be paid to the AAI from the date of expiry of prescribed 10 days.
--	--	---



		जब तक ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता को लागू श्रम लाइसेंस, ईपीएफओ, ईएसआईसी और बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण, जो भी लागू हो, प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, तब तक कार्य के लिए कोई चालू खाता बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। No Running Account Bill shall be paid for the work till the applicable labour licenses, registration with EPFO, ESIC and BOCW Welfare Board, whatever applicable are submitted by the contractor to the Engineer-in-Charge.
--	--	--

धारा 8

पूर्णता प्रमाण पत्र और समापन योजनाएँ Completion Certificate and Completion Plans	कार्य पूरा होने के दस दिनों के भीतर, ठेकेदार को प्रभारी इंजीनियर को कार्य पूरा होने की सूचना देनी होगी और ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, प्रभारी इंजीनियर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कार्य में कोई दोष नहीं है, तो ठेकेदार को कार्य पूरा होने का अंतिम प्रमाण पत्र देना होगा, अन्यथा भौतिक रूप से पूरा होने का एक अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें (क) ठेकेदार द्वारा सुधरे जाने वाले दोष और/या (ख) जिसके लिए कम दरों पर भुगतान किया जाएगा, दर्शाए जाएंगे। लेकिन जब तक ठेकेदार उस परिसर से, जिसमें कार्य किया जाना है, सभी मचान, अतिरिक्त सामग्री, कूड़ा-कचरा तथा सभी झोपड़ियाँ और स्वच्छता व्यवस्थाएँ नहीं हटा लेता है, जो कार्य के निष्पादन के संबंध में साइट पर उसके/उनके काम करने वाले लोगों के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें ठेकेदार द्वारा खड़ा किया गया है या निर्मित किया गया है, तथा भवन के सभी लकड़ी के काम, दरवाजे, खिड़कियाँ, दीवारें, फर्श या अन्य भागों से गंदगी साफ नहीं कर लेता है, जिसमें, जिसके ऊपर या जिसके आसपास कार्य किया जाना है या जिसके निष्पादन के प्रयोजन के लिए उसका कब्जा रहा हो; तब तक 'सिविल निर्माण कार्य' के लिए कार्य पूरा नहीं माना जाएगा, और तब तक नहीं जब तक कि कार्य को प्रभारी इंजीनियर द्वारा नाप नहीं लिया जाता है। यदि ठेकेदार मचान, अतिरिक्त सामग्री और कूड़ा-कचरा तथा सभी झोपड़ियों और स्वच्छता व्यवस्था को हटाने तथा कार्य पूरा होने के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले गंदगी साफ करने के संबंध में इस खंड की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो प्रभारी इंजीनियर ठेकेदार के खर्च पर ऐसे मचान, अतिरिक्त सामग्री और कूड़ा-कचरा आदि को हटा सकता है, तथा उसका निपटान जैसा वह उचित समझे, कर सकता है और पूर्वोक्त गंदगी को साफ कर सकता है, तथा ठेकेदार का मचान या अतिरिक्त सामग्री के संबंध में कोई दावा नहीं होगा, सिवाय इसके कि उसकी बिक्री से वास्तव में प्राप्त राशि ही हो। a. विद्युत और यांत्रिक पूंजीगत कार्यों के लिए: ठेकेदार को साइट से कचरा हटाना होगा। पूर्णता प्रमाण पत्र दर्ज करने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए: पूर्णता योजना, रखरखाव मैनुअल, विनिर्माण सूची प्रस्तुत करना तथा प्रणाली के लिए प्रदर्शन परीक्षण देना। b. मरम्मत कार्यों के लिए: मरम्मत की गई प्रणाली का प्रदर्शन परीक्षण किया गया है और संतोषजनक पाया गया है। c. एमसी कार्य के लिए: प्रणाली का उसके प्रदर्शन/पूर्णता के लिए परीक्षण किया गया है तथा परिचालन और रखरखाव के लिए एआई/अगली एजेंसी को सौंप दिया गया है। Within ten days of the completion of the work, the contractor shall give notice of such completion to the Engineer-in-Charge and within thirty days of the receipt of such notice, the Engineer-in-Charge shall inspect the work and if there is no defect in the work, shall furnish the contractor with a final certificate of completion, otherwise a provisional certificate of physical completion indicating defects (a) to be rectified by the contractor and/or (b) for which payment will be made at reduced rates, shall be issued. But no final certificate of completion shall be issued, nor shall the work be considered to be complete for 'Civil Construction Works' until the contractor shall have removed from the premises on which the work shall be executed all scaffolding, surplus materials, rubbish and all huts and sanitary arrangements required for his/their work people on the site in connection with the execution of the works as shall have been erected or constructed by the contractor(s) and cleaned off the dirt from all wood work, doors, windows, walls, floor or other parts of the building, in, upon, or about which the work is to be executed or of which he may have had possession for
--	--



		the purpose of the execution; thereof, and not until the work shall have been measured by the Engineer-in-charge. If the contractor shall fail to comply with the requirements of this Clause as to removal of scaffolding, surplus materials and rubbish and all huts and sanitary arrangement as aforesaid and cleaning off dirt on or before the date fixed for the completion of work, the Engineer-in-charge may at the expense of the contractor remove such scaffolding, surplus materials and rubbish etc., and dispose of the same as he thinks fit and clean off such dirt as aforesaid, and the contractor shall have no claim in respect of scaffolding or surplus materials as aforesaid except for any sum actually realised by the sale thereof. a. For electrical and mechanical capital works: The contractor shall remove the rubbish from the site. Following conditions must be met before recording completion certificate : Submits completion plan, maintenance manual, manufactures catalogue and gives performance test for system. b. For repair works: The performance of the repaired system has been tested and found satisfactory. c. For AMC work: The system has been tested for its performance/ completeness and taken over by AAI / next agency for operation and maintenance.
--	--	--

खण्ड 8 ए

CLAUSE 8 A

ठेकेदार को साइट को साफ रखना होगा Contractor to keep site clean	जब कार्यों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव किया जाता है, तो दीवारों, फर्श, खिड़कियों आदि पर सफेदी, रंगाई, पेंटिंग आदि से हुए छींटे और बूँदें हटा दी जाएंगी और व्यक्तिगत कमरों, क्वार्टरों या परिसरों आदि में इन कार्यों के पूरा होने के साथ-साथ सतह को साफ किया जाएगा। जहां अनुबंध में कार्य की अन्य सभी मदों के वास्तविक समापन की प्रतीक्षा किए बिना कार्य किया जाता है, यदि ठेकेदार इस खंड की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो प्रभारी अभियंता को यह अधिकार होगा कि वह इस कार्य को ठेकेदार की लागत पर विभागीय रूप से या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से करवाए। ऐसी कार्रवाई करने से पहले, प्रभारी अभियंता ठेकेदार को लिखित रूप में दस दिन का नोटिस देगा। When the annual repairs and maintenance of works are carried out, the splashes and droppings from white washing, colour washing, painting etc., on walls, floor, windows etc. shall be removed and the surface cleaned simultaneously with the completion of these items of work in the individual rooms, quarters or premises etc. Where the work is done without waiting for the actual completion of all the other items of work in the contract, in case the contractor fails to comply with the requirements of this clause, the Engineer-in-charge shall have the right to get this work done at the cost of the contractor either departmentally or through any other agency. Before taking such action, the Engineer-in-charge shall give ten days notice in writing to the contractor.
--	---

खण्ड 8 बी

CLAUSE 8 B

ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पूर्णता योजनाएँ Completion Plans to be	ठेकेदार को कार्य पूरा होने के तीस दिनों के भीतर विद्युत कार्यों के लिए सामान्य विनिर्देश (भाग-I अंतर्गत) 2013 और (भाग-II बाह्य) 1994 या नवीनतम उपलब्ध विनिर्देशों के अनुसार, आवश्यकतानुसार पूर्णता योजना प्रस्तुत करनी होगी। ठेकेदार को निर्माण कार्यों, सभी सेवाओं के लिए पूर्णता योजना प्रस्तुत करनी होगी तथा कार्य पूरा होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर पूर्णता चित्रों के आधार पर स्थानीय निकायों से अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। ठेकेदार को सभी उपकरणों की सूची तथा सम्पूर्ण ई.एण्ड.एम. प्रणालियों के लिए रखरखाव मैनुअल भी प्रस्तुत करना होगा। यदि ठेकेदार सभी कार्यों की पूर्णता योजना प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे 5 करोड़ रुपये तक की लागत वाले कार्यों
---	--



Submitted by the Contractor	के लिए निविदा मूल्य का 0.5% (अधिकतम 1.00 लाख रुपये) तथा 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले कार्यों के लिए 0.25% (अधिकतम 1.5 लाख रुपये) मुआवजा देना होगा। इस संबंध में परियोजना प्रभारी का निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। The contractor shall submit completion plan as required vide General Specifications for Electrical works (Part-I internal) 2013 and (Part - II External) 1994 or latest available specifications, as applicable within thirty days of the completion of the work. The contractor shall submit completion plan for building works, all services, and obtain occupancy certificate from local bodies on the basis of completion drawings within a period of 30 days from the date of completion. The contractor shall also submit catalogues of all equipment's and maintenance manual for the complete E & M systems. If contractor fails to submit completion plans of all works, he shall be liable to pay compensation @ 0.5% of the tendered value of works costing up to Rs. 5 Crores subject to maximum of Rs. 1.00 Lac and 0.25% for works costing more than Rs. 5 crores subject to maximum of Rs. 1.5.Lac. The decision of Project-in-charge in this regard shall be final and binding on the contractor
---	---

धारा 9

CLAUSE 9

अंतिम बिल का भुगतान Payment of final bill	संशोधित अंतिम बिल ठेकेदार द्वारा अंतरिम बिलों में निर्दिष्ट तरीके से कार्य के भौतिक रूप से पूरा होने के तीन महीने के भीतर या प्रभारी इंजीनियर द्वारा दिए गए अंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र की तारीख से एक महीने के भीतर जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम बिल जमा करने के बाद ठेकेदार द्वारा कोई और दावा नहीं किया जाएगा और इन्हें माफ कर दिया गया और समाप्त कर दिया गया माना जाएगा। बिल की उन मदों का भुगतान, जिनके संबंध में कोई विवाद नहीं है और उन मदों के लिए जो मात्रा और/या दरों के कारण विवाद में हैं, प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुमोदित मात्रा और/या दरों पर भुगतान किया जाएगा, तीन महीने की अवधि के भीतर प्रभारी इंजीनियर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बिल की प्राप्ति की तारीख से, विभाग द्वारा जारी की गई सामग्री और नष्ट की गई सामग्री के खाते के साथ। यदि ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है और एएआई द्वारा अंतिम बिलों का भुगतान उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाता है, तो भुगतान में देरी होने पर, निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तारीख से सामान्य भविष्य निधि की प्रचलित ब्याज दर पर ठेकेदार को साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिल सही पाया जाए। अंतिम बिल एल 1 और एल 2 बोलीदाताओं के लिए सभी निविदाकृत वस्तुओं (बाजार दर पर आधारित अतिरिक्त वस्तुओं को छोड़कर) के लिए तैयार किया जाएगा तथा भुगतान दोनों में से कमतर के आधार पर किया जाएगा। The corrected final bill shall be submitted by the contractor in the same manner as specified in interim bills within three months of physical completion of the work or within one month of the date of the final certificate of completion furnished by the Engineer-in-charge whichever is earlier. No further claims shall be made by the contractor after submission of the final bill and these shall be deemed to have been waived and extinguished. Payments of those items of the bill in respect of which there is no dispute and for those items which are in dispute on account of quantity and/ or rates shall be paid at approved quantity and/ or rates by the Engineer-in-charge, within three months period reckoned from the date of receipt of the bill by the Engineer in- Charge or his authorized representative, complete with account of materials issued by the Department and dismantled materials. If the final bill is submitted by the contractor within the period specified above and payment of final bills is made by the AAI within above prescribed time
--	--



		limit, if delay in payment, a simple interest @ prevailing rate of interest of General Provident Fund shall be paid to the contractor from the date of expiry of prescribed time limit, provided the final bill submitted by the contractor is found to be in order. The Final bill shall be prepared for both L1 & L2 bidders for all tendered items (excluding Extra Items based on market rate) and payment shall be made on the basis of lower of the two.
--	--	--

खण्ड 9 ए

CLAUSE 9 A

ठेकेदारों के बिलों का बैंकों को भुगतान Payment of contractor's bills to Banks	ठेकेदार को देय भुगतान तथा विभिन्न प्रकार की वापसी, यदि वह चाहे तो, जहां तक संभव हो, उसे सीधे भुगतान करने के बजाय बैंकों में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है, बशर्ते कि ठेकेदार प्रभारी इंजीनियर को भुगतान कर दे। i. सूचना संलग्न प्रपत्र के अनुसार। ii. कानूनी रूप से वैध दस्तावेज के रूप में प्राधिकरण जैसे कि शक्ति वकील द्वारा बैंक को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना और iii. प्राधिकरण द्वारा उसे देय बताई गई राशि की सत्यता की उसकी स्वयं की स्वीकृति या खाते के प्रभारी अभियंता द्वारा निपटान से पहले प्राधिकरण के विरुद्ध प्रस्तुत बिल या अन्य दावे पर उसका हस्ताक्षर या बैंक को भुगतान द्वारा दावा। जबकि ऐसे बैंकों द्वारा दी गई रसीद भुगतान के लिए पूर्ण और पर्याप्त निर्वहन का गठन करेगी, ठेकेदार को जब भी संभव हो अपने बिलों को अपने बैंक के माध्यम से विधिवत रसीद और निर्वहन के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसमें निहित कोई भी बात बैंक के पक्ष में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संबंध में कोई अधिकार या इक्विटी बनाने के लिए कार्य नहीं करेगी। Payments due to the contractor and refund of various nature may, if so desired by him and wherever possible in banks be made through electronic payment mechanism instead of direct to him, provided that the contractor furnishes to the Engineer-in- Charge. i. Informations as per proforma attached. ii. An authorisation in the form of a legally valid document such as power of attorney conferring authority on the bank to receive payments and iii. His own acceptance of the correctness of the amount made out as being due to him by Authority or his signature on the bill or other claim preferred against Authority before settlement by the Engineer-in-charge of the account or claim by payment to the bank. While the receipt given by such banks shall constitute a full and sufficient discharge for the payment, the contractor shall whenever possible present his bills duly receipted and discharged through his bank. Nothing herein contained shall operate to create in favour of the bank any rights or equities vis-à-vis the Airports Authority of India.
--	---



खण्ड 10

CLAUSE 10

	प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री Materials supplied by Authority	हटाए गए DELETED
--	---	--------------------------------------

खण्ड 10 ए

CLAUSE 10 A

	ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री Materials to be provided by the contractor	1. ठेकेदार को प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों के अलावा, कार्यों के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों की आपूर्ति स्वयं के व्यय पर करनी होगी। 2. ठेकेदार अपने खर्च पर और बिना किसी देरी के प्रभारी इंजीनियर को काम में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों के नमूने देगा और इन्हें पहले से ही अनुमोदित करवा लेगा। ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सभी सामग्रियां अनुबंध में निर्धारित या संदर्भित विनिर्देशों के अनुरूप होंगी। यदि प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुरोध किया जाता है तो ठेकेदार को प्रभारी इंजीनियर की संतुष्टि के लिए सबूत प्रस्तुत करना होगा कि सामग्री इस प्रकार अनुपालन करती है। प्रभारी इंजीनियर नमूनों की आपूर्ति के तीस (30) दिनों के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी वह मांग करे, ठेकेदार को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि नमूने उसके द्वारा अनुमोदित हैं या नहीं। यदि नमूने अनुमोदित नहीं होते हैं, तो ठेकेदार तुरंत अनुबंध में निर्धारित विनिर्देशों का अनुपालन करने वाले नए नमूनों को अनुमोदन के लिए प्रभारी इंजीनियर को आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा। 3. ठेकेदार को अपनी लागत पर परीक्षण या विश्लेषण के लिए सामग्री के नमूने प्रस्तुत करने होंगे और किसी भी प्रकार का उपयोग या विश्लेषण नहीं करना होगा। जब तक आवश्यक परीक्षण या विश्लेषण न हो जाए और सामग्री को प्रभारी इंजीनियर द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार न कर लिया जाए, तब तक नमूनों द्वारा दर्शाई गई किसी भी सामग्री को कार्य में सम्मिलित न करें। 4. हटाए गए 5. ठेकेदार कार्य में किसी देरी के कारण या सामग्री के परीक्षण के परिणामस्वरूप किए जाने वाले किसी सुधारात्मक उपाय के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या मुआवजे के लिए पात्र नहीं होगा। 6. ठेकेदार अपने जोखिम और लागत पर सभी व्यवस्थाएं करेगा और सभी सुविधाएं प्रदान करेगा, जिनकी प्रभारी इंजीनियर को ऐसे परीक्षणों के लिए आवश्यक संख्या में नमूने एकत्र करने और तैयार करने के लिए आवश्यकता हो सकती है, ऐसे समय और ऐसे स्थान या स्थानों पर, जैसा कि प्रभारी इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जा सकता है और परीक्षण शुल्क सहित सभी शुल्क वहन करेगा। प्रभारी इंजीनियर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को हमेशा कार्यों और सभी कार्यशालाओं और स्थानों तक पहुंच होगी, जहां कार्य तैयार किया जा रहा है या जहां से निर्माण सामग्री, वस्तुएं या मशीनरी कार्यों के लिए प्राप्त की जा रही हैं और ठेकेदार ऐसी पहुंच का अधिकार प्राप्त करने में हर सुविधा और हर सहायता प्रदान करेगा। 7. प्रभारी इंजीनियर के पास परिसर से ऐसी सभी सामग्रियों को हटाने की मांग करने का पूरा अधिकार होगा जो उसकी राय में विनिर्देशों के अनुसार नहीं हैं और चूक की स्थिति में, प्रभारी इंजीनियर को ठेकेदार के खर्च पर अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी, बिना ऐसी सामग्रियों को होने वाले किसी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी या जवाबदेह हुए। प्रभारी इंजीनियर के पास अन्य उचित सामग्रियों को प्रतिस्थापित करने की मांग करने का भी पूरा अधिकार होगा और चूक की स्थिति में, प्रभारी इंजीनियर उन्हें आपूर्ति करवा सकता है और ऐसी हटाने और प्रतिस्थापन के लिए लगने वाली सभी लागतों को ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। 8. ठेकेदार को अपने खर्च पर साइट पर नियमित फील्ड परीक्षण करने के लिए एक सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध करानी होगी। प्रयोगशाला में कम से कम अनुसूची एफ में निर्दिष्ट परीक्षण उपकरण होने चाहिए। 9. हटाए गए 1. The contractor shall, at his own expense, provide all materials, required for the works other than those which are stipulated to be supplied by the Authority.
--	--	--



		2. The contractor shall, at his own expense and without delay supply to the Engineer-in-Charge samples of materials to be used on the work and shall get these approved in advance. All such materials to be provided by the Contractor shall be in conformity with the specifications laid down or referred to in the contract. The contractor shall, if requested by the Engineer-in-Charge furnish proof, to the satisfaction of the Engineer-in-Charge that the materials so comply. The Engineer-in-Charge shall within thirty (30) days of supply of samples or within such further period as he may require intimate to the Contractor in writing whether samples are approved by him or not. If samples are not approved, the Contractor shall forthwith arrange to supply to the Engineer-in-Charge for his approval, fresh samples complying with the specifications laid down in the contract. When materials are required to be tested in accordance with specifications, approval of the Engineer-in-Charge shall be issued after the test results are received. 3. The Contractor shall at his cost submit the samples of materials to be tested or analyzed and shall not make use of or incorporate in the work any materials represented by the samples until the required tests or analysis have been made and materials finally accepted by the Engineer-in-Charge. 4. DELETED 5. The contractor shall not be eligible for any claim or compensation either arising out of any delay in the work or due to any corrective measures required to be taken on account of and as a result of testing of materials. 6. The contractor shall, at his risk and cost, make all arrangements and shall provide all facilities as the Engineer-in-charge may require for collecting and preparing the required number of samples for such tests at such time and to such place or places as may be directed by the Engineer-in-charge and bear all charges including testing charges. The Engineer-in-charge or his authorised representative shall always have access to the works and to all workshops and places where work is being prepared or from where materials manufactured, articles or machinery are being obtained for the works and the contractor shall afford every facility and every assistance in obtaining the right to such access. 7. The Engineer-in-charge shall have full powers to require the removal from the premises of all materials which in his opinion are not in accordance with the specifications and in case of default, the Engineer-in-charge shall be at liberty to employ at the expense of the contractor, other persons to remove the same without being answerable or accountable for any loss or damage that may happen or arise to such materials. The Engineer-in-charge shall also have full powers to require other proper materials to be substituted thereof and in case of default, the Engineer-in-charge may cause the same to be supplied and all costs which may be attracted for such removal and substitution shall be borne by the Contractor. 8. The contractor shall at his own expense, provide a material testing lab at the site for conducting routine field tests. The lab shall be equipped atleast with the testing equipment as specified in Schedule F. 9. DELETED
--	--	--

धारा 10 बी

CLAUSE 10 B

सामग्री पर सुरक्षित	1. ठेकेदार, परिशिष्ट-XX में निर्दिष्ट किए जाने वाले प्रपत्र में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर, कार्य के निष्पादन की प्रगति के दौरान किसी भी सामग्री के निर्धारित मूल्य के 75% तक का भुगतान पाने का हकदार होगा, जो प्रभारी
---------------------	--



	अग्रिम Secured Advance on materials	इंजीनियर की राय में गैर-विनाशकारी, गैर-भंगुर और गैर-दहनशील है और अनुबंध के अनुसार है और जो इसके संबंध में साइट पर लाई गई है और मौसम या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान के लिए पर्याप्त रूप से संग्रहीत और / या संरक्षित है, लेकिन जो अग्रिम के समय कार्यों में शामिल नहीं की गई है। जब ऐसी सामग्री, जिसके लिए इस उप-खंड के तहत अग्रिम दिया गया है, को कार्य में शामिल किया जाता है, तो इस तरह की अग्रिम राशि इस अनुबंध के किसी भी खंड या खंडों के तहत किए गए अगले भुगतान से वसूल / कटौती की जाएगी। इस तरह का सुरक्षित अग्रिम भुगतान, नाशवान प्रकृति, नाजुक और ज्वलनशील अन्य वस्तुओं पर भी प्रभारी इंजीनियर की स्वीकृति से देय होगा, बशर्ते कि ठेकेदार ऐसी सामग्रियों की पूरी लागत के लिए एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करे। इस मामले में प्रभारी इंजीनियर का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। हालाँकि, साधारण कांच, रेत, पेट्रोल, डीजल जैसी उच्च जोखिम वाली सामग्रियों पर कोई सुरक्षित अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। The Contractor, on signing an indenture in the form to be specified in Appendix-XX, shall be entitled to be paid during the progress of the execution of the work upto 75% of the assessed value of any materials which are in the opinion of the Engineer-in-charge nonperishable, nonfragile and noncombustible and are in accordance with the contract and which have been brought on the site in connection therewith and are adequately stored and/ or protected against damage by weather or other causes but which have not at time of advance been incorporated in the works. When materials on account of which an advance has been made under this sub-clause are incorporated in the work, the amount of such advance shall be recovered/ deducted from the next payment made under any of the clause or clauses of this contract. Such secured advance shall also be payable on other items of perishable nature, fragile and combustible with the approval of the Engineer-in-charge provided the contractor provides a comprehensive insurance cover for the full cost of such materials. The decision of the Engineer-in-charge shall be final and binding on the contractor in this matter. No secured advance, shall however, be paid on high-risk materials such as ordinary glass, sand, petrol, diesel.
	संचटन अग्रिम Mobilisation Advance	2. यदि ठेकेदार द्वारा कार्य आरंभ करने के आदेश के छह महीने के भीतर लिखित रूप में अनुरोध किया जाता है, तो अनुबंध राशि के 10% से अधिक नहीं जुटाई जाने वाली अग्रिम राशि दी जा सकती है। इस तरह की अग्रिम राशि दो या अधिक किस्तों में जारी की जाएगी, जिसका निर्धारण प्रभारी इंजीनियर द्वारा किया जाएगा। किसी भी किस्त की राशि कार्य की अनुबंध राशि के 5% से अधिक नहीं होगी। इस तरह की अग्रिम राशि की पहली किस्त प्रभारी इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को इस संबंध में ठेकेदार द्वारा प्रभारी इंजीनियर से किए गए अनुरोध पर जारी की जाएगी। दूसरी और बाद की किस्तें प्रभारी इंजीनियर द्वारा तभी जारी की जाएंगी, जब ठेकेदार प्रभारी इंजीनियर की संतुष्टि के लिए पिछली किस्त(यों) के संतोषजनक उपयोग का प्रमाण प्रस्तुत करेगा। अग्रिम की कोई भी किस्त जारी होने से पहले, ठेकेदार को वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी बांड निष्पादित करना होगा, जिसकी संख्या 6 (छह) से अधिक नहीं होगी और यह अग्रिम की राशि के 110% के बराबर राशि होगी तथा अग्रिम की वसूली तक की अवधि के लिए वैध होगी। यह वाणिज्यिक बैंक से निर्धारित प्रारूप पर अग्रिम की शेष राशि के 110% के बराबर राशि के लिए बैंक गारंटी शेष राशि और पूरी वसूली की संभावित अवधि को कवर करने के लिए समय-समय पर नवीनीकृत की जाएगी। Mobilization advances not exceeding 10% of the contract amount may be given, if requested by the contractor in writing within six months of the order to commence the work. Such advance shall be released in two or more installments to be determined by the Engineer-in-Charge. The amount of any installment shall not exceed 5% of the Contract amount of the work.



		The first installment of such advance shall be released by the Engineer-in-charge to the contractor on a request made by the contractor to the Engineer-in-Charge in this behalf. The second and subsequent installments shall be released by the Engineer-in-Charge only after the contractor furnishes a proof of the satisfactory utilization of the earlier installment(s) to the satisfaction of the Engineer-in-Charge. Before any instalment of advance is released, the contractor shall execute Bank Guarantee Bonds not more than 6 (six) in number from commercial Bank for the amount equal to 110% of the amount of advance and valid for the period till recovery of advance. This Bank Guarantee from commercial Bank on prescribed format for the amount equal to 110% of the balance amount of advance) shall be kept renewed from time to time to cover the balance amount and likely period of complete recovery.
	मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज Interest on Mobilisation advance	3. अनुसूची-एफ में उल्लिखित दर पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज देय होगा तथा इसकी गणना अग्रिम की बकाया राशि पर भुगतान की तिथि से वसूली की तिथि तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, की जाएगी। The mobilization advance in (2) above bear simple interest at the rate as mentioned in Schedule-F per annum and shall be calculated from the date of payment to the date of recovery, both days inclusive, on the outstanding amount of advance.
	मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली Recovery of Mobilisation advance	4. अग्रिम दी गई ऐसी राशियों की वसूली, कार्य के सकल मूल्य के प्रथम दस प्रतिशत के निष्पादन तथा भुगतान के पश्चात् ठेकेदार के बिलों से कटौती करके की जाएगी, जो कि बिल किए गए कार्य के सकल मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक के अनुपातिक प्रतिशत के आधार पर इस प्रकार की जाएगी कि सम्पूर्ण अग्रिम राशि, ठेके के सकल मूल्य के अस्सी प्रतिशत के निष्पादन तथा भुगतान के समय तक वसूल हो जाए, साथ ही किस्त की वसूली की तिथि तक सम्पूर्ण बकाया राशि पर देय ब्याज भी वसूल किया जाएगा। यदि प्रभारी इंजीनियर द्वारा परिस्थितियों को उचित माना जाता है, तो ठेकेदार द्वारा लिखित रूप से अग्रिम राशि प्रदान करने के अनुरोध के लिए उल्लिखित अवधि को प्रभारी इंजीनियर के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। Recovery of such sums advanced shall be made by the deduction from the contractor's bills commencing after first ten percent of the gross value of the work is executed and paid, on pro-rata percentage basis to the gross value of the work billed beyond 10% in such a way that the entire advance is recovered by the time eighty percent of the gross value of the contract is executed and paid, together with interest due on the entire outstanding amount up to the date of recovery of the installment. If the circumstances are considered reasonable by the Engineer-in-Charge, the period mentioned for request by the contractor in writing for grant of mobilization advance may be extended at the discretion of the Engineer-in-Charge.

धारा 10 सी
CLAUSE 10 C

वैधानिक आदेशों के कारण कीमतों/मजदूरी में वृद्धि के कारण भुगतान	यदि निविदा प्रस्तुत करने के बाद, किसी भी नए कानून या वैधानिक नियम या आदेश के लागू होने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप कार्य में शामिल किसी भी सामग्री की कीमत और / या श्रमिकों की मजदूरी बढ़ जाती है (लेकिन इस खंड के तहत विचार की जा रही ऐसी सामग्रियों पर लागू जीएसटी की दरों में किसी भी परिवर्तन के कारण नहीं) निविदाओं की प्राप्ति के लिए अंतिम निर्धारित तिथि के समय प्रचलित कीमतों / मजदूरी से अधिक, कार्य के लिए विस्तार सहित, यदि कोई हो, अनुबंध अवधि के
---	---



Payment on Account of Increase in Prices/ Wages due to Statutory Order(s)	दौरान, खंड 2 के तहत किसी भी कार्यवाई के बिना अनुबंध के खंड 5 के प्रावधानों के तहत विस्तारित उचित अवधि सहित, तो अनुबंध की राशि तदनुसार भिन्न हो जाएगी। If after submission of the tender, the price of any material incorporated in the works and/ or wages of labour increases as a direct result of the coming into force of any fresh law or statutory rule or order (but not due to any variation of rates in GST applicable on such materials being considered under this clause) beyond the prices / wages prevailing at the time of last stipulated date for receipt of the tenders including extensions, if any, for the work, during contract period including the justified period extended under the provisions of the Clause 5 of the Contract without any action under Clause 2, then the amount of the contract shall accordingly be varied. यदि निविदा प्रस्तुत करने के बाद, कार्य में शामिल किसी भी सामग्री की कीमत और / या श्रमिकों की मजदूरी, जो निविदा प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तिथि के समय प्रचलित थी, जिसमें विस्तार भी शामिल है, यदि कोई हो, किसी भी नए कानून या वैधानिक नियम या आदेश के लागू होने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप कम हो जाती है (इस खंड के तहत विचार की जा रही ऐसी सामग्री पर लागू जीएसटी की दर में किसी भी बदलाव के कारण नहीं)। प्राधिकरण ऐसे कानून, वैधानिक नियम या आदेश के लागू होने की तारीख के बाद कार्यों में शामिल सामग्रियों और / या कार्य के निष्पादन पर लगे श्रमिकों के संबंध में ठेकेदार की देयताओं से ऐसी राशि काटने का हकदार होगा, जो सामग्री की कीमतों और / या मजदूरी के बीच के अंतर के बराबर होगी, जो कार्य के लिए विस्तार सहित निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि के समय और ऐसे कानून, वैधानिक नियम या आदेश के लागू होने पर सामग्री की कीमतों और / या श्रमिकों की मजदूरी के बीच अंतर के बराबर होगी। यह अनुबंध अवधि के लिए लागू होगा, जिसमें अनुबंध के खंड 5 के प्रावधानों के तहत खंड 2 के तहत किसी कार्यवाई के बिना विस्तारित उचित अवधि भी शामिल है। If after submission of the tender, the price of any material incorporated in the works and / or wages of labour as prevailing at the time of last stipulated date of receipt of tender including extensions, if any, is decreased as a direct result of the coming into force of any fresh law or statutory rule or order (not due to any variation of rate in GST applicable on such material(s) being considered under this clause). Authority shall in respect of materials incorporated in the works and/ or labour engaged on the execution of the work after the date of coming into force of such law, statutory rule or order be entitled to deduct from the dues of the contractor, such amount as shall be equivalent to the difference between the prices of the materials and/ or wages as prevailed at the time of the last stipulated date for receipt of tenders including extensions if any for the work and the prices of materials and/ or wages of labour on the coming into force of such law, statutory rule or order. This will be applicable for the contract period including the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under Clause 2. प्रभारी इंजीनियर ठेकेदार से लेखा पुस्तकें और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज मंगाएगा ताकि वह सामग्री और मजदूरी की कीमतों में वृद्धि की उचितता के बारे में खुद को संतुष्ट कर सके। ठेकेदार को, ऐसी किसी भी सामग्री और/या श्रम की मजदूरी की कीमत में किसी भी परिवर्तन के बारे में पता चलने के बाद उचित समय के भीतर, प्रभारी इंजीनियर को इसकी सूचना देनी होगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि यह इस शर्त के अनुसार दिया गया है, साथ ही उससे संबंधित सभी जानकारी भी देनी होगी, जिसे वह देने की स्थिति में हो। Engineer-in-charge shall call books of account and other relevant documents from the contractor to satisfy himself about reasonability of increase in prices of materials and wages. The contractor shall, within a reasonable time of his becoming aware of any alteration in the price of any such materials and/ or wages of labour, give notice thereof to the Engineer-in-charge stating that the same is given pursuant to this condition together with all information relating thereto which he may be in position to supply इस प्रयोजन के लिए, विचाराधीन अवधि के दौरान निष्पादित कार्य के मूल्य का 85% श्रम घटक अनुसूची एफ में निर्दिष्ट
---	---



		प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, और श्रम में वृद्धि / कमी किसी भी कानून, वैधानिक नियम या आदेश के तहत निर्धारित किसी भी अकुशल मजदूर की रुपये में न्यूनतम दैनिक मजदूरी पर विचार की जाएगी। For this purpose, the labour component of 85% of the value of the work executed during period under consideration shall not exceed the percentage as specified in Schedule F, and the increase / decrease in labour shall be considered on the minimum daily wages in rupees of any unskilled mazdoor, fixed under any law, statutory rule or order. जिस कार्य के लिए वृद्धि लागू है उसकी लागत किए गए कार्य की लागत के समान होगी, जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी: - इस तिमाही तक किये गये कार्य का सकल मूल्य: (A) - पिछली तिमाही तक किये गये कार्य का सकल मूल्य: (B) - पिछली तिमाही (C) से किए गए कार्य का सकल मूल्य = (A-B) - इस तिमाही में भुगतान किए गए सुरक्षित अग्रिम का पूर्ण मूल्यांकित मूल्य: (D) - इस तिमाही में वसूले गए सुरक्षित अग्रिम का पूर्ण मूल्यांकित मूल्य: (E) - सुरक्षित अग्रिम का पूर्ण मूल्यांकित मूल्य जिसके लिए वृद्धि 1 इस तिमाही में देय है, (F) = (D-E) - इस तिमाही के दौरान किया गया अग्रिम भुगतान: (G) - इस तिमाही के दौरान वसूला गया अग्रिम भुगतान: (H) - अग्रिम भुगतान जिसके लिए इस तिमाही (I) में वृद्धि देय है = (G-H) - इस तिमाही के दौरान धारा 12 के अनुसार विचलन/भिन्नता के कारण प्रचलित बाजार दरों के आधार पर भुगतान की गई राशि: (J) तब, $M = C-F+I-J$ $N = 0.85 M$ - खंड 34 के अनुसार निर्धारित शुल्क पर प्रदान की गई सेवाओं की लागत घटाई गई तथा तिमाही के दौरान वसूल की गई (L) - बीओक्यू के अनुसार निश्चित शुल्क पर प्रदान की गई और तिमाही (X) के दौरान भुगतान की गई इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं की लागत घटाई गई। कार्य की लागत जिसके लिए वृद्धि लागू है $W=N-(L+X)$ The cost of work for which escalation applicable is same as cost of work done shall be worked out as below: - Gross value of work done up to this quarter: (A) - Gross value of work done up to the last quarter: (B) - Gross value of work done since previous quarter (C)= (A-B) - Full assessed value of Secured Advance fresh paid in this quarter: (D) - Full assessed value of Secured Advance recovered in this quarter: (E) - Full assessed value of Secured Advance for which escalation 1 Payable in this quarter, (F)= (D-E) - Advance payment made during this quarter: (G) - Advance payment recovered during this quarter: (H) - Advance payment for which escalation is payable in this Quarter (I)= (G-H) - Amount paid based on prevailing market rates due to deviations/variations as per Clause 12 during this quarter: (J) Then, $M = C-F+I-J$ $N = 0.85 M$ - Less cost of services rendered at fixed charges as per Clause 34 and recovered during the quarter (L) - Less cost of Engineering Consultancy Services rendered at fixed charges as per BOQ and paid during the quarter (X).
--	--	--



		बशर्ते कि: (a) जहां खंड 10सी के प्रावधान लागू हैं, वहां खंड 10 सी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होंगे और; (b) जहां खंड 10 सी.सी. के प्रावधान लागू हैं, वहां खंड 10 सी. के प्रावधान लागू नहीं होंगे। Provided always that: (a) Where provisions of clause 10C are applicable, provisions of clause 10 CC will not be applicable and; (b) Where provisions of clause 10 CC are applicable, provisions of clause 10C will not be applicable.
--	--	---

खण्ड 10 सी.ए.

CLAUSE 10 CA

निविदा प्राप्ति के बाद सामग्री की कीमतों में परिवर्तन के कारण भुगतान Payment due to variation in prices of materials after receipt of tender	हटाए गए DELETED
--	------------------------

धारा 10 सी.सी.

CLAUSE 10 CC

कार्यों के लिए मूल्य समायोजन. Price adjustment for works.	यदि कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक सामग्रियों और/या श्रमिकों की मजदूरी की कीमतों में वृद्धि होती है, तो ठेकेदार को नीचे वर्णित प्रावधानों के अनुसार ऐसी वृद्धि के लिए मुआवजा दिया जाएगा और अनुबंध की राशि तदनुसार परिवर्तित की जाएगी, इस शर्त के अधीन कि कीमतों और मजदूरी में वृद्धि के लिए ऐसा मुआवजा केवल अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें खंड 2 के तहत किसी भी कार्रवाई के बिना अनुबंध के खंड 5 के प्रावधानों के तहत विस्तारित उचित अवधि भी शामिल है। सामग्री और श्रम की कीमतों में वृद्धि के लिए ऐसा मुआवजा, जब देय हो, निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा: i. ऐसी वृद्धि की गणना करने की आधार तिथि निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि होगी, जिसमें विस्तार, यदि कोई हो, भी शामिल होगा। ii. कार्य की लागत जिस पर वृद्धि देय होगी, की गणना निम्नानुसार की जाएगी: - इस तिमाही तक किए गए कार्य का सकल मूल्य (A) - पिछली तिमाही तक किये गये कार्य का सकल मूल्य (B) - पिछली तिमाही (C) से किए गए कार्य का सकल मूल्य = (A-B) - इस तिमाही में ताजा भुगतान किए गए सुरक्षित अग्रिम (खंड 10सीए के अंतर्गत कवर की गई सामग्री को छोड़कर) का पूर्ण मूल्यांकित मूल्य (D) - इस तिमाही में वसूले गए सुरक्षित अग्रिम (खंड 10सीए के अंतर्गत कवर की गई सामग्री को छोड़कर) का पूर्ण मूल्यांकित मूल्य (E) - सुरक्षित अग्रिम का पूर्ण मूल्यांकित मूल्य जिसके लिए वृद्धि देय है इस तिमाही में (F) = (D-E) - इस तिमाही के दौरान किया गया अग्रिम भुगतान (G)
---	---



		h. इस तिमाही के दौरान वसूला गया अग्रिम भुगतान (H) i. अग्रिम भुगतान जिसके लिए इस तिमाही में वृद्धि देय है (I) = (G-H) j. इस तिमाही के दौरान प्रचलित बाजार दरों के आधार पर खंड 12 (J) के अनुसार भुगतान की गई अतिरिक्त वस्तुएं/वस्तुओं की विचलित मात्रा: तब, $M=(C+F+I-J)$ $N= 0.85 M$ k. खंड 34 के अनुसार निर्धारित शुल्क पर प्रदान की गई सेवाओं की लागत घटाई गई तथा तिमाही के दौरान वसूल की गई (L) l. बीओक्यू के अनुसार निर्धारित शुल्क पर प्रदान की गई और तिमाही (X) के दौरान भुगतान की गई इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं की लागत घटाई गई। कार्य की लागत जिसके लिए वृद्धि लागू है $W=N-(L+X)$ Deleted *डिजाइन एवं डिटेल्स की लागत को ईपीसी अनुबंध के लिए सिविल कार्य माना जाएगा। If the prices of materials and/ or wages of labour required for execution of work increase, the contractor shall be compensated for such increase as per provisions detailed below and the amount of the contract shall accordingly be varied, subject to the condition that such compensation for escalation in prices and wages shall be available only for the work done during the stipulated period of the contract including the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2. Such compensation for escalation in the prices of materials and labour, when due, shall be worked out based on the following provisions: i. The base date for working out such escalation shall be the last stipulated date of the receipt of tenders including extension, if any. ii. The cost of work on which escalation will be payable shall be reckoned as below: b. Gross value of work done upto this quarter (A) c. Gross value of work done upto the last quarter (B) d. Gross value of work done since previous quarter (C)= (A-B) a. Gross value of work done upto this quarter (A) b. Gross value of work done upto the last quarter (B) c. Gross value of work done since previous quarter (C)= (A-B) d. Full assessed value of secured advance (excluding material covered under clause 10CA) fresh paid in this quarter (D) e. Full assessed value of secured advance (excluding material covered under clause 10CA) recovered in this quarter (E) f. Full assessed value of secured advance for which escalation is payable In this quarter (F)= (D-E) g. Advance payment made during this quarter (G) h. Advance payment recovered during this quarter (H) i. Advance payment for which escalation is payable in this quarter (I)= (G-H) j. Extra items/ deviated quantities of items paid as per clause 12 based (J) on prevailing market rates during this quarter: Then, $M=(C+F+I-J)$
--	--	--



		$N = 0.85 M$ k. Less cost of services rendered at fixed charges as per Clause 34 and recovered during the quarter (L) l. Less cost of Engineering Consultancy Services rendered at fixed charges as per BOQ and paid during the quarter (X). Cost of work for which escalation is applicable $W = N - (L + X)$ Deleted *Cost of Design & Detailing shall be treated as civil work for EPC contract.
--	--	---

		सामग्री, श्रम, पीओएल आदि घटकों को प्रत्येक कार्य के लिए पूर्व-निर्धारित किया जाएगा और अनुसूची एफ में शामिल निविदा पत्रों से जुड़ी अनुबंध की शर्तों में शामिल किया जाएगा। ऐसे प्रतिशत की गणना करने में प्रभावी अभियंता का निर्णय अनुबंधों पर बाध्यकारी होगा। iii. सामग्री की कीमतों और/या श्रमिकों की मजदूरी में परिवर्तन के कारण भुगतान/वसूली की गणना करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। (a) वृद्धि के लिए मुआवजा तिमाही अंतराल पर तय किया जाएगा और यह तिमाही के तीन कैलेंडर महीनों के दौरान भुगतान किए गए बिलों के अनुसार किए गए काम की लागत के संबंध में होगा। ठेकेदार द्वारा विभाग को अंतिम रूप से बिल जमा करने की तिथि तिमाही अंतराल से संबंधित बिलों को तय करने के लिए मार्गदर्शक कारक होगी। ऐसा पहला भुगतान महीने के बाद तीन महीने के अंत में किया जाएगा (जिस महीने में कार्य आदेश जारी किया गया था उसे छोड़कर) और उसके बाद तीन महीने के अंतराल पर। काम पूरा होने के समय, भुगतान की अंतिम अवधि 3 महीने से कम हो सकती है, जो कि काम पूरा होने की वास्तविक तिथि पर निर्भर करती है। (b) नीचे परिभाषित सूचकांक (एल1 को छोड़कर) किसी तिमाही/अवधि के लिए प्रासंगिक हैं जिसके लिए ऐसा मुआवजा दिया जाना है, जो तीन कैलेंडर महीनों के लिए प्रासंगिक सूचकांकों का अंकगणितीय औसत होगा। यदि भुगतान की अंतिम किस्त द्वारा कवर की गई तिमाही के बाद समाप्ति की तारीख तक की अवधि तीन महीने से कम है, तो सूचकांक उस अवधि के भीतर आने वाले महीनों के सूचकांकों का औसत होगा। (c) अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मजदूरी तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिसूचित मजदूरी में से जो अधिक हो, वह कार्य के स्थान तथा गणना की अवधि दोनों के लिए प्रासंगिक होगी। (d) इस खंड के अंतर्गत सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण वेतन वृद्धि का भुगतान किए जाने पर श्रम के लिए वेतन वृद्धि का भुगतान भी उसी तिमाही अंतराल पर किया जाएगा। यदि न्यूनतम मजदूरी में ऐसा संशोधन किसी तिमाही अंतराल के दौरान होता है, तो वेतन वृद्धि का मुआवजा केवल बाद की तिमाहियों में किए गए कार्य के लिए संशोधित दरों पर देय होगा; (e) इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी भी श्रेणी के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में भिन्नता के बावजूद, केवल अकुशल मजदूरों के लिए दर में भिन्नता ही श्रम घटक पर देय वृद्धि मुआवजे की गणना करने का आधार बनेगी। (iv) यदि कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक सामग्रियों और/या श्रमिकों की मजदूरी की कीमत कम हो जाती है, तो कार्य की लागत में कमी की जाएगी, ताकि सामग्रियों और/या श्रमिकों की मजदूरी की ऐसी कीमत इस अनुबंध के तहत कार्य की लागत से घटाई जा सके और इस संबंध में इस खंड iOCC के तहत नीचे वर्णित सूत्र यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा। (v) अनुबंध मूल्य को नीचे निर्दिष्ट सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और सूत्रों के अनुसार अनुसूची F और N में निर्दिष्ट सामग्री/श्रम के प्रतिशत के अनुसार श्रम, सीमेंट, स्टील सुदृढीकरण बार, ईंधन और स्नेहक और अन्य इनपुट सामग्री की दरों और कीमतों में वृद्धि या कमी के लिए समायोजित किया जाएगा:
--	--	--



		(a) लागत में परिवर्तन के लिए मूल्य समायोजन का भुगतान निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार किया जाएगा: (i) निर्माण हेतु: $V_w = W * (1/100) * [C_p * (C_i - C_o)/C_o + L_p * (L_i - L_o)/L_o + C_{mp} * (C_{mi} - C_{mo})/C_{mo} + E_{mp} * (E_{mi} - E_{mo})/E_{mo} + F_p * (F_i - F_o)/F_o + S_p * (S_r - S_o)/S_o + B_p * (B_i - B_o)/B_o]$ (ii) रखरखाव के लिए: $V_w = W * (1/100) * [L_p * (L_i - L_o)/L_o + C_{mp} * (C_{mi} - C_{mo})/C_{mo} + E_{mp} * (E_{mi} - E_{mo})/E_{mo} + B_p * (B_i - B_o)/B_o]$ जहाँ, W=उपर्युक्त पैरा (ii) के अनुसार किये गये कार्य की लागत। वीडब्ल्यू (कार्य की लागत में परिवर्तन) = प्रासंगिक घटकों के लिए दरों में परिवर्तन के कारण विचाराधीन अवधि के दौरान कार्यों की लागत में वृद्धि या कमी। अनुसूची एफ में निर्दिष्ट सामग्री और श्रम के प्रतिशत घटकों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: - सीपी- सीमेंट घटक, एलपी - श्रम घटक, सीएमपी- अन्य निर्माण सामग्री का सिविल घटक, ईएमपी- निर्माण सामग्री के आईटी और एएस घटक का ई एंड एम आई/सी एफपी-पीओएल (डीजल) घटक एसपी- सुदृढ़ीकरण स्टील बार/टीएमटी बार/संरचनात्मक स्टील (स्ट्रैंड और केबल सहित) घटक इस खंड के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और श्रम के विभिन्न घटकों के लिए बीपी-बिदुमेन घटक सूचकांक निम्नानुसार परिभाषित किए गए हैं: सीओ= उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित पॉज़ोलाना सीमेंट के लिए थोक मूल्य सूचकांक, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के महीने के लिए वैध, जिसमें विस्तार, यदि कोई हो, शामिल है। विचाराधीन अवधि के लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित पॉज़ोलाना सीमेंट के लिए थोक मूल्य सूचकांक। 100 = किसी अकुशल वयस्क मजदूर की न्यूनतम दैनिक मजदूरी, जो किसी कानून, वैधानिक नियम या आदेश के तहत निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को निर्धारित की गई हो, जिसमें विस्तार, यदि कोई हो, भी शामिल है। एलआर = किसी अकुशल वयस्क मजदूर का न्यूनतम वेतन रूप में, जो किसी कानून, वैधानिक नियम या आदेश के अंतर्गत निर्धारित किया गया हो, जो विचाराधीन तिमाही से पिछली तिमाही की अंतिम तिथि को लागू हो। सीएमओ = एआई द्वारा प्रकाशित अन्य निर्माण सामग्री के सिविल घटकों के लिए मूल्य सूचकांक, जो निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के महीने के लिए वैध है, जिसमें विस्तार, यदि कोई हो, भी शामिल है। सीएम I = विचाराधीन अवधि के लिए अन्य निर्माण सामग्री के सिविल घटकों के लिए मूल्य सूचकांक, जैसा कि एआई द्वारा प्रकाशित किया गया है। एंड एम घटकों के लिए मूल्य सूचकांक, जो एआई द्वारा प्रकाशित विस्तार सहित, यदि कोई हो, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के महीने के लिए वैध है। ईएम I = विचाराधीन अवधि के लिए निर्माण सामग्री के ई एंड एम घटकों के लिए मूल्य सूचकांक, जैसा कि एआई द्वारा प्रकाशित किया गया है। एफओ = उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित एचएसडी (हाई स्पीड डीजल) का थोक मूल्य सूचकांक, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के महीने के लिए वैध, जिसमें विस्तार, यदि कोई हो, शामिल है। एफ I = विचाराधीन अवधि के लिए उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित एचएसडी (हाई स्पीड डीजल) का थोक मूल्य सूचकांक। अतः = उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित माइल्ड स्टील-लॉन्ग उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के महीने के लिए वैध है, जिसमें विस्तार, यदि कोई हो, भी शामिल है। एस आई = उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित माइल्ड स्टील-लॉन्ग उत्पादों का थोक
--	--	--



		मूल्य सूचकांक अवधि विचाराधीन है। बीओ= उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित बिटुमेन का थोक मूल्य सूचकांक, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के महीने के लिए वैध, जिसमें विस्तार, यदि कोई हो, शामिल है। बी।= विचाराधीन अवधि के लिए उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित बिटुमेन का थोक मूल्य सूचकांक। Components for materials, labour, P.O.L. etc. shall be pre-determined for every work and incorporated in the conditions of contract attached to the tender papers included in Schedule F. The decision of the Engineer-in-charge in working out such percentage shall be binding on the contracts. The following principles shall be followed while working out the payment/ recovery on account of variation of prices of materials and/ or wages of labour. (a) The compensation for escalation shall be worked out at quarterly intervals and shall be with respect to the cost of work done as per bills paid during the three calendar months of the said quarter. The date of submission of bill finally by the contractor to the department shall be the guiding factor to decide the bills relevant to the quarterly interval. The first such payment shall be made at the end of three months after the month (excluding the month in which the work order issued) and thereafter at three months' interval. At the time of completion of the work, the last period for payment might become less than 3 months, depending on the actual date of completion. (b) The indices as defined below (excluding L1) relevant to any quarter/period for which such compensation is to be paid shall be the arithmetical average of the indices relevant to the three calendar months. If the period up to the date of completion after the quarter covered by the last such instalment of payment, is less than three months, the indices shall be the average of the indices for the months falling within that period. (c) The minimum wage of an unskilled Mazdoor shall be the higher of the wage notified by Government of India, Ministry of Labour and that notified by the local administration both relevant to the place of work and the period of reckoning. (d) The escalation for labour also shall be paid at the same quarterly intervals when escalation due to increase in cost of materials is paid under this clause. If such revision of minimum wages takes place during any such quarterly intervals, the escalation compensation shall be payable at revised rates only for work done in subsequent quarters; (e) Irrespective of variations in minimum wages of any category of labour, for the purpose of this clause, the variation in the rate for an unskilled Mazdoor alone shall form the basis for working out the escalation compensation payable on the labour component. (iv) In the event the price of materials and/or wages of labour required for execution of the work decreases, there shall be a downward adjustment of the cost of work so that such price of materials and/or wages of labour shall be deductible from the cost of work under this contract and in this regard the formula herein stated below under this Clause IOCC shall mutatis mutandis apply. (iv) The contract price shall be adjusted for increase or decrease in rates and prices of labour, cement, steel reinforcement bar, fuel and lubricants and other input materials as per percentage of materials/labour specified in
--	--	--



		schedule F and in accordance with the principles, procedures and formulae specified below: (a) Price adjustment for change in cost shall be paid in accordance with the following formulae: (i) For Construction: $V_w = W * (1/100) * [C_p * (C_1 - C_0)/C_0 + L_p * (L_1 - L_0)/L_0 + C_{M_p} * (C_{M_1} - C_{M_0})/C_{M_0} + E_{M_p} * (E_{M_1} - E_{M_0})/E_{M_0} + F_p * (F_1 - F_0)/F_0 + S_p * (S_r S_0)/S_0 + B_p * (B_1 - B_0)/B_0]$ (ii) For Maintenance: $V_w = W * (1/100) * [L_p * (L_1 - L_0)/L_0 + C_{M_p} * (C_{M_1} - C_{M_0})/C_{M_0} + E_{M_p} * (E_{M_1} - E_{M_0})/E_{M_0} + B_p * (B_1 - B_0)/B_0]$ Where, W=cost of work done as per para (ii) above. V_w (Variation of cost of Work) = Increase or decrease in the cost of works during the period under consideration due to change in the rates for relevant components. Percentage components of materials & labour as specified in the schedule F are defined as under: - C_p- Cement component, L_p - Labour component, C_{M_p}- Civil component of other construction materials, E_{M_p}- E & M i/c IT and AS component of construction materials F_p-POL (Diesel) component S_p- Reinforcement steel bars/TMT bars/structural steel (including strands and cables) component B_p- Bitumen Component Indices for various components of materials & labour to be used for the purpose of this Clause are defined as under: C₀= Wholesale Price Index for Pozzolana Cement published by office of the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce valid for the month of last date of receipt of tender including extension, if any. C₁= Wholesale Price Index for Pozzolana Cement published by office of the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce for the period under consideration. L₀= Minimum daily wage in rupees of an unskilled adult mazdoor, fixed under any law, statutory rule or order as on the last date of receipt of tender including extension, if any. L_r= Minimum wage in rupees of an unskilled adult mazdoor, fixed under any law, statutory rule or order as applicable on the last date of the quarter previous to the one under consideration. C_{M₀}= Price Index for civil components of other construction materials valid for the month of the last date of receipt of tender including extension, if any, as published by AAI. C_{M₁}= Price Index for civil components of other construction materials for the period under consideration, as published by AAI. E_{M₀}= Price Index for E & M components of construction materials valid for the month of the last date of receipt of tender including extension, if any, as published by AAI. E_{M₁}= Price Index for E & M components of construction materials for the period under consideration, as published by AAI. F₀= Wholesale Price Index of HSD (High Speed Diesel) published by office of
--	--	---



		the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce valid for the month of the last date of receipt of tender including extension, if any. F_I= Wholesale Price Index of HSD (High Speed Diesel) published by office of the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce for the period under consideration. So= Wholesale Price Index of Mild Steel-long products published by office of the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce valid for the month of the last date of receipt of tender including extension, if any S_I= Wholesale Price Index of Mild Steel-long products published by office of the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce for the period under consideration. Bo= Wholesale Price Index of Bitumen published by office of the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce valid for the month of the last date of receipt of tender including extension, if any. B_I= Wholesale Price Index of Bitumen published by office of the Economic Adviser, Ministry of Industry & Commerce for the period under consideration.
--	--	--

खण्ड 10डी

CLAUSE 10 D

ध्वस्त सामग्री एएआई संपत्ति Dismantled Material AAI Property	ठेकेदार किसी संरचना के ध्वस्तीकरण, कार्य के लिए स्थल की खुदाई आदि के दौरान प्राप्त सभी सामग्रियों को एएआई की संपत्ति मानेगा और ऐसी सामग्रियों का निपटान प्रभारी अभियंता द्वारा जारी लिखित निर्देशों के अनुसार प्राधिकरण के सर्वोत्तम लाभ के लिए किया जाएगा। The contractor shall treat all materials obtained during dismantling of a structure, excavation of the site for a work etc. as property of AAI and such materials shall be disposed off to the best advantage of Authority according to the instructions in writing issued by the Engineer-in-charge.
---	---

धारा 11

CLAUSE 11

कार्य विनिर्देशों, रेखाचित्रों, आदेशों आदि के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। Work to be executed in accordance with specifications, drawings, orders etc.	ठेकेदार कार्य के सम्पूर्ण भाग को अत्यंत सारवान तथा कार्यकुशल तरीके से निष्पादित करेगा, चाहे वह सामग्री के सम्बन्ध में हो या अन्यथा, हर दृष्टि से विनिर्देशों के पूर्णतः अनुपालन में। ठेकेदार कार्य के सम्बन्ध में प्रभारी इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में डिजाइन, रेखाचित्रों तथा निर्देशों का भी पूर्णतः तथा निष्ठापूर्वक अनुपालन करेगा तथा ठेकेदार को अनुबंध दस्तावेजों की एक प्रति विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों तथा निर्देशों सहित निःशुल्क प्रदान की जाएगी, जो अनुसूची एफ में निर्दिष्ट केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मानक विनिर्देशों में या भारतीय मानक ब्यूरो में या किसी अन्य प्रकाशित मानक या कोड या दरों की अनुसूची में या अनुबंध में अन्यत्र संदर्भित किसी अन्य मुद्रित प्रकाशन में शामिल नहीं हैं। ठेकेदार अनुबंध के प्रावधानों का अनुपालन करेगा तथा सावधानी तथा परिश्रम के साथ कार्यों को निष्पादित तथा अनुरक्षित करेगा तथा सभी कार्यों के मापन तथा पर्यवेक्षण सहित सभी श्रम तथा सामग्री, उपकरण तथा संयंत्र, संरचनात्मक योजनाएं तथा ऐसे निष्पादन तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक अस्थायी या स्थायी प्रकृति की अन्य चीजें उपलब्ध कराएगा, जहां तक कि इन्हें उपलब्ध कराने की आवश्यकता निर्दिष्ट की गई है या अनुबंध से उचित रूप से अनुमान लगाया गया है। ठेकेदार को सभी कार्यों और निर्माण विधियों की पर्याप्तता, उपयुक्तता और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। The contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and workmanlike manner both as regards materials and otherwise in every respect in strict accordance with the specifications. The contractor shall also conform exactly, fully and faithfully to the design, drawings and instructions in writing in respect to the work signed by the Engineer in charge and the contractor shall be furnished free of charge one copy of the contract documents together with specifications, designs, drawings and instructions as are not included in the standard specifications of Central Public Works Department specified in Schedule F or in any Bureau of Indian Standard or any other
--	--



		published standard or code or Schedule of Rates or any other printed publication referred to elsewhere in the contract. The contractor shall comply with the provisions of the contract and with the care and diligence execute and maintain the works and provide all labour and materials, tools and plants including for measurements and supervision of all works, structural plans and other things of temporary or permanent nature required for such execution and maintenance in so far as the necessity for providing these, is specified or is reasonably inferred from the contract. The contractor shall take full responsibility for adequacy suitability and safety of all the works and methods of construction.
--	--	---

धारा 12

CLAUSE 12

	विचलन / भिन्नता सीमा और मूल्य निर्धारण Deviations / variations extent and pricing	प्रभारी इंजीनियर को (i) मूल विनिर्देशों, रेखाचित्रों, डिजाइनों और अनुदेशों में परिवर्तन करने, उन्हें हटाने, उनमें कुछ जोड़ने या उन्हें प्रतिस्थापित करने की शक्ति होगी, जो कार्य की प्रगति के दौरान उसे आवश्यक या उचित प्रतीत हो, और (ii) साइट के किसी भाग की अनुपलब्धता की स्थिति में या किसी अन्य कारण से कार्य के किसी भाग को छोड़ने की शक्ति होगी और ठेकेदार इंजीनियरी प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में उसे दिए गए किसी अनुदेश के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा और ऐसे परिवर्तन, हटाए, जोड़े या प्रतिस्थापित किए जाने अनुबंध का भाग होंगे, जैसे कि मूल रूप से उसमें प्रावधान किया गया हो और कोई भी परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य, जिसे ठेकेदार को कार्य के भाग के रूप में ऊपर निर्दिष्ट तरीके से करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, ठेकेदार द्वारा सभी मामलों में उन्हीं शर्तों पर किया जाएगा, जिसमें वह मूल्य भी शामिल है, जिस पर उसने मुख्य कार्य करने के लिए सहमति दी थी, सिवाय इसके कि जैसा कि इसके बाद प्रावधान किया गया हो। The engineer-in-charge shall have power (i) to make alteration in, omissions from, additions to, or substitutions for the original specifications, drawings, designs and instructions that may appear to him to be necessary or advisable during the progress of the work, and (ii) to omit a part of the works in case of non-availability of a portion of the site or for any other reasons and the contractor shall be bound to carry out the works in accordance with any instructions given to him in writing signed by the Engineering- charge and such alterations, omissions, additions or substitutions shall form part of the contract as if originally provided therein and any altered, additional or substituted work which the contractor may be directed to do in the manner specified above as part of the works, shall be carried out by the contractor on the same conditions in all respects including price on which he agreed to do the main work except as hereafter provided.
12.1		यदि निविदा मूल्य से अधिक किसी विचलन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत आती है, तो कार्य पूरा करने की अवधि, ठेकेदार द्वारा अनुरोध किए जाने पर, निम्नानुसार बढ़ाई जाएगी: i. परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य की अतिरिक्त लागत का अनुपात मूल निविदा मूल्य से अधिक है। ii. उपर्युक्त (i) में गणना किए गए समय का 25% या ऐसा अतिरिक्त समय जिसे प्रभारी इंजीनियर द्वारा उचित माना जाए। The time for completion of the works shall, in the event of any deviations resulting in additional cost over the tendered value being ordered, be extended, if requested by the contractor, as follows: i. In the proportion which the additional cost of the altered, additional or substituted work, bears to the original tendered value plus ii. 25% of the time calculated in (i) above or such further additional time as may be considered reasonable by the engineer-in-charge.



12.2	विचलन, अतिरिक्त आइटम और मूल्य निर्धारण Deviation, Extra Items and Pricing	अतिरिक्त मद(ओं) (ऐसी मदें जो पूर्णतया नई हों, तथा अनुबंध में निहित मदों के अतिरिक्त हों) के मामले में ठेकेदार आदेश की प्राप्ति या मद(ओं) के घटित होने के पंद्रह दिनों के भीतर कार्य के लिए उचित विश्लेषण द्वारा समर्थित दरों का दावा कर सकेगा तथा प्रभारी इंजीनियर विश्लेषण द्वारा समर्थित दावों की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दरों के विश्लेषण पर विचार करने के पश्चात बाजार दरों के आधार पर दरें निर्धारित करेगा तथा ठेकेदार को इस प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। In the case of extra item(s) (items that are completely new, and in addition to the items contained in the contract) the contractor may within fifteen days of receipt of order or occurrence of the item(s) claim rates, supported by proper analysis, for the work and the Engineer-in-charge shall within Six weeks of the receipt of the claims supported by analysis, after giving consideration to the analysis of the rates submitted by the contractor, determine the rates on the basis of the market rates and the contractor shall be paid in accordance with the rates so determined.
	विचलन, प्रतिस्थापित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण Deviation, substituted items pricing	प्रतिस्थापित मदों (ऐसी मदें जो आंशिक प्रतिस्थापन के साथ या अनुबंध में कार्य की मदों के बदले में ली जाती हैं) के मामले में, अनुबंध मद (प्रतिस्थापित की जाने वाली) और प्रतिस्थापित मद के लिए दर भी निम्नलिखित पैरा में उल्लिखित तरीके से निर्धारित की जाएगी। (i) यदि इस प्रकार निर्धारित प्रतिस्थापित मद के लिए बाजार दर, अनुबंध मद (प्रतिस्थापित की जाने वाली) की बाजार दर से अधिक है, तो प्रतिस्थापित मद के लिए ठेकेदार को देय दर, अनुबंध मद (प्रतिस्थापित की जाने वाली) के लिए दर के बराबर होगी, जो प्रतिस्थापित मद और अनुबंध मद (प्रतिस्थापित की जाने वाली) की बाजार दरों के बीच के अंतर की सीमा तक बढ़ाई जाएगी। (ii) यदि इस प्रकार निर्धारित प्रतिस्थापित मद के लिए बाजार दर, अनुबंध मद (प्रतिस्थापित की जाने वाली) की बाजार दर से कम है, तो प्रतिस्थापित मद के लिए ठेकेदार को देय दर, अनुबंध मद (प्रतिस्थापित की जाने वाली) के लिए दर होगी, जो प्रतिस्थापित मद और अनुबंध मद (प्रतिस्थापित की जाने वाली) की बाजार दरों के बीच के अंतर की सीमा तक कम हो जाएगी। In the case of substituted items (items that are taken up with partial substitution or in lieu of items of work in the contract), the rate for the agreement item (to be substituted) and substituted item shall also be determined in the manner as mentioned in the following para. (iii) If the market rate for the substituted item so determined is more than the market rate of the agreement item (to be substituted), the rate payable to the contractor for the substituted item shall be the rate for the agreement item (to be substituted) so increased to the extent of the difference between the market rates of substituted item and the agreement item (to be substituted). (iv) If the market rate for the substituted item so determined is less than the market rate of the agreement item (to be substituted), the rate payable to the contractor for the substituted item shall be the rate for the agreement item (to be substituted) so decreased to the extent of the difference between the market rates of substituted item and the agreement item (to be substituted).
	विचलन, विचलित मात्रा, मूल्य निर्धारण Deviation, Deviated Quantities, Pricing	अनुबंध मदों, प्रतिस्थापित मदों, अनुबंध सह प्रतिस्थापित मदों के मामले में, जो अनुसूची एफ में निर्धारित सीमाओं से अधिक हैं, ठेकेदार आदेश की प्राप्ति या अधिकता की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर, उपर्युक्त सीमाओं से अधिक कार्य के लिए उचित विश्लेषण द्वारा समर्थित दरों में संशोधन का दावा कर सकता है, बशर्ते कि यदि दावा की गई दरें मात्राओं की अनुसूची में निर्दिष्ट दरों से अधिक हैं, तो प्रभारी इंजीनियर विश्लेषण द्वारा समर्थित दावों की प्राप्ति की निर्धारित समय सीमा के भीतर, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दरों के विश्लेषण पर विचार करने के बाद, बाजार दरों के आधार पर दरें निर्धारित करेगा और ठेकेदार को इस प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। In the case of contract items, substituted items, contract cum substituted items, which exceed the limits laid down in schedule F, the contractor may within fifteen days of receipt of order or occurrence of the excess, claim revision of the rates, supported by proper analysis for the work in excess of the above mentioned limits, provided that if the rates so claimed are in excess of the rates specified in the schedule of quantities, the Engineer-in-Charge shall



		within prescribed time limit of receipt of the claims supported by analysis, after giving consideration to the analysis of the rates submitted by the contractor, determine the rates on the basis of the market rates and the contractor shall be paid in accordance with the rates so determined.
12.3		पूर्ववर्ती पैराग्राफ के प्रावधान अनुसूची एफ में निर्धारित सीमाओं से अधिक कार्य के लिए मर्दों की दरों में कमी पर भी लागू होंगे और प्रभारी इंजीनियर अधिकता होने के एक माह के भीतर ठेकेदार को नोटिस देने के पश्चात् तथा नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर उससे प्राप्त किसी उत्तर पर विचार करने के पश्चात्, बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए, पंद्रह दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के एक माह के भीतर प्रश्नगत कार्य के लिए दरों को संशोधित करेगा। The provisions of the preceding paragraph shall also apply to the decrease in the rates of items for the work in excess of the limits laid down in Schedule F, and the Engineer-in-Charge shall after giving notice to the contractor within one month of occurrence of the excess and after taking into consideration any reply received from him within fifteen days of the receipt of the notice, revise the rates for the work in question within one month of the expiry of the said period of fifteen days having regard to the market rates.
12.4		ठेकेदार को हर तीन महीने में एक बार प्रभारी इंजीनियर को एक अद्यतन लेखा भेजना होगा जिसमें अतिरिक्त भुगतान के लिए सभी दावों का पूरा ब्यौरा होगा जिसके लिए ठेकेदार खुद को हकदार मानता है और प्रभारी इंजीनियर द्वारा आदेशित सभी अतिरिक्त कार्यों का ब्यौरा होगा, जिन्हें उसने पिछली तिमाही के दौरान पूरा किया है। ऐसा न करने पर माना जाएगा कि ठेकेदार ने अपने अधिकार का परित्याग कर दिया है। हालांकि, कार्यकारी निदेशक इंजीनियरिंग ऐसे दावों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। The contractor shall send to the Engineer-in-Charge once every three months, an upto date account giving complete details of all claims for additional payments to which the contractor may consider himself entitled and of all additional work ordered by the Engineer-in-Charge, which he has executed during the preceding quarter failing which the contractor shall be deemed to have waived his right. However, the Executive Director Engineering may authorise consideration of such claims on merits.
12.5		अनुसूची एफ के संचालन के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित कार्यों को नीचे से संबंधित कार्य माना जाएगा जब तक कि अनुबंध में अन्यथा परिभाषित न किया गया हो: - भवनों के लिए: भूतल से 1.2 मीटर ऊपर या प्रथम तल तक, जो भी कम हो, सभी कार्य। - आधारों, खंभों और कुआं रंगाई के लिए: बिस्तर स्तर से 1.2 मीटर ऊपर तक सभी कार्य। - रिटेंनिंग दीवारों, विंग दीवारों, कम्पाउंड दीवारों, चिमनियों, ऊपरी जलाशयों/टैंकों और अन्य ऊंचे ढांचों के लिए: जमीन स्तर से 1.2 मीटर ऊपर तक के सभी कार्य। - सड़कों, एप्रन, रनवे और टैक्सी ट्रैक के लिए खुदाई, जीएसबीसी भरने और सब-बेस के उपचार सहित सभी मर्दों। - जलाशयों/टैंकों के लिए (ओवरहेड जलाशयों/टैंकों के अलावा): जमीन स्तर से 1.2 मीटर ऊपर तक के सभी कार्य। - बेसमेंट के लिए: जमीन स्तर से 1.2 मीटर ऊपर या मंजिल 1 स्तर तक, जो भी कम हो, सभी कार्य। For the purpose of operation of Schedule F, the following works shall be treated as works relating to foundation unless & otherwise defined in the contract: - For Buildings: All works up to 1.2 metres above ground level or up to floor 1 level whichever is lower. - For abutments, piers and well staining: All works up to 1.2 m above the bed level. - For retaining walls, wing walls, compound walls, chimneys, over head reservoirs/tanks and other elevated structures: All works up to 1.2 m above the ground level. - For roads, apron, runway & taxitrack all items of excavation, filling GSBC and including treatment of sub-base. - For reservoirs/tanks (other than overhead reservoirs/tanks): All works up to 1.2 metres above the ground level.



		vi. For basement: All works up to 1.2 m above ground level or up to floor 1 level whichever is lower.
12.6		कोई भी ऐसा कार्य जो निविदा दाखिल करते समय, निविदाकर्ता के विचार में होना आवश्यक है या मात्राओं की अनुसूची में या ऊपर उल्लिखित दरों की अनुसूची में शामिल मद के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक है, चाहे मद के विवरण और प्रासंगिक विनिर्देशों में विशेष रूप से इंगित किया गया हो या नहीं, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरों या दरों की उक्त अनुसूची में दी गई दर में शामिल माना जाएगा, जैसा भी मामला हो। ऐसे कार्यों के लिए कुछ भी अतिरिक्त स्वीकार्य नहीं होगा। Any operation incidental to or necessarily has to be in contemplation of tenderer while filing, tender, or necessary for proper execution of the item included in the Schedule of quantities or in the schedule of rates mentioned above, whether or not, specifically indicated in the description of the item and the relevant specifications, shall be deemed to be included in the rates quoted by the tenderer or the rate given in the said schedule of rates, as the case may be. Nothing extra shall be admissible for such operations.

धारा 13

CLAUSE 13

कार्य के दायरे में कमी या परित्याग के कारण अनुबंध का बंद होना Foreclosure of contract due to Abandonment or Reduction in Scope of Work	यदि निविदा स्वीकार किए जाने के बाद या कार्य की प्रगति के दौरान किसी भी समय जिस उद्देश्य या उद्देश्य के लिए कार्य किया जा रहा है, वह किसी भी कारण से बदल जाता है और जिसके परिणामस्वरूप कार्य को छोड़ना पड़ता है या उसके दायरे को कम करना पड़ता है, तो प्रभारी इंजीनियर ठेकेदार को इस आशय की लिखित सूचना देगा और ठेकेदार निर्णय के साथ-साथ ऐसे निर्णय का कारण भी बताएगा और ठेकेदार मामले में तदनुसार कार्रवाई करेगा। ठेकेदार किसी भी लाभ या फायदे के कारण मुआवजे या अन्यथा किसी भी भुगतान का दावा नहीं कर सकता है, जो उसे कार्यों के पूर्ण रूप से निष्पादन से प्राप्त हो सकता था, लेकिन जो उसे पूरे कार्यों या उसके हिस्से के फौजदारी के परिणामस्वरूप प्राप्त नहीं हुआ। ठेकेदार को अनुबंध दरों पर, साइट पर निष्पादित कार्यों के लिए पूरी राशि और इसके अलावा, नीचे उल्लिखित मदों के लिए प्रभारी इंजीनियर द्वारा प्रमाणित एक उचित राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसे फौजदारी के मद्देनजर काम पर पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका; i. प्रारंभिक साइट कार्य पर किया गया कोई भी व्यय, जैसे अस्थायी पहुंच मार्ग, अस्थायी श्रमिक झोपड़ियाँ, स्टाफ क्वार्टर और साइट कार्यालय; भंडारण आवास और जल भंडारण टैंक। ii. एएआई के पास ठेकेदार की सामग्री या उसके किसी भाग को अपने कब्जे में लेने का विकल्प होगा, चाहे वह साइट पर लाया गया हो या जिसकी डिलीवरी ठेकेदार आपूर्तिकर्ताओं से (कार्य में शामिल होने या उससे संबंधित) स्वीकार करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो, लेकिन एएआई उन सामग्रियों या उनके ऐसे भागों को अपने कब्जे में लेने के लिए बाध्य होगा जिन्हें ठेकेदार अपने पास रखना नहीं चाहता है। एएआई द्वारा ली गई या ली जाने वाली सामग्रियों के लिए, प्रभारी अभियंता द्वारा बताई गई ऐसी सामग्रियों की लागत का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, लागत में खरीद मूल्य, परिवहन की लागत और ठेकेदार की हिरासत में सामग्री में हुई गिरावट या क्षति को ध्यान में रखा जाएगा। iii. यदि एएआई द्वारा आपूर्ति की गई कोई भी सामग्री अधिशेष हो जाती है, तो सामान्य अपव्यय को छोड़कर, ठेकेदार द्वारा एएआई को उन दरों पर वापस किया जाएगा, जिस पर उन्हें मूल रूप से जारी किया गया था, जिसमें ठेकेदार की हिरासत में सामग्री के रहने के दौरान हुई किसी भी गिरावट या क्षति के लिए भत्ता कम होगा। इसके अलावा, साइट से एएआई स्टोर तक ऐसी सामग्रियों के परिवहन की लागत, यदि एएआई द्वारा ऐसा आवश्यक हो, का भुगतान किया जाएगा। iv. साइट से ठेकेदार के स्थायी स्टोर या उसके अन्य कार्यों में टी एंड पी के हस्तांतरण के लिए उचित मुआवजा, जो भी कम हो। यदि टी एंड पी को उक्त स्थानों में से किसी पर नहीं ले जाया जाता है, तो परिवहन की कोई लागत देय नहीं होगी। v. ठेकेदार के साइट स्टाफ और आयातित श्रमिकों को वापस भेजने के लिए उचित मुआवजा, जहां तक आवश्यक हो। यदि
---	---



		प्रभारी इंजीनियर द्वारा ठेकेदार से अनुरोध किया जाता है, तो उसे लेखा पुस्तकें, वेतन पुस्तकें, समय पत्रक और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे, जो उसे इस शर्त के तहत देय उचित राशि को प्रमाणित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। उपरोक्त मदों (i), (iv) और (v) की उचित राशि, समापन तिथि पर अधूरे रह गए कार्य की लागत के 2% से अधिक नहीं होगी, अर्थात् स्वीकृत निविदा के अनुसार कार्य की कुल निर्धारित लागत में से अनुबंध के तहत वास्तव में निष्पादित कार्य की लागत घटाई जाएगी और उपरोक्त मद (ii) के अनुसार AAI द्वारा ली गई साइट पर ठेकेदार की सामग्री की लागत घटाई जाएगी। बशर्ते कि इस खाते पर या अन्यथा ठेकेदार को देय किसी भी भुगतान के विरुद्ध, प्रभारी अभियंता ठेकेदार से किसी भी उपकरण, संयंत्र और सामग्री और किसी भी अन्य राशि के संबंध में भुगतान किए गए अग्रिम के लिए बकाया राशि वसूलने या जमा करने का हकदार होगा, जो समाप्ति की तिथि पर AAI द्वारा ठेकेदार से अनुबंध की शर्तों के तहत वसूली योग्य थी। कार्य के दायरे को कम करने के लिए खंड 13 के तहत कार्रवाई किए जाने की स्थिति में, ठेकेदार उन्हीं शर्तों पर, उसी तरीके से और उसी दर पर शेष निविदा राशि के लिए नई निष्पादन गारंटी प्रस्तुत कर सकता है और शुरू में विस्तारित तिथि तक या यदि कोई विस्तार नहीं दिया गया है तो पूरा होने की निर्धारित तिथि और उसके बाद 180 दिन तक वैध होगी। जहां भी, ठेकेदार द्वारा ऐसी नई निष्पादन गारंटी प्रस्तुत की जाती है, प्रभारी इंजीनियर पिछली निष्पादन गारंटी वापस कर सकता है। If at any time after acceptance of the tender orduring the progress of work the purpose or object for which the work is being done changes due to any supervening cause and as a result of which the work has to be abandoned or reduced in scope the Engineer-in-Charge shall give notice in writing to that effect to the contractor and the contractor stating the decision as well as the cause for such decision and the contractor shall act accordingly in the matter. The contractor shall have no claim to any payment of compensation or otherwise whatsoever, on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the works in full but which he did not derive in consequence of the foreclosure of the whole or part of the works. The contractor shall be paidat contract rates, full amount for works executed at site and, in addition, a reasonable amount as certified by the Engineer-in-Charge for the items hereunder mentioned which could not be utilized on the work to the full extent in view of the foreclosure; i.Any expenditure incurred on preliminary site work, e.g. temporary access roads, temporary labour huts, staff quarters and site office; storage accommodation and water storage tanks. ii.AAI shall have the option to take over contractor's materials or any part thereof either brought to site or of which the contractor is legally bound to accept delivery from suppliers (for incorporation in or incidental to the work) provided, however AAI shall be bound to take over the materials or such portions thereof as the contractor does not desire to retain. For materials taken over or to be taken over by AAI, cost of such materials as detailed by Engineer-in- Charge shall be paid. The cost shall, however, take into account purchase price, cost of transportation and deterioration or damage which may have been caused to materials whilst in the custody of the contractor. iii.If any materials supplied by AAI are rendered surplus, the same except normal wastage shall be returned by the contractor to AAI at rates not exceeding those at which these were originally issued, less allowance for any deterioration or damage which may have been caused whilst the materials were in the custody of the contractor. In addition, cost of transporting such materials from site to AAI stores, if so required by AAI, shall be paid.
--	--	---



		iv. Reasonable compensation for transfer of T & P from site to contractor's permanent stores or to his other works, whichever is less. If T & P are not transported to either of the said places, no cost of transportation shall be payable. v. Reasonable compensation for repatriation of contractor's site staff and imported labour to the extent necessary. The contractor shall, if required by the Engineer- in-Charge, furnish to him, books of account, wage books, time sheets and other relevant documents and evidence as may be necessary to enable him to certify the reasonable amount payable under this condition. The reasonable amount of items on (i), (iv) and (v) above shall not be in excess of 2% of the cost of the work remaining incomplete on the date of closure, i.e. total stipulated cost of the work as per accepted tender less the cost of work actually executed under the contract and less the cost of contractor's materials at site taken over by the AAI as per item (ii) above. Provided always that against any payments due to the contractor on this account or otherwise, the Engineer-in-Charge shall be entitled to recover or be credited with any outstanding balances due from the contractor for advance paid in respect of any tool, plants and materials and any other sums which at the date of termination were recoverable by the AAI from the contractor under the terms of the contract. In the event of action being taken under clause 13 to reduce the scope of work, the contractor may furnish fresh Performance Guarantee on the same conditions, in the same manner and at the same rate for the balance tendered amount and initially valid upto the extended date the completion or stipulated date of completion if no extension has been granted plus 180 days beyond that. Wherever, such a fresh Performance Guarantee is furnished by the contractor, the Engineer in Charge may return the previous Performance Guarantee.
--	--	--

धारा 14

CLAUSE 14

	ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर आंशिक कार्य करना Carrying out partWork at risk & cost of contractor	a. यदि ठेकेदार: - किसी भी समय कार्य के दौरान चूक करता है या कार्य के किसी भाग को समुचित तत्परता से निष्पादित नहीं करता है और प्रभारी अभियंता से इस संबंध में 7 दिन का लिखित नोटिस मिलने के बाद भी ऐसा करना जारी रखता है; या - अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन करने में चूक करता है और प्रभारी इंजीनियर द्वारा लिखित में नोटिस दिए जाने के बाद भी 7 दिनों के भीतर उसका समाधान नहीं करता है या उसके समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है; या - निर्धारित तिथि को या उससे पहले अलग-अलग समाप्ति तिथियों के साथ कार्य(कार्यों) या कार्य के मदों को पूरा करने में असफल रहता है, तथा प्रभारी इंजीनियर द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में दिए गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उन्हें पूरा नहीं करता है। b. प्रभारी अभियंता, खण्ड 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किए बिना, ठेकेदार के विरुद्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो एएआई को प्राप्त हुआ है या उसके पश्चात प्राप्त होगा, लिखित नोटिस द्वारा किसी भी मद (मदों) के आंशिक कार्य/आंशिक अपूर्ण कार्य को उसके हाथों से लेने का अधिकार ले सकेगा और उसे निम्नलिखित शक्तियां होंगी: - साइट और उस पर मौजूद किसी भी सामग्री, निर्माण संयंत्र, उपकरण, भंडार आदि को अपने कब्जे में ले लें; और/या - किसी भी वस्तु का आंशिक कार्य/आंशिक अधूरा कार्य किसी भी तरह से ठेकेदार के जोखिम और लागत पर नहीं करना। c. प्रभारी इंजीनियर ठेकेदार से वसूली जाने वाली राशि का निर्धारण करेगा, यदि कोई हो, उसके हाथों से ली गई किसी भी वस्तु के आंशिक कार्य/आंशिक अपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए और ठेकेदार के जोखिम और लागत पर निष्पादित करने
--	--	---



		के लिए, इस खंड के तहत कार्रवाई के कारण एएआई को हुई हानि या क्षति के लिए ठेकेदार का दायित्व कार्य के निविदा मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगा। d. राशि का निर्धारण करते समय, ठेकेदार को सभी तरह से उसी तरह और उसी दर पर किए गए कार्य के मूल्य के साथ क्रेडिट दिया जाएगा जैसे कि यह कार्य मूल ठेकेदार द्वारा उसके अनुबंध की शर्तों के तहत किया गया था, ठेकेदार द्वारा ली गई और कार्य में शामिल की गई सामग्रियों का मूल्य और ठेकेदार से संबंधित संयंत्र और मशीनरी का उपयोग। किए गए कार्य के मूल्य के बारे में प्रभारी अभियंता का प्रमाण पत्र ठेकेदार के खिलाफ अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि इस खंड के तहत कार्रवाई केवल ठेकेदार को लिखित में नोटिस देने के बाद ही की जाएगी। यह भी प्रावधान है कि यदि विभाग द्वारा किए गए व्यय ठेकेदार को उसकी अनुबंध दरों पर देय राशि से कम हैं, तो अंतर ठेकेदार को देय नहीं होगा। e. किसी भी मद के आंशिक कार्य/आंशिक अपूर्ण कार्य को पूरा करने में एएआई द्वारा किया गया या किया जाने वाला कोई अतिरिक्त व्यय या एएआई द्वारा पूर्वोक्त रूप से उठाए गए या उठाए जाने वाले नुकसान की अतिरिक्त हानि, ऐसी क्रेडिट की अनुमति देने के बाद एएआई को कानून या समझौते के अनुसार उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी खाते पर ठेकेदार को देय किसी भी धन से वसूल की जाएगी, और यदि ऐसा धन अपर्याप्त है, तो ठेकेदार को लिखित रूप में कहा जाएगा और वह 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। f. यदि ठेकेदार 30 दिनों की उपरोक्त अवधि के भीतर अपेक्षित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्रभारी इंजीनियर को ठेकेदारों की अप्रयुक्त सामग्री, निर्माण संयंत्र, उपकरण, साइट पर अस्थायी भवन आदि में से किसी एक या सभी को बेचने और उनकी बिक्री से प्राप्त राशि को अनुबंध के तहत ठेकेदार से वसूल किए जाने वाले बकाया के रूप में समायोजित करने का अधिकार होगा और यदि इसके बाद कोई बकाया राशि बचती है, तो उसे अनुबंध के प्रावधानों / कानून के प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जाएगा। प्रभारी अभियंता द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाए जाने की स्थिति में, ठेकेदार को किसी सामग्री के क्रय या प्राप्ति या किसी अनुबंध में प्रवेश करने या किसी भी खाते में या कार्य के निष्पादन या अनुबंध के निष्पादन के उद्देश्य से कोई अग्रिम देने के कारण हुई किसी भी हानि के लिए मुआवजे का कोई दावा नहीं होगा। g. If contractor: iv. At any time makes default during currency of work or does not execute any part of the work with due diligence and continues to do so even after a notice in writing of 7 days in this respect from the Engineer-in-Charge; or v. Commits default in complying with any of the terms and conditions of the contract and does not remedy it or takes effective steps to remedy it within 7 days even after a notice in writing is given in that behalf by the Engineer-in-Charge; or vi. Fails to complete the work(s) or items of work with individual dates of completion, on or before the date(s) so determined, and does not complete them within the period specified in the notice given in writing in that behalf by the Engineer-in-Charge. h. The Engineer- in-Charge without invoking action under clause 3 may, without prejudice to any other right or remedy against the contractor which have either accrued or accrue thereafter to AAI, by a notice in writing to take the part work / part incomplete work of any item(s) out of his hands and shall have powers to: iii. Take possession of the site and any materials, constructional plant, implements, stores, etc., thereon; and/or iv. Carry out the part work / part incomplete work of any item(s) by any means at the risk and cost of the contractor. i. The Engineer-in-Charge shall determine the amount, if any, is recoverable from the contractor for completion of the part work/ part incomplete work of any item(s) taken out of his hands and executed at the risk and cost of the contractor, the liability of contractor on account of loss or damage suffered by AAI because of action under this clause shall not exceed 10% of the tendered
--	--	--



		value of the work. j. In determining the amount, credit shall be given to the contractor with the value of work done in all respect in the same manner and at the same rate as if it had been carried out by the original contractor under the terms of his contract, the value of contractor's materials taken over and incorporated in the work and use of plant and machinery belonging to the contractor. The certificate of the Engineer-in-Charge as to the value of work done shall be final and conclusive against the contractor provided always that action under this clause shall only be taken after giving notice in writing to the contractor. Provided also that if the expenses incurred by the department are less than the amount payable to the contractor at his agreement rates, the difference shall not be payable to the contractor. k. Any excess expenditure incurred or to be incurred by AAI in completing the part work/ part incomplete work of any item(s) or the excess loss of damages suffered or may be suffered by AAI as aforesaid after allowing such credit shall without prejudice to any other right or remedy available to AAI in law or per as agreement be recovered from any money due to the contractor on any account, and if such money is insufficient, the contractor shall be called upon in writing and shall be liable to pay the same within 30 days. l. If the contractor fails to pay the required sum within the aforesaid period of 30 days, the Engineer-in-Charge shall have the right to sell any or all of the contractors' unused materials, constructional plant, implements, temporary building at site etc. and adjust the proceeds of sale thereof towards the dues recoverable from the contractor under the contract and if thereafter there remains any balance outstanding, it shall be recovered in accordance with the provisions of the contract/ provisions of law. In the event of above course being adopted by the Engineer-in-Charge, the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reason of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advance on any account or with a view to the execution of the work or the performance of the contract.
--	--	--

धारा 15

CLAUSE 15

	कार्य का निलंबन Suspension of Work	i. ठेकेदार, प्रभारी इंजीनियर के लिखित आदेश की प्राप्ति पर (जिसका निर्णय ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा) कार्य की प्रगति या उसके किसी भाग को ऐसे समय के लिए और ऐसे तरीके से निलंबित कर देगा, जैसा कि प्रभारी इंजीनियर आवश्यक समझे, ताकि पहले से किए गए कार्य को कोई नुकसान या चोट न पहुंचे या निम्नलिखित में से किसी भी कारण से उसकी सुरक्षा खतरे में न पड़े: a. ठेकेदार की ओर से किसी चूक के कारण या; b. ठेकेदार की चूक के अलावा अन्य कारणों से कार्य या उसके किसी भाग के उचित निष्पादन के लिए; या c. कार्य या उसके भाग की सुरक्षा के लिए। ठेकेदार को ऐसे निलंबन के दौरान, ठेकेदार को उचित रूप से सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करनी होगी। आवश्यक सीमा तक कार्य करना तथा प्रभारी इंजीनियर द्वारा उस संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन करना। The contractor shall, on receipt of the order in writing of the Engineer-in-Charge, (whose decision shall be final and binding on the contractor) suspend the progress of the works or any part thereof for such time and in such manner as the Engineer-in- Charge may consider necessary so as not to cause any damage or injury to the work already done or endanger the safety thereof for
--	--	---



		any of the following reasons: d. on account of any default on the part of the contractor or; e. for proper execution of the works or part thereof for reasons other than the default of the contractor; or f. for safety of the works or part thereof. The contractor shall, during such suspension, properly protect and secure the works to the extent necessary and carry out the instructions given in that behalf by the Engineer-in-Charge.
		ii. यदि निलंबन का आदेश उप-पैरा (i) में वर्णित कारणों (बी) और (सी) के लिए दिया गया है (किन्तु ठेकेदार को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है): a. ठेकेदार ऐसे प्रत्येक निलंबन की अवधि के बराबर समय विस्तार तथा कार्य की उस मद या मदों के समूह के पूरा होने के लिए 25% अतिरिक्त समय विस्तार पाने का हकदार होगा जिसके लिए अनुबंध में पूरा होने की पृथक अवधि निर्दिष्ट की गई है और जिसका निलंबित कार्य एक भाग है, और; b. यदि किसी मद या मदों के समूह या कार्य के संबंध में, जिसके लिए अनुबंध में पूर्णता की पृथक अवधि निर्दिष्ट की गई है, ऐसे सभी निलंबनों की कुल अवधि तीस दिन से अधिक हो जाती है, तो इसके अतिरिक्त, ठेकेदार ऐसे मुआवजे का हकदार होगा, जिसे प्रभारी इंजीनियर ठेकेदार द्वारा निलंबन की अवधि के दौरान कार्यस्थल पर निष्क्रिय रहने वाले अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए वेतन और/या मजदूरी के संबंध में उचित समझे, तथा इसमें ठेकेदार के अप्रत्यक्ष व्ययों को कवर करने के लिए 2% जोड़ा जाएगा, बशर्ते कि ठेकेदार 30 दिनों की अवधि की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर प्रभारी इंजीनियर को विवरण सहित अपना दावा प्रस्तुत कर दे। c. यदि कार्य या उसका कोई भाग प्रभारी इंजीनियर के आदेश पर एक बार में तीन महीने से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है, सिवाय जब निलंबन का आदेश उप-पैरा (i) में (क) कारणों से दिया गया हो, तो ठेकेदार ऐसे आदेश की प्राप्ति के बाद प्रभारी इंजीनियर को लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें उक्त नोटिस की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर अनुमति की मांग की जाएगी, ताकि उस कार्य या उसके भाग को आगे बढ़ाया जा सके जिसके संबंध में प्रगति निलंबित कर दी गई है और यदि उस समय के भीतर ऐसी अनुमति नहीं दी जाती है, तो ठेकेदार, यदि वह निलंबन को, जहां यह कार्य के केवल एक भाग को प्रभावित करता है, एएआई द्वारा ऐसे भाग को छोड़ने के रूप में या जहां यह पूरे कार्य को प्रभावित करता है, एएआई द्वारा कार्यों को छोड़ने के रूप में मानने का इरादा रखता है, तो 15 दिनों की ऐसी अवधि की समाप्ति के दस दिनों के भीतर प्रभारी इंजीनियर को अपने इरादे की लिखित सूचना देगा। यदि ठेकेदार निलंबन को एएआई द्वारा अनुबंध का परित्याग मानता है, तो उसे किसी लाभ या फायदे के कारण किसी भी मुआवजे के भुगतान का कोई दावा नहीं होगा, जो उसे कार्य के पूर्ण निष्पादन से प्राप्त हो सकता था, लेकिन जिसे वह परित्याग के परिणामस्वरूप प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि, वह ऐसे मुआवजे का हकदार होगा, जिसे प्रभारी अभियंता उचित समझे, उसके द्वारा साइट पर अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए वेतन और/या मजदूरी के संबंध में, जिसके परिणामस्वरूप वह निष्क्रिय रह गया, ठेकेदार के अप्रत्यक्ष खर्चों को कवर करने के लिए कुल 2% जोड़कर, बशर्ते कि ठेकेदार 3 महीने की अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता को विवरण द्वारा समर्थित अपना दावा प्रस्तुत करे। If the suspension is ordered for reasons (b) and (c) in sub-para (i) above (but not attributed to contractor): a. the contractor shall be entitled to an extension of time equal to the period of every such suspension PLUS 25% for completion of the item or group of items of work for which a separate period of completion is specified in the contract and of which the suspended work forms a part, and; b. If the total period of all such suspensions in respect of an item or group of items or work for which a separate period of completion is specified in the contract exceeds thirty days, the contractor shall, in addition, be entitled to such compensation as the Engineer-in-Charge may consider reasonable in respect of salaries and/or wages paid by the contractor to his employees and labour at site, remaining idle during the period of suspension, adding thereto 2% to cover indirect expenses of the contractor provided the contractor submits his claim supported by details to the Engineer-in-Charge within fifteen days of the expiry of the period of 30 days.



		c. If the works or part thereof is suspended on the orders of the Engineer-in-Charge for more than three months at a time, except when suspension is ordered for reasons (a) in sub-para (i) above, the contractor may after receipt of such order serve a written notice on the Engineer-in-Charge requiring permission within fifteen days from receipt by the Engineer-in-charge of the said notice, to proceed with the work or part thereof in regard to which progress has been suspended and if such permission is not granted within that time, the contractor, if he intends to treat the suspension, where it affects only a part of the works as an omission of such part by AAI or where it affects whole of the works, as an abandonment of the works by AAI, shall within ten days of expiry of such period of 15 days give notice in writing of his intention to the Engineer-in-Charge. In the event of the contractor treating the suspension as an abandonment of the contract by AAI, he shall have no claim to payment of any compensations on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the work in full but which he could not derive in consequence of the abandonment. He shall, however, be entitled to such compensation, as the Engineer-in-Charge may consider reasonable, in respect of salaries and/or wages paid by him to his employees and labour at site, remaining idle in consequence adding to the total thereof 2% to cover indirect expenses of the contractor provided the contractor submits his claim supported by details to the Engineer-in-Charge within 30 days of the expiry of the period of 3 months.
--	--	--

धारा 15 ए
CLAUSE 15 A

एएआई द्वारा निर्धारित सामग्री की देरी से आपूर्ति के कारण देरी होने पर मुआवजा। Compensation in case of delay due to late supply of stipulated material by AAI.	ठेकेदार अनुसूची 'बी' में सामग्री की आपूर्ति में एएआई द्वारा की गई देरी के कारण उसे हुई हानि के लिए एएआई से किसी भी मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होगा, जहां ऐसी देरी वेगनों की आपूर्ति से संबंधित कठिनाइयों, अप्रत्याशित घटना या एएआई के नियंत्रण से परे किसी उचित कारण से कवर की गई हो। यह खंड 15 ए उन कार्यों पर लागू नहीं होगा जहां एएआई द्वारा जारी किए गए किसी भी सामग्री निर्धारित नहीं की गई है। Deleted The contractor shall not be entitled to claim any compensation from AAI for the losses suffered by him on account of delay by AAI in the supply of materials in Schedule 'B' where such delay is covered by the difficulties relating to supply of wagons, force majeure or any reasonable cause beyond the control of AAI. This clause 15 A will not be applicable for works where no material is stipulated for issue by AAI.
---	---

धारा 16

विनिर्देशों के अनुसार कार्य न किए जाने पर कार्रवाई Action in case Work not done as per Specifications	अनुबंध के तहत या निष्पादन के दौरान या उसके अनुसरण में निष्पादित सभी कार्य, प्रभारी इंजीनियर, कार्य के प्रभारी उनके अधिकृत अधीनस्थों और सभी वरिष्ठ अधिकारियों, एएआई की गुणवत्ता आश्वासन इकाई के अधिकारी या गुणवत्ता आश्वासन विभाग और मुख्य तकनीकी परीक्षक कार्यालय द्वारा नियुक्त किसी संगठन के अधिकारियों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए हर समय खुले और सुलभ होंगे, और ठेकेदार, हर समय, सामान्य कार्य घंटों के दौरान और अन्य सभी समयों पर जब ऐसे अधिकारियों के दौरे की उचित सूचना ठेकेदार को दी गई हो, आदेश और निर्देश प्राप्त करने के लिए या तो स्वयं उपस्थित रहेगा या उस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में मान्यता प्राप्त एक जिम्मेदार एजेंट को उपस्थित रखेगा। ठेकेदार के एजेंट को दिए गए आदेशों को वैसा ही बल माना जाएगा जैसे कि वे ठेकेदार को स्वयं दिए गए हों। यदि कार्य के प्रभारी इंजीनियर या उसके अधिकृत अधीनस्थों को या गुणवत्ता आश्वासन के प्रभारी कार्यकारी निदेशक या उसके अधीनस्थ अधिकारियों को या गुणवत्ता आश्वासन के लिए एएआई द्वारा नियुक्त संगठन के अधिकारियों को या मुख्य तकनीकी परीक्षक या उसके अधीनस्थ अधिकारियों को यह प्रतीत होता है कि कोई कार्य खराब, अपूर्ण या अकुशल कारीगरी के साथ
---	---



	किया गया है या कार्य के निष्पादन के लिए उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री या वस्तुओं के साथ किया गया है जो खराब हैं या अनुबंधित गुणवत्ता से निम्न गुणवत्ता की हैं या अन्यथा अनुबंध के अनुरूप नहीं हैं, तो ठेकेदार, लिखित रूप में मांग करने पर, जो कि कार्य के पूरा होने के बारह महीनों के भीतर (सड़क कार्य को छोड़कर 10 लाख रुपये और उससे कम लागत वाले कार्य के मामले में छह महीने) प्रभारी इंजीनियर से शिकायत किए गए कार्य, सामग्री या वस्तुओं को निर्दिष्ट करते हुए की जाएगी, भले ही उन्हें पारित, प्रमाणित और भुगतान किया गया हो, तुरंत ठीक करेगा, या निर्दिष्ट कार्य को पूरी तरह से या आंशिक रूप से हटा देगा और पुनर्निर्माण करेगा, जैसा भी मामला हो अपने स्वयं के प्रभार और लागत पर अन्य उचित और उपयुक्त सामग्री या वस्तुएं उपलब्ध कराएं। अपनी पूर्वोक्त मांग में प्रभारी अभियंता द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में, ठेकेदार इस चूक के लिए अनुबंध के खंड 2 के तहत उसी दर पर मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा (समय पर काम पूरा न करने के लिए)। ऐसे मामले में प्रभारी अभियंता अनुबंध के तहत लागू दरों पर कार्य की वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसी वस्तुओं को कम दरों पर स्वीकार कर सकता है, जिन्हें अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट प्राधिकारी लेखा बिल या अंतिम बिल तैयार करने के दौरान उचित समझे, यदि वस्तु वस्तु और संरचना की सुरक्षा और उपयोगिता को नुकसान पहुंचाए बिना स्वीकार्य है या वह बिना किसी भुगतान के कार्य को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकता है और/या ठेकेदार के जोखिम और लागत पर इसे और अन्य संबंधित और आकस्मिक वस्तुओं को ठीक करवा सकता है, या हटा सकता है और फिर से निष्पादित कर सकता है। इस संबंध में लिखित रूप में सूचित किया जाने वाला प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। All works under or in course of execution or executed in pursuance of the contract, shall at all times be open and accessible to the inspection and supervision of the Engineer-in-Charge, his authorize subordinates in charge of the work and all the superior officers, officer of the Quality Assurance Unit of the AAI or any organization engaged by the Department of Quality Assurance and of the Chief technical Examiner's Office, and the contractor shall, at all times, during the usual working hours and at all other times at which reasonable notice of the visit of such officers has been given to the contractor, either himself be present to receive orders and instructions or have a responsible agent duly accredited in writing, present for that purpose. Orders given to the Contractor's agent shall be considered to have the same force as if they had been given to the contractor himself. If it shall appear to the Engineer-in -charge or his authorized subordinates in charge of the work or to the Executive Director-In-charge of quality assurance or his subordinate officers or the officers of the organization engaged by the AAI for quality Assurance or to the Chief Technical Examiner or his subordinate officers, that any work has been executed with unsound, imperfect, or unskillful workmanship, or with materials or articles provided by him for the execution of the work which are unsound or of a quality inferior to that contracted or otherwise not in accordance with the contract, the contractor shall, on demand in writing which shall be made within twelve months (six months in the case of work costing Rs.10 lac and below except road work) of the completion of the work from the Engineer-in-Charge specifying the work, materials or articles complained of notwithstanding that the same may have been passed, certified and paid for forthwith rectify, or remove and reconstruct the work so specified in whole or in part, as the case may require or as the case may be, remove the materials or articles so specified and provide other proper and suitable materials or articles at his own charge and cost. In the event of the failing to do so within a period specified by the Engineer-in-Charge in his demand aforesaid, then the contractor shall be liable to pay compensation at the same rate as under clause 2 of the contract (for noncompletion of the work in time) for this default. In such case the Engineer-in-Charge may not accept the item of work at the rates applicable under the contract but may accept such items at reduced rates as the authority specified in schedule 'F' may considered reasonable during the preparation of on account bills or final bill if the item is so acceptable without detriment to the safety and utility of the item and the structure or he may reject
--	--



		the work outright without any payment and/or get it and other connected and incidental items rectified, or removed and re-executed at the risk and cost of the contractor. Decision of the Engineer-in-Charge to be conveyed in writing in respect of the same will be final and binding on the contractor
--	--	--

धारा 17

CLAUSE 17

रखरखाव अवधि के दौरान क्षति, दोष के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा Contractor Liable for Damages, defects during maintenance period	यदि ठेकेदार या उसके कर्मचारी या कर्मचारी भवन के किसी भाग को, जिसमें वे काम कर रहे हों, या किसी भवन, सड़क, सड़क के किनारे की बाड़, घेरा, पानी की पाइप, केबल, नालियां, बिजली या टेलीफोन के खंभे या तार, पेड़, घास या चारागाह, या उस परिसर से सटी खेती की जमीन को तोड़ते, बिगाड़ते, चोट पहुंचाते या नष्ट करते हैं, जिस पर काम या उसका कोई भाग निष्पादित किया जा रहा है, तोड़ते, बिगाड़ते, चोट पहुंचाते या नष्ट करते हैं, या यदि किसी भी कारण से कार्य को कोई क्षति पहुंचती है या यदि कार्य में बारह महीने के भीतर (सड़क कार्य को छोड़कर दस लाख रुपये और उससे कम लागत वाले कार्य के मामले में छह महीने) कोई दोष, सिकुड़न या अन्य दोष दिखाई देते हैं, तो दोष या अनुचित सामग्री या कारीगरी के कारण प्रभारी इंजीनियर द्वारा उसके पूरा होने का अंतिम या अन्यथा प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद, ठेकेदार उस ओर से लिखित में नोटिस प्राप्त होने पर उसे अपने खर्च पर ठीक करेगा या चूक होने पर प्रभारी इंजीनियर अन्य कर्मचारियों से उसे ठीक कराएगा और उस व्यय को देय राशि से काट लेगा या उसके बाद ठेकेदार को देय हो सकता है, या उसकी सुरक्षा जमा राशि से या उसकी बिक्री से प्राप्त आय से या उसके पर्याप्त हिस्से से। ठेकेदार की सुरक्षा जमा राशि, कार्य पूरा होने के अंतिम या अन्यथा प्रमाण पत्र जारी होने के बाद बारह महीने (सड़क कार्य को छोड़कर दस लाख रुपये और उससे कम लागत वाले कार्य के मामले में छह महीने) की समाप्ति से पहले या अंतिम बिल तैयार होने और पारित होने तक, जो भी बाद में हो, वापस नहीं की जाएगी। बशर्ते कि सड़क कार्य के मामले में, यदि प्रभारी इंजीनियर की राय में, सुरक्षा जमा का आधा हिस्सा इस अनुबंध के तहत ठेकेदार की सभी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तो सुरक्षा जमा का आधा हिस्सा छह महीने के बाद और शेष आधा हिस्सा उक्त पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बारह महीने बाद या अंतिम बिल तैयार होने और पारित होने तक, जो भी बाद में हो, वापस किया जाएगा। ई एंड एम सेवाओं के रखरखाव और संचालन कार्यों के मामले में, ठेकेदारों से काटी गई सुरक्षा जमा राशि अंतिम भुगतान की तारीख से एक महीने के भीतर या रखरखाव अनुबंध के पूरा होने की तारीख से एक महीने के भीतर जो भी पहले हो, वापस कर दी जाएगी। If the contractor or his working people or servants shall break, deface, injure or destroy any part of building in which they may be working, or any building, road, road kerb fence, enclosure, water pipe, cables, drains, electric or telephone post or wires, trees, grass or grassland, or cultivated ground contiguous to the premises on which the work or any part is being executed, or if any damage shall happen to the work while in progress, from any cause whatever or if any defect, shrinkage or other faults appear in the work within twelve months (six months in the case of work costing Rs. Ten lacs and below except road work) after a certificate final or otherwise of its completion shall have been given by the Engineer-in-charge as aforesaid arising out of defect or improper materials or workmanship the contractor shall upon receipt of a notice in writing on that behalf make the same good at his own expense or in default the Engineer-in-charge cause the same to be made good by other workmen and deduct the expense from any sums that may be due or at any time thereafter may become due to the contractor, or from his security deposit or the proceeds of sale thereof or of a sufficient portion thereof. The security deposit of the contractor shall not be refunded before the expiry of twelve months (six months in the case of work costing Rs. Ten lacs and below except road work) after the issue of the certificate final or otherwise, of completion of work, or till the final bill has been prepared and passed whichever is later. Provided that in the case of road work, if in the opinion of the Engineer-in-charge, half of the security deposit is sufficient, to meet all liabilities of the contractor under this contract, half of the security deposit will be refundable after six months and the remaining half after twelve
---	--



		months of the issue of the said certificate of completion or till the final bill has been prepared and passed whichever is later. In case of Maintenance and Operation works of E&M services, the security deposit deducted from contractors shall be refunded within one month from the date of final payment or within one month from the date of completion of the maintenance contract whichever is earlier.
--	--	--

धारा 18

CLAUSE 18

ठेकेदार द्वारा उपकरण एवं संयंत्र आदि की आपूर्ति Contractor to Supply Tools & Plants etc.	ठेकेदार अपनी लागत पर सभी सामग्री (ऐसी विशेष सामग्री को छोड़कर, यदि कोई हो, जो अनुबंध के अनुसार प्रभारी इंजीनियर के भंडार से आपूर्ति की जा सकती है) मशीनरी, उपकरण और संयंत्र जैसा कि अनुसूची एफ में निर्दिष्ट है, उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त, काम के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक उपकरण, औजार, अन्य संयंत्र, सीढ़ियाँ, डोरियाँ, टैकल, मचान और अस्थायी कार्य, चाहे वे मूल हों, परिवर्तित हों या प्रतिस्थापित हों और चाहे वे विनिर्देशों या अनुबंध का हिस्सा बनने वाले अन्य दस्तावेजों में शामिल हों या इन शर्तों में संदर्भित हों या नहीं, या जो किसी भी मामले में प्रभारी इंजीनियर की आवश्यकताओं को पूरा करने या उनका अनुपालन करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकते हैं, जिसके लिए इन शर्तों के तहत वह संतुष्ट होने का हकदार है, या जिसके लिए वह काम के लिए आने-जाने के लिए गाड़ी सहित मांग करने का हकदार है। ठेकेदार काम को स्थापित करने, और किसी भी समय और समय-समय पर काम या सामग्रियों की जांच के लिए गिनने, तौलने और माप में सहायता करने के उद्देश्य से आवश्यक साधनों और सामग्रियों के साथ आवश्यक संख्या में व्यक्तियों की आपूर्ति भी बिना किसी शुल्क के करेगा। ऐसा न करने पर, प्रभारी इंजीनियर द्वारा ठेकेदार के खर्च पर यह व्यवस्था की जा सकेगी और इस अनुबंध के तहत या अन्यथा ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से और/या उसकी सुरक्षा जमा राशि या उसकी बिक्री से प्राप्त राशि या उसके पर्याप्त हिस्से से व्यय की कटौती की जा सकेगी। The contractor shall provide at his own cost all materials (except such special materials, if any, as may in accordance with the contract be supplied from the Engineer-in-charge's stores) machinery, tools & plants as specified in Schedule F. in addition to this, appliances, implements, other plants, ladders, cordage, tackle, scaffolding and temporary works required for the proper execution of the work, whether original, altered or substituted and whether included in the specifications or other documents forming part of the contract or referred to in these conditions or not, or which may be necessary for the purpose of satisfying or complying with the requirements of the Engineer-in-charge as to any matter as to which under these conditions he is entitled to be satisfied, or which he is entitled to require together with carriage therefor to and from the work. The contractor shall also supply without charge the requisite number of persons with the means and materials, necessary for the purpose of setting out works, and counting, weighing and assisting the measurement for examination at any time and from time to time of the work or materials. Failing his so doing, the same may be provided by the Engineer-in-charge at the expense of the contractor and the expenses may be deducted, from any money due to the contractor, under this contract or otherwise and/ or from his security deposit or the proceeds of sale thereof, or of a sufficient portions thereof.
---	---

धारा 18 ए

CLAUSE 18 A

कामगारों को दिए गए मुआवजे की वसूली Recovery of Compensation	ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 12 की उपधारा (i) के प्रावधानों के आधार पर, एएआई कार्यों के निष्पादन में, ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कर्मकार को प्रतिकर देने के लिए बाध्य है, एएआई ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई प्रतिकर की राशि वसूल करेगा और उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के तहत एएआई के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एएआई ऐसी राशि या उसके किसी भाग को सुरक्षा जमा से या एएआई द्वारा ठेकेदार को इस अनुबंध के तहत या अन्यथा देय किसी राशि से काटकर वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। एएआई उक्त अधिनियम की
--	--



	n paid to Workmen	धारा 12 की उपधारा (1) के तहत अपने विरुद्ध किए गए किसी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और उसके द्वारा एएआई को उन सभी लागतों के लिए पूर्ण सुरक्षा देने के, जिनके लिए एएआई ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है। In every case in which by virtue of the provisions sub-section(i) of Section 12, of the Workmen's Compensation Act, 1923, AAI is obliged to pay compensation to a workman employed by the contractor, in execution of the works, AAI will recover from the contractor, the amount of the compensation so paid, and, without prejudice to the rights of the AAI under sub-section(2) of Section 12, of the said act, AAI shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by AAI to the contractor whether under this contract or otherwise. AAI shall not be bound to contest any claim made against it under subsection(1) of Section 12, of the said Act, except on the written request of the contractor and upon his giving to AAI full security for all costs for which AAI might become liable in consequence of contesting such claim.
--	--------------------------	--

धारा 18 बी

CLAUSE 18 B

	यदि ठेकेदार विफल रहता है तो श्रमिकों को भुगतान और सुविधाएं सुनिश्चित करना Ensuring Payment and Amenities to Workers if Contractor fails	ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, तथा ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) केन्द्रीय नियम, 1971 के प्रावधानों के आधार पर, एएआई कार्य के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कर्मचारी को मजदूरी की कोई राशि देने के लिए बाध्य है, या उक्त अधिनियम तथा धारा 19एच के अधीन नियमों या एएआई ठेकेदार श्रम विनियमों के अधीन या एएआई ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता व्यवस्था के संरक्षण के लिए समय-समय पर एएआई द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित कल्याण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में कोई व्यय करने के लिए बाध्य है, एएआई ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई मजदूरी की राशि या इस प्रकार किए गए व्यय की राशि वसूल करेगा और ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 20 की उपधारा (2), धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन एएआई के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एएआई ऐसी राशि या उसके किसी भाग को उसमें से कटौती करके वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। सुरक्षा जमा राशि से या एएआई द्वारा ठेकेदार को इस अनुबंध के तहत या अन्यथा देय किसी भी राशि से, एएआई उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) या धारा 21 की उपधारा (4) के तहत उसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और उसके द्वारा एएआई को उन सभी लागतों के लिए पूर्ण सुरक्षा देने के, जिनके लिए एएआई ऐसे दावे का विरोध करने में उत्तरदायी हो सकता है। In every case in which by virtue of the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) act 1970, and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, AAI is obliged to pay any amounts of wages to a workman employed by the contractor in execution of the works, or to incur any expenditure in providing welfare and health amenities required to be provided under the above said Act and the rules under Clause 19H or under the AAI Contractor's Labour Regulations or under the Rules framed by AAI from time to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by AAI Contractors, AAI will recover from the contractor the amount of wages so paid or the amount of expenditure so incurred and without prejudice to the rights of the AAI under sub section (2) of Section 20, sub section (4) of Section 21, of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, AAI shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by AAI to the contractor whether under this contract or otherwise AAI shall not be bound to contest any claim made against it under sub section (1) of Section 20, sub section (4) of Section 21, of the said Act, except on the written request of the contractor and upon his giving to the AAI full security for all costs for which AAI might become liable in contesting such claim.
--	--	--



धारा 19

CLAUSE 19

	ठेकेदार द्वारा श्रम कानूनों का अनुपालन किया जाना चाहिए Labour laws to be complied by the Contractor	ठेकेदार को काम शुरू करने से पहले ठेका-श्रम (आर-एंड-ए)-अधिनियम, 1970 और ठेका-श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय-नियम, 1971 के तहत वैध-लाइसेंस प्राप्त करना होगा और काम पूरा होने तक वैध-लाइसेंस रखना होगा। ठेकेदार को बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का भी पालन करना होगा। ठेकेदार को भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का भी अनुपालन करना होगा। इन आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी भी प्रकार की विफलता पर, कार्य के गैर-निष्पादन के परिणामस्वरूप इस अनुबंध के दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे। ~~The contractor shall obtain a valid license under the contract labour (R&A) Act, 1970 and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, before the commencement of the work, and continue to have a valid license until the completion of the work.~~ The contractor shall also abide by the provisions of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986. The contractor shall also comply with the provisions of the building and other construction workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, 1996 and the building and other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996. Any failure to fulfill these requirements shall attract the penal provisions of this contract arising out of the resultant non execution of the work.
--	--	--

धारा 19 ए

CLAUSE 19 A

		चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी श्रमिक को कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा। No labour below the age of fourteen years shall be employed on the work.
--	--	---

धारा 19 बी

CLAUSE 19 B

	मजदूरी का भुगतान Payment of wages	मजदूरी का भुगतान: i ठेकेदार अपने द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उप-ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को एएआई ठेकेदार श्रम विनियमन में परिभाषित उचित मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा या जहां भी लागू हो, अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान करेगा। ii ठेकेदार, किसी भी अनुबंध के विपरीत प्रावधानों के बावजूद, कार्य पर अप्रत्यक्ष रूप से लगे श्रमिकों को उचित मजदूरी का भुगतान करवाएगा, जिसमें उक्त कार्य के संबंध में उसके उप-ठेकेदारों द्वारा लगाए गए श्रमिक भी शामिल हैं, जैसे कि श्रमिक उसके द्वारा तत्काल नियोजित किया गया था। iii इस अनुबंध के ठेकेदार के हिस्से के निष्पादन के लिए कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार मजदूरी अवधि के भुगतान, मजदूरी से कटौती, भुगतान न किए गए वेतन की वसूली और अनधिकृत रूप से की गई कटौती, वेतन पुस्तकों या वेतन पर्चियों के रखरखाव, वेतनमान के प्रकाशन और रोजगार की अन्य शर्तों, आवधिक रिटर्न के निरीक्षण और प्रस्तुतीकरण और इसी तरह की प्रकृति के अन्य सभी मामलों के संबंध में या जहां भी लागू हो, अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार एएआई द्वारा समय-समय पर बनाए गए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ठेकेदार के श्रम विनियमों का अनुपालन करेगा या कराएगा। iv प्रभारी अभियंता द्वारा निम्नलिखित कटौतियां की जाने की अनुमति होगी। (a) संबंधित प्रभारी इंजीनियर को ठेकेदार को देय धनराशि से या किसी भी ऐसी राशि से कटौती करने का अधिकार होगा जो श्रमिकों के लाभ के लिए अनुबंध की शर्तों को पूरा न करने, मजदूरी का भुगतान न करने या उनके वेतन से ऐसी
--	--	---



		कटौती करने के कारण श्रमिक या श्रमिकों को हुई हानि की भरपाई के लिए आवश्यक या अनुमानित हो, जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार उचित न हो या विनियमों का पालन न करने के कारण हो। (b) न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम 1950 के प्रावधान के तहत ठेकेदार को काम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले मजदूरों को लगातार 6 दिन काम करने के लिए एक दिन का आराम देने और ड्यूटी के समान दर पर मजदूरी देने का दायित्व है। चूक की स्थिति में, प्रभारी अभियंता को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी मजदूर को साप्ताहिक अवकाश के लिए मजदूरी के रूप में भुगतान न की गई राशि या राशि को संबंधित प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी राशि से काट ले और उस राशि का भुगतान उस व्यक्ति को करे जो इसका हकदार है। तथापि, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मामले में, सर्वसमावेशी न्यूनतम के रूप में दिल्ली प्रशासन की अधिसूचना संख्या एफ.12(162)एमडब्ल्यूओ/डीएबी/43884-91, दिनांक 31.12.1979, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अंतर्गत निर्धारित दैनिक मजदूरी में साप्ताहिक विश्राम दिवस की मजदूरी भी शामिल है, साप्ताहिक अवकाश के लिए अतिरिक्त भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। (v) ठेकेदार को मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938, कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और ठेकेदार श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या उसके संशोधनों या उससे संबंधित किसी अन्य कानून और समय-समय पर उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। (vi) ठेकेदार अपने उप-ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति का दावा करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूर्वोक्त कानूनों और एएआई ठेकेदार के श्रम विनियमों के अनुपालन के लिए किए जाने वाले भुगतानों के विरुद्ध प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति बनाए रखेगा। (vii) उपर्युक्त कानून इस अनुबंध का हिस्सा माने जाएंगे और इनका कोई भी उल्लंघन इस अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। (viii) जो भी वर्तमान न्यूनतम मजदूरी है, या यदि देय मजदूरी ऐसी मजदूरी से अधिक है, तो ऐसी मजदूरी ठेकेदार द्वारा जमादार के हस्तक्षेप के बिना सीधे ही कामगारों को दी जाएगी और जमादार को कमीशन या अन्य किसी रूप में कामगारों को देय न्यूनतम मजदूरी से कोई राशि काटने या वसूलने का अधिकार नहीं होगा। ix. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जमादार द्वारा कामगारों के वेतन से कमीशन या अन्य किसी रूप में कोई राशि नहीं काटी जाए या वसूली न की जाए। Payment of wages: i The contractor shall pay to labour employed by him either directly or through sub contractors, wages not less than fair wages as defined in the AAI Contractor's Labour Regulation or as per the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) act, 1970 and the contract labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 wherever applicable. ii The contractor shall, notwithstanding the provisions of any contract to the contrary, cause to be paid fair wage to labour indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub contractors in connection with the said work, as if the labour had been immediately employed by him. iii In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall comply with or cause to be complied with the Airports Authority of India contractor's Labour Regulations made by AAI from time to time in regard to payment of wages wage period, deductions from wages recovery of wages not paid and deductions unauthorisedly made, maintenance of wage books or wage slips, publication of scale of wages and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and all other matters of the like nature or as per the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever applicable. iv. The following deductions shall be permissible to be made by the Engineer-in-Charge. a. The Engineer-in-charge concerned shall have the right to deduct from the
--	--	---



		moneys due to the contractor or any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers by reason of non fulfillment of the conditions of the contract for the benefit of the workers, non payment of wages or of deductions made from his or their wages which are not justified by their terms of the contract or non observance of the Regulations. b. Under the provision of Minimum Wages (Central) Rule 1950 the contractor is bound to allow to the labours directly or indirectly employed in the works one day rest for 6 days continuous work and pay wages at the same rate as for duty. In the event of default, the Engineer-in-charge shall have the right to deduct the sum or sums not paid on account of wages for weekly holidays to any labours and pay the same to the persons entitled thereto from any money due to the contractor by the Engineer-in-charge concerned. In the case of Union Territory of Delhi, however, as the all inclusive minimum daily wages fixed under Notification of the Delhi Administration No.F.12(162)MWO/DAB/43884-91, dated 31.12.1979 as amended from time to time are inclusive of wages for the weekly day of rest, the question of extra payment for weekly holiday would not arise. v. The contractor shall comply with the provisions of the Payment of wages Act, 1936, Minimum Wages Act, 1948, Employees Liability Act, 1938, Workmen's Compensation Act, 1923, Industrial Disputes Act, 1947, Maternity Benefits Act, 1961, and the Contractor's Labour (Regulation and Abolition) Act 1970, or the modifications thereof or any other laws relating thereto and the rule made thereunder from time to time. vi. The contractor shall indemnify and keep indemnified Authority against payments to be made under and for the observance of the laws aforesaid and the AAI Contractor's Labour Regulations without prejudice to his right to claim indemnity from his sub contractors. vii. The laws aforesaid shall be deemed to be a part of this contract and any breach thereof shall be deemed to be a breach of this contract. viii. Whatever is the minimum wage for the time being, or if the wage payable is higher than such wage, such wage shall be paid by the contractor to the workmen directly without the intervention of Jamadar and that Jamadar shall not be entitled to deduct or recover any amount from the minimum wage payable to the workmen as and by way of commission or otherwise. ix. The contractor shall ensure that no amount by way of commission or otherwise is deducted or recovered by the Jamadar from the wage of workmen.
--	--	--

धारा 19 सी

CLAUSE 19 C

		इस अनुबंध के ठेकेदार के हिस्से के निष्पादन के लिए काम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार को अपने स्वयं के खर्च पर एएआई सुरक्षा कोड के अनुसार सुरक्षा प्रावधानों की व्यवस्था करनी होगी और इसके संबंध में सभी सुविधाओं को अपने स्वयं के खर्च पर उपलब्ध कराना होगा। यदि ठेकेदार उपर्युक्त व्यवस्था करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो उसे प्रत्येक चूक के लिए 200/- रुपये का जुर्माना देना होगा और इसके अलावा, प्रभारी अभियंता उपर्युक्त व्यवस्था करने और सुविधाएं प्रदान करने और उस संबंध में ठेकेदार से होने वाली लागतों को वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। In respect of all labour directly or indirectly employed in the work for the performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall at his
--	--	--



		own expense arrange for the safety provisions as per AAI Safety Code framed from time to time and shall at his own expense provide for all facilities in connection therewith. In case the contractor fails to make arrangement and provide necessary facilities as aforesaid, he shall be liable to pay a penalty of Rs. 200/- for each default and in addition, the Engineer-in-charge shall be at liberty to make arrangement and provide facilities as aforesaid and recover the costs incurred in that behalf from the contractor.
--	--	---

खण्ड 19डी

CLAUSE 19 D

		ठेकेदार को प्रत्येक माह की 4 और 19 तारीख तक प्रभारी इंजीनियर को क्रमशः पिछले माह के दूसरे आधे भाग और चालू माह के पहले आधे भाग के संबंध में सही विवरण प्रस्तुत करना होगा: i. कार्य पर उसके द्वारा नियोजित मजदूरों की संख्या; ii. उनके काम के घंटे; iii. उसे दिया गया वेतन; iv. उक्त पखवाड़े के दौरान घटित दुर्घटनाएं, जिन परिस्थितियों में वे घटित हुईं तथा उनसे हुई क्षति और चोट की सीमा; तथा v. धारा 19एफ के अनुसार मातृत्व लाभ पाने वाली महिला कर्मचारियों की संख्या और उन्हें दी गई राशि ऐसा न करने पर ठेकेदार को एएआई को प्रत्येक चूक या भौतिक रूप से गलत विवरण के लिए 200/- रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करना होगा। ठेकेदार को देय किसी भी बिल से कटौती करने के मामले में प्रभारी इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा; जुर्माना के रूप में लगाई गई राशि ठेकेदार पर बाध्यकारी होगी। ~~The contractor shall submit by the 4th and 19th of every month, to the Engineer-in-charge a true statement showing in respect of the second half of the preceding month and the first half of the current month respectively:~~ ~~i. the number of labourers employed by him on the work;~~ ~~ii. their working hours;~~ ~~iii. the wages paid to him;~~ ~~iv. the accidents that occurred during the said fortnight showing the circumstances under which they happened and the extent of damage and injury caused by them; and~~ ~~v. the number of female workers who have been allowed maternity benefit according to Clause 19F and the amount paid to them Failing which the contractor shall be liable to pay to AAI, a sum not exceeding Rs. 200/- for each default or materially incorrect statement. The decision of the Engineer-in-charge shall be final in deducting from any bill due to the contractor; the amount levied as fine and shall be binding on the contractor.~~
--	--	---

खंड 19 ई

CLAUSE 19 E

		इस अनुबंध के ठेकेदार के हिस्से के निष्पादन के लिए कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार एएआई और उसके ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था की सुरक्षा के लिए एएआई द्वारा समय-समय पर बनाए गए सभी नियमों का अनुपालन करेगा या अनुपालन कराएगा। In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for the performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall comply with or cause to be complied with all the rules framed by AAI from time to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by the AAI and its contractor.
--	--	--

धारा 19 एफ

CLAUSE 19 F



		छुट्टी और छुट्टी के दौरान वेतन निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा: 1. छुट्टी: i. प्रसव के मामले में - मातृत्व अवकाश 8 सप्ताह से अधिक नहीं, प्रसव के दिन तक 4 सप्ताह तथा प्रसव के दिन के बाद 4 सप्ताह। ii. गर्भपात के मामले में - गर्भपात की तारीख से 3 सप्ताह तक। 2. भुगतान करें: i. प्रसव के मामले में - मातृत्व अवकाश के दौरान छुट्टी का वेतन महिला की औसत दैनिक कमाई की दर से होगा, जिसकी गणना उस तारीख से तुरंत पहले तीन महीने की अवधि के दौरान पूरे समय काम करने के दिनों में अर्जित कुल मजदूरी के आधार पर की जाएगी, जिस दिन उसने सूचना दी थी कि उसे कारावास में रखा जाएगा या एक रुपया प्रतिदिन की दर से, जो भी अधिक हो। ii. गर्भपात के मामले में - ऐसे गर्भपात की तारीख से तुरंत पहले तीन महीने की अवधि के दौरान पूर्णकालिक काम किए गए दिनों में अर्जित कुल मजदूरी पर गणना की गई औसत दैनिक कमाई की दर से छुट्टी का वेतन। 3. मातृत्व अवकाश प्रदान करने की शर्तें: किसी महिला को मातृत्व अवकाश का लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वह छुट्टी पर जाने की तारीख से ठीक पहले कम से कम छह महीने की कुल अवधि के लिए कार्यरत न रही हो। 4. ठेकेदार को परिशिष्ट-III और IV में दर्शाए अनुसार निर्धारित प्रपत्र में मातृत्व (लाभ) का रजिस्टर बनाए रखना होगा तथा उसे कार्य स्थल पर रखा जाएगा। Leave and pay during leave shall be regulated as follows: 1. Leave: i. In the case of delivery - maternity leave not exceeding 8 weeks, 4 weeks upto and including the day of delivery and 4 weeks following that day. ii. In the case of miscarriage - upto 3 weeks from the date of miscarriage. 2. Pay: i. In the case of delivery – leave pay during maternity leave will be at the rate of women’s average daily earnings, calculated on total wages earned on the days when full time work was done during a period of three months immediately preceding the date on which she gives notice that she expects to be confined or at the rate of Rupee one only a day whichever is greater. ii. In the case of miscarriage – leave pay at the rate of average daily earning calculated on the total wages earned on the days when full time work was done during a period of three months immediately preceding the date of such miscarriage. 3. Conditions for the grant of Maternity Leave: No maternity leave benefit shall be admissible to a woman unless she has been employed for a total period of not less than six months immediately preceding the date on which she proceeds on leave. 4. The contractor shall maintain a register of Maternity (Benefit) in the Prescribed Form as shown in appendix – III and IV, and the same shall be kept at the place of work.
--	--	--

खण्ड 19 जी
CLAUSE 19 G

		यदि ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के समय-समय पर संशोधित श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था के संरक्षण के लिए ठेकेदार के श्रम विनियमों और मॉडल नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन या चूक की जाती है या उपरोक्त विनियमों और नियमों के तहत कोई जानकारी प्रस्तुत की जाती है या कोई विवरण भरा जाता है जो भौतिक रूप से गलत है, तो उन्हें किसी अन्य देयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रत्येक
--	--	--



	चूक, उल्लंघन या ऐसे भौतिक रूप से गलत विवरण प्रस्तुत करने, बनाने, प्रस्तुत करने, दाखिल करने के लिए 200/- रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करना होगा और यदि ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा इस संबंध में लगातार चूक की जाती है, तो जुमाना प्रत्येक दिन की चूक के लिए 200/- रुपये प्रति दिन तक बढ़ाया जा सकता है, जो निविदा में रखे गए कार्य की अनुमानित लागत के अधिकतम 5 प्रतिशत के अधीन होगा। प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यदि प्रभारी इंजीनियर को ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा नियोजित कार्य-लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था के संरक्षण के लिए एएआई ठेकेदार के श्रम विनियमन और मॉडल नियमों तथा ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, और ठेका श्रम (आर एंड ए) केंद्रीय नियम 1971 के प्रावधानों का उचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है (जिसे इसके बाद "उक्त नियम" कहा जाएगा) तो प्रभारी इंजीनियर को ठेकेदार (ठेकेदारों) को लिखित में नोटिस देने का अधिकार होगा, जिसमें यह अपेक्षा की जाएगी कि उक्त नियमों का अनुपालन किया जाए और नोटिस में निर्दिष्ट उचित समय के भीतर काम करने वालों को इसमें निर्धारित सुविधाएं प्रदान की जाएं। यदि ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त नियमों का अनुपालन करने और/या उनका पालन करने में तथा काम करने वालों को पूर्वोक्त सुविधाएं प्रदान करने में विफलता पाई जाती है, तो प्रभारी इंजीनियर को ठेकेदार (ठेकेदारों) की लागत पर पूर्वोक्त सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार होगा। ठेकेदार (ठेकेदारों) को कार्यों के निष्पादन के संबंध में साइट पर अपने कार्य-लोगों के लिए आवश्यक सभी आवश्यक झोपड़ियाँ और स्वच्छता व्यवस्थाओं को अपने स्वयं के खर्च पर और अनुमोदित मानकों के अनुसार बनाना, बनाए रखना और बनाए रखना होगा, और यदि अनुमोदित मानकों के अनुसार इनका निर्माण या निर्माण नहीं किया गया है, तो प्रभारी इंजीनियर को ठेकेदार (ठेकेदारों) को लिखित में नोटिस देने की शक्ति होगी कि उक्त झोपड़ियों और स्वच्छता व्यवस्थाओं को अनुमोदित मानकों के अनुसार पुनः निर्मित और/या पुनर्निर्मित किया जाए, और यदि ठेकेदार नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपड़ियाँ और स्वच्छता व्यवस्थाओं को पुनः निर्मित या पुनर्निर्मित करने में विफल रहता है, तो प्रभारी इंजीनियर को ठेकेदार (ठेकेदारों) की लागत पर अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपड़ियों और स्वच्छता व्यवस्थाओं को पुनः निर्मित या पुनर्निर्मित करने की शक्ति होगी। In the event of the contractor (s) committing a default or breach of any of the provisions of the Airports Authority of India Contractor's Labour Regulations and Model Rules for the protection of health and sanitary arrangements for the workers as amended from time to time or furnishing any information or submitting or filling any statement under the provisions of the above Regulations and Rules which is materially incorrect, he / they shall, without prejudice to any other liability, pay to the AAI a sum not exceeding Rs.200/- for every default, breach or furnishing, making, submitting, filing such materially incorrect statements and in the event of the contractor(s) defaulting continuously in this respect, the penalty may be enhanced to Rs.200/- per day for each day of default subject to a maximum of 5 per cent of the estimated cost of the work put to tender. The decision of the Engineer-in-Charge shall be final and binding on the parties. Should it appear to the Engineer-in-Charge that the contractor (s) is / are not properly observing and complying with the provision of the AAI Contractor's Labour Regulations and Model Rules and the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970, and the Contract Labour (R&A) Central Rules 1971, for the protection of health and sanitary arrangements for work – people employed by the contractor (s) (hereinafter referred as "the said Rules") the Engineer-in-Charge shall have power to give notice in writing to the contractor (s) requiring that the said Rules be complied with and the amenities prescribed therein be provided to the work-people within a reasonable time to be specified in the notice. If the contractor (s) shall fail within the period specified in the notice to comply with and/ observe the said Rules and to provide the amenities to the work-people as aforesaid, the Engineer-in-Charge shall have the power to provide the amenities hereinbefore mentioned at the cost of the contractor (s). The contractor (s) shall erect, make and maintain at his / their own expense and to approved standards all necessary huts and sanitary arrangements
--	--



		required for his / their work –people on the site in connection with the execution of the works, and if the same shall not have been erected or constructed, according to approved standards, the Engineer-in-Charge shall have power to give notice in writing to the contractor (s) requiring that the said huts and sanitary arrangements be remodeled and / or reconstructed according to approved standards, and if the contractor (s) shall fail to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to approved standards within the period specified in the notice, the Engineer-in-Charge shall have the power to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to approved standards at the cost of the contractor (s).
--	--	--

खण्ड 19 एच
CLAUSE 19 H

		ठेकेदार को अपने स्वयं के खर्च पर अपने श्रमिकों को प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुमोदित उपयुक्त भूमि के भूखण्ड पर निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार पर्याप्त संख्या में झोपड़ियाँ (जिन्हें आगे कैम्प कहा जाएगा) उपलब्ध करानी होंगी। i. प्रदान की जाने वाली सुविधा a. छज्जे के स्तर पर प्रत्येक झोपड़ी की न्यूनतम ऊंचाई 2.10 मीटर (7 फीट) होगी और उपलब्ध कराया जाने वाला फर्श क्षेत्र श्रमिक के साथ रहने वाले उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए 2.7 वर्ग मीटर (30 वर्ग फीट) की दर से होगा। b. ठेकेदार को प्रत्येक परिवार के लिए झोपड़ी के समीप न्यूनतम 1.80 मीटर x 1.50 मीटर (6' x 5') क्षेत्रफल वाले उपयुक्त खाना पकाने के स्थान का निर्माण भी करना होगा। The contractor (s) shall at his / their own cost provided his / their labour with a sufficient number of huts (hereinafter referred to as the camp) on the following specifications on a suitable plot of land to be approved the Engineer-in-Charge. i. Facility to be provided a. The minimum height of each hut at the eaves level shall be 2.10m (7ft.) and the floor area to be provided will be at the rate of 2.7 sq.m. (30 sq.ft.) for each member of the worker's family staying with the labourer. b. The contractor shall in addition construct suitable cooking places having a minimum area of 1.80m x 1.50m (6' x 5') adjacent to the hut for each family.
		c. ठेकेदार को प्रत्येक श्रमिकों पर कम से कम चार के पैमाने पर श्रमिकों के उपयोग के लिए अस्थायी शौचालय और मूत्रालय का निर्माण भी करना होगा, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था की जाएगी। d. ठेकेदार को शिविर में रहने वाले प्रत्येक 25 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में स्नान और धुलाई के स्थान बनाने होंगे। इन स्नान और धुलाई के स्थानों को उचित रूप से परदे से ढका जाएगा। ii. विनिर्देश a. सभी झोपड़ियों की दीवारें धूप में सुखाई गई या पकी हुई ईंटों से बनी होंगी, जो मिट्टी के तार या अन्य उपयुक्त स्थानीय सामग्रियों से बनी होंगी, जैसा कि प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। धूप में सुखाई गई ईंटों के मामले में, दीवारों को दोनों तरफ मिट्टी की गोबरी से प्लास्टर किया जाना चाहिए। फर्श कच्चा हो सकता है, लेकिन मिट्टी की गोबरी से प्लास्टर किया जाना चाहिए और आसपास की जमीन से कम से कम 15 सेमी (6") ऊपर होना चाहिए। छतों को छप्पर या किसी अन्य सामग्री से बिछाया जाएगा, जैसा कि प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है और ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उनके कब्जे की पूरी अवधि के दौरान, छतें जलरोधी रहें। b. ठेकेदार प्रत्येक झोपड़ी में उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था करेगा। c. सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सभी दरवाजे, खिड़कियां और वेंटिलेटर उपयुक्त पत्तियों से सुसज्जित किए जाएंगे। d. झोपड़ियों की पत्तियों के बीच कम से कम 7.2 मीटर (8' 7") की खुली जगह रखी जाएगी जिसे प्रभारी इंजीनियर की मंजूरी से साइट की उपलब्धता के अनुसार 6 मीटर (20 फीट) तक घटाया जा सकता है। एक के पीछे एक निर्माण की अनुमति होगी। iii. जलापूर्ति



	ठेकेदार को मजदूरों के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति करनी होगी। पीने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दो गैलन शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक पानी तथा नहाने और कपड़े धोने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तीन गैलन स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां पाइप से पानी की आपूर्ति उपलब्ध है, वहां स्टैंड पोस्ट पर आपूर्ति की जाएगी और जहां कुएं या नदी से आपूर्ति होती है, वहां धातु या चिनाई से बने टैंक उपलब्ध कराए जाएंगे। ठेकेदार को अपने खर्च पर अपने मजदूर शिविर में पानी की आपूर्ति के लिए मौजूदा मुख्य पाइप लाइन से पाइप लाइन बिछाने की व्यवस्था करनी होगी और इसके लिए सभी शुल्क और प्रभार का भुगतान करना होगा। iv. शिविर के लिए चयनित स्थल जंगल से दूर, ऊंचा स्थान होगा। v मलमूत्र का निपटारा : ठेकेदार (ठेकेदारों) को शौचालयों से निकलने वाले मलमूत्र को खाई खोदकर या जलाकर निकालने की आवश्यक व्यवस्था करनी होगी, जो स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार होगी। यदि खाई खोदकर या जलाकर निकालने की अनुमति नहीं है, तो ठेकेदार (ठेकेदारों) को नगर पालिका समिति/प्राधिकरण के माध्यम से मलमूत्र को हटाने की व्यवस्था करनी होगी और उसे नियोजित मजदूरों की संख्या के बारे में सूचित करना होगा, ताकि मलमूत्र को हटाने के लिए ऐसी समिति/प्राधिकरण द्वारा व्यवस्था की जा सके। इस खाते पर सभी खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे और सीधे नगर पालिका/प्राधिकरण को भुगतान किए जाएंगे। ठेकेदार को सूखी प्रणाली के मामले में हर आठ सीटों के लिए एक सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराना होगा। vi जल निकासी ठेकेदार को गंदे पानी की निकासी के लिए कुशल व्यवस्था करनी होगी ताकि शिविर को साफ-सुथरा रखा जा सके। Vii ठेकेदार को श्रमिकों की दुर्घटनाओं से बचने के लिए शिविर क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। viii. स्वच्छता ठेकेदार को स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्राधिकरणों के नियमों के अनुसार श्रमिक शिविरों में सफाई एवं स्वच्छता की व्यवस्था करनी होगी। c. The contractor(s) shall also construct temporary latrines and urinals for the use of the labourers each on the scale of not less than four per each one hundred of the total strength, separate latrines and urinals being provided for women. d. The contractor (s) shall construct sufficient number of bathing and washing places one unit for every 25 persons residing in the camp. These bathing and washing places shall be suitably screened. ii. Specifications a. All the huts shall have walls of sun-dried or burnt-bricks laid in mud mortar or other suitable local materials as may be approved by the Engineer-in-Charge in case of sun-dried bricks, the walls should be plastered with mud gobi on both sides. The floor may be kutcha but plastered with mud gobi and shall be at least 15 cm (6") above the surrounding ground. The roofs shall be laid with the thatch or any other materials as may be approved by the Engineer-in-Charge and the contractor shall ensure that throughout the period of their occupation, the roofs remain water – tight. b. The contractor (s) shall provide each hut with proper ventilation. c. All doors, windows and ventilators shall be provided with suitable leaves for security purposes. d. There shall be kept an open space of at least 7.2 m (8 yards) between the rows of huts which may be reduced to 6m (20 ft.) according to the availability of site with the approval of the Engineer-in-Charge. Back to back construction will be allowed. iii. Water Supply The contractor (s) shall provided adequate supply of water for the use of labourers. The provisions shall not be less than two gallons of pure and wholesome water per head per day for drinking purposes and three gallons of clean water per head per day for bathing and washing purposes. Where piped water supply is available supply shall be at stand posts and where the supply is
--	--



		from wells or river, tanks which may be of metal or masonry, shall be provide. The contractor (s) shall also at his / their own cost make arrangements for laying pipe lines for water supply to his / their labour camp from the existing mains wherever available and shall pay all fees and charges therefor. iv. The site selected for the camp shall be high ground, removed from jungle. v. Disposal of Excreta: The contractor (s) shall make necessary arrangement for the disposal of excreta from the latrines by trenching or incineration which shall be according to the requirements laid down by the Local Health Authorities. If trenching or incineration is not allowed, the contractor (s) shall make arrangements for the removal of the excreta through the Municipal Committee / authority and inform it about the number of labourers employed so that arrangements may be made by such Committee / authority for the removal of excreta. All charges on this account shall be borne by the contractor and paid direct by him to the Municipality / authority. The contractor shall provide one sweeper for every eight seats in case of dry system. vi. Drainage The contractor (s) shall provide efficient arrangements for draining away sullage water so as to keep the camp neat and tidy. vii. The contractor (s) shall make necessary arrangements for keeping the camp area sufficiently lighted to avoid accidents to the workers. viii. Sanitation The contractor(s) shall make arrangements for conservancy and sanitation in the labour camps according to the rules of the Local Public Health and Medical Authorities.
--	--	--

धारा 19 आई
CLAUSE 19 I

		प्रभारी अभियंता ठेकेदार से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ठेकेदार के काम पर लगे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को काम के स्थल से हटा दे या बर्खास्त कर दे, जो स्वयं अयोग्य या गलत आचरण करने वाले हों और ठेकेदार को ऐसी अपेक्षाओं का तुरंत पालन करना होगा। रखरखाव/मरम्मत या नवीनीकरण कार्यों आदि के संबंध में, जहाँ श्रमिकों को व्यक्तिगत कार्य परिसर में आसानी से पहुँचा जा सकता है, ठेकेदार को श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करना होगा, चाहे वे अस्थायी हों या स्थायी और वह ऐसे श्रमिकों की ओर से किसी भी अप्रिय कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। सहायक प्रबंधक/जूनियर कार्यकारी कॉलोनी/ब्लॉक में काम करने वाले ठेकेदारों की सूची कॉलोनी में नोटिस बोर्ड पर और सेवा केंद्र पर भी प्रदर्शित करेगा, ताकि निवासियों को इस बारे में जानकारी मिल सके। The Engineer-in-Charge may require the contractor to dismiss or remove from the site of the work any person or persons in the contractors' employ upon the work who may be incompetent or misconduct himself and the contractor shall forthwith comply with such requirements. In respect of maintenance/repair or renovation works etc. where the labour have an easy access to the individual work premises, the contractor shall issue identity cards to the labourers, whether temporary or permanent and he shall be responsible for any untoward action on the part of such labour. Assistant Manager/Junior Executive will display a list of contractors working in the colony/Blocks on the notice board in the colony and also at the service centre, to apprise the residents about the same.
--	--	--



खण्ड 19 जे
CLAUSE 19 J

	ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह देखे कि निर्माणाधीन भवन पर निर्माण के दौरान किसी अनाधिकृत व्यक्ति का कब्जा न हो, तथा उसे प्रभारी इंजीनियर को पूर्ण भवन के खाली कब्जे के साथ सौंप दिया जाए। यदि ऐसा भवन पूर्ण होने के बावजूद अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, तो प्रभारी इंजीनियर के पास उक्त भवन/भवनों को उस स्थिति में स्वीकार करने से इंकार करने का विकल्प होगा। इस कारण स्वीकृति में किसी भी प्रकार की देरी को कार्य पूर्ण होने में देरी माना जाएगा तथा ऐसी देरी के लिए महाप्रबंधक इंजीनियरिंग द्वारा कार्य के निविदा मूल्य के 5% तक का शुल्क लगाया जा सकता है। जिसका निर्णय औचित्य तथा परिमाण दोनों के संबंध में अंतिम होगा तथा ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा। हालांकि, कार्यकारी निदेशक इंजीनियरिंग एक नोटिस के माध्यम से ठेकेदार को निर्माण तथा डिलीवरी के दौरान या उससे पहले किसी भी समय अवैध कब्जे को हटाने के लिए कह सकते हैं। It shall be the responsibility of the contractor to see that the building under construction is not occupied by any body unauthorized during construction, and is handed over to the Engineer-in-Charge with vacant possession of complete building. If such building though completed is occupied illegally, then the Engineer-in-Charge shall have the option to refuse to accept the said building/buildings in that position. Any delay in acceptance on this account will be treated as the delay in completion and for such delay, a levy upto 5% of tendered value of work may be imposed by the General Manager Engg. Whose decision shall be final both with regard to the justification and quantum and be binding on the contractor. However, the Executive Director Engg., through a notice may require the contractor to remove the illegal occupation any time on or before construction and delivery.
--	--

खण्ड 19 के

कुशल/अर्धकुशल श्रमिकों का रोजगार Employment of skilled / semiskilled workers	ठेकेदार को काम के सभी चरणों में कुशल/अर्धकुशल कारीगरों को तैनात करना होगा जो योग्य हों और उनके पास सीपीडब्ल्यूडी प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राष्ट्रीय निर्माण प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईसीएमएआर) राष्ट्रीय निर्माण अकादमी, सीआईडीसी या राज्य/केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित/प्रमाणित किसी समान प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी विशेष ट्रेड में प्रमाण पत्र हो। ऐसे योग्य कारीगरों की संख्या काम के किसी भी चरण में प्रत्येक ट्रेड में आवश्यक कुल कुशल/अर्धकुशल श्रमिकों के 20% से कम नहीं होगी। ठेकेदार को प्रत्येक ट्रेड के संबंध में आवश्यक मानव दिवसों की संख्या, उसका शेड्यूल और योग्य कारीगरों की सूची मान्यता प्राप्त संस्थान से अपेक्षित प्रमाण पत्र के साथ अनुमोदन के लिए प्रभारी इंजीनियर को जमा कराना होगा। ऐसे अनुमोदन के बावजूद, यदि कारीगरों के पास संबंधित ट्रेड का काम करने के लिए अपर्याप्त कौशल पाया जाता है यदि ठेकेदार प्रभारी इंजीनियर से अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहता है या योग्य कारीगरों को नियुक्त करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार को प्रति कारीगर प्रति दिन 100 रुपये की दर से मुआवजा देना होगा। प्रभारी इंजीनियर का यह निर्णय कि क्या किसी विशेष कारीगर के पास अपेक्षित कौशल है और चूक के मामले में मुआवजे की राशि कितनी होगी, अंतिम और बाध्यकारी होगा। बशर्ते कि इस खंड का प्रावधान उन कार्यों पर लागू नहीं होगा जिनकी अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपये से कम है। The contractor shall at all stages of work deploy skilled / semi skilled tradesmen who are qualified and possess certificate in particular trade from CPWD Training Institute / Industrial Training Institute/National Institution of Construction Management and research (NICMAR) National Academy of Construction, CIDC or any similar reputed and recognized Institute managed / certified by State / Central Government. The number of such qualified tradesmen shall not be less than 20% of total skilled / semi skilled workers required in each trade at any stage of work. The contractor shall submit number of man days required in respect of each trade, its scheduling and the list of qualified tradesmen alongwith requisite certificate from recognized Institute to Engineer in charge for approval. Notwithstanding such approval, if the tradesmen are found to have inadequate skill to execute the work of respective trade, the contractor shall substitute such tradesmen within two days of written notice from Engineer –in- Charge. Failure on the part of contractor to obtain approval of Engineer-in-Charge or failure to
---	--



		deploy qualified tradesmen will attract a compensation to be paid by contractor at the rate of Rs.100 per such tradesman per day. Decision of Engineer in Charge as to whether particular tradesman possesses requisite skill and amount of compensation in case of default shall be final and binding. Provided always, that the provision of this clause, shall not be applicable for works with estimated cost put to tender being less than Rs.5 crores.
--	--	--

खण्ड 19 एल

CLAUSE 19 L

	ईपीएफओ और ईएसआईसी के साथ पंजीकरण Registration with EPFO and ESIC	इस अनुबंध के संबंध में नियोक्ता की ओर से ईएसआई और ईपीएफ अंशदान का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए नियोक्ता की ओर से ये अंशदान वास्तविक आधार पर प्रभारी इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति किए जाएंगे। श्रमिकों की तैनाती का सत्यापन बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली या प्रभारी इंजीनियर द्वारा किसी अन्य उपयुक्त विधि के माध्यम से किया जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई की लागू और पात्र राशि अधिमानतः 7 दिनों के भीतर लेकिन भुगतान के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के 30 दिनों से अधिक नहीं के भीतर प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते कि वे क्रम में हों। The ESI and EPF contributions on the part of employer in respect of this contract shall be paid by the contractor. These contributions on the part of the employer paid by the contractor shall be reimbursed by the Engineer-in-charge to the contractor on actual basis. The verification of deployment of labour will be done through biometric attendance system or any other suitable method by the Engineer in Charge. The applicable and eligible amount of EPF & ESI shall be reimbursed preferably within 7 days but not later than 30 days of submission of documentary proof of payment provided same are in order.
--	---	--

धारा 19 एम

CLAUSE 19 M

	एनजीटी दिशानिर्देशों का अनुपालन Compliance of NGT guidelines	ठेकेदार को निर्माण स्थल पर एनजीटी के नवीनतम दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है तथा इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन उसके जिम्मे होगा। The contractor is required to follow latest NGT guidelines at the construction site and any violation of such guidelines will be in his account.
--	---	---

धारा 20

CLAUSE 20

	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अनुपालन किया जाएगा Minimum Wages Act to be Complied with	ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, तथा समय-समय पर संशोधित ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा ठेका श्रमिकों को प्रभावित करने वाले अन्य श्रम कानूनों, जिन्हें समय-समय पर लागू किया जा सकता है, के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। The contractor shall comply with all the provision of the Minimum Wages Act, 1948, and Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 amended from time to time and rules framed thereunder and other labour laws affecting contract labour that may be brought into force from time to time.
--	---	---

खंड 20(ए)

CLAUSE 20(A)



कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952/जम्मू और कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1961 और राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948। Employees Provident Fund & Miscellaneous Provision Act 1952/Jammu & Kashmir Employees Provident Funds (and Miscellaneous Provisions) Act, 1961 and State Insurance (ESI) Act, 1948.	हटाए गए DELETED
--	-------------------------------

धारा 21

CLAUSE 21

काम को किराए पर न दिया जाए। दिवालियापन की स्थिति में कार्रवाई Work not to be sublet. Action in case of insolvency	प्रभारी इंजीनियर की लिखित स्वीकृति के बिना अनुबंध को सौंपा या उप-पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। और यदि ठेकेदार अपना अनुबंध सौंपता है या उप-पट्टे पर देता है, या ऐसा करने का प्रयास करता है, या दिवालिया हो जाता है या कोई दिवालियापन कार्यवाही शुरू करता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, या यदि ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी या एजेंट द्वारा किसी भी तरह से एएआई के किसी सार्वजनिक अधिकारी या व्यक्ति को उसके कार्यालय या रोजगार से संबंधित कोई रिश्ता, अनुग्रह, उपहार, ऋण, अनुलाभ, इनाम या आर्थिक या अन्यथा लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया, वादा या पेश किया जाता है, या यदि कोई ऐसा अधिकारी या व्यक्ति किसी भी तरह से अनुबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध हो जाता है, तो एएआई की ओर से प्रभारी इंजीनियरों को एएआई के हित में खंड 3 में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम को अपनाने की शक्ति होगी और ऐसा पाठ्यक्रम अपनाए जाने की स्थिति में, उक्त खंड 3 में निर्दिष्ट परिणाम सामने आएंगे। The contract shall not be assigned or sublet without the written approval of Engineer-in-Charge. And if the contractor shall assign or sublet his contract, or attempt to do so, or become insolvent or commence any insolvency proceedings or make any composition with his creditors or attempt to do so, or if any bribe, gratuity, gift, loan, perquisite, reward or advantage pecuniary or otherwise, shall either directly or indirectly, be given, promised or offered by the contractor, or any of his servants or agent to any public officer or person in the employ of AAI in any way relating to his office or employment, or if any such officer or person
---	--



		shall become in any way directly or indirectly interested in the contract, the Engineers in Charge on behalf of the AAI shall have power to adopt the course specified in Clause 3 hereof in the interest of AAI and in the event of such course being adopted, the consequences specified in the said Clause 3 shall ensue.
--	--	--

धारा 22

CLAUSE 22

		इनमें से किसी भी शर्त के तहत मुआवजे के रूप में देय सभी राशियों को एएआई के उपयोग पर लागू होने वाले उचित मुआवजे के रूप में माना जाएगा, बिना इस बात के संदर्भ के कि वास्तविक हानि या क्षति हुई है या नहीं और कोई क्षति हुई है या नहीं। All sums payable by way of compensation under any of these conditions shall be considered as reasonable compensation to be applied to the use of AAI without reference to the actual loss or damage sustained and whether or not any damage shall have been sustained.
--	--	---

धारा 23

CLAUSE 23

फर्म के संविधान में परिवर्तन की सूचना दी जाएगी Changes in firm's Constitution to be intimated	जहां ठेकेदार साझेदारी फर्म है, वहां फर्म के गठन में कोई भी बदलाव करने से पहले प्रभारी अभियंता की लिखित में पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। जहां ठेकेदार कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित पारिवारिक व्यवसाय इकाई है, वहां ठेकेदार द्वारा किसी भी साझेदारी समझौते में प्रवेश करने से पहले पूर्वोक्त अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिसके तहत साझेदारी फर्म को ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों को पूरा करने का अधिकार होगा। यदि पूर्वोक्त अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो अनुबंध को इसके खंड 21 के उल्लंघन में सौंपा गया माना जाएगा और वही कार्रवाई की जा सकती है और वही परिणाम सामने आएंगे जैसा कि उक्त खंड 21 में प्रावधान किया गया है। Where the contractor is a partnership firm, the previous approval in writing of the Engineer-in-Charge shall be obtained before any change is made in the constitution of the firm. Where the contractor is an individual or a Hindu undivided family business concern such approval as aforesaid shall likewise be obtained before the contractor enters into any partnership agreement where under the partnership firm would have the right to carry out the works hereby undertaken by the contractor. If previous approval as aforesaid is not obtained, the contract shall be deemed to have been assigned in contravention of Clause 21 hereof and the same action may be taken and the same consequences shall ensue as provided in the said Clause 21.
---	--

धारा 24

CLAUSE 24

		अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्य प्रभारी इंजीनियर के निर्देश के अधीन तथा सभी प्रकार से उसके अनुमोदन के अधीन निष्पादित किए जाएंगे, जो यह निर्देश देने का हकदार होगा कि उन्हें किस बिंदु या बिंदुओं पर तथा किस तरीके से आरंभ किया जाए तथा समय-समय पर आगे बढ़ाया जाए। All works to be executed under the contract shall be executed under the direction and subject to the approval in all respects of the Engineer-in-Charge who shall be entitled to direct at what point or points and in what manner they are to be commenced, and from time to time carried on.
--	--	---

धारा 25

CLAUSE 25

विवाद समाधान तंत्र और मध्यस्थता Dispute Resolution Mechanism and	सभी विवाद या मतभेद जो समझौते(ओं) से संबंधित या उससे संबंधित हो सकते हैं, जिसमें किसी भी खंड के नियमों और शर्तों की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद या मतभेद शामिल है, को इसके बाद दिए गए प्रावधान के अनुसार निपटाया जाएगा: (i) मध्यस्थता के माध्यम से: सभी विवादों को, सबसे पहले, एएआई मध्यस्थता नीति और लागू कानूनों के अनुसार मध्यस्थता के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की मध्यस्थता समिति (एमसीआईई) या व्यक्तिगत मध्यस्थ को भेजा जाएगा। मध्यस्थता की सभी
--	---



	Arbitration	लागते, पक्षों द्वारा समान रूप से वहन की जाएंगी। यदि कोई भी पक्ष मध्यस्थता से हट जाता है या मध्यस्थता के संदर्भ के 120 दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं होता है, तो पीड़ित पक्ष आंशिक निपटान समझौते या विफलता रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर उप पैरा (ii) के माध्यम से मध्यस्थता का आह्वान कर सकता है। (ii) मध्यस्थता के माध्यम से न्यायनिर्णयन: यदि मध्यस्थता के बाद पक्षों के बीच कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है या उप पैरा (i) के अनुसार आंशिक रूप से निपटारा हुआ है, तो पीड़ित पक्ष द्वारा आह्वान किए जाने पर अनसुलझे विवाद को मध्यस्थता द्वारा न्यायनिर्णयन के लिए भेजा जाएगा। a. जब शामिल राशि 25 करोड़ से अधिक हो, तो 03 मध्यस्थों वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाएगा। प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और नियुक्त किए गए दो मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे। b. जब संबंधित राशि 25 करोड़ रुपये या इससे कम हो तो उसे परिशिष्ट-XXI में दिए गए प्रारूप के अनुसार, दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त करने के बाद, एएआई के अध्यक्ष/सदस्य द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। जब तक अनुबंध को पहले ही अस्वीकृत या समाप्त नहीं कर दिया गया हो, तब तक प्रत्येक मामले में, पक्षकार समझौते के तहत अपने-अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखेंगे। मध्यस्थता कार्यवाही समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाएगी। मध्यस्थ(यों) को देय शुल्क मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की अनुसूची-IV के अनुसार होगा और दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। इस खंड के अंतर्गत ऐसे मामलों में मध्यस्थता के माध्यम से समाधान के लिए कोई विवाद नहीं भेजा जाएगा, जिनके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अध्याय-वीए के अंतर्गत बेदखली और वसूली प्रक्रिया का प्रावधान है। All disputes or difference which may arise out of or in connection with or incidental to the Agreement(s) including any dispute or difference regarding the interpretation of terms and conditions of any clauses(s) thereof shall be dealt with as provided hereinafter: (i) Through Mediation: All dispute(s), at the first instance, shall be referred to the Mediation Committee of Independent Experts (MCIE) or individual mediator for mediation as per AAI Mediation Policy and applicable laws. All cost of mediation, shall be borne equally by the parties. In case either party withdraws from the Mediation or the dispute(s) is not resolved within 120 days of reference to the Mediation, then the aggrieved party may invoke arbitration through sub para (ii) within 30 days from the date of receipt of Partial Settlement Agreement or Failure Report. (ii) Adjudication through Arbitration: In case no final settlement has been arrived at between the parties after mediation or partially settled as per sub Para (i) above, the unresolved dispute(s), on invocation by the aggrieved party shall be referred for adjudication by arbitration. a. When the amount involved is above 25 crores, adjudication shall be made by Arbitral Tribunal comprising of 03 arbitrators. Each party to appoint one arbitrator and the two appointed arbitrators shall appoint the Presiding Arbitrator. b. When the amount involved is Rs. 25 Crores and below shall be referred to a sole Arbitrator to be appointed by Chairman/Member, AAI, after obtaining consent of the other party, as per format annexed at Appendix- XXI.
--	--------------------	---



		Unless the contract has already been repudiated or terminated, the parties shall, in every case, continue to proceed to perform their respective obligations under the agreement. Arbitration proceedings shall be conducted in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, as amended from time to time. Fee payable to the Arbitrator(s) shall be as per Schedule-IV of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 and shall be borne by both the parties equally. No dispute shall be referred for resolution under this clause through arbitration in matters for which eviction & recovery procedure is provided under Chapter- VA of the Airports Authority of India Act, 1994.
--	--	---

धारा 26

CLAUSE 26

ठेकेदार पेटेंट अधिकारों के विरुद्ध एएआई को क्षतिपूर्ति देगा Contractor to indemnify AAI against Patent Rights	ठेकेदार किसी भी पेटेंट या डिजाइन या किसी कथित पेटेंट या डिजाइन अधिकारों के उल्लंघन या उपयोग से संबंधित किसी भी कार्रवाई, दावे या कार्यवाही के खिलाफ अध्यक्ष एएआई को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा और अनुबंध में शामिल किसी भी वस्तु या उसके हिस्से के संबंध में देय रॉयल्टी का भुगतान करेगा। उपरोक्त किसी भी मामले के संबंध में एएआई के खिलाफ किए गए किसी भी दावे या कार्रवाई की स्थिति में, ठेकेदार को तुरंत इसकी सूचना दी जाएगी और ठेकेदार अपने खर्च पर किसी भी विवाद को निपटाने या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मुकदमे का संचालन करने के लिए स्वतंत्र होगा, बशर्ते कि ठेकेदार एएआई को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि उल्लंघन होता है पेटेंट या डिजाइन या कोई कथित पेटेंट या डिजाइन अधिकार इस संबंध में प्रभारी इंजीनियर द्वारा पारित आदेश का प्रत्यक्ष परिणाम है। The contractor shall fully indemnify and keep indemnified the Chairman AAI against any action, claim or proceeding relating to infringement or use of any patent or design or any alleged patent or design rights and shall pay and royalties which may be payable in respect of any article or part thereof included in the contract. In the event of any claims made under or action brought against AAI in respect of any such matters as aforesaid, the contractor shall be immediately notified thereof and the contractor shall be at liberty, at his own expense, to settle any dispute or to conduct any litigation that may arise there from, provided that the contractor shall not be liable to indemnify the AAI if the infringement of the patent or design or any alleged patent or design right is the direct result of an order passed by the Engineer-in-Charge in this behalf.
--	--

धारा 27

CLAUSE 27

निविदा में एकमुश्त प्रावधान Lumpsum Provisions in Tender	जब वह अनुमान, जिसके आधार पर निविदा की जाती है, कार्य के भागों के संबंध में एकमुश्त राशि शामिल करता है, तो ठेकेदार सम्मिलित कार्य की मदों या प्रश्नगत कार्य के भाग के संबंध में उसी दर पर भुगतान पाने का हकदार होगा, जो इस अनुबंध के अंतर्गत ऐसी मदों के लिए देय है, या यदि प्रश्नगत कार्य का भाग, माप के प्रभारी इंजीनियर की राय में, भुगतान योग्य नहीं है, तो प्रभारी इंजीनियर अपने विवेक से अनुमान में दत्त एकमुश्त राशि को भुगतान कर सकता है, और प्रभारी इंजीनियर का लिखित प्रमाणपत्र, खंड के प्रावधान के अंतर्गत उसे देय किसी राशि या राशियों के संबंध में ठेकेदार के विरुद्ध अंतिम और निर्णायक होगा। When the estimate on which a tender is made, includes lump sum in respect of parts of the work, the contractor shall be entitled to payment in respect of the items of work involved or the part of the work in question at the same rates as are payable under this contract for such items, or if the part of work in question is
---	---



	not, in the opinion of the Engineer-in-Charge payable of measurement, the Engineer-in-Charge may at his discretion pay the lump- sum amount entered in the estimate, and the certificate in writing of the Engineer-in-Charge shall be final and conclusive against the contractor with regard to any sum or sums payable to him under the provision of the clause.
--	---

धारा 28

CLAUSE 28

कार्रवाई जहां कोई विनिर्देश निर्दिष्ट नहीं है Action where no specifications are specified	किसी भी ऐसे कार्य वर्ग के मामले में जिसके लिए खंड 11 में निर्दिष्ट कोई विनिर्देश नहीं है, ऐसा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यदि भारतीय मानक ब्यूरो में ऐसे कोई विनिर्देश नहीं हैं, तो कार्य निर्माताओं के विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यदि ऊपर बताए गए विनिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, तो कार्य सभी प्रकार से प्रभारी इंजीनियर के अनुदेशों और आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा। In the case of any class of work for which there is no such specifications as referred to in Clause 11, such work shall be carried out in accordance with the Bureau of Indian Standards Specifications. In case there are no such specifications in Bureau of Indian Standards, the work shall be carried out as per manufacturers' specifications. In case there are no such specifications as required above, the work shall be carried out in all respects in accordance with the instructions and requirements of the Engineer-in-Charge.
--	---

धारा 29

CLAUSE 29

ठेकेदार से देय राशि के संबंध में रोक और ग्रहणाधिकार With-holding and lien in respect of sums due from contractor	i जब कभी किसी धनराशि के भुगतान के लिए कोई दावा अनुबंध के अंतर्गत या उसके कारण उत्पन्न होता है या ठेकेदार के विरुद्ध होता है, तो प्रभारी इंजीनियर या एएआई को ऐसी धनराशि को रोकने का अधिकार होगा तथा ठेकेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि में से ऐसी धनराशि को पूर्णतः या आंशिक रूप से अपने पास रखने का ग्रहणाधिकार भी होगा और पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए प्रभारी इंजीनियर या एएआई को, जैसा भी मामला हो, दी गई सुरक्षा राशि को रोकने का अधिकार होगा तथा ऐसे किसी दावे के अंतिम रूप दिए जाने या न्यायनिर्णयन तक उस पर ग्रहणाधिकार भी होगा। यदि प्रतिभूति, दावा की गई राशि या राशियों को कवर करने के लिए अपर्याप्त है या यदि ठेकेदार से कोई प्रतिभूति नहीं ली गई है, तो प्रभारी इंजीनियर या एएआई को ऐसी दावा की गई राशि या राशियों की सीमा तक, जो देय पाई जाती है या जो उसके बाद किसी भी समय उसी अनुबंध के तहत या एएआई के प्रभारी इंजीनियर या प्रभारी इंजीनियर के माध्यम से किसी भी अनुबंधकर्ता व्यक्ति के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय हो सकती है, रोक लेने और उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, जब तक कि ऐसे किसी दावे के अंतिम निर्णय तक वह देय न हो जाए। यह अनुबंध की एक सहमत शर्त है कि प्रभारी इंजीनियर या एएआई द्वारा ऊपर संदर्भित ग्रहणाधिकार के तहत रोकी गई या रखी गई धनराशि को प्रभारी इंजीनियर या एएआई द्वारा तब तक रोकी या रखी जाएगी जब तक कि अनुबंध के तहत या उससे उत्पन्न होने वाले दावे का निर्धारण मध्यस्थ (यदि अनुबंध मध्यस्थता खंड द्वारा शासित है) या सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं कर लिया जाता है, जैसा भी मामला हो और ठेकेदार के पास ऊपर संदर्भित ग्रहणाधिकार के तहत रोकने जाने या रखे जाने के संबंध में किसी भी खाते पर ब्याज या क्षति के लिए कोई दावा नहीं होगा और ठेकेदार को इस बारे में विधिवत अधिसूचित किया जाएगा। इस खंड के प्रयोजन के लिए, जहां ठेकेदार एक साझेदारी फर्म या एक सीमित कंपनी है, प्रभारी इंजीनियर या एएआई किसी भी भागीदार/सीमित कंपनी को देय किसी भी राशि से पूरी तरह या आंशिक रूप से दावा की गई राशि को रोकने और उसे रखने का ग्रहणाधिकार भी रखने का हकदार होगा, चाहे वह उसकी व्यक्तिगत क्षमता में हो या अन्यथा। ii. एएआई को ठेकेदार के कार्यों और अंतिम बिलों, जिसमें सभी सहायक वाउचर, सार, आदि शामिल हैं, की लेखा परीक्षा और तकनीकी जांच कराने का अधिकार होगा, जो अंतिम बिल के भुगतान के बाद बनाए जाएंगे और यदि ऐसी लेखा परीक्षा और तकनीकी जांच के परिणामस्वरूप यह पाया जाता है कि अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा किए गए किसी कार्य या अनुबंध के तहत उसके द्वारा किए जाने का दावा किए गए किसी कार्य के संबंध में कोई राशि अधिक भुगतान की गई
--	--



		है और पाया जाता है कि वह कार्य निष्पादित नहीं किया गया है, तो ठेकेदार अधिक भुगतान की गई राशि को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा और एएआई के लिए उससे इस खंड के उप-खंड (i) में निर्धारित तरीके से या कानूनी रूप से स्वीकार्य किसी अन्य तरीके से इसे वसूलना वैध होगा; और यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार को उसके द्वारा निष्पादित किसी कार्य के संबंध में अनुबंध के तहत देय राशि से कम भुगतान किया गया था, तो एएआई द्वारा ऐसी कम भुगतान की गई राशि को बिना किसी ब्याज के ठेकेदार को विधिवत भुगतान किया जाएगा। बशर्ते कि एएआई अधिक भुगतान की गई किसी राशि को वसूलने का हकदार नहीं होगा, न ही ठेकेदार कम भुगतान की गई किसी राशि के भुगतान का हकदार होगा, जहां ऐसे भुगतान पर एक ओर कार्यकारी निदेशक इंजीनियरिंग/महाप्रबंधक इंजीनियरिंग तथा दूसरी ओर ठेकेदार के बीच कार्यकारी निदेशक इंजीनियरिंग/महाप्रबंधक इंजीनियरिंग द्वारा मूल्यांकन के पश्चात कार्य के लिए भुगतान की अनुमति देने वाली संविदा की किसी शर्त के अंतर्गत सहमति हो गई हो। i. Whenever any claims for payment of a sum of money arises out of or under the contract or against the contractor, the Engineer-in-Charge or the AAI shall be entitled to withhold and also have a lien to retain such sum or sums in whole or in part from the security, if any deposited by the contractor and for the purpose aforesaid, the Engineer-in-Charge or the AAI shall be entitled to withhold the security deposit if any, furnished as the case may be and also have a lien over the same pending finalization or adjudication of any such claim. In the event of the security being insufficient to cover the claimed amount or amounts or if no security has been taken from the contractor, the Engineer-in-Charge or the AAI shall be entitled to withhold and have lien to retain to the extent of such claimed amount or amounts referred to above from any sum or sums found payable or which may at any time thereafter become payable to the contractor under the same contract or any other contract with the Engineer-in Charge of the AAI or any contracting person through the Engineer-in-Charge pending finalization of adjudication of any such claim. It is an agreed term of the contract that the sum of money or moneys so withheld or retained under the lien referred to above by the Engineer-in-Charge or AAI will be kept withheld or retained as such by the Engineer-in-Charge or AAI till the claim arising out of or under the contract is determined by the arbitrator. (if the contract is governed by the arbitration clause) or by the competent court, as the case may be and that the contractor will have no claim for interest or damages whatsoever on any account in respect of such withholding or retention under the lien referred to above and duly notified as such to the contractor. For the purpose of this clause, where the contractor is a partnership firm or a limited company, the Engineer-in-Charge or the AAI shall be entitled to withhold and also have a lien to retain towards such claimed amount or amounts in whole or in part from any sum found payable to any partner/limited company as the case may be, whether in his individual capacity or otherwise. ii. AAI shall have the right to cause an audit and technical examination of the works and the final bills of the contractor including all supporting vouchers, abstract, etc., to be made after payment of the final bill and if as a result of such audit and technical examination any sum is found to have been overpaid in respect of any work done by contractor under the contract or any work claimed to have been done by the him under the contract and found not to have been executed, the contractor shall be liable to refund the amount of over payment and it shall be lawful for AAI to recover the same from him in the manner prescribed in sub-clause (i) of this clause or in any other manner legally permissible; and if it is found that the contractor was paid less than what was due to him under the contract in respect of any work executed by him under it, the amount of such under payment shall be duly paid by AAI to the contractor, without any interest thereon whatsoever.
--	--	--



		Provided that the AAI shall not be entitled to recover any sum overpaid, nor the contractor shall be entitled to payment of any sum paid short where such payment has been agreed upon between the Executive Director Engineering / General Manager Engineering on the one hand and the contractor on the other under any term of the contract permitting payment for work after assessment by the Executive Director Engineering / General Manager Engineering.
--	--	--

धारा 29 ए

CLAUSE 29 A

	अन्य अनुबंधों में दावों के संबंध में ग्रहणाधिकार Lien in respect of claims in other Contracts	i. अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदार को देय और भुगतान योग्य कोई भी धनराशि (उसको वापस की जाने वाली सुरक्षा जमा राशि सहित) प्रभारी अभियंता या एएआई या किसी अन्य अनुबंध करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रभारी अभियंता के माध्यम से ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता या एएआई या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ किए गए किसी अन्य अनुबंध के तहत या उससे उत्पन्न होने वाली किसी राशि के भुगतान के संबंध में प्रभारी अभियंता या एएआई या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी दावे के विरुद्ध रोक ली जा सकती है या धारणाधिकार के रूप में रखी जा सकती है। ii. यह अनुबंध की एक सहमत शर्त है कि प्रभारी इंजीनियर या एएआई द्वारा इस खंड के तहत रोकी गई या रखी गई धनराशि को प्रभारी इंजीनियर या एएआई द्वारा तब तक रोकी या रखी जाएगी, जब तक कि उसी अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध से उत्पन्न होने वाला उसका दावा या तो पारस्परिक रूप से तय नहीं हो जाता है या मध्यस्थता खंड या सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं हो जाता है, जैसा भी मामला हो और यह कि ठेकेदार इस खंड के तहत रोकी गई या रखी गई किसी भी धनराशि के संबंध में या किसी अन्य आधार पर ब्याज या क्षति के लिए कोई दावा नहीं करेगा और ठेकेदार को इस बारे में विधिवत अधिसूचित नहीं किया जाएगा। i. Any sum of money due and payable to the contractor (including the security deposit refundable to him) under the contract may be withheld or retained by way of lien by the Engineer-in-Charge or the AAI or any other contracting person or persons through Engineer-in-Charge against any claim of the Engineer-in-Charge or AAI or such other person or persons in respect of payment of a sum of money arising out of or under any other contract made by the contractor with the Engineer-in-Charge or the AAI or with such other person or persons. ii. It is an agreed term of the contract that the sum of money so withheld or retained under this clause by the Engineer-in-Charge or the AAI will be kept withheld or retained as such by the Engineer-in-Charge or the AAI or till his claim arising out of the same contract or any other contract is either mutually settled or determined by the arbitration clause or by the competent court, as the case may be and that the contractor shall have no claim for interest or damages whatsoever on this account or on any other ground in respect of any sum of money withheld or retained under this clause and duly notified as such to the contractor.
--	---	--

धारा 30

CLAUSE 30

	कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र में श्रमिकों का नियोजन स्वीकार्य नहीं Employment of coal mining or controlled area labour not permissible	i. ठेकेदार किसी भी श्रेणी में आने वाले कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र के श्रमिकों को काम के सिलसिले में नियुक्त नहीं करेगा या नियंत्रित क्षेत्र के 32 किलोमीटर (20 मील) के दायरे में आने वाले क्षेत्र से श्रमिकों की भर्ती नहीं करेगा। उपरोक्त के अनुसार ठेकेदार केवल आयातित श्रमिकों को ही नियुक्त करेगा, अर्थात्, आयातित श्रमिकों को या ठेकेदारों द्वारा आयातित श्रमिकों को उस क्षेत्र से नियोजित करेगा, जहाँ से आयात की अनुमति है। ii. जहाँ आयातित श्रम के लिए अधिकतम मूल्य राज्य या क्षेत्रीय श्रम समितियों द्वारा निर्धारित किया गया है, वहाँ ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को अधिकतम मूल्य से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। iii. ठेकेदार को ऐसे किसी भी मजदूर को तुरंत हटाना होगा जिसे प्रभारी इंजीनियर द्वारा कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र का मजदूर बताया गया हो। ऐसा न करने पर ठेकेदार को एएआई को प्रति मजदूर 10 रुपये प्रतिदिन की दर से गणना की गई
--	--	---



		राशि का भुगतान करना होगा। कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या और उनके द्वारा काम किए गए दिनों की संख्या के बारे में प्रभारी इंजीनियर का प्रमाण पत्र अंतिम होगा और इस अनुबंध के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। iv. पक्षकारों के बीच यह घोषित और सहमति व्यक्त की जाती है कि इस खंड में पूर्वोक्त शर्त ऐसी है जिसमें भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 74 में अपवाद के अर्थ के भीतर जनता की रुचि है। स्पष्टीकरण :- नियंत्रित क्षेत्र से तात्पर्य निम्नलिखित क्षेत्रों से है: धनबाद, हजारीबाग, जामताड़ा जिले - संथाल परगना आयुक्तालय के अधीन उप-विभाग, बांकुरा, बीरभूम, बर्दवान, बिलासपुर जिले। कोई अन्य क्षेत्र जिसे केन्द्र सरकार द्वारा या उसके अनुमोदन से नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। i. The contractor shall not employ coal mining or controlled area labour falling under any category whatsoever or in connection with the work or recruit labour from area within a radius of 32 km (20 miles) of the controlled area. Subject as above the contractor shall employ imported labour only i.e., deposit imported labour or labour imported by contractors from area, from which import is permitted. ii. Where ceiling price for imported labour has been fixed by State or Regional Labour Committees not more than that ceiling price shall be paid to the labour by the contractor. iii. The contractor shall immediately remove any labourer who may be pointed out by the Engineer-in-Charge as being a coal mining or controlled area labourer. Failure to do so shall render the contractor liable to pay to AAI a sum calculated at the rate of Rs.10/- per day per labourer. The certificate of the Engineer-in-Charge about the number of coal mining or controlled area labourer and the number of days for which they worked shall be final and binding upon all parties to this contract. iv. It is declared and agreed between the parties that the aforesaid stipulation in this clause is one in which the public are interested within the meaning of the exception in Section 74 of Indian Contract Act, 1872. Explanation :- Controlled area mean the following areas: Districts of Dhanbad, Hazaribagh, Jamtara- Sub-Division under Santhal Pargana Commissionery, District of Bankura, Birbhum, Burdwan, District of Bilaspur. Any other area which may be declared a Controlled Area by or with the approval of the Central Government.
--	--	--

धारा 31

CLAUSE 31

	बिना फ़िल्टर किए पानी की आपूर्ति Unfiltered water supply	ठेकेदार को काम के लिए आवश्यक पानी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। i. ठेकेदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल प्रभारी इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार निर्माण प्रयोजनों के लिए उपयुक्त होगा। ii. यदि प्रभारी इंजीनियर की राय में ठेकेदार द्वारा जल प्राप्ति के लिए की गई व्यवस्था असंतोषजनक है, तो प्रभारी इंजीनियर ठेकेदार के जोखिम और लागत पर जल आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। The contractor(s) shall make his/their own arrangements for water required for the work and nothing extra will be paid for the same. This will be subject to the following conditions. i. That the water used by the contractor (s) shall be fit for construction purposes to the satisfaction of the Engineer-in-Charge. ii. The Engineer-in-Charge shall make alternative arrangements for supply of water at the risk and cost of contractor (s) if the arrangements made by the contractor (s) for procurement of water are in the opinion of the Engineer-in-Charge, unsatisfactory.
--	--	---



धारा 31ए
CLAUSE 31A

विभागीय जल आपूर्ति, यदि उपलब्ध हो Departmental water supply, if available	यदि पानी उपलब्ध हो तो विभाग द्वारा ठेकेदार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पानी की आपूर्ति की जा सकती है:- - किए गए कार्य की कुल राशि पर 1% की दर से जल शुल्क वसूला जाएगा। - ठेकेदार को वर्तमान मुख्य आपूर्ति स्रोत से जल कनेक्शन तथा पाइपलाइन बिछाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। - विभाग पानी की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने की गारंटी नहीं देता है और एएआई की जल आपूर्ति प्रणाली में किसी भी अस्थायी खराबी की स्थिति में ठेकेदार को अपने खर्च पर पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ताकि पानी की कमी के कारण उनके काम की प्रगति बाधित न हो। ऐसी खराबी के कारण किसी भी तरह के नुकसान या जल शुल्क की वापसी का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। Water if available may be supplied to the contractor by the department subject to the following conditions:- - The water charges @1% shall be recovered on gross amount of the work done. - The contractor(s) shall make his/their own arrangement of water connection and laying of pipelines from existing main of source of supply. The Department do not guarantee to maintain uninterrupted supply of water and it will be incumbent on the contractor (s) to make alternative arrangements for water at his/their own cost in the event of any temporary break down in the AAI's water main so that the progress of his/their work is not held up for want of water. No claim of damage or refund of water charges will be entertained on account of such break down.
--	--

धारा 32
CLAUSE 32

वैकल्पिक जल व्यवस्था Alternate water arrangements	- जहां पाइप से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है और ठेकेदार द्वारा एएआई द्वारा निर्मित कुओं या हैंडपंप से पानी लिया जाता है, वहां ठेकेदार से या उस खाते से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। हालांकि, ठेकेदार दिन के ऐसे समय में पानी खींचेगा, जिससे हैंडपंप और कुओं के सामान्य उपयोग में बाधा न आए। वह अपने उपयोग से होने वाली सभी क्षति और असामान्य मरम्मत के लिए भी जिम्मेदार होगा, जिसकी लागत उससे वसूल की जाएगी। इस खाते पर ठेकेदार से वसूली जाने वाली लागत का निर्धारण करने के लिए प्रभारी अभियंता अंतिम प्राधिकारी होगा और उसका निर्णय ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। - ठेकेदार को निर्माण उद्देश्यों के लिए पानी लेने के लिए एएआई की भूमि पर अस्थायी कुओं का निर्माण करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब उसे प्रभारी अभियंता से लिखित में अनुमति मिल गई हो। इस खाते पर ठेकेदार से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा, लेकिन ठेकेदार को आस-पास की इमारतों, सड़कों और सेवा लाइनों को किसी भी दुर्घटना या क्षति से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की आवश्यकता होगी। वह कुओं के निर्माण और उसके बाद के रखरखाव के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा और काम पूरा होने पर कुओं को ध्वस्त करने के बाद जमीन को उसकी मूल स्थिति में बहाल करेगा। - Where there is no piped water supply arrangement and the water is taken by the contractor from the wells or hand pump constructed by the AAI, no charge shall be recovered from the contractor or that account. The contractor shall, however, draw water at such hours of the day that it does not interfere with the normal use for which the hand pumps and well are intended. He will
--	--



		also be responsible for all damage and abnormal repairs arising out of his use, the cost of which shall be recoverable from him. The Engineer-in-Charge shall be the final authority to determine the cost recoverable from the contractor on this account and his decision shall be binding on the contractor. ii. The contractor shall be allowed to construct temporary wells in AAI land for taking water for construction purposes only after he has got permission of the Engineer-in-Charge in writing. No charges shall be recovered from the contractor on this account but the contractor shall be required to provide necessary safety arrangements to avoid any accidents or damage to adjacent buildings, roads and service lines. He shall be responsible for any accidents or damage caused due to construction and subsequent maintenance of the wells and shall restore the ground to its original condition after the wells are dismantled on completion of the work.
--	--	---

धारा 33

CLAUSE 33

अधिशेष सामग्री की वापसी Return of Surplus materials	इस अनुबंध में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, जहां अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री एएआई की सहायता से एएआई के स्टॉक से जारी करके या एएआई द्वारा जारी किए गए आदेशों या परमिटों या लाइसेंसों के तहत की गई खरीद से प्राप्त की जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्रियों को मितव्ययितापूर्वक और केवल अनुबंध के प्रयोजन के लिए रखेगा और एएआई की लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और यदि प्रभारी इंजीनियर द्वारा मांगा जाए तो वह सभी अधिशेष या अनुपयोगी सामग्रियों को वापस कर देगा जो अनुबंध के पूरा होने के बाद या किसी भी कारण से इसके समापन पर उसके पास रह जाती हैं, ऐसी कीमतों का भुगतान या जमा किए जाने पर जो प्रभारी इंजीनियर सामग्रियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करेंगे। हालांकि, ठेकेदार को दी जाने वाली कीमत भंडारण शुल्क के तत्व को छोड़कर उससे ली जाने वाली राशि से अधिक नहीं होगी। प्रभारी इंजीनियर का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। उपर्युक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वासघात के लिए स्वयं को कार्रवाई के लिए खुला छोड़ने के अतिरिक्त, ऐसे उल्लंघन के कारण उसे होने वाले सभी धन, लाभ या मुनाफे के लिए एएआई के प्रति उत्तरदायी होगा। Notwithstanding anything contained to the contrary in this contract, where any materials for the execution of the contract are procured with the assistance of AAI either by issue from AAI stocks or purchase made under orders or permits or licenses issued by AAI, the contractor shall hold the said materials economically and solely for the purpose of the contract and not dispose of them without the written permission of the AAI and return, if required by the engineer-in-Charge, all surplus or unserviceable materials that may be left with him after the completion of the contract or at its termination for any reason whatsoever on being paid or credited such prices as the Engineer-in-Charge shall determine having due regard to the condition of the materials. The price allowed to the contractor however shall not exceed the amount charged to him excluding the element of storage charges. The decision of the Engineer-in-Charge shall be final and conclusive. In the event of breach of the aforesaid condition, the contractor shall in addition to throwing himself open to action for contravention of the terms of the license or permit and / or for criminal breach of trust, be liable to AAI for all moneys, advantages or profits resulting or which in the usual course would have resulted to him by reason of such breach.
---	---

धारा 34

CLAUSE 34

संयंत्र एवं मशीनरी का किराया Hire of plant & Machinery	i. ठेकेदार को अपने खर्च पर कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक सभी उपकरण, संयंत्र, मशीनरी और उपकरण (जिन्हें आगे टी एंड पी कहा जाएगा) की व्यवस्था करनी होगी, सिवाय अनुसूची 'सी' में सूचीबद्ध संयंत्र और मशीनरी के जो ठेकेदार को जारी करने के लिए निर्धारित हैं। यदि ठेकेदार को एएआई के पास उपलब्ध टी एंड पी से टी एंड पी के किसी भी आइटम की आवश्यकता होती है, जो जारी करने के लिए निर्धारित टी एंड पी से अधिक है, तो एएआई, यदि ऐसी वस्तु उपलब्ध है, तो
--	---



		उसे ठेकेदार को उसके और प्रभारी अभियंता के बीच सहमत दरों पर किराए पर देगा। ऐसे मामले में, टी एंड पी जारी करने के लिए नीचे दी गई सभी शर्तें ऐसे टी एंड पी पर भी लागू होंगी, जिन्हें जारी करने के लिए सहमति दी गई है। The Contractor shall arrange at his own expense all tools, plant, machinery and equipment(hereinafter referred to as T&P) required for execution of the work except for the Plant & Machinery listed in Schedule 'C' and stipulated for issue to the contractor. If the contractor requires any item of T&P on hire from the T&P available with the AAI over and above the T&P stipulated for issue, the AAI will, if such item is available, hire it to the contractor at rates to be agreed upon between him and the Engineer-in-charge. In such a case, all the conditions hereunder for issue of T & P shall also be applicable to such T&P as is agreed to be issued. ii. जब संयंत्र और मशीनरी अनुसूची 'सी' में दर्शाए गए किराये के शुल्क पर आपूर्ति की जाती है, तो उसे अनुसूची 'सी' में दर्शाए गए विभागीय उपकरण यार्ड/शेड पर वापस ले जाया जाएगा और ठेकेदार को जारी करने के स्थान से कार्य स्थल तक और वापस ले जाने का खर्च वहन करना होगा। ठेकेदार को संयंत्र और मशीनरी को उसी स्थिति में वापस करने की जिम्मेदारी होगी, जिस स्थिति में उसे सौंपा गया था, और वह कार्य स्थल पर या संचालन में अन्यत्र और अन्यथा परिवहन के दौरान उक्त संयंत्र और मशीनरी को होने वाली सभी क्षति के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें संयंत्र को नुकसान या हानि और उस कार्य के पूरा होने के तुरंत बाद उसे वापस न करने के कारण होने वाली सभी हानियों के लिए जिम्मेदार होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया था। इस संबंध में ठेकेदार की देयता और इसकी सीमा निर्धारित करने के लिए प्रभारी अभियंता एकमात्र न्यायाधीश होगा और उसका निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा। Plant & Machinery when supplied on hire charges shown in Schedule 'C' shall be made over and taken back at the departmental equipment yard / shed shown in Schedule 'C' and the contractor shall bear the cost of carriage from the place of issue to the site of work and back. The contractor shall be responsible to return the plant and machinery with condition in which it was handed over to him, and he shall be responsible for all damage caused to the said plant and machinery at the site of work or elsewhere in operation and otherwise during transit including damage to or loss of plant and for all losses due to his failure to return the same soon after the completion of the work for which it was issued. The Engineer-in-charge shall be the sole judge to determine the liability of the contractor and its extent in this regard and his decision shall be final and binding on the contractor. iii. ऊपर निर्धारित संयंत्र और मशीनरी उपलब्ध होने पर और ठेकेदार द्वारा अपेक्षित होने पर जारी की जाएगी। ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी की उपलब्धता के अनुसार अपने कार्य कार्यक्रम की व्यवस्था करेगा और विभाग द्वारा आपूर्ति में किसी भी देरी के लिए उसका कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। The plant and machinery as stipulated above will be issued as and when available and if required by the contractor. The contractor shall arrange his programme of work according to the availability of the plant and machinery and no claim, whatsoever, will be entertained from him for any delay in supply by the department. iv. किराया प्रभार निर्धारित दरों पर प्लांट और मशीनरी के सौंपे जाने की तारीख से लेकर अच्छी हालत में वापस आने की तारीख तक वसूला जाएगा, भले ही वे किसी अन्य कारण से काम नहीं कर रहे हों, सिवाय ठेकेदार की गलती के या दोषपूर्ण उपयोग के कारण बड़ी खराबी के, जिसके लिए प्लांट को ठीक करने में लगातार तीन कार्य दिवस (बीच की छुट्टियों और रविवार को छोड़कर) से अधिक समय लग रहा हो। जब भी प्लांट या मशीनरी में ऊपर बताए अनुसार बड़ी मरम्मत की आवश्यकता हो, तो ठेकेदार तुरंत लिखित रूप में प्रभारी इंजीनियर को सूचित करेगा। प्रभारी इंजीनियर प्लांट या मशीनरी की लॉगशीट में ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख और समय दर्ज करेगा। इसके आधार पर यदि लंच अवधि से पहले खराबी या बड़ी खराबी होती है, तो शिकायत के दिन आधे दिन की खराबी को ध्यान में रखते हुए गणना की जाएगी। यदि खराबी लंच अवधि के बाद होती है, तो बड़ी खराबी की गणना अगले कार्य दिवस से शुरू होगी। इस खंड के अंतर्गत किसी भी विवाद की स्थिति में, कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग)/महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) का निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार पर
--	--	---



		बाध्यकारी होगा। The hire charges shall be recovered at the prescribed rates from and inclusive of the date the plant and machinery made over upto and inclusive of the date of the return in good order even though the same may not have been working for any cause except major breakdown due to no fault of the contractor or faulty use requiring more than three working days continuously (excluding intervening holidays and Sundays) for bringing the plant in order. The contractor shall immediately intimate in writing to the Engineer-in-charge when any plant or machinery gets out of order requiring major repairs as aforesaid. The Engineer-in-charge shall record the date and time of receipt of such intimation in the logsheet of the plant or machinery. Based on this if the breakdown before lunch period or major breakdown will be computed considering half a day's breakdown on the day of complaint. If the breakdown occurs in the post lunch period of major breakdown will be computed starting from the next working day. In case of any dispute under this clause, the decision of the Executive Director (Engg) /General Manager (Engg) shall be final and binding on the contractor. V. ऊपर दर्शाए गए किराया शुल्क 8 घंटे (एक घंटे के लंच ब्रेक सहित) या उसके भाग के प्रत्येक दिन के लिए हैं। The hire charges shown above are for each day of 8 hours (inclusive of the one hour lunch break) or part thereof. vi. किराये के शुल्क में आवश्यकतानुसार परिचालन कर्मचारियों की सेवा और सफाई के लिए चिकनाई तेल और भंडार की आपूर्ति शामिल होगी। संयंत्र और मशीनरी को चलाने के लिए स्वीकृत प्रकार का बिजली ईंधन, जलाऊ लकड़ी, मिट्टी का तेल आदि और संयंत्र और मशीनरी को किसी भी नुकसान या क्षति से बचाने के लिए पूर्णकालिक चौकीदार की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाएगी, जो संयंत्र और मशीनरी की सुरक्षा और संरक्षा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति के समय या उससे पहले विभाग को परिवहन के दौरान या कार्य स्थल पर संयंत्र और मशीनरी को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। Hire charges will include service of operating staff as required and also supply of lubricating oil and stores for cleaning purposes. Power fuel of approved type, firewood, kerosene oil etc. for running the plant and machinery and also the full time chowkidar for guarding the plant and machinery against any loss or damage shall be arranged by the contractor who shall be fully responsible for the safeguard and security of plant and machinery. The contractor shall on or before the supply of plant and machinery sign an agreement indemnifying the Department against any loss or damage caused to the plant and machinery either during transit or at site of work. vii. आम तौर पर, कोई भी प्लांट और मशीनरी एक घंटे के लंच ब्रेक सहित 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगी। हालांकि, किसी ज़रूरी काम के मामले में, इंचार्ज इंजीनियर अपने विवेक से प्लांट और मशीनरी को 8 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति दे सकता है। उस स्थिति में, ठेकेदार द्वारा वहन किए जाने वाले ओवरटाइम के लिए प्रति घंटे का किराया सामान्य आनुपातिक प्रति घंटे के शुल्क (दैनिक शुल्क का 1/8वां हिस्सा) से 50% ज्यादा होगा, जो किसी विशेष दिन के लिए कम से कम आधे दिन के सामान्य शुल्क के अधीन होगा। ओवरटाइम के लिए किराया निकालने के लिए, आधे घंटे और उससे ज्यादा की अवधि को एक घंटे के रूप में चार्ज किया जाएगा और आधे घंटे से कम की अवधि को अनदेखा कर दिया जाएगा। Ordinarily, no plant and machinery shall work for more than 8 hours a day inclusive of one hour lunch break. In case of an urgent work however, the Engineer-in-charge may, at his discretion, allow the plant and machinery to be worked for more than normal period of 8 hours a day. In that case, the hourly hire charges for overtime to be borne by the contractor shall be 50% more than the normal proportionate hourly charges (1/8th of the daily charges) subject to a minimum of half day's normal charges on any particular day. For working
--	--	---



		out hire charges for over time, a period of half an hour and above will be charged as one hour and a period of less than half an hour will be ignored. viii. ठेकेदार को हर सातवें दिन संयंत्र और मशीनरी को आवधिक सर्विसिंग और/या वॉश आउट के लिए खाली करना होगा, जिसमें लगभग तीन से चार घंटे या उससे अधिक समय लग सकता है। सर्विसिंग/वॉश आउट के दिन के लिए ठेकेदार से पूरे दिन का किराया वसूला जाएगा, भले ही सर्विसिंग में कितना भी समय लगा हो। The contractor shall release the plant and machinery every seventh day for periodical servicing and / or wash out which may take about three to four hours or more. Hire charges for full day shall be recovered from the contractor for the day of servicing / wash out irrespective of the period employed in servicing. ix. एक बार ठेकेदार को जारी किए गए संयंत्र और मशीनरी को उसके द्वारा श्रम और सामग्री आदि की व्यवस्था न करने के कारण वापस नहीं किया जाएगा, उन्हें केवल तभी वापस किया जाएगा जब उनकी बड़ी मरम्मत के लिए आवश्यकता हो या जब प्रभारी इंजीनियर की राय में, वह कार्य या कार्य का कोई भाग जिसके लिए उन्हें जारी किया गया था, पूरा हो गया हो। The plant and machinery once issued to the contractor shall not be returned by him on account of lack of arrangements of labour and materials, etc. on his part, the same will be returned only when they are required for major repairs or when in the opinion of the Engineer-in-charge, the work or a portion of work for which the same was issued is completed. x. ठेकेदार को आपूर्ति किए गए प्रत्येक संयंत्र और मशीनरी के लिए दैनिक कार्य के घंटों को रिकॉर्ड करने के लिए लॉग बुक विभाग द्वारा रखी जाएगी और ठेकेदार या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा प्रतिदिन उस पर प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि ठेकेदार प्रविष्टियों की सत्यता पर सवाल उठाता है और/या लॉग बुक पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है, तो प्रभारी इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा और उस पर बाध्यकारी होगा। किराया शुल्क लॉग बुक में प्रविष्टियों के अनुसार गणना की जाएगी और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगी। रोड रोलर्स के लिए किराया शुल्क के कारण वसूली न्यूनतम दिनों की संख्या के लिए की जाएगी, इस धारणा पर कि एक रोलर प्रति दिन ठोसकरण कर सकता है और संलग्न विवरण में प्रत्येक के सामने उल्लिखित सामग्री या क्षेत्र की अधिकतम मात्रा (संलग्न अनुलम्बक देखें)। Log Book for recording the hours of daily work for each of the plant and machinery supplied to the contractor will be maintained by the Department and will be countersigned by the contractor or his authorised agent daily. In case the contractor contests the correctness of the entries and / or fails to sign the Log Book, the decision of the Engineer-in-charge shall be final and binding on him. Hire charges will be calculated according to the entries in the Log Book and will be binding on the contractor. Recovery on account of hire charges for road rollers shall be made for the minimum number of days worked out on the assumption that a roller can consolidate per day and maximum quantity of materials or area surfacing as noted against each in the annexed statement (see attached annexure). xi. कंक्रीट मिक्सर के मामले में, ठेकेदारों को प्रत्येक दिन या प्रत्येक अवसर पर काम के अंत में हॉपर को साफ करने और ड्रम को धोने की व्यवस्था करनी होगी। (ए) यदि समेकन के लिए रोलर्स को ठेकेदार द्वारा स्वयं नियोजित किया जाता है, तो ऐसे रोलर्स के लिए लॉग बुक उसी तरह बनाए रखी जाएगी जैसा कि विभागीय रोलर्स के मामले में किया जाता है, प्रत्येक रोलर-दिन के लिए समेकित की जाने वाली किसी भी वस्तु की अधिकतम मात्रा भी खंड 34 (x) के अनुलम्बक के समान होगी। रोलर्स के कम उपयोग के लिए, कम रोलर दिनों के लिए निर्धारित निर्गम दर पर वसूली की जाएगी। In the case of concrete mixers, the contractors shall arrange to get the hopper cleaned and the drum washed at the close of the work each day or each occasion. (a) In case rollers for consolidation are employed by the contractor himself, log book for such rollers shall be maintained in the same manner as is done in case of departmental rollers, maximum quantity of any items to be consolidated for each roller-day shall also be same as in Annexure to Clause
--	--	--



		34(x). For less use of rollers, recovery for the less roller days shall be made at the stipulated issue rate. xii. ठेकेदार को प्लांट और मशीनरी को उसी स्थिति में वापस करने की जिम्मेदारी होगी, जिस स्थिति में उसे सौंपा गया था और वह कार्य स्थल पर या संचालन में या अन्यथा या पारगमन के दौरान उक्त प्लांट और मशीनरी को होने वाले सभी नुकसानों के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें भागों की क्षति या हानि शामिल है, और जिस कार्य के लिए इसे जारी किया गया था, उसके पूरा होने के तुरंत बाद इसे वापस न करने के कारण होने वाले सभी नुकसानों के लिए भी जिम्मेदार होगा। इस संबंध में ठेकेदार की देयता और इसकी सीमा निर्धारित करने के लिए प्रभारी अभियंता एकमात्र न्यायाधीश होगा और उसका निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। The contractor shall be responsible to return the plant and machinery in the condition in which it was handed over to him and he shall be responsible for all damage caused to the said plant and machinery at the site of work or elsewhere in operation or otherwise or during transit including damage to or loss of parts, and for all losses due to his failure to return the same soon after the completion of the work for which it was issued. The Engineer-in-charge shall be the sole judge to determine the liability of the contractor and its extent in this regard and his decision shall be final and binding on the contractor. xiii. ठेकेदार को उन दिनों के लिए किसी भी प्रकार के किराया प्रभार से छूट दी जाएगी, जितने दिनों के लिए उसे प्रभारी इंजीनियर द्वारा लिखित रूप से कार्य के निष्पादन को स्थगित करने के लिए कहा जाएगा, बशर्ते कि एआई का संयंत्र और मशीनरी, निलंबन के कारण, ठेकेदार के पास वास्तव में बेकार पड़ी हो। The contractor will be exempted from levy of any hire charges for the number of days he is called upon in writing by the Engineer-in-charge to suspend execution of the work, provided AAI's plant and machinery in question have, in fact, remained idle with the contractor because of the suspension. xiv. यदि ठेकेदार को एआई द्वारा जारी संयंत्र और मशीनरी की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि वह अनुसूची 'सी' में जारी करने के लिए निर्धारित नहीं है, तो वह इसे जारी करने के स्थान पर डिलीवरी लेने के बाद किसी भी समय दो दिन के लिखित नोटिस के बाद या बिना नोटिस के किसी भी समय वापस कर सकता है, यदि वह दो अतिरिक्त दिनों के लिए किराया प्रभार का भुगतान करने के लिए सहमत है, तो किसी भी तरह से प्रभारी अभियंता के अधिकार को प्रभावित किए बिना, दो दिनों की उक्त अवधि के दौरान संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करने के लिए, जिसमें किसी तीसरे पक्ष को किराए पर देना भी शामिल है। In the event of the contractor not requiring any item of plant and machinery issued by AAI though not stipulated for issue in Schedule 'C' any time after taking delivery at the place of issue, he may return it after two days written notice or at any time without notice if he agrees to pay hire charges for two additional days without, in any way, affecting the right of the Engineer-in-charge to use the said plant and machinery during the said period of two days as he likes including hiring out to a third party.
--	--	--

धारा 35

CLAUSE 35

डामर सामग्री के उपयोग से संबंधित शर्त Condition relating to use of asphaltic materials	i. ठेकेदार, प्रयुक्त तारकोल या बिटुमेन की आपूर्ति करने वाली फर्म द्वारा कार्य के पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने का दायित्व लेता है। ii. ठेकेदार पेंटिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले मानक सूत्र के अनुसार काम के लिए आवश्यक टार या बिटुमेन की कुल मात्रा एकत्र करेगा और उसे प्रभारी इंजीनियर के पास बंधक रखेगा। (यदि वास्तविक निष्पादन में सामग्री के कम उपयोग या विनिर्देशों में अधिकृत परिवर्तन और काम के हिस्से को छोड़ने के अलावा अन्य कारणों से काम पूरा होने पर कोई बिटुमेन या टार अप्रयुक्त रह जाता है, तो प्रभारी इंजीनियर द्वारा निर्धारित अप्रयुक्त सामग्री की लागत के बराबर कटौती की जाएगी और सामग्री ठेकेदारों को वापस कर दी जाएगी। यद्यपि सामग्री एआई के पास बंधक है, ठेकेदार उनकी उचित निगरानी, सुरक्षित अभिरक्षा और सभी जोखिमों से सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। लिखित रूप में प्रभारी इंजीनियर
---	--



		की सहमति के बिना सामग्री को कार्य स्थल से नहीं हटाया जाएगा। iii. ठेकेदार कार्य पूरा होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर पाए गए दोषों को सुधारने के लिए जिम्मेदार होगा और डामरीकरण कार्य से संबंधित सुरक्षा जमा का हिस्सा इस अवधि की समाप्ति के बाद वापस कर दिया जाएगा। i. The contractor undertakes to make arrangement for the supervision of the work by the firm supplying the tar or bitumen used. ii. The contractor shall collect the total quantity of tar or bitumen required for the work as per standard formula, before the process of painting is started and shall hypothecate it to the Engineer-in-Charge. If any bitumen or tar remains unused on completion of the work on account of lesser use of materials in actual execution or for reasons other than authorised changes of specifications and abandonment of portion of work, a corresponding deduction equivalent to the cost of unused materials as determined by the Engineer-in-Charge shall be made and the material return to the contractors. Although the materials are hypothecated to AAI, the contractor undertakes the responsibility for their proper watch, safe custody and protection against all risks. The materials shall not be removed from site of work without the consent of the Engineer-in-Charge in writing. iii. The contractor shall be responsible for rectifying defects noticed within a year from the date of completion of the work and the portion of the security deposit relating asphaltic work shall be refunded after the expiry of this period.
--	--	---

धारा 36

CLAUSE 36

	तकनीकी स्टाफ और कर्मचारियों का रोजगार Employment of Technical Staff and employees	ठेकेदार अधीक्षण, पर्यवेक्षण, तकनीकी स्टाफ और कर्मचारी i. ठेकेदार कार्य के निष्पादन के दौरान तथा उसके बाद भी सभी आवश्यक अधीक्षण उपलब्ध कराएगा, जो अनुबंध के तहत दायित्वों की उचित पूर्ति के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार निविदा की स्वीकृति का पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद और कार्य शुरू होने से पहले, कार्य के प्रभारी मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि और अन्य तकनीकी प्रतिनिधि जो कार्य की देखरेख करेंगे, के नाम, योग्यता, अनुभव, आयु, पता और अन्य विवरण प्रमाण पत्र के साथ प्रभारी इंजीनियर को लिखित रूप में सूचित करेगा। ऐसे तकनीकी प्रतिनिधियों की न्यूनतम आवश्यकता और उनकी योग्यता और अनुभव अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट से कम नहीं होगी। प्रभारी इंजीनियर ऐसे संचार की प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर ठेकेदार को ऐसे प्रतिनिधि (ओं) के अपने अनुमोदन या अन्यथा के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा। ऐसा कोई भी अनुमोदन किसी भी समय वापस लिया जा सकता है और ऐसे वापस लिए जाने की स्थिति में, ठेकेदार इस खंड के प्रावधानों के अनुसार एक अन्य ऐसे प्रतिनिधि (ओं) को नियुक्त करेगा। इस संबंध में निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। ऐसे प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि और अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (ओं) को प्रभारी इंजीनियर से अनुमोदन प्राप्त होने के तुरंत बाद ठेकेदार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और कार्य शुरू होने से पहले साइट पर उपलब्ध होगा। इस धारा के अन्तर्गत मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि पर लागू सभी प्रावधान अन्य तकनीकी प्रतिनिधियों पर भी लागू होंगे। मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि तथा अन्य तकनीकी प्रतिनिधि निर्माण कार्य के दौरान हर समय पर्यवेक्षण के लिए कार्य स्थल पर उपस्थित रहेंगे तथा प्रभारी इंजीनियर तथा/अथवा उसके नामित प्रतिनिधि को निर्देश लेने के लिए आवश्यकतानुसार उपस्थित रहेंगे। मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि या अन्य तकनीकी प्रतिनिधि को दिए गए निर्देश उसी प्रकार प्रभावी माने जाएंगे जैसे कि ठेकेदार को दिए गए हों। मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि तथा अन्य तकनीकी प्रतिनिधि कार्य निष्पादन के सभी चरणों के दौरान, जब भी प्रभारी इंजीनियर द्वारा अपेक्षित हो, कार्य के मापों की रिकॉर्डिंग/जांच/परीक्षण जांच के दौरान वास्तव में साइट पर पूरी तरह से उपलब्ध रहेंगे तथा प्रभारी इंजीनियर या उसके नामित प्रतिनिधि द्वारा दिए गए निर्देशों को साइट ऑर्डर बुक में भी नोट करेंगे तथा निर्देशों को नोट करने के प्रतीक के रूप में तथा मापों/जांच किए गए मापों/परीक्षण जांच किए गए मापों की स्वीकृति के प्रतीक के रूप में अपने हस्ताक्षर करेंगे। प्रतिनिधि किसी अन्य कार्य को नहीं देखेंगे। किसी भी प्रतिनिधि के दो दिन से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में, कार्य के प्रभारी इंजीनियर द्वारा पूर्वोक्त तरीके से अनुमोदित प्रतिस्थापन उपलब्ध कराया जाएगा। यदि प्रभारी इंजीनियर, जिसका निर्णय इस संबंध में अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी है, आश्वस्त है कि ऐसा कोई तकनीकी प्रतिनिधि प्रभावी रूप से नियुक्त नहीं है
--	--	--



		या इस खंड के प्रावधान को प्रभावी रूप से उपस्थित नहीं है या पूरा नहीं कर रहा है, तो ठेकेदार से अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट अनुसार वसूली (गैर-वापसी योग्य) की जाएगी और साइट ऑर्डर बुक में दर्ज प्रभारी इंजीनियर का निर्णय और मापन पुस्तकों में दर्ज जांच / परीक्षण जांच अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगी। इसके अलावा, यदि ठेकेदार उपयुक्त तकनीकी प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि और/या अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (यों) को नियुक्त करने में विफल रहता है और यदि ऐसे नियुक्त व्यक्ति प्रभावी रूप से उपस्थित नहीं होते हैं या बिना किसी अनुमोदित प्रतिस्थापन के दो दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहते हैं या अपनी जिम्मेदारी का संतोषजनक ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं, तो प्रभारी इंजीनियर के पास कार्य के निष्पादन को उस तिथि तक निलंबित करने की पूरी शक्ति होगी जब तक कि उपयुक्त अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (यों) की नियुक्ति नहीं हो जाती है और ठेकेदार को कार्य में हुई देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठेकेदार तकनीकी प्रतिनिधि (यों) के रोजगार का प्रमाण पत्र (फॉर्म-16 की प्रति या उसके द्वारा नियोजित इंजीनियर को जारी सीपीएफ कटौती के रूप में) प्रत्येक चालू खाता बिल/अंतिम बिल के साथ प्रस्तुत करेगा और यदि कभी भी प्रभारी इंजीनियर द्वारा ऐसा मांगे जाने पर साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। ii. ठेकेदार को साइट पर केवल ऐसे तकनीकी सहायकों को उपलब्ध कराना होगा और उन्हें काम पर रखना होगा जो अपने-अपने क्षेत्रों में कुशल और अनुभवी हों तथा ऐसे फोरमैन और पर्यवेक्षी कर्मचारी जो काम को उचित पर्यवेक्षण देने में सक्षम हों। ठेकेदार को काम के उचित और समय पर निष्पादन के लिए आवश्यक कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा और उन्हें काम पर रखना होगा। प्रभारी इंजीनियर को किसी ऐसे व्यक्ति को काम से हटाने के लिए आपत्ति करने और ठेकेदार को बाध्य करने की स्वतंत्रता होगी जो उसकी राय में खुद का गलत आचरण करता है, या अपने कर्तव्यों के निष्पादन में अक्षम या लापरवाह है या जिसका रोजगार प्रभारी इंजीनियर द्वारा अन्यथा अवांछनीय माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रभारी इंजीनियर की लिखित अनुमति के बिना काम की जगह पर फिर से काम पर नहीं रखा जाएगा और हटाए गए व्यक्तियों को जल्द से जल्द सक्षम प्रतिस्थापन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। iii. ठेकेदार प्रभारी इंजीनियर की स्वीकृति के बाद अपने इंजीनियर/पर्यवेक्षी कर्मचारियों को नहीं बदलेगा। यदि ठेकेदार अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अपने किसी कर्मचारी को बदलना चाहता है, तो उसे ऐसे परिवर्तन के कारणों, उसके द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक कर्मचारी की योग्यता और अनुभव का उल्लेख करते हुए प्रभारी इंजीनियर की अनुमति लेनी होगी। वैकल्पिक कर्मचारी की योग्यता और अनुभव पहले से नियुक्त व्यक्ति से कम नहीं होना चाहिए। Contractors Superintendence, Supervision, Technical staff & Employees i. The contractor shall provide all necessary superintendence during execution of the work and all along thereafter as may be necessary for proper fulfilling of the obligations under the contract. The Contractor shall immediately after receiving letter of acceptance of the tender and before commencement of the work, intimate in writing to the Engineer-in-Charge, the name (s), qualifications experience, age, address (s) and other particulars along with certificates, of the principal technical representative to be charge of the work and other technical representative (s) who will be supervising the work. Minimum requirement of such technical representative (s) and their qualifications and experience shall not be lower than specified in schedule 'F'. The Engineer-in-Charge shall within 3 days of receipt of such communication intimate in writing his approval or otherwise of such a representative (s) to the contractor. Any such approval may at any time be withdrawn and in case of such withdrawal, the contractor shall appoint another such representative (s) according to the provisions of this clause. Decision of the tender accepting authority shall be final and binding on the contractor in this respect. Such a principal technical representative and other technical representative (s) shall be appointed by the contractor soon after receipt of the approval from Engineer-in-charge and shall be available at site before start of work. All the provisions applicable to the principal technical representative under the clause will also be applicable to other technical representative(s). The
--	--	---



		principal technical representative and other technical representative (s) shall be present at the site of work for supervision at all times when any construction activity is in progress and also present himself/themselves, as required to the Engineer-in-Charge and / or his designated representative to take instructions. Instructions given to the principal technical representative or other technical representative (s) shall be deemed to have the same force as if these have been given to the contractor. The Principal Technical Representative and other technical representatives shall be actually available at site fully during all stages of execution work, during recording / checking / test checking of measurements of works whenever so required by the Engineer-in-Charge and shall also note down instructions conveyed by the Engineer-in-Charge or his designated representative (s) in the site order book and shall affix his/their signature in token of noting down the instructions and in token of acceptance of measurements / checked measurements / test checked measurements. The representative (s) shall not look after any other work. Substitutes, duly approved by engineer – in-Charge of the work in similar manner as aforesaid shall be provided in event of absence of any of the representative (s) by more than two days. If the Engineer-in-Charge, whose decision in this respect is final and binding on the contractor, is convinced that no such technical representative (s) is/are effectively appointed or is/are effectively attending or fulfilling the provision of this clause, a recovery (non-refundable) shall be effected from the contractor as specified in Schedule 'F' and the decision of the Engineer-in-Charge as recorded in the site order book and measurement recorded checked/test checked in Measurement Books shall be final and binding on the contractor. Further if the contractor fails to appoint suitable technical Principal technical representative and / or other technical representative (s) and if such appointed persons are not effectively present or are absent by more than two days without duly approved substitute or do not discharge their responsibility satisfactorily, the Engineer-in-Charge shall have full powers to suspend the execution of the work until such date as suitable other technical representative (s) is / are appointed and the contractor shall be held responsible for the delay so caused to the work. The contractor shall submit a certificate of employment of the technical representative (s) (in the form of copy of Form- 16 or CPF deduction issued to the Engineer employed by him) alongwith every running account bill / final bill and shall produce evidence if at any times so required by the Engineer-in-Charge. ii. The contractor shall provide and employ on the site only such technical assistants as are skilled, and experienced in their respective fields and such foremen and supervisory staff as are competent to give proper supervision to the work. The contractor shall provide and employ skilled, semi-skilled and unskilled labour as is necessary for proper and timely execution of the work. The Engineer-in-Charge shall be at liberty to object to and require the contractor to remove from the works any person who in his opinion misconducts himself, or is incompetent or negligent in the performance of his duties or whose employment is otherwise considered by the Engineer-in-Charge to be undesirable. Such person shall not be employed again at works site without the written permission of the Engineer-in-Charge and the persons so removed shall be replaced as soon as possible by competent substitutes. iii. The contractor shall not change his engineer/supervisory staff after approval of the Engineer-In-Charge. If Contractor wants to replace any of his staff due to unavoidable circumstances, he will seek permission of Engineer-In-
--	--	--



		Charge indicating reasons for such change, qualification and experience of the alternative employee suggested by him. The qualification and experience of the alternative staff shall not be inferior to the person employed earlier.
--	--	---

धारा 37

CLAUSE 37

	ठेकेदार द्वारा देय लेवी/कर/रॉयल्टी/भूमि लाइसेंस शुल्क	1. कर: (a) पार्टियों द्वारा उद्धृत की जाने वाली दरों में जीएसटी, किसी भी कानून के तहत लगाए गए सभी कर, शुल्क, उपकर, फीस, रॉयल्टी शुल्क आदि शामिल होने चाहिए। (b) एजेंसी द्वारा एआई को प्रदान की गई किसी भी कर योग्य आपूर्ति / सेवा / निर्माण के लिए ठेकेदार को अनुबंध की शर्तों के अनुसार वैध जीएसटी चालान के आधार पर भुगतान किया जाएगा। (c) यदि आपूर्ति/सेवाओं/कार्यों में आयात शामिल है; तो उसे अलग से पहचाना जाना चाहिए। मूल सीमा शुल्क और IGST का भुगतान AAI द्वारा भारत सरकार की भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS) के तहत EPCG लाइसेंस/ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का उपयोग करके सीधे किया जाएगा। 2. रॉयल्टी: (a) ठेकेदार को अपने खर्च पर एआई द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों के अलावा अन्य कार्यों के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध करानी होगी। ठेकेदार को इस मामले में स्थानीय प्राधिकरण से पत्थर, रेत, लाल बजरी, कंकड़ आदि के संग्रह के लिए रॉयल्टी जमा करनी होगी और आवश्यक परमिट प्राप्त करना होगा तथा इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाली केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी अधिसूचना का पालन करना होगा। ठेकेदार को अपने बिलों से स्थानीय राज्य प्राधिकरणों द्वारा एआई को प्रस्तावित वैधानिक करों/रॉयल्टी और जुर्माने में किसी भी अंतर की कटौती की अनुमति देने के लिए भी बाध्य किया जाता है, जब तक कि केंद्र/राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सभी मांगों का अंतिम रूप से निपटान नहीं हो जाता। (b) यह वनोपज पर भी लागू होगा। (c) यदि किसी कानून, अधिसूचना या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन कोई रॉयल्टी, उपकर या इसी प्रकार की कोई राशि एआई को देय हो जाती है और वह किसी भी समय ठेकेदार द्वारा कार्य में ठेकेदार द्वारा उपयोग की गई किसी सामग्री के संबंध में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारियों को देय नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में यह एआई के लिए वैध होगा और उसे ठेकेदार की बकाया राशि से पूर्वोक्त परिस्थितियों में भुगतान की गई राशि वसूलने का अधिकार होगा। 3. भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क (a) संयंत्रों, श्रमिक शिविरों, सीमेंट गोदाम, साइट कार्यालय, सामग्रियों के ढेर लगाने के उद्देश्य से कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदारों को आवंटित की गई भूमि/स्थान (पक्की/कच्ची/कवर-एसी या गैर-एसी), दोष दायित्व अवधि/रखरखाव अवधि तक मुफ्त में प्रदान की जाएगी। (b) ठेकेदार को 500/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से डीडी/बीजी के रूप में सुरक्षा जमा भी जमा करानी होगी। यदि ठेकेदार सुरक्षा जमा नहीं करता है तो उसे प्रथम चालू खाता बिल से काट लिया जाएगा। (c) ऐसी सुरक्षा जमा राशि केवल तभी जारी की जाएगी जब ठेकेदार द्वारा आवंटित भूमि को प्रभारी अभियंता की पूर्ण संतुष्टि के लिए पूरी तरह से खाली कर दिया गया हो। यदि ठेकेदार कार्य की दोष देयता अवधि/रखरखाव अवधि के बाद आवंटित भूमि/स्थान (पक्की/कच्ची/कवर-एसी/गैर-एसी) को खाली करने में विफल रहता है, तो उससे हवाई अड्डे के प्रचलित लाइसेंस शुल्क के अनुसार 25% जुर्माना वसूला जाएगा। 1. Taxes: (a) Rates to be quoted by the parties, should be inclusive of GST, all taxes, duties, CESS, fee, royalty charges etc. levied under any statute.
--	--	---



		(b) Payment shall be made to the contractor for any taxable supply / services / construction rendered by the agency to AAI, against a valid GST invoice as per terms and conditions of the contract. (c) In case supplies/ services/ works involve imports; the same should be indentified separately. Basic Custom Duty and IGST will be paid directly by AAI by utilizing EPCG license/ Duty Credit Scrip under Service Export from India Scheme (SEIS) of Govt. of India. 2. Royalty: (a) The contractor shall at his own expense, provide all materials required for the works other than those which are to be supplied by AAI. The contractor shall deposit royalty and obtain necessary permit for collection of stone, sand, red bajri, kankar etc. from the local authority in the matter and will abide by the notification issued by Central Govt. / State Government / Local State Authorities as applicable from time to time in this regard. The contractor is also bound to allow deduction from his bills any difference in statutory taxes/royalty and penalty proposed by Local State Authorities to AAI till finalization of settlement of all demands in this regard by Central / State Govt. (b) This will also be applicable to forest produce. (c) If pursuant to or under any law, notification or order any royalty, cess or the like becomes payable by the AAI and does not any time become payable by the contractor to the State Government. Local authorities in respect of any material used by the contractor in the works then in such a case, it shall be lawful to the AAI and it will have the right and be entitled to recover the amount paid in the circumstances as aforesaid from dues of the contractor. 3. License fee for land (a) Land/ space (Paved/ Unpaved/ Covered-AC or Non-AC), to extent allotted to contractors during execution of work for the purpose of installation of plants, labour camps, cement godown, site office, stacking of materials shall be provided at free of cost upto defect liability period/ mentainence period. (b) A security deposit at the rate of Rs 500/- per sqm in the form of DD/BG shall also be deposited by the contractor. In case contractor do not deposit security deposit same shall be deducted from Ist Running Account Bill. (c) Such security deposit shall be released only after allotted land has been fully vacated by the contractor to entire satisfaction of Engineer-in-Charge. If contractor fails to vacate the allotted land/ space (Paved/ Unpaved/ Covered-AC/ Non-AC) after Defect Liability Period/ Mentainence Period of the work shall be charged as per prevailing license fee of the airport plus 25% penalty over that.
--	--	--

धारा 38

निविदा प्राप्त होने के बाद लगाए गए शुल्क/करों की प्रतिपूर्ति की शर्तें Conditions for reimbursement of levy/taxes if levied after receipt of	1. पार्टियों द्वारा उद्धृत की जाने वाली दरों में जीएसटी, सभी कर, शुल्क, उपकर, फीस, रॉयल्टी शुल्क आदि शामिल होने चाहिए, जो निविदा प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि पर लागू किसी भी कानून के तहत लगाए गए हों, जिसमें विस्तार भी शामिल है। जीएसटी, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर या इनपुट पर लागू किसी भी कर, लेवी या उपकर की दर में किसी भी बदलाव के लिए कोई समायोजन यानी वृद्धि या कमी नहीं की जाएगी। हालांकि, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद सरकारी आदेश के अनुसार जीएसटी या भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर की दरों में परिवर्तन, जिसमें विस्तार भी शामिल है, या कार्य अनुबंध के आउटपुट पर लागू किसी अन्य कर, लेवी या उपकर को लागू करना या हटाना, वृद्धि या कमी दोनों में से किसी भी पक्ष में समायोजित
---	--



	tenders	किया जाएगा। आगे यह भी प्रावधान है कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर या किसी कर (जीएसटी के अलावा), लेवी या उपकर के लिए, जो निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद परिवर्तित या लगाया गया हो, जिसमें विस्तार भी शामिल है, यदि कोई हो, तो किसी भी वृद्धि की प्रतिपूर्ति ठेकेदार को तभी की जाएगी, जब ठेकेदार आवश्यक रूप से और उचित रूप से करों/लेवी/उपकर की ऐसी बढ़ी हुई राशि का भुगतान करेगा। आगे यह भी प्रावधान है कि जीएसटी सहित कर/उगाही/उपकर में ऐसी वृद्धि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी यदि यह अनुबंध की विस्तारित अवधि में की गई हो जिसके लिए अनुसूची एफ में खंड 5 के तहत समय विस्तार के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित देरी के लिए अकेले ठेकेदार जिम्मेदार है। 2. ठेकेदार को इस शर्त के प्रयोजन के लिए आवश्यक लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज रखने होंगे, जैसा कि आवश्यक हो सकता है तथा एएआई या प्रभारी इंजीनियर के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उनका निरीक्षण करने की अनुमति देनी होगी तथा इसके अतिरिक्त, ऐसी अन्य जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनकी समय-समय पर प्रभारी इंजीनियर को आवश्यकता हो। 3. ठेकेदार को किसी भी ऐसे अतिरिक्त कर, उगाही या उपकर के लगाए जाने के 30 दिन के भीतर प्रभारी इंजीनियर को लिखित में सूचना देनी होगी कि यह शर्त के अनुसार दिया गया है, साथ ही उसे उससे संबंधित सभी आवश्यक सूचना/दस्तावेज भी देने होंगे। 1. Rates to be quoted by the parties, should be inclusive of GST, all taxes, duties, CESS, fee, royalty charges etc. levied under any statute applicable on last stipulated date of receipt of tender including extension if any. No adjustment i.e. increase or decrease shall be made for any variation in the rate of GST, Building and Other Construction Workers Welfare Cess or any tax, levy or cess applicable on inputs. However, effect of variation, as per Govt. order after the last date of receipt of tender including extension if any, in rates of GST or Building and Other Construction Workers Welfare Cess or imposition or repeal of any other tax, levy or cess applicable on output of the works contract shall be adjusted on either side, increase or decrease. Provided further that for Building and Other Construction Workers Welfare Cess or any tax (other than GST), levy or cess varied or imposed after the last date of receipt of tender including extension if any, any increase shall be reimbursed to the contractor only if the contractor necessarily and properly pays such increased amount of taxes/levies/cess. Provided further that such increase in tax/levy/cess including GST shall not be reimbursed if made in the extended period of contract for which the contractor alone is responsible for delay as determined by authority for extension of time under Clause 5 in Schedule F. 2. The contractor shall keep necessary books of accounts and other documents for the purpose of this condition as may be necessary and shall allow inspection of the same by a duly authorised representative of AAI or the Engineer-in-Charge and further shall furnish such other information /document as the Engineer-in- Charge may require from time to time. 3. The contractor shall, within a period of 30 days of the imposition of any such further tax or levy or cess, give a written notice thereof to the Engineer-in-charge that the same is given pursuant to the condition, together with all necessary information/documents relating thereto.
--	----------------	--



धारा 39

CLAUSE 39

ठेकेदार की मृत्यु पर अनुबंध की समाप्ति Termination of contract on death of contractor	इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार की मृत्यु हो जाती है, तो एएआई की ओर से प्रभारी इंजीनियर के पास ठेकेदार को मुआवजा दिए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा। Without prejudice to any of the rights or remedies under this contract, if the contractor dies, the Engineer-in-charge on behalf of the AAI shall have the option of terminating the contract without compensation to the contractor.
--	--

धारा 40

CLAUSE 40

यदि रिश्तेदार एएआई में काम करता है तो ठेकेदार को निविदा देने की अनुमति नहीं होगी। If relative working in AAI then the contractor not allowed to tender.	ठेकेदार को एएआई में ऐसे कार्यों के लिए निविदा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें उसका नजदीकी रिश्तेदार कार्य सौंपने और उसे निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के रूप में तैनात हो। उसे उन व्यक्तियों के नाम भी बताने होंगे जो किसी भी क्षमता में उसके साथ काम कर रहे हैं या बाद में उसके द्वारा नियोजित किए गए हैं और जो एएआई के किसी भी अधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार हैं। ठेकेदार द्वारा इस शर्त का कोई भी उल्लंघन करने पर उसका अनुबंध किसी भी स्तर पर अस्वीकार किया जा सकता है। नोट: "निकटतम रिश्तेदार" से तात्पर्य पत्नी, पति, माता-पिता और दादा-दादी, बच्चे और पोते-पोतियां, भाई-बहन, चाचा-चाची और चचेरे भाई-बहन तथा उनके ससुराल वालों से है। The contractor shall not be permitted to tender for works in AAI wherein his near relative is posted as an Officer responsible for award and execution of work. He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or / are subsequently employed by him and who are near relatives to any officer of AAI. Any breach of this condition by the Contractor would render him, the contract liable to be rejected at any stage. NOTE: By the term "near relatives" is meant wife, husband, parents and grand parents, children and grand children, brothers and sisters, uncles, aunts and cousins and their corresponding in-laws.
--	--

धारा 41

CLAUSE 41

इंजीनियरिंग विभाग के किसी भी अधिकारी को सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर ठेकेदार के रूप में काम नहीं करना होगा No any officer in Department of Engineering to work as contractor within one year of retirement	एएआई के इंजीनियरिंग विभाग में इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कर्तव्यों में कार्यरत इंजीनियर या कोई भी अधिकारी एएआई की लिखित अनुमति के बिना एएआई सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए ठेकेदार या ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में काम नहीं करेगा। यह अनुबंध रद्द किया जा सकता है यदि ठेकेदार या उसके किसी भी कर्मचारी को किसी भी समय ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसने निविदा प्रस्तुत करने या ठेकेदार की सेवा में शामिल होने से पहले एएआई की पूर्वोक्त अनुमति प्राप्त नहीं की थी, जैसा भी मामला हो। Engineer or any officer employed in engineering or administrative duties in an engineering department of AAI shall not work as a contractor or employee of contractor for a period of one year after his retirement from AAI service without the prior permission of AAI in writing. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of AAI as aforesaid, before submission of the tender or engagement in the contractor's service, as the case may be.
--	---



CLAUSE 41(a)

	सत्यनिष्ठा संधि और स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर। Integrity Pact and Independent External Monitor.	प्रत्येक बोलीदाता/ठेकेदार के लिए सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करना (परिशिष्ट XVIII के अनुसार) अनिवार्य है, यदि अनुसूची-एफ में ऐसा प्रावधान है। सभी निविदाकर्ताओं को निविदा दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट XVIII के अनुसार एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी। एएआई ऐसे कार्यों/आपूर्तियों के लिए सत्यनिष्ठा संधि के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख के लिए स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर नियुक्त करेगा। इस उद्देश्य के लिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ सहमति से प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र बाह्य मॉनिटरों का एक पैनल गठित किया जाएगा। i. ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को सत्यनिष्ठा समझौते में निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करना होगा। a. इस खरीद/बोली प्रक्रिया में प्रत्येक बोलीदाता/ठेकेदार के लिए सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है; हस्ताक्षरित मूल समझौता बोली प्रबंधक के कार्यालय में भेजा जाना चाहिए तथा एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख से पहले पहुंच जाना चाहिए। b. बोलीदाता/ठेकेदार को अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या किसी पूर्व-अनुबंध या अनुबंध-पश्चात चरण के दौरान, सत्यनिष्ठा संधि की धारा 3 में निर्दिष्ट अनुसार भ्रष्ट आचरण, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। c. बोलीदाता या उसके द्वारा नियुक्त या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति (बोलीदाता की जानकारी में या उसके बिना) द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का कोई उल्लंघन किए जाने पर प्राधिकरण को सत्यनिष्ठा संधि की धारा 6 में निर्दिष्ट सभी या कोई एक कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाएगा। ii. यदि उपर्युक्त आचरण का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो एएआई निम्नलिखित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। (a) यदि ठेकेदार बोली प्रक्रिया के दौरान सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं और दायित्वों का उल्लंघन करता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा उसकी बयाना राशि/बोली सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी। (b) अनुबंध दिए जाने के बाद सत्यनिष्ठा समझौते के उल्लंघन की स्थिति में, प्राधिकरण अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा तथा वह ठेकेदार से अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर या सुरक्षा जमा या निष्पादन बैंक गारंटी के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, की क्षतिपूर्ति मांगने और वसूलने का हकदार होगा। (c) प्राधिकरण ठेकेदार के विरुद्ध उचित कार्यवाही शुरू कर सकता है। (d) ठेकेदार को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। (e) यदि कोई ठेकेदार, जिसके विरुद्ध पहले भी उसकी प्रतिबद्धताओं और दायित्वों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई है, पुनः उल्लंघन करता है, तो प्राधिकरण ऐसे ठेकेदार को भविष्य में निविदा/अनुबंध प्रक्रियाओं के लिए, यदि वह उचित समझे, तो उस अवधि के लिए प्रतिबंधित करने का हकदार है। (f) यदि प्राधिकरण स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर की सिफारिशों/सुझावों के साथ प्रस्तुत उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है कि मामले में कोई उचित संदेह मौजूद नहीं है, तो उल्लंघन हुआ माना जाता है। iii. आईपी पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति आईईएम के समक्ष मामले का प्रतिनिधित्व करते समय न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाएगा तथा वह मामले में उनके निर्णय की प्रतीक्षा करेगा। Signing of Integrity Pact (As per Appendix XVIII) is mandatory for every bidder/contractor if provided so in Schedule F. All tenderers shall have to submit an undertaking as per Appendix XVIII along with tender documents. AAI shall appoint Independent External Monitor(s) to oversee effective implementation of Integrity Pact for such works/supplies. For this purpose, a panel of Independent External Monitors shall be constituted by the Authority in concurrence with Central Vigilance Commission (CVC). i. The Contractor/Supplier shall have to act in accordance with the conditions laid down in the integrity pact.
--	--	---



		a. Signing of Integrity Pact is mandatory for every Bidder/Contractor in this procurement/bid process the signed original pact to be send to the office of Bid Manager and should reach before the due date mentioned in NIT. b. The Bidder/contractor shall commit itself to ensure taking all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage as specified in section 3 of the integrity pact. c. Any breach of the aforesaid provisions by the Bidder or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the Bidder) shall entitle the authority to take all or any one of the action as specified in section 6 of the integrity pact. ii. In case any violation of above conduct is established, AAI reserves right to take following actions. (a) If contractor commits a violation of its commitments and obligations under the Integrity Pact Program during bidding process, he shall be liable for disqualification from tender process and forfeiture of his Earnest Money Deposit/ Bid Security. (b) In case of violation of the Integrity Pact after award of the contract, Authority is entitled to terminate the contract and shall be entitled to demand and recover from the contractor damages equivalent to 5% of the contract value or the amount equivalent to Security Deposit or Performance Bank Guarantee, whichever is higher. (c) Authority may initiate appropriate proceedings against the contractor. (d) Contractor will be liable to pay damages as determined by the Authority. (e) Contractor against whom an action for violation of its commitments and obligations has been taken earlier, again commits a violation, the Authority is entitled to debar such contractor for future tender/ contract processes for a period as deemed fit. (f) A violation is considered to have occurred if the Authority is fully satisfied with the available documents and evidence submitted along-with Independent External Monitor's recommendations / suggestions that no reasonable doubt exist in the matter. iii. Person signing IP shall not approach the Courts while representing the matters to IEMs and he / she will await their decision in the matter.
--	--	--



धारा 41 (बी)

CLAUSE 41 (b)

सत्यनिष्ठा संहिता Code of Integrity	एएआई का कोई भी अधिकारी या बोलीदाता संहिता के उल्लंघन में कार्य नहीं करेगा, जिसमें शामिल हैं: (i) का निषेध (a) खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने या अन्यथा खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के बदले में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, रिश्वत, इनाम या उपहार या कोई भौतिक लाभ की पेशकश, आग्रह या स्वीकृति करना। (b) कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके या किसी दायित्व से बचा जा सके। (c) कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित कर सकता है। (d) खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने या व्यक्तिगत लाभ के इरादे से खरीद करने वाली संस्था द्वारा बोली लगाने वाले को प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग करना। (e) बोलीदाता और क्रयकर्ता इकाई के किसी अधिकारी के बीच निविदा या अनुबंध की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित कोई वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन; जो क्रयकर्ता इकाई के निर्णय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। (f) खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई दबाव या धमकी। (g) किसी खरीद प्रक्रिया की जांच या लेखा परीक्षा में बाधा डालना। (h) निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध हासिल करने के लिए झूठी घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना; (ii) हितों के टकराव का खुलासा। (iii) बोलीदाता द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी देश में किसी भी इकाई के साथ उप-खंड (i) के प्रावधानों के संबंध में किया गए किसी भी पिछले उल्लंघन या किसी अन्य खरीद इकाई द्वारा निषिद्ध किए जाने का खुलासा। No official of AAI or a bidder shall act in contravention of the codes which includes (i) prohibition of (a) making offer, solicitation or acceptance of bribe, reward or gift or any material benefit, either directly or indirectly, in exchange for an unfair advantage in the procurement process or to otherwise influence the procurement process. (b) any omission, or misrepresentation that may mislead or attempt to mislead so that financial or other benefit may be obtained or an obligation avoided. (c) any collusion, bid rigging or anticompetitive behavior that may impair the transparency, fairness and the progress of the procurement process. (d) improper use of information provided by the procuring entity to the bidder with an intent to gain unfair advantage in the procurement process or for personal gain. (e) any financial or business transactions between the bidder
--	--



		and any official of the procuring entity related to tender or execution process of contract; which can affect the decision of the procuring entity directly or indirectly. (f) any coercion or any threat to impair or harm, directly or indirectly, any party or its property to influence the procurement process. (g) obstruction of any investigation or auditing of a procurement process. (h) making false declaration or providing false information for participation in a tender process or to secure a contract; (ii) disclosure of conflict of interest. (iii) Disclosure by the bidder of any previous transgressions made in respect of the provisions of sub-clause (i) with any entity in any country during the last three years or of being debarred by any other procuring entity.
--	--	--

खण्ड 42

सामग्री की वापसी और जारी की गई अतिरिक्त सामग्री की वसूली। Return of material and recovery for excess material issued.	i. कार्य पूरा होने के बाद और किसी भी मध्यवर्ती चरण में जारी की गई, खपत की गई और संतुलन में सामग्री का समाधान न होने की स्थिति में - (खंड 10 देखें), कार्य में उपयोग के लिए एएआई द्वारा जारी की गई सामग्रियों की सैद्धांतिक मात्रा की गणना नीचे दिए गए आधार और विधि पर की जाएगी; a. सीमेंट और बिटुमेन की मात्रा की गणना कार्य के विभिन्न मदों के लिए आवश्यक सीमेंट और बिटुमेन की मात्रा के आधार पर की जाएगी जैसा कि अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित दरों की अनुसूची में दर्शाया गया है। यदि कोई ऐसा मद निष्पादित किया जाता है जिसके लिए सीमेंट या बिटुमेन की खपत के लिए मानक गुणांक उपर्युक्त अनुसूची/विवरण में उपलब्ध नहीं हैं या उनसे प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो इसकी गणना प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित मानक सूत्र के आधार पर की जाएगी। b. इसका सुदृढीकरण या संशोधन के लिए खण्डों की सैद्धांतिक मात्रा, डिजाइन के अनुसार आवश्यक मात्रा या प्रभारी इंजीनियर द्वारा अधिकृत मात्रा के रूप में ली जाएगी, जिसमें अधिकृत लैपेज, कुर्सियां आदि शामिल हैं, साथ ही टुकड़ों में काटने के कारण 3% अपव्यय भी शामिल है, ऐसी सैद्धांतिक मात्रा का निर्धारण किया जाएगा और व्यास-वार, खण्ड-वार और श्रेणी-वार अलग-अलग वास्तविक मुद्दों के साथ तुलना की जाएगी। c. जीआई और सीआई या अन्य पाइपों, नलिकाओं, तारों और केबलों, पिग लीड और जीआई/एमएस शीटों की सैद्धांतिक मात्रा को वास्तव में आवश्यक मात्रा के रूप में लिया जाएगा और टुकड़ों में काटने के कारण होने वाली बर्बादी के लिए 5% अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे (जीआई/एमएस शीटों के मामले को छोड़कर यह 10% होगा), ऐसा निर्धारण और तुलना व्यास और श्रेणी के अनुसार की जाएगी। d. वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी अन्य सामग्री के लिए। iii. इस प्रकार संगणित सामग्रियों की सैद्धांतिक मात्राओं में अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट अनुसार परिवर्तन की अनुमति होगी। ठेकेदार को वास्तव में जारी की गई सामग्रियों की शुद्ध मात्राओं और ऐसे अधिकृत परिवर्तन सहित सैद्धांतिक मात्राओं के बीच का अंतर, यदि ठेकेदार द्वारा वापस नहीं किया जाता है या यदि इस आशय का लिखित नोटिस जारी करने के पंद्रह दिनों के भीतर प्रभारी इंजीनियर की संतुष्टि के लिए पूरी तरह से समाधान नहीं किया जाता है, तो अनुबंध को नियंत्रित करने वाली सामग्रियों की वापसी के संबंध में प्रासंगिक शर्तों के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट दरों पर वसूल किया जाएगा।
---	--



		सामग्री की सैद्धांतिक मात्राओं के संबंध में प्रभारी इंजीनियर का निर्णय, जिसका उपयोग दरों की मात्रा के अनुसूची के अनुलग्नक के अनुसार वास्तव में किया जाना चाहिए था और अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट दरों पर वसूली अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगी। गैर अनुसूचित वस्तुओं के लिए, सामग्री की सैद्धांतिक मात्राओं के संबंध में प्रभारी इंजीनियर का निर्णय, जिसका वास्तव में उपयोग किया जाना चाहिए था, अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। (a) इस खंड के अंतर्गत की गई कार्रवाई, निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार कार्य न करने पर अनुबंध की किसी अन्य शर्त के अंतर्गत ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के एएआई के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। (b) ठेकेदार द्वारा साइट पर कार्य के मद में उपयोग के लिए लाई गई सामग्रियों के लिए, समान सैद्धांतिक खपत तैयार की जाएगी और सत्यापन के लिए प्रभारी इंजीनियर को प्रस्तुत की जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि कार्य में खपत की गई सामग्री अनुमेय माइनस भिन्नता को ध्यान में रखने के बाद सैद्धांतिक खपत से कम है, तो संबंधित सामग्री के लिए वसूली धारा 42 के तहत अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी। i. After completion of the work and also at any intermediate stage in the event of non-reconciliation of materials issued, consumed and in balance – (see Clause 10), Theoretical quantity of materials issued by the AAI for use in the work shall be calculated on the basis and method given hereunder; a. Quantity of cement & bitumen shall be calculated on the basis of quantity of cement & bitumen required for different items of work as shown in the Schedule of Rates mentioned in Schedule 'F'. In case any item is executed for which standard co-efficients for the consumption of cement or bitumen are not available in the above mentioned schedule / statement or cannot be derived from the same shall be calculated on the basis of standard formula to be laid down by the Engineer-in-Charge. b. Theoretical quantity of steel reinforcement or structural steel sections shall be taken as the quantity required as per design or as authorised by Engineer-in- Charge, including authorised lappages, chairs etc. plus 3% wastage due to cutting into pieces, such theoretical quantity being determined and compared with the actual issues each diameter-wise, section wise and category wise separately. c. Theoretical quantity of G.I. & C.I. or other pipes, conduits, wires and cables pig lead and G.I. / M.S. sheets shall be taken as quantity actually required and measures plus 5% for wastage due to cutting into pieces (except in the case of G.I./M.S. sheets it shall be 10%), such determination & comparison being made diameter wise & categorywise. d. For any other material as per actual requirements. iii. Over the theoretical quantities of materials so computed a variation shall be allowed as specified in Schedule 'F'. The difference in the net quantities of material actually issued to the contractor and the theoretical quantities including such authorised variation, if not returned by the contractor or if not fully reconciled to the satisfaction of the Engineer-in-Charge within fifteen days of the issue of written notice by the Engineer-in-Charge to this effect shall be recovered at the rates specified in Schedule 'F', without prejudice to the provision of the relevant conditions regarding return of materials governing the contract. Decision of Engineer-in-Charge in regard to theoretical quantities of materials, which should have been actually used as per the Annexure of the standard schedule of rates and recovery at rates specified in Schedule 'F' shall be final and binding on the contractor. For non scheduled items, the decision of the Engineer – in - charge regarding theoretical quantities of materials which should
--	--	--



		have been actually used, shall be final and binding on the contractor. (a) The said action under this clause is without prejudice to the right of the AAI to take action against the contractor under any other conditions of contract for not doing the work according to the prescribed specifications. (b) For materials brought by the contractor for use in item of work at site, similar theoretical consumption shall be prepared and submitted to the Engineer-in-Charge for verification. If it is found that material consumed in the work is less than the theoretical consumption after taking into account permissible minus variation, the recovery for corresponding material shall be effected as per rates specified in schedule 'F' under Clause 42.
--	--	---

धारा 43

CLAUSE 43

युद्ध जैसी स्थिति / आतंकवादी कृत्य के दौरान मुआवजा Compensation during war like situations / act of terrorism	कार्य (चाहे पूर्णतः निर्मित हो या न हो) तथा सभी सामग्रियां, मशीनें, उपकरण तथा संयंत्र, मचान, अस्थायी भवन तथा उससे संबंधित अन्य चीजें तब तक ठेकेदार के जोखिम पर रहेंगी जब तक कि कार्य प्रभारी इंजीनियर को नहीं सौंप दिया जाता है तथा उससे इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है। कार्य में शामिल किए जाने के लिए साइट पर उचित रूप से लाए गए कार्य या किसी सामग्री के शत्रुता या युद्ध जैसी कार्रवाई या आतंकवादी कृत्य के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने की स्थिति में, जब प्रभारी इंजीनियर द्वारा साइट से कोई मलबा हटाने के लिए (लिखित में) आदेश दिया जाता है, तो ठेकेदार क्षतिग्रस्त कार्य से बचाई गई सभी उपयोगी सामग्रियों को एकत्रित करेगा तथा उचित रूप से ढेर लगाएगा या स्टोर में रखेगा तथा साइट को मलबे से साफ करने, उपयोगी सामग्रियों को ढेर लगाने या हटाने तथा प्रभारी इंजीनियर द्वारा आदेशित सभी कार्यों के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए इस करार के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध दरों पर भुगतान किया जाएगा, ऐसे भुगतान क्षतिग्रस्त या नष्ट होने तथा भुगतान न किए जाने से पहले किए गए मूल कार्य के मूल्य तक मुआवजे के अतिरिक्त होंगे। ऐसे कार्यों के मामले में जो क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं, लेकिन जिनका मापन और भुगतान पहले से नहीं किया गया है, 5,000/- रुपये तक का मुआवजा प्रभारी इंजीनियर द्वारा निर्धारित किया जाएगा और अधिक राशि के लिए संबंधित कार्यकारी निदेशक इंजीनियरिंग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठेकेदार को अनुबंध के प्रावधान के अनुसार निविदा दरों के विश्लेषण के आधार पर हुई क्षति/विनाश और सामग्री की बहाली के लिए भुगतान किया जाएगा। सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा तथा जिस उद्देश्य के लिए उन्हें एकत्र किया गया था, उसके बारे में प्रभारी इंजीनियर का प्रमाण पत्र अंतिम होगा और इस अनुबंध के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। बशर्ते कि शत्रुता या युद्ध जैसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा (क) जब तक कि ठेकेदार ने हवाई हमले के खिलाफ ऐसी सभी सावधानियां नहीं बरती हों, जैसा कि एआरपी अधिकारियों या प्रभारी इंजीनियर द्वारा आवश्यक समझा जाए (ख) किसी भी सामग्री आदि के लिए जो कार्य स्थल पर नहीं है या किसी भी उपकरण संयंत्र, मशीनरी, मचान, अस्थायी भवन और अन्य चीजों के लिए जो कार्य के लिए अभिप्रेत नहीं हैं। यदि ठेकेदार को पूर्वोक्त अनुसार पुनर्निर्माण कार्य करना पड़ता है तो उसे इसके पूरा होने के लिए समय का ऐसा विस्तार दिया जाएगा जैसा कि प्रभारी इंजीनियर द्वारा उचित समझा जाए। The work (whether fully constructed or not) and all materials, machines, tools and plants scaffolding, temporary buildings and other things connected therewith shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Engineer-in-Charge and a certificate from him to that effect obtained. In the event of the work or any materials properly brought to the site for incorporation in the work being damaged or destroyed in consequence of hostilities or warlike operation or act of terrorism, the contractor shall when ordered (in writing) by the Engineer-in-Charge to remove any debris from the site, collect and properly stack or remove in store all serviceable materials salvaged from the damaged work and shall be paid at the contract rates in accordance with the provision of this agreement for the work of clearing the site of debris, stacking or removal of serviceable material and for reconstruction of all works ordered by the Engineer-in-Charge, such payments being in addition to compensation upto the value of the work original executed before being damaged or destroyed and not paid for.
--	---



		In case of works damaged or destroyed but not already measured and paid for, the compensation shall be assessed by the Engineer-in charge upto Rs.5,000/- and by the Executive Director Engg. concerned for a higher amount. The contractor shall be paid for the damages / destruction suffered and for restoring the material at the rate based on analysis of rates tendered for in accordance with the provision of the contract. The certificate of the Engineer-in- Charge regarding the quality and quantity of materials and the purpose for which they were collected shall be final and binding on all parties to this contract. Provided always that no compensation shall be payable for any loss in consequence of hostilities or warlike operation (a) unless the contractor had taken all such precautions against air raid as are deemed necessary by the A.R.P. Officers or the Engineer-in- Charge (b) for any material etc. not on the site of the work or for any tools plant, machinery, scaffolding, temporary building and other things not intended for the work. In the event of the contractor having to carry out reconstruction as aforesaid, he shall be allowed such extension of time for its completion as is considered reasonable by the Engineer – in - charge.
--	--	---

धारा 44

CLAUSE 44

	प्रशिक्षु अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा Apprentices Act provisions to be complied with	ठेकेदार को प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा समय-समय पर उसके अंतर्गत जारी नियमों और आदेशों का पालन करना होगा। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसकी विफलता अनुबंध का उल्लंघन मानी जाएगी तथा कार्यकारी निदेशक अभियांत्रिकी/महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी) अपने विवेकानुसार अनुबंध को रद्द कर सकते हैं। ठेकेदार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के किसी उल्लंघन के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तीय देनदारी के लिए भी उत्तरदायी होगा। The contractor shall comply with the provisions of the Apprentices Act, 1961 and the rules and orders issued thereunder from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of the contract and the Executive Director Engg. / General Manager (Engg.) may, in his discretion, cancel the contract. The contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.
--	--	---

धारा 45

CLAUSE 45

	श्रम मंजूरी के बाद सुरक्षा जमा राशि जारी करना Release of security deposit after labour clearance	यदि भुगतान की नियत तिथि तक श्रम अधिकारी से कोई श्रमिक शिकायत प्राप्त नहीं होती है तो कार्य की सुरक्षा जमा राशि वापस कर दी जाएगी। यदि इस अवधि के दौरान कोई श्रमिक शिकायत प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता ठेकेदार को इस संबंध में नोटिस जारी करने के बाद, उसकी सुरक्षा जमा राशि से शिकायत के निपटारे के लिए आवश्यक राशि रोक लेगा और शेष राशि वापस कर देगा। The Security Deposit of the work shall be refunded if no labour complaint has been received from the labour officer till the due date of its payment. If a labour complaint is received during this period, the Engineer-in-Charge shall, after issue of notice in this regard to the contractor, withhold the amount required to settle the complaint from his security deposit and refund the balance amount.
--	--	---

धारा 46

CLAUSE 46

	ठेकेदार का दायित्व और कार्यों का बीमा Contractor's Liability and Insurance of Works	i. कार्य के आरम्भ से लेकर पूर्ण होने तक, ठेकेदार इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा तथा हानि या क्षति को रोकने के लिए तथा यथासंभव हानि या क्षति को न्यूनतम करने के लिए सावधानी बरतेगा तथा कार्य या उसके किसी भाग तथा सभी एंगल के टी एंड पी को किसी भी कारण से होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए उत्तरदायी होगा (अपवादित जोखिमों को छोड़कर) तथा अपने स्वयं के खर्च पर उसकी मरम्मत कराएगा तथा उसे ठीक करेगा ताकि पूर्ण होने पर कार्य तथा एएआई के सभी टी एंड पी अच्छी स्थिति में हों तथा हर प्रकार से संविदा की अपेक्षाओं तथा प्रभारी इंजीनियर के अनुदेशों के अनुरूप हों।
--	---	---



		From commencement to completion of the Works, the Contractor shall take full responsibility for the case thereof and for taking precautions to prevent loss or damage and to minimize loss or damage to the greatest extent possible and shall be liable for any damage or loss that may happen to the Works or any part thereof and all AA I's T & P from any cause whatsoever (save and except the Excepted Risks) and shall at his own cost repair and make good the same so that at completion, the Works and all AAI's T & P shall be in good order and condition and in conformity in every respect with the requirements of the Contract and instructions of the Engineer-in-Charge. ii. किसी भी अपवादित जोखिम के कारण कार्य या उसके किसी भाग या किसी टी एंड पी, साइट पर किसी भी सामग्री या लेख को किसी प्रकार की हानि या क्षति होने की स्थिति में निम्नलिखित प्रावधान प्रभावी होंगे: a. जैसा कि प्रभारी इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में निर्देश दिया गया हो, ठेकेदार को साइट से किसी भी मलबे और क्षतिग्रस्त कार्यों को हटाना होगा, तथा निर्देश दिए गए अनुसार एएआई के टी एंड पी, लेख और/या सामग्री को एएआई के स्टोर में ले जाना होगा; b. ठेकेदार, प्रभारी इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में दिए गए निर्देशानुसार, अनुबंध के प्रावधानों और शर्तों के अनुसार कार्यों के निर्माण और समापन के लिए आगे बढ़ेगा; और In the event of any loss or damage to the Works or any Part thereof or to any T & P, to any material or articles at the Site from any of the Excepted Risks the following provisions shall have effect: a. The Contractor shall, as may be directed in writing by the Engineer-in-Charge, remove from the Site any debris and so much of the works as shall have been damaged, taking to AAI's store such AAI's T & P, articles and/or materials as may be directed; b. The contractor shall, as may be directed in writing by the Engineer-in-Charge, proceed with the erection and completion of the Works under and in accordance with the provisions and Conditions of the Contract; and iii. बशर्ते कि ठेकेदार उपरोक्त प्रावधानों के तहत किसी भी नुकसान या क्षति के संबंध में भुगतान का हकदार नहीं होगा, जो अनुबंध के तहत अपने दायित्व को पूरा करने में उसकी ओर से किसी भी विफलता या नुकसान या क्षति को रोकने या ऐसे नुकसान या क्षति की राशि को कम करने के लिए सावधानी नहीं बरतने के कारण हुआ हो। Provided always that the Contractor shall not be entitled to payment under the above provisions in respect of so much loss or damage as has been occasioned by any failure on his part to perform his obligation under the Contract or not taking precautions to prevent loss or damage or minimize the amount of such loss or damage. iv. अनुबंध की सामान्य शर्तों के अन्य खंडों के तहत अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों को सीमित किए बिना, ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर, एएआई और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर, किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाले सभी नुकसानों या क्षतियों के खिलाफ बीमा करेगा (स्वीकृत जोखिमों के अलावा) जिसके लिए वह अनुबंध की शर्तों के तहत जिम्मेदार है और इस तरह से कि एएआई और ठेकेदार कार्यों के निर्माण की अवधि के दौरान कवर किए जाते हैं और ठेकेदार द्वारा उनके द्वारा किए गए किसी भी संचालन के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए इसके दोष दायित्व खंड के अपने दायित्वों का पालन करने के उद्देश्य से कवर किया जाता है; a. अस्थायी कार्यों सहित सभी कार्य समय-समय पर पूर्ण मूल्य पर निष्पादित किए जाएंगे। b. ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री और उपकरण पूर्ण मूल्य पर साइट पर लाए गए। Without limiting its obligations and responsibilities under other clauses of General Conditions of Contracts ,the contractor at his own cost shall insure ,in the joint name of AAI and the contractor, against all losses or damages from whatever cause, arising (other than the accepted risks)for which he is responsible under the terms of the contract and in such manner that the AAI and the contractor are covered during the period of construction of works
--	--	--



		and any loss or damage occasioned by the contractor in the course of any operation carried out by them for the purpose of complying with its obligations of defects liability clause hereof; c. All works including temporary works to their full value executed from time to time. d. The construction materials and equipments to their full value brought on to the site by the contractor. v. ठेकेदार किसी भी व्यक्ति या किसी भी संपत्ति को होने वाली चोट या क्षति के लिए सभी नुकसानों और दावों के खिलाफ एएआई को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति प्रदान करता रहेगा, जो कार्यों के निर्माण और रखरखाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं और इसके संबंध में सभी दावों, मांग कार्यवाही, क्षति लागत, शुल्क और व्यय के खिलाफ भी क्षतिपूर्ति करेगा। The Contractor shall indemnify and keep indemnified AAI against all losses and claims for injuries or damage to any persons or any property whatsoever which may arise out of or in consequence of the construction and maintenance of Works and against all claims, demands proceedings, damage costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto. vi. कार्य का निष्पादन आरंभ करने से पहले, ठेकेदार को, इस शर्त के तहत अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों को किसी भी तरह से सीमित किए बिना, किसी भी एएआई संपत्ति को होने वाली किसी भी क्षति, हानि या चोट के खिलाफ अपनी स्वयं की लागत पर बीमा कराना होगा, या अनुबंध के कार्यान्वयन के कारण होने वाली असीमित घटनाओं (एएआई के किसी भी कर्मचारी सहित) के साथ कम से कम 1.00 लाख रुपये की न्यूनतम राशि का बीमा कराना होगा। Before commencing execution of the work, the Contractor shall, without in any way limiting his obligations and responsibilities under this condition, insure at his own cost against any damage, loss or injury which may occur to any AAI property, or to any person for at least the minimum amount of Rs. 1.00 lakh with unlimited number of occurrences (including any employee of AAI) by or arising out of carrying out of the Contract. vii. ठेकेदार हर समय भुगतान या मजदूरी अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, नियोजता दायित्व अधिनियम, 1938, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 या इसके किसी संशोधन या इससे संबंधित किसी अन्य कानून और समय-समय पर इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत सभी दावों, क्षतियों या मुआवजे के खिलाफ एएआई को क्षतिपूर्ति करेगा या निर्माण कार्य में या उसके आसपास किसी भी कामगार या अन्य व्यक्तियों को, चाहे वे ठेकेदार के रोजगार में हों या नहीं, उसके एजेंटों या कर्मचारियों को किसी दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप, और ऐसी दुर्घटना या चोट से उत्पन्न किसी भी मुकदमे, कार्यवाही या कार्यवाही की सभी लागतों, प्रभावों और खर्चों के खिलाफ और सभी राशि या राशियों के खिलाफ जो ठेकेदार की सहमति से किसी भी दावे से समझौता या समझौता करने के लिए भुगतान की जा सकती हैं। ऊपर दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपने दायित्वों और देयताओं को सीमित किए बिना, ठेकेदार को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 या उसके किसी संशोधन या इससे संबंधित किसी अन्य कानून के तहत देय सभी दावों, क्षतियों या मुआवजे के विरुद्ध बीमा कराना होगा। The contractor shall at all times indemnify AAI against all claims, damages or compensation under the provisions of Payment or Wages Act, 1936, Minimum Wages Act, 1948, Employer's Liability Act, 1938, the Workmen's Compensation Act, 1923, Industrial Disputes Act, 1947 and the Maternity Benefit Act, 1961 or any modifications thereof or any other law relating thereto and rules made there under from time to time or as a consequence of any accident or injury to any workman or other persons in or about the Works, whether in the employment of the Contractor or not, his agents or servants, and also against all costs, charges and expenses of any suit, action or proceedings arising out of such accident or injury and against all sum or sums which may with the consent of the Contractor be paid to compromise or compound any claim. Without limiting his obligations and
--	--	--



		liabilities as above provided, the Contractor shall insure against all claims, damages or compensation payable under the Workmen's Compensation Act, 1923 or any modification thereof or any other law relating thereto. viii. उपर्युक्त सभी बीमा भारतीय साधारण बीमा कंपनी की किसी सहायक कंपनी अथवा भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कंपनी द्वारा किए जाएंगे। All insurance mentioned above shall be effected with any subsidiary of the General Insurance Company of India or by a company approved by the Insurance Regulatory Authority of India. ix. उपरोक्त बीमा पॉलिसी/पॉलिसियों में यह प्रावधान होगा कि उन्हें तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रभारी इंजीनियर लिखित रूप में उनके रद्दीकरण के लिए सहमत न हो जाए। The aforesaid insurance policy / policies shall provide that they shall not be cancelled till the Engineer-in-Charge has agreed to their cancellation in writing. x. ठेकेदार को समय-समय पर प्रभारी इंजीनियर के समक्ष यह साबित करना होगा कि उसने ऊपर उल्लिखित सभी बीमा पॉलिसियाँ ले ली हैं और दोष दायित्व अवधि की समाप्ति तक पॉलिसियों को चालू रखने के लिए आवश्यक प्रीमियम का भुगतान कर दिया है। ऐसी पॉलिसियों की एक स्व-प्रमाणित प्रति प्रभारी इंजीनियर को प्रस्तुत करना आवश्यक है। The Contractor shall prove to the Engineer-in-Charge from time to time that he has taken out all the insurance policies referred to above and has paid the necessary premiums for keeping the policies alive till expiry of the Defects Liability Period. A self-certified copy of such policies are required to be submitted to the Engineer-in-charge. xi. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके उपठेकेदारों (यदि कोई हो) द्वारा भी इसी प्रकार की बीमा पॉलिसियाँ ली जाएँ और उसके संबंध में पर्याप्त बीमा सुरक्षा प्राप्त करने में उनकी विफलता के परिणामस्वरूप एएआई को होने वाले किसी भी दावे या नुकसान के लिए वह उत्तरदायी होगा। जब भी प्रभारी अभियंता द्वारा अपेक्षित हो, ठेकेदार को अपने उपठेकेदार (यदि कोई हो) द्वारा प्रासंगिक पॉलिसी या पॉलिसियाँ और प्रीमियम रसीदें प्रस्तुत करनी होंगी या प्रस्तुत करवानी होंगी। ऐसी पॉलिसियों की एक स्व-प्रमाणित प्रति प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करना आवश्यक है। The Contractor shall ensure that similar insurance policies are taken out by his subcontractors (if any) and shall be responsible for any claims or losses to AAI resulting from their failure to obtain adequate insurance protection in connection thereof. The contractor shall produce or cause to be produced by his subcontractor (if any) as the case may be, the relevant policy or policies and premiums receipts as and when required by the Engineer-in-Charge. A self-certified copy of such policies are required to be submitted to the Engineer-in-charge. xii. यदि ठेकेदार और/या उसका उपठेकेदार (यदि कोई हो) ऊपर उल्लिखित बीमा या कोई अन्य बीमा, जिसे उसे/उन्हें अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत कराना अपेक्षित हो, कराने और उसे लागू रखने में असफल रहता है, तो ऐसी किसी भी स्थिति में एएआई, बाध्य हुए बिना, ऐसा कोई बीमा करा सकता है और उसे लागू रख सकता है तथा उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रीमियम या प्रीमियमों का भुगतान कर सकता है और समय-समय पर एएआई द्वारा भुगतान की गई राशि को ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि में से काट सकता है या उसे ठेकेदार से देय ऋण के रूप में वसूल कर सकता है। If the Contractor and/or his subcontractor (if any) shall fail to effect and keep in force the insurance referred to above or any other insurance which he/they may be required to effect under the terms of the Contract then and in any such case AAI may, without being bound to, effect and keep in force any such insurance and pay such premium or premiums as may be necessary for that purpose and from time to time deduct the amount so paid by AAI from any moneys due or which may become due to the Contractor or recover
--	--	--



		the same as a debt due from the Contractor. xiii. यदि ठेकेदार संपूर्ण निविदा मूल्य के साथ-साथ तृतीय पक्ष देयता (निविदा मूल्य का अधिकतम 10% या भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण के अनुसार लागू) के लिए एआई और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर ठेकेदार समस्त जोखिम (सीएआर) पॉलिसी लेता है, तो उप-ठेकेदारों द्वारा अलग से बीमा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, मुख्य ठेकेदार और उप ठेकेदार को अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों के लिए अलग-अलग श्रमिक मुआवजा नीति अपनानी होगी। In case contractor takes Contractor All Risk (CAR) Policy in joint name of AAI and Contractor for full tendered value alongwith third party liability (max of 10% of tendered value or as applicable as per Insurance Regulatory Authority of India) then there is no requirement for taking separate insurance by sub contractors. However, workmen compensation policy is required to be taken separately by main contractor and sub contractor for workers employed by them.
--	--	---

धारा 47

CLAUSE 47

समग्र अनुबंध और मुख्य एजेंसी की जिम्मेदारियां Composite Contract and responsibilities of main agency	i. निविदाएं सिविल निर्माण और अन्य संबंधित विशेष कार्यों से युक्त समग्र कार्य के लिए आमंत्रित की गई हैं। पूर्व-योग्यता मानदंड प्रत्येक कार्य के उपशीर्षक के लिए स्वतंत्र रूप से लागू होंगे। मुख्य कार्य के लिए पीक्यू मानदंड को पूरा करने वाली एजेंसी को समग्र कार्य के निष्पादन के लिए विचार किया जाएगा। हालाँकि एजेंसी को केवल उन विशेष उपशीर्षकों को निष्पादित करने की अनुमति दी जाएगी जिनके लिए बोलीदाता व्यक्तिगत रूप से पीक्यू मानदंड को पूरा करता है। ii. मुख्य ठेकेदार को केवल उन्हीं कार्यों (एक या अधिक उपशीर्षकों के अंतर्गत आने वाले) को निष्पादित करने की अनुमति होगी, जिनके लिए वह पूर्व-योग्यता की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें पीक्यू मानदंडों में निर्दिष्ट वित्तीय, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय आवश्यकता भी शामिल है। iii. मुख्य ठेकेदार विभिन्न उपशीर्षकों के अंतर्गत विशेषीकृत कार्यों के निष्पादन के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों को संबद्ध करेगा, जिसके लिए वह स्वयं पीक्यू मानदंड को पूरा करने में विफल रहा है। ऐसे मामलों में वह एआईटी अनुमोदन प्राधिकारी की स्वीकृति से प्रत्येक विशेषीकृत कार्य के निष्पादन के लिए अपने सहयोगी को नियुक्त करेगा। मुख्य ठेकेदार विभाग की स्वीकृति के लिए केवल उन एजेंसियों के नाम सूचित करेगा जो प्रत्येक विशेषीकृत कार्य के लिए पीक्यू मानदंडों को पूरी तरह से पूरा करती हैं। iv. मुख्य ठेकेदार को कार्य निष्पादन के दौरान अपनी सहयोगी एजेंसियों को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि एजेंसी का परिवर्तन अपरिहार्य है तो एजेंसी परिवर्तन के लिए पूर्ण औचित्य देते हुए प्रभारी अभियंता को लिखित रूप में अनुरोध प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव में वैकल्पिक एजेंसी का नाम, उसकी वित्तीय, तकनीकी क्षमताएं और उचित क्षेत्र में कार्य अनुभव शामिल होना चाहिए। ऐसा परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा। i. The tenders have been called for composite work consisting of civil construction and other associated specialized works. The pre-qualification criteria shall be applicable for each subhead of work independently. The agency meeting PQ criteria for the main work shall be considered for execution of composite work. However the agency shall be allowed to execute only those specialized subheads of works for which bidder meets PQ criteria individually. ii. The main contractor shall be permitted to execute only those works (covered under one or more subhead) for which he meets all requirements of pre-qualification including financial, technical and technological requirement specified in the PQ criteria. iii. Main contractor will associate expert agencies for the execution of specialized works under various subheads for which he himself has failed to meet PQ criteria. In such case he will appoint his associate for the execution of each specialized work with the approval of the NIT approving authority. The main contractor shall intimate the names of only those agencies who fully meet the PQ criteria for each specialized work for the acceptance of the
---	---



		department. iv. Main contractor shall not be permitted to change their associate agencies in the course of execution of work. If change of agency is inevitable then a request shall be submitted to the engineer-in-charge in writing giving full justification for change of agency. The proposal should include name of the alternate agency along with his financial, technical capabilities and work experience in the appropriate field. Such change shall be allowed only after receiving approval from the competent authority.
समग्र अनुबंध-त्रिपक्षीय समझौता Composite contract-Tripartite agreement	यह खंड उन कार्यों के लिए लागू है जिनके लिए निविदा में रखी गई अनुमानित लागत 500.00 करोड़ रुपये से अधिक है। i. मुख्य ठेकेदार कार्य आदेश प्राप्त होने पर विभिन्न उपशीर्षों में शामिल सभी कार्यों के लिए विशेष एजेंसियों के साथ अपनी दै, नियम व शर्तें तथा कार्य निष्पादन का तरीका अंतिम रूप देगा, लेकिन विनिर्देश, सामग्री के पसंदीदा ब्रांड तथा प्रणाली का प्रदर्शन निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुसार ही रहेगा। ii. मुख्य ठेकेदार को प्रभारी इंजीनियर से कार्य आदेश प्राप्त होने पर सभी उपशीर्षों के लिए विभाग, मुख्य ठेकेदार और संबद्ध एजेंसियों के बीच एक समझौते की व्यवस्था करनी होगी। मुख्य ठेकेदार और विशेषज्ञ एजेंसी कार्य की गुणवत्ता और प्रणाली के प्रदर्शन के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। iii. मुख्य ठेकेदार को प्रत्येक विशेषीकृत कार्य के लिए निर्धारित पूर्णता अवधि के 1/12^{वें} भाग के भीतर या कार्य आदेश जारी होने के एक महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, संबद्ध एजेंसी की सूची वित्तीय सुदृढ़ता, तकनीकी क्षमताओं और समान विशिष्टीकृत कार्यों को निष्पादित करने के लिए उनके अनुभव के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ संबद्ध एजेंसी के नाम की स्वीकृति के लिए अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी। संबद्ध एजेंसी के नाम के लिए स्वीकृति/अस्वीकृति उसके बाद एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक उपशीर्षक के अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर दी जाएगी। iv. मुख्य ठेकेदार को एआईटी द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप पर विधिवत हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता निर्धारित पूर्णता अवधि के 2/12^{वें} भाग या 60 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, विभाग की स्वीकृति और हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करना होगा। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए समय का विस्तार आम तौर पर अनुमति नहीं दी जाएगी। हस्ताक्षर करने का समय केवल तभी बढ़ाया जाएगा जब ठेकेदार के नियंत्रण से परे कारणों से साइट सौंपने में देरी हो। This clause is applicable for the works for which the estimated cost put to tender is more than Rs.500.00 crores. i. The main contractor shall finalise his rates, terms and conditions and mode of execution of work with specialised agencies for all works covered in various subhead of works on receipt of work order but specifications, preferred makes of materials and performance of system shall remain as specified in tender document. ii. The main contractor shall arrange an agreement between department, main contractor and associated agencies for all subheads on receipt of work order from the engineer-in-charge. Main contractor and expert agency shall be jointly responsible for quality of work and performance of the system. iii. Main contractor shall submit list of associated agency for each specialized work within 1/12th of stipulated completion period or within one month from issue of work order whichever is later along with documentary evidence for financial soundness, technical capabilities and their experience for executing similar specialized works along with his application seeking acceptance for the name of associated agency. Approval / rejection for the name of associated agency shall be accorded thereafter by NIT approving authority within a period of 15 days each subhead wise. The main contractor shall submit duly signed tripartite agreement on the format provided by AAI within 2/12th of stipulated completion period or 60 days whichever is later for acceptance and signature of department. The extension of time for signing of this agreement shall not be generally permitted. The signing time shall only be extended if handing over of site is delayed due to reasons beyond control of the contractor.	
समग्र अनुबंध की शर्तें	i. मुख्य ठेकेदार बयाना राशि जमा कराने के लिए जिम्मेदार होगा।	



Conditions of composite contract	ii. मोबिलाइजेशन एडवांस का भुगतान मुख्य ठेकेदार को अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार किया जाएगा और खंड 10 बी के तहत इंगित किया जाएगा। मोबिलाइजेशन एडवांस की पहली किस्त मुख्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य के मूल्य के अनुरूप होगी। प्रत्येक उपशीर्षक में शामिल कार्य के मूल्य के अनुरूप बाद के मोबिलाइजेशन एडवांस को उसी के लिए विशेषज्ञ एजेंसी के साथ प्रत्येक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने पर जारी किया जाएगा। iii. सम्पूर्ण बयाना राशि के समायोजन के पश्चात सुरक्षा जमा राशि मुख्य ठेकेदार के चालू बिलों से काट ली जाएगी। iv. एनआईटी में दर्शाए गए समय-सारिणी के अनुसार कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्य ठेकेदार की होगी। देरी के लिए मुआवजा मुख्य ठेकेदार को ही देना होगा। v. एआई या उसके प्रतिनिधि द्वारा बुलाई गई समन्वय बैठकों में आवश्यकतानुसार संबंधित विशेषज्ञ एजेंसियों को भाग लेना होगा। विशेषज्ञ एजेंसी तकनीकी सुदृढ़ता, कार्य की गुणवत्ता और निविदा विनिर्देशों के पालन के लिए जिम्मेदार होगी। मुख्य ठेकेदार के साथ-साथ संबंधित एजेंसी विशेष कार्य में देखी गई कमियों को सुधारने के लिए जिम्मेदार होगी। i. Main contractor shall be responsible for submission of earnest money. ii. The mobilization advance shall be paid to main contractor as per terms and conditions of contract and indicated under Clause 10 B. The first instalment of mobilization advance shall be corresponding to the value of work which shall be executed by the main contractor. The subsequent mobilization advances corresponding to value of work covered in each subhead shall be released on signing of each Tripartite Agreement with expert agency for the same. iii. The security deposit shall be deducted from the running bills of main contractor after adjustment of full earnest money. iv. Main contractor shall be responsible for completion of work as per time schedule indicated in the NIT. The compensation for the delay shall be levied on the main contractor only. v. The coordination meetings called by AAI or it's representative shall be attended by associated expert agencies as and when required. Expert agency shall be responsible for technical soundness, quality of work and adherence to tender specifications. The main contractor as well as associated agency shall be responsible for rectification of deficiencies noticed in specialized work.
समग्र अनुबंध के लिए भुगतान की शर्तें Payment Conditions for Composite Contract	i. एनआईटी के सभी उपशीर्षकों के अंतर्गत आने वाले कार्यों के निष्पादन के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों को अंतिम रूप देना तथा एनआईटी की आवश्यकता के अनुसार त्रिपक्षीय समझौतों पर शीघ्र हस्ताक्षर करवाना मुख्य ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। मुख्य ठेकेदार को दूसरे चालू बिल तथा उसके बाद के बिलों के अंतर्गत आने वाले कार्यों के मूल्य का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते। ii. मुख्य ठेकेदार को कार्य का वह अनुपात भरना होगा जो अनुसूची एफ में कार्य के प्रत्येक उपशीर्ष के लिए विशेषज्ञ एजेंसी और मुख्य ठेकेदार को सीधे भुगतान के अनुपात को नियंत्रित करेगा। यह अनुपात त्रिपक्षीय समझौते में भी दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक विशेषज्ञ एजेंसी को सीधे भुगतान को शुद्ध भुगतान (सभी कटौतियों के बाद) से उसी अनुपात में जारी किया जाएगा। iii. विशेषीकृत कार्य के लिए चालू बिल अनुबंध की शर्तों के अनुसार संसाधित किया जाएगा। अधूरे कार्य या किसी अन्य कारण से सुरक्षा जमा, आयकर और आंशिक दर जैसी सभी कटौती प्रत्येक चालू बिल से अनुबंध की शर्तों के अनुसार की जाएगी। यदि मुख्य ठेकेदार द्वारा (ii) के तहत वांछित अनुपात नहीं भरा जाता है, तो एआई सीधे विशेषज्ञ एजेंसी को शुद्ध देय राशि का 75% भुगतान करेगा और शेष 25% मुख्य ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा। i. It will be the responsibility of main contractor to finalize expert agencies for the execution of works covered under all subheads of NIT and get the tripartite agreements signed as per NIT requirement at an early date. The main contractor shall not be paid for value of work covered under second running bill & subsequent bills till all Tripartite Agreements are signed by all agencies concerned. ii. The main contractor must fill the ratio of work which shall govern the ratio of direct payment to the expert agency and to the main contractor for each subhead of work in schedule F. This ratio may also be indicated in tripartite agreement. Thus direct payment to each expert agency shall be released in the



		same ratio from the net payment (after all deductions). iii. The running bill for specialized work shall be processed as per terms and conditions of the contract. All deductions like security deposit, income tax and part rate for incomplete work or due to any other reason shall be made as per contract conditions from each running bill. In case the ratio as desired under (ii) is not filled by the main contractor AAI will make payment of 75% of the net payable amount to the expert agency directly and balance 25% shall be paid to the main contractor.
--	--	---

धारा 48

CLAUSE 48

एस्क्रो खाता Escrow Account	i. 500 करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए सभी भुगतान केवल ठेकेदार द्वारा खोले गए एस्क्रो खाते के माध्यम से किए जाएंगे। हालांकि 500 करोड़ रुपये से कम लागत वाले कार्यों के लिए, एस्क्रो खाते का विकल्प चुनना या न चुनना तकनीकी स्वीकृति प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा। एस्क्रो खाते के लिए बैंक शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। एस्क्रो खाते की विस्तृत शर्तें संबद्ध बैंक के परामर्श से तैयार की जाएंगी। ii. संसाधनों को जुटाने और संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद के लिए मोबिलाइजेशन एडवांस को अनुबंध की शर्तों के अनुसार बैंक हस्तांतरण के माध्यम से इस अनुबंध के लिए खोले गए एस्क्रो खाते में सीधे जमा किया जाएगा। एजेंसी मोबिलाइजेशन एडवांस की प्रत्येक किस्त का 25% (या टीएस प्राधिकरण द्वारा तय किया गया) साइट ऑफिस के निर्माण, कार्यालय उपकरणों की खरीद और अन्य छोटे-मोटे कार्यों जैसे छोटे-मोटे खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग करने में सक्षम होगी, जबकि शेष 75% निधि की रिहाई विभाग द्वारा विनियमित की जाएगी। ठेकेदार को बैंक द्वारा एस्क्रो खाते के माध्यम से आपूर्तिकर्ता आदि को भुगतान जारी करने के लिए प्रभारी अभियंता की पूर्व सहमति लेनी होगी। ठेकेदार द्वारा जारी किए गए चेक के विरुद्ध धनराशि प्रभारी अभियंता से लिखित सहमति प्राप्त होने पर बैंक द्वारा जारी की जाएगी। iii. प्रत्येक आरए बिल के विरुद्ध प्राप्त और जमा किए गए भुगतान का 25% ठेकेदार द्वारा वेतन, स्टेशनरी, कार्यालय व्यय आदि जैसे छोटे खर्चों के लिए सीधे उपयोग किया जा सकता है। शेष 75% के लिए ठेकेदार द्वारा भुगतान जारी करने के लिए एएआई नियंत्रण का प्रयोग करेगा। iv. ठेकेदार को एएआई द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के उपयोग के लिए प्रभारी अभियंता/प्राधिकरण को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा (प्रत्येक आरए बिल के विरुद्ध 75%) - उस एजेंसी का नाम जिसके लिए भुगतान जारी करने का प्रस्ताव है। - जिस एजेंसी को वह भुगतान जारी करना चाहता है, उसके द्वारा निष्पादित कार्य/आपूर्ति की गई सामग्री का ब्यौरा। - यदि कोई अग्रिम भुगतान किया जाता है, तो उसे केवल परियोजना के लिए सामग्री की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता को जारी किया जाना है। - आपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य। v. प्रभारी इंजीनियर अधिकतम तीन कार्य दिवसों के भीतर एजेंसी के अनुरोध के अनुसार ऐसे भुगतानों की पूरी/आंशिक जांच और अनुमोदन करेगा। एस्क्रो खाते की शर्तें और नियम अनुबंध की शर्तों के अनुसार बैंक के साथ अंतिम रूप से तय किए जाएंगे। बैंक ऐसे चेक के विरुद्ध भुगतान केवल एएआई के अधिकृत अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त होने के बाद ही जारी करेगा। vi. ठेकेदार को कार्य/परियोजना के लिए अंतिम भुगतान प्राप्त होने पर या एएआई द्वारा कार्य को बंद करने के लिए पत्र प्राप्त होने पर एस्क्रो खाता बंद करने की अनुमति होगी। इस एस्क्रो खाते के विरुद्ध सभी शेष राशि और देयताएं ठेकेदार के निपटान में छोड़ दी जाएंगी।
---------------------------------------	---



		i. All payments for the works estimated cost more than Rs.500 Cr shall be made only through Escrow Account opened by the contractor. However for works costing less than Rs.500 Cr., it shall be at the discretion of Technical Sanctioning authority to opt for Escrow account or not. The bank charges for Escrow Account shall be borne by contractor. The detailed conditions of Escrow Account shall be drawn in consultation with associated bank. ii. Mobilization advance for mobilisation of resources and purchase of plant & machinery shall be credited directly to the escrow account opened for this contract through bank transfer as per terms and condition of contract. The agency shall be able to utilise 25% (or as decided by TS authority) of each instalment of mobilisation advance to meet minor expenses like construction of site office, purchase of office equipment and other minor works, while release of balance 75% fund shall be regulated by the department. The contractor shall seek prior concurrence of Engineer-in Charge for release of payment to the supplier etc. through Escrow Account by the Bank. Funds against cheque issued by contractor shall be released by Bank on receipt of written consent from Engineer-in Charge. iii. Payment received and credited against each RA Bill, can be utilised 25% directly by the contractor for minor expenses like salary, stationary, office expenses etc. AAI shall exercise control for release of payment by contractor for balance 75%. iv. The Contractor shall submit his proposal to the Engineer-in-Charge/Authority for utilisation of funds made available by AAI (75% against each RA bill) e. Name of agency for whom payment is proposed to be released. f. Details of work executed/material supplied by agency to whom he intends to release payment. g. Nature of advance payment if any, has to be released to the supplier for supply of material for the project only. h. Documentary evidence in support of his claim. v. Engineer –in-charge will examine and approve full/part of such payments as per agency's request within maximum of three working days. The terms and condition of Escrow Account shall be finalised with bank according to terms and conditions of contract. Bank shall release payment against such cheques only after written consent of authorised officer of AAI is received. vi. Contractor shall be permitted to close Escrow Account on receipt of final payment for the work/project or on receipt of letter for foreclosure of work by the AAI. All balances and liabilities against this Escrow Account shall be left at the disposal of the contractor.
--	--	--

नोट : हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में कहीं भी अंतर या अस्पष्टता होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

Note : In case of difference or ambiguity in Hindi and English version anywhere, the English version will prevail.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सुरक्षा कोड

SAFETY CODE

1. सभी कार्यों के लिए कामगारों के लिए उपयुक्त मंचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जो जमीन से या ठोस निर्माण से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं, सिवाय ऐसे अल्पावधि कार्यों के जो सीढ़ियों से सुरक्षित रूप से किए जा सकते हैं। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर लगाया जाएगा और यदि सीढ़ी का उपयोग सामग्री ढोने के लिए भी किया जाता है, तो सीढ़ी पर उपयुक्त पैर रखने और हाथ पकड़ने की जगह उपलब्ध कराई जाएगी और सीढ़ी को $\frac{1}{4}$ से 1 ($\frac{1}{4}$ क्षैतिज और 1 ऊर्ध्वाधर) से अधिक ढलान नहीं दिया जाएगा।

Suitable Scaffolds should be provided for workmen for all works that cannot safely be done from the ground, or from solid construction except such short period work as can be done safely from ladders. When a ladder is used, an extra mazdoor shall be engaged for holding the ladder and if the ladder is used for carrying materials as well suitable footholds and hand-hold shall be provided on the ladder and the ladder shall be given an inclination not steeper than $\frac{1}{4}$ to 1 ($\frac{1}{4}$ horizontal and 1 vertical).

2. जमीन या फर्श से 3.6 मीटर (12 फीट) से अधिक ऊंचाई पर स्थित मंचान, जो ओवरहेड सपोर्ट से लटका हुआ हो या स्थिर सपोर्ट के साथ खड़ा किया गया हो, उसमें एक गार्ड रेलिंग ठीक से लगी हुई या बोल्ट लगी हुई, ब्रेस्ड और अन्यथा सुरक्षित होनी चाहिए जो मंचान के फर्श या प्लेटफॉर्म से कम से कम 90 सेमी (3 फीट) ऊंची हो और बाहरी हिस्से और उसके सिरों की पूरी लंबाई के साथ फैली हुई हो और केवल उतना ही खुला होना चाहिए जितना सामग्री की डिलीवरी के लिए आवश्यक हो। ऐसी मंचान या मंचान को इस तरह से बांधा जाना चाहिए कि वह इमारत या संरचना से हिलने से बच जाए।

Scaffolding of staging more than 3.6m (12ft.) above the ground or floor, swung or suspended from an overhead support or erected with stationary support shall have a guard rail properly attached or bolted, braced and otherwise secured at least 90 cm. (3ft.) high above the floor or platform of such scaffolding on staging and extending along the entire length of the outside and ends thereof with only such opening as may be necessary for the delivery of materials. Such scaffolding or staging shall be so fastened as to prevent it from swaying from the building or structure.

3. कार्य प्लेटफॉर्म, गैंगवे और सीढ़ियों का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे तिरछे या असमान न हों, और यदि प्लेटफॉर्म या गैंगवे या सीढ़ी की ऊंचाई जमीन या फर्श के स्तर से 3.6 मीटर (12 फीट) से अधिक है, तो उन्हें बारीकी से बोर्ड किया जाना चाहिए, पर्याप्त चौड़ाई होनी चाहिए और उन्हें उपयुक्त रूप से बांधा जाना चाहिए जैसा कि ऊपर (2) में वर्णित है।

Working platforms, gangways and stairways should be so constructed that they should not sag unduly or unequally, and if the height of the platform or the gangway or the stairway is more than 3.6m (12ft.) above ground level or floor level, they should be closely boarded, should have adequate width and should be suitably fastened as described in (2) above.

4. भवन के फर्श या कार्य मंच के प्रत्येक खुले स्थान पर उपयुक्त बाड़ या रेलिंग लगाकर व्यक्ति या सामग्री के गिरने से बचाव के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनकी न्यूनतम ऊंचाई 90 सेमी. (3 फीट) होगी।

Every opening in the floor of a building or in a working platform shall be provided with suitable means to prevent the fall of person or materials by providing suitable fencing or railing whose minimum height shall be 90 cm. (3ft.)

5. सभी कार्य मंचों और अन्य कार्य स्थलों तक पहुँचने के लिए सुरक्षित साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। प्रत्येक सीढ़ी को सुरक्षित रूप से लगाया जाना चाहिए। कोई भी पोर्टेबल एकल सीढ़ी 9 मीटर (30 फीट) से अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए, जबकि सीढ़ी के किनारों के बीच की चौड़ाई 3 मीटर (10 फीट) तक की लंबाई के लिए 29 सेमी ($11 \frac{1}{2}$ ") से कम नहीं होनी चाहिए। लंबी सीढ़ियों के लिए, इस चौड़ाई को प्रत्येक



अतिरिक्त 30 सेमी (1 फुट) लंबाई के लिए कम से कम $\frac{1}{4}$ " बढ़ाया जाना चाहिए। 30 सेमी से अधिक नहीं की एक समान सीढ़ी दूरी रखी जानी चाहिए। बिजली के उपकरणों से होने वाले खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए। किसी भी साइट या कार्य पर कोई भी सामग्री इस तरह से नहीं रखी जानी चाहिए जिससे किसी व्यक्ति या जनता को खतरा या असुविधा हो। ठेकेदार जनता को दुर्घटना से बचाने के लिए सभी आवश्यक बाड़ और रोशनी की व्यवस्था करेगा तथा उपरोक्त सावधानियों की उपेक्षा के कारण किसी व्यक्ति को लगी चोट के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा लाए जाने वाले प्रत्येक मुकदमे, कार्रवाई या अन्य कानूनी कार्यवाही के बचाव का खर्च वहन करने के लिए बाध्य होगा तथा किसी भी ऐसे मुकदमे, कार्रवाई या कार्यवाही में दिए जाने वाले किसी भी नुकसान और लागत का भुगतान किसी भी ऐसे व्यक्ति को करने के लिए बाध्य होगा, जिस पर ठेकेदार की सहमति से, ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी दावे की भरपाई के लिए भुगतान किया जा सकता है।

Safe means of access shall be provided to all working platforms and other working places. Every ladder shall be securely fixed. No portable single ladder shall be over 9m. (30ft.) in length while the width between side rails in rung ladder shall in no case be less than 29 cm. (11 $\frac{1}{2}$ ") for ladder upto and including 3m. (10ft.) in length. For long ladders, this width should be increased at least $\frac{1}{4}$ " for each Additional Performance Guarantee 30cm. (1 foot) of length. Uniform step spacing of not more than 30cm shall be kept. Adequate precautions shall be taken to prevent danger from electrical equipment. No materials on any of the site or work shall be so stacked or placed as to cause danger or inconvenience to any person or the public. The contractor shall provide all necessary fencing and lights to protect the public from accident and shall be bound to bear the expenses of defence of every suit, action or other proceedings at law that may be brought by any person for injury sustained owing to neglect of the above precautions and to pay any damages and cost which may be awarded in any such suit, action or proceedings to any such person on which may, with the consent of the contractor, be paid to compensate any claim by any such person.

6. a. **खुदाई और खाई खोदना** - 1.2 मीटर (4 फीट) या उससे अधिक गहराई वाली सभी खाइयों में, हर समय 30 मीटर (100 फीट) लंबाई या उसके अंश के लिए कम से कम एक सीढ़ी लगाई जाएगी। सीढ़ी खाई के तल से जमीन की सतह से कम से कम 90 सेमी (3 फीट) ऊपर तक फैली होगी। खाई के किनारे जो 1.5 मीटर (5 फीट) या उससे अधिक गहराई वाले हैं, उन्हें उपयुक्त ढलान देने के लिए पीछे की ओर ले जाया जाएगा या लकड़ी के ब्रेसिंग द्वारा सुरक्षित रूप से रखा जाएगा, ताकि किनारों के गिरने के खतरे से बचा जा सके। खुदाई की गई सामग्री खाई के किनारों से 1.5 मीटर (5 फीट) या खाई की आधी गहराई के भीतर नहीं रखी जाएगी, जो भी अधिक हो। कटाई ऊपर से नीचे की ओर की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में, अंडरमाइनिंग या अंडरकटिंग नहीं की जाएगी।

a. Excavation and Trenching – All trenches 1.2 m. (4ft.) or more in depth, shall at all times be supplied with at least one ladder for each 30m. (100ft.) in length or fraction thereof, Ladder shall extend from bottom of the Trench to at least 90cm (3fts) above the surface of the ground. The side of the trenches which are 1.5 m. (5 ft.) or more in depth shall be stepped back to give suitable slope or securely held by timber bracing, so as to avoid the danger of sides collapsing. The excavated material shall not be placed within 1.5 m. (5 ft.) of the edges of the trench or half of the depth of the trench whichever is more. Cutting shall be done from top to bottom. Under no circumstances, undermining or undercutting shall be done.

b. बोर होल खोदने के लिए सुरक्षा उपाय :-

- i. यदि बोरवेल सफल है, तो बोरवेल को सुरक्षित रूप से ढक दिया जाना चाहिए ताकि बोरवेल के ढहने और ढहने से बचा जा सके। असफल और छोड़े गए बोरवेल को ढहने और ढहने से बचाने के लिए पूरी तरह से फिर से भर दिया जाना चाहिए;
- ii. ड्रिलिंग के दौरान, साइट के पास ड्रिलिंग ठेकेदार और कार्य के प्रभारी इंजीनियर के पते के साथ साइन बोर्ड लगाए जाने चाहिए;
- iii. ड्रिलिंग के दौरान कुएं के चारों ओर उपयुक्त बाड़ लगाई जानी चाहिए और ड्रिलिंग बिंदु पर रिग की स्थापना के बाद, लोगों/पशुओं के प्रवेश से बचने के लिए ड्रिलिंग बिंदु के चारों ओर 50 मीटर की दूरी पर झंडे लगाए जाएंगे;
- iv. बोरवेल की ड्रिलिंग के बाद, कुएं के आवरण के चारों ओर जमीन से 0.60 मीटर ऊपर और जमीन से 0.60 मीटर नीचे एक सीमेंट प्लेटफॉर्म (0.50 मीटर x 0.50 मीटर x 1.20 मीटर) का निर्माण किया जाना चाहिए;
- v. बोरवेल का काम पूरा होने के बाद ठेकेदार को स्टील प्लेट वेल्डिंग करके बोरवेल को ठीक से ढक देना चाहिए, बोरवेल को ड्रिल की गई गीली मिट्टी से ढक देना चाहिए और मिट्टी के ऊपर कांटेदार झाड़ियाँ लगा देनी चाहिए। पंप की मरम्मत करते समय भी ऐसा करना चाहिए;



- vi. बोरवेल खोदने के बाद पूरे स्थल को भूतल पर लाया जाना चाहिए;

. Safety Measures for digging bore holes : -

- i. If the bore well is successful, it should be safely capped to avoid caving and collapse of the bore well. The failed and the abandoned ones should be completely refilled to avoid caving and collapse;
- ii. During drilling, Sign boards should be erected near the site with the address of the drilling contractor and the Engineer-in-charge of the work;
- iii. Suitable fencing should be erected around the well during the drilling and after the installation of the rig on the point of drilling, flags shall be put 50 Mtr all around the point of drilling to avoid entry of people/animals;
- iv. After drilling the bore well, a cement platform (0.50 Mtr x 0.50 Mtr x 1.20 Mtr) 0.60 Mtr above ground level and 0.60 Mtr below ground level should be constructed around the well casing;
- v. After the completion of the borewell, the contractor should cap the borewell properly by ld welding steel plate, cover the borewell with the drilled wet soil and fix thorny shrubs over the soil. This should be done even while repairing the pump;
- vi. After the borewell is drilled the entire site should be brought to the ground level;

7. विध्वंस - किसी भी विध्वंस कार्य के शुरू होने से पहले और कार्य की प्रगति के दौरान भी,
- i) कार्य स्थल के आस-पास की सभी सड़कें और खुले क्षेत्र या तो बंद कर दिए जाएंगे या उपयुक्त रूप से संरक्षित कर दिए जाएंगे।
 - ii) कोई भी विद्युत केबल या उपकरण जो खतरे का स्रोत हो सकता है या ऑपरेटर द्वारा उपयोग किया जाने वाला केबल या उपकरण विद्युत रूप से चार्ज नहीं रहेगा।
 - iii) आग या विस्फोट या बाढ़ के जोखिम से नियोजित व्यक्तियों को खतरे से बचाने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे। इमारत का कोई भी फर्श, छत या अन्य हिस्सा मलबे या सामग्री से इतना भरा नहीं होना चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।

Demolition – Before any demolition work is commenced and also during the progress of the work,

- i) All roads and open areas adjacent to the work site shall either be closed or suitably protected.
- ii) No electric cable or apparatus which is liable to be a source of danger or a cable or apparatus used by the operator shall remain electrically charged.
- iii) All practical steps shall be taken to prevent danger to persons employed from risk of fire or explosion or flooding. No floor, roof or other part of the building shall be so overloaded with debris or materials as to render it unsafe.

8. प्रभारी इंजीनियर द्वारा पर्याप्त समझे जाने वाले सभी आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण साइट पर कार्यरत व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध रखे जाने चाहिए तथा उन्हें तत्काल उपयोग के लिए उपयुक्त स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए, तथा ठेकेदार को संबंधित व्यक्तियों द्वारा उपकरणों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- i) डामर सामग्री, सीमेंट और चूना मोर्टार को मिलाने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और सुरक्षात्मक चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे।
 - ii) सफेदी करने तथा सीमेंट की बोरियों या आंखों के लिए हानिकारक किसी भी सामग्री को मिलाने या ढेर लगाने में लगे लोगों को सुरक्षात्मक चश्में उपलब्ध कराए जाएंगे।
 - iii) वेलडिंग कार्य में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक नेत्र-शील्ड प्रदान की जाएगी।
 - iv) पत्थर तोड़ने वाले को सुरक्षात्मक चश्मा और सुरक्षात्मक कपड़े उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उसे पर्याप्त सुरक्षित अंतराल पर बैठाया जाएगा।
 - v) जब कर्मचारी सीवर और मैनहोल में काम करते हैं, जो सक्रिय रूप से उपयोग में हैं, तो ठेकेदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैनहोल के ढक्कन खोले जाएं और कर्मचारियों को मैनहोल में जाने से पहले कम से कम एक घंटे तक हवादार रखा जाए, और इस तरह खोले गए मैनहोल को उपयुक्त रेलिंग से घेरा जाए और लोगों को दुर्घटना से बचाने के लिए चेतावनी संकेत या बोर्ड लगाए जाएं। इसके अलावा, ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए:-
 - a) वरिष्ठ अधीक्षक (इंजीनियरिंग) या किसी अन्य उच्च अधिकारी की देखरेख के बिना श्रमिकों को लाइन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।



- b) किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए मैनहोल में प्रवेश करने से पहले, ऊपर और नीचे की ओर कम से कम 5 से 6 मैनहोल को कम से कम 2 से 3 घंटे तक खुला रखा जाना चाहिए।
- c) प्रवेश से पहले, गीले लेड एसिड पेपर को डालकर जहरीली गैसों की उपस्थिति की जांच की जानी चाहिए, जो ऐसी गैसों की उपस्थिति में रंग बदलता है और उनकी उपस्थिति का संकेत देता है।
- d) मैनहोल में डिटेक्टर लैंप को नीचे करके ऑक्सीजन की मौजूदगी की पुष्टि की जानी चाहिए। अगर सीवर लाइन के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो कर्मचारियों को केवल ऑक्सीजन किट के साथ भेजा जाना चाहिए।
- e) श्रमिकों को रस्सी सहित सुरक्षा बेल्ट उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मैनहोल के अंदर काम करते समय, ऐसी रस्सी को बाहर खड़े दो लोगों द्वारा संभाला जाना चाहिए ताकि आपातकाल के दौरान उसे बाहर निकाला जा सके।
- f) किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए क्षेत्र को उचित तरीकों से बैरिकेड या बंद कर दिया जाना चाहिए। जब भी रात या दिन के दौरान सफाई का काम किया जाता है, तो जनता की सुरक्षा के लिए उचित चेतावनी संकेत प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
- g) साफ किए जा रहे अवरुद्ध मैनहोल के पास धूम्रपान या खुली लपेटें जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- h) अवरुद्ध मैनहोलों और सीवर लाइनों की सफाई के कारण प्राप्त मलबा को तुरंत हटाया जाना चाहिए ताकि मलबा की फिसलन प्रकृति के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
- i) श्रमिकों को लगातार मैनहोल के अंदर काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें बीच-बीच में आराम दिया जाना चाहिए। प्रभारी इंजीनियर यह तय कर सकता है कि किसी श्रमिक को मैनहोल के अंदर कितनी देर तक लगातार काम करने की अनुमति दी जा सकती है।
- j) आपातकालीन स्थिति में उपयोग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सहित गैस मास्क को कार्यस्थल पर रखा जाना चाहिए।
- k) मैनहोल के माध्यम से ताजी हवा के प्रवाह के लिए एयर-ब्लोअर का उपयोग किया जाना चाहिए। जब भी आवश्यकता हो, मैनहोल को हवादार करने के लिए पोर्टेबल एयर ब्लोअर की सिफारिश की जाती है। इनके लिए मोटर वाष्परोधी और पूरी तरह से बंद प्रकार की होनी चाहिए। गैर-स्पार्किंग गैस इंजन का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उन्हें उद्घाटन से कम से कम 2 मीटर दूर और हवा से सुरक्षित हवा की दिशा में रखा जाना चाहिए ताकि वे किसी भी ज्वलनशील गैस पर घर्षण का स्रोत न बनें जो मौजूद हो सकती है।
- l) मैनहोल/सीवर की सफाई के लिए नियुक्त श्रमिकों को मैनहोल में काम करने की अनुमति देने से पहले उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- m) कामगारों को गमबूट या नॉन स्पार्किंग जूते, बंप हेलमेट और दस्ताने, नॉन स्पार्किंग उपकरण, सुरक्षा लाइट और गैस मास्क और पोर्टेबल एयर ब्लोअर (जब आवश्यक हो) प्रदान किए जाने चाहिए। सीवर लाइनों के अंदर काम करने से पहले उन्हें अंगों पर लगाने के लिए बैरियर क्रीम अवश्य दी जानी चाहिए।
- n) मैनहोल से उतरते समय कामगारों को प्रत्येक सीढ़ी के स्टॉप या डंडे पर अपना पूरा भार डालने से पहले सावधानीपूर्वक उसकी जांच करनी चाहिए, ताकि मैनहोल में लगे डंडे के जंग लगने के कारण उसके असुरक्षित बन्धन से बचा जा सके।
- o) यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगी हो तो उसे तुरंत सीवर से बाहर निकाला जाना चाहिए तथा उसे पर्याप्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- p) ये सावधानियां किस सीमा तक बरती जाएंगी, यह व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन किसी व्यक्तिगत मामले में इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम होगा।
- (vi) ठेकेदार किसी भी रूप में सीसा युक्त उत्पादों से पेंटिंग के काम पर 18 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और महिलाओं को नियुक्त नहीं करेगा। जहाँ कहीं भी 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को सीसा पेंटिंग के काम पर लगाया जाता है, वहाँ निम्नलिखित सावधानी बरती जानी चाहिए:-
 - a) सीसा या सीसा उत्पादों से युक्त किसी भी पेंट का उपयोग पेस्ट या तैयार पेंट के रूप में ही किया जाएगा।
 - b) जब स्प्रे के रूप में पेंट लगाया जाता है या सीसा पेंट वाली सतह को सूखाकर रगड़ा और खुरच कर हटाया जाता है, तो श्रमिकों के उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
 - c) ठेकेदारों द्वारा कामगारों को कपड़े उपलब्ध कराए जाएंगे तथा काम करने वाले पेंटों को काम के दौरान तथा काम बंद होने पर कपड़े धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

All necessary personal safety equipment as considered adequate by the Engineer-in-Charge should be kept available for the use of the person employed on the site and maintained in a condition suitable for immediate use, and the contractor should take adequate steps to ensure proper use of equipment by those concerned. The following safety equipment shall invariably be provided.

- i) Workers employed on mixing asphaltic materials, cement and lime mortars shall be provided with protective footwear and protective goggles.
- ii) Those engaged in white washing and mixing or stacking of cement bags or any material which is injurious to the eyes, shall be provided with protective goggles.
- iii) Those engaged in welding works shall be provided with welder's protective eye-shields.
- iv) Stone breaker shall be provided with protective goggles and protective clothing and seated at sufficiently safe intervals.



- v) When workers are employed in sewers and manholes, which are in active use, the contractor shall ensure that the manhole covers are opened and ventilated at least for an hour before the workers are allowed to get into the manholes, and the manholes so opened shall be cordoned off with suitable railing and provided with warning signals or boards to prevent accident to the public. In addition, the contractor shall ensure that the following safety measures are adhered to:-
 - a) Entry for workers into the line shall not be allowed except under supervision of the Sr. Superintendent (Engg.) or any other higher officer.
 - b) At least 5 to 6 manholes upstream and downstream should be kept open for at least 2 to 3 hours before any man is allowed to enter into the manhole for working inside.
 - c) Before entry, presence of toxic gases should be tested by inserting wet lead acetate paper which changes colour in the presence of such gases and gives indication of their presence.
 - d) Presence of Oxygen should be verified by lowering a detector lamp into the manhole. In case, no Oxygen is found inside the sewer line, workers should be sent only with oxygen kit.
 - e) Safety belt with rope should be provided to the workers. While working inside the manholes, such rope should be handled by two men standing outside to enable him to be pulled out during emergency.
 - f) The area should be barricaded or cordoned off by suitable means to avoid mishaps of any kind. Proper warning signs should be displayed for the safety of the public whenever cleaning works are undertaken during night or day.
 - g) No smoking or open flames shall be allowed near the blocked manhole being cleaned.
 - h) The malba obtained on account of cleaning of blocked manholes and sewer lines should be immediately removed to avoid accidents on account of slippery nature of the malba.
 - i) Workers should not be allowed to work inside the manhole continuously. He should be given rest intermittently. The Engineer-in-Charge may decide the time up to which a worker may be allowed to work continuously inside the manhole.
 - j) Gas masks with Oxygen Cylinder should be kept at site for use in emergency.
 - k) Air-blowers should be used for flow of fresh air through the manholes. Whenever called for, portable air blowers are recommended for ventilating the manholes. The Motors for these shall be vapour proof and of totally enclosed type. Non sparking gas engines also could be used but they should be placed at least 2 metres away from the opening and on the leeward side protected from wind so that they will not be a source of friction on any inflammable gas that might be present.
 - l) The workers engaged for cleaning the manholes / sewers should be properly trained before allowing to work in the manhole.
 - m) The workers shall be provided with Gumboots or non sparking shoes bump helmets and gloves non sparking tools safety lights and gas masks and portable air blowers (when necessary). They must be supplied with barrier cream for anointing the limbs before working inside the sewer lines.
 - n) Workmen descending a manhole shall try each ladder stop or rung carefully before putting his full weight on it to guard against insecure fastening due to corrosion of the rung fixed to manhole well.
 - o) If a man has received a physical injury, he should be brought out of the sewer immediately and adequate medical aid should be provided to him.
 - p) The extent to which these precautions are to be taken depend on individual situation but the decision of the Engineer-in-Charge regarding the steps to be taken in this regard in an individual case will be final.
- vi) The Contractor shall not employ men and women below the age of 18 years on the work of painting with products containing lead in any form. Wherever men above the age of 18 are employed on the work of lead painting, the following precaution should be taken:-
 - a) No paint containing lead or lead products shall be used except in the form of paste or ready made paint.



- b) Suitable face masks should be supplied for use by the workers when paint is applied in the form of spray or a surface having lead paint is dry rubbed and scrapped.
- c) Overall shall be supplied by the contractors to the workmen and adequate facilities shall be provided to enable the working painters to wash during and on the cessation of work.
9. एएआई सुरक्षा संहिता का एक अतिरिक्त खंड (viii) (i) (iv) ठेकेदार किसी भी रूप में सीसा युक्त उत्पाद के साथ पेंटिंग के काम पर 18 वर्ष से कम उम्र के महिलाओं और पुरुषों को नियोजित नहीं करेगा, जहां भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को सीसा पेंटिंग के काम पर नियोजित किया जाता है, ऐसे उपयोग के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए:
- सफेद सीसा, सीसा सल्फेट या इन वर्णकों से युक्त उत्पाद का उपयोग पेंटिंग कार्य में पेस्ट या उपयोग के लिए तैयार पेंट के रूप में ही किया जाएगा।
 - जहां भी आवश्यक हो, स्प्रे के रूप में पेंट के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले खतरे को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे।
 - जहां तक संभव हो, सूखी रगड़ और खुरचने से उत्पन्न धूल से उत्पन्न होने वाले खतरे को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे।
 - काम करने वाले चित्रकारों को काम के दौरान और काम बंद होने पर नहाने-धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
 - सम्पूर्ण कार्य अवधि के दौरान काम करने वाले चित्रकारों को ओवरऑल पहनना होगा।
 - कार्य समय के दौरान पहने गए कपड़ों को पेंटिंग सामग्री से खराब होने से बचाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।
 - सीसा विषाक्तता और संदिग्ध सीसा विषाक्तता के मामलों को अधिसूचित किया जाएगा और बाद में एएआई के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त चिकित्साकर्मी द्वारा उनका सत्यापन किया जाएगा।
 - आवश्यकता पड़ने पर एएआई को श्रमिकों की चिकित्सा जांच की आवश्यकता हो सकती है।
 - चित्रकारी के काम में बरती जाने वाली विशेष स्वच्छता संबंधी सावधानियों के संबंध में निर्देश कार्यरत चित्रकारों को वितरित किए जाएंगे।

An additional clause (viii)(i) of AAI Safety Code (iv) the Contractor shall not employ women and men below the age of 18 on the work of painting with product containing lead in any form, wherever men above the age of 18 are employed on the work of lead painting, the following principles must be observed for such use:

- White lead, sulphate of lead or product containing these pigment, shall not be used in painting operation except in the form of pastes or paint ready for use.
 - Measures shall be taken, wherever required in order to prevent danger arising from the application of a paint in the form of spray.
 - Measures shall be taken, wherever practicable, to prevent danger arising out of from dust caused by dry rubbing down and scraping.
 - Adequate facilities shall be provided to enable working painters to wash during and on cessation of work.
 - Overall shall be worn by working painters during the whole of working period.
 - Suitable arrangement shall be made to prevent clothing put off during working hours being spoiled by painting materials.
 - Cases of lead poisoning and suspected lead poisoning shall be notified and shall be subsequently verified by medical man appointed by competent authority of AAI.
 - AAI may require, when necessary medical examination of workers.
 - Instructions with regard to special hygienic precautions to be taken in the painting trade shall be distributed to working painters.
10. जब कार्य किसी ऐसे स्थान के निकट किया जा रहा हो जहां डूबने का खतरा हो, तो सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा उन्हें उपयोग के लिए तैयार रखा जाना चाहिए तथा खतरे में पड़े किसी भी व्यक्ति को तुरंत बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए तथा कार्य के दौरान होने वाली सभी संभावित चोटों के लिए तुरंत प्राथमिक उपचार की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।
- When the work is done near any place where there is risk of drowning, all necessary equipment should be provided and kept ready for use and all necessary steps taken for prompt rescue of any person in danger and adequate provision, should be made for prompt first aid treatment of all injuries likely to be obtained during the course of the work.



11. उत्पापक मशीनों और उपकरणों का उपयोग, जिसमें उनके संलग्नक, लंगर और समर्थन शामिल हैं, निम्नलिखित मानकों या शर्तों के अनुरूप होगा:
- (क) ये अच्छे यांत्रिक निर्माण, ठोस सामग्री और पर्याप्त मजबूती वाले होंगे तथा प्रत्यक्ष दोषों से मुक्त होंगे और इनकी मरम्मत की जाएगी तथा इन्हें अच्छी कार्यशील स्थिति में रखा जाएगा।
(ख) सामग्री को ऊपर उठाने या नीचे उतारने में या निलंबन के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक रस्सी टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त मजबूती की होगी तथा उसमें कोई स्पष्ट दोष नहीं होगा।
 - प्रत्येक क्रेन चालक या उत्पापन उपकरण संचालक को समुचित योग्यता प्राप्त होनी चाहिए तथा 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी उत्पापन मशीन, जिसमें मचान चरखी भी शामिल है, का प्रभारी नहीं होना चाहिए तथा संचालक को संकेत नहीं देना चाहिए।
 - प्रत्येक उत्पापन मशीन और उत्पापन में या निलंबन के साधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक चेन रिंग हुक, शैकल स्विवेल और पुलीब्लॉक के मामले में, सुरक्षित कार्य भार को पर्याप्त साधनों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक उत्पापन मशीन और ऊपर उल्लिखित सभी गियर को सुरक्षित कार्य भार के साथ स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा। परिवर्तनशील सुरक्षित कार्य भार वाली उत्पापन मशीन के मामले में प्रत्येक सुरक्षित कार्य भार और वह स्थिति जिसके तहत यह लागू है, स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। इस पैराग्राफ में ऊपर उल्लिखित किसी भी मशीन या किसी गियर का कोई भी हिस्सा परीक्षण के उद्देश्य को छोड़कर सुरक्षित कार्य भार से अधिक लोड नहीं किया जाएगा।
 - विभागीय मशीनों के मामले में, सुरक्षित कार्य भार प्रभारी विद्युत इंजीनियर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। ठेकेदार की मशीनों के संबंध में, ठेकेदार जब भी कोई मशीनरी कार्य स्थल पर लाएगा, तो उसे मशीन के सुरक्षित कार्य भार के बारे में प्रभारी इंजीनियर को सूचित करना होगा तथा संबंधित विद्युत इंजीनियर से इसका सत्यापन करवाना होगा।

Use of hoisting machines and tackle including their attachments, anchorage and supports shall conform to the following standards or conditions:

- (a) These shall be of good mechanical construction, sound materials and adequate strength and free from patent defects and shall be kept repaired and in good working order.
(b) Every rope used in hoisting or lowering materials or as a means of suspension shall be of durable quality and adequate strength, and free from patent defects.
 - Every crane driver or hoisting appliance operator, shall be properly qualified and no person under the age of 21 years should be in charge of any hoisting machine including any scaffolding winch or give signals to operator.
 - In case of every hoisting machine and of every chain ring hook, shackle swivel and pulley block used in hoisting or as means of suspension, the safe working load shall be ascertained by adequate means. Every hoisting machine and all gear referred to above shall be plainly marked with the safe working load. In case of a hoisting machine having a variable safe working load each safe working load and the condition under which it is applicable shall be clearly indicated. No part of any machine or any gear referred to above in this paragraph shall be loaded beyond the safe working load except for the purpose of testing.
 - In case of departmental machines, the safe working load shall be notified by the Electrical Engineer-in-Charge. As regards contractor's machines the contractors shall notify the safe working load of the machine to the Engineer-in-Charge whenever he brings any machinery to site of work and get it verified by the electrical Engineer concerned.
12. मोटर, गियरिंग, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक वायरिंग और होइस्टिंग उपकरणों के अन्य खतरनाक भागों को कुशल सुरक्षा उपायों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। होइस्टिंग उपकरणों को ऐसे साधनों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए जो लोड के आकस्मिक रूप से नीचे गिरने के जोखिम को कम से कम कर दें। निलंबित लोड के किसी भी हिस्से के आकस्मिक रूप से विस्थापित होने के जोखिम को कम से कम करने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जानी चाहिए। जब श्रमिकों को पहले से ही सक्रिय विद्युत प्रतिष्ठानों पर नियोजित किया जाता है, तो इन्सुलेशन मैट, पहनने के लिए कपड़े, जैसे दस्ताने, आस्तीन और जूते प्रदान किए जाने चाहिए। कार्यकर्ता को कोई भी अंगूठी, घड़ी और कैरीकी या अन्य सामग्री नहीं पहननी चाहिए जो बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं।

Motors, gearing, transmission, electric wiring and other dangerous parts of hoisting appliances should be provided with efficient safeguards. Hoisting appliances should be provided with such means as will reduce to the minimum the risk of accidental descent of the load. Adequate precautions should be taken to reduce to the minimum the risk of any part of a suspended load becoming accidentally displaced. When workers are employed on electrical installations which are already energized, insulating mats, wearing apparel, such as gloves,



sleeves and boots as may be necessary should be provided. The worker should not wear any rings, watches and carrykeys or other materials which are good conductors of electricity.

13. यहाँ उल्लिखित या वर्णित सभी मचान, सीढ़ियाँ और अन्य सुरक्षा उपकरण सुरक्षित स्थिति में बनाए रखे जाएँ और किसी भी मचान, सीढ़ी या उपकरण को उपयोग में होने के दौरान बदला या हटाया नहीं जाएगा। कार्यस्थल पर या उसके आस-पास पर्याप्त धुलाई सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
All scaffolds, ladders and other safety devices mentioned or described herein shall be maintained in safe condition and no scaffold, ladder or equipment shall be altered or removed while it is in use. Adequate washing facilities should be provided at or near places of work.
14. इन सुरक्षा प्रावधानों को कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करके सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए। सुरक्षा कोड के अनुपालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम ठेकेदार द्वारा उसमें दर्ज किया जाएगा।
These safety provisions should be brought to the notice of all concerned by display on a noticeboard at a prominent place at work spot. The person responsible for compliance of the safety code shall be named therein by the contractor.
15. सुरक्षा सावधानियों से संबंधित नियमों और विनियमों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा की गई व्यवस्थाएँ विभाग के श्रम अधिकारी या प्रभारी अभियंता या उनके प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी।
To ensure effective enforcement of the rules and regulations relating to safety precautions the arrangements made by the contractor shall be open to inspection by the Labour Officer or Engineer-in-Charge of the department or their representatives.
16. उपरोक्त खण्ड (1) से (15) के होते हुए भी, इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो ठेकेदार को भारत गणराज्य में लागू किसी अन्य अधिनियम या नियम के क्रियान्वयन से छूट देता हो।
Notwithstanding the above clauses from (1) to (15), there is nothing in these to exempt the contractor from the operations of any other Act or Rules in force in the Republic of India.



एएआई या उसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था की सुरक्षा के लिए मॉडल नियम
MODEL RULES FOR THE PROTECTION OF HEALTH AND SANITARY ARRANGEMENTS FOR WORKERS EMPLOYED BY AAI OR ITS CONTRACTORS

1. आवेदन

APPLICATION

ये नियम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन सभी भवनों और निर्माण कार्यों पर लागू होंगे, जिनमें बीस या अधिक श्रमिक सामान्यतः नियोजित होते हैं या संविदा कार्य की प्रगति की अवधि के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

These rules shall apply to all buildings and construction works in charge of AAI in which twenty or more workers are ordinarily employed or are proposed to be employed in any day during the period during which the contract work is in progress.

2. परिभाषा

DEFINITION

कार्य स्थल से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां संविदा कार्य प्रगति पर रहने की अवधि के दौरान किसी भी दिन निर्माण कार्य के संबंध में सामान्यतः बीस या अधिक श्रमिक नियोजित होते हैं।

Work place means a place where twenty or more workers are ordinarily employed in connection with construction work on any day during the period during which the contract work is in progress.

3.

प्राथमिक- चिकित्सा सुविधाएं

FIRST-AID FACILITIES

- (i) प्रत्येक कार्य स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा बक्सों की व्यवस्था की जाएगी तथा उनका रखरखाव किया जाएगा, ताकि कार्य समय के दौरान उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। सामान्यतः नियोजित 150 संविदा श्रमिकों या उनके किसी भाग के लिए एक बक्सा से अन्यून की दर से प्राथमिक चिकित्सा बक्सा उपलब्ध कराया जाएगा तथा उनका रखरखाव किया जाएगा।

At every work place, there shall be provided and maintained, so as to be easily accessible during working hours, first-aid boxes at the rate of not less than one box for 150 contract labour or part thereof ordinarily employed.

- (ii) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस से स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित उपकरण रखे जाएंगे।

The first-aid box shall be distinctly marked with a red cross on white back ground and shall contain the following equipment.

- (a) ऐसे कार्य स्थानों के लिए जहां नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक नहीं है, प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में निम्नलिखित उपकरण होंगे:

For work places in which the number of contract labour employed does not exceed 50 Each first –aid box shall contain the following equipments:

1. 6 छोटे निष्फल ड्रेसिंग
6 small sterilised dressings
2. 3 मध्यम आकार की निष्फल ड्रेसिंग
3 medium size sterilised dressings
3. 3 बड़े आकार की स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग
3 large size sterilised dressings
4. 3 बड़े स्टरलाइज्ड बर्न ड्रेसिंग
3 large sterilised burn dressings
5. 1 (30 मिली) बोतल जिसमें आयोडीन का 2 प्रतिशत अल्कोहलयुक्त घोल हो।
1 (30 ml) bottle containing a two per cent alcoholic solution of iodine.
6. 1 (30 मिली) बोतल जिसमें साल्वोलेटाइल है, जिसकी खुराक और प्रशासन का तरीका लेबल पर दर्शाया गया है।



- 1 (30 ml) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label.
 7. 1 साँपदंश लैंसेट.
1 snakebite lancet.
 8. 1 (30 ग्राम) बोतल पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल।
1 (30 gms) bottle of potassium permanganate crystals.
 9. 1 जोड़ी कैची.
1 pair scissors.
 10. महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान, भारत सरकार द्वारा जारी प्राथमिक चिकित्सा पत्रक की 1 प्रति
1 copy of the first-aid leaflet issued by the Director General, Factory Advice Service and Labour Institute, Government of India.
 11. 1 बोतल जिसमें एस्पिरिन की 100 गोलियां (प्रत्येक 5 ग्राम की) होती हैं।
1 bottle containing 100 tablets (each of 5 gms) of aspirin.
 12. बर्न के लिए मरहम.
Ointment for burns.
 13. उपयुक्त सर्जिकल एंटीसेप्टिक घोल की एक बोतल।
A bottle of suitable surgical antiseptic solution.
- (b) ऐसे कार्य स्थलों के लिए जहां ठेका श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक हो। प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में निम्नलिखित उपकरण होंगे।
For work places in which the number of contract labour exceed 50. Each first-aid box shall contain the following equipments.
1. 12 छोटे निष्फल ड्रेसिंग.
12 small sterilised dressings.
 2. 6 मध्यम आकार के स्टेरलाइज्ड ड्रेसिंग।
6 medium size sterilised dressings.
 3. 6 बड़े आकार की निष्फल ड्रेसिंग
6 large size sterilised dressings
 4. 6 बड़े आकार के स्टेरलाइज्ड बर्न ड्रेसिंग।
6 large size sterilised burn dressings.
 5. 6 (15 ग्राम) पैकेट रोगाणुरहित रूई।
6 (15 gms) packets sterilised cotton wool.
 6. 1 (60 मिली). बोतल में दो प्रतिशत अल्कोहल युक्त आयोडीन घोल.
1 (60 ml). Bottle containing two per cent alcoholic solution iodine.
 7. 1 (60 मिली) बोतल जिसमें साल्वोलेटाइल है, जिसकी खुराक और प्रशासन का तरीका लेबल पर दर्शाया गया है।
1 (60 ml) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label.
 8. चिपकने वाला प्लास्टर का 1 रोल.
1 roll of adhesive plaster.
 9. 1 साँप काटने का लैंसेट.
1 snake bite lancet.
 10. 1 (30 ग्राम) बोतल पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल।
1 (30 gms) bottle of potassium permanganate crystals.
 11. 1 जोड़ी कैची.
1 pair scissors.
 12. महानिदेशक कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान/भारत सरकार द्वारा जारी प्राथमिक चिकित्सा पत्रक की 1 प्रति
1 copy of the first-aid leaflet issued by the Director General Factory Advice Service and Labour Institute / Government of India.
 13. एक बोतल जिसमें एस्पिरिन की 100 गोलियां (प्रत्येक 5 ग्राम की) हैं।
A bottle containing 100 tablets (each of 5 gms) of aspirin.



14. बर्न के लिए मरहम.
Ointment for burns.
 15. उपयुक्त सर्जिकल एंटीसेप्टिक घोल की एक बोतल।
A bottle of suitable surgical antiseptic solution.
- (iii) आवश्यकता पड़ने पर उपकरणों की तत्काल वापसी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
Adequate arrangements shall be made for immediate recoupment of the equipment when necessary.
 - (iv) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में निर्धारित सामग्री के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रखा जाएगा।
Nothing except the prescribed contents shall be kept in the First-aid box.
 - (v) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को एक जिम्मेदार व्यक्ति के जिम्मे रखा जाएगा जो कार्य स्थल पर कार्य समय के दौरान हमेशा उपलब्ध रहेगा।
The first-aid box shall be kept in charge of a responsible person who shall always be readily available during the working hours of the work place.
 - (vi) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का प्रभारी व्यक्ति वह होगा जो ऐसे कार्यस्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा उपचार में प्रशिक्षित हो जहां नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या 150 या उससे अधिक हो।
a person in charge of the First-aid box shall be a person trained in First-aid treatment in the work places where the number of contract labour employed is 150 or more.
 - (vii) ऐसे कार्यस्थलों पर जहां नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या 500 या उससे अधिक है और कार्यस्थल से अस्पताल की सुविधा आसान दूरी पर उपलब्ध नहीं है, प्राथमिक चिकित्सा चौकियां स्थापित की जाएंगी और प्रशिक्षित कंपाउंडर द्वारा संचालित की जाएंगी। कंपाउंडर ड्यूटी पर रहेगा और श्रमिकों के काम पर रहने के दौरान हर समय उपलब्ध रहेगा।
In work places where the number of contract labour employed is 500 or more and hospital facilities are not available within easy distance from the works. First-aid posts shall be established and run by a trained compounder. The compounder shall be on duty and shall be available at all hours when the workers are at work.
 - (viii) जहां कार्यस्थल ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जो कस्बे या शहर नहीं हैं, वहां घायल व्यक्ति या अचानक बीमार पड़े व्यक्ति को निकटतम अस्पताल ले जाने के लिए उपयुक्त मोटर परिवहन आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।
Where work places are situated in places which are not towns or cities, a suitable motor transport shall be kept readily available to carry injured person or person suddenly taken ill to the nearest hospital.

4. पीने का पानी

DRINKING WATER

- i) प्रत्येक कार्य स्थल पर, श्रमिकों के लिए आसानी से सुलभ उपयुक्त स्थानों पर, पीने योग्य ठण्डे पानी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा।
In every work place, there shall be provided and maintained at suitable places, easily accessible to labour, a sufficient supply of cold water fit for drinking.
- ii) जहां पेयजल अन्तरालित सार्वजनिक जल आपूर्ति से प्राप्त किया जाता है, वहां प्रत्येक कार्य स्थल पर भंडारण की व्यवस्था की जाएगी जहां ऐसे पेयजल का भंडारण किया जाएगा।
Where drinking water is obtained from an intermittent public water supply, each work place shall be provided with storage where such drinking water shall be stored.



- iii) प्रत्येक जल आपूर्ति या भंडारण किसी भी शौचालय/नाली या प्रदूषण के अन्य स्रोत से कम से कम 50 फीट की दूरी पर होना चाहिए। जहां पानी किसी ऐसे मौजूदा कुएं से खींचा जाना है जो शौचालय, नाली या प्रदूषण के किसी अन्य स्रोत के इतने करीब है, वहां पीने के लिए पानी खींचने से पहले कुएं को ठीक से क्लोरीनेट किया जाना चाहिए। ऐसे सभी कुओं को पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए और उनमें एक ट्रेप डोर लगाया जाना चाहिए जो धूल और जलरोधी हो।

Every water supply or storage shall be at a distance of not less than 50 feet from any latrine/drain or other source of pollution. Where water has to be drawn from an existing well which is within such proximity of latrine, drain or any other source of pollution, the well shall be properly chlorinated before water is drawn from it for drinking. All such wells shall be entirely closed in and be provided with a trap door which shall be dust and waterproof.

- iv) प्रत्येक ढके हुए कुएं में एक विश्वसनीय पंप लगाया जाएगा, ट्रेप दरवाजा बंद रखा जाएगा तथा केवल सफाई या निरीक्षण के लिए ही खोला जाएगा, जो महीने में कम से कम एक बार किया जाएगा।

A reliable pump shall be fitted to each covered well, the trap door shall be kept locked and opened only for cleaning or inspection which shall be done at least once a month.

5. धुलाई की सुविधा

WASHING FACILITIES

- i) प्रत्येक कार्य स्थल पर वहां कार्यरत ठेका श्रमिकों के उपयोग के लिए धुलाई हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा उनका रखरखाव किया जाएगा।

In every work place adequate and suitable facilities for washing shall be provided and maintained for the use of contract labour employed therein.

- ii) पुरुष और महिला श्रमिकों के उपयोग के लिए अलग-अलग और पर्याप्त सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

Separate and adequate cleaning facilities shall be provided for the use of male and female workers.

- iii) ऐसी सुविधाएं सुगमतापूर्वक उपलब्ध होंगी तथा उन्हें स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर स्थिति में रखा जाएगा।

Such facilities shall be conveniently accessible and shall be kept in clean and hygienic condition.

6. शौचालय और मूत्रालय

LATRINES AND URINALS

- i) प्रत्येक कार्य स्थल पर निम्नलिखित पैमाने पर शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे:

- जहां महिलाएं कार्यरत हैं, वहां प्रत्येक 25 महिलाओं के लिए कम से कम एक शौचालय होगा।
- जहां पुरुष कार्यरत हैं, वहां प्रत्येक 25 पुरुषों पर कम से कम एक शौचालय होगा।

Latrines shall be provided in every work place on the following scale namely:

- Where female are employed, there shall be at least one latrine for every 25 females.
- Where males are employed, there shall be at least one latrine for every 25 males.

- ii) परन्तु जहां पुरुषों या महिलाओं की संख्या 100 से अधिक हो, वहां यह पर्याप्त होगा कि प्रथम 100 तक 25 पुरुषों या महिलाओं के लिए एक शौचालय हो, तथा उसके पश्चात् प्रत्येक 50 के लिए एक शौचालय हो।

Provided that, where the number of males or females exceeds 100, it shall be sufficient if there is one latrine for 25 males or females as the case may be upto the first 100, and one for every 50 thereafter.

- iii) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होगा और इस प्रकार विभाजित होगा कि गोपनीयता बनी रहे, तथा उसमें उचित दरवाजा और बन्धन होगा।

Every latrine shall be under cover and so partitioned off as to secure privacy, and shall have a proper door and fastenings.

- iv) शौचालयों का निर्माण: अंदर की दीवारें चिनाई या कुछ उपयुक्त गर्मी प्रतिरोधी गैर-शोषक सामग्री से निर्मित की जाएंगी और कम से कम एक वर्ष में एक बार अंदर और बाहर सीमेंट से धुलाई की जाएगी, शौचालय बोरहोल प्रणाली से कम मानक के नहीं होंगे।



Construction of latrines: The inside walls shall be constructed of masonry or some suitable heat-resisting nonabsorbent materials and shall be cement washed inside and outside at least once a year, Latrines shall not be of a standard lower than borehole system.

- v) (क) जहां दोनों लिंगों के श्रमिक नियोजित हैं, वहां शौचालय और मूत्रालय के प्रत्येक ब्लॉक के बाहर, अधिकांश श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में एक नोटिस प्रदर्शित किया जाएगा, "केवल पुरुषों के लिए" या "केवल महिलाओं के लिए", जैसा भी मामला हो।
(ख) नोटिस पर, यथास्थिति, पुरुष या महिला की आकृति भी अंकित होगी।
(a) Where workers of both sexes are employed, there shall be displayed outside each block of latrine and urinal, a notice in the language understood by the majority of the workers "For Men only" or "For Women Only" as the case may be.
(b) The notice shall also bear the figure of a man or of a woman, as the case may be.

- vi) एक समय में 50 तक पुरुष कर्मकारों के लिए कम से कम एक मूत्रालय तथा 50 तक महिला कर्मकारों के लिए एक मूत्रालय होगा, परन्तु जहां पुरुष या महिला कर्मकारों की संख्या, जैसी भी स्थिति हो, 500 से अधिक हो, वहां प्रथम 500 तक प्रत्येक 50 पुरुष या महिला के लिए एक मूत्रालय तथा उसके बाद प्रत्येक 100 या उसके भाग के लिए एक मूत्रालय होना पर्याप्त होगा।

There shall be at least one urinal for male workers upto 50 and one for female workers upto fifty employed at a time, provided that where the number of male or female workmen, as the case may be exceeds 500, it shall be sufficient if there is one urinal for every 50 males or females upto the first 500 and one for every 100 or part thereafter.

- vii) (क) शौचालयों और मूत्रालयों में पर्याप्त रोशनी होगी और उन्हें साफ-सुथरा रखा जाएगा।
और हर समय स्वच्छता की स्थिति बनाए रखें।
(ख) फ्लश सीवेज प्रणाली से जुड़े शौचालयों और मूत्रालयों को छोड़कर अन्य शौचालयों और मूत्रालयों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।
(a) The latrines and urinals shall be adequately lighted and shall be maintained in a clean and sanitary condition at all times.
(b) Latrines and urinals other than those connected with a flush sewage system shall comply with the requirements of the Public Health Authorities.

- viii) नल या अन्य माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाएगा ताकि शौचालयों और मूत्रालयों के पास आसानी से उपलब्ध हो सके।

Water shall be provided by means of tap or otherwise so as to be conveniently accessible in or near the latrines and urinals.

- ix) मलमूत्र का निपटान: जब तक स्थानीय स्वच्छता प्राधिकरण द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की जाए, कार्यस्थल पर मलमूत्र को भस्म करके उचित तरीके से निपटाने की व्यवस्था उपयुक्त भस्मक के माध्यम से की जाएगी। वैकल्पिक रूप से मलमूत्र का निपटान इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए पक्के टैंक के तल पर मिट्टी की एक परत डालकर और इसे कचरे या कचरे की 15 सेमी परत से ढककर और फिर इसे पखवाड़े के लिए मिट्टी की एक परत से ढककर किया जा सकता है (जब यह खाद में बदल जाएगा)।

Disposal of excreta: Unless otherwise arranged for by the local sanitary authority, arrangements for proper disposal of excreta by incineration at the work place shall be made by means of a suitable incinerator. Alternately excreta may be disposed of by putting a layer of night soil at the bottom of a pucca tank prepared for the purpose and covering it with a 15 cm. Layer of waste or refuse and then covering it with a layer of earth for a fortnight (when it will turn to manure).

- x) ठेकेदार को अपने स्वयं के व्यय पर, साइट पर ठेकेदार के कामगारों या कर्मचारियों के संबंध में मल-मूत्र के उचित निपटान और अन्य सफाई कार्य को प्रभावित करने के लिए प्रभारी इंजीनियर द्वारा उसे जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा। ठेकेदार ऐसे किसी भी शुल्क के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा जो नगरपालिका या छावनी प्राधिकरण द्वारा उसकी ओर से ऐसे निष्पादन के लिए लगाया जा सकता है।

The contractor shall at his own expense, carry out all instructions issued to him by the Engineer-in-Charge to effect proper disposal of night soil and other conservancy work in respect of the contractor's workmen or employees on the site. The contractor shall be



responsible for payment of any charges which may be levied by Municipal or Cantonment Authority for execution of such on his behalf.

7. विश्राम के दौरान आश्रय का प्रावधान

PROVISION OF SHELTER DURING REST

प्रत्येक स्थान पर, निःशुल्क, चार उपयुक्त शेड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें से दो भोजन के लिए तथा अन्य दो विश्राम के लिए अलग-अलग होंगे, जो पुरुष तथा महिला श्रमिकों के उपयोग के लिए होंगे। प्रत्येक शेड की ऊंचाई फर्श स्तर से छत के सबसे निचले भाग तक 3 मीटर (10 फीट) से कम नहीं होगी। इन्हें साफ-सुथरा रखा जाएगा तथा उपलब्ध कराई गई जगह प्रति व्यक्ति 0.6 वर्ग मीटर (6 वर्ग फीट) के आधार पर होगी। बशर्ते कि प्रभारी इंजीनियर अपनी संतुष्टि के अधीन, निर्माणाधीन भवन के किसी भाग या अन्य वैकल्पिक आवास को इस उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति दे सकता है।

At every place there shall be provided, free of cost, four suitable sheds, two for meals and the other two for rest separately for the use of men and women labour. The height of each shelter shall not be less than 3 metres (10 ft) from the floor level to the lowest part of the roof. These shall be kept clean and the space provided shall be on the basis of 0.6 sq.m. (6 sq ft) per head. Provided that the Engineer-in-Charge may permit subject to his satisfaction, a portion of the building under construction or other alternative accommodation to be used for the purpose.

8. शिशु गृह

CRECHES

- i) प्रत्येक कार्य स्थल पर, जहाँ सामान्यतः 20 या उससे अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके बच्चों के उपयोग के लिए उचित आकार के दो कमरे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनकी आयु छह वर्ष से कम है। एक कमरे का उपयोग बच्चों के खेलने के कमरे के रूप में तथा दूसरे का उपयोग उनके शयन कक्ष के रूप में किया जाएगा। कमरों का निर्माण खंड 19 एच (ii) ए, बी और सी के अनुसार विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

At every work place, at which 20 or more women workers are ordinarily employed, there shall be provided two rooms of reasonable dimensions for the use of their children under the age of six years. One room shall be used as a play room for the children and the other as their bedroom. The rooms shall be constructed with specifications as per clause 19 H (ii) a, b & c.

- ii) कमरों में प्रकाश और वायु-संचार के लिए उपयुक्त और पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। स्थानों को साफ रखने के लिए सफाई कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था होगी।

The rooms shall be provided with suitable and sufficient openings for light and ventilation. There shall be adequate provision of sweepers to keep the places clean.

- iii) ठेकेदार को खेल कक्ष में पर्याप्त संख्या में खिलौने और खेल तथा शयन कक्ष में पर्याप्त संख्या में खाटें और बिस्तर उपलब्ध कराने होंगे।

The contractor shall supply adequate number of toys and games in the play room and sufficient number of cots and beddings in the bed room.

- iv) जब महिला श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक न हो तो ठेकेदार शिशुगृह में बच्चों की देखभाल के लिए एक आया उपलब्ध कराएगा तथा जब महिला श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक हो तो ठेकेदार दो आया उपलब्ध कराएगा।

The contractor shall provide one ayah to look after the children in the crèche when the number of women workers does not exceed 50 and two when the number of women workers exceed 50.

- v) क्रेच के रूप में चिन्हित कमरों का उपयोग केवल बच्चों, उनके परिचारकों और बच्चों की माताओं तक ही सीमित होगा।

The use of the rooms earmarked as crèches shall be restricted to children, their attendants and mothers of the children.



9. कैटीन

CANTEENS

- i) प्रत्येक कार्य स्थल पर, जहां ठेकेदार श्रमिकों के नियोजन से संबंधित कार्य छह मास तक जारी रहने की संभावना है और जहां सामान्यतः एक सौ या उससे अधिक संख्या में ठेका श्रमिक नियोजित हैं, वहां ठेकेदार द्वारा ऐसे ठेका श्रमिकों के उपयोग के लिए पर्याप्त कैटीन की व्यवस्था की जाएगी।
In every work place where the work regarding the employment of contractor labour is likely to continue for six months and where in contract labour numbering one hundred or more are ordinarily employed, an adequate canteen shall be provided by the contractor for the use of such contract labour.
- ii) ठेकेदार द्वारा कैटीन का रखरखाव कुशलतापूर्वक किया जाएगा।
The canteen shall be maintained by the contractor in an efficient manner.
- iii) कैटीन में कम से कम एक भोजन कक्ष, रसोईघर, भण्डार कक्ष, पेंट्री तथा श्रमिकों और बर्तनों के लिए अलग से धुलाई स्थान होगा।
The canteen shall consist of at least a dining hall, kitchen, storeroom, pantry and washing places separately for workers and utensils.
- iv) जब भी कोई व्यक्ति कैटीन में प्रवेश करे, वहां हर समय पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए।
The canteen shall be sufficiently lighted at all times when any person has access to it.
- v) फर्श चिकनी और अभेद्य सामग्री से बना होगा और अंदर की दीवारों को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार चूना या रंग से धोया जाएगा। बशर्ते कि रसोईघर की अंदर की दीवारों को हर चार महीने में चूना धोया जाएगा।
The floor shall be made of smooth and impervious materials and inside walls shall be lime washed or colour washed at least once in each year. Provided that the inside walls of the kitchen shall be lime washed every four months.
- vi) कैटीन परिसर को स्वच्छ एवं स्वच्छ स्थिति में बनाए रखा जाएगा।
The premises of the canteen shall be maintained in a clean and sanitary condition.
- vii) अपशिष्ट जल को उपयुक्त ढकी हुई नालियों में बहा दिया जाएगा तथा उसे इतना एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा कि वह परेशानी का कारण बने।
Waste water shall be carried away in suitable covered drains and shall not be allowed to accumulate so as to cause a nuisance.
- viii) कचरे के संग्रहण एवं निपटान के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।
Suitable arrangements shall be made for the collection and disposal of garbage.
- ix) भोजन कक्ष में एक समय में काम करने वाले ठेका श्रमिकों की संख्या का 30 प्रतिशत ही उपस्थित रह सकेगा।
The dining hall shall accommodate at a time 30 per cent of the contract labour working at a time.
- x) भोजन कक्ष का फर्श क्षेत्र, सेवा काउंटर और मेजों और कुर्सियों को छोड़कर किसी भी फर्नीचर द्वारा अधिगृहित क्षेत्र को छोड़कर, उप-नियम (ix) में निर्धारित अनुसार प्रति भोजनकर्ता एक वर्ग मीटर (10 वर्ग फीट) से कम नहीं होगा।
The floor area of the dining hall, excluding the area occupied by the service counter and any furniture except tables and chairs shall not be less than one square metre (10 sqft) per diner to be accommodated as prescribed in sub-Rule (ix).



- xi) (क) भोजन कक्ष और सेवा काउंटर का एक भाग महिला श्रमिकों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में विभाजित और आरक्षित किया जाएगा। (ख) महिलाओं के लिए धुलाई स्थान अलग होगा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीन लगाई जाएगी।
(a) A portion of the dining hall and service counter shall be partitioned off and reserved for women workers in proportion to their number. (b) Washing places for women shall be separate and screened to secure privacy.
- xii) उप-नियम (ix) में निर्धारित अनुसार भोजन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के लिए पर्याप्त टेबल, स्टूल, कुर्सियाँ या बेंच उपलब्ध होंगी।
Sufficient tables stools, chairs or benches shall be available for the number of diners to be accommodated as prescribed in Sub-Rule (ix).
- xiii) (क) 1. कैटीन के कुशल संचालन के लिए पर्याप्त बर्तन, क्रॉकरी, फर्नीचर और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और उनका रखरखाव किया जाएगा।
2. फर्नीचर, बर्तन और अन्य उपकरण स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखे जाएंगे।
(ख) 1. कैटीन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उपयुक्त स्वच्छ कपड़े उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उनका रखरखाव किया जाएगा।
2. यदि सेवा काउंटर उपलब्ध कराया जाता है तो उसका ऊपरी भाग चिकनी एवं अभेद्य सामग्री का बना होगा।
3. बर्तनों और उपकरणों की सफाई के लिए गर्म पानी की पर्याप्त आपूर्ति सहित उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
(a) 1. There shall be provided and maintained sufficient utensils crockery, furniture and any other equipment necessary for the efficient running of the canteen.
2. The furniture utensils and other equipment shall be maintained in a clean and hygienic condition.
(b) 1. Suitable clean clothes for the employees serving in the canteen shall be provided and maintained.
2. A service counter, if provided, shall have top of smooth and impervious material.
3. Suitable facilities including an adequate supply of hot water shall be provided for the cleaning of utensils and equipments.
- xiv) कैटीन में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुएं ठेका श्रमिकों की सामान्य आदतों के अनुरूप होंगी।
The food stuffs and other items to be served in the canteen shall be in conformity with the normal habits of the contract labour.
- xv) कैटीन में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों और अन्य वस्तुओं के लिए शुल्क 'न लाभ, न हानि' के आधार पर निर्धारित किया जाएगा तथा कैटीन में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
The charges for food stuffs, beverages and any other items served in the canteen shall be based on 'No Profit, No loss' and shall be conspicuously displayed in the canteen.
- xvi) कैटीन में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं की कीमत निर्धारित करते समय निम्नलिखित मदों को व्यय के रूप में ध्यान में नहीं लिया जाएगा, अर्थात:-
a) भूमि एवं भवन का किराया।
b) कैटीन के लिए उपलब्ध कराए गए भवन और उपकरणों के लिए मूल्यहास और रखरखाव शुल्क।
c) फर्नीचर, क्रॉकरी, कटलरी और बर्तनों सहित उपकरणों की खरीद, मरम्मत और प्रतिस्थापन की लागत।
d) प्रकाश और वेंटिलेशन के लिए लगने वाले जल शुल्क और अन्य शुल्क।
e) कैटीन के लिए उपलब्ध कराए गए उपकरणों के प्रावधान और रखरखाव पर व्यय किया गया ब्याज और राशि।
In arriving at the price of foodstuffs, and other article served in the canteen, the following items shall not be taken into consideration as expenditure namely :-
a) The rent of land and building.
b) The depreciation and maintenance charges for the building and equipments provided for the canteen.
c) The cost of purchase, repairs and replacement of equipments including furniture, crockery, cutlery and utensils.
d) The water charges and other charges incurred for lighting and ventilation.



- e) The interest and amounts spent on the provision and maintenance of equipments provided for the canteen.

xvii) कैटीन से संबंधित खातों का प्रत्येक 12 माह में एक बार पंजीकृत लेखाकारों एवं लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाएगा।

The accounts pertaining to the canteen shall be audited once every 12 months by registered accountants and auditors.

10. मलेरिया-रोधी सावधानियां

ANTI-MALARIAL PRECAUTIONS

ठेकेदार को अपने खर्च पर प्रभारी इंजीनियर द्वारा दिए गए सभी मलेरिया-रोधी निर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें उसके द्वारा खोदे गए किसी भी गड्ढे को भरना भी शामिल है।

The contractor shall at his own expense, conform to all anti-malarial instructions given to him by the Engineer-in-Charge including the filling up of any borrow pits which may have been dug by him.

11. उपर्युक्त नियम संविदाओं तथा निविदा आमंत्रण सूचनाओं में सम्मिलित किए जाएंगे तथा संविदाओं का अभिन्न अंग बनेंगे।

The above rules shall be incorporated in the contracts and in notices inviting tenders and shall form an integral part of the contracts.

12. संशोधन

AMENDMENTS

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण समय-समय पर इन नियमों में कुछ जोड़ या संशोधन कर सकता है तथा निर्देश जारी कर सकता है - यदि वह ऐसा आवश्यक समझे तो इनके प्रशासन में उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

AAI may, from time to time, add to or amend these rules and issue directions - it may consider necessary for the purpose of removing any difficulty which may arise in the administration thereof.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

ठेकेदार के श्रम विनियम

Contractor's Labour Regulations

1. संक्षिप्त शीर्षक

SHORT TITLE

इन विनियमों को एएआई ठेकेदार श्रम विनियम कहा जा सकता है।

These regulations may be called the AAI Contractors Labour Regulations.

2. परिभाषाएँ

DEFINITIONS

(i) **कामगार का** अर्थ है एएआई या उसके ठेकेदार द्वारा उपठेकेदार के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एएआई की जानकारी के साथ या उसके बिना किसी कुशल, अर्धकुशल या अकुशल मैन्युअल, पर्यवेक्षी, तकनीकी या लिपिकीय कार्य को भाड़े या पारिश्रमिक के लिए करने के लिए नियोजित कोई व्यक्ति, चाहे रोजगार की शर्तें व्यक्त या निहित हों, लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है: -

- a) जो मुख्यतः प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत है: या
- b) जो पर्यवेक्षक हैसियत में नियोजित होकर पांच सौ रुपए प्रतिमास से अधिक वेतन पाता है या पद से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति के कारण या उसमें निहित शक्तियों के कारण मुख्यतः प्रबंधकीय प्रकृति के कार्य करता है : या
- c) बाह्य श्रमिक कौन है, अर्थात् वह व्यक्ति जिसे प्रधान नियोजकों द्वारा या उनकी ओर से कोई वस्तु या सामग्री प्रधान नियोजकों के व्यापार या कारोबार के प्रयोजन के लिए तैयार, साफ, धुलाई, परिवर्तित, सजावटी परिष्करण, मरम्मत, अपनाने या अन्यथा विक्रय के लिए दी जाती है और यह प्रक्रिया या तो बाह्य श्रमिक के घर में या किसी अन्य परिसर में की जानी है, जो प्रधान नियोजक के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन परिसर न हो। 14 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कर्मकार के रूप में नियोजित नहीं किया जाएगा।

(ii) **उचित मजदूरी से** तात्पर्य समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित और अधिसूचित मजदूरी से है, चाहे वह समय के लिए हो या टुकड़ा-दर-टुकड़ा काम के लिए।

(iii) **ठेकेदारों में** वह प्रत्येक व्यक्ति शामिल होगा जो ठेका श्रम के माध्यम से माल या विनिर्माण की वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी दिए गए परिणाम का उत्पादन करने का कार्य करता है या जो किसी कार्य के लिए ठेका श्रम की आपूर्ति करता है और इसमें उपठेकेदार भी शामिल है।

(iv) **मजदूरी का** वही अर्थ होगा जैसा कि मजदूरी भुगतान अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

(i) **Workman** means any person employed by AAI or its contractor directly or indirectly through a subcontractor with or without the knowledge of the AAI to do any skilled, semiskilled or unskilled manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment are expressed or implied but does not include any person:-

- a) Who is employed mainly in a managerial or administrative capacity: or
- b) Who, being employed in a supervisory capacity draws wages exceeding five hundred rupees per mensem or exercises either by the nature of the duties attached to the office or by reason of powers vested in him, functions mainly of managerial nature :or
- c) Who is an out worker, that is to say, person to whom any article or materials are given out by or on behalf of the principal employers to be made up, cleaned, washed, altered, ornamental finished, repaired, adopted or otherwise processed for sale for the purpose of the trade or business of the principal employers and the process is to be carried out either in the home of the out worker or in some other premises, not being premises under the control and management of the principal employer. No person below the age of 14 years shall be employed to act as a workman.

(ii) **Fair Wages** means wages whether for time or piece work fixed and notified under the provisions of the Minimum Wages Act from time to time.

- (iii) **Contractors** shall include every person who undertakes to produce a given result other than a mere supply of goods or articles of manufacture through contract labour or who supplies contract labour for any work and includes a subcontractor.
- (iv) **Wages** shall have the same meaning as defined in the Payment of Wages Act.

3. i) सामान्यतः किसी वयस्क कर्मचारी का कार्य समय प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। कार्य दिवस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि विश्राम के लिए अंतराल, यदि कोई हो, को शामिल करते हुए, किसी भी दिन 12 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।
- ii) जब किसी वयस्क श्रमिक से किसी दिन 9 घंटे से अधिक या किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम कराया जाता है, तो उसे उसके द्वारा लगाए गए अतिरिक्त घंटों के लिए सामान्य मजदूरी दर से दुगुनी दर पर भुगतान किया जाएगा।
- iii) क) प्रत्येक श्रमिक को समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार, सामान्यतः रविवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा, भले ही वह श्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत आता हो या नहीं।
- (ख) जहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में साप्ताहिक विश्राम दिवस की मजदूरी शामिल नहीं है, वहां श्रमिक अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर विश्राम दिवस की मजदूरी पाने का हकदार होगा, बशर्ते कि उसने एक ही ठेकेदार के अधीन लगातार कम से कम 6 दिन तक काम किया हो।
- (ग) जहां किसी ठेकेदार को प्रभारी इंजीनियर द्वारा किसी श्रमिक को सामान्य साप्ताहिक अवकाश के दिन काम करने की अनुमति दी जाती है, वहां वह उसे सामान्य साप्ताहिक अवकाश के ठीक पहले या बाद के पांच दिनों में से किसी एक दिन पूरे दिन के लिए प्रतिस्थापित अवकाश प्रदान करेगा तथा ऐसे श्रमिक को सामान्य साप्ताहिक अवकाश के दिन किए गए कार्य के लिए ओवरटाइम दर पर मजदूरी का भुगतान करेगा।
- i) Normally working hours of an adult employee should not exceed 9 hours a day. The working day shall be so arranged that inclusive of interval for rest, if any, it shall not spread over more than 12 hours on any day.
- ii) When an adult worker is made to work for more than 9 hours on any day or for more than 48 hours in any week, he shall be paid over time for the extra hours put in by him at double the ordinary rate of wages.
- iii) a) Every worker shall be given a weekly holiday normally on a Sunday, in accordance with the provisions of the Minimum Wages (Central) Rules 1960 as amended from time to time irrespective of whether such worker is governed by the Minimum Wages Act or not.
- b) Where the minimum wages prescribed by the Central/State Government under the Minimum Wages Act are not inclusive of the wages for the weekly day of rest, the worker shall be entitled to rest day wages at the rate applicable to the next preceding day, provided he has worked under the same contractor for a continuous period of not less than 6 days.
- c) Where a contractor is permitted by the Engineer-in-Charge to allow a worker to work on a normal weekly holiday, he shall grant a substituted holiday to him for the whole day on one of the five days immediately before or after the normal weekly holiday and pay wages to such worker for the work performed on the normal weekly holiday at overtime rate.

4. वेतन आदि के संबंध में सूचना का प्रदर्शन

DISPLAY OF NOTICE REGARDING WAGES ETC.

ठेकेदार को, अनुबंध पर अपना कार्य आरंभ करने से पहले, कार्य स्थल पर स्पष्ट और पठनीय स्थिति में, अंग्रेजी में और अधिकांश श्रमिकों द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय भारतीय भाषाओं में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें, भुगतान की जाने वाली वास्तविक मजदूरी, कार्य के घंटे जिसके लिए ऐसी मजदूरी अर्जित की जाती है, मजदूरी की अवधि, मजदूरी के भुगतान की तारीखें और परिशिष्ट 'VIII' के अनुसार अन्य प्रासंगिक जानकारी प्रदर्शित करनी होगी तथा उसे सही ढंग से बनाए रखना होगा।

The contractor shall before he commences his work on contract, display and correctly maintain and continue to display and correctly maintain in a clear and legible condition in conspicuous places on the work, notices in English and in the local Indian languages spoken by the majority of the workers giving the minimum rates of wages fixed under Minimum Wages Act, the actual wages being paid, the hours of work for which such wage are earned, wages periods, dates of payments of wages and other relevant information as per Appendix 'VIII'.



5. मजदूरी का भुगतान PAYMENT OF WAGES

- (i) ठेकेदार मजदूरी अवधि निर्धारित करेगा जिसके संबंध में मजदूरी देय होगी।
- (ii) कोई भी मजदूरी अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी।
- (iii) किसी प्रतिष्ठान में या किसी ठेकेदार द्वारा, जहां एक हजार से कम ऐसे व्यक्ति नियोजित हैं, ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी का भुगतान उस मजदूरी अवधि के अंतिम दिन के बाद सातवें दिन की समाप्ति से पूर्व और अन्य मामलों में दसवें दिन की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा जिसके संबंध में मजदूरी देय है।
- (iv) जहां किसी भी श्रमिक का रोजगार ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से समाप्त किया जाता है, उसके द्वारा अर्जित मजदूरी का भुगतान उसके रोजगार की समाप्ति की तारीख से दूसरे कार्य दिवस की समाप्ति से पहले किया जाएगा।
- (v) मजदूरी का समस्त भुगतान कार्य दिवस में कार्य परिसर में तथा कार्य समय के दौरान तथा पूर्व में अधिसूचित तिथि को किया जाएगा तथा यदि मजदूरी अवधि की समाप्ति से पूर्व कार्य पूरा हो जाता है तो अंतिम भुगतान अंतिम कार्य दिवस के 48 घंटे के भीतर किया जाएगा।
- (vi) प्रत्येक श्रमिक को देय मजदूरी का भुगतान उसे सीधे या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को किया जाएगा।
- (vii) सभी मजदूरी का भुगतान प्रचलित सिक्के या मुद्रा अथवा दोनों में किया जाएगा।
- (viii) मजदूरी का भुगतान किसी भी प्रकार की कटौती के बिना किया जाएगा, सिवाय उन कटौतियों के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट की गई हों या मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अनुमेय हों।
- (ix) मजदूरी की अवधि तथा मजदूरी के संचितरण का स्थान और समय दर्शाने वाला एक नोटिस कार्य स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा ठेकेदार द्वारा इसकी एक प्रति प्रभारी इंजीनियर को पावती सहित भेजी जाएगी।
- (x) यह ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह वरिष्ठ अधीक्षक अभियांत्रिकी या प्रभारी अभियंता के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मजदूरी का वितरण सुनिश्चित करे, जिसे ठेकेदार द्वारा कामगारों को मजदूरी के वितरण के स्थान और समय पर उपस्थित रहना होगा।
- (xi) ठेकेदार प्रभारी इंजीनियर या प्रभारी इंजीनियर के अधिकृत प्रतिनिधि से “मजदूरी रजिस्टर” या “मजदूरी-सह-मस्टर रोल” में प्रविष्टियों के अंत में अपने हस्ताक्षर के तहत एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित प्रारूप में:
“प्रमाणित किया जाता है कि कॉलम संख्या में दर्शाई गई राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारी को मेरी उपस्थिति में को पर कर दिया गया है।”

नोट: बैंक के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किए जाने की स्थिति में, ठेकेदार को संबंधित अवधि के लिए विधिवत हस्ताक्षरित बैंक स्टेटमेंट की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

- (i) The contractor shall fix wage periods in respect of which wages shall be payable.
- (ii) No wage period shall exceed one month.
- (iii) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor where less than one thousand such persons are employed shall be paid before the expiry of seventh day and in other cases before the expiry of tenth day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.
- (iv) Where the employment of any worker is terminated by or on behalf of the contractor the wages earned by him shall be paid before the expiry of the second working day from the date on which his employment is terminated.
- (v) All payment of wages shall be made on a working day at the work premises and during the working time and on a date notified in advance and in case the work is completed before the expiry of the wage period, final payment shall be made within 48 hours of the last working day.
- (vi) Wages due to every worker shall be paid to him direct or to other person authorised by him in this behalf.
- (vii) All wages shall be paid in current coin or currency or in both.
- (viii) Wages shall be paid without any deductions of any kind except those specified by the Central Government by general or special order in this behalf or permissible under the Payment of Wages Act 1956.
- (ix) A notice showing the wages period and the place and time of disbursement of wages shall be displayed at the place of work and a copy sent by the contractor to the Engineer-in-Charge under acknowledgement.



- (x) It shall be the duty of the contractor to ensure the disbursement of wages in the presence of the Senior Superintendent Engg or authorised representative of the Engineer-in-Charge who will be required to be present at the place and time of disbursement of wages by the contractor to workmen.
- (xi) The contractor shall obtain from Engineer in charge or the authorised representative of the Engineer-in-Charge a certificate under his signature at the end of the entries in the "Register of Wages" or the "Wage-cum-Muster Roll" as the case may be in the following form:
"Certified that the amount shown in column No. has been paid to the workman concerned in my presence on at....."

Note: In case of payment of wages paid through bank, the contractor shall submit a copy of bank statement for relevant period duly signed by him.

6. जुर्माना और वेतन से की जाने वाली कटौतियाँ

FINES AND DEDUCTIONS WHICH MAY BE MADE FROM WAGES

- (i) किसी श्रमिक को उसका वेतन निम्नलिखित के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कटौती के बिना दिया जाएगा:
 - a) जुर्माना
 - b) ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर कटौती, अर्थात् उस स्थान या स्थानों से जहाँ उसके रोजगार की शर्तों के अनुसार उसे काम करना अपेक्षित है। कटौती की राशि उस अवधि के अनुपात में होगी जिसके लिए वह अनुपस्थित था।
 - c) नियोजित व्यक्ति को अभिरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से सौंपे गए माल की क्षति या हानि के लिए कटौती, या धन की हानि के लिए कटौती या कोई अन्य कटौती जिसका हिसाब देने की उससे अपेक्षा की जाती है, जहाँ ऐसी क्षति या हानि सीधे तौर पर उसकी उपेक्षा या चूक के कारण हुई हो।
 - d) अग्रिम राशि की वसूली या वेतन, अग्रिम राशि के अधिक भुगतान के समायोजन के लिए कटौती दी गई राशि को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
 - e) कोई अन्य कटौती जो केन्द्र सरकार समय-समय पर दे सकती है।
- (ii) किसी भी श्रमिक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए, सिवाय उसके द्वारा किए गए ऐसे कार्यों और चूकों के संबंध में जिन्हें मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
नोट: जिन कार्यों और चूकों के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है उनकी अनुमोदित सूची परिशिष्ट-XII में संलग्न है।
- (iii) किसी श्रमिक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और उसके वेतन से तब तक कोई क्षति या हानि के लिए कटौती नहीं की जाएगी जब तक कि श्रमिक को ऐसे जुर्माने या कटौतियों के विरुद्ध कारण बताते का अवसर नहीं दे दिया गया हो।
- (iv) किसी श्रमिक पर किसी एक मजदूरी अवधि में लगाया जाने वाला जुर्माना की कुल राशि उस मजदूरी अवधि के संबंध में उसे देय कुल मजदूरी के एक रुपये में तीन पैसे के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी।
- (v) किसी भी कर्मचारी पर लगाया गया कोई भी जुर्माना उससे किशतों में या लगाए जाने की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के पश्चात वसूल नहीं किया जाएगा।
- (vi) प्रत्येक जुर्माना उस दिन लगाया गया समझा जाएगा जिस दिन वह कार्य या चूक के संबंध में लगाया गया था।
- (i) The wages of a worker shall be paid to him without any deduction of any kind except the following:
 - a) Fines
 - b) Deductions for absence from duty i.e. from the place or the places where by the terms of his employment he is required to work. The amount of deduction shall be in proportion to the period for which he was absent.
 - c) Deduction for damage to or loss of goods expressly entrusted to the employed person for custody, or for loss of money or any other deduction which he is required to account, where such damage or loss is directly attributable to his neglect or default.
 - d) Deduction for recovery of advances or for adjustment of overpayment of wages, advances granted shall be entered in a register.
 - e) Any other deduction which the Central Government may from time to time allow.
- (ii) No fines should be imposed on any worker save in respect of such acts and omissions on his part as have been approved of by the Chief Labour Commissioner.



Note: An approved list of Acts and Omissions for which fines can be imposed is enclosed at Appendix-XII.

- (iii) No fine shall be imposed on a worker and no deduction for damage or loss shall be made from his wages until the worker has been given an opportunity of showing cause against such fines or deductions.
- (iv) The total amount of fine which may be imposed in any one wage period on a worker shall not exceed an amount equal to three paise in a rupee of the total wages, payable to him in respect of that wage period.
- (v) No fine imposed on any worker shall be recovered from him by installment, or after the expiry of sixty days from the date on which it was imposed.
- (vi) Every fine shall be deemed to have been imposed on the day of the act or omission in respect of which it was imposed.

7. श्रम रिकॉर्ड

LABOUR RECORDS

- (i) ठेकेदार को सीएल (आर एंड ए) केंद्रीय नियम 1971 (परिशिष्ट VI) के फॉर्म XIII में अनुबंध पर काम पर नियोजित व्यक्तियों का एक रजिस्टर बनाए रखना होगा।
- (ii) ठेकेदार को अनुबंध के तहत कार्य पर उसके द्वारा नियोजित सभी कामगारों के संबंध में सीएल (आर एंड ए) नियम 1971 (परिशिष्ट VII) के फॉर्म XVI में एक मस्टर रोल रजिस्टर बनाए रखना होगा।
- (iii) ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित सभी कामगारों के संबंध में मजदूरी रजिस्टर बनाए रखेगा।
सीएल (आर एंड ए) नियम 1971 (परिशिष्ट VIII) के फॉर्म XVII में अनुबंध के तहत कार्य
- (iv) **दुर्घटना रजिस्टर** - ठेकेदार दुर्घटनाओं का एक रजिस्टर ऐसे प्रारूप में बनाए रखेगा जैसा कि कार्य स्थल पर सुविधाजनक हो, किन्तु उसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:
 - (a) दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों का पूर्ण विवरण।
 - (b) मजदूरी की दर
 - (c) लिंग
 - (d) आयु
 - (e) दुर्घटना की प्रकृति और दुर्घटना का कारण
 - (f) दुर्घटना का समय और तारीख
 - (g) अस्पताल में भर्ती होने की तिथि और समय
 - (h) अस्पताल से छुट्टी की तारीख
 - (i) उपचार की अवधि और उपचार का परिणाम
 - (j) चिकित्सा अधिकारी द्वारा मूल्यांकित कमाई क्षमता और विकलांगता की हानि का प्रतिशत
 - (k) कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत भुगतान किया जाने वाला दावा।
 - (l) मुआवजे के भुगतान की तिथि
 - (m) भुगतान की गई राशि तथा उस व्यक्ति का विवरण जिसे भुगतान किया गया
 - (n) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा मुआवजे का आकलन किया गया।
 - (o) टिप्पणियां
- (v) ठेकेदार को सी.एल.(आर.एंड.ए.) नियम, 1971 (परिशिष्ट-XIII) के प्रपत्र XII में **जुमाने का रजिस्टर बनाए रखना होगा।**
ठेकेदार को उन कार्यों और चूकों की अनुमोदित सूची को अच्छी स्थिति में तथा कार्यस्थल के सुस्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करना होगा जिनके लिए जुमाना लगाया जा सकता है (परिशिष्ट-XII)
- (vi) ठेकेदार **क्षति या हानि के लिए कटौती का एक रजिस्टर फॉर्म XX में बनाए रखेगा।**
सीएल (आर एंड ए) नियम 1971 (परिशिष्ट-XIV)
- (vii) ठेकेदार को सीएल (आर एंड ए) नियम 1971 (परिशिष्ट-XV) के फॉर्म XXIII में **अग्रिमों का रजिस्टर बनाए रखना होगा।**
- (viii) ठेकेदार को सीएल (आर एंड ए) नियमों के फॉर्म XXIII में **ओवरटाइम का रजिस्टर बनाए रखना होगा**
1971 (परिशिष्ट-XVI)।

- (i) The contractor shall maintain a Register of persons employed on work on contract in Form XIII of the CL(R&A) Central Rules 1971 (Appendix VI)
- (ii) The contractor shall maintain a Muster Roll register in respect of all workmen employed by him on the work under Contract in Form XVI of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix VII).
- (iii) The contractor shall maintain a Wage Register in respect of all workmen employed by him on the work under contract in Form XVII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix VIII)
- (iv) **Register of accident** - The contractor shall maintain a register of accidents in such form as may be convenient at the work place but the same shall include the following particulars :
 - (a) Full particulars of the labourers who met with accident.
 - (b) Rate of Wages
 - (c) Sex
 - (d) Age
 - (e) Nature of accident and cause of accident
 - (f) Time and date of accident
 - (g) Date and time when admitted in Hospital
 - (h) Date of discharge from the Hospital
 - (i) Period of treatment and result of treatment
 - (j) Percentage of loss of earning capacity and disability as assessed by Medical officer
 - (k) Claim required to be paid under Workmen's Compensation Act.
 - (l) Date of payment of compensation
 - (m) Amount paid with details of the person to whom the same was paid
 - (n) Authority by whom the compensation was assessed.
 - (o) Remarks
- (v) The contractor shall maintain a **Register of Fines** in the Form XII of the CL(R&A) Rules 1971 (Appendix-XIII).
The contractor shall display in a good condition and in a conspicuous place of work the approved list of acts and omissions for which fines can be imposed (Appendix-XII)
- (vi) The contractor shall maintain a **Register of deductions for damage or loss** in Form XX of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix-XIV)
- (vii) The contractor shall maintain a **Register of Advances** in Form XXIII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix-XV)
- (viii) The contractor shall maintain a **Register of Overtime** in Form XXIII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix-XVI).

8. उपस्थिति कार्ड-सह-वेतन पर्ची

ATTENDANCE CARD-CUM-WAGE SLIP

- (i) ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मचारी को (परिशिष्ट-IX) में दिए गए नमूना प्रपत्र में **उपस्थिति कार्ड-सह-मजदूरी पर्ची जारी करेगा**
 - (ii) कार्ड प्रत्येक वेतन अवधि के लिए वैध होगा।
 - (iii) ठेकेदार प्रत्येक कर्मकार की उपस्थिति कार्ड पर प्रतिदिन दो बार दर्ज करेगा, एक बार दिन के प्रारम्भ में तथा दूसरी बार विश्राम अंतराल के बाद, वास्तव में काम शुरू करने से पहले।
 - (iv) कार्ड संदर्भित मजदूरी अवधि के दौरान श्रमिक के कब्जे में रहेगा।
 - (v) ठेकेदार को संदर्भित मजदूरी अवधि के संबंध में मजदूरी के वितरण से कम से कम एक दिन पहले कार्ड के पीछे मजदूरी पर्ची वाला भाग पूरा करना होगा।
 - (vi) ठेकेदार मजदूरी वितरण के समय वेतन पर्ची पर श्रमिक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा तथा कार्ड अपने पास रखेगा।
- (i) The contractor shall issue an **Attendance card-cum-wage** slip to each workman employed by him in the specimen form at (Appendix-IX)
 - (ii) The card shall be valid for each wage period.
 - (iii) The contractor shall mark the attendance of each workman on the card twice each day, once at the commencement of the day and again after the rest interval, before he actually starts work.
 - (iv) The card shall remain in possession of the worker during the wage period under reference.

- (v) The contractor shall complete the wage slip portion on the reverse of the card at least a day prior to the disbursement of wages in respect of the wage period under reference.
- (vi) The contractor shall obtain the signature or thumb impression of the worker on the wage slip at the time of disbursement of wages and retain the card with himself.

9. रोजगार कार्ड
EMPLOYMENT CARD

ठेकेदार प्रत्येक श्रमिक को उसके रोजगार के तीन दिन के भीतर सीएल (आर एंड ए) केंद्रीय नियम 1971 के प्रपत्र XIV में रोजगार कार्ड जारी करेगा (परिशिष्ट-X)।

The contractor shall issue an **Employment Card** in Form XIV of the CL (R&A) Central Rules 1971 to each worker within three days of the employment of the worker (Appendix-X).

10. सेवा प्रमाणपत्र
SERVICE CERTIFICATE

किसी भी कारण से रोजगार की समाप्ति पर, ठेकेदार उस कर्मचारी को, जिसकी सेवाएं समाप्त की गई हैं, सी.एल.(आर.एंड.ए.) केन्द्रीय नियम 1971 के प्रपत्र XV में सेवा प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

On termination of employment for any reason whatsoever the contractor shall issue to the workman whose services have been terminated, a **Service certificate** in Form XV of the CL(R&A) Central Rules 1971.

11. श्रम अभिलेखों का संरक्षण PRESERVATION OF LABOUR RECORDS

विनियम संख्या 6 और 7 के अंतर्गत बनाए रखे जाने वाले सभी अभिलेखों को उनमें की गई अंतिम प्रविष्टियों की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मूल रूप में संरक्षित किया जाएगा तथा उन्हें प्रभारी इंजीनियर या श्रम अधिकारी या शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

All records required to be maintained under Regulations Nos. 6 & 7 shall be preserved in original for a period of three years from the date of last entries made in them and shall be made available for inspection by the Engineer-in-Charge or Labour Officer or any other officers authorised by the Ministry of Urban Development in this behalf.

12. श्रम अधिकारी की जांच या पूछताछ करने की शक्ति
POWER OF LABOUR OFFICER TO MAKE INVESTIGATIONS OR ENQUIRY

श्रम अधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा उनकी ओर से अधिकृत किसी व्यक्ति को उचित मजदूरी खण्डों और इन विनियमों के प्रावधानों का उचित और उचित पालन सुनिश्चित करने और लागू करने के उद्देश्य से जांच करने का अधिकार होगा। वह ऐसे प्रावधान के संबंध में ठेकेदार या उपठेकेदार द्वारा की गई चक के बारे में किसी भी शिकायत की जांच करेगा।

The Labour Officer or any person authorised by Central Government on their behalf shall have power to make enquiries with a view to ascertaining and enforcing due and proper observance of Fair Wage Clauses and the Provisions of these Regulations. He shall investigate into any complaint regarding the default made by the contractor or subcontractor in regard to such provision.

13. श्रम अधिकारी की रिपोर्ट

REPORT OF LABOUR OFFICER

श्रम अधिकारी या उपर्युक्त रूप से प्राधिकृत अन्य व्यक्ति अपनी जांच या पूछताछ के परिणाम की रिपोर्ट संबंधित प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि यदि कोई चूक हुई है, तो वह किस सीमा तक हुई है, साथ ही यह भी बताया जाएगा कि ठेकेदार के बिल से आवश्यक कटौती की जाए और संबंधित मजदूरों को मजदूरी और अन्य बकाया राशि का भगतान किया जाए यदि ठेकेदार द्वारा इन विनियमों के



खंड 13 के तहत अपील की जाती है, तो मजदूरों को वास्तविक भुगतान प्रभारी अभियंता द्वारा जीएम इंजीनियरिंग द्वारा ऐसी अपील पर अपना निर्णय दिए जाने के बाद किया जाएगा।

(i) प्रभारी अभियंता, श्रम अधिकारी या महाप्रबंधक अभियंता, जैसा भी मामला हो, से रिपोर्ट प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर संबंधित श्रमिकों को भुगतान की व्यवस्था करेगा।

The Labour Officer or other persons authorised as aforesaid shall submit a report of result of his investigation or enquiry to the Engineer-in-Charge concerned indicating the extent, if any, to which the default has been committed with a note that necessary deductions from the contractor's bill be made and the wages and other dues be paid to the labourers concerned. In case an appeal is made by the contractor under Clause 13 of these regulations, actual payment to labourers will be made by the Engineer-in-Charge after G.M. Engg. has given his decision on such appeal.

(i) Engineer-in-Charge shall arrange payments to the labour concerned within 45 days from the receipt of the report from the Labour Officer or the G.M. Engineer as the case may be.

14. श्रम अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील

APPEAL AGAINST THE DECISION OF LABOUR OFFICER

श्रम अधिकारी या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के निर्णय और सिफारिशों से व्यथित कोई भी व्यक्ति, निर्णय की तिथि से 30 दिन के भीतर संबंधित प्रभारी अभियंता को ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है, किन्तु ऐसी अपील के अधीन रहते हुए, अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

Any person aggrieved by the decision and recommendations of the Labour Officer or other person so authorised may appeal against such decision to the Engineer-in-Charge concerned within 30 days from the date of decision, but subject to such appeal, the decision of the officer shall be final and binding upon the contractor.

15. वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व के संबंध में निषेध

PROHIBITION REGARDING REPRESENTATION THROUGH LAWYER

(i) कोई भी कर्मकार इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी जांच या पूछताछ में निम्नलिखित द्वारा प्रतिनिधित्व पाने का हकदार होगा:

- (a) किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी जिसका वह सदस्य है।
- (b) ट्रेड यूनियनों के महासंघ का कोई पदाधिकारी जिससे खंड (क) में निर्दिष्ट ट्रेड यूनियन संबद्ध है।
- (c) जहां नियोजक किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं है, वहां उस उद्योग से संबंधित पंजीकृत ट्रेड यूनियन के किसी पदाधिकारी द्वारा जिसमें कर्मकार नियोजित है या उस उद्योग में नियोजित किसी अन्य कर्मकार द्वारा जिसमें कर्मकार नियोजित है।

(ii) नियोजक इन विनियमों के अंतर्गत किसी जांच या पूछताछ में निम्नलिखित द्वारा प्रतिनिधित्व पाने का हकदार होगा:

- (a) नियोजकों के किसी संघ का पदाधिकारी जिसका वह सदस्य है।
- (b) नियोजकों संघों के महासंघ का कोई अधिकारी, जिससे खंड (क) में निर्दिष्ट संघ संबद्ध है।
- (c) जहां नियोजक किसी नियोजक संघ का सदस्य नहीं है, वहां उस उद्योग से संबंधित नियोजक संघ के किसी अधिकारी द्वारा जिसमें नियोजक लगा हुआ है, या किसी अन्य नियोजक द्वारा, जो उस उद्योग में लगा हुआ है जिसमें नियोजक लगा हुआ है।

(iii) इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी जांच या पूछताछ में कोई भी पक्ष कानूनी व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व पाने का हकदार नहीं होगा।

(i) A workman shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these regulations by :

- a) An officer of a registered trade union of which he is a member.
- b) An officer of a federation of trade unions to which the trade union referred to in Clause (a) is affiliated.



- c) Where the employer is not a member of any registered trade union, by an officer of a registered trade union, connected with the industry in which the worker is employed or by any other workman employed in the industry in which the worker is employed.
- (ii) An employer shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these regulations by :
 - a) An officer of an association of employers of which he is a member.
 - b) An officer of a federation of associations of employers to which association referred to in Clause (a) is affiliated.
 - c) Where the employer is not a member of any association of employers, by an officer of an association of employer connected with the industry in which the employer is engaged or by any other employer, engaged in the industry in which the employer is engaged.
- (iii) No party shall be entitled to be represented by a legal practitioner in any investigation or enquiry under these regulations.

16. पुस्तकों और पर्चियों का निरीक्षण

INSPECTION OF BOOKS AND SLIPS

ठेकेदार अपने किसी भी कर्मचारी या अपने एजेंट को उचित सूचना प्राप्त होने के बाद सुविधाजनक समय और स्थान पर या श्रम अधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सभी निर्धारित श्रम अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

17. रिटर्न प्रस्तुत करना

SUBMISSION OF RETURNS

ठेकेदार को समय-समय पर निर्दिष्ट आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

The contractor shall submit periodical returns as may be specified from time to time.

18. संशोधन

AMENDMENTS

केन्द्रीय सरकार/एएआई समय-समय पर विनियमों में कुछ जोड़ या संशोधन कर सकती है तथा उन विनियमों के अनुप्रयोग/व्याख्या या प्रभाव से संबंधित किसी भी प्रश्न पर संबंधित महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) का निर्णय अंतिम होगा।

The Central Government/AAI may from time to time add to or amend the regulations and on any question as to the application/interpretation or effect of those regulations the decision of the General Manager (Engg.) concerned shall be final.



सुरक्षा जमा के बदले बैंक गारंटी का प्रारूप और व्यक्तिगत अनुबंध में देरी के लिए मुआवजे के विरुद्ध रोकी गई राशि
(100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

**FORM OF BANK GUARANTEE IN LIEU OF SECURITY DEPOSIT & AMOUNT
WITHHELD AGAINST COMPENSATION FOR DELAY IN INDIVIDUAL CONTRACT
(on Non-Judicial Stamp Paper of Rs.100/-)**

**[खंड 1ए और 2बी देखें]
[Refer Clause 1A and 2B]**

प्रति

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

.....
.....

To

The Airports Authority of India

.....
.....

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होने के मद्देनजर [जिसे आगे “एएआई” कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके प्रशासक, उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे] के कार्य के संबंध में और एएआई के बीच किए गए अनुबंध समझौता संख्या दिनांक की शर्तों और नियमों के तहत सहमत हो गया है (जिसे आगे उक्त अनुबंध कहा जाएगा) ठेकेदार द्वारा जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि के बदले में या ठेकेदारों से उक्त ठेकेदार में निहित समय के अंतिम विस्तार तक देरी के लिए मुआवजे के रूप में रोकी गई राशि के बदले में एक राष्ट्रीयकृत बैंक से रुपये (केवल रुपये) के लिए यहां प्रदान की गई गारंटी का विलेख स्वीकार करने के लिए हम, ... बैंक (जिसे आगे “उक्त बैंक” कहा जाएगा और हमारा पंजीकृत कार्यालय पर है, इसके द्वारा एएआई को समय-समय पर रुपये (रुपये केवल) की सीमा तक किसी भी नुकसान या क्षति, लागत, शुल्क और व्यय के लिए क्षतिपूर्ति करने और रखने के लिए सहमत हैं, जो उक्त अनुबंध में निहित किसी भी नियम और शर्त के उक्त ठेकेदार द्वारा किसी भी उल्लंघन के कारण एएआई को हुआ या झेलना पड़ सकता है और मांग पर एएआई द्वारा दावा की गई राशि का बिना शर्त और पूर्वोक्त सीमा तक बिना किसी आपत्ति के भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

In consideration of the Airport Authority of India having its head office at New Delhi [hereinafter called the “AAI” which expression shall unless repugnant to the subject or context include its administrator, successors and assigns) having agreed under the terms and condition of Contract Agreement No. dated.....made between.....and AAI in connection with the work of(hereinafter called the said contract) to accept Deed of Guarantee as herein provided for Rs.....(Rupees.....only) from a Nationalized Bank in lieu of the Security deposit to be made by the contractor or lieu of the amount withheld towards compensation for delay pending final extension of time to be made from the contractors contained in the said Contractor. We, the.....bank (hereinafter referred to as “the said Bank” and having our registered office at do hereby under take and agree to identify and keep indemnified AAI from time to time to the extent of Rs.....(Rupees.....only) against any loss or damage, cost,, charges and expenses caused to or suffered by or that may be caused to or suffered by AAI by reason of any breach or breaches by the said Contractor of any of the terms and condition



contained in the said contract and to unconditionally pay the amount claimed by AAI on demand and without demur to the extent aforesaid.

2. हम बैंक, इस बात पर भी सहमत हैं कि एएआई इस बात का एकमात्र निर्णायक होगा कि क्या उक्त ठेकेदार ने उक्त अनुबंध के किसी भी नियम व शर्त का कोई उल्लंघन किया है या नहीं और इसके कारण एएआई को हुई या झेली गई हानि, क्षति, लागत, प्रभार और व्यय की सीमा और एएआई का यह निर्णय कि उक्त ठेकेदार ने ऐसा उल्लंघन किया है और एएआई को समय-समय पर हुई या झेली गई हानि, क्षति, लागत, प्रभार और व्यय की राशि अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगी।

We Bank, further agree that AAI shall be the sole judge of and as to whether the said Contractor has committed any breach or breaches of any of the terms and conditions of the said contract and the extent of loss, damage, costs, charges and expenses caused to or suffered by or that may be caused to or suffered by AAI on account thereof and the decision of AAI that the said Contractor has committed such breach and breaches and as to the amount or amounts of loss, damage, costs, charges and expenses caused to or suffered of that may be caused to or suffered by AAI from time to time shall be final and binding on us.

3. हम, उक्त बैंक, इस बात पर भी सहमत हैं कि इसमें निहित गारंटी उक्त अनुबंधों के निष्पादन के लिए ली जाने वाली अवधि के दौरान पूरी तरह लागू रहेगी और तब तक लागू रहेगी जब तक कि उक्त अनुबंध के तहत एएआई के सभी बकाए या उक्त अनुबंध को नियंत्रित करने वाले किसी भी नियम और शर्तों के आधार पर, जिसमें देरी के लिए मुआवजा भी शामिल है, जैसा कि एएआई द्वारा तय किया गया है, पूरी तरह से भुगतान नहीं कर दिया जाता है और उसके दावे संतुष्ट या निपटाए नहीं जाते हैं और जब तक अनुबंध का स्वीकार करने वाला प्राधिकारी यह प्रमाणित नहीं कर देता है कि नियम और शर्तों और तदनुसार अनुबंध उक्त ठेकेदार द्वारा पूरी तरह और उचित रूप से किया गया है और तदनुसार इस गारंटी के अधीन को निपटारा जाता है, हालांकि एएआई के पास दोषपूर्ण देयता अवधि या एएआई द्वारा दिए गए समय के अंतिम / विस्तार की समाप्ति की तारीख से 90(नब्बे) दिनों के बाद इस गारंटी के तहत कोई दावा नहीं होगा, जैसा कि उक्त अनुबंध में प्रदान किए गए अनुबंध खंड संख्या में उपलब्ध है, अर्थात्(तारीख) या उक्त अनुबंध को रद्द करने की तारीख से, जैसा भी मामला हो, जब तक कि इस गारंटी के तहत दावे की सूचना बैंक को उस अवधि की समाप्ति से पहले नहीं दी गई है, जिस स्थिति में गारंटी के तहत दावे की सूचना बैंक को दी गई है। यह बैंक के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, भले ही यह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् लागू किया गया हो।

We, the said Bank, further agree that the Guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said contracts and till all the dues of AAI under the said contract or by virtue of any of the terms and conditions governing the said contract including compensation for delay if any as decided by AAI, have been fully paid and its claims satisfied or discharged and till the Accepting Authority of the contract certifies that the terms and condition and accordingly Contract have been fully and properly carried out by the said contractor and accordingly discharges this guarantee subject, however that AAI shall have no claim under this Guarantee after 90(Ninety) days from the date of expiry of the defects Liabilities periods or Final /Extension of Time granted by AAI as provided available in agreements clause no.....as provided in the said Contract, i.e.....(date) or from the date of cancellation of the said contract, as the case may be, unless a notice of the claim under this Guarantee has been served on the Bank before the expiry of the period in which case the same shall be enforceable against the Bank notwithstanding the fact, that the same is enforced after the expiry of the said period.

3. एएआई को इस गारंटी या क्षतिपूर्ति के तहत बैंक की देयता को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना समय-समय पर उक्त अनुबंध की किसी भी शर्त में परिवर्तन करने या उक्त ठेकेदार द्वारा निष्पादन का समय बढ़ाने या किसी भी समय के लिए और समय-समय पर उक्त ठेकेदार के खिलाफ इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति को स्थगित करने और एएआई को उपलब्ध उक्त अनुबंध या प्रतिभूतियों को नियंत्रित करने वाले किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या लागू करने से मना करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और उक्त बैंक एएआई द्वारा उपरोक्त मामलों के संदर्भ में किसी भी स्वतंत्रता के किसी भी प्रयोग या उक्त ठेकेदार को समय दिए जाने या एएआई की ओर से किसी अन्य सहनशीलता, कार्य या चूक या एएआई द्वारा उक्त ठेकेदार को किसी तरह की रियायत या किसी अन्य मामले या चीज के कारण इन वर्तमान के तहत अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा, जो कि जमानत से संबंधित कानून के तहत इस प्रावधान के बिना बैंक को उसके ऐसे दायित्व से मुक्त करने का प्रभाव डालती है।

We, the said Bank, further agree that the Guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said contracts and



till all the dues of AAI under the said contract or by virtue of any of the terms and conditions governing the said contract including compensation for delay if any as decided by AAI, have been fully paid and its claims satisfied or discharged and till the Accepting Authority of the contract certifies that the terms and condition and accordingly Contract have been fully and properly carried out by the said contractor and accordingly discharges this guarantee subject, however that AAI shall have no claim under this Guarantee after 90(Ninety) days from the date of expiry of the defects Liabilities periods or Final /Extension of Time grated by AAI as provided available in agreements clause no.....as provided in the said Contract, i.e.....(date) or from the date of cancellation of the said contract, as the case may be, unless a notice of the claim under this Guarantee has been served on the Bank before the expiry of the period in which case the same shall be enforceable against the Bank notwithstanding the fact, that the same is enforced after the expiry of the said period.

5. एएआई के लिए बैंक के विरुद्ध कार्यवाही करने से पहले ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा और इसमें निहित गारंटी बैंक के विरुद्ध लागू होगी, भले ही एएआई ने ठेकेदार से उस समय कोई सुरक्षा प्राप्त की हो या प्राप्त कर सकता है जब बैंक के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, वह बकाया हो या वसूल नहीं की गई हो।

It shall not be necessary for AAI to proceed against the contractor before proceeding against the Bank and the Guarantee herein contained shall be enforceable against the Bank, notwithstanding any security which AAI may have obtained or obtain from the Contractor at the time when proceedings are taken against the Bank hereunder be outstanding or unrealized.

6. हम, उक्त बैंक, अंततः यह वचन देते हैं कि एएआई की लिखित में पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को इसके प्रचलन के दौरान रद्द नहीं करेंगे और इस बात से सहमत हैं कि उक्त अनुबंध या उक्त बैंक के संविधान में कोई भी प्रभार इसके तहत हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा।

We, the said Bank, lastly undertake not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of AAI in writing and agree that any charge in the Constitution of the said Contract or the said Bank shall not discharge our liability hereunder.

की उपस्थिति में

इस दिन _____ यह तारीख

गवाह

- 1.
- 2.

(बैंक) के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ताक्षर _____

नाम और पदनाम _____

प्राधिकरण संख्या _____

नाम एवं स्थान _____

बैंक की मुहर _____

उपरोक्त गारंटी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वीकार की जाती है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पद का नाम _____

दिनांकित _____



The above Guarantee is accepted by Airports Authority of India.
For and on behalf of Airports Authority of India

Signature _____

Name _____

Designation _____

Dated _____

In presence of

Dated this _____ Day of _____

WITNESS

1.

2.

For and on behalf of (The Bank)

Signature _____

Name & Designation _____

Authorisation No. _____

Name & Place _____

Bank's Seal _____



बयाना राशि जमा के विरुद्ध बैंक गारंटी का प्रारूप

जबकि, ठेकेदार _____ (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे “ठेकेदार” कहा जाएगा) ने “_____” (कार्य का नाम) (जिसे आगे “निविदा” कहा जाएगा) के निर्माण के लिए दिनांक _____ (तारीख) को अपनी निविदा प्रस्तुत की है।

सभी लोग इन प्रस्तुतियों से जानते हैं कि हम _____ (बैंक का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है (जिसे इसके बाद बैंक कहा जाएगा) _____ (वरिष्ठ प्रबंधक का नाम) (जिसे इसके बाद प्रभारी अभियंता कहा जाएगा) से _____ (रुपये शब्दों में _____) की राशि के लिए बाध्य हैं, जिसके लिए उक्त प्रभारी अभियंता को सही ढंग से भुगतान किया जाना है, बैंक इन प्रस्तुतियों द्वारा स्वयं, उसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों को बाध्य करता है।

बैंक की सामान्य मुहर के साथ आज दिनांक..... 20..... को मुहरबंद किया गया।

इस दायित्व की शर्तें हैं:

- (1) यदि निविदा खुलने के बाद ठेकेदार निविदा वापस ले लेता है, तो निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट निविदा की वैधता अवधि (निविदा की विस्तारित वैधता सहित) के दौरान उसकी निविदा वापस ले ली जाएगी।
- (2) यदि ठेकेदार को प्रभारी इंजीनियर द्वारा उसकी निविदा स्वीकार किये जाने की सूचना दे दी गई है।
 - a) यदि आवश्यक हो तो ठेकेदार को दिए गए निर्देशों के अनुसार अनुबंध के प्रारूप को निष्पादित करने में विफल रहता है या इनकार करता है - या
 - b) निविदा दस्तावेज के प्रावधानों और ठेकेदार को दिए गए निर्देशों के अनुसार निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है या इनकार करता है, या
 - c) अनुबंध के प्रावधानों और ठेकेदार को दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य शुरू करने में विफल रहता है या इनकार करता है, या
 - d) अनुबंध प्रदान किए जाने के पश्चात सुरक्षा जमा के विरुद्ध इस बैंक गारंटी के बराबर राशि की नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है या मना कर देता है।

हम प्रभारी इंजीनियर को उसकी प्रथम वापसी मांग प्राप्त होने पर उपरोक्त राशि या उसके भाग का भुगतान करने का वचन देते हैं, प्रभारी इंजीनियर को अपनी मांग को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि अपनी मांग में प्रभारी इंजीनियर यह नोट करेगा कि उसके द्वारा दावा की गई राशि, उपरोक्त शर्तों में से एक या किसी एक की सहमति के कारण उसे देय है, जिसमें उत्पन्न हुई स्थिति या शर्तों का उल्लेख किया गया हो।

यह गारंटी निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक _____ तक लागू रहेगी, जैसा कि ठेकेदार को दिए गए निर्देशों में बताया गया है या जैसा कि प्रभारी इंजीनियर द्वारा बढ़ाया जा सकता है, बैंक को दी गई इस अवधि के विस्तार की सूचना से छूट दी गई है। इस गारंटी के संबंध में कोई भी मांग बैंक को उपरोक्त तिथि से पहले नहीं मिलनी चाहिए।

तारीख

बैंक का हस्ताक्षर

गवाह

मुहर

(हस्ताक्षर नाम और पता)

* तिथि की गणना निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से 6 महीने की वैधता अवधि के आधार पर की जाएगी।



APPENDIX-1A

FORM OF BANK GUARANTEE AGAINST EARNEST MONEY DEPOSIT

WHEREAS, contractor _____ (Name of contractor) (hereinafter called "the contractor") has submitted his tender dated _____ (date) for the construction of "_____" (name of work) (hereinafter called "the TENDER").

KNOW ALL PEOPLE by these presents that we _____ (name of bank) having our registered office at _____ (hereinafter called "the bank") are bound unto _____ (Name of Senior Manager) (hereinafter called "the Engineer-in-charge") in the sum of Rs. _____ (Rs. In words _____) for which payment well truly to be made to the said Engineer-in-charge the bank binds itself, his successors and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the Bank this _____ day of _____ 20 ____.

THE CONDITIONS of this obligation are:

- (3) If after tender opening the Contractor withdraws his tender during the period of validity of tender (including extended validity of tender) specified in the Form of Tender.
- (4) If the contractor having been notified of the acceptance of his tender by the engineer-in-charge.
 - a) Fails or refuses to execute the form of Agreement in accordance with the instructions to contractor, if required –
OR
 - b) Fails or refuses to furnish the performance guarantee, in accordance with the provisions of tender document and instructions to contractor,
OR
 - c) Fails or refuses to start the work, in accordance with the provisions of the contract and instructions to contractor,
OR
 - d) Fails or refuses to submit fresh bank guarantee of an equal amount of this bank guarantee against security deposit after award of contract.

We undertake to pay to the engineer-in-charge either up to the above amount or part thereof upon receipt of his first return demand, without the engineer-in-charge having to substantiate his demand, provided that in his demand the engineer-in-charge will note that the amount claimed by him is due to him owing to the concurrence of one or any of the above conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This guarantee will remain in force up to and including the date* _____ after the deadline for submission of tender as such deadline is stated in the instructions to contractor or as it may be extended by the engineer-in-charge, notice of which extension (s) to the bank is hereby waived. Any demand in respect of this guarantee should reach the bank not later than the above date.

DATE

SIGNATURE OF THE BANK

WITNESS
(SIGNATURE NAME AND ADDRESS)

SEAL

* Date to be worked out on the basis of validity period of 6 months from last date of receipt of tender.



परिशिष्ट II

अनिवार्य परीक्षणों के लिए प्रपत्र चालू खाता बिलों के साथ संलग्न किया जाएगा

कार्य का नाम: ठेकेदार का नाम

अनुबंध अनुबंध संख्या और दिनांक आर/ए बिल संख्या

क्रम. नहीं।	वस्तु	मात्रा अनुबंध के अनुसार	विनिर्देश के अनुसार आवृत्ति	आवश्यक परीक्षणों की संख्या	अद्यतन मात्रा	आवश्यक परीक्षणों की संख्या	वास्तव में किए गए परीक्षणों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट: यदि किए गए परीक्षणों की संख्या आवश्यकता से कम है, तो कारण दर्ज किए जाएंगे।

अधीक्षक (इंजीनियरिंग) के हस्ताक्षर

प्रभारी अभियंता के हस्ताक्षर

प्रबंधक / एएम (इंजीनियरिंग) के हस्ताक्षर



APPENDIX-II

PROFORMA FOR MANDATORY TESTS TO BE ATTACHED WITH RUNNING ACCOUNT BILLS

Name of work:..... Name of Contractor.....

Contract Agreement No. and Date..... R/A Bill

No.....

Sl. No.	Item	Quantities as per Agreement	Frequency as per Specification	No. of Tests Required	Upto date Quantity	No. of Tests Required	No. of Tests actually done	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Note: If the number of tests done are less than required, then reasons shall be recorded.

Signature of Sudt. (Engg)

Signature of Engineer-in-Charge.

Signature of Manager / AM (Engg)

A.A.I.

GCC160



मातृत्व लाभ रजिस्टर (धारा 19 एफ)

ठेकेदार का नाम और पता

कार्य का नाम और स्थान

कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	रोजगार की प्रकृति	वास्तविक रोजगार की अवधि	वह तारीख जिस दिन कारावास की सूचना दी गई
1	2	3	4	5

--	--	--	--	--

मातृत्व अवकाश शुरू होने और समाप्त होने की तिथि

प्रसव/गर्भपात की तिथि	<u>डिलीवरी के मामले में</u>		<u>डिलीवरी के मामले में</u>	
	प्रारंभ	समाप्त	प्रारंभ	समाप्त
6	7	8	9	10

--	--	--	--	--

कर्मचारी को दिया गया अवकाश वेतन

<u>डिलीवरी के मामले में</u>		<u>गर्भपात के मामले में</u>		टिप्पणी
छुट्टी वेतन की दर	राशि का भुगतान	छुट्टी वेतन की दर	राशि का भुगतान	
11	12	13	14	15

--	--	--	--	--



APPENDIX-III

REGISTER OF MATERNITY BENEFITS (Clause 19 F)

Name and address of the
contractor.....

Name and location of the
work.....

Name of the employee	Father's/husband's name	Nature of employment	Period of actual employment	Date on which notice of confinement given
1	2	3	4	5

Date on which maternity leave commenced and ended

Date of delivery/miscarriage	<u>In case of delivery</u>		<u>In case of delivery</u>	
	Commenced	Ended	Commenced	Ended
6	7	8	9	10

Leave Pay paid to the employee

<u>In case of delivery</u>		<u>In case of miscarriage</u>		Remark
Rate of leave pay	Amount paid	Rate of leave pay	Amount paid	
11	12	13	14	15



ठेकेदार के श्रम में मातृत्व लाभ प्रवेश के संबंध में रजिस्टर का नमूना प्रपत्र
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्य (धारा 19एफ)

ठेकेदार का नाम और पता-----

कार्य का नाम और स्थान-----

- 1) महिला का नाम और उसके पति का नाम
- 2) पद का नाम
- 3) अपॉइंटमेंट की तिथि
- 4) वह तारीख तथा महीने व वर्ष जिसमें वह कार्यरत है।
- 5) निर्वहन/बर्खास्तगी की तिथि, यदि कोई हो
- 6) गर्भावस्था के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि
- 7) वह तिथि जिस दिन महिला अपेक्षित प्रसव के बारे में सूचित करती है।
- 8) प्रसव/गर्भपात/मृत्यु की तिथि।
- 9) प्रसव/गर्भपात के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि।
- 10) अपेक्षित प्रसव से पहले भुगतान की गई मातृत्व/मृत्यु लाभ की राशि सहित तिथि
- 11) मातृत्व लाभ के बाद के भुगतान की राशि के साथ तारीख
- 12) मृत्यु के बाद मातृत्व लाभ का भुगतान प्राप्त करने के लिए महिला द्वारा नामित व्यक्ति का नाम।
- 13) यदि महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु की तारीख, उस व्यक्ति का नाम जिसे मातृत्व लाभ राशि का भुगतान किया गया था, उसका महीना और रजिस्टर में तारीख।
- 14) रजिस्टर में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने वाले ठेकेदार के हस्ताक्षर।
- 15) निरीक्षण अधिकारी के उपयोग के लिए टिप्पणी कॉलम।



APPENDIX-IV

**SPECIMEN FORM OF THE REGISTER, REGARDING MATERNITY BENEFIT
ADMISSION TO THE CONTRACTOR'S LABOUR IN
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA WORKS(CLAUSE 19F)**

Name and address of the contractor-----
Name and location of the work-----

- 16) Name of the woman and her husband's name
- 17) Designation
- 18) Date of appointment
- 19) Date with months and years in which she is employed.
- 20) Date of discharge/dismissal, if any
- 21) Date of production of certificates in respect of pregnancy.
- 22) Date on which the woman informs about the expected delivery.
- 23) Date of delivery/miscarriage/death.
- 24) Date of production of certificate in respect of delivery/miscarriage.
- 25) Date with the amount of maternity/death benefit paid in advance of expected delivery
- 26) Date with amount of subsequent payment of maternity benefit
- 27) Name of the person nominated by the woman to receive the payment of the maternity benefit after the death.
- 28) If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefit amount was paid, the month thereof and the date in the register.
- 29) Signature of the contractor authenticating entries in the register.
- 30) Remarks column for the use of Inspection Officer.



श्रम बोर्ड

कार्य का नाम

ठेकेदार का नाम-----

----- ठेकेदार का पता -----

एएआई डिवीजन का नाम और पता -----

एएआई श्रम अधिकारी का नाम -----

एएआई श्रम अधिकारी का पता -----

एएआई श्रम अधिकारी का नाम-----

क्र.सं. वर्ग न्यूनतम वेतन तय वास्तविक भुगतान वर्तमान संख्या टिप्पणी

किया गया वेतन

साप्ताहिक अवकाश -----

मजदूरी अवधि -----

मजदूरी भुगतान की तिथि -----

कार्य के घंटे -----

विश्राम अंतराल-----



APPENDIX-V

Labour Board

Name of work

Name of Contractor-----

-----Address of Contractor -----

Name and address of A. A. I. Division -----

Name of A. A. I. Labour Officer -----

Address of A. A. I. Labour Officer -----

Name of A.A.I Labour Officer-----

Sl.No. Category Minimum

wage fixed Actual wage

paid Number

present Remark

Weekly holiday -----

Wage period -----

Date of payment of wages -----

Working hours -----

Rest interval-----



Form-XIIIAPPENDIX-VI

[See rule 2(1)]
[Part-A: For all Establishments]
Register of Workmen Employed by Contractor

Name and address of contractor.....

Name and address of establishment which contractor is carried on.....

Name and location of work.....

Name and address of Principal Employer.....

Name of the Establishment-----Name of Owner-----LIN-----

Sl. No.	Employee Code	Name	Surname	Gender	Father's/Spouse Name	Date of Birth#	Nationality	Education Level	Date of Joining	Designation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Category Address *(HS/S/SS/US)	Type of Employment	Mobile	UAN	PAN	ESIC IP	LWF	AADHAAR	Bank A/c Number	Bank	Branch (IFSC)	Present Address	Permanent
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Servie Book No.	Date of Exit	Reason for Exit	Mark of Identification	Photo	Specimen Signature/Thumb Impression	Remarks
25	26	27	28	29	30	31

*(Highly Skilled/Skilled/Semi Skilled/Un Skilled)

#Note: In case the age is between 14 to 18 years, mention the nature of work, daily hours of work and Intervals of rest in the remarks

Column.फॉर्म-XIII परिशिष्ट-VI

बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (परिशिष्ट)



[नियम 2(1) देखें]
[भाग-ए: सभी प्रतिष्ठानों के लिए]
ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता

उस प्रतिष्ठान का नाम और पता जिस पर ठेकेदार कार्य करता है

कार्य का नाम और स्थान.....

प्रधान नियोक्ता का नाम और पता

प्रतिष्ठान का नाम-----मालिक का नाम-----LIN-----

क्रम सं.	कर्मचारी कोड	नाम	उपनाम	लिंग	पिता/पति/पत्नी का नाम	जन्म तिथि#	राष्ट्रीयता	शिक्षा का स्तर	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	पद का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

श्रेणी पता *(एचएस/एस/एसएस/यू एस)	रोजगार के प्रकार	मोबाइल	यूएन	पैन	ईएसआईसी आईपी	एलडब्ल्यूएफ	आधार	बैंक खाता संख्या	बैंक	शाखा (आईएफए सी)	वर्तमान पता	स्थायी
12	१३	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

सर्विस बुक नं.	निकास की तिथि	बाहर निकलने का कारण	पहचान का चिह्न	तस्वीर	नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	टिप्पणी
25	26	27	28	29	30	३१

*(अत्यधिक कुशल/कुशल/अर्ध कुशल/अकुशल)

#नोट: यदि आयु 14 से 18 वर्ष के बीच है, तो टिप्पणी कॉलम में कार्य की प्रकृति, दैनिक कार्य के घंटे और आराम के अंतराल का उल्लेख करें।

A.A.I.

GCC168



फॉर्म XVI
[नियम 78 (2) (ए) (आई) देखें]

मस्टर रोल

ठेकेदार का नाम और पता

उस प्रतिष्ठान का नाम और पता जिस पर ठेकेदार कार्य करता है

कार्य का नाम और

स्थान.....

प्रधान नियोक्ता का नाम और पता पखवाड़े के महीने के लिए

क्रम 1	कामगार का नाम 2	सेक्स 3	पिता का/ पति का 4	तारीख					टिप्पणी
				1	2	3	4	5	



Form-XVI
[See Rule 78 (2) (a) (i)]

Muster Roll

Name and address
of contractor.....

Name and address of establishment which contractor is carried
on.....

Name and location of
work.....

Name and address of Principal Employer.....For the month of
fortnight.....

Sl . 1	Name of work Man 2	Sex 3	Father's/ Husband's 4	Date					Remark
				1	2	3	4	5	

बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (परिशिष्ट)



फॉर्म बी

[नियम 78(1)(ए)(i) देखें]

वेतन रजिस्टर का प्रारूप

परिशिष्ट-VIII

ठेकेदार का नाम और पता

उस प्रतिष्ठान का नाम और पता जिस पर ठेकेदार कार्य करता है

कार्य का नाम और स्थान

प्रधान नियोक्ता का नाम और पता पखवाड़े के महीने के लिए

न्यूनतम मजदूरी की दर और दिनांक से.....				
	अत्यधिक कुशल	कुशल	अर्द्ध कुशल	अकुशल
न्यूनतम मूल राशि				
डीए				
अधिक समय तक				

प्रतिष्ठान का नाम _____ मालिक का नाम _____ वेतन अवधि _____ से _____ तक

(मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक/दैनिक/टुकड़ा दर)

कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या	नाम	मजदूरी की दर	काम किये गए दिनों की संख्या	ओवरटाइम काम के घंटे	बुनियादी	विशेष बेसिक	डीए	ओवरटाइम भुगतान	एचआरए	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

A.A.I.

GCC171

बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (परिशिष्ट)



कटौती D								शुद्ध भुगतान	नियोक्ता शेयर पीएफ कल्याण निधि
पीएफ	ईएसआईसी	सोसाइटी	आयकर	बीमा	अन्य	वसूलियां	कुल		
१३	14	15	16	17	18	19	20	21	22

कर्मचारी द्वारा रसीद/बैंक लेनदेन आईडी	भुगतान की तिथि	टिप्पणी
23	24	25



FORM B
[See Rule 78 (1) (a) (i)]
FORMAT FOR WAGE REGISTER

APPENDIX-VIII

Name and address of contractor.....

Name and address of establishment which contractor is carried on.....

Name and location of work.....

Name and address of Principal Employer.....For the month of fortnight.....

Rate of Minimum Wages and since the date.....				
	Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	Un Skilled
Minimum Basic				
DA				
Overtime				

Name of the Establishment _____ Name of Owner _____ LIN _____ Wage period

From _____ To _____ (Monthly/Fortnightly/Weekly/Daily/Piece Rated)

Sl. No. in Employee register	Name	Rate of Wage	No. of Days worked	Overtime hours worked	Basic	Special Basic	DA	Payments Overtime	HRA	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (परिशिष्ट)



Deduction								Net Payment	Employer Share PF Welfare Found
PF	ESIC	Society	Income Tax	Insurance	Others	Recoveries	Total		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Receipt by Employee/Bank Transaction ID	Date of Payment	Remarks
23	24	25

बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (परिशिष्ट)



फॉर्म सी

ऋण/वसूली रजिस्टर का प्रारूप

प्रतिष्ठान का नाम _____ LIN _____

कर्मचारी रजिस्टर में क्रमांक	नाम	वसूली का प्रकार (क्षति/हानि/जुर्माना/अग्रिम/ऋण)	विवरण	क्षति/हानि की तिथि*	मात्रा
1	2	3	4	5	6

क्या कारण बताओ नोटिस जारी किया गया*	*की उपस्थिति में स्पष्टीकरण सुना गया*	किस्तों की संख्या	पहला महीना/वर्ष	पिछला महीना/वर्ष	पूर्ण पुनर्प्राप्ति की तिथि	टिप्पणी
7	8	9	10	11	12	१३

*केवल क्षति/हानि/जुर्माना के मामले में लागू



FORM C
FORMAT OF REGISTER OF LOAN/ RECOVERIES

Name of Establishment _____ LIN _____

Sl. Number In Employee register	Name	Recovery Type (Damage/loss/fine/advance/loans)	Particulars	Date of damage/Loss*	Amount
1	2	3	4	5	6

Whether show cause issued*	Explanation heard in presence of*	Number of Instalments	First Month/Year	Last Month/Year	Date of Complete Recovery	Remarks
7	8	9	10	11	12	13

*Applicable only in case of damage/loss/fine

बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (परिशिष्ट)



फॉर्म-XVII [नियम 78 (2) (ए) देखें]

मजदूरी रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता

उस प्रतिष्ठान का नाम और पता जिस पर ठेकेदार कार्य करता है

कार्य का नाम और स्थान.....

प्रधान नियोक्ता का नाम और पता पखवाड़े के महीने के लिए

							मजदूरी की राशि								
क्रम	कामगार का नाम	कर्मकार रजिस्टर में क्रमांक	किये गये कार्य का विवरण/प्रकृति	काम किये गये दिनों की संख्या	किये गये कार्य की इकाइयाँ	दैनिक मजदूरी दरें/ टुकड़ा दर	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	अधिक समय तक	अन्य नकद भुगतान. (प्रकृति बताएं)	कुल	कटौती यदि कोई हो (प्रकृति का संकेत दें)	भुगतान की गई शुद्ध राशि	कामगारों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	प्रारंभिक ठेकेदार उसका प्रतिनिधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	१३	14	15	16



Form-XVII [See Rule 78 (2) (a)]

Register of wages

Name and address of contractor.....

Name and address of establishment which contractor is carried on.....

Name and location of work.....

Name and address of Principal Employer.....For the month of fortnight.....

							Amount of wages								
S. No	Name of workman	Serial no in the register of workman	Description/ nature of work done	No. of days worked	Units of work done	Daily rates of wages/ piece rate	Basic wages	Dearness Allowance	Over-time	Other cash payment. (indicate nature)	Total	Deduction if any (indicate nature)	Net amount paid	Sig. or thumb impression of the workmen	Initial contract or his representative
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

परिशिष्ट-VIIIA

बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (परिशिष्ट)



वेतन का

मजदूरी कार्ड संख्या
ठेकेदार का नाम और पता जारी करने की तिथि
कार्य का नाम एवं स्थान.....पदनाम.....
कर्मकार का नाम.....माह/पखवाड़ा.....
मजदूरी की दर.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3		
									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1

सुबह दर

शाम मात्रा

हस्ताक्षर

.....से मुझे अपने वेतन के रूप में रु. की राशि प्राप्त हुई।

वेतन कार्ड जारी होने की तिथि से एक माह तक वैध है।

हस्ताक्षर



APPENDIX-VIIIA

WAGE CARD

Wages Card No.....

Name and Address of Contractor.....Date of issue.....

Name and location of work.....Designation.....

Name of workman.....Month/Fortnight.....

Rate of Wages.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	31
									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	0

Morning

Rate

Evening

Amount

Initial

Received from.....the sum of Rs.....on account of my wages
Signature

The Wage Card is valid for one month from the date of iss



19/फॉर्म-XIX परिशिष्ट-IX

78 (2)

[नियम 78(1)(बी) देखें]

वेतन पर्ची

ठेकेदार का नाम और पता

कामगार का नाम और पिता/पति का नाम.....

कार्य का नाम और स्थान.....

दिनांक को समाप्त होने वाले सप्ताह/पखवाड़े/माह के लिए

1. काम किये गये दिनों की संख्या.....
2. टुकड़ा दर पर काम करने वाले श्रमिकों के मामले में काम की गई इकाइयों की संख्या
3. दैनिक मजदूरी दर/टुकड़ा दर.....
4. ओवरटाइम मजदूरी की राशि.....
5. देय सकल मजदूरी.....
6. कटौती, यदि कोई हो.....
7. भुगतान की गई मजदूरी की शुद्ध राशि.....

ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के नाम के प्रथमाक्षर



19/Form-XIX
78 (2)
[See rule 78 (1) (b)]

APPENDIX-IX

Wages Slip

Name and address of contractor.....

Name and Father's/Husband name of workman.....

Name and location of work.....

For the week/Fortnight/Month ending.....

8. No. of days worked.....

9. No. of units worked in case of piece rate workers.....

10. Rate of daily wages/piece rate.....

11. Amount of overtime wages.....

12. Gross wages payable.....

13. Deduction, if any.....

14. Net amount of wages paid.....

Initials of the contractor or his representative



14/फॉर्म-XIV

[नियम 76 देखें]

रोजगार कार्ड

ठेकेदार का नाम और पता

उस प्रतिष्ठान का नाम और पता जिसके अंतर्गत चलाया जाता है।

कार्य का नाम और कार्य का स्थान

प्रधान कर्मचारी का नाम और पता

1. कामगार का नाम.....

2. नियोजित कर्मकार के रजिस्टर में क्रमांक.....

3. रोजगार/पदनाम की प्रकृति.....

4. मजदूरी दर (टुकड़े-टुकड़े में काम के मामले में इकाई के विवरण के साथ).....

5. मजदूरी अवधि.....

6. रोजगार की अवधि.....

7. टिप्पणी.....

ठेकेदार के हस्ताक्षर



APPENDIX-X

14/Form-XIV
[See rule 76]
Employment Card

- Name and address of contractor.....
- Name and address of establishment under which is carried.....
- Name of work and location of work.....
- Name and address of Principal Employee.....
8. Name of the workman.....
9. SI. No. in the register of workman employed.....
10. Nature of employment/designation.....
11. Wage rate (with particulars of unit in case of piece work).....
12. Wage period.....
13. Tenure of employment.....
14. Remark.....

Signature of Contractor



प्रदर्शन सुरक्षा का स्वरूप (गारंटी)
बैंक गारंटी बांड
(100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

1. अध्यक्ष के विचार में, एएआई (जिसे आगे “एएआई” कहा जाएगा) ने
हम (बैंक का नाम बताएं) (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) एएआई द्वारा मांग किए जाने पर अध्यक्ष, एएआई को रुपये (रुपये मात्र) से अधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।
2. हम (बैंक का नाम बताएं) इस गारंटी के तहत देय राशि का भुगतान बिना किसी संकोच के करने का वचन देते हैं, केवल एएआई की इस मांग पर कि दावा की गई राशि उक्त ठेकेदार(ओं) से देय या संभावित वसूली को पूरा करने के लिए आवश्यक है। बैंक पर की गई ऐसी कोई भी मांग इस गारंटी के तहत बैंक द्वारा देय और देय राशि के संबंध में निर्णायक होगी। हालाँकि, इस गारंटी के तहत हमारी देयता रु. (केवल रु.) से अधिक नहीं होगी।
3. हम, उक्त बैंक, अध्यक्ष, एएआई को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में ठेकेदार(ओं) द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद या विवादों के बावजूद मांगी गई किसी भी राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं, इस वर्तमान के तहत हमारी देयता पूर्ण और स्पष्ट है।

के तहत हमारे द्वारा किया गया भुगतान इसके तहत भुगतान के लिए हमारे दायित्व का वैध निर्वहन होगा और ठेकेदार(ओं) का ऐसे भुगतान के लिए हमारे विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।
4. हम (बैंक का नाम इंगित करें) इस बात से भी सहमत हैं कि इसमें निहित गारंटी उक्त समझौते के निष्पादन के लिए ली जाने वाली अवधि के दौरान पूर्ण रूप से लागू रहेगी और यह सब तक लागू रहेगी जब तक कि उक्त समझौते के तहत या इसके आधार पर एएआई के सभी बकाए का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं कर दिया जाता है और इसके दावों को संतुष्ट या निर्वहन नहीं कर दिया जाता है या जब तक एएआई की ओर से प्रभारी अभियंता यह प्रमाणित नहीं कर देता है कि उक्त समझौते की शर्तों और नियमों का उक्त ठेकेदार(ओं) द्वारा पूर्ण रूप से और उचित रूप से पालन किया गया है और तदनुसार इस गारंटी का निर्वहन नहीं कर दिया जाता है।
5. हम (बैंक का नाम इंगित करें) एएआई के साथ इस बात पर भी सहमत हैं कि एएआई को हमारी सहमति के बिना और किसी भी तरह से हमारे दायित्वों को प्रभावित किए बिना उक्त समझौते के किसी भी नियम और शर्तों में बदलाव करने या उक्त ठेकेदार(ओं) द्वारा समय-समय पर प्रदर्शन के समय को बढ़ाने या उक्त ठेकेदार(ओं) के खिलाफ एएआई द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति को किसी भी समय या समय-समय पर स्थगित करने और उक्त समझौते से संबंधित किसी भी नियम और शर्तों को टालने और लागू करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और हम उक्त ठेकेदार(ओं) को दिए गए किसी भी ऐसे बदलाव, या विस्तारों या एएआई की ओर से किसी भी सहनशीलता, चूक के कार्य या एएआई द्वारा उक्त ठेकेदार(ओं) के प्रति किसी तरह की रियायत या किसी ऐसे मामले या चीज के कारण अपने दायित्व से मुक्त नहीं होंगे, जो प्रतिभूतियों से संबंधित कानून के तहत, लेकिन इस प्रावधान के लिए, हमें राहत देने का प्रभाव डालती हो।
6. बैंक या ठेकेदार(ओं) के संविधान में परिवर्तन के कारण यह गारंटी समाप्त नहीं होगी।
7. हम (बैंक का नाम बताएं) अंत में यह वचन देते हैं कि एएआई की लिखित में पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।
8. यह गारंटी तक वैध रहेगी जब तक कि एएआई द्वारा मांग पर इसे आगे न बढ़ाया जाए। ऊपर वर्णित किसी भी बात के बावजूद, इस गारंटी के विरुद्ध हमारी देयता रु. (केवल रु.) तक सीमित है और जब तक कि इस गारंटी की समाप्ति की तिथि या विस्तारित समाप्ति की तिथि से छह महीने के भीतर लिखित में दावा दर्ज नहीं किया जाता है, इस गारंटी के तहत हमारी सभी देयताएं समाप्त हो जाएंगी।



की उपस्थिति में

गवाह

- 1.
- 2.

इस दिन _____ डेट किया _____

(बैंक) के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ताक्षर _____

नाम और पदनाम _____

प्राधिकरण संख्या _____

नाम एवं स्थान _____

बैंक की मुहर _____

उपरोक्त गारंटी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वीकार की जाती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पद का नाम _____

दिनांकित _____

नोट: * वैधता की तिथि निर्धारित समाप्ति तिथि + छह माह होनी चाहिए।

APPENDIX-XI

FORM OF PERFORMANCE SECURITY (GUARANTEE) Bank Guarantee Bond (On Non-Judicial Stamp Paper of Rs100/-)

1. In consideration of the Chairman, AAI (hereinafter called "AAI") having offered to accept the terms and conditions of the proposed agreement between
[hereinafter called the said contractor(s)] for the work (hereinafter "the said agreement") having agreed to production of a irrevocable Bank Guarantee for Rs.

A.A.I.

D

GCC186



..... (Rupees only) as a security / guarantee from the contractor(s) for compliance of his obligations in accordance with the terms and conditions in the said agreement.

We (Indicate the name of the Bank) (hereinafter referred to as “the Bank”) hereby undertake to pay to the Chairman, AAI an amount not exceeding Rs. (Rupees only) on demand by AAI.

2. We (Indicate the name of the Bank) do hereby undertake to pay the amounts due to payable under this Guarantee without any demure, merely on a demand from AAI stating that the amount claimed is required to meet the recoveries due or likely to be due from the said contractor(s). Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this Guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs.(Rupees only).
3. We, the said Bank, further undertake to pay the Chairman, AAI any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the contractor(s) in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto, our liability under this present being absolute and unequivocal.

The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment there under and the contractor(s) shall have no claim against us for making such payment.

4. We..... (Indicate the name of bank) further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of AAI under or by virtue of the said agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till Engineer-In-Charge on behalf of AAI certified that the terms and conditions of the said agreement have been fully and properly carried out by the said contractor(s) and accordingly discharges this guarantee.
5. We..... (indicate the name of the bank) further agree with AAI that AAI shall have the fullest liberty without our consent and without effecting in any manner our obligations hereunder to vary any of terms and conditions of the said agreement or to extend time of performance by the said contractor(s) from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by AAI against in the said contractor(s) and to forebear and enforce any of the terms and conditions relating to the said agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extensions being granted to the said contractor(s) or for any forbearance, act of omission on the part of AAI or any indulgence by the AAI to the said contractor(s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to securities would, but for this provision, have effect of so
6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the contractor(s).
7. We..... (Indicate the name of the bank) lastly undertake not to revoke this guarantee except with the previous consent of AAI in writing.
8. This guarantee shall be valid upto unless extended on demand by AAI. Notwithstanding anything mentioned above, our liability against this guarantee is restricted to Rs. (Rupees only) and unless a claim in writing is lodged within six months of the date of expiry or the extended date of expiry of this guarantee all our liabilities under this guarantee shall stand discharged.



In presence of

Dated this _____ Day of _____

Witness

- 1.
- 2.

Deleted

For and on behalf of (The Bank)

Signature _____

Name & Designation _____

Authorisation No. _____

Name & Place _____

Bank's Seal _____

The above Guarantee is accepted by Airports Authority of India. For and on behalf of Airports Authority of India

Signature _____

Name _____

Designation _____

Dated _____

Note : * Date of validity should be schedule date of completion + Six months.

परिशिष्ट-XI-A

जमाकर्ता से बैंक को वचन पत्र का प्रारूप

(सुरक्षा जमा / बयाना राशि / निष्पादन गारंटी के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना है)

(फर्म के लेटर हेड में प्रस्तुत किया जाना है)

शाखा प्रबंधक,

.....किनारा,

.....

A.A.I.

GCC188

बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (परिशिष्ट)



विषय:- मेरी/हमारी बैंक गारंटी संख्या दिनांक राशि के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण खाता
..... के पक्ष में जारी की गई।

महोदय,

विषयगत बैंक गारंटी मेसर्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मुझे/हमें दिए गए/ दिए जाने वाले अनुबंध के कारण **सुरक्षा जमा / बयाना राशि / निष्पादन गारंटी के प्रयोजनार्थ आपके बैंक से प्राप्त की गई है।**

मैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को, जिसके पक्ष में जमा राशि जमा की गई है, प्राधिकृत करता हूँ कि वह परिपक्वता से पूर्व/परिपक्वता पर बकाया राशि के समायोजन के लिए मेरे/हमारे पक्ष से किसी संदर्भ/सहमति/नोटिस के बिना बैंक गारंटी को बंद कर दे तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान करके बैंक को पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाए।

जमाकर्ता के हस्ताक्षर

जगह:

तारीख:

APPENDIX-XI-A

Format for Letter of undertaking from the Depositor to Bank
(To be submitted along with Security Deposit / Earnest Money / Performance Guarantee to
Airports Authority of India)
(To be submitted in the Letter head of the firm)

The Branch Manager,
.....Bank,
.....

A.A.I.

GCC189



Sub: - My / Our Bank Guarantee bearing No.....dated for amount.....
Issued in favour of Airport Authority of India A/c.....

Sir,

The subject Bank Guarantee is obtained from your bank for the purpose of **Security Deposit / Earnest Money / Performance Guarantee** on account of contract awarded / to be awarded by M/s Airports Authority of India to me / us.

I hereby authorized the Airport Authority of India in whose favour the deposit is made to close the subject Bank Guarantee before maturity/ on maturity toward adjustment of dues without any reference /consent /notice from me / our side and the bank is fully discharged by making the payment to Airport Authority of India.

Signature of the Depositor

Place:

Date:

परिशिष्ट XII

उन कार्यों और चूकों की सूची जिनके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है

एएआई ठेकेदार के श्रम विनियमन के नियम 7(v) के अनुसार कार्य स्थल पर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

1. जानबूझकर अवज्ञा या अवज्ञा, चाहे अकेले या अन्य के साथ मिलकर।

A.A.I.

GCC190



2. एएआई के व्यवसाय या संपत्ति के अलावा ठेकेदारों के संबंध में चोरी, धोखाधड़ी या बेईमानी।
3. रिश्तत या कोई भी अवैध लाभ लेना या देना
4. आदतन देर से आना।
5. नशे में धुत्त होकर प्रकाश करना, उपद्रवी या अव्यवस्थित या उदासीन व्यवहार करना
6. आदतन लापरवाही.
7. उस क्षेत्र के पास या आसपास धूम्रपान न करें जहां ज्वलनशील या अन्य सामग्री बंद हो
8. आदतन अनुशासनहीनता
9. चल रहे कार्य या एएआई या ठेकेदार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना।
10. ड्यूटी पर सोते हुए.
11. काम को टालना या धीमा करना।
12. नाम, आयु, पिता का नाम आदि के संबंध में गलत जानकारी देना।
13. नियोक्ता द्वारा दिए गए वेतन कार्ड का आदतन खो जाना
14. कार्यस्थल पर अनधिकृत कर्णों के विनिर्माण या निर्माण के लिए नियोक्ता की संपत्ति का अनधिकृत उपयोग
15. निर्माण एवं रखरखाव में कुशल श्रमिकों द्वारा खराब कारीगरी, जो विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं है तथा जिसके लिए ठेकेदारों को सुधार करने के लिए बाध्य किया जाता है।
16. झूठी शिकायतें करना और/या भ्रामक बयान देना।
17. प्रतिष्ठानों के परिसर के भीतर व्यापार करना।
18. कर्मचारियों के व्यावसायिक मामलों का कोई भी अनधिकृत प्रकटीकरण।
19. किसी प्रतिष्ठान के परिसर के भीतर किसी भी धन का संग्रह करना या संग्रह के लिए प्रचार करना, जब तक कि नियोक्ता द्वारा अधिकृत न किया गया हो।
20. नियोक्ता की पूर्व अनुमति के बिना परिसर के अंदर बैठक आयोजित करना।
21. परिसर में कार्य समय के दौरान किसी भी कर्मचारी या नियोक्ता को धमकाना या डराना।



APPENDIX-XII

LIST OF ACTS AND OMISSIONS FOR WHICH FINES CAN BE IMPOSED

In accordance with rule 7(v) of the AAI Contractor's Labour Regulations to be displayed prominently at the site of work both in English and local Language.

1. Wilful insubordination or disobedience, whether alone or in combination with other.
2. Theft fraud or dishonesty in connection with the contractors beside a business or property of AAI.
3. Taking or giving bribes or any illegal gratifications
4. Habitual late attendance.
5. Drunkenness lighting, riotous or disorderly or indifferent behaviour
6. Habitual negligence.



7. Smoking near or around the area where combustible or other materials are locked
8. Habitual Indiscipline
9. Causing damage to work in the progress or to property of the AAI or of the contractor.
10. Sleeping on duty.
11. Malingering or slowing down work.
12. Giving of false information regarding name, age, father's name, etc.
13. Habitual loss of wage cards supplied by the employer's
14. Unauthorised use of employer's property of manufacturing or making of unauthorised particles at the work place
15. Bad workmanship in construction and maintenance by skilled workers which is not approved by the Department and for which the contractors are compelled to undertake rectifications.
16. Making false complaints and/or misleading statements.
17. Engaging on trade within the premises of the establishments.
18. Any unauthorised divulgence of business affairs of the employees.
19. Collection or canvassing for the collection of any money within the premises of an establishment unless authorised by the employer.
20. Holding meeting inside the premises without previous sanction of the employers.
21. Threatening or intimidating any workman or employer during the working hours within the premises.

बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (परिशिष्ट)



बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (परिशिष्ट)



परिशिष्ट- XIII

फॉर्म-XVII
[नियम 78(2)(डी) देखें]
जुर्माने का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता

उस प्रतिष्ठान का नाम और पता जिस पर ठेकेदार कार्य करता है

कार्य का नाम और स्थान.....

प्रधान नियोक्ता का नाम और पता

क्र सं.	कामगार का नाम	पिता का/ पति का नाम	पदनाम रोजगार की प्रकृति	वह कार्य या कार्रवाई जिसके लिए जुर्माना लगाया गया	अपराध की तिथि	क्या कामगार ने जुर्माने के विरुद्ध कारण बताया	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी का स्पष्टीकरण सुना गया	मजदूरी अवधि और देय मजदूरी	लगाए गए जुर्माने की राशि	जुर्माना वसूलने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



APPENDIX-XIII

Form-XVII

[See Rule 78 (2) (d)]

Register of Fines

Name and address of contractor.....

Name and address of establishment which contractor is carried on.....

Name and location of work.....

Name and address of Principal Employer.....

SI. No.	Name of workman	Father's/ Husband's Name	Designation nature of employment	Act or action for which fine imposed	Date of Offence	Whether workman showed cause against fine	Name of person in whose presence employee's explanation was heard	Wage period and wages payable	Amount of the imposed	Date on which fine realised	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (परिशिष्ट)



परिशिष्ट-XIV

फॉर्म XVII

[नियम 78 (2) (डी) देखें]

क्षति या हानि के लिए कटौती का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता

उस प्रतिष्ठान का नाम और पता जिसके अंतर्गत अनुबंध किया जा रहा है

कार्य का नाम और स्थान.....

प्रधान नियोक्ता का नाम और पता

क्र.सं.	कामगार का नाम	पिता पति का नाम	पदनाम/रोजगार की प्रकृति	क्षति या हानि का विवरण	क्षति या हानि की तिथि	क्या कामगार ने कटौती के विरुद्ध कारण बताया	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी का स्पष्टीकरण सुना गया	लगाई गई कटौती की राशि	किस्तों की संख्या	वसूली की तिथि		टिप्पणी
										पहली किस्त	अंतिम किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Form-XVII
[See Rule 78 (2) (d)]
Register of Deduction for Damage or Loss

Name and address of Principal Employer.....

[illegible]

बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (परिशिष्ट)



परिशिष्ट XV

फॉर्म XXII
[नियम 78 (2) (डी) देखें]
अग्रिमों का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता

उस प्रतिष्ठान का नाम और पता जिसके अंतर्गत अनुबंध किया जा रहा है

कार्य का नाम और स्थान.....

प्रधान नियोक्ता का नाम और पता

क्र. सं.	कामगार का नाम	पिता पति का नाम	पदनाम/रोजगार की प्रकृति	मजदूरी अवधि और देय मजदूरी	अग्रिम भुगतान की तिथि और राशि	वह उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम भुगतान किया गया	अग्रिम राशि चुकाने हेतु किशतों की संख्या	प्रत्येक किस्त की अदायगी की तिथि और राशि	वह तिथि जब अंतिम किस्त चुकाई गई	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



APPENDIX-XV

Form-XXII
[See Rule 78 (2) (d)]
Register of Advances

Name and address of contractor.....

Name and address of establishment under which contract is carried on.....

Name and location of work.....

Name and address of Principal Employer.....

Sl. No.	Name of workman	Father's Husband's Name	Designation /nature of employment	Wage period and wages payable	Date and amount of advance paid	Purpose for which advance paid	Number of installment by which advance to be repaid	Date and amount of each installment repaid	Date on which last installment was repaid	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (परिशिष्ट)



परिशिष्ट-XVI

फॉर्म-XXIII

[नियम 78(2)(ई) देखें]

ओवरटाइम का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता

उस प्रतिष्ठान का नाम और पता जिसके अंतर्गत अनुबंध किया जा रहा है

कार्य का नाम और स्थान.....

प्रधान नियोक्ता का नाम और पता

क्र. सं.	कामगारों का नाम	पिता का/ पति का नाम	सेक्स	पद का नाम/ रोजगार की प्रकृति	ओवरटाइम कार्य करने की तिथि	टुकड़ा दर के मामले में परियोजना पर काम किया गया कुल ओवरटाइम	मजदूरी की सामान्य दर	ओवरटाइम मजदूरी दर	ओवरटाइम कमाई	ओवरटाइम भुगतान की दर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

A.A.I.

GCC201



Form-XXIII

[See Rule 78 (2) (e)]

Register of Overtime

Name and address of contractor.....

Name and address of establishment under which contract is carried on.....

Name and location of work.....

Name and address of Principal Employer.....

S. No	Name of workmen	Father's/ Husbands Name	Sex	Designation/ nature of employment	Date on which overtime worked	Total overtime worked at project in case of piece rate	Normal rate of wages	Overtime rate of wages	Overtime earning	Rate on which overtime paid	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु सूचना
[धारा 25 देखें]

प्रति

.....
.....
.....

प्रिय महोदय,

समझौते के खंड 25 के अनुसार, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, मैं/हम आपको नीचे उल्लिखित विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने का नोटिस देते हैं:

1. आवेदक का नाम
2. क्या आवेदक व्यक्तिगत/संपत्ति फर्म/साझेदारी फर्म/लिमिटेड कंपनी है?
3. आवेदक का पूरा पता.
4. कार्य का नाम और अनुबंध संख्या जिसमें मध्यस्थ की मांग की गई है।
5. उस कार्यालय का नाम जिसके साथ अनुबंध हुआ।
6. कार्य में अनुबंध राशि.
7. अनुबंध की तिथि.
8. कार्य प्रारंभ करने की तिथि.
9. कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि.
10. कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि (यदि पूरा हो गया हो)।
11. किए गए दावों की कुल संख्या.
12. दावा की गई कुल राशि.
13. अंतिम बिल की सूचना की तिथि (यदि कार्य पूरा हो गया है)।
14. अंतिम बिल भुगतान की तिथि (यदि कार्य पूरा हो गया है)।
15. अंतिम बिल की राशि (यदि कार्य पूरा हो गया है)
16. निर्णय के लिए ईडी को अनुरोध करने की तिथि
17. ईडी के निर्णय की प्राप्ति की तिथि.
18. अपील की तिथि.
19. हमारी अपील पर निर्णय प्राप्ति की तिथि।

आवेदक के नमूना हस्ताक्षर

(केवल उस व्यक्ति/प्राधिकारी को ही हस्ताक्षर करना चाहिए
जिसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं)

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य है। मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं।

1. दावों की राशि सहित दावों का विवरण।
- 2.
- 3.
- 4.

आपका विश्वासी

(हस्ताक्षर)

में कॉपी:

1. प्रभारी अभियंता,
.....



NOTICE FOR APPOINTMENT OF ARBITRATOR
[Refer Clause 25]

To

.....
.....
.....

Dear Sir,

In terms of clause 25 of the agreement, particular of which are given below, I/we hereby give notice to you to appoint an arbitrator for settlement of disputes mentioned below:

20. Name of applicant
21. Whether applicant is Individual/Prop. Firm /Partnership Firm/Ltd. Co.
22. Full address of the applicant.
23. Name of the work and contract number in which arbitrator sought.
24. Name of the office which entered into contract.
25. Contract amount in the work.
26. Date of contract.
27. Date of initiation of work.
28. Stipulated date of completion of work.
29. Actual date of completion of work (if completed).
30. Total number of claim made.
31. Total amount claimed.
32. Date of intimation of final bill (if work is completed).
33. Date of payment of final bill (if work is completed).
34. Amount of final bill (if work is completed).
35. Date of request made to ED for decision.
36. Date of receipt of ED's decision.
37. Date of appeal.
38. Date of receipt of decision on our appeal.

Specimen signature of the applicant
(Only the person/authority who
Signed the contract should sign)

I/We certify that the information given above is true to the best of my/our knowledge. I/We enclose following documents.

5. Statement of claims with amount of claims.
- 6.
- 7.
- 8.

Yours faithfully

(Signature)

Copy to:

2. The Engineer-in-charge,
.....



अखंडता संधि

सत्यनिष्ठा समझौते पर दोनों पक्षों द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में हस्ताक्षर किए जाएंगे

“यह समझौता आज दिन को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय है और जिसका निगमित कार्यालय राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली में है, तथा भारत में में कार्यालय हैं, जिसे इसके पश्चात प्राधिकरण कहा जाएगा (जिस शब्द को संदर्भ द्वारा अपवर्जित या प्रतिकूल होने पर, इसके अध्यक्ष या सदस्य, कार्यकारी निदेशक, हवाईअड्डा निदेशक, अधिकारी या अधीक्षक द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट उनमें से कोई भी शामिल माना जाएगा, तथा इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी भी इसमें शामिल होंगे) के बीच एक पक्ष का हुआ है।

और

D

.....दूसरे पक्ष के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा, जिसे इसके बाद “बोलीदाता/ठेकेदार” कहा जाएगा (यह शब्द, जब तक संदर्भ द्वारा अपवर्जित न किया गया हो या प्रतिकूल न हो, बोलीदाता/ठेकेदार के उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों को शामिल करने वाला समझा जाएगा)

E

चूंकि प्राधिकरण निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत के लिए निविदा/अनुबंध प्रदान करने का इरादा रखता है। प्राधिकरण, व्यावसायिक सिद्धांतों पर अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए, सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के उचित अनुपालन और बोलीदाताओं/ठेकेदारों के साथ अपने संबंधों में प्राकृतिक न्याय, नैतिकता, इकिटी, निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों को महत्व देता है।

चूंकि प्राधिकरण अपने व्यवसाय तंत्र को और अधिक पारदर्शी बनाने का इच्छुक है, इसलिए उपर्युक्त उद्देश्यों/लक्ष्यों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण बर्लिन (जर्मनी) में मुख्यालय वाले प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय गैर - सरकारी संगठन "ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल" (टीआई) द्वारा विकसित साधन को अपनाता है। प्राधिकरण एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) नियुक्त करेगा जो ऊपर वर्णित सिद्धांतों के अनुपालन के लिए निविदा प्रक्रिया और अनुबंध के निष्पादन की निगरानी करेगा।

F

और जबकि बोलीदाता के लिए प्राधिकरण को एक निविदा प्रस्तुत कर रहा है। दिनांक के एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) के जवाब में ठेकेदार के निष्पादन के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहा है। अब, इसलिए, एक ऐसी प्रणाली का पालन करके सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से बचने के लिए जो निष्पक्ष, पारदर्शी और किसी भी प्रभाव/पूर्वाग्रह से मुक्त है, अनुबंध की अवधि से पहले, उसके दौरान और बाद में प्रवेश करने के लिए प्राधिकरण को वांछित स्टोर/उपकरण/कार्यों के निष्पादन को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर परिभाषित विनिर्देशों के अनुरूप प्राप्त करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, उच्च लागत और सार्वजनिक खरीद पर भ्रष्टाचार के विकृत प्रभाव से बचने के लिए, और प्राधिकरण को अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए रिश्त देने या किसी भी भ्रष्ट व्यवहार में लिप्त होने से दूर रहने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें यह आश्वासन देकर कि उनके प्रतिस्पर्धी भी रिश्त देने और अन्य भ्रष्ट आचरण से दूर रहेंगे और प्राधिकरण पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करके अपने अधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होगा।

G

H

1. प्राधिकरण की प्रतिबद्धताएँ;

- 1.1 प्राधिकरण यह वचन देता है कि संविदा से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी, संविदा से संबंधित बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, संविदा या कार्यान्वयन प्रक्रिया में किसी लाभ के बदले में बोलीदाता से, स्वयं के लिए अथवा संविदा से संबंधित किसी व्यक्ति, संगठन अथवा तृतीय पक्ष के लिए, प्रत्यक्ष अथवा मध्यस्थ के माध्यम से, कोई रिश्त,



प्रतिफल, उपहार, इनाम, उपकार अथवा कोई भौतिक अथवा अभौतिक लाभ अथवा कोई अन्य लाभ नहीं मांगेगा, न लेगा, न कोई वादा करेगा, न स्वीकार करेगा।

1.2 प्राधिकरण, पूर्व - संपर्क चरण के दौरान, सभी बोलीदाताओं के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, तथा सभी बोलीदाताओं को एक जैसी जानकारी प्रदान करेगा तथा किसी विशेष बोलीदाता को ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिससे अन्य बोलीदाताओं की तुलना में उस विशेष बोलीदाता को लाभ हो।

1.3 प्राधिकरण के सभी अधिकारी उपर्युक्त प्रतिबद्धताओं के किसी भी प्रयास या पूर्ण उल्लंघन के साथ-साथ ऐसे उल्लंघन के किसी भी पर्याप्त संदेह की सूचना उपयुक्त प्राधिकरण कार्यालय को देंगे।

1.4 यदि बोलीदाता द्वारा ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों की ओर से किसी भी पूर्ववर्ती कदाचार की रिपोर्ट प्राधिकरण को पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्यों के साथ दी जाती है और प्राधिकरण द्वारा उसे प्रथम दृष्टया सही पाया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही या कोई अन्य कार्रवाई, जिसमें आपराधिक कार्यवाही भी शामिल है, शुरू की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को अनुबंध प्रक्रिया से संबंधित आगे के लेन-देन से बंचित कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में जब प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही हो, तो अनुबंध के तहत कार्यवाही रोक दी जाएगी।

1. बोलीदाताओं/ठेकेदार की प्रतिबद्धताएँ.

बोलीदाता/ठेकेदार अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या किसी पूर्व - अनुबंध या पश्चात - अनुबंध चरण के दौरान अनुबंध को सुरक्षित करने या इसे सुरक्षित करने के लिए भ्रष्ट व्यवहार, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है।

2.1 बोलीदाता/ठेकेदार, बोली प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्राधिकरण के किसी अधिकारी को, या अनुबंध से संबंधित किसी व्यक्ति, संगठन या तीसरे पक्ष को, बोली लगाने, मूल्यांकन, अनुबंध करने और अनुबंध के कार्यान्वयन में किसी लाभ के बदले में, सीधे या मध्यस्थ के माध्यम से कोई रिश्ता, उपहार, प्रतिफल, इनाम, उपकार, कोई भौतिक या अभौतिक लाभ या अन्य लाभ, कमीशन, फीस, दलाली या प्रलोभन की पेशकश नहीं करेगा।

2.2 बोलीदाता/संविदाकार यह भी वचन देता है कि उसने अनुबंध प्राप्त करने या प्राधिकरण के साथ अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध को प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति के प्रति अनुबंध या प्राधिकरण के साथ किसी अन्य अनुबंध के संबंध में पक्षपात या प्रतिकूलता दिखाने या न दिखाने के लिए प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई रिश्ता, उपहार, प्रतिफल, इनाम, पक्षपात, कोई भौतिक या अभौतिक लाभ या अन्य फायदा, कमीशन, फीस, दलाली या प्रलोभन नहीं दिया है, देने की पेशकश नहीं की है या देने का वादा नहीं किया है।

2.3 बोलीदाता/संविदाकार ने अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई भी अघोषित समझौता या समझौता नहीं किया है और न ही करेगा, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणन, सहायक अनुबंधों, बोलियों के प्रस्तुतीकरण या गैर - प्रस्तुतीकरण या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में गुटबाजी शुरू करने के लिए किसी भी कार्रवाई पर लागू होता है।

2.4 बोलीदाता/ठेकेदार को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय एजेंटों और प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करना होगा तथा भारतीय बोलीदाताओं को अपने विदेशी प्रिसिपलों या सहयोगियों का खुलासा करना होगा।

2.5 बोलीदाता/ठेकेदार को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय इस बोली/अनुबंध के संबंध में एजेंटों/दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को किए गए सभी भुगतानों का खुलासा करना होगा, या भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा या भुगतान करने का इरादा रखना होगा।



- 2.6 बोलीदाता/ठेकेदार प्राधिकरण के समक्ष यह भी पुष्टि और घोषणा करता है कि बोलीदाता भंडारों का मूल निर्माता/एकीकृतकर्ता/अधिकृत सरकारी प्रायोजित निर्यात इकाई है और उसने बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करने के लिए आधिकारिक या अनाधिकारिक रूप से प्राधिकरण या उसके किसी पदाधिकारी के समक्ष मध्यस्थता करने, सुविधा प्रदान करने या किसी भी तरह से सिफारिश करने के लिए किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, चाहे भारतीय हो या विदेशी, को नियुक्त नहीं किया है, न ही किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी को ऐसी किसी मध्यस्थता, सुविधा या सिफारिश के संबंध में कोई राशि का भुगतान किया गया है, वादा किया गया है या भुगतान करने का इरादा है।
- 2.7 बोलीदाता/ठेकेदार को, बोली प्रस्तुत करते समय या अनुबंध - पूर्व वार्ता के दौरान या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, प्राधिकरण के अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों, एजेंटों, दलालों या अनुबंध के संबंध में किसी अन्य मध्यस्थ को किए गए या किए जाने वाले भुगतानों के लिए प्रतिबद्ध या किए जाने वाले भुगतानों का खुलासा करना होगा तथा ऐसे भुगतानों के लिए सहमत सेवाओं का ब्यौरा भी बताना होगा।
- 2.8 बोलीदाता/ठेकेदार बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, अनुबंध और अनुबंध के कार्यान्वयन की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए अनुबंध में रुचि रखने वाले अन्य पक्षों के साथ मिलीभगत नहीं करेगा।
- 2.9 बोलीदाता/ठेकेदार किसी भी भ्रष्ट आचरण, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों के बदले में कोई लाभ स्वीकार नहीं करेगा।
- 2.10 बोलीदाता/संविदाकार प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेगा, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा वाहक में निहित जानकारी सहित योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के बारे में प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक संबंध के हिस्से के रूप में प्रदान की गई किसी भी जानकारी को दूसरों को नहीं देगा। बोलीदाता/ठेकेदार यह भी वचन देता है कि ऐसी कोई भी जानकारी प्रकट न हो, इसके लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी।
- 2.11 बोलीदाता/ठेकेदार स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर को सूचित करेगा।
- i) यदि उसे अवैध/अनुचित भुगतान/लाभ की मांग प्राप्त होती है।
 - ii) यदि उसे किसी अनैतिक या अवैध भुगतान/लाभ के बारे में पता चलता है।
 - iii) यदि वह प्राधिकरण के किसी सहयोगी को कोई भुगतान करता है।
- 2.12 बोलीदाता/संविदाकार पूर्ण एवं सत्यापन योग्य तथ्यों के समर्थन के बिना सीधे या किसी अन्य तरीके से कोई भी शिकायत करने से परहेज करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- 2.13 बोलीदाता/ठेकेदार किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर वर्णित कोई भी कार्य करने के लिए उकसाएगा या उकसाने का कारण नहीं बनेगा।
- 2.14 यदि बोलीदाता/ठेकेदार या बोलीदाता/ठेकेदार का कोई कर्मचारी या बोलीदाता/ठेकेदार की ओर से काम करने वाला कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्राधिकरण के किसी अधिकारी का रिश्तेदार है, या वैकल्पिक रूप से, यदि प्राधिकरण के किसी अधिकारी के किसी रिश्तेदार का बोलीदाता/ठेकेदार की फर्म में वित्तीय हित/हिस्सेदारी है, तो बोलीदाता/ठेकेदार को निविदा दाखिल करते समय इसका खुलासा करना होगा। इस उद्देश्य के लिए 'रिश्तेदार' शब्द कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया जाएगा।
- 2.15 बोलीदाता/ठेकेदार प्राधिकरण के किसी भी कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई धन उधार नहीं देगा या उधार नहीं लेगा, अथवा उसके साथ कोई मौद्रिक लेन-देन या लेनदेन नहीं करेगा।



- 2.16 यदि बोलीदाता/ठेकेदार ने निविदा प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध दिए जाने से पहले या अनुबंध/कार्य के निष्पादन के दौरान धारा 2 का उल्लंघन किया है या किसी अन्य रूप में ऐसा उल्लंघन किया है जिससे बोलीदाता/ठेकेदार के रूप में उसकी विश्वसनीयता या साख पर प्रश्नचिह्न लगा है, तो प्राधिकरण को ऐसे कारण से उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने या अनुबंध को समाप्त करने तथा बोलीदाता को भविष्य की बोली प्रक्रियाओं में भाग लेने से रोकने का अधिकार है।

2. पिछला अपराध

- 3.1 बोलीदाता/ठेकेदार यह घोषणा करता है कि इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ इसके अंतर्गत परिकल्पित किसी भ्रष्ट आचरण के संबंध में या भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या भारत में किसी सरकारी विभाग के साथ कोई पूर्व उल्लंघन नहीं हुआ है, जिसके कारण बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जा सके।
- 3.2 बोलीदाता/ठेकेदार इस बात से सहमत है कि यदि वह इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या यदि अनुबंध पहले ही दिया जा चुका है, तो ऐसे कारण से उसे समाप्त किया जा सकता है और उसे भविष्य की निविदा/अनुबंध प्रक्रियाओं से वंचित करने पर विचार किया जा सकता है।
- 3.3 बोलीदाता/ठेकेदार यह वचन देता है कि वह इस समझौते पर उप-ठेकेदार (ओं) और सहयोगी (ओं) से हस्ताक्षर करवाएगा, जिनका कार्य योगदान मूल्य 0.5 करोड़ रुपये (शून्य दशमलव पांच करोड़ रुपये) से अधिक है और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे निविदा दस्तावेज/अनुबंध के साथ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- 3.4. वह उप-ठेकेदार/सहयोगी, जिन्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद प्राधिकरण की स्वीकृति से ठेकेदार द्वारा नियोजित किया गया है, और जिनके कार्य योगदान का मूल्य 0.5 करोड़ रुपये (शून्य दशमलव पांच करोड़ रुपये) से अधिक है, को ठेकेदार द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा, और अनुबंध/कार्य के संबंध में ऐसे उप-ठेकेदार/सहयोगी द्वारा कोई भी कार्य/कार्य करने से पहले इसे प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।
- 3.5 प्राधिकरण उन सभी बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं या प्राधिकरण की नीति के अनुसार इस समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं।
- 3.6 यदि ठेकेदार इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है या प्राधिकरण की नीति के अनुसार इस समझौते पर हस्ताक्षर करवाने में विफल रहता है तो प्राधिकरण अनुबंध को समाप्त कर देगा और ऐसे ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करेगा।

4. बयाना राशि, सुरक्षा जमा, बैंक गारंटी, ड्राफ्ट, भुगतान आदेश या कोई अन्य तरीका और इसकी वैधता वारंटी अवधि, प्रदर्शन गारंटी/बांड।

बोली प्रस्तुत करते समय, बोलीदाता को ईएमडी/एसडी/बीजी/ड्राफ्ट/पि ऑर्डर आदि वारंटी अवधि, पीजी/बांड, वैधता आदि जमा करना होगा, जो बोलीदाताओं को बेचे गए एनआईटी/निविदा दस्तावेजों में दिए गए नियमों और शर्तों तथा विवरणों के अनुसार होगा।

5. उल्लंघन के लिए दंड/निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता और भविष्य के अनुबंधों से बहिष्कार।

- 5.1 बोलीदाता या उसके द्वारा नियुक्त या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति (बोलीदाता की जानकारी में या उसके बिना) द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का कोई उल्लंघन किए जाने पर प्राधिकरण को, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई एक कार्रवाई करने का अधिकार होगा:



- i) बिना कोई कारण बताए या बोलीदाता को कोई मुआवजा दिए बिना पूर्व अनुबंध वार्ता को तुरंत रद्द करना। हालाँकि, अन्य बोलीदाताओं के साथ कार्यवाही जारी रहेगी।
- ii) यदि अनुबंध पहले ही हस्ताक्षरित हो चुका है तो बोलीदाता को कोई मुआवजा दिए बिना उसे तत्काल रद्द करना।
- iii) यदि प्राधिकरण ने धारा 2 या 3 या 4 के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया से पूर्व बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया है/निषेधित कर दिया है, तो प्राधिकरण जमा की गई बयाना राशि/बोली सुरक्षा को जब्त करने का हकदार है।
- iv) प्राधिकरण द्वारा पहले से भुगतान की गई सभी राशियों की वसूली करना, तथा भारतीय बोलीदाता के मामले में उस पर भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित प्रधान उधार दर से 2% अधिक ब्याज देना, जबकि भारत के अलावा किसी अन्य देश के बोलीदाता के मामले में उस पर LIBOR से 2% अधिक ब्याज देना। यदि किसी अन्य अनुबंध या किसी अन्य स्टोर के संबंध में प्राधिकरण से बोलीदाता को कोई बकाया भुगतान मिलना है, तो ऐसे बकाया भुगतान का उपयोग उपरोक्त राशि और ब्याज की वसूली के लिए भी किया जा सकता है।
- (v) यदि बोलीदाता द्वारा अग्रिम बैंक गारंटी और निष्पादन बांड/वारंटी बांड प्रस्तुत किया गया हो तो उसे भुनाना, ताकि क्रेता द्वारा पहले ही किए गए भुगतान को ब्याज सहित वसूल किया जा सके।
- vi) बोलीदाता के साथ सभी या किसी अन्य अनुबंध को रद्द करना। बोलीदाता ऐसे रद्दीकरण/निरसन के परिणामस्वरूप प्राधिकरण को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा और प्राधिकरण बोलीदाता को देय धनराशि से इस प्रकार देय राशि काटने का हकदार होगा।
- vii) बोलीदाता को भविष्य की बोली प्रक्रियाओं में भाग लेने से न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित करना, जिसे प्राधिकरण के विवेकानुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।
- viii) अनुबंध को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बोलीदाता (और) द्वारा किसी ब्रोकर/एजेंट या दलाल को इस समझौते का उल्लंघन करते हुए भुगतान की गई सभी राशियों की वसूली करना।
- ix) ऐसे मामले में जहां प्राधिकरण द्वारा बोलीदाता के साथ हस्ताक्षरित किसी अनुबंध के संबंध में अपरिवर्तनीय साख पत्र प्राप्त हो गए हों, उन्हें नहीं खोला जाएगा।
- x) इस समझौते के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाने का कोई कारण बताए बिना क्रेता द्वारा निष्पादन बांड को जब्त करने का निर्णय लेने की स्थिति में निष्पादन बांड को जब्त कर लिया जाएगा।
- xi) यदि प्राधिकरण ने धारा 2 या 3 या 4 के अंतर्गत अनुबंध को समाप्त कर दिया है या यदि प्राधिकरण धारा 2 या 3 या 4 के अंतर्गत अनुबंध को समाप्त करने का हकदार है, तो प्राधिकरण ठेकेदार से अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर या सुरक्षा जमा या निष्पादन बैंक गारंटी के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, की क्षतिपूर्ति मांगने और वसूलने का हकदार होगा।
- xii) बोलीदाता/ठेकेदार बिना किसी विरोध या आपत्ति के उक्त राशि का भुगतान करने के लिए सममत है तथा वचनबद्ध है, बशर्ते कि बोलीदाता/ठेकेदार प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित कर सके कि बोलीदाता को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य ठहराए जाने/निषेध किए जाने या अनुबंध दिए जाने के बाद अनुबंध की समाप्ति से प्राधिकरण को कोई क्षति नहीं हुई है।



- 5.2 प्राधिकरण उपर्युक्त पैरा 5.1 में उल्लिखित सभी या कोई भी कार्रवाई करने का हकदार होगा।
- 5.3 (i) से (xii) तक, बोलीदाता या उसके द्वारा नियुक्त या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति (बोलीदाता की जानकारी में या उसके बिना) द्वारा भारतीय हड़ संहिता, 1860 के अध्याय IX या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अधिनियमित किसी अन्य कानून में परिभाषित किसी अपराध के किए जाने पर भी लागू होगा।
- 5.4 यदि बोलीदाता/ठेकेदार प्राधिकरण को निषेध के समयपूर्व निरसन के लिए आवेदन करता है और प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित कर देता है कि उसने एक उपयुक्त और प्रभावी भ्रष्टाचार निवारण प्रणाली स्थापित की है और यदि उसके द्वारा कोई क्षति हुई है तो उसकी भरपाई भी कर ली है, तो प्राधिकरण, यदि उचित समझे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा पहली बार चूक के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों पर विचार करते हुए निषेध को समयपूर्व निरसित कर सकता है।
- 5.5 यदि प्राधिकरण स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर की सिफारिशों/सुझावों के साथ प्रस्तुत उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों से पूरी तरह संतुष्ट है कि मामले में कोई उचित संदेह संभव नहीं है, तो उल्लंघन हुआ माना जाएगा।
- 5.6 प्राधिकरण का यह निर्णय कि बोलीदाता द्वारा इस संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, बोलीदाता के लिए अंतिम और निर्णायक होगा। हालाँकि, बोलीदाता इस संधि के उद्देश्य के लिए नियुक्त स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर से संपर्क कर सकता है।

6. बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उप - ठेकेदारों/सहयोगियों के विरुद्ध आरोप :

यदि प्राधिकरण को किसी बोलीदाता/ठेकेदार या उप-ठेकेदार अथवा बोलीदाता, ठेकेदार या उप-ठेकेदार के किसी कर्मचारी अथवा प्रतिनिधि या सहयोगी के आचरण के बारे में कोई सूचना प्राप्त होती है, जो भ्रष्टाचार को दर्शाती है, या यदि प्राधिकरण को इस संबंध में ठोस संदेह है, तो प्राधिकरण उचित कार्रवाई के लिए सतर्कता विभाग को सूचित करेगा।

7. स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर(स),

- 7.1. प्राधिकरण ने इस समझौते के लिए सक्षम एवं विश्वसनीय स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर नियुक्त किए हैं।
- 7.2. मॉनिटर का कार्य स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करना है कि क्या और किस हद तक पक्ष इस संधि के तहत दायित्वों का पालन करते हैं। वह बोलीदाता, ठेकेदार या प्राधिकरण द्वारा इस संधि के किसी प्रावधान के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली किसी भी शिकायत की भी जांच करेगा।
- 7.3. मॉनिटर को पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन नहीं करना होगा और वह अपने कार्यों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करेगा। वह प्राधिकरण के बोर्ड के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा।
- 7.4. बोलीदाता/ठेकेदार स्वीकार करता है कि मॉनिटर को बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राधिकरण के सभी परियोजना दस्तावेजों तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुंचने का अधिकार है। बोलीदाता/ठेकेदार मॉनिटर को उसके अनुरोध और वैध रुचि के प्रदर्शन पर, बैठक के मिनट सहित अपने परियोजना दस्तावेजों तक अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुंच प्रदान करेगा। यही बात उप-ठेकेदारों और सहयोगियों पर भी लागू होती है। मॉनिटर का दायित्व है कि वह प्राधिकरण और बोलीदाता/ठेकेदार/उप-ठेकेदारों/सहयोगियों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीयता के साथ रखे।
- 7.5. जैसे ही मॉनिटर को इस समझौते का उल्लंघन नज़र आता है या उसे लगता है कि वह इस उल्लंघन को देख रहा है, तो वह प्राधिकरण के प्रबंधन को इसकी सूचना देगा और प्रबंधन से उल्लंघन को रोकने या ठीक करने या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। मॉनिटर इस संबंध में अपनी सिफारिशों/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, मॉनिटर को पार्टियों से यह माँग करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे किसी खास तरीके से काम करें, कार्रवाई से बचें या कार्रवाई को बर्दाश्त करें।



7.6 प्राधिकरण मॉनिटर को परियोजना से संबंधित पक्षों के बीच होने वाली सभी बैठकों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते कि ऐसी बैठकों का प्राधिकरण और ठेकेदार/बोलीदाता के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता हो। पक्ष मॉनिटर को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करते हैं।

7.7 मॉनिटर प्राधिकरण द्वारा संदर्भ या सूचना की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर प्राधिकरण के बोर्ड के अध्यक्ष को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और यदि अवसर उत्पन्न होता है तो समस्याग्रस्त स्थितियों को सुधारने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

7.8 यदि मॉनिटर ने बोर्ड के अध्यक्ष को भारत के प्रासंगिक भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत किसी अपराध का पुष्ट संदेह व्यक्त किया है और अध्यक्ष ने उचित समय के भीतर ऐसे अपराध के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की है या सतर्कता विभाग को इसकी सूचना नहीं दी है, तो मॉनिटर यह सूचना सीधे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, भारत सरकार को भी प्रेषित कर सकता है।

7.9 'मॉनीटर' शब्द में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

8. जांच में सुविधा.

इस समझौते के किसी प्रावधान के उल्लंघन या कमीशन के भुगतान के किसी आरोप के मामले में, प्राधिकरण या उसकी एजेंसियां बोलीदाता की लेखा पुस्तकों सहित सभी दस्तावेजों की जांच करने की हकदार होंगी और बोलीदाता अंग्रेजी में आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराएगा तथा ऐसी जांच के प्रयोजन के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

9. कानून और अधिकार क्षेत्र का स्थान।

यह समझौता भारतीय कानून के प्रावधानों के अधीन है। निष्पादन का स्थान और अधिकार क्षेत्र कॉर्पोरेट मुख्यालय/क्षेत्रीय मुख्यालय/प्राधिकरण का कार्यालय है, जैसा भी लागू हो।

10. अन्य कानूनी कार्रवाइयां

Deleted

10.1 परिवर्तन और अनुपूरक तथा समाप्ति नोटिस लिखित रूप में दिए जाने चाहिए।

10.2 यदि बोलीदाता/ठेकेदार साझेदारी या संघ है, तो इस समझौते पर सभी साझेदारों और संघ के सदस्यों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

11. संधि अवधि (वैधता)

11.1 यह समझौता तब लागू होता है जब दोनों पक्ष इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। यह अनुबंधकर्ता के लिए संबंधित अनुबंध के तहत अंतिम भुगतान के 12 महीने बाद और अन्य सभी बोलीदाताओं के लिए अनुबंध दिए जाने के 3 महीने बाद समाप्त होता है।

11.2. यदि इस अवधि के दौरान कोई दावा किया जाता है, तो वह बाध्यकारी होगा तथा इस समझौते के समाप्त होने के बावजूद वैध बना रहेगा, जैसा कि इसमें पहले उल्लेख किया गया है, जब तक कि उसे प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा समाप्त/निर्धारित नहीं कर दिया जाता।

11.3 यदि इस संधि के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो इस संधि का शेष भाग वैध रहेगा। इस मामले में, पक्ष अपने मूल इरादों पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।

Deleted



12. कंपनी आचार संहिता

बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे कम्पनी की आचार संहिता (रिश्त के प्रयोग और अन्य अनैतिक व्यवहार को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना) बनाएं तथा सम्पूर्ण कम्पनी में आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिए अनुपालन कार्यक्रम बनाएं।

13. दोनों पक्ष इस सत्यनिष्ठा समझौते पर दिनांक _____ को _____ पर हस्ताक्षर करते हैं।

क्रेता

अधिकारी का नाम

पद का नाम

विभाग/मंत्रालय/पीएसयू

गवाह

1. _____

2. _____

बोलीदाता

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

गवाह

1. _____

3. _____

Deleted



INTEGRITY PACT

The integrity pact shall be signed by both the parties in the following format

“This Pact made this day of between Airports Authority of India, a body corporate constituted by the Central Government under the Airports Authority of India Act, 1994 and having its Corporate Office at Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi, and offices at in India, hereinafter called the Authority (which term shall unless excluded by or is repugnant to the context, be deemed to include its Chairman, or Member, Executive Directors, Airport Directors, officers or any of them specified by the Chairman in this behalf, and shall also include its successors and assigns) of the one part

AND

D

.....represented by of the other part, hereinafter called the “Bidder/Contractor” (which term shall unless excluded by or is repugnant to the context be deemed to include its heirs, representatives, successors and assigns of the Bidder/ Contractor)

WHEREAS the Authority intends to award, under laid down organizational procedures, tender/ contract for The Authority, while discharging its functions on business principles, values proper compliance with all relevant laws and regulations, and the principles of natural justice, ethics, equity, fairness and transparency in its relations with the Bidders/ Contractors.

WHEREAS the Authority is desirous to make its business mechanism more transparent, thus to ensure strict adherence of the aforesaid objectives/goals, the Authority hereby adopts the instrument developed by the renowned international non-governmental organization “Transparency International” (T I) headquartered in Berlin (Germany). The Authority will appoint an Independent External Monitor (IEM) who will monitor the tender process and the execution of the contract for compliance with the principles mentioned above.

AND WHEREAS the Bidder is submitting a tender to the Authority for in response to the NIT (Notice Inviting Tender) dated Contractor is signing the contract for execution of NOW, therefore, To avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the currency of the contract to be entered into with a view to Enabling the Authority to obtain the desired said stores/equipment/execution of works at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and Enabling Authority to abstain from bribing or indulging in any corrupt practice in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing and other corrupt practices and the Authority will commit to prevent corruption, in any form, by its officials by following transparent procedures. The parties hereto hereby agree to enter into this Integrity Pact and agree as follows:



1. Commitments of the Authority;

- 1.1 The Authority undertakes that no official of the Authority, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take a promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.
- 1.2 The Authority will, during the pre-contact stage, treat all BIDDERS alike, and will provide to all BIDDERS the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to other BIDDERS.
- 1.3 All the officials of the Authority will report to the appropriate authority office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.
- 1.4 In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER to the Authority with full and verifiable facts and the same is prima facie found to be correct by the Authority, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the Authority and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the Authority the proceedings under the contract would not be stalled.

3. Commitments of Bidders/Contractor.

- The Bidder/Contractor commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practice, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following.
- 2.1 The Bidder/Contractor will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the Authority, connected directly or indirectly with the bidding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.
 - 2.2 The Bidder/Contractor further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the Authority or otherwise in procuring the Contract or forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Authority for showing or



forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Authority.

- 2.3 The Bidder / Contactor has not entered and will not enter with other bidders into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specification, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any actions to restrict competitiveness or to introduce cartelization in the bidding process.
- 2.4 The Bidder/Contractor shall, when presenting his bid, disclose the name and address of agents and representatives and Indian BIDDERS shall disclose their foreign principals or associates.
- 2.5 The Bidder/Contactor shall when presenting his bid disclose any and all the payments he has made or, is committed to or intends to make to agents/brokers or any other intermediary, in connection with this bid/contract.
- 2.6 The Bidder/Contractor further confirms and declares to the Authority that the BIDDER is the original manufacturer/integrator/ authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the Authority or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.
- 2.7 The Bidder/Contractor, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payments he has made or has committed to or intends to make to officials of the Authority or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.
- 2.8 The Bidder/Contractor will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.
- 2.9 The Bidder/Contractor will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.
- 2.10 The Bidder / Contactor shall not use improperly, for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the Authority as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained in any electronic data carrier. The Bidder / Contactor also under takes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.
- 2.11 The Bidder/Contractor will inform to the Independent External Monitor.
 - i) If he receives demand for an illegal/undue payment/benefit.



- ii) If he comes to know of any unethical or illegal payment/benefit.
- iii) If he makes any payment to any Authority's associate(s)
- 2.12 The Bidder/Contractor commit to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.
- 2.13 The Bidder/Contractor shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the actions mentioned above.
- 2.14 If the Bidder/Contractor or any employee of the Bidder/Contractor or any person acting on behalf of the Bidder/ Contractor, either directly or indirectly, is a relative of any of the officers of the Authority, or alternatively, if any relative of an officer of the Authority has financial interest/stake in the Bidder's/Contractor's firm, the same shall be disclosed by the Bidder/Contractor at the time filing of tender. The term 'relative' for this purpose would be as defined in Section 6 of the Companies Act 1956.
- 2.15 The Bidder/Contractor shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the Authority.
- 2.16 That if the Bidder/ Contractor, during tender process or before the award of the contract or during execution of the contract/work has committed a transgression in violation of section 2 or in any other form such as to put his reliability or credibility as Bidder/Contractor into question, the Authority is entitled to disqualify him from the tender process or to terminate the contract for such reason and to debar the BIDDER from participating in future bidding processes.
- 4. Previous Transgression**
- 3.1 The Bidder/Contractor declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact, with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify Bidders's exclusion from the tender process.
- 3.2 The Bidder/Contractor agrees that if it makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason and he may be considered for debarment for future tender/contract processes.
- 3.3 That the Bidder/Contractor undertakes to get this Pact signed by the subcontractor (s) and associate(s) whose value of the work contribution exceeds Rs 0.5 Cr. (Rupees zero point five Cr.) and to submit the same to the Authority along-with the tender document/ contract before contract signing.
- 3.4. That sub-contractor(s)/ associate(s) engaged by the Contractor, with the approval of the Authority after signing of the contract, and whose value of the work contribution exceeds Rs 0.5 Cr. (Rupees Zero point five Cr.) will be required to



sign this Pact by the Contractor, and the same will be submitted to the Authority before doing/ performing any act/ function by such subcontractor(s) / associate(s) in relation to the contract/ work.

3.5 That the Authority will disqualify from the tender process all Bidder(s) who don't sign this Pact or violate its provisions or fails to get this Pact signed in terms of policy of authority

3.6 That if the Contractor(s) does/ do not sign this Pact or violate its provisions or fails to get this Pact signed in terms of policy of authority, Authority will terminate the contract and initiate appropriate action against such Contractor(s).

4. Earnest Money, Security Deposit, Bank Guarantee, Draft, Pay order or any other mode and its validity i/c Warranty Period, Performance Guarantee/Bond.

While submitting bid, the BIDDER shall deposit an EMD/SD/BG/DRAFT/PAY ORDER ETC I/C WARRANTY PERIOD, PG/BOND, VALIDITY etc. , which is as per terms and conditions and details given in NIT / tender documents sold to the Bidders.

5. Sanctions for Violations/Disqualification from tender process and exclusion from future Contacts.

5.1 Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the Authority to take all or any one of the following actions, wherever required:

- i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceedings with the other BIDDER(s) would continue.
- ii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER.
- iii) If the Authority has disqualified / debarred the Bidder from the tender process prior to the award under section 2 or 3 or 4, the Authority is entitled to forfeit the earnest money deposited/bid security.
- iv) To recover all sums already paid by the Authority, and in case of an Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of State Bank of India, while in case of a BIDDER from a country other than India with interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the Authority in connection with any other contract or any other stores, such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest.



- v) To en-cash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to recover the payments, already made by the BUYER, along with interest.
- vi) To cancel all or any other Contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the Authority resulting from such cancellation/rescission and the Authority shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.
- vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes for a minimum period of three years, which may be further extended at the discretion of the Authority.
- viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middleman or agent or broker with a view to securing the contract.
- xiii) In case where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the Authority with the BIDDER, the same shall not be opened.
- xiv) Forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.
- xv) That if the Authority have terminated the contract under section 2 or 3 or 4 or if the Authority is entitled to terminate the contract under section 2 or 3 or 4, the Authority shall be entitled to demand and recover from the contractor damages equivalent to 5% of the contract value or the amount equivalent to security deposit or performance bank guarantee, whichever is higher.
- xvi) That the Bidder / Contractor agrees and undertakes to pay the said amount without protest or demur subject only to condition that if the Bidder/Contractor can prove and establish to the satisfaction of the Authority that the disqualification / debarment of the bidder from the tender process or the termination of the contract after award of the contract has caused no damage to the Authority.

5.2 The Authority will be entitled to take all or any of the actions mentioned at para 5.1 above.

5.3 (i) to (xii) of this Pact also on the Commission by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER), of an offence as defined in Chapter IX of the Indian Penal code,



1860 or Prevention of Corruption Act, 1988 or any other statute enacted for prevention of corruption.

5.4 That if the Bidder/Contractor applies to the Authority for premature revocation of the debarment and proves to the satisfaction of the Authority that he has installed a suitable and effective corruption prevention system and also restored/recouped the damage, if any, caused by him, the Authority may, if thinks fit, revoke the debarment prematurely considering the facts and circumstances of the case, and the documents/evidence adduced by the Bidder/Contractor for first time default.

5.5 That a transgression is considered to have occurred if the Authority is fully satisfied with the available documents and evidence submitted along with Independent External Monitor's recommendations/suggestions that no reasonable doubt is possible in the matter.

5.6 The decision of the Authority to the effect that a breach of the provisions of this Pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER. However, the BIDDER can approach the Independent External Monitor(s) appointed for the purpose of this Pact.

6. **Allegations against Bidders/Contractors/ Sub-Contractors/ Associates:**

That if the Authority receives any information of conduct of a Bidder/ Contractor or Sub- Contractor or of an employee or a representative or an associate of the Bidder, Contractor or Sub- Contractor which constitute corruption, or if the Authority has substantive suspicion in this regard, the Authority will inform the Vigilance Department for appropriate action.

7. **Independent External Monitor(s).**

7.1. That the Authority has appointed competent and credible Independent External Monitor(s) for this Pact.

7.2 The task of the Monitor(s) is to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact. He will also enquire into any complaint alleging transgression of any provision of this Pact made by the Bidder, Contractor or Authority.

7.3. That the Monitor(s) is not subject to any instructions by the representatives of the parties and would perform his functions neutrally and independently. He will report to the Chairperson of the Board of the Authority.

7.4 That the Bidder / Contractor accepts that the Monitor(s) has the right to access without restriction to all project documentation of the Authority including that provided by the Bidder/Contractor. The Bidder/Contractor will also grant the Monitor, upon his request and demonstration of a valid interest, unrestricted and unconditional access to his project documentation including minutes of meeting. The same is applicable to Sub - Contractors and Associates. The Monitor is under obligation to treat the information and documents of the Authority and Bidder/ Contractor / Sub- Contractors/ Associates with confidentiality.



- 7.5. That as soon as the Monitor notices, or believes to notice, a violation of this Pact, he will so inform the management of the Authority and request the management to discontinue or heal the violation, or to take other relevant action. The Monitor(s) can in this regard submit his recommendations/ suggestions. Beyond this, the Monitor(s) has no right to demand from the parties that they act in a specific manner, refrain from action or tolerate action.
- 7.6 That the Authority will provide to the Monitor(s) sufficient information about all meetings among the parties related to the project provided such meetings could have an impact on the contractual relations between the Authority and the Contractor / Bidder. The parties offer to the Monitor(s) the option to participate in such meetings.
- 7.7 That the Monitor(s) will submit a written report to the Chairperson of the Board of the Authority within 2 weeks from the date of reference or intimation to him by the Authority and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.
- 7.8 That if the Monitor(s) has reported to the Chairperson of the Board a substantiated suspicion of an offence under relevant Anti- Corruption Laws of India and the Chairperson has not, within reasonable time, taken visible action to proceed against such offence or reported it to the Vigilance Department, the Monitor may also transmit this information directly to the Central Vigilance Commissioner, Government of India.
- 7.9 The word 'Monitor' would include singular and plural.
- 8. Facilitation of Investigation.**
- In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the Authority or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information and documents in English and shall extend all possible help for the purpose of such Examination.
- 9. Law and Place of Jurisdiction.**
- That this Pact is subject to provisions under Indian Law. The place of performance and jurisdiction is the Corporate Headquarter /the Regional Headquarter / office of the Authority, as applicable.
- 10. Other Legal Actions**
- 10.1 That the changes and supplements as well as termination notice need to be made in writing.
- 10.2 That if the Bidder / Contractor are a partnership or a consortium, this Pact must be signed by all the partners and consortium members or their authorized representatives.



11. Pact duration (Validity)

- 11.1 That this Pact comes into force when both the parties have signed it. It expires for the Contractor 12 months after the final payment under the respective contract, and for all other Bidders 3 months after the contract is awarded.
- 11.2. That if any claim is made / lodged during this period, the same shall be binding and continue to be valid despite the lapse of this Pact as specified herein before, unless it is discharged/determined by Chairman of the Authority.
- 11.3 That should one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

12. Company Code of Conduct

Bidders are also advised to have a company code of conduct (clearly rejecting the use of bribes and other unethical behaviour) and a compliance program for the implementation of the code of conduct throughout the company.

13. The parties hereby sign this Integrity Pact at _____ on _____

Buyer

Name of the Officer
Designation
Deptt./Ministry/PSU
Witness

1. _____

2. _____

Bidder

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Witness

1. _____

4. _____



(ठेकेदार द्वारा भरा जाना है)
(खण्ड-47)

संयुक्त अनुबंध एजेंसी के मामले में विशेषज्ञ एजेंसी: विशेषज्ञ को किए जाने वाले शुद्ध भुगतान का ...%
को सीधे भुगतान का अनुपात

क्रम.	उप-प्रधान	कार्य की प्रकृति	विशेष एजेंसी को किए जाने वाले शुद्ध भुगतान का %
1	उपशीर्षक I		

टिप्पणी:

1. एनआईटी अनुमोदन प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य के सभी उप-शीर्षक उपरोक्त तालिका में शामिल हैं। बोलीदाता को सभी उप-शीर्षकों के मामले में विशेष एजेंसी को देय प्रतिशत का संकेत देना होगा।
2. यदि ठेकेदार द्वारा इस अनुमोदनी में एक या अधिक उपशीर्षकों के लिए % नहीं भरा जाता है, तो संयुक्त अनुबंध के मामले में विचाराधीन उपशीर्षकों के लिए एनआईटी के अनुसार स्वीकार्य शुद्ध भुगतान का 75% सीधे विशेष एजेंसी को भुगतान किया जाएगा।



APPENDIX-XIX

(To be filled by Contractor)
(CLAUSE-47)

Ratio of direct payment to the specialized agency in case of composite contract : ...% of the net payment to be made to Specialized agency

Sl.	Sub-head	Nature of work	% of the net payment to be made to Specialized agency
1	Sub-head I		
		Deleted	

Note:

- NIT approving authority must ensure that all sub-heads of works are covered in above table. The bidder must indicate percentage payable to specialized agency in case of all sub-heads.
- If % is not filled in by the contractor against one or more subhead in this schedule, then 75% of the net payment admissible as per AAI for the subhead under consideration shall be paid directly to specialized agency in case of composite contract.



सुरक्षित अग्रिम के लिए अनुबंध

(उन मामलों में उपयोग के लिए जिनमें अनुबंध पूर्ण कार्य के लिए है और ठेकेदार ने एक निश्चित समय में कार्य की एक निश्चित मात्रा के निष्पादन के लिए समझौता किया है।)

यह अनुबंध एक पक्ष के (जिसे आगे ठेकेदार कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है या निहित होता है, उसके निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती शामिल समझे जाएंगे) और दूसरे पक्ष के अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (जिसे आगे एएआई कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है या निहित होता है, उसके कार्यालय में उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल समझे जाएंगे) के बीच..... दिनांक..... 20..... को किया गया है।

चूंकि दिनांक के एक समझौते द्वारा (जिसे इसके बाद उक्त समझौता कहा जाएगा) ठेकेदार सहमत हो गया है और चूंकि ठेकेदार ने एएआई को आवेदन किया है कि उसे उन सामग्रियों की सुरक्षा पर अग्रिम राशि दी जाए जो पूर्णतः उसकी हैं और उसके द्वारा कार्यों के स्थल पर लाई गई हैं, जो उक्त समझौते का विषय है, ऐसे कार्यों के निर्माण में उपयोग के लिए जिन्हें उसने तैयार कार्यों के लिए निर्धारित दरों पर निष्पादित करने का बीड़ा उठाया है (सामग्री और श्रम की लागत और अन्य शुल्कों सहित) और चूंकि एएआई ने ठेकेदार को उन सामग्रियों की सुरक्षा पर रुपये की राशि अग्रिम देने के लिए सहमति व्यक्त की है जिनकी मात्रा और अन्य विवरण ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित उक्त कार्यों के लिए चालू खाता बिल से जुड़े सुरक्षित अग्रिमों के खातों में विस्तृत है और एएआई ने ठेकेदार द्वारा उक्त कार्यों के स्थल पर लाई गई अन्य सामग्रियों की सुरक्षा पर कोई और अग्रिम या अग्रिम देने का विकल्प अपने लिए सुरक्षित रखा है। अब यह अनुबंध यह प्रमाणित करता है कि उक्त समझौते के अनुसरण में और रुपये की राशि के प्रतिफल में एएआई द्वारा ठेकेदार को दिए गए इन उपहारों (जिसकी रसीद ठेकेदार द्वारा स्वीकार की जाती है) के निष्पादन पर या उससे पहले तथा पूर्वोक्त रूप में उसे दिए जाने वाले ऐसे अग्रिम (यदि कोई हो) के लिए ठेकेदार एएआई के साथ अनुबंध करता है तथा उससे सहमत होता है तथा निम्न प्रकार से घोषणा करता है: -

1. यह कि एएआई द्वारा ठेकेदार को पूर्वोक्त रूप से दी गई रुपये..... की उक्त राशि और पूर्वोक्त रूप से दी गई समस्त या कोई अन्य राशि या राशियों का उपयोग ठेकेदार द्वारा उक्त कार्यों के निष्पादन में तैयार लाने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
2. उक्त सुरक्षित अग्रिम खाते में वर्णित सामग्रियां, जिन्हें एएआई द्वारा सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया है और स्वीकार किया गया है, पूर्णतः ठेकेदार की अपनी संपत्ति हैं और किसी भी प्रकार के भार से मुक्त हैं तथा ठेकेदार ऐसी सामग्रियों की सुरक्षा पर आगे कोई अग्रिम आवेदन नहीं करेगा या प्राप्त नहीं करेगा, जो पूर्णतः उसकी अपनी संपत्ति नहीं हैं और किसी भी प्रकार के भार से मुक्त हैं तथा ठेकेदार किसी भी सामग्री के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध अध्यक्ष को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है, जिसके संबंध में पूर्वोक्त रूप से उसे अग्रिम दिया गया है।
3. उक्त सुरक्षित अग्रिम खाते में वर्णित सामग्री और अन्य सभी सामग्री, जिनकी सुरक्षा पर आगे कोई अग्रिम या अग्रिम दिया जा सकता है (जिसे आगे उक्त सामग्री कहा जाएगा) का उपयोग ठेकेदार द्वारा परियोजना के प्रभारी इंजीनियर (जिसे आगे प्रभारी इंजीनियर कहा जाएगा) के निर्देशों और उक्त समझौते की शर्तों के अनुसार उक्त कार्यों के निष्पादन में किया जाएगा।
4. ठेकेदार को उक्त सामग्रियों को उचित निगरानी, सुरक्षित अभिरक्षा और सभी जोखिमों से सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक और पर्याप्त व्यवस्थाएँ स्वयं अपने खर्च पर करनी होंगी और जब तक कि उनका निर्माण कार्य में उपयोग नहीं किया जाता है, तब तक उक्त सामग्री ठेकेदार की अभिरक्षा में और उसकी स्वयं की जिम्मेदारी पर उक्त कार्य स्थल पर रहेगी और हर समय प्रभारी इंजीनियर या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी। यदि उक्त सामग्री या उसका कोई भाग चोरी हो जाता है, नष्ट हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है या उचित उपयोग और घिसाव के कारण अधिक मात्रा में खराब हो जाता है, तो ठेकेदार उसे तुरंत उसी गुणवत्ता की अन्य सामग्री से बदल देगा या प्रभारी इंजीनियर द्वारा अपेक्षित अनुसार मरम्मत और सुधार करेगा।
5. उक्त सामग्री को किसी भी हालत में कार्य स्थल से प्रभारी इंजीनियर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं हटाया जाएगा।
6. यह कि अग्रिम राशि पूर्ण रूप से तब चुकाई जाएगी जब या उससे पहले ठेकेदार को उक्त अनुबंध की शर्तों और प्रावधानों के तहत उक्त कार्यों के लिए एएआई से भुगतान प्राप्त हो जाएगा। बशर्ते कि यदि ठेकेदार को किए गए कार्यों के लिए कोई मध्यवर्ती भुगतान किया जाता है, तो प्रत्येक



ऐसे भुगतान के अवसर पर एएआई को ठेकेदार के बिल से निर्माण में वास्तव में उपयोग की गई उक्त सामग्रियों के मूल्य को घटाकर ऐसे भुगतान के लिए वसूली करने की स्वतंत्रता होगी और जिसके संबंध में पहले वसूली नहीं की गई है, इस उद्देश्य के लिए मूल्य प्रत्येक प्रकार की सामग्रियों के संबंध में उन दरों पर निर्धारित किया जाएगा, जिन पर इन प्रस्तुतियों के तहत दिए गए अग्रिमों की राशि की गणना की गई थी।

7. कि यदि ठेकेदार किसी भी समय इन प्रस्तुतियों के उक्त समझौते के किसी भी नियम और प्रावधान के संबंध में निरीक्षण के निष्पादन में कोई चूक करता है तो अग्रिम राशि या अग्रिमों की कुल राशि जो अभी भी एएआई को देय हो सकती है, ऐसी चूक होने पर ठेकेदार द्वारा राष्ट्रपति को तुरंत उस पर ऐसे अग्रिम या अग्रिमों की तारीख या संबंधित तारीखों से चुकौती की तारीख तक बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ और राष्ट्रपति द्वारा इसकी वसूली के लिए या इस सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए या अन्यथा ठेकेदार की चूक के कारण हुए सभी लागतों, शुल्कों, क्षति और व्यय के साथ चुकाया जाएगा और ठेकेदार इसके द्वारा राष्ट्रपति के साथ अनुबंध करता है और तदनुसार उन्हें क्रमशः चुकाने और भुगतान करने के लिए सहमत होता है।

8. ठेकेदार राष्ट्रपति को उक्त राशि रुपये तथा पूर्वोक्त अग्रिम राशि तथा इन प्रस्तुतियों के अंतर्गत देय सभी लागत प्रभार, क्षति तथा व्यय का पुनर्भुगतान करते हुए उक्त सभी सामग्रियों को अपने पास रखता है। सदैव प्रदत्त रहेगा तथा इसके द्वारा यह सहमति तथा घोषणा की जाती है कि उक्त करार में किसी बात के होते हुए भी तथा इसमें निहित शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि तथा जब कभी भी इसमें पूर्व में निहित भुगतान तथा पुनर्भुगतान का करार लागू हो जाता है तथा देय धनराशि का भुगतान उसके अनुसार नहीं किया जाता है, तो उसके पश्चात एएआई किसी भी समय निम्नलिखित में से कोई या सभी उपाय अपना सकता है, जैसा वह सर्वोत्तम समझे:-

(क) ठेकेदार की ओर से उक्त कार्य को पूरा करने में उक्त सामग्रियों या उसके किसी भाग का मापन और उपयोग उक्त अनुबंध में निहित प्रावधान के अनुसार करना, जिसमें ठेकेदार को ऐसे कार्य को पूरा करने की वास्तविक लागत और इन प्रस्तुतियों के तहत अग्रिम राशि के संबंध में देय राशि डेबिट करना और ठेकेदार को किए गए कार्य के मूल्य को इस प्रकार जमा करने माना उसे उक्त अनुबंध के अनुसार और उसमें निर्धारित दरों पर कार्य किया हो। यदि शेष राशि ठेकेदार के विरुद्ध है, तो उसे मांग किए जाने पर एएआई को उसका भुगतान करना होगा।

(ख) जब्त सामग्री या उसके किसी भाग को सार्वजनिक नीलामी द्वारा हटाना और बेचना तथा बिक्री से प्राप्त धनराशि में से इन प्रस्तुतियों के अंतर्गत एएआई को चुकाने योग्य या देय सभी पूर्वोक्त राशियां रखना तथा अधिशेष (यदि कोई हो) का भुगतान ठेकेदार को करना।

(ग) उक्त अनुबंध के अंतर्गत सुरक्षा जमा या ठेकेदार को देय किसी राशि में से देय धनराशि का पूरा या उसका कोई भाग काट लिया जाएगा।

9. ठेकेदार की ओर से पूर्वोक्त चूक की स्थिति को छोड़कर, उक्त अग्रिम राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

10. इन प्रस्तुतियों के प्रावधानों और उक्त समझौते के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में इन प्रस्तुतियों के प्रावधान ही मान्य होंगे और इन प्रस्तुतियों के निर्माण या प्रभाव पर उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, जिसके निपटारे के लिए पहले स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, उसे अनुबंध के खंड 25 के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप से हल किया जाएगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप उक्त _____ और _____ ने एएआई के आदेश और निर्देशानुसार ऊपर लिखे गए प्रथम दिन और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

उक्त ठेकेदार द्वारा _____ की उपस्थिति में हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित

.....

हस्ताक्षर _____

गवाह का नाम _____

बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रारूप (परिशिष्ट)



पता _____

द्वारा हस्ताक्षर किए _____

Deleted

एएआई के आदेश और निर्देश द्वारा, की उपस्थिति में

हस्ताक्षर _____

गवाह का नाम _____

पता _____



APPENDIX-XX

Indenture for Secured Advances

(For use in cases in which the contract is for finished work and the contractor has entered into an agreement for the execution of a certain specified quantity of work in a given time.)

This indenture made on the _____ day of _____ 20_____
BETWEEN _____ (hereinafter called the contractor which expression shall where the context so admits or implies be deemed to include his executors, administrators and assigns) of the one part and The Chairman, Airports Authority of India (hereinafter called the AAI which expression shall where the context so admits or implies be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

Whereas by an agreement dated (hereinafter called the said agreement) the contractor has agreed AND WHEREAS the Contractor has applied to the AAI that he may be allowed advances on the security of materials absolutely belonging to him and brought by him to the site of the works the subject of the said agreement for use in the construction of such of the works as he has undertaken to execute at rates fixed for the finished work (inclusive of the cost of materials and labour and other charges) AND WHEREAS The AAI has agreed to advance to the Contractor the sum of Rupees _____ on the security of materials the quantities and other particulars of which are detailed in Accounts of Secured Advances attached to the Running Account Bill for the said works signed by the Contractor on and the AAI has reserved to himself the option of making any further advance or advances on the security of other materials brought by the Contractor to the site of the said works. NOW THIS INDENTURE WITNESSTH that in pursuance of the said agreement and in consideration of the sum of Rupees on or before the execution of these presents paid to the Contractor by the AAI (the receipt where of the Contractor doth hereby acknowledge) and of such further advances (if any) as may be made to him as aforesaid the Contractor doth hereby covenant and agree with the AAI and declare as follows: -

1. That the said sum of Rupees _____ so advanced by the AAI to the Contractor as aforesaid and all or any further sum or sums advanced as aforesaid shall be employed by the Contractor in or towards expediting the execution of the said works and or no other purpose whatsoever.
2. That the materials detailed in the said Account of Secured advance which have been offered to and accepted by the AAI as security are absolutely the Contractor's own property and free from encumbrances of any kind and the Contractor will not make any application for or receive a further advance on the security of materials which are not absolutely his own property and free from encumbrances of any kind and the Contractor indemnifies the Chairman against all claim to any materials in respect of which an advance has been made to him as aforesaid.
3. That the materials detailed in the said Account of Secured advances and all other materials on the security of which any further advance or advances may hereafter be made as aforesaid (hereinafter called the said materials) shall be used by the contractor solely in the execution of the said works in accordance with the directions of the Engineer-in-Charge of the project (hereinafter called the Engineer- in-Charge) and in the terms of the said agreement.



4. That the Contractor shall make at his own cost all necessary and adequate arrangements for the proper watch, safe custody and protection against all risks of the said materials and the until used in construction as aforesaid the said materials shall remain at the site of the said works in the Contractor's custody and on his own responsibility and shall at all times be open to inspection by the Engineer-In-charge or any officer authorized by him. In the event of the said materials or any part thereof being stolen, destroyed or damaged or becoming deteriorated in a greater degree than is due to reasonable use and wear thereof the Contractor will forth with replace the same with other materials of like quality or repair and make good the same as required by the Engineer-In-charge.

5. That the said materials shall not on any account be removed from the site of the said works except with the written permission of the Engineer-In-charge or an officer authorized by him on that behalf.

6. That the advances shall repayable in full when or before the Contractor receives payment from the AAI of the price payable to him for the said works under the terms and provisions of the said agreement. Provided that if any intermediate payments are made to the Contractor on account of works done than on the occasion of each such payment the AAI will be at liberty to make a recovery from the Contractor's bill for such payment by deducting there from the value of the said materials then actually used in the construction and in respects of which recovery has not been made previously, the value for this purpose being determined in respect of each description of materials at the rates at which the amounts of the advances made under these presents were calculated.

7. That if the Contractor shall at any time make any default in the performance of observation in any respect of any of the terms and provisions of the said agreement of these presents the total amount of the advance or advances that may still be owing to the AAI shall immediately on the happening of such default be repayable by the Contractor to the President together with interest thereon at twelve percent per annum from the date or respective dates of such advance or advances to the date of repayment and with all costs charges damage and expense incurred by the President in or for the recovery thereof or the enforcement of this security or otherwise by reason of the default of the Contractor and the Contractor hereby covenants and agrees with the President to repay and pay the same respectively to him accordingly.

8. That the Contractor hereby charges all the said materials with the re payment to the President of the said sum of Rupees and any further sum or sums advanced as aforesaid and all costs charges, damages and expenses payable under these presents Provided Always and it is hereby agreed and declared that notwithstanding anything in the said agreement and without prejudice to the powers contained therein if and whenever the covenant for payment and repayment hereinbefore contained shall, become enforceable and the money owing shall not be paid in accordance there with the AAI may at any time thereafter adopt all or any of following course as he may deem best: -

(a) Size and utilize the said materials or any part thereof in the completion of the said works on behalf of the Contractor in accordance with the provision in that behalf contained in the said agreement debiting the Contractor with the actual cost of effecting such completion and the amount due in respect of advances under these presents and crediting the Contractor with the value of work done as if he had carried it out in accordance with the said agreement and at the rates thereby provided. If the balance is against the Contractor, he is to pay same to the AAI on demand.



(b) Remove and sell by public auction the seized materials or any part thereof and out of the moneys arising from the sale retain all the sums aforesaid repayable or payable to the AAI under these presents and pay over the surplus (if any) to the Contractor.

(c) Deduct all or any part of the moneys owing out of the security deposit or any sum due to the Contractor under the said agreement.

9. Except in the event of such default on the part of the Contractor as aforesaid interest on the said advance shall not be payable.

10. That in the event of any conflict between the provisions of these presents and the said agreement the provisions of these presents shall prevail and in the event of any disputes or difference arising over the construction or effect of these presents the settlement of which has not been hereinbefore expressly provided for the same shall be finally resolved as per provisions of Clause 25 of the Contract.

In witness whereof the said _____ and _____ by the order and under the direction of the AAI have hereunto set their respective hands the day and year first above written.

Signed, sealed and delivered by _____ the said contractor in the presence of
.....
.....

Signature _____

Witness Name _____

Address _____

Signed by _____

by the order and direction of the AAI in the presence of

Signature _____

Witness Name _____

Address _____



सहमति पत्र का प्रारूप

विवाद समाधान खंड-पैरा 2 ii (बी)

प्रति,
अध्यक्ष/सदस्य/क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,

विषय: दिनांक _____ के _____ समझौते के खंड _____ के अंतर्गत _____ के लिए मध्यस्थ
की नियुक्ति के लिए अनुरोध।

महोदय/महोदया,

1. हम बताते हैं कि _____ (ठेकेदार/एजेंसी) को कार्य/रियायत दी गई थी
_____ को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के _____ हवाई अड्डे/ _____ (अन्य स्थान)
पर दिनांक _____ अवार्ड पत्र के माध्यम से स्वीकृत किया गया है।
2. हमारे (ठेकेदार/एजेंसी) और एएआई के बीच _____ से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ।
3. दिनांक को, विवाद को एएआई मध्यस्थता नीति के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा गया था और पक्षों के बीच निम्नलिखित
दावों/विवादों पर कोई समझौता नहीं हो सका:
(i)
(ii)
(iii)
4. ऐसे प्रत्येक विवाद के संबंध में दावे सहित संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न है।
5. उपरोक्त के मद्देनजर, हम अपने और एएआई के बीच समझौते के खंड _____ के तहत मध्यस्थता का आह्वान करते हैं और
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) के प्रावधान के अनुसार, हम एतद्वारा सहमत हैं और एएआई के
अध्यक्ष/सदस्य/क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक से एएआई के मध्यस्थों के पैनल से मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध करते हैं।
6. उपरोक्त पैराग्राफ-5 के अनुसार एएआई के अनुमोदित मध्यस्थों के पैनल में से किसी भी मध्यस्थ को नियुक्त करने के लिए अपनी/अपनी
सहमति देते हैं।

धन्यवाद,

(_____)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
संलग्न: उपरोक्तानुसार



APPENDIX- XXI

Format Consent Letter

Dispute Resolution Clause-Para 2 ii (b)

To,

Bid Price of Bidder (Rs crore)	Amount of Performance Bank Security (Rs crore)	% below the project cost put to bid	Percentage Additional Performance Security	Amount of Additional Performance Security	Total Performance Bank Security	PBG as % of project cost put to bid
--------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	---------------------------------	-------------------------------------

The Chairman/Member/Regional Executive Director,
Airports Authority of India,

SUB: Request for appointment of arbitrator under Clause _____ of the _____ agreement dated _____ for _____.

Sir/Madam,

1. We state that _____ (contractor/agency) was awarded work/concession of _____ at _____ Airport/_____ (other location) of Airports Authority of India through Award Letter dated _____.
2. Dispute related to _____ arose between us (contractor/agency) and AAI.
3. On _____ (date), dispute was referred to Mediation as per AAI Mediation Policy and any settlement on the following claims/disputes was not reached between the parties:
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
4. A concise statement along with claim in respect of each of such disputes is attached herewith.
5. In view of the above, we invoke arbitration under clause _____ of the _____ agreement between us and AAI and as per proviso to Section-12(5) of the Arbitration & Conciliation Act, 1996, we hereby agree and request the Chairman/Member/Regional Executive Director AAI to appoint arbitrator from AAI's panel of arbitrators.
6. I/We also give my/our consent for appointing any of an arbitrator from AAI's approved panel of arbitrators, **as per paragraph-5 above**.

Thanking you,

(_____)

Authorized Signatory of

Encl: As above

A.A.I.

GCC231



				(Rs crore)	(Rs crore)	
	5%					
400	20.00	0.00%	0.00%	0.00	20.00	5.00%
396	19.80	1.00%	0.00%	0.00	19.80	5.00%
392	19.60	2.00%	0.00%	0.00	19.60	5.00%
388	19.40	3.00%	0.00%	0.00	19.40	5.00%
384	19.20	4.00%	0.00%	0.00	19.20	5.00%
380	19.00	5.00%	0.00%	0.00	19.00	5.00%
376	18.80	6.00%	0.00%	0.00	18.80	5.00%
372	18.60	7.00%	0.00%	0.00	18.60	5.00%
368	18.40	8.00%	0.00%	0.00	18.40	5.00%
364	18.20	9.00%	0.00%	0.00	18.20	5.00%
360	18.00	10.00%	0.00%	0.00	18.00	5.00%
356	17.80	11.00%	0.25%	0.89	18.69	5.25%
352	17.60	12.00%	0.50%	1.76	19.36	5.50%
348	17.40	13.00%	0.75%	2.61	20.01	5.75%
344	17.20	14.00%	1.00%	3.44	20.64	6.00%
340	17.00	15.00%	1.25%	4.25	21.25	6.25%
336	16.80	16.00%	1.50%	5.04	21.84	6.50%
332	16.60	17.00%	1.75%	5.81	22.41	6.75%
328	16.40	18.00%	2.00%	6.56	22.96	7.00%
324	16.20	19.00%	2.25%	7.29	23.49	7.25%
320	16.00	20.00%	2.50%	8.00	24.00	7.50%
316	15.80	21.00%	3.00%	9.48	25.28	8.00%
312	15.60	22.00%	3.50%	10.92	26.52	8.50%
308	15.40	23.00%	4.00%	12.32	27.72	9.00%
304	15.20	24.00%	4.50%	13.68	28.88	9.50%
300	15.00	25.00%	5.00%	15.00	30.00	10.00%
296	14.80	26.00%	5.75%	17.02	31.82	10.75%
292	14.60	27.00%	6.50%	18.98	33.58	11.50%
288	14.40	28.00%	7.25%	20.88	35.28	12.25%
284	14.20	29.00%	8.00%	22.72	36.92	13.00%
280	14.00	30.00%	8.75%	24.50	38.50	13.75%
276	13.80	31.00%	9.75%	26.91	40.71	14.75%
272	13.60	32.00%	10.75%	29.24	42.84	15.75%
268	13.40	33.00%	11.75%	31.49	44.89	16.75%
264	13.20	34.00%	12.75%	33.66	46.86	17.75%
260	13.00	35.00%	13.75%	35.75	48.75	18.75%
256	12.80	36.00%	14.75%	37.76	50.56	19.75%
252	12.60	37.00%	15.75%	39.69	52.29	20.75%
248	12.40	38.00%	16.75%	41.54	53.94	21.75%
244	12.20	39.00%	17.75%	43.31	55.51	22.75%
240	12.00	40.00%	18.75%	45.00	57.00	23.75%

APPENDIX- XXII

(Refer Section-Clause 1B)

Illustrative Example (for project cost put to bid Rs 400 crore)



FORM "D1"

format for letter of understanding from the Depositor to Bank
(To be submitted along with Performance Guarantee to Airports Authority of India)

(Refer Section-Clause 1& 1B)

(To be submitted in the Letter head of the firm)

The Branch Manager,
..... Bank,
.....

Sub: - My / Our Bank Guarantee bearing No.....dated for amount..... issued in
favour of Airports Authority of India A/c.....

Sir,

The subject Bank Guarantee is obtained from your branch for the purpose of Security
Deposit / Earnest Money / Performance Guarantee on account of contract awarded / to be
awardedby M/s Airports Authority of India to me / us.

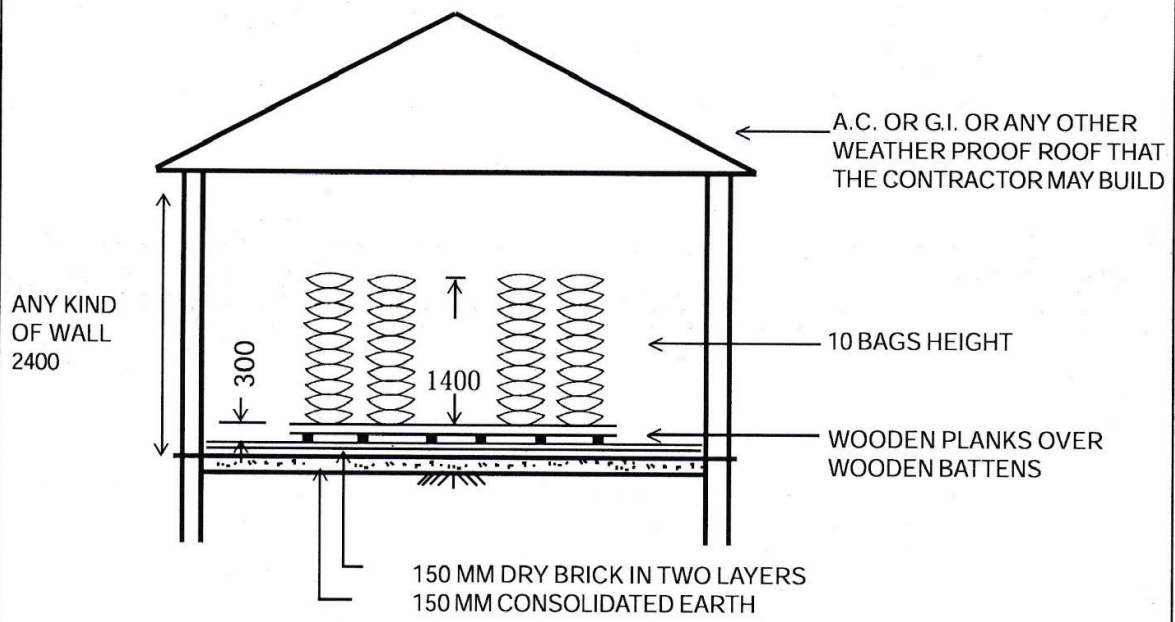
I hereby authorize the Airports Authority of India in whose favour the deposit is made to
close the subject Bank Guarantee before maturity / on maturity towards adjustment of dues
without any reference / consent / notice from me/our side and the bank is fully discharged by
making the payment to Airports Authority of India.

Signature of the Depositor

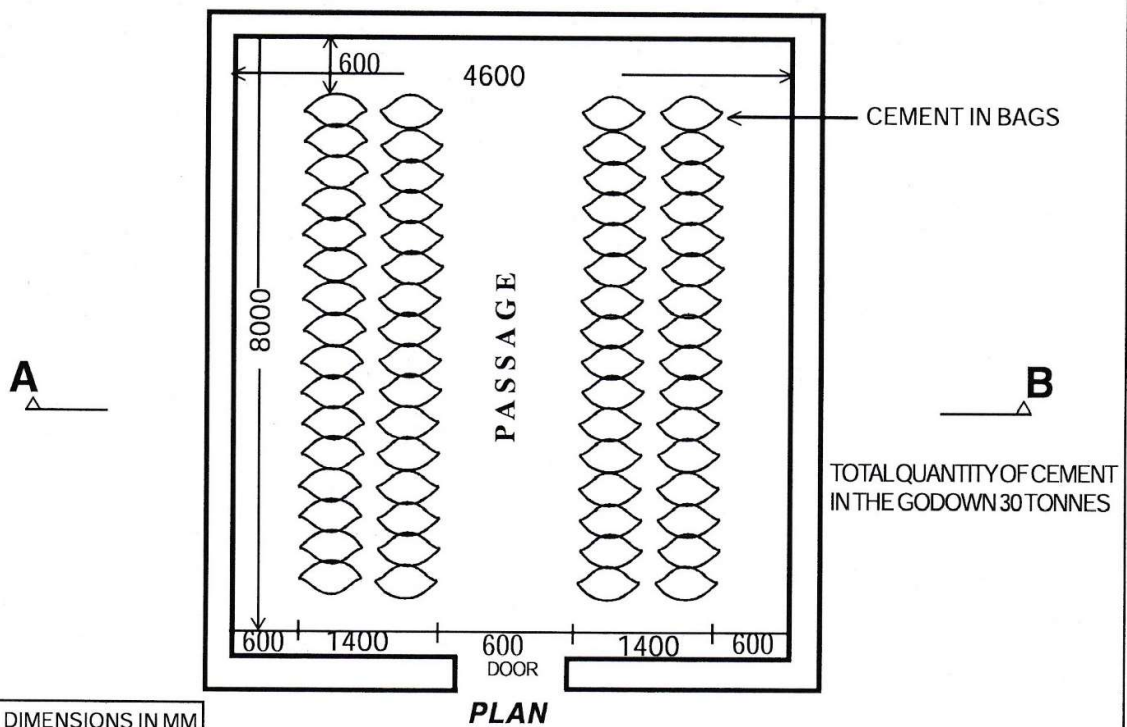
Place:

Date:

सीमेंट गोदाम का रेखाचित्र / SKETCH OF CEMENT GODOWN



SECTION AB



ALL DIMENSIONS IN MM

PLAN

सीमेंट गोदाम का स्केच

अनुसूची SCHEDULES

अनुसूची 'ए'

सभी दरें दिए गए प्रारूप में उद्धृत की जानी चाहिए और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है। मूल्य बोली को निविदा दस्तावेज में पृष्ठ संख्या **S OQ 1 पर एक मानक SOQ प्रारूप के रूप में दिया गया** है, फिर इसे डाउनलोड किया जाना है और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना है। बोलीदाताओं को BOQ फ़ाइल डाउनलोड करने, इसे खोलने और अपने संबंधित वित्तीय उद्धरण और अन्य विवरणों (जैसे बोलीदाता का नाम) के साथ सफेद रंग के (असुरक्षित) कक्षों को पूरा करने की आवश्यकता है। किसी अन्य कक्ष को नहीं बदला जाना चाहिए। एक बार विवरण पूरा हो जाने के बाद, बोलीदाता को इसे सहेजना चाहिए और फ़ाइल का नाम बदले बिना इसे ऑनलाइन जमा करना चाहिए। यदि बोलीदाता द्वारा SOQ फ़ाइल को संशोधित पाया जाता है, तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और EMD जब्त कर लिया जाएगा।

SCHEDULE 'A'

All rates shall be quoted in the format provided and no other format is acceptable. The price bid has been given as a standard SOQ format at page no. **SOQ 1** in the tender document, then the same is to be downloaded and to be filled by all the bidders. Bidders are required to download the BOQ file, open it and complete the white coloured (unprotected) cells with their respective financial quotes and other details (such as name of the bidder). No other cells should be changed. Once the details have been completed, the bidder should save it and submit it online, without changing the File name. If the SOQ file is found to be modified by the bidder, the bid will be rejected and EMD shall be forfeited.

अनुसूची 'बी'

ठेकेदार को जारी की जाने वाली सामग्री की अनुसूची।

क्रम सं.	आइटम का विवरण	मात्रा	ठेकेदार से सामग्री के लिए ली जाने वाली दरें अंकों और शब्दों में	जारी करने की जगह
1	2	3	4	5
एन/ए				

SCHEDULE 'B'

Schedule of materials to be issued to the contractor.

Sl. No.	Description of Item	Quantity	Rates in figures & words at which the material will be charged to the contractor	Place of Issue
1	2	3	4	5

N/A

अनुसूची 'सी'

ठेकेदार को उपकरण और संयंत्र किराये पर देने होंगे।

क्र.सं.	विवरण	प्रतिदिन किराया शुल्क	जारी करने की जगह
1	2	3	4
ठेकेदार को कार्य के लिए आवश्यक सभी उपकरण, संयंत्र, मशीनरी, यंत्र आदि की व्यवस्था करनी होगी। एएआई से किसी को काम पर नहीं रखा जाएगा।			

SCHEDULE 'C'

Tools and plants to be hired to the contractor.

Sl.No.	Description	Hire charges per day	Place of Issue
1	2	3	4
CONTRACTOR TO ARRANGE ALL REQUIRED TOOLS, PLANTS, MACHINERY, INSTRUMENTS REQUIRED FOR THE WORK. NO HIRING FROM AAI.			

अनुसूची 'डी'

कार्य के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं/दस्तावेजों के लिए अतिरिक्त अनुसूची, यदि कोई हो

शून्य

SCHEDULE 'D'

Extra schedule for specific requirements/ documents for the work, if any

NIL

अनुसूची 'ई'

अनुबंध की सामान्य शर्त का संदर्भ

कार्य का नाम:

एसआईटीसी ऑफ एलईडी ल्यूमिनरीज फॉर टर्मिनल बिल्डिंग
एट डीएबीएच एयरपोर्ट, इंदौर ।

कार्य की अनुमानित लागत: रु. **30.56 लाख** (जीएसटी रहित)

ईएमडी रु. **91,691/-** (केवल ऑनलाइन)

i. बयाना राशि:

ii. प्रदर्शन गारंटी

(संदर्भ खंड 1 व 1 बी)
(अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी - जब बोली की कीमत, बोली के लिए रखी गई प्रोजेक्ट लागत के 10% से कम हो)

एसडी

iii. सुरक्षा जमा

अनुबंध मूल्य का 10%
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में इंदौर में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में। यदि एस.डी. की राशि 5.00 लाख रुपये से अधिक है, तो एस.डी. को अनुसूचित बैंक (लेकिन सहकारी/ग्रामीण बैंक से नहीं) द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है (खंड 1ए)।

IV. दोष दायित्व अवधि

12 (बारह) माह

SCHEDULE 'E'

Reference to General Condition of contract with

NAME OF WORK:

**SITC of LED luminaries for Terminal Building at
DABH Airport, Indore.**

ESTIMATED COST OF
WORK:

Rs. 30.56 Lakhs (Excluding GST).

EMD

Rs. 91,691/- (Online Only).

i. EARNEST MONEY:

ii. PERFORMANCE
GUARANTEE

(Ref clause 1 and 1B)
(Additional Performance Guarantee Where the bid price is below **10%**
of the project cost put to bid)

SD

iii. SECURITY DEPOSIT

10% of CONTRACT VALUE
in the form of demand draft in favour of AIRPORTS
AUTHORITY OF INDIA payable at INDORE. SD may be
accepted in the form of BG issued by Scheduled Bank (but not
from co-operative / Gramin bank), if the amount of SD is more
than Rs. 5.00 Lac. (Clause 1A).

iv. DEFECTS LIABILITY
PERIOD

12 (Twelve) Months

अनुसूची 'एफ'

सामान्य नियम एवं निर्देश

निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी	एजीएम (ईई)-I, डीएबीएच एयरपोर्ट, इंदौर
-----------------------------------	---------------------------------------

निष्पादित किए जाने वाले कार्य मदों की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत जिसके बाद दरें निर्धारित की जाएंगी जीसीसी के खंड 12.2 और 12.3 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा	ए: 15% (फाउंडेशन स्तर से ऊपर) बी: 100% (फाउंडेशन आइटम के लिए) सी: 30% (कुल मिलाकर)
---	---

परिभाषाएं		
	कार्यालय निविदा आमंत्रित कर रहा है	कार्यालय हवाई अड्डा निदेशक, एएआई दभ हवाई अड्डा, इंदौर.
2(v)	इंजीनियर-इन-चार्ज	एजीएम (ईई)/एसएम(ईई)
2(viii)	प्राधिकरण स्वीकार करना	एएआई डीओपी के अनुसार
2(x)	सभी ओवरहेड्स और मुनाफे को कवर करने के लिए सामग्री और श्रम की लागत का प्रतिशत	15%
2(xi)	दरों की मानक अनुसूची	वर्तमान बाजार दरें
2(xii)	विभाग	एएआई इंजीनियरिंग

SCHEDULE 'F'**GENERAL RULES & DIRECTION**

Officer inviting tender	AGM (E-E)-I, D.A.B.H. AIRPORT, INDORE
-------------------------	--

Maximum percentage for quantity of items of work to be executed beyond which rates are to be determined in accordance with Clauses 12.2 & 12.3 of GCC to be determined in accordance with Clauses 12.2 & 12.3	a: 15% (Above Foundation Level) b: 100% (for foundation Items) c: 30% (Overall)
---	--

DEFINITIONS		
	Office inviting tender	O/O AIRPORT DIRECTOR, AAI D.A.B.H. AIRPORT, INDORE.
2(v)	Engineer-in-Charge	AGM (E-E)/ SM(E-E)
2(viii)	Accepting Authority	AS PER AAI DOP
2(x)	Percentage on cost materials & Labour to cover all overheads & Profits	15%
2(xi)	Standard schedule of rates	Present Market Rates
2(xii)	Department	AAI Engineering

धारा 1

(मैं)	स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने के लिए अनुमत समय	लेटर ऑफ़ इंटेन्ट जारी होने के 30 दिनों के भीतर अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी
(ii)	विस्तार की अधिकतम स्वीकार्य अवधि	लागू नहीं

Clause 1

(i)	Time allowed for submission of Performance Guarantee from the date of issue of letter of Intent	Additional Performance guarantee within 30 days of issue of letter for intent.
(ii)	Maximum allowable period of extension	NOT APPLICABLE

धारा 2

धारा 2 के अंतर्गत मुआवजा तय करने का प्राधिकरण	एएआई डीओपी के अनुसार (विलंब के लिए मुआवजा)
---	--

Clause 2

Authority for fixing compensation under Clause 2	AS PER AAI DOP (compensation for Delay)
--	--

धारा 2ए

क्या खंड 2ए लागू होगा	नहीं (शीघ्र पूरा करने के लिए प्रोत्साहन)
-----------------------	---

Clause 2A

Whether Clause 2A shall be applicable	NO (incentive for Early completion)
---------------------------------------	--

धारा 5 :

	प्रारंभ की तारीख की गणना के लिए स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से दिनों की संख्या	10 दिन/कार्य आदेश के अनुसार	
नीचे दी गई तालिका के अनुसार मील के पत्थर:			
क्र.सं.	मील के पत्थरों का विवरण (भौतिक)	दिनों में स्वीकृत समय (आरंभ तिथि से)	लक्ष्य प्राप्त न होने की स्थिति में रोकी जाने वाली राशि
i	कार्य योजना	साइट की आवश्यकताओं के अनुसार, प्रगति समीक्षा बैठकें।	
ii	सामग्री की आपूर्ति		
iii	निर्माण/स्थापना		
iv	परीक्षण और कमीशन		
v	अन्य औपचारिकताएं		

	03 (तीन) महीने
--	----------------

कार्य निष्पादन के लिए दिया गया समय	
------------------------------------	--

निर्णय लेने का प्राधिकार:

i	समय का विस्तार	एएआई डीओपी के अनुसार
ii	मील के पत्थर का पुनर्निर्धारण	एएआई डीओपी के अनुसार
iii	के मामले में प्रारंभ की तारीख में बदलाव साइट सौंपने में देरी	एएआई डीओपी के अनुसार

Clause 5 :

	Number of days from the date of issue of letter of acceptance for reckoning date of start	10 DAYS/ AS PER WORK ORDER	
Mile Stone(s) as per table given below:			
Sl.No.	Description of Milestones (Physical)	Time allowed in days (from date of start)	Amount to be withheld in case of non achievement of milestone
i	Action plans	As per site requirements, progress Review Meetings.	
ii	Supply of Materials		
iii	Erection/ Installlation		
iv	Testing & Commission		
v	Other formalities		

TIME ALLOWED FOR EXECUTION OF WORK	03 (Three) Months
------------------------------------	--------------------------

Authority to decide:

i	Extension of time	AS PER AAI DOP
ii	Rescheduling of milestone	AS PER AAI DOP
iii	Shifting of date of start in case of delay in handing over of site	AS PER AAI DOP

--	--	--

खंड 6, 6ए :

लागू धारा – (6 या 6ए)	6ए (कम्प्यूटरीकृत एमबी)
-----------------------	--------------------------

Clause 6, 6A :

Clause applicable – (6 or 6A)	6A (COMPUTERISED MB)
-------------------------------	----------------------

धारा 7

अंतरिम भुगतान के लिए पात्र होने हेतु किए जाने वाले सकल कार्य के साथ-साथ एकत्रित सामग्री के लिए अग्रिम राशि का शुद्ध भुगतान/समायोजन, यदि ऐसा कोई हो।	एन/ए
---	------

Clause 7

Gross work to be done together with net payment/adjustment of advances for material collected, if any since the last such payment for being eligible to interim payment.	N/A
--	-----

धारा 10ए

साइट लैब में ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले परीक्षण उपकरण: साइट की आवश्यकता के अनुसार

सीपीडब्ल्यूडी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, आईआरसी और एएआई के विनिर्देशों के अनुसार भवन/फुटपाथ कार्यों के लिए परीक्षण करने हेतु आवश्यक सभी परीक्षण उपकरण।

Clause 10A

Testing equipment to be provided by the contractor at site lab: AS PER SITE REQUIREMENT

All the Testing equipments required for conducting test for building/ pavement works as per CPWD, Morth, IRC and AAI specifications as applicable.

खंड 10 बी(II)

	क्या खंड 10बी(II) लागू होगा	हां-नहीं
	मोबिलाइजेशन एडवांस पर ब्याज	प्रतिवर्ष

Clause 10 B(II)

	Whether Clause 10B(II) shall be applicable	Yes/ No
	Interest on Mobilization Advance	per Annum

धारा 10सी :

	क्या धारा 10सी लागू होगी	लागू नहीं
	श्रम का घटक कार्य के मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है	लागू नहीं

Clause 10C :

	Whether Clause 10C shall be applicable	NOT APPLICABLE
	Component of labour expressed as percent of value of work	NOT APPLICABLE

धारा 10 CA: हटा दिया गया

Clause 10 CA: DELETED**धारा 10 सी.सी. (लागू हो या न हो)- लागू नहीं**

खंड 10सीसी उन अनुबंधों पर लागू होगा जिनकी समाप्ति की निर्धारित अवधि अगले कॉलम में दर्शाई गई अवधि से अधिक है।	18 महीने
--	----------

A. निर्माण अवधि के लिए

क्र. सं.	मूल्य वृद्धि के लिए सामग्री/श्रम का प्रासंगिक घटक	*कार्य के कुल मूल्य के सापेक्ष प्रतिशत
1.	सीमेंट घटक	
2.	श्रम घटक	
3.	अन्य निर्माण सामग्री के सिविल घटक	
4.	निर्माण सामग्री का ई एंड एम (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आई/सी आईटी और एयरपोर्ट सिस्टम) घटक	
5.	पीओएल (डीजल) घटक	
6.	सुदृढ़ीकरण स्टील बार्स/टीएमटी बार्स/संरचनात्मक स्टील्स (स्ट्रैंड्स और केबल्स सहित) घटक	
7.	बिटुमेन घटक	
	कुल	100%

B. संचालन एवं रखरखाव अवधि के लिए

क्र. सं.	मूल्य वृद्धि के लिए सामग्री / श्रम का प्रासंगिक घटक	*कार्य के कुल मूल्य के सापेक्ष प्रतिशत
1.	श्रम घटक	
2.	अन्य निर्माण सामग्री के सिविल घटक	
3.	निर्माण सामग्री का ई एंड एम (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आई/सी आईटी एंड एस) घटक	
4.	बिटुमेन घटक (फुटपाथ कार्य घटक के लिए)	
	कुल	100%

Clause 10 CC (Applicable or not)- NOT APPLICABLE

Clause 10CC to be applicable in contracts with stipulated period of completion exceeding the period shown in next column	18 Months
--	-----------

C. For Construction period

S. No	Relevant component of Material/ Labour for price escalation	*Percentage against total value of work
1.	Cement component	
2.	Labour component	
3.	Civil Component of other Construction Materials	
4.	E&M (Electrical and Mechanical i/c IT & Airport system) component of Construction Materials	
5.	POL (Diesel) component	

6.	Reinforcement steel bars/ TMT bars/ structural steels (including strands and cables) component	
7.	Bitumen component	
	TOTAL	100%

D. For Operation and Maintenance period

S. No	Relevant component of Material / Labour for price escalation	*Percentage against total value of work
1.	Labour component	
2.	Civil Component of other Construction Materials	
3.	E&M (Electrical and Mechanical i/c IT & AS) component of Construction Materials	
4.	Bitumen component (For Pavement work component)	
	TOTAL	100%

धारा 11

पालन किये जाने वाले विनिर्देश कार्य निष्पादन के लिए	a) बीओक्यू/एसओक्यू b) टेंडर के विनिर्देश c) सीपीडब्ल्यूडी/एएआई/आईसीएओ विनिर्देश d) प्रासंगिक आईएस/आईसी/भारतीय विद्युत नियम
---	---

Clause 11

Specification to be followed for execution of work	e) BOQ/SOQ f) Tender specifications g) CPWD/ AAI/ ICAO Specifications. h) Relevant IS/ IEC/ Indian Electricity Rules
--	---

धारा 12

12.2 और 12.3	विचलन सीमा जिसके आगे खंड 12.2 और 12.3 भवनों, फुटपार्थों और नीव स्तर से ऊपर के सभी अन्य कार्यों के लिए लागू होंगे	15% (पंद्रह प्रतिशत)
12.5	विचलन सीमा जिसके आगे खंड 12.2 और 12.3 नीव कार्य के लिए लागू होंगे	100% (सौ प्रतिशत)
	अतिरिक्त मदों, यदि कोई हो, के संबंध में समग्र विचलन।	25% (पच्चीस प्रतिशत)

Clause 12

12.2 & 12.3	Deviation limit beyond which clauses 12.2 & 12.3 shall apply for buildings, Pavements and all other works above foundation level	15% (Fifteen Percent)
12.5	Deviation limit beyond which clauses 12.2 & 12.3 shall apply for foundation work	100% (Hundred Percent)
	Overall Deviation i/c extra items, if any.	25% (Twenty Five Percent)

धारा 16

	कम दरें तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	एएआई डीओपी के अनुसार
--	---	----------------------

Clause 16

	Competent Authority for deciding reduced rates	AS PER AAI DOP
--	--	----------------

धारा 17

रखरखाव अवधि के दौरान क्षति, दोषों के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा – कार्य पूरा होने के एक (01) साल बाद।

Clause 17

Contractor Liable for Damages, defects during maintenance period – **One (01) year, after the completion of work.**

धारा 18

	ठेकेदार द्वारा साइट पर तैनात की जाने वाली अनिवार्य मशीनरी, उपकरण और संयंत्र :	एनआईटी के अनुसार तथा सभी आवश्यक उपकरण, संयंत्र, मशीनरी, यंत्र साइट की आवश्यकता के अनुसार, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।
--	---	--

Clause 18

	Mandatory machinery, tools & plants to be deployed by the contractor at site:	As per NIT and all required Tools, plants, Machinery, instruments as per site requirement unless otherwise specified.
--	---	---

धारा 25

	मध्यस्थता का स्थान	इंदौर
--	--------------------	-------

Clause 25

	Place of Arbitration	Indore
--	----------------------	--------

धारा 36(1)

तकनीकी प्रतिनिधि(यों) की आवश्यकता और वसूली दर

क्र.सं.	तकनीकी प्रतिनिधि की न्यूनतम योग्यता	अनुशासन	पदनाम (प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि)	न्यूनतम अनुभव	संख्या	खंड 36 के प्रावधान को पूरा न करने की स्थिति में ठेकेदार से वसूली की जाने वाली दर	
						आंकड़े रु.	शब्द

- a. सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, जिनके पास डिप्लोमा है, को स्नातक इंजीनियरों के बराबर माना जाएगा।
- b. किसी प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव रखने वाले डिप्लोमा धारक को ऐसी तैनाती के लिए स्नातक इंजीनियर के बराबर माना जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे डिप्लोमा धारक की योग्यता डिग्री इंजीनियरों की आवश्यकता के 50% से अधिक न हो।

Clause 36(1)**Requirement of Technical Representative(s) and recovery rate**

Sl.	Minimum	Discipline	Designation	Σ	Rate at which recovery
-----	---------	------------	-------------	---	------------------------

A.A.I.

GCC248

No.	Qualification of Technical Representative		(Principal Technical representative)			shall be made from the contractor in the event of not fulfilling provision of clause 36	
						Figures Rs.	Words

- Assistant Engineers retired from Government services that are holding Diploma will be treated at par with Graduate Engineers.
- Diploma holder with minimum 10 year relevant experience with a reputed construction company can be treated at par with Graduate Engineer for the purpose of such deployment subject to the condition that such diploma holder should not exceed 50% of requirement of degree engineers

धारा 37

कच्ची भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क	एएआई मानदंडों के अधीन।
---------------------------------	------------------------

Clause 37

Licence Fee for unpaved land	Subject to AAI norms.
------------------------------	-----------------------

धारा 41(बी)

सत्यनिष्ठा संधि लागू	लागू नहीं
----------------------	-----------

Clause 41(b)

Integrity Pact applicable	NOT APPLICABLE
---------------------------	----------------

धारा 42

(i)	दिल्ली दर अनुसूची के आधार पर सीमेंट और बिटुमेन की सैद्धांतिक मात्रा निर्धारित करने के लिए अनुसूची/विवरण	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक अद्यतन सुधार पत्रियों, तकनीकी विनिर्देशों और बीओक्यू के साथ सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मुद्रित डीएसआर 2016
(ii)	सैद्धांतिक मात्राओं में स्वीकार्य परिवर्तन	
a.	सीमेंट के लिए निविदा में रखे गए कार्यों की अनुमानित लागत	3% प्लस/माइनस

	5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।	
	5 लाख रुपये से अधिक अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए निविदा	2% प्लस/माइनस
b.	प्रत्येक व्यास, अनुभाग और श्रेणी के लिए स्टील सुदृढीकरण और संरचनात्मक स्टील अनुभाग	2% प्लस/माइनस
c.	बिटुमेन	केवल 2.5% प्लस और माइनस साइड पर शून्य
d.	अन्य सभी सामग्रियां	

स्वीकार्य भिन्नता से परे मात्रा के लिए वसूली दें

क्रम सं.	वस्तुओं का विवरण	अंकों और शब्दों में दें जिन पर ठेकेदार से वसूली की जाएगी
		स्वीकार्य भिन्नता से अधिक
1.	सीमेंट	स्वीकार्य भिन्नता से परे कम उपयोग*
2.	स्टील सुदृढीकरण	
3.	संरचनात्मक अनुभाग	
4.	बिटुमेन निःशुल्क जारी किया गया	
5.	निर्धारित मूल्य पर बिटुमेन जारी किया जाएगा	

* बशर्ते काम तकनीकी रूप से सही माना जाए। अन्यथा इंजीनियर-इन-चार्ज के निर्देशानुसार काम को दोबारा करना होगा।

Clause 42

(i)	Schedule/statement for determining theoretical quantity of cement & bitumen on the basis of Delhi Schedule of Rates	DSR 2016 printed by C.P.W.D with up-to-date correction slips till last date of submission of tender, technical specifications & BOQ.
(ii)	Variations permissible on theoretical quantities	
a.	Cement for works with estimated cost put to tender not more than Rs.5 lakhs.	3% plus/minus
	For works with estimated cost put to tender more than Rs.5 lakhs	2% plus/minus
b.	Steel Reinforcement and structural steel section for each diameter, section and category	2% plus/minus
c.	Bitumen	2.5% plus only & NIL on minus side
d.	All other materials	

RECOVERY RATES FOR QUANTITIES BEYOND PERMISSIBLE VARIATION

Sl. No.	Description of items	Rates in figures and words at which recovery shall be made from the contractor	
		Excess beyond permissible variation	Less use beyond the permissible variation*
1.	Cement		
2.	Steel reinforcement		

अनुसूचियों



3.	Structural Sections		
4.	Bitumen issued free		
5.	Bitumen issued at stipulated fixed price		

* Provided work is considered technically sound. Otherwise work has to be re-executed as per direction of Engineer-in-charge

धारा 48

Clause 48

	निरलब खाता Escrow Account	लागू नहीं NOT APPLICABLE
--	-------------------------------------	------------------------------------

खंड 34 (x) का अनुलग्नक, जिसमें सतह के क्षेत्रों के लिए सामग्री की मात्रा दर्शाई गई है, ताकि न्यूनतम अवधि की गणना की जा सके जिसके लिए रोड रोलर का किराया वसूला जाना है।

Annexure to clause 34 (x) showing quantities of materials for areas of surfacing to be considered for working out minimum period for which hire charges of road roller are to be recovered.

क्र.सं. Sl.No.	सरफेसिंग की सामग्री Material of surfacing	मात्रा या क्षेत्र Quantity or areas
1.	पृथ्वी सबग्रेड का समेकन Consolidation of earth subgrade	1860 वर्ग मीटर
2.	15 सेमी से 22.5 सेमी मोटी पत्थरों की सोलिंग का समेकन Consolidation of stones soling 15 cm to 22.5 cm thick	170 घन मीटर
3.	10 सेमी से 20 सेमी मोटी ईट सोलिंग का समेकन Consolidation of brick soling 10 cm to 20 cm thick	230 घन मीटर
4.	7.5 सेमी से 11.5 सेमी मोटी पत्थर की गिट्टी की परत का समेकन Consolidation of wearing coat of stone ballast 7.5 cm to 11.5 cm thick	30 घन मीटर
5.	10 सेमी मोटी ईट गिट्टी की परत का समेकन Consolidation of wearing coat of brick ballast 10 cm thick	60 घन मीटर
6.	लाल बजरी का फैलाव और समेकन 6 मिमी Spreading and consolidation of red bajri 6mm	1860 वर्ग मीटर
7.	12.5 मिमी नाममात्र आकार के पत्थर के समुच्चय का उपयोग करके एक कोट की पेंटिंग Painting one coat using stone aggregate 12.5mm nominal size	
	(ए) @ 1.65 m ³ प्रति 100 m ² और फ्रश बिटुमेन A-90 या S-90 @ 2.25 किलोग्राम प्रति एम 2 या (a) @ 1.65 m ³ per 100 m ² and paving bitumen A-90 or S-90 @ 2.25 Kg per m ² or	
	(बी) 1.50 m ³ प्रति 100 m ² और बिटुमेन इमल्शन या रोड टार 2.25 किलोग्राम प्रति m ² की दर से (b) @ 1.50 m ³ per 100 m ² and bitumen emulsion or Road tar @ 2.25 Kg per m ²	930 वर्ग मीटर
8.	दो कोट का उपयोग करके पेंटिंग Painting two coats using	
	(ए) पहले कोट के लिए, स्टोन एग्रीगेट 12.5 मिमी नाममात्र आकार (a) For first coat, stone aggregate 12.5 mm nominal size	
	(i) @ 1.50 m ³ प्रति 100 m ² और फ्रश बिटुमेन A-90 या S-90 @ 2 किलोग्राम प्रति m ² या (i) @ 1.50 m ³ per 100 m ² and paving bitumen A-90 or S-90 @ 2 Kg per m ² or	
	(ii) @ 1.35 m ³ प्रति 100 m ² और बिटुमेन इमल्शन @ 2 किलोग्राम प्रति m ² 600 वर्ग मीटर या (ii) @ 1.35 m ³ per 100 m ² and bitumen emulsion @ 2 Kg per m ² 600 Sq.m. or	
	(iii) @ 1.25 m ³ प्रति 100 m ² रोडटार के साथ @ 2.25 किलोग्राम प्रति m ²	600 वर्ग मीटर

	(iii) @ 1.25 m ³ per 100 m ² with roadtar @2.25 Kg per m ²	
	(बी) दूसरे कोट के लिए, पत्थर समुच्चय 10 मिमी नाममात्र आकार 0.9 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर के साथ (b) For 2nd Coat, stone aggregate 10 mm nominal size 0.9 Cu.m. per 100Sq.m with	
	(i) 1 किग्रा पेविंग बिटुमेन ए-90 या एस-90 या बिटुमेन इमल्शन प्रति वर्ग मीटर या (i) 1kg of paving bitumen A-90 or S-90 or bitumen emulsion per Sq.m. or	
	(ii) 1.25 किलोग्राम सड़क तारकोल, प्रति वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर। (ii) 1.25 Kg. of road tar, per Sq.m. 600 Sq.m.	600 वर्ग मीटर
9.	पत्थर समुच्चय 10 मिमी नाममात्र आकार 0.9 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर के साथ पुनः पेंटिंग Re-painting with stone aggregate 10 mm nominal size 0.9 Cu.m. per 100 Sq.m. with	
	(i) 1 किग्रा पेविंग बिटुमेन A-90 या S-90 प्रति वर्ग मीटर; या (i) 1kg of paving bitumen A-90 or S-90 per Sq.m. ;k or	
	(ii) 1.25 किलोग्राम बिटुमेन इमल्शन प्रति वर्ग मीटर 1670 वर्ग मीटर (ii) 1.25 kg of bitumen emulsion per Sq.m. 1670 Sq.m.	1670 वर्ग मीटर
10.	2 सेमी प्रीमिक्स कालीन सतह, 2.4 m ³ पत्थर समुच्चय का उपयोग करके, 10 मिमी नाममात्र आकार प्रति 100 m ² और बांधने की मशीन सहित टैक कोट, बांधने की मशीन निर्दिष्ट मात्रा में गर्म कट बैक बिटुमेन या बिटुमेन पायस है। 2 cm premix carpet surfacing using 2.4 m ³ of stone aggregate 10 mm nominal size per 100 m ² and binder including tack coat, the binder being hot cut back bitumen or bitumen emulsion in specified quantities.	930 वर्ग मीटर
11।	2.5 सेमी प्रीमिक्स कालीन सतह, 3 m ³ पत्थर समुच्चय का उपयोग करके, 10 मिमी नाममात्र आकार प्रति 100 m ² और बांधने की मशीन सहित टैक कोट, बांधने की मशीन निर्दिष्ट मात्रा में गर्म कट बैक बिटुमेन या बिटुमेन पायस है। 2.5 cm premix carpet surfacing using 3 m ³ of stone aggregate 10 mm nominal size per 100 m ² and binder including tack coat, the binder being hot cut back bitumen or bitumen emulsion in specified quantities.	930 वर्ग मीटर
12.	4 सेमी मोटी बिटुमेन कंक्रीट सतह, जिसमें 3.8 घन मीटर पत्थर (60%20 मिमी नाममात्र आकार और 40% 12.5 मिमी नाममात्र आकार) प्रति 100 मीटर ² और 1.9 घन मीटर मोटी रेत प्रति 100 मीटर ² और गर्म कट बैक बिटुमेन के टैक कोट के ऊपर गर्म कट बैक बिटुमेन का उपयोग किया गया है। 4 cm thick bitumen concrete surfacing using stone aggregate 3.8 Cu.m. (60%20mm nominal size and 40% 12.5 mm nominal size) per 100m ² and coarse sand 1.9 Cu.m. per 100m ² and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen.	460 वर्ग मीटर
13.	5 सेमी मोटी बिटुमेन कंक्रीट सतह, जिसमें 4.8 घन मीटर पत्थर (60%25 मिमी नाममात्र आकार और 40%20 मिमी नाममात्र आकार) प्रति 100 मीटर ² और 2.4 घन मीटर मोटी रेत प्रति 100 मीटर ² और गर्म कट बैक बिटुमेन के टैक कोट के ऊपर गर्म कट बैक बिटुमेन का उपयोग किया गया है। 5 cm thick bitumen concrete surfacing using stone aggregate 4.8 Cu.m. (60%25 mm nominal size and 40% 20 mm nominal size) per 100m ² and coarse sand 2.4 Cu.m. per 100m ² and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen.	370 वर्ग मीटर
14.	6 सेमी मोटी बिटुमेन कंक्रीट सतह, जिसमें 5.8 घन मीटर पत्थर (60%40 मिमी नाममात्र आकार और 40%25 मिमी नाममात्र आकार) प्रति 100 मीटर ² और 2.9 घन मीटर मोटी रेत प्रति 100 मीटर ² और गर्म कट बैक बिटुमेन के टैक कोट के ऊपर गर्म कट बैक बिटुमेन का उपयोग किया गया है। 6 cm thick bitumen concrete surfacing using stone aggregate 5.8 Cu.m. (60%40 mm nominal size and 40% 25 mm nominal size) per 100m ² and coarse sand 2.9 Cu.m. per 100m ² and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen.	280 वर्ग मीटर

15.	7.5 सेमी मोटी बिटुमेन कंक्रीट सतह, जिसमें 7.3 घनमीटर पत्थर (60% 50 मिमी नाममात्र आकार और 40% 40 मिमी नाममात्र आकार) प्रति 100 मीटर ² और 3.65 घनमीटर मोटी रेत प्रति 100 मीटर ² और गर्म कट बैक बिटुमेन के टैक कोट के ऊपर गर्म कट बैक बिटुमेन का उपयोग किया गया है। 7.5 cm thick bitumen concrete surfacing using stone aggregate 7.3 Cu.m. (60% 50 mm nominal size and 40% 40 mm nominal size) per 100m ² and coarse sand 3.65 Cu.m. per 100m ² and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen.	230 वर्ग मीटर
16.	2.5 सेमी बिटुमैस्टिक शीट, जिसमें 1.65 घन मीटर पत्थर (60% 12.5 मिमी नाममात्र आकार 40% 10 मिमी नाममात्र आकार) प्रति 100 वर्ग मीटर और 1.65 घन मीटर मोटी रेत प्रति 100 वर्ग मीटर और गर्म कट बैक बिटुमेन के टैक कोट के ऊपर गर्म कट बैक बिटुमेन का उपयोग किया गया है। 2.5 cm bitumastic sheet using stone aggregate 1.65 Cu.m. (60% 12.5 mm nominal size 40% 10 mm nominal size) per 100 Sq.m. and coarse sand 1.65 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen.	750 वर्ग मीटर
17.	4 सेमी बिटुमैस्टिक शीट, 2.6 घन मीटर पत्थर समुच्चय (60% 12.5 मिमी नाममात्र आकार, 40% 10 मिमी नाममात्र आकार) प्रति 100 वर्ग मीटर और 2.5 घन मीटर मोटी रेत प्रति 100 वर्ग मीटर और गर्म कट बैक बिटुमेन के एक टैक कोट के ऊपर गर्म कट बैक बिटुमेन का उपयोग करके। 4 cm bitumastic sheet, using stone aggregate 2.6 Cu.m. (60% 12.5 mm nominal size, 40% 10 mm nominal size) per 100 Sq.m. and coarse sand 2.5 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen.	560 वर्ग मीटर
18.	40 मिमी नाममात्र आकार के 6.10 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर के पत्थर के समुच्चय का उपयोग करके बाइंडर के साथ पूर्ण ग्राउटेड सतह बिछाना, 20 मिमी से 12.5 मिमी नाममात्र आकार के पत्थर के गिट के साथ बांधना। 1.83 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर और बाइंडर और पत्थर के गिट का सील कोट 10 मिमी नाममात्र आकार, 1.07 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर, बाइंडर गर्म बिटुमेन या टार होना चाहिए जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है। Laying full grouted surface using stone aggregate 40 mm nominal size 6.10 Cu.m. per 100 Sq.m. with binder, binding with 20 mm to 12.5 mm nominal size stone grit. 1.83 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of binder and stone grit 10 mm nominal size, 1.07Cu.m. per 100 Sq.m., the binder being hot bitumen or tar as specified.	460 वर्ग मीटर
19.	50 मिमी नाममात्र आकार के 9.14 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर पत्थर के समुच्चय का उपयोग करके बाइंडर के साथ पूर्ण ग्राउटेड सतह बिछाना, 20 मिमी से 12.5 मिमी नाममात्र आकार के 1.83 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर पत्थर की गिट के साथ बांधना और बाइंडर और पत्थर की गिट 10 मिमी नाममात्र आकार, 1.07 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर का सील कोट, बाइंडर गर्म बिटुमेन या टार होना चाहिए, Laying full grouted surface using stone aggregate 50 mm nominal size 9.14 Cu.m. per 100 Sq.m. with binder, binding with stone grit 20 mm to 12.5 mm nominal size 1.83 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of binder and stone grit 10 mm nominal size, 1.07Cu.m. per 100 Sq.m., the binder being hot bitumen or tar,	370 वर्ग मीटर
20.	4 सेमी. मोटी प्रीमिक्स मैकेडम सतह, जिसमें पत्थर का समुच्चय 25 मिमी. नाममात्र आकार 4.57 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर और गर्म बिटुमिन बाइंडिंग पत्थर का समुच्चय 12.5 मिमी. नाममात्र आकार 1.52 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर और गर्म बिटुमिन और पत्थर का समुच्चय 10 मिमी. नाममात्र आकार 1.07 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर का सील कोट का उपयोग किया गया है। 4cm. thick premix macadam surfacing using stone aggregate 25 mm nominal size 4.57 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot bitumin binding with stone aggregate 12.5 mm nominal size 1.52 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of hot bitumen and stone aggregate 10 mm nominal size 1.07 Cu.m. per 100 Sq.m.	560 वर्ग मीटर
21.	5 सेमी. मोटी प्रीमिक्स मैकेडम सतह, जिसमें पत्थर का समुच्चय 25 मिमी. नाममात्र आकार 6.10 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर और गर्म बिटुमिन बाइंडिंग पत्थर का समुच्चय 12.5 मिमी. नाममात्र आकार	460 वर्ग मीटर

	1.52 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर और गर्म बिटुमिन और पत्थर का समुच्चय 10 मिमी. नाममात्र आकार 1.07 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर का सील कोट का उपयोग किया गया है। 5cm. thick premix macadam surfacing using stone aggregate 25 mm nominal size 6.10 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot bitumin binding with stone aggregate 12.5 mm nominal size 1.52 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of hot bitumen and stone aggregate 10 mm nominal size 1.07 Cu.m. per 100 Sq.m.	
--	---	--

SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT (SCC)

1. INTRODUCTION

These special conditions of contract shall be read in conjunction with AAI General Conditions of Contract for all the systems mentioned above. If there are any provisions in the SCC, which are at variance with the provisions of General conditions of contract, the provisions in the SCC shall take precedence and in case of variance between special conditions of contract and schedule of quantity, the latter shall take precedence.

The electrical installation work shall be carried out in accordance with Indian Standard Code of Practice. It shall also be in conformity with the current Indian Electricity Rules, and Regulations and requirements of the Local Electricity Supply Authority/ Fire Regulations so far as these become applicable to the installation. All Electrical works in general shall be carried out as per AAI and relevant ICAO, DGCA CAR, CPWD specifications.

Wherever, this specification calls for a higher standard of materials and or workmanship than those required by any of the above-mentioned regulations and specification then the specification here under shall take precedence over the said regulations and standards.

2. SCOPE OF WORK: -

The scope of work covers but not limited to the following:-

- a. Supply of 150 W LED High bay Light.
- b. Supply of 90 W LED Street Light.
- c. ITC of LED Lights.
- d. Erection of metallic pole.

The contractor is required to ascertain the entire scope of work that may be necessary for completion of the facility envisaged on their past experience of similar projects. The tenderer is advised to inspect and examine the site and satisfy himself about the nature of work and site before submitting the tender. It shall be deemed that the tenderer has full knowledge of the site whether the site is inspected or not and no extra charges consequent on misunderstanding or otherwise shall be allowed. All materials, tools and tackles, equipment's, labour, including all labour facilities as per labour laws are to be arranged by the contractor. Cost of transportation of labour and materials shall have to be borne by the contractor. In the event of any dispute of any kind related to the works, decisions of the Engineer-In-Charge for this work shall be final and binding.

Please note that the as the work is to be carried out in active operational area and working hours shall depend on flight schedule/ ATC permissions etc. The agency will also require to work in night hours depending on flight operations.

3. INSURANCE:-

The successful tender shall insure all the materials for transit up to destination. The rate quoted by the firm shall be inclusive of insurance charges. It is also advised to insure for the men and material employed in the work till handing over.

4. RATES: -

The rates tendered shall be for complete items of work inclusive of all taxes (excluding GST) and all charges for items contingent to the work, such as packing, forwarding, insurance, freight, loading, unloading and delivery at site for the materials to be supplied by contractor. No additional charges shall be entertained in this regard. The rate shall be quoted excluding GST.

5. COMPLETENESS OF TENDER

All sundry fittings, assemblies, accessories hardware items, foundation bolts, termination lugs for electrical connections as required and all other sundry which are useful and necessary for proper assembly and efficient working of the various components of the work shall be deemed to have been included in the tender, whether such items are specifically mentioned in the tender documents or not.

6. CONTRACT DOCUMENTS

The contract document is confidential and must strictly confined to the contractor's own use and for the purpose of the contract.

7. PHASING OF WORKS

The work may have to be carried out in phases as approved by AAI from time to time so that the total project work can progress smoothly with least obstruction to the operations and also works of other Contractors/ agencies.

8. PAYMENT TERMS

AAI shall pay to the contractor in the manner specified below.

(A) FOR SITC ITEMS

- i) 70 % of the item rate on pro rata basis on supply at site, testing and approval by AAI.
- ii) 20 % of the item rate on installation and approval by AAI.
- iii) 10 % of the item rate on commissioning and handing over of the system.

(B) FOR SUPPLY ITEMS

- i) 80 % of the item rate on pro rata basis on supply at site, testing and approval by AAI.
- ii) 20 % of the item rate on commissioning and handing over of the system.

(C) FOR PURELY INSTALLATION ITEM

- i) 80% of the item rate on pro rata basis on installation of item and approval by AAI.
- ii) 20 % of the item rate on commissioning and handing over of the system.

All the above payments will be made after deducting the Security deposit, Labour Cess, Income Tax, recoveries/penalty (if any) etc. as applicable.

9. BOQ QUANTITIES

The quantities given in the tender BOQ are tentative and shall vary as per the site/ AAI requirements. Only required items & quantities are to be supplied/installed.

Contractor shall monitor the requirements of various items and shall report to AAI with regard to deviation in the existing items and requirement of additional / extra items, if any, for taking necessary action.

10. SECURITY DEPOSIT

The successful bidder has to provide security deposit @ 10 % of contract value.

The security deposit for the work shall be released only after successful completion of defect liability period of 12 months from the date of handing over the site.

11. ADDITIONAL PERFORMANCE GUARANTEE

Additional Performance Guarantee shall be taken within 30 days of issue of letter for intent. The Additional Performance Guarantee shall be in prescribed form as provided in Clause 1B of the General Conditions of Contract (GCC) of tender document. along with undertaking as per Form "D1".

Further, the award letter shall be issued on receipt of Additional Performance Guarantee and contract agreement shall be signed within 10 days of issue of award letter.

In case the contractor fails to deposit performance guarantee within the stipulated period tender shall be stands cancelled without any notice. Further, EMD shall be forfeited, and the contractor shall be liable for debarment up to a period of two (02) years.

12. CONTRACT AGREEMENT

- a) The contract agreement shall be executed on a non-judicial stamp paper of value Rs. 100/- and cost of the Stamp shall be borne by the Contractor.
- b) Contractors tender including the letters of clarifications between the contractor and the AAI prior to the award of contract shall form a part of the contract agreement to the extent they have been accepted by AAI.

13. MATERIALS

Materials shall be supplied as per the BOQ items under schedule of quantities of tender documents.

All the materials required for this work should conform to relevant IS/ICAO/ DGCA CAR specifications. The copies of Purchase Vouchers & challans should be produced along with the materials. The type test certificates, routine test certificates and acceptance test certificates as applicable shall also be submitted.

14. MAKES

In general, make of various items shall be as per the preferred list of makes. However, AAI reserves the right to accept /opt any make which are not indicated in the list can be accepted of reputed brands in the interest of work subject to meeting the technical specifications. Reputed brand implies a brand which is supported by nationwide sales & service distributors/dealers/network/centers.

All makes of items to be got approved by the Engineer-in-charge before manufacture/ supply/ use in the work irrespective of appearing in the approved list.

15. STORAGE OF MATERIALS

The contractor shall provide proper and adequate storage facilities to protect all the materials and equipment against damage from any cause whatsoever. The watch & ward of the stores, equipment & materials shall be the responsibility of the contractor till the completion, commissioning & handing over to AAI. Necessary store rooms should be constructed by the contractor. The land required for stores will be provided by AAI free of cost.

The contractor shall take away the balance of any materials left at the site after commissioning of the system. The cost, if already paid, for such items shall be deducted from the subsequent running bills. AAI shall not be liable to pay for any of the incidental charges connected with the above.

16. SAMPLES

If required, the Contractor shall require to provide to AAI samples of all the materials sufficiently in advance free of cost to obtain approval of Engineer- In-Charge from AAI. Approved samples shall be retained by AAI until the completion of the work and all materials and workmanship incorporated in the work are to conform to the approved samples in all respects. Rejected samples/ materials shall be removed from the site immediately under the supervision of Engineer- In-Charge AAI.

17. TESTING/INSPECTION OF MATERIALS

TESTING/INSPECTION OF MATERIALS AAI reserves the right to inspect the material at factory

before dispatch. If inspection equipment at the factory is to be done, 10 days prior intimation should be given in advance. All arrangements for conducting the inspection/testing at the factory NABL accredited lab/any NABL accredited labs shall be the responsibility of the contractor. The traveling and daily allowance for the 1st inspection at factory will be borne by AAI. In case the material /test is not ready or the test fails during the 1st inspection the TA/DA for the AAI staff for the 2nd inspection shall be borne by the contractor. For visual/destructive tests of materials, the Contractor shall provide samples of all the materials free of cost well in advance.

18. CONSUMPTION OF MATERIALS

Proper record of daily consumption of materials shall be maintained at the site of work for each item as directed by AAI. This is also required to be done even if the contractor arranges these materials himself.

19. STACKING OF MATERIAL AND SITE HANDING OVER

Prior permission has to be obtained before stacking of materials in the premises.

The work shall be done in phases, in close co-ordination with civil /electrical and other works as directed by AAI.

The contractor shall note that the site for installation will be made available in parts or in phases. It is the responsibility of the contractor to program his work accordingly. No extra amount will be paid on account of site being made available in phases/parts.

Surplus/dismantled material with no scrap value shall be removed from the site to maintain the site free of any surplus material at all times. Dismantled item with scrap value shall be stacked up neatly inside AAI store at no additional cost.

Until the handing over of the installation, the responsibility lies with the contractor for safety, upkeep etc.

20. STRUCTURAL ALTERATIONS TO BUILDINGS

No structural member in the building shall be damaged/altered, without prior approval from AAI. Structural provisions like openings, pipes if any, provided by AAI for the work, shall be used. Where these require modifications, such contingent or works shall be carried out by the contractor, at his cost after the prior approval of AAI.

All cut out openings in floors provided by AAI shall be closed, after installing the cables, ducts etc in accordance with the item therefore in the schedule of work.

All cuttings made by the contractor in connection with the works shall be filled by him at his cost to the original finish.

21. CO-ORDINATION

The Contractor shall co-operate and co-ordinate with all other agencies working in the same

project, compare plans, specifications and the time schedules and so arrange his work so that there will be no interference during execution of the work.

The Contractor shall forward to AAI all correspondence and drawings exchanged. Failure to do so will render the Contractor responsible for subsequent change found necessary and its cost. However, the Contractor shall arrange necessary facilities to execute the work simultaneously with other agencies. No claim on this account shall be entertained by AAI.

Contractor shall plan all activities to ensure that there is minimal interference with existing installation and operation is not affected.

22. TESTING AND MEASURING EQUIPMENTS

Equipment for measurement of work and testing the installation shall be procured by the Contractor for their use at their own cost. The same shall also be made available to AAI for the work without any charges to AAI.

23. WATER AND ELECTRIC SUPPLY

AAI will not be responsible for supply of water and electric power to the contractor for execution of work.

24. EXECUTION AT SITE

The Contractor shall adjust his labour, staff, plant, machinery etc. according to the requirement of work from time to time with particular regard to approved phases of work and no claim shall be entertained on account of idle labour, plant, machinery, etc., due to any reason whatsoever.

No payment /compensation will be made to the Contractor for damage caused by rains, floods, cyclones, earthquakes, subversion, riots or other natural calamities during the execution of the Works. The damage caused to work shall be made good by the Contractor at his own cost and no claim on this account shall be entertained.

The rates quoted by the Contractor for all items except those where specific provisions indicated in the schedule of quantities shall include all leads, lifts and nothing extra shall be paid on this account.

25. COMPENSATION FOR DELAY

If the contractor fails to complete the work and clear the site for any particular phase on or before the stipulated completion time of that respective stage or extended period of completion, he shall, without prejudice to any other right or remedy of AAI on account of such breach, pay as agreed a compensation of the amount calculated on the basis of General Conditions of Contract.

The Contractor shall maintain in perfect condition all works executed till the completion of the entire works allotted to him. When, phased handing-over is contemplated, the provisions mentioned above will apply to each phase.

26. SITE MAINTENANCE DURING CONSTRUCTION

The Contractor shall from time to time clear and remove all rubbish and obstructions from the site and the work area shall be kept clear and unobstructed at all times. Nothing extra shall be paid on this account.

27. CONFORMITY TO IE ACT, IE RULES AND REGULATIONS

All electrical works shall be carried out in accordance with the provisions of Indian Electricity Act-1910, Indian electricity rules – 1956 amended up to date (date of call of tender unless specified otherwise) and the State Electrical Inspectorate.

The works shall also conform to relevant Indian standard Codes of Practice (COP) for the type of work involved. All materials to be used in work shall be ISI marked, wherever applicable. In all electrical works, relevant safety codes of practices shall be followed.

28. CONTRACTOR'S REPRESENTATIVES, AGENTS AND WORKMEN

The work has to be executed through specialized agency who has executed similar nature of works during last seven years. The tenderer shall ensure deployment of appropriate qualified and experienced workman for execution of work to determine the acceptable standard of workmanship, the Contractor shall execute portion of the item of work as sample for approval of AAI before taking up the actual execution of the particular item of work.

All materials or workmanship, which in the opinion of AAI is defective or is unsuitable shall be removed immediately from the site within a reasonable time fixed by AAI failing which, the same shall be removed at the risk and cost of the Contractor. No claim whatever shall be entertained on this account.

29. BYE-LAWS

The contractor shall comply with all bye-laws and regulations of local and statutory authorities having jurisdiction over the works and shall be responsible for obtaining prior approval, if any, and payment of all fees and other charges, giving and receiving of all necessary notices and keeping AAI informed of the said compliance with the bye-laws, payments made, notices issued and received.

The Contractor shall indemnify AAI against all claims in respect of royalties, patent rights, design trademarks of name or other protected rights in respect of any plant, machine, work or materials used for or in connection with the work or temporary works and from and against all claims, demands proceedings, costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto. The Contractor shall defend all actions arising from such claims and shall himself and every sort that may be legally incurred in respect thereof.

The Contractor shall comply with proper and legal orders and directions of local or public authority or municipality and abide by their rules and regulations and pay all fees and incidental charges which may be liable during the contract period.

All required passes and formalities, to carry out the work at the area, is the responsibility of contractor.

30. SAFETY

Only properly tested and marked material handling equipment shall be used. All supporting arrangements and fixing details shall be checked periodically and necessary rectifying actions are to be taken in order to ensure safe handling of loads during different operations.

The work is to be carried out inside operational area therefore the contractor shall observe the safety regulations needed for working in a project where other contractors /sub-contractors /agencies might also be working, so as not to interfere with the work of the other contractors or foul with their constructions.

The Contractor shall take all precautions to avoid accidents by exhibiting necessary caution boards day and night, speed limit borders, red flags, red lights and providing barriers wherever required. They shall be responsible for all damages and accidents caused due to negligence on his part. No hindrances shall be caused to traffic during execution of work. The Contractor shall provide high visibility jacket for all manpower deployed at works site and ensure that works be performed after wearing high visibility jacket only.

31. GUARANTEE / WARRANTY/DEFECTS LIABILITY PERIOD

All the items of equipment and installations shall be guaranteed to be free from defective workmanship or materials during the defects liability period of 12 months from the recorded date of completion. The Contractor at his own cost shall rectify any defect /replace material that may appear during the period.

- (a) The Contractor shall hold himself fully responsible for reinstallation or replace free of cost to AAI during the defect liability period as stipulated hereunder.
- (b) Any defective material supplied by the Contractor or defective workmanship of the Contractor.
- (c) Any material supplied by AAI which is proved to be damaged or destroyed as a result of defective workmanship by the Contractor.
- (d) The supplier shall affirm as per standards for quality that anything to be furnished shall be new, free from all defects and faults in material, workmanship and manufacture, shall be of the highest grade and consistent with established and generally accepted standards for material of the type ordered, shall be in full conformity with the specifications, drawing or samples, if any and shall if operable, operate properly.

32. DIFFERENCE BETWEEN FIRST LOWEST BIDDER AND OTHER BIDDERS

Final bill will be worked out at the accepted tender rates (i.e. Lowest quoted bidder) and also with the quoted rates of L-2 bidder (Second lowest quoting). The amount of final bill to be paid, will be restricted to the lowest of the two bidders.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. SPECIFICATION OF LED LIGHT FIXTURES

S. NO	TECHNICAL PARAMETER	150W High Bay luminary	90W LED Street light fitting
1	Efficiency of LED light fitting (Efficacy)	Min. 150 lm/W	Min. 120 lm/W
2	Life of LED light fitting	Not less than 50000 burning hours	Not less than 50000 burning hours
3	Approved makes for LED	NICHIA / CREE /OSRAM / PHILLIPS (LUMILED) / SHARP / SEOUL / EVERLITE / CITIZEN (JAPAN) / BRIDGELUX (USA) / SAMSUNG	NICHIA / CREE / OSRAM/ PHILLIPS (LUMILED)/ SHARP/ SEOUL / EVERLITE / CITIZEN (JAPAN) / BRIDGELUX (USA) / SAMSUNG
4	CRI (Colour Rendering Index)	Min 80 of indoor applications.	Min 70 of outdoor applications.
5	THD (Total Harmonic Distortion)	Less than 10%	Less than 10%
6	Voltage Range	140 V to 270 V	140 V to 270 V
7	Type of housing	Extruded Aluminum / CRCA / Standard Alloy housing	High Pressured Die Cast Aluminium / Standard Alloy for outdoor applications
8	IP Category	IP 20 or higher for indoor applications.	≥IP 65
9	Surge protection	Shall be provided conforming to relevant IS standard / IEC for LED Driver (in-built): EN 61000-4-5 or as specified in BOQ. >2KV	> 4 KV
10	Labeling / identification Mark	Manufactures Name / Logo shall be engraved / Embossed on housing /body or on aluminum plate Labels or Screen printed on housing / body.	Manufactures Name / Logo shall be engraved/Embossed on housing / body or on aluminum plate Labels or Screen printed on housing / body.

11	Warranty period	5 years warranty from actual date of completion of work on complete luminar including driver / control gear, LED, all accessories etc.	5 years warranty from actual date of completion of work on complete luminar including driver / control gear, LED, all accessories etc.
12	Power Factor	Equal to 0.95 or more	Equal to 0.95 or more
13	Total Power consumption of fitting.	Not More than 110% of rated capacity of LED Light fitting.	Not More than 110% of rated capacity of LED Light fitting.
14	Approved Make of Driver	MEANWELL/INVENTRONICS/C &S/MOSO POWER/BAG/PHILLIPS/WIPRO/OSRAM/BAJAJ/PHAROS/FULLHAM/HELVER / OEM of Light fixture	MEANWELL/INVENTRONICS/C &S/MOSO POWER/BAG/PHILLIPS/WIPRO/OSRAM/BAJAJ/PHAROS/FULLHAM/HELVER/OEM of Light fixtures
15	Type of Driver	Enclosed / Encapsulated	Enclosed/Encapsulated
16	Efficiency of Driver	≥ 85%	≥85%
17	Testing Facility	LED Luminaire manufacturer shall have In-house NABL accredited photometry lab.	LED Luminaire manufacturer shall have In-house NABL accredited photometry lab.
18	BIS Registration	All luminaires, drivers shall be BIS registered.	All luminaires, drivers shall be BIS registered.
19	Housing Thickness	Housing of Luminaires shall ≥ 0.5 mm for CRCA or 1 mm for Extruded Aluminium or 1.5 mm for PDC aluminium or heavier if so required to meet the application requirement.	Housing of Luminaires shall ≥ 0.5 mm for CRCA or 1 mm for Extruded Aluminium or 1.5 mm for PDC aluminium or heavier if so required to meet the application requirement.
20	IK Rating	IK 04 or above	IK 07 or above
21	LED Binning (Standard Deviation Colour matching)	< 5 (SDCM)	< 5 (SDCM)
22	Unified Glare Rating (UGR)	≤ 19	NA

NOTE: The model numbers and make specified in SOQ are only for references for the product requirement. The product supplied, must match the SOQ & technical specifications. The technical data sheets shall be arranged for taking approval from AAI before the dispatch of material.

LIST OF PREFERRED MAKES FOR ELECTRICAL ITEMS

Note: The following list of preferred makes is exhaustive. However, additional manufacturers or brands may be considered for any specified product or item, depending on market availability, delivery timelines and proven satisfactory performance in similar projects or works—preferably where such a make or product has been used in quantities constituting at least eighty percent (80%) of the estimated or proposed requirement for the relevant project or work. To establish performance, completion certificates, performance certificates and purchase orders accompanied by tax invoices will be considered, provided that the products comply with the technical specifications stipulated in the tender document.

ITEM CODE	ITEMS	PREFERRED MAKES (W.E.F. 10.07.2025)	CATEGORY FOR TEST CERTIFICATION/ INSPECTION
A.	PANEL, SWITCHGEARS AND RELATED ITEMS		
1	LT PANELS (TTA)	MAK / SHIV SHAKTI ENGINEERS / TECHNOCRAFTS / TENCO / KONTACT / ABB / RISHA / MARINE ELECTRICALS / POWERTECH SWITCHGEARS / ULTIMA / RITTAL / URJAYANT/ EXCEL CONTROL SYSTEMS / BALAJI ELECTRO CONTROLS PVT LTD / KRUTI / CMKL(CORE METAL) / KEPL(KHOKHAR) / LEGRAND (NOVATEUR) / CONQUERENT / MITSUBISHI / LS POWER / ZENIYA / NEPTUNE / LAURITZ KNUDSEN / C&S / BCH / ADVANCE / TRICOLITE / SCHNEIDER / SUDHIR / EAP / TRISQUARE / MILESTONE / ADLEC / UNILEC / CONSOUL (RR ISPAT) / PEATON/ HAROLD/ SPC ELECTROTECH / SIEMENS	CATEGORY-1
2	LT PANELS / FEEDER PILLAR (PTTA) / BUS TRUNKING	EXPERT ENGINEERS / MAK / APPLICATION CONTROL PANEL / AMBIT / ADLEC / SHIV SHAKTI ENGINEERS / TECHNOCRAFTS / EXCEL CONTROL SYSTEMS / GLOBAL / SUPERTech CONTROL SYSTEMS / SWITCHGEARS & FABRICATORS / KONTACT / MARINE ELECTRICALS / R.P. CONTROLS / GOURAV EnerGen / TENCO / POWERTECH SWITCHGEARS / HAROLD / BALAJI ELECTRO CONTROLS PVT LTD / URJAYANT / KRUTI / ASES / ITE-GURGAON (INDIAN TRANSFORMERS) / LEGRAND (NOVATEUR) / CONQUERENT / CORONET / RST ELECTRICALS PVT LTD / HPL / C&S / LS POWER / ZENIYA / PRECISION / ABB / EAP / TRICOLITE / SUDHIR / SCHNEIDER / LAURITZ KNUDSEN / NEPTUNE / HENSEL / ADVANCE / KEPL(KHOKHAR) / PEATON / RISHA / TRISQUARE / CMKL (CORE METAL) / SPC ELECTROTECH / BCH / MILESTONE / YOGIJI DIGI (P) LTD / ELINS / EVA / UNILEC / HAROLD / ENGINEERS & ENGINEERS / SIEMENS / ULTIMA / NITYA	CATEGORY-1
3	AIR CIRCUIT BREAKERS	LS ELECTRIC / BCH / MITSUBISHI / HPL / LAURITZ KNUDSEN / LEGRAND (NOVATEUR) / ABB / C&S / HAVELLS / SCHNEIDER / SIEMENS	CATEGORY-2
4	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKERS (MCCB)	LS ELECTRIC / BCH / MITSUBISHI / LAURITZ KNUDSEN / LEGRAND (NOVATEUR) / ABB / C&S / HAVELLS / INDO ASIAN (NOVATEUR) / HPL / SCHNEIDER / SIEMENS	CATEGORY-2
5	CHANGE OVER SWITCH/ FUSE DISCONNECTOR SWITCH/ SWITCH FUSE UNITS	BENTEC / BCH / INDO ASIAN (NOVATEUR) / SOCOMEC / LAURITZ KNUDSEN / C&S / LEGRAND (NOVATEUR) / HPL / ABB / HAVELLS / SIEMENS / SCHNEIDER	CATEGORY-2
6	METERS / MULTIFUNCTION METERS -ANALOGUE/DIGITAL	ELMEASURE / KRYKARD / SELEC / C&S / ABB / BENTEC / SELEC / C&S / MITSUBISHI / ABB / NEPTUNE / SOCOMEC / HPL / LAURITZ KNUDSEN / FINDER / SIEMENS / SCHNEIDER / CONSERVE / SECURE	CATEGORY-3
7	SELECTOR SWITCH, PUSH BUTTON SWITCH / EMERGENCY SWITCH	ABB/ TRINITY TOUCH / LAURITZ KNUDSEN / C&S/ BCH/ EATON / TEKNIC / SIEMENS / SCHNEIDER	CATEGORY-3
8	CT's / PT's	GLOBAL / KRUTI / WAGO / CG POWER / SELEC / NEWTEK / ANANT POWER (ADVANCE) / KAPPA	CATEGORY-3
9	PROTECTIVE RELAYS (ALL TYPE)	P2 POWER / WAGO / SELEC / HAVELLS / MITSUBISHI / LAURITZ KNUDSEN / CG POWER / C&S / ABB / SIEMENS	CATEGORY-2
10	CONTACTORS	MITSUBISHI / HPL / LAURITZ KNUDSEN / C&S / BCH / HAVELLS / ABB / TDK / SIEMENS / LEGRAND (NOVATEUR) / SCHNEIDER	CATEGORY-3
11	TIMERS / TIME SWITCH- ANALOGUE/DIGITAL	HAVELLS / LAURITZ KNUDSEN / SELEC / BCH / ABB / LEGRAND (NOVATEUR) / EATON / FINDER / SIEMENS / SCHNEIDER / C&S	CATEGORY-3
12	LED INDICATION LAMPS	EATON / OLIVE / ABB / LAURITZ KNUDSEN / C&S / BCH / VINAY LED / VAISHNOV / SCHNEIDER	CATEGORY-3


SM(EE)
M S G S D





ITEM CODE	ITEMS	PREFERRED MAKES (W.E.F. 10.07.2025)	CATEGORY FOR TEST CERTIFICATION/ INSPECTION
B. SUBSTATION RELATED ITEMS			
13	TRANSFORMER UP TO 500 KVA (DRY/OIL)	POWERWARE / ITE, GURGAON / ESENNAR / PVJ POWER / TRANSCON / AMES IMPEX / POWER STAR / JAY BEE / RTS / CG POWER / SUDHIR / VOLTAMP / BHARAT BIJLEE / KOTSONS/ SCHNEIDER / KIRLOSKAR	CATEGORY-1
14	TRANSFORMER MORE THAN 500 KVA (DRY/OIL)	POWERWARE / ITE, GURGAON / ESENNAR / PVJ POWER / TRANSCON / AMES IMPEX / POWER STAR / JAY BEE / RTS / CG POWER / SUDHIR / VOLTAMP / KOTSONS/ SCHNEIDER / BHARAT BIJLEE / KIRLOSKAR / SIEMENS	CATEGORY-1
15	H T PANEL	APPLICATION CONTROL PANEL / SHIV SHAKTI ENGINEERS / ITE, GURGAON / TECHNOCRAFTS / TENCO / MARINE ELECTRICALS / PASCAL / KEPL(KHOKHAR) / CONQUERENT / RISHA / CORONET / L.S POWER / ZENIYA / EAP / CG POWER (CFPISL) / TRICOLITE / SUDHIR / LAURITZ KNUDSEN / ABB / TRISQUARE / SCHNEIDER / MILESTONE / EATON / ANANT POWER (ADVANCE) / ADLEC / SIEMENS	CATEGORY-1
16	BUS DUCT-SANDWICH	RISHA / ADVANCE / RR KABEL / LAURITZ KNUDSEN / C&S / LEGRAND (NOVATEUR) / EAE / SCHNEIDER	CATEGORY-2
17	H.T /L.T.TERMINATION & JOINTING KIT.	DENSONS / CABSEAL® (HARI CONSOLIDATED) / COMPAQ / RAYCHEM	CATEGORY-3
18	POWER CABLES ABOVE 1.1 KV	V-MARC / SBEE / SUYOG ELECTRICALS LTD / DICABS / APAR / GEMSCAB / HPL / RR KABEL / SPECIAL CABLES / JMW KABEL / PARAMOUNT / TIRUPATI / KEC / POLYCAB / DYNAMIC / HAVELLS / KEI / UNISTAR / GLOSTER / RAVIN CABLES / NICCO	CATEGORY-1
19	POWER CABLES UP TO AND INCLUDING 1.1 KV	ALLCAB / AURAFLEX / V-MARC / VISHAL / SBEE / POLYCORE / VIN POWER / TORTEK / SUYOG ELECTRICALS LTD / GEMSCAB / RR KABEL / PLAZA / SPECIAL CABLES / KEI / JMW KABEL / POLYCAB / AVOCAB (CHANDRESH) / DYNAMIC / PARAMOUNT / SVARN / RALLISON (LKB) / BCH / TIRUPATI / KEC / GRANDLAY / HPL / GLOSTER / BONTON / HAVELLS / UNISTAR / APAR / RAVIN CABLES / NICCO	CATEGORY-1
20	CONTROL CABLES	GEMSCAB / ALLCAB / AURAFLEX / V-MARC / SBEE / POLYCORE / TORTEK / NICCO / SUYOG ELECTRICALS LTD / RR KABEL / PLAZA / SPECIAL CABLES / JMW KABEL / AVOCAB (CHANDRESH) / PARAMOUNT / SVARN / RALLISON (LKB) / BCH / BONTON / TIRUPATI / KEI / KEC / GRANDLAY/ UNISTAR / NATCAB (KUALITY) / HPL / POLYCAB / DYNAMIC / ALOKE (ANKUR) / HAVELLS / GLOSTER / FINECAB / APAR / BATRA HENLAY/ RAVIN CABLES	CATEGORY-1
21	TELEPHONE CABLE	POLY INFOCOM CABLES PVT LTD / ORBIT / DUCAB / RR KABEL / PLAZA / JMW KABEL / PARAMOUNT / ALOKE (ANKUR) / RALLISON (LKB) / BONTON / TIRUPAT / HAVELLS / KEI / KEC / KVVIS (INDUSTIRAL) / HPL / POLYCAB / NICCO	CATEGORY-2
22	CO- AXIAL/ INSTRUMENTATION/ FIBRE OPTIC/ CAT-6 / CAT-6A CABLES	AURAFLEX / SBEE / TORTEK / SUYOG ELECTRICALS LTD / ORBIT / POLYCORE / POLY INFOCOM CABLES PVT LTD / BATRA HENLAY / GEMSCAB / RR KABEL / PLAZA / SPECIAL CABLES / JMW KABEL / POLYCAB / PARAMOUNT / LEGRAND(NOVATEUR) / SVARN / RALLISON (LKB) / BONTON / HAVELLS / KEI / ROSENBERGER / KEC / GRANDLAY / GLOSTER / SCHNEIDER / APAR	CATEGORY-2
23	GI / SS CABLE MANAGEMENT SYSTEM (CABLE TRAY-PRE-FABRICATED/ PERFORATED / LADDER TYPE / WIRE MESH TYPE, ETC.)	GLOBAL / OBO BETTERMANN / MM ENTERPRISES / GLOBE / BEC / RMCON (RMG) / EXCEL CONTROL SYSTEMS / ADVANCE- ANANT / RMSCO (RAJASTHAN METAL) / SUMIP / CTM / L.S POWER / LEGRAND (NOVATEUR) / INDIANA / MM ENGG / SLOTCO / MEM	CATEGORY-3
24	UNDER FLOOR RACEWAYS & ITS ACCESSORIES	OBO BETTERMANN / BEC / ADVANCE- ANANT / SPC ELECTROTECH / CTM / MM ENTERPRISES	CATEGORY-3
25	CAPACITORS	SELEC / NEPTUNE / LAURITZ KNUDSEN / P2 POWER / LEGRAND (NOVATEUR) / HAVELLS / TDK INDIA / SCHNEIDER	CATEGORY-2

Amil Apaluo
SUCCE)

h

D

ITEM CODE	ITEMS	PREFERRED MAKES (W.E.F. 10.07.2025)	CATEGORY FOR TEST CERTIFICATION/ INSPECTION
26	APFC PANEL/ ACTIVE & PASSIVE (HYBRID) PANEL	MAK / APPLICATION CONTROL PANEL / SHIV SHAKTI ENGINEERS / TENCO / RISHA / INPHASE POWER TECHNOLOGIES PVT LTD / GLOBAL / R.P. CONTROLS / ULTIMA / SUPERTech CONTROL SYSTEMS / SWITCHGEARS & FABRICATORS (SGF) / POWERTECH SWITCHGEARS / HAROLD / AB POWER / URJAYANT / SELEC / EAP / CG POWER / P2 POWER / KEPL (KHOKHAR) / ITE-GURGON (INDIAN TRANSFORMERS) / CONQUERENT / BCH / ANANT POWER (ADVANCE) / RISHA / HAVELLS / CORONET / SPC ELECTROTECH / PEATON / L.S POWER / MILESTONE / LAURITZ KNUDSEN / LEGRAND (NOVATEUR) / C&S / NEPTUNE / SCHNEIDER / NEPTUNE / P2 POWER / SELEC / ANANT POWER (ADVANCE) / SCHNEIDER / SPC ELECTROTECH / ADLEC / RST ELECTRICALS PVT LTD / TDK INDIA / TRICOLITE / AMBIT	CATEGORY-1
27	LIGHTENING PROTECTION SYSTEM (LPS) COMPLYING UPDATED IEC / NBC	JEF / OBO BETTERMANN / GROUND ECA3G / NEXPO POWER SOLUTIONS / CAPE / JMV / ABB / DEHN / PHEONIX / TERCEL	CATEGORY-3
28	EARTHING SYSTEM (CHEMICAL)	JEF / OBO BETTERMANN / GROUND ECA3G / TERCEL / BEC / DEHN / ABB / JMV / NEXPO POWER SOLUTIONS / RMSCO (RAJASTHAN METAL) / CAPE / JK CHEMRODE / PROTEC-DHRUVA (DHRUVA) / APS	CATEGORY-3
29	SURGE PROTECTION DEVICES	OBO BETTERMANN / DSS / GROUND ECA3G / TERCEL / WAGO / HAVELLS / ABB / CAPE / LAURITZ KNUDSEN / LEGRAND (NOVATEUR) / DEHN / MERSEN / JMV / PHOENIX CONTACT / PROTEC ALLIED / SECOM / CITEL	CATEGORY-3
30	SCADA (HARDWARE & SOFTWARE, EXCEPT COMPUTER & ACCESSORIES)	LAURITZ KNUDSEN / WAGO / PHOENIX CONTACT / HONEYWELL / SCHNEIDER / SIEMENS	CATEGORY-2
31	SF6 CIRCUIT BREAKER/ VACUUM CIRCUIT BREAKER	EATON / VOLTAMP / LAURITZ KNUDSEN / PASCAL / EATON / CG POWER / ABB / SCHNEIDER / SIEMENS	CATEGORY-2
32	SERVO / AUTOMATIC VOLTAGE STABILIZER	POWERWARE / KRYKARD / FUJI ELECTRIC / PVJ POWER / SELEC / ITE-GURGON (INDIAN TRANSFORMERS) / P2 POWER	CATEGORY-2
33	AUTO TRANSFER SWITCH (ATS)	EATON / HPL / LAURITZ KNUDSEN / LEGRAND (NOVATEUR) / SOCOMEC / HAVELLS / ASCO (SCHNEIDER)	CATEGORY-2
34	COMPACT SUB STATION	PVJ POWER / CORONET / ITE-GURGON (INDIAN TRANSFORMERS) / CONQUERENT / SUDHIR POWER / PEATON / L.S POWER / VOLTAMP / LAURITZ KNUDSEN / ABB / SCHNEIDER	CATEGORY-1
35	EMERGENCY LIGHT - LED (PORTABLE)	LIFE-GUARD / PROLITE	CATEGORY-3
36	CABLES GLANDS	HENSEL / POLYCAB / TRINITY TOUCH / ROXTEC / BRACO / MCI / (METAL/ CRAFT)	CATEGORY-3
37	LUGS & THIMBLES	WAGO / POLYCAB / TRINITY TOUCH	CATEGORY-4
38	SYNTHETIC / PVC INSULATING MATS	CPRI certified for required voltage level	CATEGORY-2
39	INSULATION TAPE (HT / LT)	MODI's / BENLO / ANCHOR	CATEGORY-4
C	DG SETS & RELATED ITEMS		
40	DIESEL ENGINE ABOVE 250 KVA	GREAVES COTTON / BAUDOUIN (SHANDONG) / MAHINDRA POWEROL / PERKINS / CUMMINS / KOEL / CATERPILLAR	CATEGORY-1
41	DIESEL ENGINE UPTO AND INCLUDING 250 KVA	GREAVES COTTON / BAUDOUIN (SHANDONG) / TMTL (TAFE MOTERS) / CUMMINS / MAHINDRA POWEROL / ASHOK LEYLAND / KOEL / CATERPILLAR	CATEGORY-1


 SM(EE)
 M15457D





ITEM CODE	ITEMS	PREFERRED MAKES (W.E.F. 10.07.2025)	CATEGORY FOR TEST CERTIFICATION/ INSPECTION
42	ALTERNATOR	TDPS (TD POWER SYSTEM) / KIRLOSKAR / CATERPILLAR / GREAVES COTTON	CATEGORY-1
43	BATTERIES-LED ACID/Li-ION	CLN / EXIDE / AMARON	CATEGORY-3
44	BATTERY CHARGER	SELEC / VERTIV / DELTA	CATEGORY-2
45	UPS - ABOVE 10 KVA	DELTA / ORION / FUJI ELECTRIC / KRYKARD / 3EM / PROSTARM / UNILINE/ TMEIC / POWER ONE / RIELLO / ABB / SOCOMEC / EATON / SCHNEIDER / NUMERIC-LEGRAND/ VERTIV (EMERSON)	CATEGORY-3
46	UPS - UPTO 10 KVA	DELTA / ORION / FUJI ELECTRIC / KRYKARD / PROSTARM / RIELLO / UNILINE / ABB / POWER-ONE / DELTA / SOCOMEC / EATON / SCHNEIDER / NUMERIC-LEGRAND / VERTIV (EMERSON)	CATEGORY-3
D	INTERNAL WIRING RELATED TEAMS		
47	MCB / ISOLATOR / MCBDB / RCCB / RCBO / ELCB	ANCHOR (PANASONIC) / ORIENT ELECTRIC / LAURITZ KNUDSEN / MITSUBISHI / LEGRAND (NOVATEUR) / C&S / HPL / ABB / POLYCAB / HAVELLS / SCHNEIDER / INDO ASIAN (NOVATEUR) / GM / MK HONEYWELL / BCH / EATON	CATEGORY-2
48	MS CONDUIT (ISI MARKED)	VPL / BEC / AKG / STEEL KRAFTS / TRINITY TOUCH / RMCON (RMG STEELS) / SUPER / JPC PIPES	CATEGORY-3
49	PVC CONDUIT (ISI MARKED)	VPL / FUSION / ASTRAL / SKYDA / BEC / NORPACK / MODI's / ANCHOR (PANASONIC) / POLYCAB / TRINITY TOUCH / AKG / GM / JPC PIPES	CATEGORY-3
50	INDUSTRIAL SOCKET IN SHEET STEEL ENCLOSURE WITH MCB/SWITCH	AJMER ELECTROTECH LLP / LAURITZ KNUDSEN / POLYCAB / NEPTUNE-BALS / LEGRAND (NOVATEUR) / C&S / BCH / HAVELLS / HPL / SCHNEIDER	CATEGORY-4
51	INSULATED COPPER WIRE	RAJNIGANDHA / GEMSCAB / ALLCAB / AURAFLEX / V-MARC / SBEE / UNISTAR / POLYCORE / TORTEK / BATRA HENLAY / RR KABEL / AKG / ANCHOR (PANASONIC) / BENTEC / JMW KABEL / POLYCAB / AVOCAB (CHANDRESH) / SVARN / PARAMOUNT / RALLISON (LKB) / HAVELLS / NATCAB (KWALITY) / BONTON / GRANDLAY / GLOSTER / BCH / PLAZA / APAR / GM / PARAGON (ELEKTRON) / FINECAB / ZENIUM	CATEGORY-2
52	SWITCHES/ SOCKETS/ TELEPHONE/ TV/ DATA SOCKET/ BOXES (MODULAR TYPE)	RR KABEL / ANCHOR (PANASONIC) / ORIENT ELECTRIC / INDO ASIAN (NOVATEUR) / C&S / POLYCAB / HPL / LAURITZ KNUDSEN / LEGRAND (NOVATEUR) / HAVELLS / GM / MK HONEYWELL / WESTERN VEGA / ABB	CATEGORY-3
53	SWITCHES/ SOCKETS/ TELEPHONE/ TV/ DATA SOCKET/ BOXES (PIANO TYPE)	ANCHOR (PANASONIC) / BENTEC / HAVELLS / HPL / POLYCAB / MK HONEYWELL / WESTERN VEGA	CATEGORY-3
E	FIRE ALARM EQUIPMENTS		
54	FIRE / SMOKE DETECTOR/ MULTI CRITERIA DETECTOR/ FIRE ALARM PANEL / REPEATER PANEL/ HOOTER / MANUAL CALL POINT / RESPONSE INDICATOR/ FAULT ISOLATOR	NOTOFIRE / VELOX / SCHNEIDER / PANASONIC / EATON / HOCHIKI / RAVEL / SIEMENS / BOSCH / APOLLO / EDWARDS (UTC) / G + M / SCHRACK / HONEYWELL / KIDDE (UTC) / GST (UTC) / TYCO / ASES	CATEGORY-2

[Signature]
SM (EE)

[Signature]

[Signature]

ITEM CODE	ITEMS	PREFERRED MAKES (W.E.F. 10.07.2025)	CATEGORY FOR TEST CERTIFICATION/ INSPECTION
55	FIRE SURVIVAL CABLE	GEMSCAB / SBEE / FRTEK / BATRA HENLAY / RR KABEL / SEPCIAL CABLES / SVARN / JMW KABEL / POLYCAB / ALOKE (ANKUR) / RALLISON (LKB) / KEC / GRANDLAY / RAVEL / GLOSTER / KEI / BONTON / BOSCH / WREXHAM / FUSION POLYMER	CATEGORY-2
56	FIRE SIGNAGES	ASES / LIFEGUARD (UNITED FIRE) / EATON / FIRE SHIELD / BOSCH / RAVEL / DELITE / AUTOGLO (PROLITE)	CATEGORY-3
57	ASPIRATION SYSTEM	SHOOTFIRE (VIMAL FIRE) / HOCHIKI / BOSCH / RAVEL	CATEGORY-2
F LED LIGHT FIXTURE AND FANS			
58	LIGHT FIXTURE WITH LED - INDOOR	PYROTECH / GOLDWYN LED / KI KALINGIA / GM / NESSA / PLUS LIGHT TECH / LEGERO / MAGIK / LIGHTBOOK / LEKSA LIGHTING / R R KABEL (RR/ AARAYSTORM) / PANASONIC / EVEREADY / INSTAPOWERR / POLYCAB / SURYA / HALONIX / HAVELLS / SIGNIFY / JAQUAR (JAQUAR LIGHTING) / HPL / BAJAJ / WIPRO / ORIENT / CROMPTON / REGENT	CATEGORY-2
59	LIGHT FIXTURE WITH LED - OUTDOOR/FACADE	PYROTECH / GOLDWYN LED / KI KALINGIA / GM / NESSA / PLUS LIGHT TECH / MAGIK / LIGHTBOOK / LEKSA LIGHTING / R R KABEL (RR/ AARAYSTORM) / PANASONIC / HPL / BENTEC (BENLO) / EVEREADY/ POLYCAB / K-LITE / SURYA / TRANSRAIL / HALONIX / HAVELLS / JAQUAR (JAQUAR LIGHTING) / SIGNIFY / INSTAPOWERR / BAJAJ / WIPRO / ORIENT / CROMPTON / REGENT	CATEGORY-2
60	LINEAR LED/ CUSTOMISED/ DECORATIVE LED LIGHT FIXTURE	PYROTECH / GOLDWYN LED / KI KALINGIA / GM / LIGHT FORMS / PLUS LIGHT TECH / LEGERO / MAGIK / WMEL / FORUS / HUBLIT / LIGHTBOOK / PANASONIC / POLYCAB / R R KABEL (RR/ AARAYSTORM) / EVEREADY / SURYA / HALONIX / HAVELLS / HPL / SIGNIFY / BAJAJ / WIPRO / ORIENT / CROMPTON / REGENT	CATEGORY-2
61	AVIATION WARNING /OBSTRUCTION LIGHT	PYROTECH / FORUS / KI KALINGIA / HARYANA GENERAL INDUSTRIES / VSTP / K-LITE / SURYA / TRANSRAIL / HPL / INSTAPOWERR / BAJAJ / WIPRO / CROMPTON /	CATEGORY-3
62	CEILING/ WALL / EXHAUST/ PEDESTAL FAN (CONVENTIONAL / BLDC)	ORIENT ELECTRIC / RR KABEL / ANCHOR (PANASONIC) / POLYCAB / HALONIX / HAVELLS / ALMONARD / USHA / KHAITAN	CATEGORY-3
63	HVLS FANS	MARUT AIR / RR KABEL / RITE HITE	CATEGORY-3
G AIRCONDITIONING AND FIRE FIGHTING ACCESSORIES			
64	G I / M S PIPE (ISI MARKED)	VPL / ITL / BEC / APL APOLLO / PRAKASH SURYA / JINDAL STAR / TATA / SAIL / HIRA PIPES (RR ISPAT) /	CATEGORY-2
65	MANUAL VALVE - BUTTERFLY/ SLUICE / CHECK / NRV / FOOT/GATE / GLOBE	LEHRY / SANT / VENUS / NEWAGE FIRE / CASTLE / ZOLOTO / VTM (VA VALVES) / EMERALD / ADVANCE VALVES / DIVINE / C&R	CATEGORY-2
66	MOTORISED VALVE - BALANCING / MODULATING / PICB / DELTA T / CONTROL / MIXING	SANT / VTM (VA VALVES) / CASTLE / DANFOSS / ZOLOTO / ANERGY	CATEGORY-2
67	SUCTION / POT / Y- STRAINER	VENUS / CASTLE / ZOLOTO / ANERGY / SANT / VTM (VA VALVES) / EMERALD	CATEGORY-2
68	FLEXIBLE CONNECTION FOR SPRINKLER / SPRINKLER	LIFEGUARD (UNITED FIRE) / FIRE SHIELD / NEWAGE / EXFLAME / HD / SAFEFIRE	CATEGORY-2
69	FIRE HYDRANT LANDING VALVES/ INSTALLATION VALVE/ FIRE BRIGADE CONNECTION.	SHOOTFIRE (VIMAL) / LIFEGUARD (UNITED FIRE) / ZOLOTO / KALPEX (KALPATARU) / NEWAGE / EXFLAME / SAFEFIRE / HD / FIRE SHIELD	CATEGORY-2

Amal Kumar
SMCEE

late

By

ITEM CODE	ITEMS	PREFERRED MAKES (W.E.F. 10.07.2025)	CATEGORY FOR TEST CERTIFICATION/ INSPECTION
70	FIRE HOSE PIPES/ FIRST AID HOSE REEL/ BRANCH PIPE / NOZZLE / COUPLINGS	SHOOTFIRE (VIMAL) / LIFEGUARD (UNITED FIRE) / KALPEX (KALPATARU) / NEWAGE / FIRE SHIELD / EXFLAME / SAFEFIRE	CATEGORY-2
71	FIRE EXTINGUISHERS	DSS / KANEX / SHOOTFIRE (VIMAL) / LIFEGUARD (UNITED FIRE) / CEASEFIRE / SAFEFIRE / AFS (ADVANCED) / KALPEX (KALPATARU) / EXFLAME / SUPREMEX / FIRE SHIELD / MINIMAX / SAFEX	CATEGORY-2
72	GAS BASED FIRE SUPPRESSION SYSTEM	SYNERGY & SYNERGY PLUS / FIRECEASE / FIRETREX / VIVINA / ASES / CEASEFIRE / SHOOTFIRE (VIMAL) / LIFEGUARD (UNITED FIRE) / KALPEX(KALPATARU) / FOAMTECH / SUPREMEX / SIEMENS / FIRETREX (SVS)	CATEGORY-2
73	KITCHENHOOD GAS BASED SUPPRESSION SYSTEM	SYNERGY / FIRECEASE / FIRETREX / VIVINA / SHOOTFIRE (VIMAL) / UNITED / FOAMTECH / CEASEFIRE / KALPATARU /	CATEGORY-2
74	HIGH/LOW PRESSURE WATER MIST BASED FIRE SUPPRESSION SYSTEM	SYNEAQUAMIST / FIRETREX / SHOOTFIRE	CATEGORY-2
75	FLOW SWITCH/PRESSURE SWITCH	OMICRON / ANERGY / DANFOSS / EMERALD / SWIZER	CATEGORY-3
76	FIREMAN AXE	LIFEGUARD (UNITED FIRE) / NEWAGE / FIRE SHIELD / ADVANCE	CATEGORY-3
77	DIESEL ENGINE DRIVEN PUMP FOR FIRE FIGHTING	TMTL (TAFE MOTERS) / KSB / WILO / GRUNDFOS / KIRLOSKAR / ASHOK LEYLAND / CATERPILLAR / MAHINDRA POWEROL	CATEGORY-2
78	PUMPS -VERTICAL/ HORIZONTAL / SUBMERSIBLE	HAVELLS / WILO / GRUNDFOS / ANDRITZ / KSB / KIRLOSKAR / XYLEM / AQUA_ANS / MATHER & PLATT / CROMPTON	CATEGORY-2
79	MOTORS	LHP / ROTOMOTIVE / KSB / HAVELLS / TMEIC / GRUNDFOS / BCH / KIRLOSKAR / BHARAT BIJLEE / ALSTOM / SIEMENS / CROMPTON	CATEGORY-2
80	MOTOR STARTER	BENTEC / KSB / HAVELLS / L.S POWER / GRUNDFOS / PHOENIX / C&S / BCH / SCHNEIDER / EATON / MOTOVARIO / SIEMENS / SCHNEIDER	CATEGORY-2
81	SINGLE PHASE PREVENTER / OVER LOAD PROTECTION/HIGH VOLTAGE/LOW VOLTAGE/EARTH FAULT PROTECTION	C&S / LAURITZ KNUDSEN / SELEC / SIEMENS	CATEGORY-3
82	G I SHEETS	JSW STEEL / TATA / HSL / SAIL	CATEGORY-2
83	GRILLS /DIFFUSERS	PRECISE / ASAWA INSULATION / MAPRO (AIR FLOW) / CRYSTAL / TRISTAR	CATEGORY-3
84	INSULATION MATERIAL - ROCK WOOL/ GLASS WOOL	ENSAVE / ROCK INSUL / AEROLAM / SUNROCK (THERMOCARE ROCK WOOL) / INSUFLEX (THE SUPREME) / LIONROCK / POLYBOND / EPACK / TWIGA INSUL	CATEGORY-3
85	INSULATION MATERIAL - XLPE/EPDM/ NITRILE RUBBER	AEROFOAM / PARAMOUNT / SAFARI / AEROLAM / INSUFLEX (THE SUPREME) / EPACK / SUNROCK (THERMOCARE ROCK WOOL) / INSUFLEX (THE SUPREME) / LIONROCK / POLYBOND / TWIGA INSUL	CATEGORY-3

(Signature)
SM(EE)

(Signature)

(Signature)

ITEM CODE	ITEMS	PREFERRED MAKES (W.E.F. 10.07.2025)	CATEGORY FOR TEST CERTIFICATION/ INSPECTION
86	PRE-INSULATED DUCT	ASAWA INSULATION / MECHEASY	CATEGORY-3
87	PRE-FABRICATED GI DUCT	ASAWA INSULATION / WAD / DUCTOFAB / WAVES / ZECO / ADVANCE VENTILATION	CATEGORY-3
88	FIRE DAMPERS	MAPRO (AIR FLOW) / GREENHECK / TRISTAR / RUSKIN / CARRIER	CATEGORY-2
89	AIR CURTAINS	EURONICS / MITZVAH / TECHNOCRATS / DOLPHY	CATEGORY-2
90	MODULATING MOTOR/FIRE DAMPER MOTOR	LHP / ANERGY / HONEYWELL / GRUNDFOS / BALEMO / SIEMENS	CATEGORY-2
91	AIR FILTERS (MERV/ESP/HEPA) FOR HVAC SYSTEM	MECHMAARK / ADITYA / O2 CURE / WAVES / HUMIDIN / INTELLIGREEN	CATEGORY-3
92	THERMOSTATS / HUMIDISTATS	OMICRON / ANERGY / FINDER / DANFOSS / HONEYWELL	CATEGORY-3
93	THERMOMETERS/ PRESSURE GAUGE	OMICRON / ANERGY / EMERALD / FIEBIG	CATEGORY-3
94	INTEGRATED BUILDING MANAGEMENT SYSTEM /(IBMS)/BMS/ SCADA SYSTEM (HARDWARE* & SOFTWARE, EXCEPT COMPUTER & ACCESSORIES)	SCHNEIDER / ENLITE / PANASONIC / WAGO / PHOENIX / SIEMENS / AZBIL / LAURITZ KNUDSEN / TRIDIYM (* includes all hardware of BMS)	CATEGORY-3
95	FIELD DEVICES (FOR IBMS/BMS/SCADA)	SELEC / OMICRON	CATEGORY-3
96	VFD DRIVE	YASKAWA / SELEC / FUJI / TMEIC / LAURITZ KNUDSEN / DANFOSS / SCHNEIDER / SIEMENS	CATEGORY-3
H	AC PLANTS, AC UNITS & EQUIPMENTS		
97	AIR-CONDITIONER UNITS - SPLIT / WINDOW / CASSETTE/ TOWER	HAVELLS / HITACHI (JOHNSON) / LG / BLUE STAR / DAIKIN/ VOLTAS / SAMSUNG / HAIER / O GENERAL / PANASONIC / CARRIER	CATEGORY-2
98	PRECISION AIR CONDITIONING (PAC)	CLIMAVENTA / SWEGON BLUE BOX / SIDWAL	CATEGORY-3
99	PACKAGED AIRCONDITIONER	DAIKIN / HITACHI (JOHNSON) / VOLTAS / LG / SIDWAL / CARRIER / DAIKIN / BLUE STAR	CATEGORY-2
100	CHILLERS	KIRLOSKAR / DAIKIN / CARRIER / VOLTAS / BLUE STAR / LG / CLIMAVENETA / TRANE / YORK / SWEGON BLUE BOX / DUNHAMBUSH	CATEGORY-1
101	AIR HANDLING UNITS (AHU)	CRYSTAL / CITIZEN / WAVES / EDGETECH / CARRIER / ZECO / HUMIDIN / TRISTAR	CATEGORY-1
102	FAN COIL UNIT (FCU)	WAVES / CRYSTAL / ZECO / CITIZEN / EDGETECH / CARRIER / DAIKIN / TRISTAR / YORK	CATEGORY-2
103	VRV/ VRF HVAC UNIT	LG / HITACHI (JOHNSON) / SAMSUNG / DAIKIN / VOLTAS / HAIER / CARRIER / BLUE STAR	CATEGORY-2

Amir Khan
SME
MUSTARD

Info

12

ITEM CODE	ITEMS	PREFERRED MAKES (W.E.F. 10.07.2025)	CATEGORY FOR TEST CERTIFICATION/ INSPECTION
104	COOLING TOWER UP TO 200 TR.	DELTA / BELL COOLING TOWERS / MIHIR / PAHARPUR	CATEGORY-2
105	COOLING TOWER ABOVE 200 TR.	DELTA / BELL COOLING TOWERS / MIHIR / PAHARPUR	CATEGORY-2
106	EXPANSION TANK	ANERGY	CATEGORY-3
107	AIR & DIRT SEPARATOR	ANERGY	CATEGORY-3
108	FAN - AXIAL FLOW / INLINE / VENTILATION / PROPELLER / PLUG	DYNAIR-MAICO / DUSTECH / KRUGER / WAVES / HUMIDIN / WOLTER / AIR FLOW / RR KABEL / CRYSTAL / GREENHECK	CATEGORY-2
109	R O SYSTEM /WATER SOFTENING PLANT	SURYA RO / DELTA / WAE / VENZA (MGROW)	CATEGORY-3
110	WATER COOLER	CLIMATROL / VOLTAS / ORIENT ELECTRIC / SIDWAL	CATEGORY-3
111	WATER DISPENSER	WAE / VENZA (MGROW) / VOLTAS	CATEGORY-3
112	DRINKING WATER FOUNTAIN	WAE / VENZA (MGROW) / OASIS	CATEGORY-3
I	PA SYSTEM & RELATED ITEMS		
113	AMPLIFIERS	ATEIS / SCHRACK / HEINRICH / BOSCH / HONEYWELL / OPTIMUS / BOSE	CATEGORY-2
114	ANNOUNCEMENT MICROPHONES /CAR CALL CONSOLES	ATEIS / SCHRACK / HEINRICH / BOSCH / HONEYWELL / OPTIMUS / BOSE	CATEGORY-2
115	CONTROLLERS	ATEIS / SCHRACK / BOSCH / HEINRICH / HONEYWELL / OPTIMUS	CATEGORY-3
116	SPEAKER	ATEIS / SCHRACK / HEINRICH / BOSCH / NOTIFIRE / OPTIMUS / BOSE	CATEGORY-3
117	DIGITAL CALL STATION / WORK STATION	AVTRON / ATEIS / HEINRICH / BOSCH / OPTIMUS	CATEGORY-3
118	EQUIPMENT RACK	HEINRICH / BOSCH / PRESIDENT / ORDEIN	CATEGORY-3
119	DVD/DVR /MP3 PLAYER	TYCO / HEINRICH / BOSCH / HONEYWELL / SIEMENS / OPTIMUS	CATEGORY-2
120	CABLE FOR MICROPHONE / SPEAKER	RR KABEL / JMW KABEL / POLYCAB / BONTON / BOSCH / HPL / KVV (INDUSTRIAL)	CATEGORY-2
121	DIGITAL LINE ARRAY SPEAKER	ATEIS / HEINRICH / BOSCH / BOSE / OPTIMUS	CATEGORY-2
122	CCTV CAMERA	AVTRON / TYCO ILLUSTRATE / HEINRICH / SIEMENS / BOSCH / HONEYWELL / ULTRAK / PELCO	CATEGORY-2
123	MONITOR /DISPLAY-LCD / LED / PLASMA	LG / PANASONIC / SAMSUNG / SONY	CATEGORY-2
124	COMPUTER /LAPTOP (FOR IBMS/BMS/SCADA)	HP / DELL / LENOVO / IBM	CATEGORY-4
125	COMPUTER ACCESSORIES (KEY BOARD/MOUSE)	HP / DELL / LENOVO / IBM	CATEGORY-4

Anil Kumar
SMCEE

Indo

Ray

ITEM CODE	ITEMS	PREFERRED MAKES (W.E.F. 10.07.2025)	CATEGORY FOR TEST CERTIFICATION/ INSPECTION
J	SOLAR PLANT & ACCESSORIES		
126	SOLAR INVERTER/ POWER CONDITIONING UNIT	SELEC / HAVELLS/ POWER ONE	CATEGORY-2
127	SOLAR MODULES	SWELECT / HAVELLS/ JAKSON	CATEGORY-2
128	DC CABLES	GEMSCAB / APAR / RR KABEL / SPECIAL CABLES / JMW KABEL / POLYCAB / HAVELLS / RALLISON (LKB) / KEC / HPL / GLOSTER / KEI / BONTON	CATEGORY-2
K	MISCELLANEOUS & OTHER MECHANICAL ITEMS		
129	HAND DRIER	TECHNOCRATS / EURONICS / DOLPHY / ANAND AUTOMATIC SYSTEM	CATEGORY-3
130	DOUBLE WALL CORRUGATED HDPE PIPE/PLAIN HDPE PIPE	VPL / GANGOTRI / ASTRAL / CPE / BEC PLAST / KESHAV KRIPA / VALENS / TIRUPATI PLASTOMATIC / GEMINI / HIMALYAN / MANGALAM	CATEGORY-3
131	AUTOMATIC SLIDING DOOR	HOUSYS / GEZE / NEPTUNE / S. ADITYA / DORMAKABA / TECHNOCRATS / AUTOINGRESS	CATEGORY-3
132	ELEVATOR	ORBIS / SCHINDLER / FUJITEC / INFRA / TRIO ELEVATOR / OMEGA ELEVATOR / ESCON / JOHNSON LIFTS / ECE / KONE / TKE / OTIS	CATEGORY-1
133	ESCALATOR /TRAVELATOR	ORBIS / SCHINDLER / TRIO ELEVATOR / OMEGA ELEVATOR / JOHNSON LIFTS / KONE / TKE / OTIS	CATEGORY-1
134	BOLLARD	HOUSYS / AVIANS / SWARAJ / S. ADITYA / TECHNOCRATS / EURONICS / NEPTUNE / BROSIS / FAAC	CATEGORY-3
135	BOOM BARRIER	HOUSYS / AVIANS / SWARAJ / S. ADITYA / DORMAKABA / TECHNOCRATS / BROSIS / NEPTUNE / AUTOINGRESS / FAAC / SPEEDGATZ	CATEGORY-3
136	TROLLEY GATE	AVIANS / SWARAJ / S. ADITYA / TECHNOCRATS / DELITE / AUTOINGRESS / LOTUS	CATEGORY-3
137	TYRE KILLER/SPIKE BARRIER	HOUSYS / SWARAJ / S. ADITYA / TECHNOCRATS / NEPTUNE / BROSIS / FAAC / SPEEDGATZ	CATEGORY-3
138	UNDER VEHICLE SCANNING SYSTEM	HOUSYS	CATEGORY-3
139	EXTERNAL LIGHTING POLES/ DECORATIVE LIGHT POLE	SUBHAM / AMBIKA POLES / LYSAGHTPOLE™ / VAKRANGEE / VSTP / UTKARSH / RMSCO (RAJASTHAN METAL) / SKIPPER / BP PROJECTS / K-LITE / TRANSRAIL / PRAKASH SURYA (SURYA ROSHNI) / SUMIP / SIGNIFY / BAJAJ / WIPRO / CROMPTON / ORIENT ELECTRIC	CATEGORY-3
140	HIGH MAST	SUBHAM / AMBIKA POLES / VAKRANGEE / VSTP / LYSAGHTPOLE™ / UTKARSH / SKIPPER/ BP PROJECTS / K-LITE / PRAKASH SURYA (SURYA ROSHNI) / TRANSRAIL / SIGNIFY / BAJAJ / WIPRO / ORIENT ELECTRIC / CROMPTON	CATEGORY-3
141	ALUMINIUM LADDERS / HYDRAULIC LADDERS	DELITE	CATEGORY-2
142	BOOM /SCISSOR/SPIDER/VERTICAL LIFT	MLIFT	CATEGORY-2
143	DASH FASTENERS	HILTI / FISCHER	CATEGORY-4
144	GEAR BOX	MGM VARVEL / IMAK	CATEGORY-3
145	GEARED MOTOR	LHP / LENZE / ROTOMOTIVE / MGM VARVEL / IMAK	CATEGORY-3
146	WEATHERPROOF JUNCTIONBOX	TRINITY TOUCH / SPELSBERG (CAPE) / RITTAL	CATEGORY-3

Amilapala
CMEB
ME 8877

Info

R

ITEM CODE	ITEMS	PREFERRED MAKES (W.E.F. 10.07.2025)	CATEGORY FOR TEST CERTIFICATION/ INSPECTION
147	EV CHARGERS	P2 POWER / E-FUEL / AXONIFY TECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED	CATEGORY-1
L	GROUND LIGHTING ITEMS		
148	PAPI (NON-LED)	AMA / VARDHMAN / NASU SYSTEM	CATEGORY-1
149	LAMP (HALOGEN)	YOUYANG	CATEGORY-3
150	AGL FITTING (LED)	VARDHMAN / AMA	CATEGORY-1
151	AGL FITTING (NON-LED)	VARDHMAN / AMA	CATEGORY-1
152	ALCMS / ILCMS	VARDHMAN	CATEGORY-1
153	ISOLATING TRANSFORMER	TRIO / CTC (CREATIVE TRADING) / VARDHMAN / AMA / BILDAL / ELECTROMACH / YOUYANG	CATEGORY-1
154	CONSTANT CURRENT REGULATOR (CCR)	VARDHMAN / AMA / HONEYWELL / YOUYANG / NASU SYSTEM	CATEGORY-1
155	5 KV GRADE AFL CABLE - UNSHIELDED / SHIELDED	GEMSCAB / APAR / RR KABEL / ALOKE (ANKUR) / RALLISON (LKB) / JRD / KEI / GLOSTER	CATEGORY-1
156	1.1 KV GRADE SECONDARY LEAD FOR AFL CABLE	GEMSCAB / APAR / RR KABEL / AMA / ELECTROMACH / ALOKE (ANKUR) / RALLISON (LKB) / JRD	CATEGORY-2
157	PLUGS / RECEPTACLE / CONNECTOR	CTC (CREATIVE TRADING) / ELECTROMACH / ALOKE (ANKUR) / VARDHMAN / NEPTUNE / AMA / BILDAL / YOUYANG	CATEGORY-2

Note: This is mere enlistment as preferred make and is subject to the compliance of Technical Specification mentioned in tender.

CATEGORY REQUIREMENT OF TEST CERTIFICATE/ INSPECTION

CATEGORY-1:

- Type test certificate for similar item done. If not one of the items offered is to be type tested.
- OEMs routine test certificate.
- Acceptance test to be conducted in the presence of AAI representative at OEMs factory.

CATEGORY-2:

- Type test for similar done. If not, one of the items offered is to be type tested.
- OEMs routine test certificate.
- Visual and functional check by PMC / Engineering Consultant representative (AAI official incase of non avialibility of PMC/ Engineering Consultant) at AAI airport site.

CATEGORY-3:

- OEM/ Dealer/ Contractor routine test certificate.
- Visual and functional check by PMC / Engineering Consultant representative (AAI official incase of non avialibility of PMC/ Engineering Consultant) at AAI airport site.

CATEGORY-4:

- Visual and functional check by PMC / Engineering Consultant representative (AAI official incase of non avialibility of PMC/ Engineering Consultant) at AAI airport site.

[Signature]
SM/CEP
MIS/STD

[Signature]

[Signature]

प्रोफार्मा

PROFORMA

निविदा स्वीकृति पत्र
(ठेकेदार के लेटर हेड पर दिया जाना है)

प्रति,

सहायक महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग-इलेक्ट)-I
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
डीएबीएच एयरपोर्ट, इंदौर
म.प्रा – 452 005

विषय: निविदा की शर्तों एवं नियमों की स्वीकृति।

(निविदा आईडी संख्या: _____)

प्रिय महोदय,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त वेबसाइट में दिए गए आपके विज्ञापन के अनुसार, CPP पोर्टल वेबसाइट (ओं) अर्थात्: <https://etenders.gov.in/eprocure/app> से उपर्युक्त 'निविदा/कार्य' के लिए निविदा दस्तावेज डाउनलोड / प्राप्त कर लिए हैं।
2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने साइट का निरीक्षण कर लिया है तथा निविदा दस्तावेजों, शुद्धिपत्रों तथा मुझे/हमें उपलब्ध कराए गए प्रश्नों के उत्तर, यदि कोई हों, को पढ़ लिया है, जो अनुबंध करार का हिस्सा होंगे तथा मैं/हम उनमें निहित नियमों/शर्तों/खण्डों का पालन करेंगे।
3. मैं/हम उपर्युक्त कार्य के लिए एएआई के निविदा दस्तावेजों की निविदा शर्तों को उसकी संपूर्णता/संपूर्णता में बिना शर्त स्वीकार करते हैं।
4. मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने इस अनुबंध को प्रदान करने के लिए इसके निष्पादन के दौरान या बिलों के भुगतान के समय किसी भी स्तर पर एएआई के किसी भी अधिकारी को कोई रिश्तत नहीं दी है और न ही देंगे, और इसके अतिरिक्त यदि एएआई का कोई अधिकारी रिश्तत/परितोषण मांगता है, तो मैं तुरंत एएआई में उपयुक्त प्राधिकारी को इसकी सूचना दूंगा।
5. मैं/हम एतद्वारा प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने एनआईटी शर्तों के अनुसार अपेक्षित बयाना राशि का भुगतान/जमा कर दिया है।
6. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाएं/दस्तावेज सत्य एवं सही हैं और यदि किसी भी स्तर पर सूचना/दस्तावेज गलत/असत्य या उल्लंघन पाए जाते हैं, तो हम बिना कोई नोटिस या कारण बताए एएआई में निविदा देने से रोक दिए जाएंगे या बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर देंगे या अनुबंध को समाप्त कर देंगे, जिसमें पूर्ण बयाना राशि जब्त करने सहित किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

आपका विश्वासी,

(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)

TENDER ACCEPTANCE LETTER

(To be given on Contractor's Letter Head)

To,

**Asstt. General Manager (Engg.-Elect)-I
Airports Authority of India,
DABH Airport, Indore
MP – 452 005**

Sub: Acceptance of Terms & Conditions of Tender.

(Tender ID No: _____)

Dear Sir,

1. I/ We have downloaded / obtained the tender document(s) for the above mentioned 'Tender/Work' from CPP Portal web site(s) namely: <https://etenders.gov.in/eprocure/app> as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).
2. I / We hereby certify that I / we have inspected the site and read the entire terms and conditions of the tender documents, corrigendum(s) and reply to query if any made available to me/ us which shall form part of the contract agreement and I / we shall abide hereby by the terms / conditions / clauses contained therein.
3. I / We hereby unconditionally accept the tender conditions of AAI's tender documents in its totality / entirety for above mentioned work.
4. I/We declare that I/We have not paid and will not pay any bribe to any officer of AAI for awarding this contract at any stage during its execution or at the time of payment of bills, and further if any officer of AAI asks for bribe/gratification, I will immediately report it to the Appropriate Authority in AAI.
5. I/ We hereby submitted that I/ We paid/ submitted the required earnest money as per NIT conditions.
6. I / We certify that all information/ documents furnished by our Firm is true & correct and in the event at any stage, the information/ documents is found to be incorrect/ untrue or found violated, then we shall be liable for debarment from tendering in AAI without giving any notice or reason therefore or summarily reject the bid or terminate the contract, without prejudice to any other rights or remedy including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours faithfully,

(Signature of Bidder, with Official Seal)

फॉर्म “ए”

पिछले सात वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए या मूलतः पूर्ण किए गए समान कार्यों का विवरण...

क्रम सं.	कार्य का विवरण	डब्ल्यू-1	डब्ल्यू-2	डब्ल्यू-3
i	कार्य/परियोजना का नाम एवं स्थान			
ii	ग्राहक का नाम और पता			
iii	कार्य की स्वीकृत लागत (लाख रुपए में)			
iv	अनुबंध के अनुसार प्रारंभ की तिथि			
V	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि			
Vi	वास्तविक समापन तिथि			
Vii	समापन लागत/वास्तविक किया गया कार्य			
Viii	क्या कार्य बैंक टू बैंक आधार पर किया गया था हां/नहीं			

बोलीदाता(ओं) के हस्ताक्षर
(स्टाम्प सहित)

नोट: ठेकेदार को ग्राहक से जारी सहायक दस्तावेजों के साथ अपेक्षित राशि के केवल पात्र श्रेणी के कार्यों की सूची देनी चाहिए।

FORM "A"

**DETAILS OF SIMILAR WORKS SUCCESSFULLY COMPLETED OR SUBSTANTIALLY COMPLETED
DURING THE LAST SEVEN YEARS ENDING ON ...**

Sl. No.	Details of Work	W-1	W-2	W-3
i	Name of work/ project and Location			
ii	Name and Address of client			
iii	Awarded Cost of work (in Rs. Lakhs)			
iv	Date of commencement as per contract			
v	Stipulated date of completion			
vi	Actual date of completion			
vii	Completion Cost/ Actual work done			
viii	Whether the work was done on back to back basis Yes/No			

**SIGNATURE (S) OF BIDDER (S)
(WITH STAMP)**

Note: The contractor should give list of only of eligible category works of requisite amount with supporting documents issued from client.

फार्म-बी

वित्तीय जानकारी

फर्म/ठेकेदार का नाम

1. वित्तीय विश्लेषण - पिछले तीन वर्षों के बैलेंस शीट खाते में दिए गए आंकड़ों के अनुसार लाभ / हानि के साथ निर्माण कार्यों पर टर्नओवर का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो, जैसा कि आवेदक द्वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किया गया हो।

आंकड़ा लाख रुपये में

क्रम. नहीं।	विवरण	वित्तीय वर्ष (पिछले तीन वर्ष)		
		वित्तीय वर्ष.....	वित्तीय वर्ष.....	वित्तीय वर्ष.....
1.	निर्माण कार्य पर टर्न-ओवर / विद्युत कार्य			
2.	करों के बाद लाभ/हानि (स्टैंडअलोन)			

2. प्रस्तावित कार्य को पूरा करने के लिए वित्तीय व्यवस्था।

विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन).....

चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर मोहर सहित

बोलीदाता(ओं) के हस्ताक्षर

नोट: बोलीदाता को उपरोक्त प्रारूप में ही जानकारी देनी होगी।

FORM-B

FINANCIAL INFORMATION

Name of the firm / contractor.....

3. Financial Analysis - Details to be furnished turnover on construction works with profit / loss as per figure in balance sheet account for the last three years duly certified by the Chartered Accountant as submitted by the applicant to the Income - Tax Department

Fig in lakhs Rs.

Sl. No.	Particulars	Financial Year (Last three years)		
		FY.....	FY.....	FY.....
1.	Turn-Over on Construction Works/ Electrical Works			
2.	Profit/loss after Taxes (standalone)			

4. Financial arrangements for carrying out the proposed work.

Unique Document Identification Number (UDIN).....

SIGNATURE OF CHARTERED ACCOUNTANT WITH SEAL

SIGNATURE (S) OF BIDDER (S)

Note: The bidder should give information strictly in above format.

फॉर्म 'सी'

चार्टर्ड अकाउंटेंट से नेट वर्थ प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि खाते के अनुसार मेसर्स की निवल संपत्ति

(व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम और पंजीकृत पता), दिनांक के अनुसार

..... (प्रमाणपत्र की तारीख) सभी देनदारियों पर विचार करने के बाद रु. है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि 31 मार्च (प्रासंगिक वर्ष*) को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में कंपनी की निवल संपत्ति में 30% से अधिक की गिरावट नहीं आई है।

विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन).....

चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर

.....

चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम

.....

आईसीएआई की सदस्यता

दिनांक और मुहर

बोलीदाता(ओं) के हस्ताक्षर

* प्रासंगिक वर्ष बोली प्रस्तुत करने के कैलेंडर वर्ष से पहले का 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष होगा या यदि पिछले वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, तो पिछले वित्तीय वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष होगा।

FORM 'C'

FORM FOR CERTIFICATE OF NET WORTH FROM CHARTED ACCOUNTANT

This is to certify that as per audited balance sheet and profit & loss account during the financial year....., the Net Worth of M/S.

(Name & registered address of Individual/Firm/Company), as on

..... (the date of certificate) is Rs..... after considering all liabilities. It is further certified that Net Worth of the company has not eroded by more than 30 % in last three years ending on 31st March.....(the relevant year*).

Unique Document Identification Number(UDIN).....

Signature of Chartered Accountant

.....

Name of Chartered Accountant

.....

Membership of ICAI

Date and Seal

SIGNATURE (S) OF BIDDER (S)

***The relevant year shall be the financial year ending 31st March preceding the calendar year of bid submission or 31st March of the financial year preceding the previous financial year, if the balance sheet of the previous financial year has not been audited.**

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर)-2017 के नियम 144(xi) के तहत प्रतिबंध पर आदेश के अनुपालन के लिए बोलीदाता द्वारा घोषणा के लिए प्रोफॉर्मा

(स्कैन की गई प्रति बोलीदाता द्वारा कंपनी/फर्म के लेटर हेड पर कवर-I में प्रस्तुत की जाएगी)

कार्य का नाम: _____

निविदा आईडी: _____

मेसर्स _____ (कंपनी/फर्म का नाम) के _____ के रूप में अपनी क्षमता में घोषणा करता हूँ कि:

1. मैं मेसर्स _____ (कंपनी/फर्म का नाम) की ओर से यह वचन देने के लिए सक्षम हूँ।
2. मैंने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 144 (xi) के अंतर्गत प्रतिबंधों के विषय पर आदेश(ओं) को पढ़ा है और आदेश(ओं) के सभी प्रावधानों का अनुपालन करता हूँ।
3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेसर्स _____ (कंपनी/फर्म का नाम) ऐसे देश से नहीं है/ऐसे देश से है, सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत है (जो लागू न हो उसे काट दें)। मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि यह बोलीदाता इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विचार किए जाने के योग्य है [जहां लागू हो, सक्षम प्राधिकारी के साथ वैध पंजीकरण का प्रमाण संलग्न है]।
4. मैं समझता हूँ कि गलत डेटा प्रस्तुत करना और / या यदि मेसर्स _____ (कंपनी/फर्म का नाम) द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र / घोषणा गलत पाई जाती है, तो यह तत्काल समाप्ति और सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 144 (xi) के तहत प्रतिबंधों पर सार्वजनिक खरीद आदेश के खंड 12 के अनुसार कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और नाम
रबर-स्टैम्प के साथ.

तारीख:

जगह:

Performa for declaration by Bidder for compliance of order on Restriction under Rule 144(xi) of the General Financial Rules (GFRs)-2017

(Scanned copy to be submitted by Bidder in Cover-I on letter head of Company/Firm)

Name of Work: _____

Tender ID: _____

I, the undersigned, _____ (full names),
do hereby declare, in my capacity as _____ of M/s
(Name of Company/ Firm) that:

1. I am competent to swear this undertaking on behalf of M/s____ **(Name of company/Firm)**.
2. I have read the Order(s) on the subject of Restrictions under Rule 144 (xi) of the General Financial Rules (GFRs), 2017 regarding restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India and comply to all the provisions of the Order(s).
3. I certify that M/s **(Name of company/Firm)** **is not from such a country / is from such a country, has been registered with the Competent Authority (*strike out whichever is not applicable*)**. I hereby certify that this BIDDER fulfills all requirements in this regard and is eligible to be considered ***[Where applicable, evidence of valid registration with the Competent Authority is attached]***.
4. I understand that the submission of incorrect data and / or if certificate/ declaration given by M/s **(Name of company/Firm)** is found to be false, this would be a ground for immediate termination and further legal action in accordance with law as per Clause 12 of the Public Procurement Order on Restrictions under Rule 144 (xi) of the General Financial Rules (GFRs), 2017.

**Signature and name of the authorized signatory of the firm
with rubber-stamp.**

Date:

Place:

निषेध/ब्लैक लिस्टिंग के संबंध में वचनबद्धता

(कंपनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

कार्य का नाम: _____ .

(निविदा आईडी संख्या: _____)

मैं/हम _____ (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पद)
_____ (फर्म का नाम) की ओर से निम्नलिखित रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करते हैं:

- I. हमारी फर्म को भारतीय विमानन प्राधिकरण (एएआई)/नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए)/व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित/निषेधित/काली सूची में नहीं डाला गया है और निविदा (लिफाफा-I, जिसे सामान्यतः तकनीकी बोली कहा जाता है) या केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्व बैंक/एडीबी आदि के खुलने की अंतिम तिथि तक निषेध/काली सूची में डालना/निषेध लागू नहीं है और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निषेध लागू नहीं है।
- II. (मेसर्स (फर्म का नाम) का कोई भी मालिक/साझेदार/बोर्ड सदस्य/निदेशक किसी ऐसी फर्म का मालिक/साझेदार/बोर्ड सदस्य/निदेशक नहीं रहा है जिसे एएआई/एमओसीए/डीओई द्वारा प्रतिबंधित/काली सूची में डाला गया/रोका गया हो और प्रतिबंध/काली सूची में डालना/रोका जाना निविदा (लिफाफा-I, जिसे आमतौर पर तकनीकी बोली कहा जाता है) या केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/पीएसयू/विश्व बैंक/एडीबी आदि के खुलने की अंतिम तिथि को लागू नहीं है और प्रतिबंध प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि को लागू नहीं है।
- III. हमारी फर्म समझती है कि यदि हमारी फर्म को निविदा खुलने की तिथि से पहले प्रतिबंधित कर दिया जाता है (पहली बोली, जिसे आमतौर पर दो पैकेट/दो चरण की बोली के मामले में तकनीकी बोली कहा जाता है) या एएआई/एमओसीए/डीओई द्वारा अनुबंध की तिथि से पहले प्रतिबंधित कर दिया जाता है (सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए प्रतिबंध लागू होता है), तो हमारी बोली उसी समय अस्वीकृत कर दी जाएगी। चरण 4.
- IV. हमारी फर्म समझती है कि किसी भी स्तर पर, यदि उपरोक्त कथन झूठे पाए जाते हैं, तो हमारी फर्म एएआई में बोली लगाने से रोक के लिए उत्तरदायी होगी, इसके अलावा किसी भी अन्य उचित संविदात्मक कानूनी कार्रवाई के अलावा रोक / काली सूची में डालना / प्रतिबंध, अनुबंध की समाप्ति आदि भी उचित समझी जाएगी।

तारीख:

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और नाम

जगह:

रबर-स्टैम्प के साथ.

UNDERTAKING REGARDING DEBARMENT/BLACKLISTING

(To be submitted on company's letter head)

Name of Work: _____.

(Tender ID No. : _____)

I/ We _____ (name and post of authorized signatory) _____ on behalf of _____ (Name of firm) _____ do here by solemnly affirm and declare as follows:

- i. (Our firm is not restrained / debarred / blacklisted by Authority of India (AAI)/Ministry of Civil Aviation (MoCA)/Dept. of Expenditure (DoE), Ministry of Finance and the debarment/blacklisting /restraintment is not in force as on last date of opening of tender (Envelope-I, normally called as technical bid.) or Central / State Govt. Depts. / PSUs / World Bank / ADB etc. and the debarment is not in force as on last date of submission of proposal.
- ii. (None of Proprietor/Partners/Board Members/Directors of M/s _____ (Name of firm) has remained Proprietor / Partner / Board Member / Director in any firm which stands debarred / blacklisted/restrained by AAI/MoCA/DoE and the debarment/blacklisting/restraintment is not force an on last date of opening of tender (Envelope-I, normally called as technical bid.) or Central / State Govt. Depts. / PSUs / World Bank / ADB etc. and the debarment is not in force as on last date of submission of proposal.
- iii. Our firm understands that if our firm either debarred before the date of opening of tender (first bid, normally called as technical bid, in case of two packet/two stage bidding) or debarred before the date of contract by AAI/MoCA/DoE (Debarment applicable for all Ministries/Departments), our bid is liable to be rejected at that stage.
- iv. Our firm understands that at any stage, if above statements are found to be false, our firm shall be liable for debarment from bidding in AAI, apart from any other appropriate contractual legal action including debarment / blacklisting / restraintment, termination of the contract etc. as deemed fit.

Signature and name of the authorized signatory of the firm
with rubber-stamp.

Date:

Place:

Note: Above undertaking is to be give on company's letter head.

जीएसटी अनुपालन के संबंध में वचनबद्धता

(कंपनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

कार्य का नाम: _____ .

(निविदा आईडी संख्या: _____)

मैं/हम _____ (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पद)
_____ (फर्म का नाम) की ओर से सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं और वचन देते हैं कि:-

1. हमारी फर्म जीएसटी के तहत पंजीकृत है और जीएसटी प्रावधान का अनुपालन करती है।
2. जीएसटी प्राधानों का अनुपालन न करने और किसी भी इनपुट क्रेडिट के अवरोध के मामले में, बोलीदाता एएआई को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा।
3. बोलीदाता द्वारा सभी इनपुट क्रेडिट एएआई को दिए जाएंगे।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और नाम

रबर-स्टैम्प के साथ.

तारीख:

जगह:

UNDERTAKING REGARDING GST COMPLIANCE

(To be submitted on company's letter head)

Name of Work: _____.

(Tender ID No. : _____)

I/ We _____ (name and post of authorized signatory) _____ on behalf of _____ (Name of firm) _____ do here by solemnly affirm and undertakes that :-

1. Our firm is registered under GST and compliant of GST provision.
2. In case of Non-compliance of GST provisions and blockage of any input credit, the bidder shall be responsible to indemnify AAI.
3. That all input credits shall be passed on to AAI by the bidder.

**Signature and name of the authorized signatory of the firm
with rubber-stamp.**

Date:

Place:

संयंत्र एवं मशीनरी के संबंध में वचनबद्धता

(कंपनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

कार्य का नाम:

_____.

(निविदा आईडी संख्या: _____)

मैं/हम _____ (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का
नाम और पद) _____ (फर्म का नाम) _____ की ओर से सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करते हैं
कि मैं/हम समय अवधि के भीतर लक्ष्य/उपलब्धियों को प्राप्त करने और समग्र रूप से कार्य पूरा करने के लिए प्रभारी
अभियंता (ईआईसी) के परामर्श से कार्य की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संयंत्र और मशीनरी तैनात करेंगे।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और नाम

रबर-स्टैम्प के साथ.

तारीख:

जगह:

UNDERTAKING REGARDING PLANTS & MACHINERY

(To be submitted on company's letter head)

Name of Work: _____.

(Tender ID No. : _____)

I/ We _____ (name and post of authorized signatory) _____ on behalf of _____ (Name of firm) _____ do here by solemnly affirm and declare that I/ We will deploy sufficient plant and machinery as per the requirement of work in consultation with the Engineer-in-Charge (E-I-C) to achieve the milestones/targets and overall completion within the time period.

**Signature and name of the authorized signatory of the firm
with rubber-stamp.**

Date:

Place:

जाँच सूची /पीक्यू प्रोफार्मा

(आवेदकों को निविदा आवेदन के साथ पूर्व योग्यता आवश्यकताओं का प्रोफार्मा लिफाफा-I में अपलोड करना होगा)

कार्य का नाम: एसआईटीसी ऑफ एलईडी ल्यूमिनरीज फॉर टर्मिनल बिल्डिंग एट डीएबीएच एयरपोर्ट, इंदौर।

क्र. सं.	योग्यता मानदंड	विवरण	संलग्नक जांच सूची
1	एजेंसी का नाम और पता, ईमेल और संपर्क नंबर आदि।		
2	टेंडर शुल्क ₹1180 (जीएसटी सहित) (अवापसी योग्य नहीं)		प्रति संलग्न / संलग्न नहीं
3	ईएमडी - ₹91,691/-		प्रति संलग्न / संलग्न नहीं
4	बोलीदाता के लेटर हेड पर विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी निविदा स्वीकृति पत्र की स्कैन की गई प्रति ।		संलग्न / संलग्न नहीं
5	आयकर से वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) ।		पैन की प्रति संलग्न / संलग्न नहीं
6	वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र ।		संलग्न / संलग्न नहीं
7	फॉर्म-ए – कार्य अनुभव की स्कैन की गई प्रति ।		संलग्न / संलग्न नहीं
8	फॉर्म-बी - वित्तीय जानकारी की स्कैन की गई प्रति ।		संलग्न / संलग्न नहीं
9	फॉर्म-सी - नेट वर्थ की स्कैन की गई प्रति ।		संलग्न / संलग्न नहीं
10	जीएसटी से संबंधित वचनपत्र की स्कैन की गई प्रति।		संलग्न / संलग्न नहीं
11	ब्लैकलिस्टिंग/डिबारमेंट के संबंध में 'अंडरटेकिंग' की स्कैन की गई प्रति ।		संलग्न / संलग्न नहीं
12	टी एंड पी अंडरटेकिंग की स्कैन की गई प्रति । / शपथ पत्र (100/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत करके पूर्व योग्यता सह तकनीकी के साथ लिफाफा-I में प्रस्तुत किया जाना है)		संलग्न / संलग्न नहीं
13	प्राधिकरण पत्र/पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के निगमन प्रमाणपत्र की प्रति जिसमें सीआईएन/एलएलपीआईएन/कंपनी के निदेशकों का नाम दर्शाया गया हो तथा पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपने के लिए प्राधिकरण के संबंध में बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति।		संलग्न / संलग्न नहीं
14	अनुलग्नक-एलबीएस की स्कैन की गई प्रति		संलग्न / संलग्न नहीं
15	यदि लागू हो तो एमएसएमई पंजीकरण दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति ।		संलग्न / संलग्न नहीं
16	विधिवत भरे गए पीक्यू परफार्मा की स्कैन की गई प्रति ।		संलग्न / संलग्न नहीं

17	ग्राहकों से समान कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा करने का प्रमाण पत्र। (ग्राहकों द्वारा जारी किए गए पूर्णता प्रमाण पत्र, कार्य आदेश, बीओक्यू आदि की प्रति अपलोड की जानी चाहिए)	तीन/दो/एक कार्यों का विवरण यथा लागू	प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि संलग्न / संलग्न नहीं
18	क) 40% के तीन कार्य या 50% के दो कार्य या अनुमानित राशि के 80% का एक कार्य, जो निविदा आमंत्रित किए जाने वाले माह के पिछले महीने के अंतिम दिन को समाप्त हो।	1. ग्राहक : कार्य का नाम : आदेश संख्या एवं दिनांक: लागत: पूरा होने की तारीख: 2. ग्राहक : कार्य का नाम : आदेश संख्या एवं दिनांक: लागत: पूरा होने की तारीख: ग्राहक : कार्य का नाम : आदेश संख्या एवं दिनांक: लागत: पूरा होने की तारीख:	
19	क्या निजी ग्राहकों से अनुभव प्राप्त हुआ है?	गैर-सरकारी संगठन या निजी ग्राहक के अनुभव के लिए, निर्धारित मूल्य के कार्य का अनुभव होने के अपने दावे के समर्थन में स्रोत पर कर कटौती प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।	प्रमाणपत्र संलग्न : हां/ नहीं
	अन्य कोई जानकारी का विवरण, यदि कोई हो		संलग्न / संलग्न नहीं

घोषणा

मैं () एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि प्रस्तुत/संलग्न दस्तावेज सत्य और सही हैं। यदि किसी भी स्तर पर कोई भी दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है, तो मेरी ईएमडी जब्त की जा सकती है और एएआई द्वारा मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है।

तारीख:

हस्ताक्षर

ठेकेदार/फर्म का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(हस्ताक्षर सहित स्टाम्प)

CHECK LIST /PQ PROFORMA

(Pre Qualifying Requirements Proforma to be uploaded by applicants along with tender application in Envelope-I)

Name of work: SITC of LED luminaries for Terminal Building at DABH Airport, Indore.

S. No.	Qualifying Criterion	Particulars	Enclosure check list
1	Name and address of the Agency i/c e-mail & Contact No. etc.		
2	Tender fee of Rs. 1180 (i/c GST) (non-refundable)		Copy Enclosed / Not Enclosed
3	EMD- 91,691/-		Copy Enclosed / Not Enclosed
4	Scanned copy of duly signed and stamped Tender Acceptance Letter on Bidder's Letter Head.		Enclosed / Not Enclosed
5	Valid Permanent Account Number (PAN) from Income Tax.		Copy of PAN Enclosed / Not Enclosed
6	Valid GST registration Certificate.		Enclosed / Not Enclosed
7	Scanned copy of Form- A – Work Experience.		Enclosed / Not Enclosed
8	Scanned copy of Form- B - Financial Information.		Enclosed / Not Enclosed
9	Scanned copy of Form- C – Net Worth.		Enclosed / Not Enclosed
10	Scanned copy of Undertaking regarding GST.		Enclosed / Not Enclosed

11	Scanned copy of 'Undertaking' regarding Blacklisting/Debarment.		Enclosed / Not Enclosed
12	Scanned copy of T & P Undertaking. / Affidavit (To be executed in Rs . 100 / - Non Judicial Stamp Paper duly Notarized and submitted along with Pre qualification cum technical in Envelope-I)		Enclosed / Not Enclosed
13	Authorization Letter/Power of Attorney along with copy of Certificate of Incorporation of the Company under Companies Act showing CIN/LLPIN/Name of Directors of the Company & Copy of Board Resolution regarding Authority to assign Power of Attorney.		Enclosed / Not Enclosed
14	Scanned copy of Annexure- LBS		Enclosed / Not Enclosed
15	Scanned copy of MSME Registration Documents, if applicable.		Enclosed / Not Enclosed
16	Scanned copy of PQ Performa duly filled.		Enclosed / Not Enclosed
17	Certificate from clients of having satisfactorily completed similar works. (Copy of Completion Certificate issued by Clients, Work Order, BOQ etc. to be uploaded)	Details of the Three/Two/One works as applicable	Copy of the certificates Enclosed / Not Enclosed
18	a) Three works of 40 % OR b) Two works of 50% OR c) One work of 80% of estimated amount in single contract of similar nature during last 7 years ending last day of month previous to the one in which tenders are invited.	1.Client : Name of Work : Order No. & Dt.: Cost: Date of completion: 2.Client : Name of Work :	

		Order No. & Dt.: Cost: Date of completion: Client : Name of Work : Order No. & Dt.: Cost: Date of completion:	
19	Whether experience from Private clients?	Experience of Non- Govt. Organization or private client, should submit copy of tax deduction at sources certificate in support of their claim for having experience of stipulated value of work	Certificate enclosed : Yes/ No
	Details of any other information, if any		Enclosed / Not Enclosed

DECLARATION

I () hereby declare that the documents submitted / enclosed are true and correct. In case any document at any stage found fake / incorrect, my EMD may be forfeited & action as deemed fit by AAI can be taken against me.

Date:

Signature

Authorized Signatory of the contractor/ Firm

(Signature with stamp)

शपथ पत्र

(100/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत करके पूर्व योग्यता सह तकनीकी के साथ लिफाफा-I में प्रस्तुत किया जाना है)

मैं, (_____), आयु _____

वर्ष _____ मेसर्स _____

_____ का स्वामी/प्रबंध भागीदार/प्रबंध निदेशक, जिसका पता _____

_____ है, एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ तथा निम्नलिखित कथन करता हूँ:

मैं _____ (एजेंसी का नाम) की ओर से शपथ लेने के लिए सक्षम हूँ तथा एतद्वारा वचन देता हूँ कि यदि यह निविदा हमें प्रदान की जाती है, तो हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के भुगतान तथा ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम-1952 के अनुसार भविष्य निधि प्राधिकरणों की कटौती तथा संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, अद्यतन संशोधनों के साथ, के संबंध में कानूनी दायित्वों का पूर्णतः पालन करेंगे।

दिनांक:

स्थान:

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

रबर-स्टाम्प के साथ।

(नोटरी)

AFFIDAVIT

(To be executed in Rs . 100 / - Non Judicial Stamp Paper duly Notarized and submitted along with Pre qualification cum technical in Envelope-I)

I, _____),

age_____ years

S/o_____ proprietor /

Managing Partner / Managing Director of M/s

_____ having

address_____

do hereby solemnly affirm and state as follows;

I am competent to swear this affidavit on behalf of _____

(name of the agency) and hereby undertake that in event this tender is awarded to us, we shall fully comply with the legal obligations with regards to payment of minimum wages as per Minimum Wages Act – 1948 and deduction of Provident Fund Authorities as per EPF & MP Act – 1952 and Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, with up to date amendments.

Date:

Place:

**(Signature of the Contractor)
With rubber-stamp.**

(Notary)

जमाकर्ता द्वारा बैंक को समझौता पत्र का प्रारूप
(एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को परफॉर्मेंस गारंटी के साथ प्रस्तुत किया जाना है)

(जीसीसी धारा 1B का संदर्भ लें)
(फर्म के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाए)

शाखा प्रबंधक,
..... बैंक,
.....

विषय: - मेरे हमारे बैंक गारंटी संख्या / . दिनांक राशि के संबंध में, जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खाता के पक्ष में जारी की गई है।

महोदय,

उक्त बैंक गारंटी आपकी शाखा से सुरक्षा जमा) निष्पादन गारंटी / बयाना राशि /Performance Guarantee) के उद्देश्य से प्राप्त की गई है, जो कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मुझे / हमें प्रदान किए गए अथवा प्रदान किए जाने वाले अनुबंध के संबंध में है।

मैं एतद्वारा उस एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जिसके पक्ष में यह जमा की गई है, अधिकृत करता करता हूँ कि वह उक्त बैंक गारंटी को उसकी परिपक्वता अवधि से पूर्व अथवा / परिपक्वता पर, बकाया देयों के समायोजन हेतु, बिना किसी संदर्भ / सूचना के मेरी / सहमति / हमारी ओर से बंद कर सकती है तथा बैंक द्वारा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भुगतान किए जाने पर बैंक पूर्णतः दायित्वमुक्त माना जाएगा।

जमाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

Format for letter of understanding from the Depositor to Bank

(To be submitted along with Performance Guarantee to Airports Authority of India)

(Refer Section-GCC Clause 1B)

(To be submitted in the Letter head of the firm)

The Branch Manager,
..... Bank,
.....

Sub: - My / Our Bank Guarantee bearing No.....dated for amount..... issued in favour of Airports Authority of India A/c.....

Sir,

The subject Bank Guarantee is obtained from your branch for the purpose of SecurityDeposit / Earnest Money / Performance Guarantee on account of contract awarded / to be awardedby M/s Airports Authority of India to me / us.

I hereby authorize the Airports Authority of India in whose favour the deposit is made to close the subject Bank Guarantee before maturity / on maturity towards adjustment of dues without any reference / consent / notice from me/our side and the bank is fully discharged by making the payment to Airports Authority of India.

Signature of the Depositor

Place:
Date:

Schedule of Quantities (SOQ)

Name of Work : SITC of LED luminaries for Terminal Building and Car parking at DABH Airport, Indore					
S. No	DESCRIPTION OF ITEM	UNIT	QTY	Rate (With out GST)	AMOUNT
1	Supply of 150 W LED, 5700K, high bay luminary with high efficacy 150 Lm/W, pressure die-cast aluminium housing and diffuser, control gear, and a 05 YEARS WARRANTY for complete fitting complete etc. as required as per technical specification.	Each	330		
2	Supply of 90 W LED, CW, Street Light luminary, delivering 120 lumen/watt and diffuser, control gear, PDC housing and high impact resistance (IK07) glass cover luminaire. Pole dia: 48-60mm; 05 YEARS WARRANTY for complete fitting complete etc. as required as per technical specification.	Each	15		
3	Installation, testing and commissioning of LED fittings at the ceiling truss of the NITB with height of approximately 25 meters, as required,including dismantling of existing fittings adhering to all necessary safety standards including safety helmets, Safety Goggles, Hand Gloves, Safety harness lanyards, Fall arrestors, Roof anchors, scaffolding and any other provisions as per requirement.	Job	330		
4	Erection of metallic pole of up to 9 Mtr length on existing foundation including installation, testing and commissioning of LED street light fitting with 3 core x 1.5 sqmm PVC insulated copper conductor cable from cable looping box to fitting, connection etc. as required.as required.	Each	04		
Total Amount Rs.					